पंचदश माला, खंड 28, अंक 15

सोमवार, 3 सितम्बर, 2012
12 भाद्रपद, 1934 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

## (हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 07 July 2015

(खण्ड 28 में अंक 11 से 19 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

## सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

सुनीता उपाध्याय
सम्पादक

मनोज कुमार पंकज
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

# विषय-सूची

*[पंचदश माला, खंड 28, ग्यारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]*

**अंक 15, सोमवार, 3 सितम्बर, 2012/12 भाद्रपद, 1934 (शक)**


| विषय | कॉलम |
|---|---|
| **निधन संबंधी उल्लेख** | 1 |
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 305 | 2-7 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 306 से 324 | 7-106 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 | 107-628 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 628-640 |
| **राज्य सभा से संदेश** | 640-641 |
| **वित्तीय समितियां (2011-12) एक समीक्षा** | 641 |
| **अंतर-ससंदीय संघ (आईपीयू) की 125वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन** | 641-642 |
| **मंत्री द्वारा वक्तव्य** | |
| पोत परिवहन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में परिहवन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति | |
| श्री जी.के. वासन | 642 |
| **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012** | 643 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | 643 |
| (एक) मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ज़िला अस्पताल, राजगढ़ में चिकित्सकों और विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता | |
| श्री नारायण सिंह अमलाबे | 643 |
| (दो) देश में बाघ अभ्यारण्यों के आसपास गश्त में तेजी लाए जाने तथा चौकसी बढ़ाए जाने की आवश्यकता | |
| श्री गोपाल सिंह शेखावत | 645 |


*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

**विषय** **कॉलम**

(तीन) हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्हें चौड़ा करने के कार्य को आरंभ किए जाने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसकी अवसरंचना को मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती श्रुति चौधरी .................... 645-646

(चार) जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में मलयालम भाषा के शिक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.टी. थॉमस .................... 646

(पाँच) बिहार स्थित स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को बरौनी पेट्रोलियम रिफाइनरी, से प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

डॉ. भोला सिंह .................... 647-648

(छह) गुजरात में नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण .................... 648

(सात) देश में साफ-सफाई के कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन राम मेघवाल .................... 648-649

(आठ) गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को आयकर का भुगतान करने से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी .................... 649

(नौ) उत्तर प्रदेश के रॉबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ज़िला अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री पकौड़ी लाल .................... 649-650

(दस) देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर प्रतिवेदन देने के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों की सिफारिशों के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क .................... 650

(ग्यारह) बिहार के सहरसा रेलवे जंक्शन पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने तथा सहरसा, मानसी और खगड़िया-हसनपुर रोड-समस्तीपुर जंक्शनों पर प्लेटफार्मों की ऊंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता

श्री दिनेश चन्द्र यादव .................... 651

(बारह) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

डॉ. रत्ना डे .................... 651-652

विषय कॉलम

(तेरह) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उन किसानों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण सीमेंट कंपनियों द्वारा किया गया है, की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी ........ 652-653

(चौदह) सुवर्णरेखा बैराज़ परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा ........ 653

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा हातकणगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों से ऋण की वूसली को रोके जाने की आवश्यकता

श्री राजू शेट्टी ........ 654

**पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011**

विचार करने के लिए प्रस्ताव ........ 654

खंड 2 और 1 ........ 655

पारित करने के लिए प्रस्ताव ........ 655-656

**महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010**

विचार करने के लिए प्रस्ताव ........ 656-666

खंड 2 से 29 और 1 ........ 657-666

पारित करने के लिए प्रस्ताव ........ 656-676

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011**

विचार करने के लिए प्रस्ताव ........ 667-668

खंड 2 और 1 ........ 667-668

पारित करने के लिए प्रस्ताव ........ 667-668

**अनुबंध-I**

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका ........ 677

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका ........ 678-681

**अनुबंध-II**

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका ........ 689-690

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका ........ 690-692

# लोक सभा के पदाधिकारी

## अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

## उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

## सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

## महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

## लोक सभा

*सोमवार, 3 सितम्बर, 2012/12 भाद्रपद, 1934 (शक)*

*लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

## निधन-संबंधी उल्लेख

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यों, मुझे सभा को अपने पूर्व सहयोगी श्री काशीराम राणा के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

श्री काशीराम राणा 1989 से 2009 तक नौंवी लोक सभा से चौदहवीं लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री काशीराम राणा 1975 से 1980 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य भी रहे।

श्री राणा एक प्रख्यात सांसद थे, वह 1998 से 2003 तक केन्द्रीय मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री और 2003 से 2004 तक ग्रामीण विकास मंत्री रहे। उन्होंने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

श्री राणा ने बहुत सारे देशों का भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह चिली और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ के सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के सदस्य रहे।

श्री काशीराम राणा का निधन 74 वर्ष की आयु में 31 अगस्त, 2012 को अहमदाबाद में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं।

अब सदस्यगण दिवगंत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होगें।

**पूर्वाह्न 11.01 बजे**

*तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब प्रश्न काल।

प्रश्न संख्या 305-श्री जयवंत गगांराम आवले।

...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.02 बजे**

*इस समय, श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।*

...*(व्यवधान)*

**श्री टी.आर. बालू** (श्री परेरुम्बुदूर): महोदया, श्रीलंका की सेना को देश में प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

**पूर्वाह्न 11.02½ बजे**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न संख्या 305 श्री जयवंत गंगाराम आवले।

### नदियों की सफाई

*305. + **श्री जयवंत गंगाराम आवले:**
**श्री संजय दिना पाटील:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रमुख नदियों की सफाई के कार्य में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इसके लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है एवं इन नदियों की सफाई के कार्य हेतु अब तक नदी-वार कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन नदियों की सफाई के लिए विश्व बैंक/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/गैर-सरकारी संगठनों से मदद मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेन्सियों से एजेन्सी-वार कितनी धनराशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) सरकार द्वारा नदियों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*विवरण*

(क) और (ख) गंगा नदी के अभिज्ञात प्रदूषित भागों में प्रदूषण उपशमन कार्यों के लिए सरकार द्वारा वर्ष 1985 गंगा कार्य योजना की शुरुआत की गई और बाद में इसमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) की अन्य प्रमुख नदियों को शामिल कर लिया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में इस समय 20 राज्यों के 190 शहरों की 40 नदियां शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वित प्रदूषण उपशमन स्कीमों में सीवेज का अंतरावरोधन, अपवर्तन और शोधन; नदी तटों पर अल्प लागत साफ-सफाई कार्य; विद्युत/उन्नत काष्ठ के बने शवदागृहों का निर्माण आदि शामिल है। इस योजना के अंतर्गत 4664 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की सीवेज क्षमता सृजित की गई है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) कार्यक्रम सहित अब तक एनआरसीपी के अंतर्गत 5343.06 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इसके नदी-वार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए है।

प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा की गई स्वतंत्र मॉनीटरिंग के आधार पर, प्रमुख नदियों के लिए बीओडी (बायो-केमिकल आक्सीजन डिमांड) मान के संदर्भ में जल गुणवत्ता में प्रदूषण उपशमन कार्यों के आरंभ होने से पूर्व की जल गुणवत्ता की तुलना से सुधार होने की सूचना है। तथापि, कॉलीफार्म के संदर्भ में बैक्टीरियल संदूषण का स्तर विभिन्न मॉनीटरिंग स्थलों पर अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से अधिक पाए जाने की सूचना है।

वर्ष 1985 से नदी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आलोक में सरकार द्वारा नदी संरक्षण कार्यनीति की समीक्षा की गई। तदनुसार समग्र नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरवरी, 2009 में एक अधिकार संपन्न, आयोजना, वित्तपोषण, मॉनीटरन और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में एनजीआरबीए का गठन किया गया।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा नदियों के संरक्षण के लिए समय-समय पर द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से बाह्य सहायता प्राप्त की जाती है। इस समय जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने यमुना नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए चालू कार्य योजना के चरण-II हेतु 13.33 बिलियन येन की और चरण-III हेतु 32.571 बिलियन येन की ऋण सहायता दी है।

जेआईसीए वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 11.184 बिलियन येन की ऋण सहायता प्रदान कर रहा है। विश्व बैंक भी एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी के प्रदूषण उपशमन के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता भी प्रदान कर रहा है।

(ङ) नदियों का संरक्षण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का सतत् और सामूहिक प्रयास है और यह मंत्रालय एनआरसीपी के अंतर्गत राज्य सरकारों के नदियों के प्रदूषण उपशन के प्रयासों को संपूरित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहि:स्त्रावों के निस्सारण मानकों के अनुपालन की दृष्टि से उद्योगों का मानीटरन करते हैं और अनुपालन न किए जाने की स्थिति में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई करते है।

*अनुबंध*

*राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत किए गए खर्चों के नदी-वार ब्यौरे*

| क्र.सं. | नदी का नाम | राज्य का नाम | करोड़ रुपए में |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,2 | अडयार, कूयम | तमिलनाडु | 396.42 |
| 3,4 | ब्यास और सतलुज | पंजाब | 424.17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 5. | बीहर | मध्य प्रदेश | 1.69 |
| 6. | बेतवा | मध्य प्रदेश | 5.63 |
| 7. | भाद्र | कर्नाटक | 4.14 |
| 8. | ब्राहमणी | ओडिशा | 2.51 |
| 9. | कावेरी | कर्नाटक और तमिलनाडु | 262.39 |
| 10. | चंबल | मध्य प्रदेश और राजस्थान | 25.98 |
| 11. | दामोदर | झारखंड और पश्चिम बंगाल | 4.29 |
| 12. | दीफू और धनश्री | नागालैंड | 0.00 |
| 13. | गंगा | उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल | 1302.89 |
| 14. | गोदावरी | आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र | 112.61 |
| 15. | गोमती | उत्तर प्रदेश | 468.40 |
| 16. | खान | मध्य प्रदेश | 39.56 |
| 17. | कृष्णा | महाराष्ट्र | 21.95 |
| 18. | क्षिप्रा | मध्य प्रदेश | 17.32 |
| 19. | महानदी | ओडिशा | 8.04 |
| 20. | महानदी | पश्चिम बंगाल | 44.32 |
| 21. | मंदाकिनी | मध्य प्रदेश | 0.00 |
| 22. | मांडोवी | गोवा | 13.50 |
| 23. | मूसी | आंध्र प्रदेश | 336.85 |
| 24. | नर्मदा | मध्य प्रदेश | 3.31 |
| 25. | पंबा | केरल | 1.47 |
| 26. | रामगंगा | उत्तर प्रदेश | 30.92 |
| 27. | पंजगंगा | महाराष्ट्र | 0.00 |
| 28. | पेन्नार | कर्नाटक | 35.94 |
| 29. | रानी चू | सिक्किम | 67.47 |
| 30. | साबरमती | गुजरात | 95.08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 31. | सुबर्ण रेखा | झारखंड | 0.98 |
| 32. | तामरबर्नी | तमिलनाडु | 54.26 |
| 33. | तापी | महाराष्ट्र | 0.00 |
| 34. | ताप्ती | मध्य प्रदेश | 3.88 |
| 35. | तुंगा | कर्नाटक | 2.60 |
| 36. | तुंगभद्रा | कर्नाटक | 6.22 |
| 37. | वेगई | तमिलनाडु | 111.84 |
| 38. | वैनार | तमिलनाडु | 63.31 |
| 39. | वैनगंगा | मध्य प्रदेश | 0.94 |
| 40. | यमुना | हरियाणाए दिल्ली और उत्तर प्रदेश | 1341.50 |
| | तटीय क्षेत्र (पुरी) | ओडिशा | 40.68 |
| | कुल योग | | 5343.06 |

*[हिन्दी]*

**श्री जयवंत गंगाराम आवले:** माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्ष 1985 में नदियों की कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार द्वारा नदी संरक्षण कार्यनीति हेतु मानिटरिंग और समन्वय प्राधिकारण का गठन किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्राधिकरण ने अब तक क्या कार्य किया है तथा इसका प्रारूप क्या है.... *(व्यवधान)* समस्त नदियों की सफाई हेतु सरकार ने 5343 करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन मौजूदा स्थिति नहीं बताई है। मेरा प्रश्न है कि अब सफाई की स्थिति क्या है और भविष्य में कितना खर्चा होगा? ...*(व्यवधान)* यह कार्य कब तक पूरा होगा और इसकी समय सीमा क्या है?...*(व्यवधान)*

*[अनुवाद]*

**श्रीमती जयंती नटराजन:** क्या आप प्रश्न दोहरा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पोतों द्वारा अपशिष्ट की डंपिंग

*[अनुवाद]*

***306. डॉ. एम. तम्बिदुरई:** क्य **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न कारणों से भारतीय पत्तनों पर आने वाले विदेशी पोतों द्वारा अपशिष्ट की डंपिंग करने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कड़ा विनियामक तंत्र बनाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) महापत्तनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान महापत्तनों में विदेशी पोतों द्वारा कचरा फेंके जाने की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत पोतों से प्रदूषण के बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (मारपोल), 1973/78, पर हस्ताक्षर करने वाला देश है जो संचालनात्मक और दुर्घटनात्मक स्थितियों में पोतों द्वारा

समुद्रीय पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित है। इस कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुरूप, वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं।

## राष्ट्रीय इस्पात नीति

***307. श्री नलिन कुमार कटील:**
**श्री रवनीत सिंह:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्यमान राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 की समीक्षा करने के लिए किसी कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल के विचारार्थ विषय और संरचना क्या है तथा प्रस्तावित नीति की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है;

(ग) विद्यमान और प्रस्तावित राष्ट्रीय इस्पात नीति में अनुमानित कुल इस्पात उत्पादन का ब्यौरा क्या है और इसके लिए अनुमानतः कितनी मात्रा में लौह-अयस्क की जरुरत है; और

(घ) सरकार द्वारा नई नीति में दर्शाई गई लौह-अयस्क की भावी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):** (क) और (ख) राष्ट्रीय इस्पात नीति वर्ष 2005 में तैयार की गई थी। तबसे इस्पात क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। तदनुसार, एक नई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में अध्ययन, विश्लेषण करने और इस विषय पर विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए विख्यात विशेषज्ञों की अध्यक्षता में चार टास्क फोर्स गठित किए गए हैं। प्रत्येक टास्क फोर्स का गठन और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि इस मामले में विभिन्न हितधारकों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत रूप से विचार-विमर्श करना अपेक्षित है, इसलिए यह बताना कठिन है कि नई नीति कब तक घोषित कर दी जाएगी।

(ग) और (घ) वर्तमान राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 में वर्ष 2019-20 तक 110 मिलियन टन प्रति वर्ष घरेलू इस्पात का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था जिसके लिए 190 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि नई राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने की प्रक्रिया अभी चल रही है, इसलिए इस्पात के कुल उत्पादन आदि के अनुमानों का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

वर्ष 2011-12 के दौरान देश में कुल 169.66 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था जबकि इस वर्ष के दौरान घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग द्वारा इसकी अनुमानतः 116.3 मिलियन टन खपत की गई थी। लौह अयस्क के निर्यात को निरुत्साहित करके घरेलू इस्पात उत्पादकों के लिए इसकी उपलब्धता में और अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने 30 दिसम्बर, 2011 से लौह अयस्क की सभी किस्मों (पेलेट्स को छोड़कर) निर्यात शुल्क यथामूल्य 20 प्रतिशत से बढ़ाकर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है।

### *विवरण*

*नई राष्ट्रीय इस्पात नीति तैयार करने के संबंध में गठित चार टास्क फोर्सो की संरचना और विचारार्थ विषय*

**टास्क फोर्स 1: अर्थव्यवस्था और समन्वय**

**कार्य:** देश में इस्पात क्षेत्र में संबंधित आर्थिक और वित्तीय पहलू तैयार करना। वर्ष प्रति वर्ष आधार पर और प्रौद्योगिकी के आधार पर भी क्षमता, उत्पादन, खपत पर अगले 15 वर्षों के लिए अनुमान तैयार करना। 15 वर्षों, 25 वर्षों और 50 वर्षों के लक्ष्यों के साथ इस्पात क्षेत्र का विजन दस्तावेज तैयार करना। रिपोर्ट को एकीकृत करने और अंतिम रूप देने में समन्वय करना।

**गठनः**

1. अध्यक्षः प्रो. बी.बी. भट्टाचार्य, भूतपूर्व उप-कुलपति, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय
2. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय
3. आर्थिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय
4. मुख्य अर्थशास्त्री - आर्थिक अनुसंधान यूनिट, इस्पात मंत्रालय - सदस्य सचिव एवं समन्वयकर्ता
5. भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधि
6. सेल का प्रतिनिधि

7. और 8. निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि (2) - टाटा स्टील और जेएसडब्लयू

9. एसोसियेशन का प्रतिनिधि - फिक्की/सीआईआई
10. योजना आयोग का प्रतिनिधि

**टास्क फोर्स 2: प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जनशक्ति**

**कार्य:** प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं, भावी प्रौद्योगिकी के लिए अनुमानों और आवश्यकता, पर्यावरणीय मानकों, अनुसंधान और विकास नीतियों, जनशक्ति की आवश्यकता और प्रशिक्षण की तैयारी का ब्यौरा तैयार करना।

**गठन:**

1. अध्यक्ष: डा. एस.के. गुप्ता, सेवा-निवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
2. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय
3. सेल का प्रतिनिधि
4. आरआईएनएल का प्रतिनिधि
5. टाटा स्टील का प्रतिनिधि
6. एस्सार स्टील का प्रतिनिधि
7. जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रतिनिधि
8. राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला का प्रतिनिधि
9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि
10. औद्योगिक सलाहकार, इस्पात मंत्रालय - सदस्य सचिव

**टास्क फोर्स-3: कच्चा माल**

**कार्य:** राष्ट्रीय खनिज नीति, एमएमडीआर अधिनियम और कोयला नीति के अनुरूप कच्चे माल संबंधी नीति की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। निम्न ग्रेड के खनिज संसाधनों का बैनीफिशिएशन और उपयोग। अन्य कच्चे माल और फैरो-एलॉय क्षेत्र के लिए योजना की रूपरेखा भी तैयार करना।

**गठन:**

1. अध्यक्ष: श्री पी.सी गुप्ता, सेवा-निवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी लिमिटेड
2. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय
3. खान मंत्रालय का प्रतिनिधि
4. कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधि
5. पर्यावरण और वन मंत्रालय का प्रतिनिधि
6. एनएमडीसी का प्रतिनिधि

7 से 10. ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की सरकारों के प्रतिनिधि

11. जेएसपीएल/टाटा स्टील का प्रतिनिधि
12. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रतिनिधि
13. भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ का प्रतिनिधि
14. मुख्य अर्थशास्त्री, ईआरयू
15. निदेशक, इस्पात मंत्रालय - समन्वयकर्ता और सदस्य-सचिव

**टास्क फोर्स 4: अवसंरचना और सुविधाएं**

**कार्य:** ढुलाई अवसंरचना, भूमि, जल, वन और पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए नीति तैयार करना। भूमि, अवसंरचना, जल, विद्युत जैसे विभिन्न पैरामीटरों के लिए मानदंड भी तैयार करना।

**गठन:**

1. अध्यक्ष: श्री आर.एन. आगा, सेवा-निवृत्त सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड
2. संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय
3. कार्यकारी निदेशक (यातायात परिवहन-इस्पात)-रेल मंत्रालय

4 से 7. ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की सरकारों के प्रतिनिधि

8. निदेशक, इस्पात मंत्रालय - समन्वयकर्ता और सदस्य-सचिव
9. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का प्रतिनिधि
10. जहाजरानी विभाग का प्रतिनिधि
11. पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि
12. योजना आयोग का प्रतिनिधि
13. जल संसाधन मंत्रालय का प्रतिनिधि
14. संयुक्त संयंत्र समिति का प्रतिनिधि/परामर्शदाता

*[हिन्दी]*

**हथकरघा और साड़ी उद्योग**

*308. **श्री भूदेव चौधरी:**
**श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हथकरघा और साड़ी उद्योग बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन उद्योगों के बुनकरों तथा कामगारों को प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता और कच्चे माल का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र पर आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बुनकरों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा):** (क) और (ख) जी, नहीं। हथकरघा क्षेत्र 43.3 लाख बुनकरों को आजीविका प्रदान कर रहा है जो 23.77 लाख करघों पर देश के कुल वस्त्र उत्पादन का लगभग 10% का उत्पादन करते हैं हथकरघा क्षेत्र की संपोषणीयता की सहायता और विकास करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार हथकरघा बुनकरों को सहयता प्रदान करने और उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य योजनाएं कार्यान्वित कर रही है अर्थात (1) एकीकृत हथकरघा विकास योजना (2) विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना (3) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (4) मिल गेट कीमत योजना एवं (5) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना।

(ग) हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज सहित योजना स्कीमों में चालू वर्ष 2012-13 के लिए 3553 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया है और हैंक यार्न की आपूर्ति के लिए, जो हथकरघा के लिए बुनियादी कच्चा माल है, वर्ष 2012-13 के लिए 2000 लाख किलोग्राम का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) और (ङ) हथकरघा क्षेत्र में आर्थिक मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है लेकिन आर्थिक मंदी के कारण संकट के आनुभाविक संकेत के आधार पर भारत सरकार ने दिसम्बर, 2011 में हथकरघा शीर्ष और सहकारी समितियों के दिनांक 31.3.2010 (संपूर्ण मूलधन और ब्याज का 25%) की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों को माफ करने के लिए हथकरघा बुनकरों के पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज और मार्जिन राशि में सहायता तथा ऋण गारंटी कवर के प्रावधान के साथ रियायती दरों पर नए ऋण प्रदान करने और कॉटन तथा सिल्क पर हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी प्रदान करने के लिए व्यापक पैकेज नामक योजनाओं की घोषणा की है।

*[अनुवाद]*

**व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम**

***309. श्रीमती विजया चक्रवर्ती:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-तकनीकी व्यवसायियों में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न तकनीकी, कौशल विकास पाठ्यक्रमों को शुरू कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) भारत सरकार देश में गैर-तकनीकी व्यावसायिकों के मध्य बेरोजगारी की समस्या के आकार से पूर्णतया परिचित है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2004-05 तथा 2009-10 के दौरान किये गये श्रम बल सर्वेक्षणों के पिछले दो पंचवार्षिक चक्रों के परिणामों के अनुसार देश में समान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर 15-59 के आयु वर्ग में सहयोगी व्यावसायिकों सहित गैर-तकनीकी बेरोजगार व्यावसायिकों की अनुमानित संख्या 2004-05 के 1.76 मिलियन से मामूली सी घटकर 2009-10 में 1.75 मिलियन रह गई इसी अवधि के दौरान देश में बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या 2004-05 के 12.68 मिलियन से घटकर 2009-10 में 10.40 मिलियन रह गई।

(ग) और (घ) बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रुपांतरण के लिए शिक्षा ही एकमात्र अति महत्वपूर्ण तंत्र हैं। पर्याप्त ज्ञान और कौशल से लैस बेहतर शिक्षित जनसंख्या न केवल आर्थिक विकास में सहयोग के लिए आवश्यक है, बल्कि विकास के समग्र होने के लिए यह एक पूर्व शर्त भी है, क्योंकि शिक्षित

और कुशल व्यक्ति ही विकास द्वारा उपलबध करवाए गए रोजगार अवसरों से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं। बढ़ती हुए युवा जनसंख्या को बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्नत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास बड़े काम का है और उच्च विकास गति को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य के साथ एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की हैं। इस लक्ष्य को विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में बांटा गया हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 1500 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआईज) तथा 500 कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुसार नए तकनीकी पाठ्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 10,009 सरकारी तथा निजी प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें 127 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिन्हें जारी रखा जाएगा और आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जाएगा।

### दांडी विरासत मार्ग

***310. श्रीमती दर्शाना जरदोश:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दांडी विरासत मार्ग का संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 228 से समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दांडी विरासत मार्ग संबंधी विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) वर्ष 2012-13 के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ प्राप्त प्राक्कलनों तथा निर्धारित/आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) और (ख) जी हां। सरकार ने दांडी विरासत मार्ग के मूल परिवेश और विरासत प्रकृति को संरक्षित करने और राष्ट्रीय राजमार्ग की विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 228 के विकास से अलग करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) विरासत मार्ग के लगभग 121 किमी के विकास के लिए जून, 2012 के दौरान गुजरात सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय को भेजा गया प्रस्ताव उच्च स्तरीय दांडी मेमोरियल समिति (एचएलडीएमसी) की सिफारिश के अनुसार नहीं था। उच्च स्तरीय दांडी मेमारियल समिति (एचएलडीएमसी) की सिफारिश के अनुसार, दांडी विरासत मार्ग की संशोधित योजना और वित्तीय प्राक्कलनों को गुजरात सरकार द्वारा अभी अंतिम रुप नहीं दिया गया है और इस विरासत मार्ग पर विकास कार्य शुरु करना संभव नहीं हुआ है।

*[हिन्दी]*

### राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना

***311. श्री पकौड़ी लाल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना से वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई और वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक):** (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए "राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति" (आर जी एन एफ) योजना शुरु की हैं इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एम.फिल., पी एच. डी तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थाओं एवं वैज्ञानिक संस्थाओं में समतुल्य डिग्री वाले शोध अध्ययन करने के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(1) वर्ष 2010-11 से प्रत्येक वर्ष 2000 नई अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती हैं।

(2) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) नोडल एजेंसी है।

(3) पात्रता के लिए कोई आय मापदण्ड नहीं है।

(4) प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति आबादी के अनुपात में अलग-अलग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच अध्येतावृत्ति वितरित की जाती है।

(5) स्नातकोत्तर परीक्षा में न्यूनतम अंक के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है आर जी एन एफ की पात्रता के लिए अनुसूचित जाति अभ्यर्थी को केवल स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना पर्याप्त होगा।

(6) अध्येतावृत्ति का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय पात्रता (एनईटी)/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस एल ई टी) परीक्षाएं उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

(ख) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों, जिन्हें 2009-10 से 2011-2012 के दौरान योजना के अंतर्गत नई अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत निधियां, राज्य सरकारों को नहीं बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान (यू जी सी) को जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विगत तीन वर्षों के दौरान जारी की गई एवं इसके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

| क्र.सं. | वर्ष | यूजीसी को जारी राशि | यूजीसी द्वारा उपयोग की गई राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2009-10 | 105.00 | 62.65 |
| 2. | 2010-11 | 144.00 | 141.71 |
| 3. | 2011-12 | 103.69 | 59.37 |

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों जिन्हें अनुसूचित जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत नई अध्येतावृत्ति प्रदान की गई है, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

*विवरण*

| क्र.सं. | राज्य | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 97 | 188 | 200 |
| 2. | असम | 36 | 24 | 24 |
| 3. | बिहार | 88 | 143 | 68 |
| 4. | चंडीगढ़ | 0 | 2 | 3 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 25 | 17 | 30 |
| 6. | दिल्ली | 25 | 30 | 37 |
| 7. | गुजरात | 29 | 46 | 43 |
| 8. | हरियाणा | 34 | 54 | 57 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 12 | 22 | 23 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 11 | 10 | 10 |
| 11. | झारखंड | 19 | 14 | 17 |
| 12. | कर्नाटक | 67 | 118 | 134 |
| 13. | केरल | 26 | 40 | 46 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 74 | 117 | 127 |
| 15. | महाराष्ट्र | 78 | 135 | 148 |
| 16. | मणिपुर | 36 | 3 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 17. | मेघालय | 2 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 5 | 0 | 0 |
| 19. | ओडिशा | 47 | 75 | 74 |
| 20. | पुदुचेरी | 1 | 5 | 3 |
| 21. | पंजाब | 54 | 84 | 84 |
| 22. | राजस्थान | 78 | 120 | 118 |
| 23. | सिक्किम | 2 | 1 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 97 | 188 | 241 |
| 25. | त्रिपुरा | 3 | 4 | 5 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 297 | 436 | 371 |
| 27. | उत्तराखंड | 13 | 19 | 20 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 119 | 105 | 109 |
| | कुल | 1375* | 2000 | 2000 |

*स्वीकार्य 1333 स्लाटों के अतिरिक्त 2009-10 के दौरान प्रदान की गई 42 अतिरिक्त अध्येतावृत्ति पुरस्कारों को 2010-11 के दौरान समायोजित किया गया।

*[अनुवाद]*

**हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन की नौसेना की उपस्थिति**

*312. **श्री एस. सेम्मलई:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्द महासागर और इसके आस-पास के क्षेत्र में चीन की नौसेना की बढ़ती उपस्थिति का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हिन्द महासागर क्षेत्र में उभरते सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी):** (क) से (ग) सरकार को हिन्द महासागर क्षेत्र में पत्तन विकास तथा गहरे समुद्र में खनन इत्यादि जैसी परियोजनाओं में चीन की भागीदारी की जानकारी है।

विश्व के अधिकांश तेल तथा गैस व्यापार का स्त्रोत खाड़ी तथा पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं तथा यह हिन्द महासागर से होकर गुजरता है। समुद्र में अनुशासन तथा सुरक्षित यात्रा के लिए समुद्री परिवहन संचार संबंधी समुद्री लाइनों का इस्तेमाल करता है जो संयुक्त राष्ट्र संबंधी कानूनों हेतु अभिसमय (यूएनसीएलओएस) तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून द्वारा शासित होते हैं।

सरकार हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा वाणिज्यिक हितों से संबंध रखने वाली सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखती है और मौजूदा सुरक्षा स्थिति तथा रणनीतिक मानकों के अनुसार उनकी सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय करती है।

**केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामाज कल्याण योजनाएं**

*313. **डॉ. रतन सिंह अजनाला:**

**डॉ. भोला सिंह:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयनाधीन केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी योजनाओं के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही केन्द्र प्रोयाजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं की बेहतर निगरानी करने तथा इनमें पारदर्शिता लाने एवं इनकी जवाबदेही बढ़ाने के लिए उपाय करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक):** (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ii) "अस्वच्छ व्यवसाय" में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(iii) कक्षा-IX एवं X में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(iv) बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

(क) अनुसूचित जाति के बालकों के लिए छात्रावास

(इ) अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास

(v) राज्यों के अनुसूचित जाति विकास निगमों को इक्विटी सहायता

(vi) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

(vii) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

(viii) अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ix) अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(x) अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने हेतु मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

(ii) मंत्रालय कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों के समुचित उपयोग की जांच करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन अभिकरणों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन प्रायोजित करता है।

(iii) कार्यान्वयन अभिकरणों को किसी वर्ष के दौरान नई/अनुवर्ती अनुदानों की निर्मुक्तियां पिछले वर्ष के अनुदान जो देय हो गये हैं, के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही की जाती है।

(iv) मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्य सामाजिक कल्याण मंत्रियों का अर्द्ध-वार्षिक सम्मेलन और राज्य कल्याण सचिवों का वार्षिक सम्मेलन।

(v) मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अपने दौरा कार्यक्रमों के दौरान योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा।

(ग) गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं चलाई जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रमों/योजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु योजना आयोग के तत्वावधान में एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित करने का अनुमोदन किया है। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय एक स्वतंत्र निकाय होगा जो भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित पोषित होगा और इसे अपने कार्य निष्पादित करने के लिए कार्यात्मक स्वायत्ता प्राप्त होगी।

*[हिन्दी]*

### अरावली पहाड़ियों में पर्यावरण संबंधी कानूनों का उल्लंघन

***314. श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अतिक्रमण, शहरीकरण और अन्य पर्यावरण संबंधी कानूनों के उल्लंघनों सहित अनधिकृत विकास संबंधी गतिविधियों की ओर ध्यान दिया है जो अरावली पहाड़ियों में क्षरीय पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कामा पहाड़ी, तिजारा पाटन फरीदाबाद, सूरजकुंड, बड़कल, गुडगांव, धारुहेड़, तबादू और भिवानी सहित अरावली पहाड़ियों के विभिन्न क्षेत्रों में बोरिंग और रियल एस्टेट निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पर्यावरणरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ङ) पर्यावरण विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत गठित किया गया राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली निर्माण परियोजनाओं सहित प्रस्तावों पर कार्रवाई करता है। दिनांक 7.5.1992 की अरावली अधिसूचना के उपबंधों के अधीन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। हरियाणा राज्य सरकार के भिन्न-भिन्न प्राधिकारणों द्वारा अवैध/अप्राधिकृत कार्यकलापों के विरुद्ध की गई कार्रवाईयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को गुडगांव जिले में अरावली अधिसूचना के 310 उल्लंघनों का पता चला और बोर्ड ने उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम की धारा 19 के साथ पठित धारा 15 के अंतर्गत विशेष पर्यावरण न्यायालय, फरीदाबाद में शिकायत दर्ज की है।

(2) राज्य नगर और ग्राम योजना विभाग द्वारा फरीदाबाद में अरावली पहाड़ियों में अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण के 515 मामलों की पहचान की गई है। इनमें से आज की तारीख तक 82 निर्मित ढांचे गिराए जा चुके हैं।

(3) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) ने 14.05 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाए हैं और 4 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी है।

(4) नगर निगम, फरीदाबाद ने वर्ष 2011-12 में सूरजकुंड रोड पर अरावली पहाड़ियों के क्षेत्र में विभिन्न कालोनियों में 20 स्थानों पर अप्राधिकृत निर्माण/अतिक्रमण हटाया/गिराया है।

(5) गुडगांव जिले में 626 अवैध ट्यूबवैलों को सील कर दिया गया है और अवैध बोरिंग के विरुद्ध 93 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी है।

(6) नगर निगम, फरीदाबाद ने 10 अवैध ट्यूबबैलों को तोड़ दिया है।

पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा दो माह का विशेष अभियान चलाया गया था।

## सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की योजना

***315. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः**
**श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डीः**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तीनों सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए पंचवर्षीय और पन्द्रह वर्षीय योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तीनों सशस्त्र सेनाओं के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान के प्रस्तावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण तथा रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए सेना-वार रक्षा व्यय का कितने प्रतिशत खर्च किया गया है;

(घ) क्या आवंटित धनराशि का इष्टतम उपयोग किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वायुसेना सहित सेनाओं को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (च) खतरे की अवधारणा, सक्रियात्मक चुनौतियों, प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया 15 वर्षीय दीर्घावधिक एकीकृत संदर्शी योजना, पंचवर्षीय सेना पूंजीगत अधिग्रहण योजना तथा वार्षिक अधिग्रहण योजना पर आधारित है। सशस्त्र सेनाओं के लिए दीर्घावधिक एकीकृत संदर्शी योजना 2012-27 तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 को रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। सशस्त्र सेनाओं के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के ब्यौरे राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण प्रकट नहीं किए जा सकते हैं।

वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक के दौरान कुल रक्षा व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत अधिग्रहण के जरिए सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण पर व्यय इस प्रकार है:

| वर्ष | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| सेना | 7.30% | 4.71% | 5.75% | 4.68% | 3.10% |
| नौसेना | 9.17% | 7.73% | 8.93% | 10.45% | 10.47% |
| वायुसेना | 13.79% | 13.71% | 12.30% | 14.39% | 15.89% |
| संयुक्त स्टाफ | 0.17% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% |
| जोड़ | 30.43% | 26.26% | 27.10% | 29.64% | 29.67% |

वायुसेना सहित सशस्त्र सेनाओं को अत्याधुनिक उपस्करों से सुसज्जित करने के लिए निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया है। सशस्त्र सेनाओं (सेना, नौसेना, वायुसेना तथा संयुक्त स्टाफ) के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत अधिग्रहण से संबंधित बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय इस प्रकार था:

| वर्ष | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक व्यय |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | 32826.80 | 28110.01 | 27903.42 |
| 2008-09 | 37482.77 | 30614.64 | 30000.42 |
| 2009-10 | 40367.72 | 35146.88 | 38427.00 |
| 2010-11 | 43799.21 | 44440.63 | 45686.77 |
| 2011-12 | 52998.02 | 47409.45* | 50723.97 |

*यह रक्षा सेना अनुमानों के पूंजीगत भाग में वित्त मंत्रालय द्वारा 2011-12 के संशोधित अनुमानों में उपलब्ध कराई गई धनराशि पर आधारित है तथापि, आयुष निर्माणियों से पूंजीगत उपस्करों की आपूर्ति सहित सेना की अन्य पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए 2585 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया में प्रचालन में स्तर की सत्यनिष्ठा, लोक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम सूचना देने तथा व्यापक विक्रेता आधार को प्रोत्साहित करने हेतु सूचना हेतु अनुरोध जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है इसके अलावा, प्रक्रिया के अनुसार 100 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित मूल्य के अधिप्राप्ति संबंधी मामलों में संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

*[अनुवाद]*

**ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे**

***316. श्री आनदंराव अडसुल:**
**श्री गजानन ध. बाबर:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनाए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गलियारों के निर्माण के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशों के तैयार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए किन-किन गलियारों का चयन किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना के निष्पादन और निगरानी के लिए किसी निगम की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) जी हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 2.11.2006 को कुल 16,680 करोड़ रुपए की लागत पर डिजाईन, निर्माण, वित्त और प्रचालन पैटर्न पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1,000 किमी एक्सप्रेसवे के निर्माण को अनुमोदित किया था। पहले वडोदरा-मुम्बई महामार्ग (400 किमी) को शुरु किया जाना है और शेष 600 किमी का चयन यातायात मात्रा के आधार निम्नलिखित खंडों से किया जाएगा:-

(i) दिल्ली -चंडीगढ़

(ii) बैंगलूरु-चेन्नै

(iii) दिल्ली -जयपुर

(iv) दिल्ली -मेरठ

(v) कोलकता-धनबाद

(vi) दिल्ली -आगरा

(vii) 40,000 पीसीयू से अधिक यातायात वाले खंड।

(ग) जी हां।

(घ) तकनीकी मार्ग निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उनको 'एक्सप्रेसवे, भाग-I और II के लिए मार्ग निर्देश शीर्षक दिया गया है। जिसे भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा अप्रैल, 2010 में प्रकाशित किया गया है। चुनिन्दा महामार्ग उक्त पैरा (ख) में किए गए उल्लेख के अनुरूप हैं सिवाए (vi) और (vii) के।

(ङ) एक्सप्रेस कॉप्रोरेशन गठित किए जाने की आवश्यकता तभी होगी जब कार्यक्रम को वृहत् किया जाएगा।

*[हिन्दी]*

### सेना में भर्ती

***317. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों की भर्ती किसी विशेष राज्य की भर्ती योग्य पुरुष जनसंख्या के आधार पर की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति के कारण सेना में सक्षम कार्मिकों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त नीति सेना में भर्ती होने वाले अन्य राज्यों के अधिक योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मौजूदा प्रणाली उचित है और यह सभी राज्यों के पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान करती है।

### 'बाघ अभयारण्य'

***318. श्री प्रदीप कुमार सिंह:**
**श्रीमती सुमित्रा महाजन:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने बाघ अभयारण्य हैं और इनमें कितने बाघ हैं;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार देश के वन क्षेत्रों में बाघ सहित कितने जानवरों को मारा गया/उनका शिकार किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान बाघ सहित अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए धनराशि प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के वन क्षेत्रों में बाघ सहित अन्य जानवरों के संरक्षण के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) देश में 41 बाघ रिजर्व हैं। देश के स्तर पर बाघों की संख्या, जिसका आकलन संशोधित पद्धति का प्रयोग करके प्रत्येक चार वर्ष के अंतराल में भू-दृश्य स्तर पर एक बार किया जाता है, से बढ़ोतरी की प्रवृति का पता चला है। उनकी संख्या हाल ही के अखिल भारतीय आकलन (2010) के अनुसार क्रमशः 1520 की निम्नतर और 1909 की उच्चतर सीमा के साथ 1706 हो जाने का अनुमान है जबकि 2006 के विगत देश स्तर के आकलन के अनुसार यह संख्या अनुमानतः 1411 थी, जिसकी निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमशः 1165 और 1657 थी। वर्ष 2006 और 2010 में देश में बाघ आकलन के भू-दृश्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए बाघों की मृत्युदर के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। अन्य वन्य प्राणियों की मृत्युदर की सूचना भारत सरकार के स्तर पर एकत्र नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) बाघ परियोजना की जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत, बाघ रिजर्वों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए राज्यों को निधियन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। XIवीं योजना अवधि और वर्तमान वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियन सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं हाथी परियोजना और वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई निधियन सहायता क्रमशः संलग्न विवरण IV एवं विवरण-V में दी गई है। बाघ संरक्षण सहित वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें विवरण-VI में दी गई हैं।

## *विवरण I*

*वर्ष 2006 और 2010 में बाघों की संख्या*

| राज्य | बाघ संख्या | | | | | | वृद्धि/कमी/स्थिर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | | | 2010 | | | |
| | अनुमान (संख्या) | संख्या की दृष्टि से निम्नतर सीमा | संख्या की दृष्टि से उच्चतर सीमा | अनुमान (संख्या) | संख्या की दृष्टि से निम्नतर सीमा | संख्या की दृष्टि से उच्चतर सीमा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **शिवालिक-गांगेय मैदान भू-दृश्य परिसर** | | | | | | | |
| उत्तराखंड | 178 | 161 | 195 | 227 | 199 | 256 | वृद्धि |
| उत्तर प्रदेश | 109 | 91 | 127 | 118 | 113 | 124 | स्थिर |
| बिहार | 10 | 7 | 13 | 8(-)*** | (-)*** | (-)*** | स्थिर |
| शिवालिक-गांगेय भू-दृश्य | 297 | 259 | 335 | 353 | 320 | 388 | स्थिर |
| **मध्य भारतीय भू-दृश्य परिसर और पूर्वी घाट भू-दृश्य परिसर** | | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 95 | 84 | 107 | 72 | 65 | 79 | कमी |
| छत्तीसगढ़ | 26 | 23 | 28 | 26 | 24 | 27 | स्थिर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 300 | 236 | 364 | 257 | 213 | 301 | स्थिर |
| महाराष्ट्र | 103 | 76 | 131 | 169 | 155 | 183 | वृद्धि |
| ओडिशा | 45 | 37 | 53 | 32 | 20 | 44 | स्थिर |
| राजस्थान | 32 | 30 | 35 | 36 | 35 | 37 | स्थिर |
| झारखण्ड | आकलन नहीं किया गया | | | 10 | 6 | 14 | चूंकि इसे 2006 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी। |
| मध्य भारतीय भू-दृश्य | 601 | 486 | 718 | 601 | 518 | 685 | स्थिर |
| **पश्चिमी घाट भू-दृश्य परिसर** | | | | | | | |
| कर्नाटक | 290 | 241 | 339 | 300 | 280 | 320 | स्थिर |
| केरल | 46 | 39 | 53 | 71 | 67 | 75 | वृद्धि |
| तमिलनाडु | 76 | 56 | 95 | 163 | 153 | 173 | वृद्धि |
| पश्चिमी घाट भू-दृश्य | 402 | 336 | 487 | 534 | 500 | 568 | वृद्धि |
| **पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रहापुत्र बाढ़ मैदान** | | | | | | | |
| असम | 70 | 60 | 80 | 143 | 113 | 173 | वृद्धि |
| अरुणाचल प्रदेश | 14 | 12 | 18 | आकलन नहीं किया गया | आकलन नहीं किया गया | आकलन नहीं किया गया | चूंकि इसे 2010 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी। |
| मिजोरम | 6 | 4 | 8 | 5(-)*** | (-)*** | (-)*** | स्थिर |
| उत्तरी पश्चिमी बंगाल | 10 | 8 | 12 | आकलन नहीं किया गया | आकलन नहीं किया गया | आकलन नहीं किया गया | चूंकि इसे 2010 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी। |
| पूर्वोत्तर पहाड़ियों और ब्रहापुत्र भू-दृश्य | 100 | 84 | 118 | 148 | 118 | 178 | वृद्धि |
| सुंदरवन | आकलन नहीं किया गया | आकलन नहीं किया गया | आकलन नहीं किया गया | 70 | 64 | 90 | चूंकि इसे 2006 में आकलित नहीं किया गया था इसलिए तुलना नहीं की जा सकी। |
| कुल | 1411 | 1165 | 1657 | 1706 | 1520 | 1909 | |

***कम संख्या होने के कारण निम्नतर/उच्चतर सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

### *विवरण II*

*वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अवैध शिकार, जब्ती, प्राकृतिक और अन्य कारणों सहित बाघों की मृत्युदर के ब्यौरे*

| क्र.सं. | राज्य | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 (28.8.2012 के अनुसार) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जब्ती सहित अवैध शिकार | प्राकृतिक और अन्य कारण | जब्ती सहित अवैध शिकार | प्राकृतिक और अन्य कारण | जब्ती सहित अवैध शिकार | प्राकृतिक और अन्य कारण | जब्ती सहित अवैध शिकार | प्राकृतिक और अन्य कारण |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | कर्नाटक | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 8. | केरल | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 10. | महाराष्ट्र | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 11. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | ओडिशा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | राजस्थान | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | तमिलनाडु | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 15. | उत्तराखंड | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | | 6 | 6 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19. | दिल्ली | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | गोवा | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल | 21 | 45 | 28 | 25 | 16 | 40 | 35 | 28 |

## विवरण III

*XIवीं योजना अवधि और 2012-13 के दौरान बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंन्तर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां*

(रुपये लाख में)

| क्र.सं. | राज्य | रिलीज 2007-08 | रिलीज 2008-09 | रिलीज 2009-10 | रिलीज 2010-11 | रिलीज 2011-12 | रिलीज 2012-13 (29.8.2012 के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 73.9175 | 56.9830 | 138.2540 | 155.6450 | 154.4060 | 208.68 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 110.2542 | 246.1710 | 64.7100 | 226.7020 | 236.7857 | 405.9748 |
| 3. | असम | 95.6140 | 1092.3790 | 194.2900 | 1509.4720 | 947.5088 | 101.208 |
| 4. | बिहार | 98.3205 | 49.6730 | 8.8560 | 158.3550 | 172.1930 | 247.792 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 35.2250 | 169.8700 | 1383.5020 | 1813.7250 | 702.7260 | 425.5284 |
| 6. | झारखंड | 45.1600 | 115.3770 | 117.1386 | 130.6160 | 156.3465 | 78.38783 |
| 7. | कर्नाटक | 1159.7149 | 689.8390 | 657.0620 | 1660.0500 | 1830.6500 | 698.0085 |
| 8. | केरल | 153.2449 | 267.0900 | 311.4200 | 323.4600 | 429.7700 | 411.868 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 2975.9411 | 6998.5420 | 2582.4762 | 3962.730 | 5352.710 | 4951.222 |
| 10. | महाराष्ट्र | 295.7191 | 411.1250 | 373.5170 | 2789.0600 | 2622.3420 | 513.941 |
| 11. | मिजोरम | 82.9000 | 241.4500 | 2171.00 | 187.6900 | 225.2880 | 192.9848 |
| 12. | ओडिशा | 43.2800 | 625.9900 | 221.7400 | 815.2900 | 555.0761 | 142.956 |
| 13. | राजस्थान | 410.6800 | 2708.9500 | 10694.1700 | 2368.925 | 67.210 | 132.028 |
| 14. | तमिलनाडु | 45.0000 | 690.8060 | 258.3540 | 520.9450 | 605.9640 | 323.4878 |
| 15. | उत्तराखण्ड | 202.0050 | 462.8500 | 246.2050 | 339.9450 | 399.7600 | 89.435 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 134.8900 | 417.5130 | 431.5170 | 407.4600 | 446.1258 | 234.508 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 308.6741 | 228.3940 | 298.7850 | 502.4800 | 157.6600 | 404.916 |
| | कुल | 6,270.5403 | 15,473.002 | 20,152.997 | 17,872.391 | 16,062.522 | 9,562.92613 |

## विवरण IV

*XIवीं योजना अवधि और 2012-13 के दौरान हाथी परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | बाघ रिजर्व रेंज वाले राज्यों के नाम | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (28.8.2012 के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 60.00 | 45.00 | 17.85 | 15.00 | 00.00 | 00.00 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 54.50 | 65.00 | 60.00 | 10.00 | 55.00 | 00.00 |
| 3. | असम | 144.00 | 175.19 | 160.26 | 139.55 | 200.00 | 250.00 |
| 4. | बिहार | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 83.77 | 60.43 | 111.22 | 75.00 | 145.57 | 00.00 |
| 6. | हरियाणा | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 100.00 | 00.00 | 00.00 |
| 7. | झारखंड | 132.17 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 105.87 | 59.512 |
| 8. | कर्नाटक | 212.65 | 249.00 | 247.16 | 300.76 | 261.83 | 192.00 |
| 9. | केरल | 147.70 | 356.80 | 286.70 | 256.39 | 282.55 | 236.00 |
| 10. | महाराष्ट्र | 56.86 | 77.76 | 49.18 | 29.00 | 20.29 | 00.00 |
| 11. | मणिपुर | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 12. | मेघालय | 68.39 | 50.00 | 80.483 | 103.838 | 128.52 | 00.00 |
| 13. | मिजोरम | 1.33 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 |
| 14. | नागालैंड | 26.60 | 17.45 | 50.00 | 41.30 | 25.00 | 00.00 |
| 15. | ओडिशा | 148.50 | 180.60 | 100.00 | 113.50 | 214.60 | 168.00 |
| 16. | तमिलनाडु | 124.978 | 269.163 | 358.58 | 226.879 | 228.49 | 200.00 |
| 17. | त्रिपुरा | 12.00 | 28.96 | 14.80 | 00.00 | 6.00 | 00.00 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 55.33 | 58.24 | 38.45 | 80.15 | 49.30 | 00.00 |
| 19. | उत्तराखंड | 126.46 | 209.45 | 221.55 | 206.82 | 141.99 | 125.98 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 185.725 | 176.096 | 207.06 | 410.406 | 224.50 | 66.455 |
| | कुल | 1640.963 | 2099.139 | 2083.239 | 2197.593 | 2089.51 | 1297.947 |

*विवरण V*

*XIवीं योजना अवधि और 2012-13 के दौरान वन्यजीव पर्यावास के एकीकृत विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियों के विवरण*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (28.8.2012 के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 82.86 | 73.48 | 85.91 | 87.872 | 127.06 | 91.96 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 168.0553 | 92.378 | 102.02 | 64.341 | 71.50 | 0.00 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 125.05 | 193.31 | 193.14 | 213.197 | 168.11 | 0.00 |
| 4. | असम | 81.775 | 161.095 | 114.79 | 186.63 | 234.17 | 0.00 |
| 5. | बिहार | 4.00 | 37.558 | 42.29 | 19.889 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 379.197 | 323.235 | 851.15 | 281.996 | 241.783 | 348.63 |
| 7. | चण्डीगढ़ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 19.98 | 0.00 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | 11.78 | 15.62 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | गोवा | 31.59 | 41.94 | 71.03 | 32.879 | 21.458 | 0.00 |
| 10. | गुजरात | 332.084 | 318.52 | 426.10 | 1106.749 | 1126.589 | 0.00 |
| 11. | हरियाणा | 70.03 | 86.02 | 17.22 | 15.114 | 28.70 | 0.00 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 233.319 | 241.983 | 265.92 | 253.80 | 242.1104 | 247.4788 |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 221.54 | 470.87 | 357.397 | 537.336 | 445.085 | 0.00 |
| 14. | झारखंड | 98.128 | 99.753 | 80.267 | 63.64 | 64.2615 | 0.00 |
| 15. | कर्नाटक | 630.643 | 625.1501 | 566.71 | 412.252 | 335.851 | 0.00 |
| 16. | केरल | 493.574 | 864.96 | 432.48 | 366.786 | 941.79 | 0.00 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 800.915 | 613.34 | 541.98 | 635.366 | 506.164 | 0.00 |
| 18. | महाराष्ट्र | 331.32564 | 390.22 | 273.679 | 343.32 | 322.391 | 353.601 |
| 19. | मणिपुर | 105.8948 | 100.095 | 118.31 | 88.316 | 86.65 | 22.41 |
| 20. | मेघालय | 64.88 | 58.007 | 59.75 | 58.03 | 43.80 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | मिजोरम | 169.46 | 289.09 | 186.85 | 707.763 | 153.445 | 0.00 |
| 22. | नागालैंड | 19.11 | 28.415 | 34.115 | 33.595 | 30.333 | 0.00 |
| 23. | ओडिशा | 357.081 | 576.88 | 390.95 | 315.331 | 331.2651 | 0.00 |
| 24. | पंजाब | 0.00 | 40.29 | 36.26 | 25.12 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | राजस्थान | 347.24 | 414.58 | 496.746 | 348.068 | 291.387 | 334.33 |
| 26. | सिक्किम | 159.22 | 187.73 | 240.93 | 183.78 | 131.793 | 0.00 |
| 27. | तमिलनाडु | 274.64 | 727.91 | 518.67 | 334.449 | 256.027 | 0.00 |
| 28. | त्रिपुरा | 36.00 | 0.00 | 13.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | उत्तर प्रदेश | 332.362 | 307.173 | 274.45 | 296.179 | 204.371 | 0.00 |
| 30. | उत्तराखंड | 76.671 | 216.09 | 145.08 | 134.90 | 201.144 | 0.00 |
| 31. | पश्चिम बंगाल | 356.215 | 345.78 | 381.318 | 276.385 | 246.425 | 0.00 |
| 32. | दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | दमन और दीव | 4.721 | 6.12 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | 6399.36074 | 7947.5921 | 7357.442 | 7438.183 | 6873.643 | 1398.4098 |

*विवरण VI*

*बाघ संरक्षण सहित वन्य जीवों की सुरक्षा और अनुरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें*

**वैधानिक कदम**

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए प्रावधान किए गए।

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र अथवा इसके कोर क्षेत्र में अपराध के मामलों में दण्ड को बढ़ाना।

**प्रशासनिक कदम**

3. बाघ रिजर्व राज्यों को उनके द्वारा यथा-प्रस्तावित वित्तीय सहायता के द्वारा वर्षा ऋतु में गश्त के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दोस्तों की तैनाती।

4. बाध संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चतता रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना है।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6.6.2007 से बहुविध बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पांच नए बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल है; पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा) और मुकन्दा हिल्स (दर्राह, जवाहर सागर चंबल वन्यजीव अभयारण्य सहित) (राजस्थान) और सत्यमंगलम (तमिलनाडु)। कुदरेमुख (कर्नाटक) को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्वों के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्तावों को भेजने की सलाह दी गई है: (1) बोर (महाराष्ट्र) (2) सुलेहवा (उत्तर प्रदेश), (3) नागजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र), (4) गुरू घसीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़), (5) महादेई अभयारण्य (गोवा) और (6) श्रीविलीपुथुर ग्रिज्लड जाईन्ट स्क्विरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य/वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु)।

7. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना/पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार तक) पंरपरागत शिकार में लगे समुदायों का पुनर्वास/पुनर्स्थापना, पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए आश्रय-नीति द्वारा वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र और प्रोत्साहन क्षेत्र को आजीविका हेतु मुख्य धारा में लाने के लिए उसका संरक्षण करना शामिल है।

8. बाघों के (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने सहित) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशचिन्ह हैं।

9. 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, की धारा 38V के अंतर्गत 17 बाघ राज्यों द्वारा 35123.9547 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावास के रूप में अधिसूचित किया गया है।

**वित्तीय कदम**

10. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना और वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत विन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**

11 भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण पर प्रोटोकॉल के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पर अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता विद्यमान है।

12. सुंदरवन के रोयाल बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु सितम्बर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

13. रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ/तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-समूह का गठन किया गया है।

14. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निकारण करने के लिए बाघ बहुल देशों का एक वैश्विक बाघ मंच सृजित किया गया है।

15. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसमें केवल जंगली बाघों के संरक्षण के लिए समर्थन स्तर एक ऐसी बंधक संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया सहित पक्षकारों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार रोक जारी रखने पर बल दिया गया।

16. दिनांक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 2009 तक जेनेवा में आयोजित साइद्स (सीआईटीईएस) की स्थायी समिति की 58वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तंक्षेप के आधार पर साइट्स सचिवालय ने सभी पक्षकारों को

अधिसूचना जारी की है कि वे 20.10.2009 से 90 दिनों के भीतर 14.69 और 14.65 निर्णयों के अनुपालन (बाघों आदि के केप्टिव ब्रीडिंग आप्रेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति) के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

**बाघों का छोड़ा जाना**

17. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं, के पुनर्निर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में नए बाघों/बाधिनों को छोड़ने का कार्य किया गया है।

18. बाघों और उनके जानवरों की कम संख्या वाले रिजर्वो में सक्रिय प्रबंधन द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या की स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष निर्देशिका जारी की गई है।

**विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) का सृजन**

19. वित्त मंत्री द्वारा 29.2.2008 के अपने बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनसीटीए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन करने, उसे हथियारों से लैस करने और उसकी तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था, उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एसटीफीएफ के सृजन के लिए कार्बोट, रणथम्भोर और दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख रु जारी किए गए हैं तब से वन गुर्जरों जैसे स्थानीय लोगों को शामिल करने की संभावना सहित, विकल्प-II के रूप में पुलिस के स्थान पर वन कार्मिकों को तैनात करने के लिए एसटीपीएफ के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान, एसटीपीएफ का गठन करने, उसे हथियारों से लैंस करने और उसकी तैनाती के लिए सिमलीपाल बाघ रिजर्व को 270 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने पहले ही एसटीपीएफ की तैनाती कर दी।

20. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से आनलाइन टाइगर क्राइम डाटाबेस शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

**हाल ही में की गई पहलें**

1. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निधि प्रवाहों से सहबद्ध बाघ बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन।

2. बाघ रिजर्वो का त्वरित मूल्यांकन किया गया।

3. वामपंथ उग्रवाद प्रभावित बाघ रिजर्वो में तथा बाघ और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में विशेष छापा दल भेजे गए थे।

4. वाम पंथ उग्रवाद प्रभावित तथा बाघ और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वो राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विशेष उपाय करने के लिए संबोधित किया गया।

5. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'M-STrIPES' शुरु करने के साथ-साथ, अवसंरचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं।

6. वर्तमान में किए जा रहे अखिल भारतीय बाघ अनुमान में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

7. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के द्वारा फील्ड डिलीवरी में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

8. बाघ रिजर्वो में निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की गई।

9. देश व्यापी बाघ स्थिति आकलन का दूसरा चरण 2010 में पूरा किया गया जिसके निष्कर्षों से पता चलता है कि बाघों की अनुमानित संख्या बढ़कर 1706 हुई है जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 1520 और 1909 है जबकि 2006 के पिछले देशव्यापी अनुमान 1411 का था जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 1165 और 1657 थी।

10. वर्ष 2010-11 में 39 बाघ रिजर्वो हेतु किए गए बाघ रिजर्वो के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का स्वतंत्र आकलन का दूसरा दौर वैश्विक रूप से उपयोग में लाया गया फ्रेमवर्क था।

11. बाघ परियोजना के आवंटन में अतिरिक्त घटकों में अभिवृद्धि की गई।

12. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ भिंडतों के उपशमन हेतु विशेष सहायता प्रदान करना।

13. नई दिल्ली में हुई सीमा-पार परामर्शी दल की चौथी बैठक के परिणामस्वरूप जैव विविधता/बाघ संरक्षण हेतु नेपाल के साथ एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

14. नागपुर, बैंगलुरु और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मंजूरी प्रदान की गई।

15. बाघ-आरक्षित क्षेत्र स्तर निगरानी के चरण-6 की शुरूआत।

**सार्वजनिक उपयोग वाले स्थलों पर पथकर केन्द्रों की स्थापना**

***319. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
**श्रीमती रमा देवी:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियों/ठेकेदारों ने सार्वजनिक उपयोग वाले स्थलों पर पथकर केन्द्रों की स्थापना की है?

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंपनियां स्थानीय किसानों सहित यात्रियों से अधिक पथकर वसूल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन पथकर केन्द्रों के समीप ऐसी सड़कों/क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है। जहां से स्थानीय लोग आते जाते थे; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इन कंपनियों/ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ.सी.पी. जोशी):** (क) जी नहीं। रिआयतग्राही/ठेकेदार, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित विशिष्ट अवस्थानों पर शुल्क प्लाजा स्थापित कर सकते हैं। प्लाजा केवल राजमार्गों पर स्थापित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। बीओटी परियोजनाओं के लिए रियायतग्राही/ठेकेदार, समय-समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली, 1997 और राष्ट्रीय राजमार्ग (शुल्क) नियमावली, 2008 जैसा भी मामला हो, के अनुसार, सड़क प्रयोक्ताओं से पथकर संग्रहीत कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) पथकर नियमावली पशु द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों, दुपहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर को छूट की अनुमति देती है। रिआयत दर पर स्थानीय गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए मासिक पास के लिए भी प्रावधान है।

*[अनुवाद]*

**प्रयुक्त संयंत्रों और मशीनरी के आयात पर प्रतिबंध**

***320. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले पैनल ने प्रयुक्त संयंत्रों और मशीनरी के आयात के संबंध में कतिपय सिफारिशें की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे आयातों पर प्रतिबंध लगाने सहित इन सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनेक औद्योगिक निकायों ने भी सरकार से पुरानी मशीनरी के आयात हेतु कतिपय आधारों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय विनिर्माताओं की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा):** (क) स्वदेशी पूंजीगत माल संबंधी उद्योग को बढ़ावा देने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 23.05.2012 को सम्पन्न सचिवों की समिति (सीओएस) की बैठक में पुराने पूंजीगत माल के आयात के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई:-

(i) टीयूएफएस, ईपीसीजी, सीएलसीएसएस जैसी स्कीमों में प्रत्यक्ष सब्सिडी के साथ पुराने पूंजीगत माल के आयात को पूर्ण रूप से निषिद्ध किया जा सकता है।

(ii) पुराने पूंजीगत माल का मूल्य उनकी मूल कीमत का 75% निर्धारित किया जा सकता है। यह मूल्यांकन आयात शुल्क निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ होगा न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए, यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) यदि संबंधित मंत्रालय/विभाग और एनएमसीसी के परामर्श से वाणिज्य विभाग द्वारा अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक भिन्न अधिकतम काल विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो 5 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं होगी।

(iv) एनएमसीसी स्वदेशी उद्योगों के संबंध में विदेश व्यापार समझौतों के प्रभाव की अलग से जांच कर सकती है और उसके बाद इसके निष्कर्षों पर अन्तर-मंत्रालयी परामर्श आरंभ किए जा सकते हैं।

(v) एनएमसीसी पुराने पूंजीगत माल के आयात के संबंध में सही और विश्वसनीय आंकड़ा संकलन के मुद्दे की जांच कर सकती है और इसके लिए एक उपयुक्त तंत्र का सुझाव दे सकती है।

(ख) सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों से रोक लगाने और न्यूनतम काल मानदंड निर्धारित करने हेतु अपने हित वाली मदों के विशिष्ट आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) से (ङ) स्वदेशी विनिर्माण/उद्योग की रक्षा किए जाने के आधार पर पुरानी मशीनरी के आयात पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए विनिर्माता संघों/औद्योगिक संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जीडीपी में विनिर्माण का अंश वर्ष 2022 तक 22% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने अक्तूबर, 2011 में राष्ट्र विनिर्माण नीति (एनएमपी) अनुमोदित की थी। औद्योगिक निवेश को सरल बनाने के अन्य उपयों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, उद्योग संगत कौशलों का विकास करना तथा औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उद्योग संघों और हितधारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना शामिल है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने योजना आयोग के लिए कार्यदल रिपोर्ट तैयार की है। उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग में निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम और वस्त्र मंत्रालय में प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष स्कीम (टीयूएफएस) है।

## मजदूरों/कामगारों की सुरक्षा

***321. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
**श्री प्रदीप माझी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 और खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त कानूनी उपबंध तथा नियम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यस्थलों पर इन अधिनियमों के ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी की कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कार्यस्थल पर ध्यान में आए व्यवसायजनित रोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) जी हां, खान अधिनियम, 1952 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी पर्याप्त कानूनी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत कोयला, गैर-कोयला, तेल और गैस क्षेत्रों के लिए अलग से क्रमश: कोयला खान विनियम, 1957, धातुमय खान विनियम, 1961 और तेल खान विनियम, 1984 बनाए गए हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कारखानों में नियोजित कामगारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी पर्याप्त कानूनी उपबंधों का प्रावधान किया गया है। अधिनियम को केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित किया जाता है जबकि नियम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए जाते हैं।

(ग) और (घ) कारखाना अधिनियम, 1948 के विभिन्न उपबंधों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य कारखाना निरीक्षकों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।

सुरक्षा संबंधी विधानों के क्रियान्वयन की निगरानी खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा की जाती है। सुरक्षा स्वास्थ्य और

कल्याण संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई जा रही है:-

(i) खानों का निरीक्षण तथा दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल करना;

(ii) सुधार संबंधी नोटिस और प्रतिषेधात्मक आदेश जारी करना;

(iii) कार्य का निलंबन अथवा बंद करना, अनुमति वापस लेना; और

(iv) उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाना।

(ङ) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत कारखानों में सूचित किए गए व्यवसायजनति रोगों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

कारखाना अधिनियम, 1948 के अतंर्गत पंजीकृत कारखानों में सूचित किए गए व्यवसायजनित रोगों की संख्या के बारे में राज्य सरकारों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

## *विवरण I*

*वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सूचित किए गए व्यवसायजनित रोगों का राज्य-वार ब्यौरा*

| वर्ष | राज्य | कोयला कामगारों को न्यूमोकोनिओसिस | फेफड़ों का कैंसर | पेट का कैंसर | सिलिकोसिस<br>- |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | आंध्र प्रदेश | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2010 | ओडिशा | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | आंध्र प्रदेश | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | ओडिशा | 4 | 0 | 0 | 1 |
| | झारखंड | 1 | 0 | 0 | 0 |

## *विवरण II*

*वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सूचित किए गए व्यवसायजनित रोगों का राज्य-वार ब्यौरा*

| राज्य | व्यवसायजनित रोग | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| गुजरात | बायसिनिओसिसि | शून्य | शून्य | 2 |
| गुजरात | शोर के कारण श्रवण शक्ति की क्षति | शून्य | शून्य | 14 |
| गुजरात | एस्बेस्टोसिस | शून्य | शून्य | 21 |
| गुजरात | सिलिकोसिस | शून्य | शून्य | 14 |
| महाराष्ट्र | शोर के कारण श्रवण शक्ति की क्षति | 1 | शून्य | शून्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| केरल | सीसी संबंधी विशाक्ता | 1 | शून्य | शून्य |
| महाराष्ट्र | व्यवसायजनित अथवा कंटेक्ट डर्मेटाइटिस | 11 | शून्य | शून्य |
| महाराष्ट्र | नाक के पर्दे में छेद होना | शून्य | 5 | शून्य |
| पश्चिम बंगाल | बायसिनिओसिस | शून्य | 5 | - |
| पश्चिम बंगाल | सिलिकोसिस | शून्य | 23 | - |
| | योग | 13 | 33 | 51 |

स्त्रोत: डीजीफासली द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के साथ पत्राचार के द्वारा संग्रहीत आंकड़े।

## निजी प्लेसमेंट एजेन्सियां

*322. **श्री पूर्णमासी राम:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेईमान प्लेसमेंट एजेन्सियों, जो देश में भोले-भाले बेरोजगार युवाओं को ठग रही है, द्वारा दिए गए भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी एजेन्सियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (ग) मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है। फिर भी, शिकायतें, यदि कोई हो, तो संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा उनके द्वारा निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों के विरुद्ध संगत कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है। बेइमान निजी प्लेसमेंट एजेन्सियों, जो अनाचार और कपटपूर्ण गतिविधियों में लिप्त हैं, के बारे में केंद्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती है।

तथापि, रोजगार चाहने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निजी प्लेसमेंट एजेंसियों के कार्यकरण के विनियमन पर विचार करने के लिए 30.10.2003 को दिशा-निर्देश जारी किए थे। निजी प्लेसमेंट एजेंसियों तथा विभिन्न प्रकार के रोजगार अवसरों के ध्यानाकर्षक/भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए 31.10.2011 को एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। घरेलू कामगार प्रदान करने वाली प्लेसमेंट एजेन्सियों के पंजीकरण हेतु भी राज्य सरकारों को आवश्यक कदम उठाने का परामर्श दिया गया हैं।

## उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सड़क विकास

*323. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों में सुधार करने के लिए उस क्षेत्र के लिए कोई विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित/आबंटित की गई है;

(ग) क्या एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत चिन्हित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2017 तक पूरे होने वाले उक्त विकास कार्यक्रम के अलावा 700 किलोमीटर की और सड़कें बनाने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) जी हां।

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत सुधार के लिए लक्षित सड़कों की राज्यवार लंबाई संलगन विवरण-I में दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए समग्र रूप में निधियों का आबंटन किया गया है और कोई

राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। गत पांच वर्षों के दौरान 6629.95 करोड़ रुपए की धनराशि कार्यक्रम के लिए आबंटित की गई है और चालू वित्त वर्ष के दौरान 2000 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई है।

(ग) और (घ) कार्यक्रम के अतंर्गत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित सभी सड़कों का कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

*विवरण I*

*एसएआरडीपी-एनई के तहत राज्यवार सड़क की लंबाई का वितरण*

(लंबाई किमी में)

| राज्य | एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' | | | अरुणाचल प्रदेश की सड़कों और राजमार्गों के पैकेज | | | एसएआरडीपी-एनई चरण 'बी' | | | कलु योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | रारा | राज्य सड़क/ जीएस सड़क | योग | रारा | राज्य/जीएस /सामरिक सड़क | योग | रारा | राज्य/जीएस /सामरिक सड़क | योग | रारा | राज्य/जीएस /सामरिक सड़क | योग |
| अरुणाचल प्रदेश | 52 | 212 | 264 | 1346 | 835 | 2181 | 0 | 931 | 931 | 1398 | 1978 | 3376 |
| असम | 1179 | 177 | 1356 | 126 | 12 | 138 | 0 | 285 | 285 | 1305 | 474 | 1779 |
| मणिपुर | 39 | 166 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 39 | 368 | 407 |
| मेघालय | 259 | 526 | 785 | 0 | 0 | 0 | 161 | 201 | 362 | 420 | 727 | 1147 |
| मिजोरम | 221 | 100 | 321 | 0 | 0 | 0 | 416 | 272 | 688 | 637 | 372 | 1009 |
| नागालैंड | 81 | 350 | 431 | 0 | 0 | 0 | 622 | 169 | 791 | 703 | 519 | 1222 |
| सिक्किम | 80 | 505 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 80 | 573 | 653 |
| त्रिपुरा | 130 | 22 | 152 | 0 | 0 | 0 | 86 | 310 | 396 | 216 | 332 | 548 |
| योग | 2041 | 2058 | 4099 | 1472 | 847 | 2319 | 1285 | 2438 | 3723 | 4798 | 5343 | 10141 |

*विवरण II*

*पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास काय्रक्रम के चरण 'क' के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन को सौंपी गई कार्यान्वियन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | सड़क लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | कार्य पूरा होने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **सीवोक से रानीपुल तक रारा-31ए का दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार** | | | | |
| (i) | एसएआरडीपी-एनई के चरण 'क' रारा-31ए (सीवोक-गंगटोक रोड) के किमी 60.75 पर बरदंग स्लाइड क्षेत्र में 80.0 मी का कट एंड कवर स्ट्रक्चर का निर्माण (सिक्किम में एक स्थान) | 0 | 6.77 | मार्च, 2014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | रारा-31ए के किमी 0.0 से 14.32 और किमी 16.75 से 20.00 में कुछ संकटपूर्ण खंडों का दो लेन में सुधार (पश्चिम बंगाल में 8 स्थान) | 1 | 7.42 | मार्च, 2014 | |
| (iii) | रारा-31ए के किमी 22.650 से 22.800 और 29.500 से 52.100 में कुछ संकटपूर्ण खंडों का दो लेन में सुधार (पश्चिम बंगाल में 33 स्थान) | 2 | 19.1 | मार्च, 2014 | |
| (iv) | एसएआरडीपी-एनई के चरण 'क' के अंतर्गत सिक्किम में किमी 52.10 से 81.10 के बीच संकटपूर्ण स्थानों में विद्यमान रारा-31ए (सीवोक-गंगटोक सड़क) का दोहरी लेन में सुधार (सिक्किम में 27 स्थान) | 3 | 12.66 | मार्च, 2014 | |
| (v) | सिक्किम में रारा-31ए का किमी 54.00 से 80.60 (लंबाई = 20.80 किमी) में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 21 | 73.90 | मार्च, 2014 | |
| (vi) | पश्चिम बंगाल में रारा-31ए पर किमी 20.00 से 27.700 के बीच खंड के पुनर्संरेखण के लिए दोहने लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण (पश्चिम बंगाल में 2 स्थान) | 16 | 110.31 | मार्च, 2014 | |
| (vii) | पश्चिम बंगाल में रारा 31ए के किमी 4.475 से 14.075 (सीवोक-गंगटोक सड़क) में दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण - एसएआरडीपी-एनई के चरण 'क' के अंतर्गत निवल लंबाई = 8.80 किमी | 9 | 51.11 | मार्च, 2014 | |
| (viii) | सिक्किम में रारा-31ए के सिवोक-गंगटोक खंड और किमी 69.900 से 72.075 (कपूर मोड़) के बीच सड़क का निर्माण | 2 | 10.48 | मार्च, 2014 | |
| (ix) | पश्चिम बंगाल राज्य में रारा 31ए को किमी 0.00 से किमी 4.475 और किमी 27.7 और कि.मी. 52.60 के बीच दो लेन का बनाया जाना | 24 | | मार्च, 2017 | |
| | उप योग | 78 | 292 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2. रारा-52 के विद्यमान एकल लेन सड़क खंड़ों को पेव्ड शोल्डर के साथ दोहरी लेन में सुधार** | | | | | |
| (i) | असम में रारा-52 के किमी 345.00 से 360.00 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 15 | 43.04 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (ii) | असम में किमी 360.00 से 365.00 में पेव्ड शोल्डर के साथ विद्यमान दो लेन का सुदृढ़ीकरण | 5 | 9.85 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (iii) | असम में रारा 52 के किमी 365.00 से 382.00 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 17 | 42.55 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (iv) | असम में रारा-52 के किमी 382.00 से 400.00 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बानया जाना | 18 | 74.61 | मार्च, 2013 | |
| (v) | में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना और असम में रारा-52 के किमी 400.00 से 420.00 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 20 | 69.75 | मार्च, 2013 | |
| (vi) | असम में किमी 420 से 440 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 20 | 47.38 | मार्च, 2013 | |
| (vii) | असम में किमी 440.000 से 455.000 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 15 | 28.18 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (viii) | असम में किमी 455/0 से 475/0 में पेव्ड शोल्डर के साथ विद्यमान एकल लेन सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 20 | 68.85 | मार्च, 2013 | |
| (ix) | असम में किमी 475/0 से 495/0 में पेव्ड शोल्डर के साथ विद्यमान एकल लेन सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 20 | 34.69 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (x) | असम में रारा-52 के किमी 495 से 510 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 15 | 34ए63 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (xi) | असम में किमी 845.000 से 855.000 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 10 | 18.31 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (xii) | असम में किमी 855.000 से 876.000 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 21 | 42 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| | उप योग | 196 | 513.81 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **असम में रारा-53 पर विद्यमान एकल लेन खंडों को सिलचर बाईपास सहित पेव्ड शोल्डर के साथ दोहरी लेन का बनाया जाना** | | | | |
| (i) | असम में रारा-53 के सिलचर-बदरपुर खंड के किमी 10.40 से 16.671 और किमी 20.272 से 22.900 (8.9 किमी) में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन चौड़ीकरण एवं सतह उत्थापन | 9 | 19.13 | दिस, 2012 | |
| (ii) | असम में रारा-53 के सिलचर-बदरपुर खंड के किमी 16.610 से 22.240 के बीच कथकल बाइपास का पेव्ड शोल्डर के साथ सुदृढ़ीकरण | 5 | 6.16 | दिस, 2013 | |
| (iii) | असम में सिलचर-जिरीबाम खंड के किमी 2.650 से 8.540 में पेव्ड शोल्डर के साथ सतह का उठाव/2लेन चौड़ीकरण | 6 | 17.45 | दिस, 2013 | |
| (iv) | असम में सिलचर-जिरीबाम खंड के किमी 8.50 से 30.580 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 22 | 61.58 | दिस, 2013 | |
| | उप जोड़ | 42 | 104 | | |
| **4.** | **मणिपुर में रारा-53 पर विद्यमान एकल लेन खंडों का दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार** | | | | |
| (i) | किमी 166.00 से 186.475 (जिरीबाम-बराक खंड) में विद्यमान सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण | 20 | 55.57 | दिस, 2013 | |
| (ii) | एसएआरडीपी-एनई के चरण'क' के अंतर्गत मणिपुर में रारा-53 के किमी 147.000 से 166.000 (जरीबाम-बराक खंड) दोहरी लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा पहाड़ी प्रदेश में 2 लेन रारा के अनुरुप 12 मी चौड़ाई में निर्माण | 19 | 80.56 | दिस, 2013 | |
| (iii) | मणिपुर में रारा-53 के किमी 147.700, 150.700, 152.500, 155.500 और 155.700 (बराक - जिरीबाम खंड) में 5 छोटे पुलों का निर्माण | | 10.7 | दिस, 2013 | |
| | उप योग | 39 | 146.83 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5. असम में रारा-54 पर विद्यमान एकल लेन खंडों का पेव्ड शोल्डर के साथ दोहरी लेन में सुधार** | | | | | |
| (i) | असम में रारा-54 के किमी 8.00 से 20.00 में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन बनाया जाना | 12 | 32.1 | मार्च, 2013 | |
| (ii) | असम में किमी 20.00 से 40.22 में पेव्ड शोल्डर के साथ सतह का उठाव/2लेन चौड़ीकरण | 20 | 65.57 | मार्च, 2013 | |
| | उप जोड़ | 32 | 97.67 | | |
| **6. मिजोरम में रारा-54 पर विद्यमान एकल लेन खंडों का दो लेन मानकों के अनुरुप सुधार** | | | | | |
| (i) | मिजोरम में रारा-54 के किमी 95.000 से 118.000 में विद्यमान एकल लेन सड़क खंडों का दो लेन मानकों के अनुरुप सुधार | 23 | 22.11 | मार्च, 2010 | कार्य पूर्ण |
| | उप जोड़ | 23 | 22.11 | | |
| **7. मणिपुर राज्य को नगालैंड राज्य से सड़क से जोड़ने के लिए मारम से पेरेन तक राज्यीय सड़क को दो लेन का बनाया जाना** | | | | | |
| (i) | किमी 0.00 से 20.00 में मारम-पेरेन सड़क को दोहरी लेन का बनाया जाना | 20 | 36.03 | मार्च, 2013 | |
| (ii) | किमी 20.00 से 40.00 में मारम-पेरेन सड़क को दोहरी लेन का बनाया जाना | 20 | 30.92 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (iii) | मणिपुर में मारम-पेरेन सड़क के किमी 40/0 से 60/0 में दो लेन चौड़ीकरण | 19 | 33.48 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (iv) | मणिपुर में मारम-पेरेन सड़क के किमी 60/0 से 85/0 में दो लेन चौड़ीकरण | 24 | 39.80 | मार्च, 2009 | कार्य पूर्ण |
| (v) | मारम-पेरेन सड़क के किमी 85.020 से 107.650 में दो लेन सुधार | 22 | 49.35 | मार्च, 2013 | |
| (vi) | नगालैंड में सीएल-9 से एनएचडीएल (दोहरी लेन) तक किमी 107.650 से 117.000 में मारम से पेरेन तक सड़क का सुधार | 6 | 20.45 | मार्च, 2013 | |
| | उप जोड़ | 111 | 210.03 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **8.** | **गंगटोट बाईपास सहित गंगटोक से नथुला तक विद्यमान एकल की सीमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना** | | | | |
| (i) | गंगटोक-नथुला सड़क के किमी 24.250 से 51.385 में दोहरी लेन का बनाया जाना | 27 | 232.72 | मार्च, 2013 | |
| (ii) | गंगटोक-नथुला सड़क के किमी 0.00 से 6.80 में दोहरी लेन का बनाया जाना | 10 | 30.88 | मार्च, 2013 | |
| (iii) | सिक्किम में गंगटोक से नथुला तक जीएस सड़क के मिकी 47/0 से 51/0 (किमी 0.00 से 5.666 तक जो कि नई दोहरी लेन की सड़क पर किमी 51.385 के समनुरूप है, निबल लंबाई = 5.67 किमी) में विद्यमान एकल लेन की सड़क का दो लेन चौड़ीकरण | 6 | 47.00 | मार्च, 2013 | |
| (iv) | सिक्किम में गंगटोक-नथुला सड़क के किमी 0.0 (विद्यमान किमी 6.8) से 19.35 में दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 19 | 122.41 | मार्च, 2013 | |
| (v) | सिक्किम में गंगटोक-नथुला सड़क के किमी 19.35 से 24.25 में दो लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 4 | 27.15 | मई, 2013 | |
| | उप जोड़ | 67 | 460 | | |
| **9.** | **दुदुनघर (भारत-भूटान सड़क) से होते हुए लुमला से ताशिगांग तक दो लेन बनाया जाना** | | | | |
| (i) | अरुणाचल प्रदेश में किमी 0.0 से 26.800 में लुमला-ताशिगांग सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण/सुधार | 27 | 39.93 | मार्च, 2014 | |
| (ii) | अरुणाचल प्रदेश में किमी 26.800 से 47.850 में लुमला-ताशिगांग सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 21 | 41.46 | मार्च, 2014 | |
| | उप जोड़ | 48 | 81 | | |
| **10.** | **मिगिंग-बिले सड़क और तलिहा-टाटो सड़क को दो लेन का बनाया जाना** | | | | |
| **क.** | **बिले-मिगिंग सड़क (76 किमी)** | | | | |
| (i) | किमी 0/00 - 15/00 (बिले छोर) में बिले-मिगिंग सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 15 | 47.40 | मार्च, 2016 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | किमी 0/00 - 10/00 (मिगिंग छोर) में बिले-मिगिंग सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 10 | 26.40 | मार्च, 2016 | |
| (iii) | किमी 38.00 अरुणाचल प्रदेश में किमी 10.00 (मिगिंग छोर) से किमी 38.00 में बिले-मिगिंग सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 28 | 110.70 | मार्च, 2016 | |
| (iv) | किमी 15/00 - 38/00 (बिले छोर) में बिले-मिगिंग सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 23 | | मार्च, 2016 | बीआरओ द्वारा डीपीआर तैयार की जी रही है |
| | उप योग | 76 | 184.50 | | |
| **ख. तलिहा-टाटो सड़क (100 किमी)** | | | | | |
| (i) | किमी 0/00 - 15/00 (टाटो छोर) में तलिहा - टाटो सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 15 | 39.66 | मार्च, 2016 | |
| (ii) | किमी 0/00 - 15/00 (तलिहा छोर) में तलिहा - टाटो सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 15 | 64.23 | मार्च, 2016 | |
| (iii) | किमी 15/00 - किमी 30/00 (तलिहा छोर) में तलिहा - टाटो सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 15 | 73.48 | मार्च, 2016 | |
| (iv) | किमी 30/00 - किमी 50/00 (तलिहा छोर) में तलिहा - टाटो सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 20 | | मार्च, 2016 | बीआरओ द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है |
| (v) | किमी 15/00 - किमी 30/00 (तलिहा छोर) में तलिहा - टाटो सड़क का दो लेन मानकों के अनुरुप निर्माण | 15 | - | मार्च, 2016 | बीआरओ द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है |
| (vi) | किमी 30/00 - किमी 50/00 (टाटो छोर) में तलिहा - टाटो सड़क का दो लेन मानकों के अनुरूप निर्माण | 20 | | मार्च, 2016 | बीआरओ द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है |
| | उप योग | 100 | 177 | | |
| 11. | कैलाशहर-कुमारघाट सड़क को 2लेन का बनाया जाना | 25 | 90.75 | मार्च, 2014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | तमेंगलोंग-खोनसाग सड़क को 2लेन का बनाया जाना | 40 | | मार्च, 2014 | बीआरओ द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 13. | पल्लेल-चंदेल सड़क को 2लेन का बनाया जाना | 18 | - | मार्च, 2014 | बीआरओ द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 14. | त्रिपुरा में अगरतला से सबरूम तक सड़क को 2लेन का बनाया | 130 | | जुलाई, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| | जोड़ 1024 | 2381 | | | |

*असम पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत् कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **रारा-36 की मौजूदा एकल लेन सड़क खंडों का पेव्ड शोल्डर सहित दो-लेन में सुधार** | | | | |
| (i) | असम में किमी 91/0 से 106/0 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 15 | 28.88 | मार्च, 2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (ii) | असम में किमी 106/0 से 131/0 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 25 | 40.72 | मार्च, 2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (iii) | असम में किमी 131/0 से 152/0 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 21 | 38.27 | मार्च, 2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (iv) | असम में किमी 152/0 से 162/0 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 11 | 17.38 | मार्च, 2009 | कार्य पूरा किया गया |
| | उप योग | 72 | 125.25 | | |
| **2.** | **रारा-37 के डिब्रूगढ़ से रूपई तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में और रारा-38 पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में सरेखण और सुधार** | | | | |
| (i) | असम में डिब्रूगढ में एसएआरडीपी-एनई चरण-ए के अंतर्गत रारा 37 के किमी 603/0 से 637/0 क बीच पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण (मोहनबाडी), चबुआ और अन्य ग्रामों के बाईपास) (लंबाई = 34.85 किमी) | 35 | 133.40 | 21.12.2012 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | असम में रारा 37 के किमी 635.80 से 653.40 के बीच पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन तिनसुकिया बाईपास में 20.35 किमी का निर्माण | 20 | 70.71 | 31.12.12 | |
| (iii) | असम में डिब्रूगढ में एसएआरडीपी-एनई चरण-ए के अंतर्गत पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन मेकम बाईपास का निर्माण | 5 | 32.46 | 30.09.2012 | |
| (iv) | रूपई प्रभाग के समीप मेकम पर आरओबी के झोर से रारा-52 तक रारा-37 का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण | 23 | 94.90 | 31.12.2012 | |
| (v) | रूपई प्रभाग के समीप मेकम पर आरओबी के झोर से रारा-52 तक रारा-37 का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का निर्माण | 8 | 31.19 | 09.03.2013 | |
| (vi) | रारा-37 (तलप-धोला खंड) के किमी 679.217 से 687.600 तक मौजूदा दो लेन सड़क का सुदृढीकरण और पेव्ड शोल्डर सहित निर्माण | 8 | 19.60 | 19.09.12 | |
| (vii) | असम में किमी 5.00 से 20.00 किमी और किमी. 52.00 से 56.35 किमी तक रारा 38 के मेकम-लखापानी खंड में मौजूदा दो लेन का सुधार और पेव्ड शोल्डर | 19 | 30.91 | 31.12.2010 | कार्य पूरा किया गया |
| (viii) | असम में 20.00 किमी से 52.00 किमी के बीच डिगबोई, पोवई, मार्घारीटा और लिडो कस्बों को बाईपास करते हुए रारा-38 पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में संरेखण और सुधार | 29 | - | दिस. 2016 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है। |
| | उप जोड़ | 147 | 413 | | |
| **3.** | **रारा-51 पर मौजूदा एकल लेन सड़क खंडों का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में सुधार** | | | | |
| (i) | असम में रारा-51 के किमी 0.00 से 12.00 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर सहित | 12 | 20.93 | मार्च, 2009 | कार्य पूरा किया गया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ii) | असम में किमी 12.00 से 22.00 तक सुदृढ़ीकरण और पेव्ड शोल्डर उपलब्ध कराना | 10 | 10 | मार्च, 2009 | कार्य पूरा किया गया |
| | उप योग | 22 | 31.03 | | |
| **4.** | **असम में रारा-53 की मौजूदा एकल लेन सड़क का सिल्चर बाईपास सहित, पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में सुधार** | | | | |
| (i) | असम में रारा-53 पर सिल्चर बाईपास का निर्माण | 20 | 103.89 | 15.02.2014 | |
| (ii) | असम में सिल्चर बदरपुर खंड के किमी 6.25 से 10.40 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना | 4 | | मार्च, 2015 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| (iii) | असम में सिल्चर बदरपुर खंड के किमी 22.90 से 28.46 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना | 6 | | मार्च, 2015 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| (iv) | असम में सिल्चर जिरीबम खंड के किमी 30.580 से 44.82 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन का बनाया जाना | 10 | | मार्च, 2014 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है। |
| | उप योग | 40 | 103.89 | | |
| **5.** | **रारा-61 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंड का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में सुधार** | | | | |
| (i) | असम में पहुंच मार्गों के साथ कुल संख्या 258/1 का निर्माण | 1 | 4.50 | 31.03.2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (ii) | किमी 239/959 से 256/900 तक मौजूदा दो लेन का सड़क सुधार | 17 | 29.62 | 18.03.2009 | कार्य पूरा किया गया |
| | उप योग | 18 | 34.12 | | |
| **6.** | **रारा-152 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंड का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में सुधार** | | | | |
| (i) | असम मे रारा-152 के किमी 10.00 से 20.00 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 10 | 19.87 | 12.04.2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (ii) | असम मे रारा-152 के किमी 0.00 से 10.00 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 10 | 22.49 | 12.04.2009 | कार्य पूरा किया गया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (iii) | असम मे रारा-152 के किमी 20.000 से 29.200 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 9 | 21.07 | 12.04.2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (iv) | किमी 29/200 से 38.00 तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन सड़क का निर्माण | 9 | 32.18 | श्रनदम. 2010 | कार्य पूरा किया गया |
| | उप योग | 38 | 95.61 | | |
| **7.** | **असम में रारा-153 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंड का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में सुधार** | | | | |
| (i) | असम मे रारा-153 के किमी 0.000 से 12.000 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 12 | 24.76 | 31.03.2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (ii) | असम मे रारा 153 के किमी 12.000 से 23.700 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 12 | 22.13 | 31.03.2009 | कार्य पूरा किया गया |
| | उप योग | 24 | 46.89 | | |
| **8.** | **असम में रारा-154 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंड का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन में सुधार** | | | | |
| (i) | किमी 0.00 - 3.500 का पेव्ड शोल्डर सहित नयी दो लेन सड़क का निर्माण | 4 | 41.82 | 13 | |
| (ii) | किमी 3.500 - 10.000 और किमी 18.000 से 18.800 तक का पेव्ड शोल्डर सहित नयी दो लेन सड़क का निर्माण | 7 | 40.53 | 30.04.2011 | कार्य पूरा किया गया |
| (iii) | असम मे रारा-154 के किमी 10/0 से 18/0 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 8 | 19.31 | 31.03.2009 | कार्य पूरा किया गया |
| (iv) | किमी 18.800 - 26.00 तक हेलाकांडी बाईपास का पेव्ड शोल्डर सहित नयी दो लेन का निर्माण | 9.75 | 48.48 | दिस. 2014 | |
| (v) | असम मे रारा-154 के किमी 26/0 से 35/400 तक दो लेन और पेव्ड शोल्डर | 9 | 22.31 | 31.03.2009 | कार्य पूरा किया गया |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (vi) | असम मे रारा-154 के किमी 35/400 से 47/0 तक धलेश्वर-बेराबी खंड का पेव्ड शोल्डर | 11 | 31.47 | 30.11.2012 | |
| (vii) | किमी 47.00 - 52.00 तक कटलीचेरा बाईपास का पेव्ड शोल्उर सहित नयी दो लेन का निर्माण | 5 | 38.26 | 31.10.2013 | |
| (viii) | असम में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत रारा-154 के किमी 52.00 से 67.600 तक धलेश्वरी-बेराबी खंड का पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन | 16 | 70.97 | 31.12.2012 | |
| (ix) | असम में किमी 67/600 से 81/0 (समतल भू भाग) के पेव्ड शोल्डर सहित किमी 67/600 से 89/000 तक रारा 154 का दो लेन में पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण | 21 | 73.38 | 31.12.2012 | |
| | उप योग | 91 | 344.71 | | |
| 9. | रारा-44 के राताचेरा-चुरईवाडी खंड को दो लेन किया जाना | 30 | 117.66 | 10.03.2015 | |
| 10. | रारा-37 पर डिब्रूगढ बाईपास का दो लेन में निर्माण | 14 | - | मार्च, 2016 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| 11. | लमडिंग-डिफु-मांझा रोड़, हाफलोंग, जतींगा रोड़, बस्का-बामारा रोड़, मोरी गांव-जागी रोड़, उदलगिरी-रोवता रोड़ और कोकराझार-करीगांव सड़क को दो लेन बनाया जाना | 146 | 470.20 | 28.02.2014 | |
| 12. | गोलाघाट-रंगाजन को दो लेन बनाया जाना | 7 | 11.59 | 09.02.2013 | |
| 13. | बरपेटा-होवली सड़क को दो लेन बनाया जाना | 12 | 22.63 | 10.03.2014 | |
| 14. | गोलपाड़ा-सोलमारी सड़क को दो लेन बनाया जाना | 8 | 14.57 | 31.03.2014 | |
| 15. | असम में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत मौजूदा मध्यवर्ती लेन गौरीपुर-डुबरी सड़क का दो लेन राजमार्ग में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण (लंबाई = 87.529) | 9 | 22.09 | 02.02.2014 | |
| | योग | 678 | 1805 | | |

*अरुणाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अतर्गत् कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **अरुणाचल प्रदेश में किमी 24 से 56.485 तक रारा 153 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंडों का दो लेन मानक में सुधार** | | | | |
| (i) | अरुणाचल प्रदेश में किमी 24 से 40 तक रारा 153 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंडों का दो लेन मानक में सुधार | 16 | 42.31 | दिस, 2013 | |
| (ii) | अरुणाचल प्रदेश में किमी 40 से 56.485 तक रारा 153 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंडों का दो लेन मानक में सुधार | 16.49 | 48.94 | दिस, 2013 | |
| 2. | रारा 52ए के ईटानगर-होलोंगी खंड को चार लेन किया जाना | 19.26 | 264.16 | 03.08.2014 | |
| | योग | 52 | 355 | | |

*मिजोरम पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अतर्गत् कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **मिजोरम में रारा 54 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंडों का दो लेन मानक में सुधार** | | | | |
| (i) | मिजोरम राज्य में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत किमी 118/00 से 133/00 (कुल 15 किमी) के तदनुरूप रारा 54 को दो लेन बनाया जाना | 15.00 | 61.71 | जून, 2013 | |
| (ii) | मिजोरम राज्य में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत मौजूदा किमी 134.5 से 153 (नया परिवर्तित किमी 133.00 से 147.789) के रारा 54 को दो लेन बनाया जाना | 14.79 | 67.57 | मार्च, 2013 | |
| | उप योग | 30 | 129 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **मिजोरम में रारा 154 के मौजूदा एकल लेन सड़क खंडों का दो लेन मानक में सुधार** | | | | |
| | (i) मिजोरम राज्य में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत किमी 89/00 से 105/00 के रारा 54 को दो लेन बनाया जाना | 15.55 | 68.35 | मार्च, 2013 | |
| | (ii) मिजोरम राज्य में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत किमी 119/00 से 147/00 के रारा 154 को दो लेन बनाया जाना | 23 | 86.55 | मार्च, 2013 | |
| | उप योग | 39 | 155 | | |
| 3. | **कलादान मल्टी मॉडल ट्रान्जिस्ट ट्रान्सोर्ट परियोजना की सहायता के लिए मिजोरम में लोंगतले से म्यांमार सीमा तक नए दो लेन राजमार्ग का निर्माण** | | | | |
| | (i) कलादान मल्टी मॉडल ट्रान्जिस्ट ट्रान्सपोर्ट परियोजना की सहायता के लिए मिजोरम में किमी 0.00 (लोंगतले के पास रारा-54 पर) से 38.00 तक (लंबाई = 38.00 किमी) तक नये दो लेन राजमार्ग का निर्माण | 38.00 | 195.04 | 31.10.2014 | |
| | (ii) कलादान मल्टी मॉडल ट्रान्जिस्ट ट्रान्सपोर्ट परियोजना की सहायता के लिए मिजोरम में किमी 38.00 से 71.00 (लंबाई = 33.00 किमी) तक नये दो लेन राजमार्ग का निर्माण | 33.00 | 186.96 | 31.10.2014 | |
| | (iii) कलादान मल्टी मॉडल ट्रान्जिस्ट ट्रान्सपोर्ट परियोजना की सहायता के लिए मिजोरम में किमी 71.00 से 99.83 तक (भारत म्यांमार सीमा की जोचा नदी पर) नये दो लेन राजमार्ग का निर्माण | 29 | 193.69 | 31.10.2014 | |
| | उप जोड़ | 100 | 576 | | |
| 4. | रारा-44ए के किमी 11.500 से 130 तक दो लेन बनाया जाना/पुर्नसरेखण | 104 | 624.41 | 02.03.2014 | |
| | उप योग | 104 | 624 | | |
| | जोड़ | 272 | 1484 | | |

*मेघालय पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अतर्गत् कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रारा-44 के नोंग्स्टोइन-शिलोंग खंड और नोंग्स्टोइन-रोंगजेंग-तूरा सड़क को दो लेन बनाया जाना | 264 | 1494.48 | 21.02.2014 | - |
| 2. | रारा-40 के बारापानी-शिलोंग खंड में मौजूदा दो लेन और शिलोंग शहर में फ्लाईओवरों का सुधार | 54 | - | मार्च, 2016 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| 3. | रारा-44 पर जोवई बाईपास का दो लेन में निर्माण | 10 | - | मार्च, 2015 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| 4. | नोंग्स्टोइन-पेम्ब्रिव्यू-वाहकाजी-मारथाबाह सड़क का दो लेन में उन्नयन | 68 | - | मार्च, 2016 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| 5. | नोंग्स्टोइन-रामबराई-मिर्शी-चेगांव सड़क का दो लेन में उन्नयन | 71 | - | मार्च, 2016 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| 6. | मारथाबाह-वाहकाजी-फियांग-डिलोईंग सड़क का दो लेन में उन्नयन | 47 | - | मार्च, 2016 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| 7. | रानीकोर-नोघीलियम-महेशखोला-बागमारा सड़क का दो लेन में उन्नयन | 139 | - | मार्च, 2017 | डीपीआर तैयार किया जा रहा है |
| | जोड़ | 653 | 1494 | | |

*नागालैंड पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अतर्गत् कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लोंगलेंग-चांगथ्योंग्या सड़क, मोन-तमुलू-मेरांगकोंग सड़क, फेक-फ्यूजेरो सड़क, जुनेहबोटो-चकाबेमा सड़क को दो लेन बनाया जाना | 329 | 1296 | 03.01.14 | |
| | जोड़ | 329 | 1296 | | |

*सिक्किम पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अतर्गत् कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **रारा-3ए के सिवोक से रानीपुल तक का दो लेन मानक में सुधार** | | | | |
| | (i) सिक्किम में रारा-31ए के नौवे मील (सिक्किम में एक स्थान) पर दो लेन बाईपास का निर्माण | 6.20 | 25.67 | फरवरी 2015 | |
| 2. | **गंगटोक बाईपास सहित गंगटोक से नाथला सहित मौजूदा एकल सीमा सड़क को दो लेन का बनाया जाना** | | | | |
| | (i) सिक्किम में एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अंतर्गत दो लेन बाईपास का निर्माण | 23 | 116.03 | जनवरी 2014 | |
| 3. | मेली-मानपुर-नामची सड़क को दो लेन बनाया जाना | 33 | - | दिस. 2015 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर |
| 4. | नया बाजार-लेंगशिप सड़क को दो लेन का बनाया जाना | 26 | - | दिस. 2015 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर |
| 5. | सिंगतम-ग्यालसिंह सड़क* को दो लेन का बनाया जाना | 85 | - | दिस. 2015 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर |
| 6 | तर्कू-नामची सड़क को दो लेन का बनाया जाना | 32 | - | दिस. 2015 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर |
| | जोड़ | 205.20 | 142 | | |

*भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे गए एसएआरडीपी-एनई चरण 'ए' के अतर्गत् कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | जोरबाट बारापानी (किमी 0.0 से किमी 61.8), बीओटी वार्षिकी पर एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर जोरबाट बारापानी को चार लेन का बनाया | 62 | 536 | 10.01.2014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | शिलोंग बाईपास (रारा 40 के किमी 61.8 से रारा 44 के किमी 34.85 तक) बीओटी वार्षिक पर एसएआरडीपी-एनई के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर शिलॉग बाईपास को दो लेन का बनाया जाना | 50 | 226 | 06.02.2014 | |
| | योग | 112 | 762 | | |

*सीमा सड़क को संगठन को सौंपी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के सड़कों एवं राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत गई कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | किमी 632.45-किमी 650.62 के बीच रोईंग-कोरोनु-पाया सड़क पर 3 पुलों का निर्माण | 18.165 | 128.95 | मार्च, 2016 | |
| 2. | किमी 650.62-किमी 679.65 के बीच रोईंग-कोरोनु-पाया सड़क पर 2 पुलों का निर्माण | 29.035 | 132.19 | मार्च, 2015 | |
| 3. | रोईंग-कोरोनु-पाया सड़क पर किमी 661.505, किमी 664.21 और किमी 670.345 पर 3 पुलों का निर्माण | 0.00 | 34.83 | मार्च, 2015 | |
| 4. | राणाघाट-मेबो-दम्बुक (किमी 550.15 -किमी 566.29) | 16.14 | 66.69 | मार्च, 16 | |
| 5. | किमी 687.056 - किमी 688.005 और किमी 688.725 - किमी 689.802 में दिगारु पहुंचमार्ग पर पुल | 2.026 | 14.88 | मार्च, 2013 | |
| 6. | राणाघाट-मेबो-दम्बुक (किमी 566.29 -किमी 583.45) | 17.16 | 106.54 | मार्च, 16 | |
| 7. | राणाघाट-मेबो-दम्बुक (किमी 583.45 - किमी 595.00) | 22.15 | - | दिस. 2016 | डीपीआर की जांच की जा रही है |
| 8. | राणाघाट-मेबो-दम्बुक-बोमजुर (किमी 595.00 - किमी 613.50) | 18.5 | 54.72 | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | चाखम-नासई-दीरक (किमी 806.75-किमी 832.00) | 25.25 | 67.06 | जनवरी, 2014 | |
| 10. | जोरम से कोलोरियांग सड़क के किमी 0.00 से किमी 17.714 (विद्यमान किमी 0.00 से किमी 20.00) को सुधार करके दोहरी लेन का बनाना | 17.714 | 106.9 | मार्च, 14 | |
| 11. | जोरम से कोलोरियांग सड़क के किमी 20 - किमी 40.00 में दोहरी लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 20 | | दिस, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 12. | जोरम से कोलोरियांग सड़क के किमी 40 - किमी 138.00 में दोहरी लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 98 | | दिस, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 13. | जोरम से कोलोरियांग सड़क के किमी 138.00 - किमी 158.00 में दोहरी लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 20 | | दिस, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 14. | एसआरडीपी-एनई के अरुणाचल प्रदेश पैकेज अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के किमी 689.800 से 705.282 (दिगारु-तेजू) में 2 लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 15.485 | 53.74 | मार्च, 2015 | |
| 15. | एसआरडीपी-एनई के अरुणाचल प्रदेश पैकेज अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के किमी 705.285 से किमी 717.675 (तेजू-देमवे) में 2 लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 12.39 | 38.14 | मार्च, 2015 | |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के दिगारु-हवाई सड़क किमी 717.675 से किमी 735.100 में 2 लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 17.43 | - | दिस. 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 17. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के दिगारु-हवाई सड़क किमी 0.00 (तोहांगम) से किमी 76.00 (हयुलियांग) में 2 लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 76 | | दिस. 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52 के दिगारु-हवाई सड़क किमी 0.00 (हयुलियांग) से किमी 76.00 (चांगविंती) में 2लेन मानकों के अनुरूप चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण | 65 | | दिस. 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 19. | असम में बामे-लेकाबाली-अकजन के किमी 0.00 - किमी 12.00 में 2लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 12 | - | दिस. 2016 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है |
| 20. | अरुणाचल प्रदेश में बामे-लेकाबाली-अकजन के किमी 12.00-किमी 40.00 में 2लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 28 | - | दिस. 2016 | डीपीआर की जांच की जा रही है |
| 21. | अरुणाचल प्रदेश में बामे-लेकाबाली-अकजन के किमी 40.00 - किमी 95.00 में 2लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 55 | - | दिस. 2016 | डीपीआर की जांच की जा रही है |
| 22. | अरुणाचल प्रदेश में बामे-लेकाबाली-अकजन के किमी 95.00 - किमी 105.62 में 2लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 10.62 | | दिस. 2016 | डीपीआर की जांच की जा रही है |
| 23. | अरुणाचल प्रदेश में रोईंग-(मेका)-अनिनि सड़क किमी 0.00 (रोईंग) - किमी 10.00 में 2लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 10 | | दिस, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 24. | अरुणाचल प्रदेश में रोईंग-(मेका)-अनिनि सड़क किमी 10.00-किमी 80.00 में 2लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 70 | - | दिस, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 25. | अरुणाचल प्रदेश में रोईंग-(मेका)-अनिनि सड़क किमी 80.00- 89.75 (हुनली) में 2 लेन मानकों के अनुरूप सुधार | 9.75 | | दिस, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| 26. | अरुणाचल प्रदेश में रोईंग-(मेका)-अनिनि सड़क किमी 89.75 (हुनली) - किमी 235.00 (अनिनि) में 2लेन मानकों के अनुरुप सुधार | 145.25 | | दिस, 2016 | डीपीआर तैयार की जा रही है |
| | योग | 831 | 804.64 | | |

*अरुणाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-एनई के सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | रारा-37 शांतिपुर - मीका (लंबाई 1950 किमी) का सुदृढ़कीरण | 19.5 | 38.04 | 10.10.2012 | |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट-पांगिन सड़क खंड (रारा-229) के किमी 0.00 से किमी 28.00 तक दो लेन का बनाया जाना | 28 | | मार्च, 2016 | पीडब्ल्यूडी द्वारा डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है |
| 3. | पासीघाट - पांगिन सड़क खंड (रारा-229) के किमी 28.00 से किमी 41.30 तक दो लेन का बनाया जाना | 13.30 | 63.27 | 09.01.2013 | |
| 4. | अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट-पांगिन सड़क खंड (रारा-229) के किमी 41.30 से किमी 57.00 तक दो लेन का बनाया जाना | 15.7 | | मार्च, 2016 | पीडब्ल्यूडी द्वारा डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है |
| 5. | पासीघाट - पांगिन सड़क खंड (रारा-229) के किमी 47.00 से किमी 71.596 तक दो लेन का बनाया जाना | 14.59 | 53.54 | 09.01.2013 | |
| 6. | अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट-सिंगर नदी सड़क को दो लेन का बनाया जाना | 19.88 | 92.55 | 27.10.2012 | |
| 7. | अरुणाचल प्रदेश में पापू-यूपिया-होज-पोतिन सड़क के किमी 0.00 से किमी 10.00 दो लेन का बनाया जाना | 10 | 50.36 | 27.09.2012 | |
| 8. | अरुणाचल प्रदेश में पापू-यूपिया-होज-पोतिन सड़क के किमी 10.00 से किमी 32.00 दो लेन का बनाया जाना | 20.04 | 104 | 27.09.2012 | |
| 9. | अरुणाचल प्रदेश में पापू-यूपिया-होज-पोतिन सड़क के किमी 32.00 से किमी 53.00 दो लेन का बनाया जाना | 19.06 | 82.73 | 27.03.2013 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी के लालपुर-ममव-चांगलांग सड़क के किमी 32.00 से किमी 53.00 को दो लेन का बनाया जाना | 68.3 | 305.49 | 06.03.2014 | |
| 11. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी पैकेज-I के चांगलांग-खोंसा सड़क को दो लेन का बनाया जाना | | | मार्च, 2016 | पीडब्ल्यूडी द्वारा डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है |
| 12. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी पैकेज-II के चांगलांग-खोंसा सड़क को दो लेन का बनाया जाना | | | दिस, 2013 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है |
| 13. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी के लांगडिंग-जीसा-खोंसा बाइपास सड़क खंड को दो लेन का बनाया जाना | 42.49 | 156.63 | 26.02.2015 | |
| 14. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी के महादेवपुर से बुरीधिंग नदी तक सड़क खंड को दो लेन का बनाया जाना | 25.15 | | दिस,2015 | निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है |
| 15. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी के बुरीधिंग नदी से लालपुर एक सड़क खंड को दो लेन का बनाया जाना | 23.68 | | मार्च, 2016 | पीडब्ल्यूडी द्वारा डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी के लांगडिंग-कानुबारी खंड को दो लेन का बनाया जाना | 50 | | मार्च, 2016 | पीडब्ल्यूडी द्वारा डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है |
| 17. | यिंगकियांग-गोबक (किमी 0.00 से किमी 25.20) को दो लेन का बनाया जाना | 25.2 | 106.25 | 27.03.2015 | |
| 18. | अरुणाचल प्रदेश में रारा-52बी के गोबक-सिजहोन नाला किमी 26.210 से किमी 75.485 को दो लेन का बनाया जाना | 49.27 | 207.03 | 24.04.2015 | |
| 19. | अरुणाचल प्रदेश में सिंगर नदी से सिजहोन नाला तक दो लेन का बनाया जाना | 23.76 | - | मार्च, 2016 | पीडब्ल्यूडी द्वारा डीपीआर में संशोधन किया जा रहा है |
| | जोड़ | 468 | 1260 | | |

*असम पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-एनई के सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत कार्यान्वियन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | असम पीडब्ल्यूडी को सौंपे गए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-एनई के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत असम राज्य में डिब्रूगढ़ (किमी 0 से 63.4) के समीप कानूबारी से पहुंचमार्ग बोगीबील पुल तक ट्रांस-अरुणाचल राजमार्ग (रारा-52बी) को दो लेन का बनाया जाना | 63.4 | 268.08 | 4.02.2014 | |
| 2 | असम में रारा-37 विस्तार इस्लामपुर से तिनियाली से शांतिपुर गेट तक दो लेन में पुनर्निर्माण/चौड़ीकरण | 10.47 | 23.37 | 11.12.2012 | |
| | जोड़ | 74 | 291 | | |

*हाइब्रिड बीओटी (वार्षिकी) के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-एनई के सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के कार्यान्वियन के लिए अनुमोदित परियोजनाओं की सूची*

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | सड़क की लंबाई (किमी) | संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपए) | पूरा करने की प्रस्तावित तारीख | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी प्रणाली पर पुलों का निर्माण और 18.950 किमी लंबाई की बोमजर-मीका (रारा-52) के बीच सड़क संपर्क; और अलूबारी घाट पर लोहित नदी पर पुल का निर्माण और 12.00 किमी लंबाई की चौखम-दिगारु के बीच संपर्क सड़क (कुल 30.950 किमी) | 30.95 | 764 | दिस, 2015 | |
| 2. | सड़कों और राजमार्गों के अरुणाचल प्रदेश पैकेज के अंतर्गत असम में धोला से इस्लामपुर तिनाली के पास दो लेन सड़क संपर्क (लगभग 25.8 किमी) सहित धोला और सादिया घाटों के बीच 12.9 मी. चौड़ पुल का निर्माण | 25.8 | 876 | दिस, 2015 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | रारा-229 पर बीओटी (वार्षिकी) पर नेचिपू से होज तक दो लेन का बनाया जाना | 311 | 1486.00 | अप्रैल 2016 | दिनांक 19.12.2011को रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए और वित्तीय व्यवस्था अभी की जानी है |
| 4. | रारा-229 पर बीओटी (वार्षिकी) पर पोतिन से होज तक दो लेन का बनाया जाना | 407 | 1985.00 | मार्च, 2017 | दिनांक 24.08.2012का रियायत करार पर हस्ताक्षर किए गए और वित्तीय व्यवस्था अभी की जानी है |
| | जोड़ | 775 | 5111 | | |

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विदेशी निवेश**

**324. श्री रामकिशुनः क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में राजमार्ग परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी निवेश द्वारा बनाई जा रही राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा सड़क परियोजनाओं में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या चीन के अनेक निवेशकों ने भारत की राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश पर चिंता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** (क) जी हां।

(ख) विदेश कंपनियों द्वारा निर्मित/निर्मित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पथकर के संग्रहण सहित बीओटी आधार पर सौपी गई सड़कों एवं राजमार्गों के निर्माण एवं अनुरक्षण में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत सड़क क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मंत्रियों ने द्विपक्षीय बैठकें की थी और अनेक देशों की यात्रा निवेशकों से मिलने तथा उन्हें सड़क क्षेत्र में परियोजना संबंधी अवसरों से अवगत कराने के लिए की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशी निविशकों को सरकार की नीति और दिशानिर्देशों से अवगत कराने के लिए सड़क प्रदर्शन भी किए हैं। सरकार ने अवसंरचनात्मक विकासकों को घरेलू और विदेशी निवेशकों से संपर्क स्थापित करने में एक लंबे समय तक सहायता मिलती रहेगी। अनेक विदेशी कंपनियों ने राजमार्गों के विकास के लिए सौंपने की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक भाग लिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित/कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा*

| क्र.सं. | खंड (राज्य) | रारा सं. | कुल लंबाई (किमी) | वित्तपोषण | कार्य पूरा होने की तारीख/ संभावित तारीख | कुल परियोजना लागत (टीपीसी) (करोड़ रु.) | एजेंसी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | नंदीगाम-विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) | 9 | 35 | बीओटी (पथकर) | जून 2004 | 138.65 | सिडबी मलेशिया (मलेशियाई) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | नेल्लौर-टाडा (आंध्र प्रदेश) | 5 | 110.517 | बीओटी (पथकर) | दिसंबर 2003 | 621.35 | सिडबी मलेशिया (मलेशियाई) |
| 3. | महुआ-जयपुर (राजस्थान) | 11 | 108 | बीओटी (पथकर) | सितम्बर 2009 | 483 | जेएमटीपीएल (इं) कारपोरेशन प्रोजेक्ट (मलेशियाई) |
| 4 | सेलम-करूर (तमिलनाडु) | 7 | 41.55 | बीओटी (पथकर) | अगस्त 2009 | 253.5 | एमवीआर-एमआरके-जेटीईसी (सं.उ.) [एमवीआर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टोलवे प्रा. ली] (भारतीय-चीन सं. उ.) |
| 5 | उलूंदरपेट-पडलूर (तमिलनाडु) | 45 | 93.89 | बीओटी (पथकर) | सितम्बर 2009 | 460 | आईजेएम-सपूरजी पल्लेनजी (सं.उ) (त्रिची टोलवे प्रा.ली.) मलेशियाई -भारतीय सं.उ) |
| 6 | सीतापुर-लखनऊ (उ.प्र) | 24 | 75 | बीओटी (पथकर) | जनवरी 2012 | 322 | अपोलो (यूके)- जेएलआई (यूके)- डीएससी (भारतीय)- एलओआर (यूके) कंसोर्सियम (यूके-भारतीय सं. उ) |
| 7 | विवेकानंद पुल और पहुंचमार्ग (पश्चिम बंगाल) | 2 | 6 | बीओटी (पथकर) | जून 2007 | 641 | एसवीबीटीजी कंसोर्सियम ऑफ पैसिफिक अलायंस इंक पीबीआईडीसी-स्टारडेक इंक-सीईएस एंड एल एंड टी (यूएसए-फिलीपीस-इंडिया) |
| 8 | अंकापल्ली-तुनी (आंध्र प्रदेश) | 5 | 58.947 | बीओटी (वार्षिक) | जनवरी 2005 | 283.2 | जीएमआर-तुनी-अंकापल्ली एक्सप्रेस लि. (भारतीय-मलेशियाई सं. उ) |
| 9 | तांबरम-टिंडीवनम (तमिलनाडु) | 45 | 93 | बीओटी (वार्षिक) | जनवरी 2005 | 375 | ताबंरम-टिंडीवनम एक्सप्रेस वे प्रा.लि. (कंसोर्सियम ऑफ जीएमआर कंसोर्सियम एंड यूई मलेशिया) (भारतीय -मलेशियाई सं.उ) |
| 10 | पलसित-दनकुनी (पश्चिम बंगाल) | 2 | 65 | बीओटी (वार्षिक) | जुलाई 2005 | 432.4 | कंसोर्सियम ऑफ गोमुडा (मलेशिया और डब्ल्यूसीटी इंजीनियरिंग (मलेशिया) (मलेशियाई) |
| 11 | पानागढ़-पलसित (पश्चिम बंगाल) | 2 | 64.457 | बीओटी (वार्षिकी) | जून 2005 | 350 | गोमुडा मलेशिया-डब्ल्यूसीटी मलेशिया (मलेशियाई) |
| | | | | **कार्यान्वयन के अधीन** | | | |
| 1 | चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) | 5 | 82.5 | बीओटी (पथकर) | जून 2013 | 572.3 | आईजेएम कारपोरेशन बरहाड-आईडीएफसी लि. (मलेशियाई-भारतीय) |
| 2 | मोतिहारी-रक्सौल (बिहार) | 28ए | 68.79 | बीओटी (पथकर) | अप्रैल 2014 | 375.09 | तांतिया-जियांग्सू (सं.उ) भारतीय-चीन (सं.उ.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | वाराणसी- औरंगाबाद (बिहार/उ.प्र.) | 2 | 192.4 | बीओटी (पथकर) | मार्च 2014 | 2848 | आईसोलेक्स-सोमा कंसोर्सियम (स्पेन-भारतीय) |
| 4 | औरंग-रायपुर (छत्तीसगढ़) | 6 | 43.485 | बीओटी (पथकर) | दिसंबर 2012 | 190 | अपोलो (यूके)-जेएलआई (यूके) डीएससी (भारतीय)-एलओआर (यूके) कंसोर्सियम (यूके-भारतीय सं.उ.) |
| 5. | जैतपुर-सोमनाथ (गुजरात) | 8डी | 123.45 | बीओटी (पथकर) | * | 828 | आईडीएफसी-प्लस एक्सप्रेसवे बरहाड कंसोर्सियम भारतीय-मलेशियाई (सं.उ.) |
| 6. | अहमदाबाद-गोधरा (गुजरात) | 59 | 117.6 | बीओटी (पथकर) | जून 2013 | 1008.5 | एस्सेल इंफ्रा और सीआर-18 कंसोर्सियम (भारतीय-चीन) |
| 7. | गुजरात/महाराष्ट्र सीमा-सूरत-हजीरा पत्तन | 6 | 132.9 | बीओटी (पथकर) | सितम्बर 2012 | 1509.1 | आइसोलक्स-सोमा कंसोर्सियम (सं.उ) (स्पेन-भारतीय) |
| 8. | सूरत-दहिसर (गुजरात/महाराष्ट्र) | 8 | 239 | बीओटी (पथकर) | सितम्बर 2012 | 1693.75 | आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लि.-ड्यूच बैंक एजी (भारतीय-सिंगापुर) |
| 9. | पानीपत-जालंधर (हरियाणा/पंजाब) | 1 | 291 | बीओटी (पथकर) | अगस्त 2013 | 2288 | आइसेलक्स कोरसन कंसेशंस एसए-कारेसन कोर्वियम कंस्ट्रक्शंस एसए-सोमा इंटरप्राइज लि. (स्पेन-भारतीय) |
| 10. | गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर (हरियाणा/राजस्थान) | 8 | 225.6 | बीओटी (पथकर) | दिसंबर 2012 | 1673.7 | इमिरेट ट्रेडिंग एजेंसी एलएलसी-केएमसी कंस्ट्रक्शन लि. (दुबई-भारतीय) |
| 11. | चरथलाई-ओचिरा (केरल) | 47 | 83.6 | बीओटी (पथकर) | * | 1535 | आइसोलक्स-सोमा (स्पेन-भारतीय) |
| 12. | वडक्कनचेरी-त्रिशूर खंड (केरल) | 47 | 30 | बीओटी (पथकर) | मार्च 2014 | 617 | केएमसी कंस्ट्रक्शन लि.-सीआर 18 जी कंसोर्सियम (भारतीय-चीन) |
| 13. | कर्नाटक/केरल सीमा से कन्नूर(केरल) | 17 | 126.6 | बीओटी (पथकर) | * | 1157.16 | मै. ट्रांसटी-ओजेएससी कंसोर्सियम (भारतीय-रशियन) |
| 14. | म.प्र./महाराष्ट्र सीमा-धुले (महाराष्ट्र) | 3 | 98 | बीओटी (पथकर) | दिसंबर 2012 | 835 | हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं लि.नलैंग-सदभाव कंसोर्सियम (भारतीय-यूके) |
| 15. | पुणे-शोलापुर (महाराष्ट्र) | 9 | 110.05 | बीओटी (पथकर) | अक्तूबर 2012-13 | 1110 | नवीन्या बिल्डकोंन-अटलांटा स्पा (संउ) (भारतीय/इटली) |
| 16. | पनवेल-इंदापुर (महाराष्ट्र) | 17 | 84 | बीओटी (पथकर) | * | 942.69 | सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि. महावीर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.चीन स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हांगकांग लि. (भारतीय-चीन) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | चांदीखोल-जगतपुर-भुवनेश्वर (ओडिशा) | 5 | 67 | बीओटी (पथकर) | जून 2014 | 1047 | एसआरआई- सिम्प्लेक्स-ग्ल्फार कंसोर्सियम (श्री जगन्नाथ एक्सप्रेसवे प्रा.लि.) (भारतीय-दुबई) |
| 18. | किशनगढ़-अजमेर-ब्यावर (राजस्थान) | 8 | 82 | बीओटी (पथकर) | सितम्बर 2012 | 795 | आइसोलक्स-सोमा कंसोर्सियम (स्पेन-भारतीय) |
| 19. | जयपुर-रींगस (राजस्थान) | 11 | 54 | बीओटी (पथकर) | फरवरी 2013 | 267.81 | आरआईएल-एएए-जेटीईजी कंसोर्सियम (भारतीय-चीन) |
| 20. | तिरुपति-तिरुथानी-चैन्ने (तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश) | 205 | 124.7 | बीओटी (पथकर) | अक्तूबर 2013 | 571 | ट्रांसटी-ओजेएससी कंसोर्सियम (सं.उ.) (भारतीय-रशियन) |
| 21. | गाजियाबाद-अलीगढ़ (उ.प्र.) | 91 | 126 | बीओटी (पथकर) | अगस्त 2013 | 1141 | एसआरईआई-पीएससी-गल्फार कंसोर्सियम (भारतीय-दुबई) |
| 22. | बरेली-सीतापुर (उ.प्र) | 24 | 151.2 | बीओटी (पथकर) | सितम्बर 2013 | 1046 | ईरा-सिबमोस्ट (भारतीय-रशियन) |
| 23. | मुजफ्फरनगर-हरिद्वार (उ.प्र./उत्तरांचल) | 58,72 | 80 | बीओटी (पथकर) | मार्च 2013 | 754 | ईरा-सिबमोस्ट (भारतीय-रशियन) |
| 24. | रामपुर-काठगोदाम (उत्तरांचल) | 87 | 93.226 | बीओटी (पथकर) | * | 790 | ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लि. ओजेएससी-सिबमोस्ट (सं.उ.) (भारतीय-रशियन) |
| 25. | श्रीनगर-बनिहाल (जम्मू और कश्मीर) | 1ए | 67.76 | बीओटी (वार्षिक) | जून 2014 | 1100.7 | रामकी इंफ्रा एंड जेपीटीईजी भारतीय-चीन (सं.उ.) |
| 26. | ग्वालियर-झांसी (म.प्र./उ.प्र.) | 75 | 80 | बीओटी (वार्षिकी) | दिसंबर 2012 | 604 | डीएससी-अपोलो कंसोर्सियम (भारतीय-यूके सं.उ.) |
| 27. | डिंडीगुल-पेरीगुलम-थेनी-कुमली (तमिलनाडु) | 220 | 134 | बीओटी (वार्षिक) | अगस्त 2013 | 485 | ट्रांसट्री-ओजेएससी कंसोर्सियम लि. (भारतीय-रशियान) |
| 28. | त्रिची-कराईकुडी और त्रिची बाइपस | 210 और 67 | 110.372 | बीओटी (वार्षिक) | मई 2013 | 374 | ट्रांसटी लि. ओजेएससी कंसोर्सियम (भारतीय-रशियान) |
| 29. | कृष्णागिरी-टिंडीवनम (तमिलनाडु) | 66 | 176.51 | बीओटी (वार्षिक) | * | 624 | ट्रांसट्री (आई) लि.- कारपोरेशन ट्रासट्री ओजेएससी कंसोर्सियम (भारतीय/रशियन) |
| 30. | हरिद्वार-देहरादून (उत्तरांचल) | 72 | 39 | बीओटी (वार्षिक) | * | 478 | ईरा-सिबमोस्ट (सं.उ.) (भारतीय-रशियन) |

**विस्फोटकों को स्क्रेप के रूप में जहाज से भेजना**

3451. **श्री महेश्वर हजारी:** क्या **पोत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में कांडला पोर्ट को भेजे गये कन्टेनरों में बड़े पैमाने पर विस्फोटक और जहरीले रसायन स्क्रेप के नाम पर भेजे गये थे जिनमें राकेट लान्चर से लेकर कई अन्य विनाशकारी हथियार शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे जहाजों के प्रवेश को अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(घ) यह किस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि हथियारों का दुरुप्रयोग न हो तथा उनसे किसी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**पोत परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन):** (क) और (ख) वर्ष 2004-05 के दौरान, कांडला पत्तन में स्क्रैप कंटनरों में कुछ युद्ध सामग्री पाई गई थी। इस युद्ध सामग्री में इस्तेमाल किया गया गोला बारुद और हथियारों का स्क्रैप था। गोला बारुद स्क्रैप कांडला पत्तन के विशेष बाड़ से घिरे इलाके के भीतर सीमाशुल्क द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में पड़ा है जिसकी सी आई एस एफ द्वारा चौबिसों घंटे सुरक्षा की जा रही। इसी प्रकार की सामग्री सीमाशुल्क विभाग के गोदामों में भी पड़ी है और पूरा कार्गो सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त कर दिया गया है।

(ग) यदि कार्गो को सही रूप से घोषित नहीं किया जाता है तो यह गलत घोषणा/छिपाव भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का उल्लंघन है।

(घ) गृह मंत्रालय के दिनांक 27 अगस्त, 2009 के पत्र सं. आई-11011/76/04-आई एस. IV के अनुसार, आयात खेपों में युद्ध सामग्री की पहचान, उन्हें अलग करने और उनका निपटान किए जाने के प्रयोजन से जिला मैजिस्ट्रेट तथा सुपरस्टैन्डैंट ऑफ पोलिस, की अध्यक्षता में, स्थानीय सेना यूनिट के, एन एस जी और सीमाशुल्क विभाग के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया गया है। स्थानीय सीमाशुल्क प्राधिकारी निपटान की प्रक्रिया का समन्वयन करेंगे और कांडला पत्तन लाने ले जाने की सहायता उपलब्ध करवाएगा। जिला अधिकारी, उपरोक्त प्रयोजन से सेना यूनिट से सेना यूनिट, भुज की भी मदद ले रहे हैं।

*[अनुवाद]*

**ई.पी.एफ.ओ. परीक्षा**

3452. **श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में सामाजिक सुरक्षा सहायकों की भर्ती के लिए मई, 2012 में परीक्षा आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्न-पत्र लीक होने की कोई घटना सरकार की जानकारी में आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी हां, पुलिस प्राधिकारियों ने दिनांक 13.5.2012 को सात व्यक्तियों को उस समय पकड़ा था तब वे प्रश्न पत्रों की छाया प्रति से प्रश्न हल करने में व्यस्त थे। वे अपने-अपने अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन से उत्तर बता रहे थे।

(घ) पुलिस प्राधिकारियों ने सात व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और पीएस क्राइम ब्रांच में एफ आई आर संख्या 131/12 दिनांक 13.05.2012 के तहत आईपीसी की धारा 406/420/120 ख के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है।

**हेलीकाप्टर एसेम्बली यूनिट**

3453. **श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में हेलीकाप्टर एसेम्बली यूनिट की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वित्तीय आबंटन और निजी भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन और अपनाए गए मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) इस यूनिट को कब तक प्रचालनीय बनाए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## वाहन कारखाने में प्रदूषण

**3454. श्री राकेश सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर स्थित वाहन कारखाने में वायु और जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य आयुध कारखानों में अपनाये जाने वाले प्रदूषण मानकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन ने कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय सभी आयुध निर्माणियां प्रदूषकों को स्वीकार्य सीमाओं के भीतर बनाए हुए हैं।

(घ) जी, हां। निर्माणी प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार प्रदूषकों को स्वीकार्य सीमाओं के भीतर नियंत्रित करने और उन्हें उन सीमाओं के भीतर बनाए रखने के लिए हमेशा आवश्यक उपाय करता है।

(ङ) ये प्रदूषण नियंत्रण उपाय अलग-अलग निर्माणियों में अलग-अलग होते हैं। इनमें चिमनी में स्क्रबरों, धूल एकत्र करने, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जल-मल उपचार संयंत्र, खतरनाक अपशिष्टों का सुरक्षित तरीके से निपटान, आदि की व्यवस्था शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

## ट्राइबल वीविंग को बढ़ावा देना

**3455. श्रीमती अन्नू टन्डन:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ट्राइबल वीविंग की तकनीकियों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ट्राइबल फैब्रिक्स और क्लॉथिंग वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है;

(घ) क्या सरकार का विचार ट्रायल फैब्रिक्स और क्लॉथिंग को बढ़ावा देने, की प्रदर्शनी लगाने और उनके विपणन के लिए विशेष कोष की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) और (ख) विकास आयुक्त (हथकरघा कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के तहत समूचे देश में कार्य कर रहे 25 बुनकर सेवा केन्द्र, तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं और आदिवासी बुनकरी सहित विभिन्न प्रकार की तकनीकी बनुकरी का प्रसार भी कर रहे हैं।

(ग) भारत सरकार, हथकरघों के विकास और बुनकरों के कल्याण के लिए निम्ननिखित पांच योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

1. एकीकृत हथकरघा विकास योजना
2. विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना
3. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना
4. मिल गेट कीमत योजना एवं
5. विविधीकृत हथकरघा विकास योजना

एकीकृत हथकरघा विकास योजना तथा विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न एजेंसियों को प्रदर्शनियों, शिल्प मेलों का आयोजन करने, शहरी हाट स्थापित करने, क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि आयोजित किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो आदिवासी वस्त्रों और कपड़ों से संबंधित वस्तुओं सहित विभिन्न प्रकार के हथकरघा उत्पादों का प्रचार और विपणन करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करते हैं।

(घ) और (ङ) आदिवासी हथकरघों का विकास और संवर्धन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 2011-12 से पृथक बजट आबंटन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, विभिन्न हथकरघा योजनाओं के तहत 6.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न हथकरघा योजनाओं के तहत 48.75 करोड़ रुपये का बजट आबंटन किया गया है।

**राष्ट्रीय राजमार्ग-4 को चौड़ा करना**

**3456. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बरास्ता देवनहल्ली विमानपत्तन राष्ट्रीय राजमार्ग (एन एच)-4 पर सड़क को चौड़ा करने के कार्य के भाग के रूप में शिकाजला किले के नाम से विख्यात स्मारक की चार दिवारी को गिरा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्मारक के पुनर्निर्माण हेतु एनएचएआई द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) सर्विस रोड और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए एक स्मारक की लगभग 94 मी. लंबाई का परिसर अधिग्रहित किया गया है। संरचना का पुनर्मिर्माण लाभभोगी द्वारा किया जाएगा क्योंकि संरचना के पुनर्निर्माण के संबंध में उपयुक्त मुआवजे (10,93,780 रु.) को एलए एवार्ड में शामिल किया गया है।

**सेना भर्ती रैली**

**3457. श्री सर्वे सत्यानारायण:**
**श्री पोन्नम प्रभाकर:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के करीमगंज जिला सहित देश में विभिन्न स्थानों पर सेना भर्ती रैलियां आयोजित करने का का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में तिरुपति में आयोजित भर्ती रैली सुचारु रूप से आयोजित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में आवश्यक प्रबंधों का अभाव, यदि कोई हो, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी):** (क) और (ख) सेना में अन्य रैंकों की भर्ती खुली रैली प्रणाली के जरिए की जाती है जिसमें सभी भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को समान अवसर मिलते हैं। रैलियों के द्वारा एक भर्ती वर्ष में देश के प्रत्येक जिले को कम से कम एक बार कवर करने के प्रयास किए जाते हैं। करीमगंज जिला, आन्ध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न स्थानों पर भर्ती रैलियां आयोजित करने हेतु समय-समय पर प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखा गया है।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश में तिरुपति में 18 जून, 2012 से 20 जून, 2012 तक आयोजित की गई भर्ती रैली सुचारु रूप से आयोजित की गई थी। रैली स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने, भोजन, पेयजल, स्वच्छता, मेडिकल सुविधा आदि से संबंधित अपेक्षित व्यवस्थाएं की गई थीं।

**एनएचएआई**

**3458. श्री नवीन जिन्दल:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विवाद समाधान बोर्ड द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के विरुद्ध अवसंरचना कंपनियों के खिलाफ अनेक मामलों में अहितकर निर्णय दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितनी धनराशि फंस गयी है;

(ग) क्या एनएचएआई ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ङ) क्या एनएचएआई ने कतिपय मामलों में न्यायालय से बाहर मामले के निपटान के विकल्प पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) ठेका करार की शर्तों के अनुसार पक्षकारों

द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में सिफारिशें विवाद समाधान बोर्ड करता है। इन सिफारिशों पर आदेश के रूप में विचार नहीं किया जाता और यह पक्षकारों पर बाध्य नहीं होतीं। पंचाट अधिकरण द्वारा पारित पंचाट एवार्ड, जोकि विवाद समाधान बोर्ड से अगला कदम होता है, कानून में प्रवर्तनीय है।

(ख) पंचाट अधिकरण और न्यायालयों के समक्ष 11084.53 करोड़ रु. के दावों सहित 1635 विवादों के 251 मामले लंबित हैं।

(ग) और (घ) एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ग्रुप गठित किया गया है जिसमें उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष हैं और पूर्व उप-नियंत्रक और महालेखाकार, पूर्व सतर्कता आयोग और पूर्व महानिदेशक (आरडी) और एसएस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके सदस्य हैं। आज की तारीख तक स्वतंत्र विशेषज्ञ ग्रुप को 19 मामले भेजे गए हैं जिनमें से 17 सिफारिशें स्वतंत्र विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा की गई हैं।

(ङ) और (च) साथ ही कुछ सामान्य मुद्दों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान पर विचार-विमर्श किए जाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण द्वारा एक 6 सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय किया गया है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नेशनल हाइवेज फैडरेशन के तीन-तीन सदस्य होंगे।

*[हिन्दी]*

## निर्यात हेतु रियायतें

**3459. श्री हुक्मदेव नारायण यादवः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यातकों को आयात-निर्यात हेतु दिए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) चीनी, खाद्यान्नों, खाद्य तेलों और खली के आयात-निर्यात के लिए अलग-अलग कितना अनुदान दिया गया है;

(ग) उन कंपनियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें पांच करोड़ रुपए से अधिक राशि का अनुदान मिल रहा है;

(घ) उन्हीं वस्तुओं का अधिक दरों पर आयात करने और उन्हीं वस्तुओं का कम दरों पर निर्यात करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन कंपनियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध अनियमितताएं बरतने के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं और दोषी पाए गए व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) से (ग) सरकार आयात अथवा निर्यात के लिए कोई अनुदान प्रदान नहीं करती है। निर्यातों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए, निर्यात के दौरान चुकाए गए करों को प्राप्त या छूट प्रदान किया जाना अपेक्षित होता है। सरकार में राजस्व विभाग और वाणिज्य विभाग दोनों में स्कीमें प्राप्ति/छूट हेतु योजनाएं हैं। इन स्कीमों का विवरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क की वेबसाइट www.cbecgov.in और विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट www. djft. gov.in पर उपलब्ध है।

(घ) हमारी जानकारी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिन वस्तुओं का निर्यात जिस दर पर किया गया था उन्हीं वस्तुओं को उससे ऊंची दर आयात किया गया हो।

(ङ) किसी भी अन्य स्कीम की तरह, निर्यात संवर्धन उपायों के दुरुपयोग की संभावना से पूरी तरह इंकार नहीं किया जा सकता। जाली दस्तावेजों, गलत घोषणा देने, माल की घरेलू बाजार में आपूर्ती, आयात और निर्यात को कम बीजक/अधिक बीजक में दर्शाने के रूप में दुरुप्रयोग किया जा सकता है। राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमाशुल्क और अन्य अभिकरणों से प्राप्त सूचना के आधार पर अनियमितताओं के संबंध में भी निर्यात दायित्वों की निगरानी के दौरान, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और नियमावली और उसके तहत बने नियमों के तहत ऐसी फर्मों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई में यूनिटों की आईईसी सं. के विलबंन/निरस्तीकरण, सीमाशुल्क अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई के अलावा दण्डात्मक ब्याज के साथ राजकोषिय दंड लगाना शामिल है।

*[अनुवाद]*

## नौसेना के लिए मल्टीरोल हेलीकाप्टर

**3460. श्री माणिकराव होडल्या गावितः** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसेना की मल्टीरोल हेलीकाप्टर खरीदने के लिए छह वर्ष पुरानी निविदा में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितना भुगतान किया गया है;

(ग) क्या विक्रेताओं ने इस संबंध में और समय की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खरीद में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी):** (क) और (ख) 16 बहु-भूमिका वाले हेलिकाप्टरों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध अगस्त, 2008 में जारी किया गया था। इस मामले पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## एन सी एल पी के अन्तर्गत विद्यालय

**3461. श्री सी. एम. चांग:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन से चौदह वर्ष तक की आयु के बाल श्रमिकों पर रोक लग जाएगी और इससे इसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट की तर्ज पर लाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) के अन्तर्गत स्थापित विद्यालयों को बंद करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार इन विद्यालयों को विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) जी हां। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में प्रस्तावित संशोधन में से एक संशोधन 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना है। प्रस्तावित संशोधन बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के उपबंध की तर्ज पर है।

(ख) और (ग) बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन किए जाने तक सरकार का राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत स्थापित विशेष स्कूलों को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कूल कार्य से बचाए गए/हटाए गए बच्चों के पुनर्वास के लिए स्थापित विशेष स्कूलों के रूप में संचालित किए जा रहे हैं जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य धारा से जोड़े जाने से पूर्व ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य देख-रेख आदि उपलब्ध करायी जाती है।

## रोजगार के अवसर

**3462. श्री विक्रमभाई अर्जुनभाई मादम:** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के संबंध में बार-बार दिल्ली आते है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन शहरों में रोजगार के अवसरों का अभाव इसका कारण है;

(ग) क्या सरकार इन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए इन शहरों में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रोजगार के संबंध में बड़ी संख्या में आस-पास के शहरों से बारंबार दिल्ली आने वाले व्यक्तियों और इस तथ्य के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है कि इन शहरों में रोजगार के अवसरों में कमी इस बात के पीछे कारण है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के कार्यालय, केन्द्र सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं एवं परियोजनाओं इत्यादि को चलाने एवं इनके कार्यान्वयन की आवश्यकता के आधार पर खोले जाते हैं। तथापि, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इन शहरों में केन्द्र सरकार के कार्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन भारत सरकार रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए दिल्ली के आस-पास के शहरों सहित देश के ग्रामीण एवं शहरी-दोनों क्षेत्रों में स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। एसजीएसवाई को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्गठित किया गया है ताकि इसे 2014-15 तक गरीबी उन्मूलन के लिए अनुपयोग में सार्वभौमिक, दृष्टिकोण में संकेन्द्रित तथा समयबद्ध बनाया जा सके।

**सीजीआईटी-सह-एलसी के आदेश**

**3463. श्री हरीश चौधरी:**
**श्री अंजनकुमार एम. यादव:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी)- सह-श्रम न्यायालयों (एलसी) द्वारा पारित उन आदेशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और जो नियोक्ताओं के लिए बाध्यकारी हैं;

(ख) उक्त अधिसूचनाओं में से निर्णय दिए गए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है जिन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार से निर्णय को कार्यान्वित करवाने के लिए सिफारिश की गई है; और

(घ) अब तक कितनी अधिसूचनाओं को कार्यान्वित किया गया है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

**ओएफबी में आरक्षण**

**3464. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**
**श्री पोन्नम प्रभाकर:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयुध निर्माण बोर्ड (ओएफबी) में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिर्छड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए रोजगार में आरक्षण सुनिश्चित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) और (ख) जी, हां। आयुध निर्माण बोर्ड में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को नौकरी में आरक्षण देने के प्रावधान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों/नियमों के अनुसार सभी पदों-राजपतित्रत/अराजपत्रित/गैर-औद्योगिक कर्मचारियों/औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

**पनडुब्बी बेड़े का आधुनिकीकरण**

**3465. श्रीमती श्रुति चौधरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का नौसेना में पनडुब्बी बेड़े के आधुनिकीकरण के संबंध में रूस के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) पांच सिंधुघोष श्रेणी की पनडुब्बियों का रूस में आधुनिकीरण किया गया है। इस समय सिंधुघोष श्रेणी की एक पनडुब्बी का रूस में मध्यकालिक रीफिट-सह-उन्नयन का कार्य चल रहा है। सितम्बर 2010 में शुरू किया गया आधुनिकीकरण कार्यक्रमानुसार चल रहा है। एक और पनडुब्बी का अंशत: रूसी सहायता से भारत में आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**भारतीय वायु सेना की बेड़ा शक्ति**

**3466. श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
**श्री ई.जी. सुगावनम:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वायु सेना के पास उपलब्ध लड़ाकू विमानों, कारगो हेलीकाप्टरों तथा ध्रुव हेलीकॉप्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय वायु सेना ने अपने बेड़े में नये आधुनिक विमान शामिल किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या मौजूदा पुराने विमानों को हटाकर निकट भविष्य में और अधिक नये विमान शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमान बेड़े के रूप में मिग-21, मिग-23 मिग-27, मिग-29, जगुआर, मिराज और एस यू-30 ऐ के। विमान, कारगो हेलीकाप्टर के रूप में एम आई-8, एम आई-17, एम आई-26

एवं उन्नत हल्का हेलीकप्टर के रूप में एम के। और एम के-।।। ध्रुव हेलीकाप्टर उपलब्ध हैं।

(ख) से (ङ) मौजूदा बेड़ों की समीक्षा और नए बेड़ों का उन्नयन और उसे शामिल किया जाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सरकार द्वारा इसकी समीक्षा वायुसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है। एस यू-30 एम के ।, सी-130 जे, अवाक्स, आई एल-78 विमान और एम आई-17 वी 5 हेलीकाप्टर हाल ही में शामिल किए गए हैं।

**जाति प्रमाणपत्रों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय**

**3467. श्री मधुसूदन यादवः** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधी प्रमाणपत्र जारी और सत्यापित करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए 1950 अथवा 1950 से पूर्व की अवधि संबंधी कोई दस्तावेज/रिकार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों में संशोधन करने के लिए उठाए गए कदम यदि कोई हो, क्या है; और

(च) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) से (घ) माधुरी पाटिल (1994 की सिविल अपील सं. 5854) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि जाति प्रमाण-पत्रों की जांच शीघ्रातिशीघ्र और तत्परता से की जाए। इसमें सामाजिक स्तर प्रमाण-पत्र के जारीकरण, उनकी जांच एवं अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु सरकार को निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 16.06.2004 के पत्र के तहत शीर्ष न्यायालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के दिनांक 16.06.2004 के पत्र के तहत शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जाति स्तर हेतु सत्यापन शीघ्रातिशीघ्र किया जाए।

जाति प्रमाण-पत्र जारी करने और उनका सत्यापन करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, गृह मंत्रालय द्वारा अपने अप्रैल, 1975 के पत्र सं. 35/1/72-आर.यू.(एस.सी.टी.V) और दिनांक 22.03.1977 के पत्र सं. बी.सी.- 112025/2/76- एस.सी.टी.-। के तहत जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उस व्यक्ति या उसके माता-पिता को उनके मामले में प्रयुक्त राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के दिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ङ) और (च) विद्यमान दिशा-निर्देशों को परिवर्तित/संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान**

**3468. श्री एम. के. राघवनः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान (ईपीएफ) में तेजी से गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि का भविष्य निधि अंशदान किया गया और अंशदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हो जाने के साथ-साथ अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के स्तर में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) जी, नहीं। विगत तीन वर्षों के दौरान निधि का कुल अंशदान जो वर्ष 2009-10 में 26,558.20 करोड़ रुपये था वह वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान बढ़कर क्रमशः 32,494.40 करोड़ रुपये और 39,431.44 करोड़ रुपये (अलेखापरीक्षित) हो गया है।

(ग) और (घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के दायरे में लाए हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा में वृद्धि किए जाने संबंधी मुद्दे पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है। तथापि, सरकार को इस मामले में अभी अंतिम राय बनानी है।

## अन्तर-राज्य प्रवासी कामगार

**3469. डॉ. रामचन्द्र डोम:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां विगत पांच वर्षों के दौरान सर्वाधिक अन्तर-राज्य प्रवासी श्रमिक/कामगार आये हैं;

(ख) क्या सरकार प्रवासी कामगारों के साथ हुई घातक और अघातक दुर्घटनाओं के संबंध में कोई आंकड़े रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (ग) प्रवासी कामगारों से संबधित आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, 314,54 मिलियन व्यक्ति विभिन्न कारणों से देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में गए थे। इनमें से, 29.90 मिलियन कामगारों ने रोजगार की वजह से प्रव्रजन किया था। वर्ष 2001 की जनगणना के समय जिन राज्यों में देश के अंदर अन्तर-राज्य प्रवासी कामगारों की सर्वाधिक संख्या थी वे हैं- महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा और पंजाब।

## वनरोपण परियोजनाओं हेतु भुगतान

**3470. श्री उदय सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान अनेक स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय वनरोपण और परिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा वित्तपोषित वनरोपण परियोजनाओं के लिए भुगतान प्राप्त करने के पश्चात् लुप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्वैच्छिक एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है जो निधियां प्राप्त करने के बाद लुप्त हो गई हैं और इसमें कितनी धनराशि निहित हैं;

(ग) क्या सरकार ने लुप्त हो गयी स्वैच्छिक एजेन्सियों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी चूक के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**पर्यावरण और मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) स्वैच्छिक संगठनों को हरित भारत योजना के लिए सहायता अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर प्रदान की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, जनभागीदारी द्वारा वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई थी। ये निधियां तीन किश्तों में जारी की गई। वर्ष 2003-08 के दौरान स्वैच्छिक संगठनों की संख्या के बराबर कुल 564 परियोजनाएं मंजूर की गई। इनमें से 57 संगठनों ने सभी तीन किश्तें प्राप्त की, 245 ने दो किश्तें प्राप्त की और शेष 262 स्वैच्छिक संगठनों ने केवल पहली किश्त प्राप्त की। स्वैच्छिक संगठनों का कोई कार्यनिष्पादन न होने के कारण वर्ष 2008-09 से यह स्कीम बंद कर दी गई है और गत तीन वर्षों के दौरान गैर सरकारी संगठनों के लिए कोई नई परियोजना मंजूर नहीं की गई।

(ग) से (ङ) चूककर्ता एजेंसियों के खिलाफ प्रभावी जांच, निधियों की वसूली और कानूनी कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय की पहल पर राज्यों में उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। मंत्रालय द्वारा चूककर्ता संगठनों के आवश्यक ब्यौरे विशेष रूप से तैयार टैम्पलेटों में समेकित किए गए हैं जिन्हें संबंधित राज्यों को उपलब्ध करा दिया गया है।

*[हिन्दी]*

## सैनिक स्कूल

**3471. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दमन और दीव सहित भारत के विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में सैनिक स्कूलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार दमन और दीव में नए सैनिक स्कूलों को खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन स्कूलों में रैगिंग के मामलों की सूचना मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के एंटनी):** (क) वर्तमान में, दमन और दीव सहित भारत के किसी भी संघशासित प्रदेश में सैनिक स्कूल नहीं है।

(ख) और (ग) दमन और दीव में सैनिक स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) विगत में सैनिकों स्कूलों से रैंगिग तथा दबंगई में छुट-पुट मामले प्रकाश में आये हैं विगत तीन वर्षों में 24 स्कूलों के कुल 12885 कैडेट्स में से कुल 12 (बारह) घटनाओं की सूचना मिली है।

*[अनुवाद]*

**आसियान सुरक्षा पहल**

**3472. श्री के.जे.एस.पी. रेडडी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शांति और स्थिरता के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की नई सुरक्षा संबंधी पहल के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्य आसियान देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) भारत ने 03 अक्तूबर, 2003 को दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री एवं सहयोग की संधि की थी जिसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण सहयोग तथा शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के वैश्विक सिद्धांत सम्मिलित हैं। विगत वर्षों में, आसियान क्षेत्रीय फोरम, आसियान रक्षा मंत्री बैठक तथा पूर्व एशिया सम्मेलन क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरे हैं। भारत इन पहलों के अंतर्गत सहयोगात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है।

**जातियों को शामिल किया जाना**

**3473. श्री हमदुल्लाह सईद:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) श्रेणी में कुछ नई जातियों को शामिल करने का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस श्रेणी में कुछ और जातियों को शामिल करने के लिए कोई अध्ययन कराने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके मानदंड सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) जी, हां।

(ख) राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) अधिनियम, 1993 की धारा 9 की उप धारा (1) और (2) में आयोग के कार्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:-

"9(1) आयोग नागरिकों के किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने के अनुरोधों के जांच तथा ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अधिक-समावेशन अथवा अल्प-समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करने तथा केन्द्र सरकार को यदि यह उपयुक्त समझे तो, सलाह देने का कार्य करेगा।

9(2) आयोग की सलाह सामान्यतया केन्द्र सरकार के लिए बाध्यकारी होगी।"

तदनुसार, जब भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस प्रायोजनार्थ कोई सलाह दी है, समय-समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों को शामिल किया गया।

***विवरण***

*अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में की गई प्रविष्टियों की संख्या*

| | अधिसूचना की तारीख | 2009 | 30.7.10 | 18.8.10 | 16.6.11 | 8.12.11 | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | बिहार | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 64 | 0 | 3 | 67 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 8. | हरियाणा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 119 | 0 | 8 | 127 |
| 12. | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 39 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 23. | सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | उत्तरांचल | 0 | 0 | 0 | 3 | 74 | 77 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 33. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| | | 0 | 1 | 209 | 75 | 105 | 390 |

*[हिन्दी]*

### गुआ अयस्क-खदान में खनन-कार्य

**3474. श्री मधु कोड़ा** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुआ लौह-अयस्क खदान में खनन का कार्य जून, 2011 से बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त खदान में खनन-कार्य रुकने से सरकार को कुल कितना नुकसान हुआ है;

(घ) क्या गुआ लौह-अयस्क खदानों से लौह-अयस्क की आपूर्ति नहीं होने के कारण बर्नपुर स्टील फैक्ट्री में इस्पात-उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त खदान में खनन-कार्य यथाशीघ्र शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

**इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):** (क) से (च) जी, हां। वन संबंधी मंजूरी (एफसी) न होने के कारण दुर्गाईबुरु खनन पट्टों के अंतर्गत गुआ अयस्क खानों में दिनांक 15 जून, 2011 से खनन कार्य को रोक दिया गया था। तभी से दिनांक 14.8.12 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने चरण-1 की वन मंजूरी के साथ एक वर्ष के लिए कार्य करने की मंजूरी प्रदान कर दी। इनवायरमेंटल इम्पेक्ट एसेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण संबंधी मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वन संबंधी मंजूरी होने तक एमओईएफ ने पर्यावरण संबंधी औपचारिक मंजूरी प्रदान करना रोक दिया गया है।

सेल ने कच्चा माल प्रभाग (आरएमडी) की अन्य खानों से लौह अयस्क की आपूर्ति कराके इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर को गुआ से लौह अयस्क की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में सुधार किया गया था।

औपचारिक रूप से ईसी प्रदान करने संबंधी आदेश जारी करने के लिए 16 अगस्त, 2012 को एमओईएफ के इम्पेक्ट एसेसमेंट (आईए) डिविजन को स्टेज-1 की एफसी की एक प्रति पहले ही भेज दी गई है। इसे मिलने के बाद और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एयर एंड वाटर एक्ट के अंतर्गत मंजूरी प्रदान होने पर गुआ लौह अयस्क खान में खनन कार्य पुनः शुरू किया जाएगा।

### राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-8 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं.11

**3475. श्री रतन सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं-8 पर दिल्ली से भरतपुर सड़क खंड जर्जर हालात में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान भरतपुर सहित उक्त सड़क-खंडों की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा आबंटित और इसमें से उपयोग में लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भरतपुर क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) और (ख) जी नहीं। रारा-11 का जयपुर-भरतपुर खंड और रारा-8 का दिल्ली-गुड़गांव-कोठपुतली-जयपुर खंड यातायात योग्य स्थिति में है।

(ग) चूंकि यह खंड निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) पथकर विधि पर सौंपे जाते हैं इसलिए रियासत करार के अनुसार इनके अनुरक्षण और मरम्मत का दायित्व संबंधित रियायतग्राही का होता है और सरकार द्वारा इसके लिए कोई पृथक से निधि आवंटित नहीं की जाती।

(घ) रारा-11 का जयपुर-भरतपुर खंड पहले से ही 4 लेन का है और इस राष्ट्रीय राजमार्ग को भरतपुर क्षेत्र में और अधिक चौड़ा करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

**छत्तीसगढ़ में कटनी-जशपुर राष्ट्रीय राजमार्ग**

**3476. श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटनी से जशपुर के बीच का राष्ट्रीय राजमार्ग जर्जर हालत में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-78 का कटनी से जशपुर तक का खंड यातायात योग्य स्थिति में हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है और उक्त खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्गों को निधि की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकता के भीतर यातायात योग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए अनुरक्षण के प्रयास किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

**सैन्य अभियांत्रिकी सेवा में संवर्ग-समीक्षा**

**3477. श्री ए.टी. नाना पाटील:**
**श्री गोपाल सिंह शेखावत:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधीनस्थ अन्य समूह 'क' संवर्ग/सेवाओं की तुलना में सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एम.ई.एस.) में सिविलियन श्रेणी समूह 'क' अधिकारियों की सेवा कालीन भावी प्रगति बेहतर नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सिविलियन श्रेणी समूह 'क' के अधिकारियों की संवर्ग-समीक्षा के लिए विभिन्न तबकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संवर्ग-समीक्षा संबंधी कोई प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के तहत प्रक्रियाधीन है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) संवर्ग-समीक्षा संबंधी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) सामान्यत: आईडीएससी अफसरों के लिए सैन्य इंजीनियरी सेवा में सेवाकालीन भावी प्रगति रेलवे, दूरसंचार और सीपीडब्ल्यूडी जैसे विभागों की कुछ अन्य इंजीनियरी सेवाओं की तुलना में धीमी है।

(ख) और (ग) आई डी एस ई अफसरों और उनके संघों ने एम ई एस में समूह 'क' अफसरों के लिए संवर्ग पुनरीक्षा हेतु अभ्यावेदन किया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) तीसरी संवर्ग पुनरीक्षा के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

(च) प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*[अनुवाद]*

**समुद्री प्रशिक्षण संस्थान**

**3478. श्री देवेन्द्र नागपाल:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत-परिवहन महानिदेशक के आदेशानुसार समुद्र में जाने से पूर्व का समुद्री प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों को प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात अपने कम से कम 80 प्रतिशत अभ्यर्थियों को पोत पर रखना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदेशों का ब्यौरा क्या है और क्या पोत-परिवहन महानिदेशक के अन्य किसी अनुदेश में भी समुद्री संस्थानों के उपरोल्लिखित दायित्व के बारे में ऐसा कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो उन समुद्री संस्थानों के नाम तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिन्होंने विगत तीन वर्षों के दौरान पोत परिवहन

महानिदेशक के उक्त आदेश/परिपत्र का पालन नहीं किया और इन संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान, समुद्र में जाने से पूर्व प्रशिक्षण में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है और ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है जिन्हें अपेक्षित नौकरी नहीं मिली; और

(ङ) चूककर्ता संस्थानों में संस्वीकृत सीटों की संख्या कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) और (ख) जी, नहीं। नौवहन महानिदेशालय के दिनांक 1.3.07 वर्ष 2007 के परिपत्र संख्या 1 के अनुसार, प्रशिक्षण संस्थानों में समुद्र-समय प्रशिक्षण स्लॉट्स की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों का संचयी बैकलॉग उपलब्ध समुद्र-समय प्रशिक्षण स्लॉट्स के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से समुद्र-समय स्लॉट्स हासिल करने की अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक पाठयक्रम में अपने दाखिलों को विनियमित करने की प्रत्याशा की जाती है। वर्ष 2007 के ग्रीष्म सत्र से प्रारंभ करके, यदि स्वआकलन पर किसी संस्थान को यह प्रतीत होता है कि उनके पास किसी एक अथवा अधिक नौवहन कंपनियों अथवा उनके पंजीकृत एजेंटों से, पछिले वर्षों के बैकलॉग सहित, अपने दाखिलों के बराबर समुद्र-समय प्रशिक्षण बर्थ प्रशिक्षण बर्थ हासिल करने की न्यायोचित क्षमता नहीं है, तो उनका यह स्वयं का कर्तव्य है कि वे स्वेच्छा से अपने दाखिलों में समानुपातिक रूप से कमी कर लें। इसके अलावा, नौवहन महानिदेशालय के दिनांक 1.3.07 वर्ष 2007 के परिपत्र संख्या 1 में यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस समुद्र-समय प्रशिक्षण दायित्व को संस्थानों द्वारा प्रत्येक समुद्री पाठ्यक्रम की अनिवार्य शिक्षा के अंतरंग भाग के रूप में गंभीरता से लिया जाए और समुद्र समय की व्यवहारिक प्रशिक्षण और कक्षा में दी जाने वाली शिक्षा को और अधिक सुसंगत बनाने के लिए, समुद्र समय प्रशिक्षण को कक्षा शिक्षण के दो सत्रों के बीच में रखा जाए, ताकि पाठयक्रम को सफलता से पूरा करने के पश्चात् ही प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री दी जाएं।

(ग) से (ङ) वर्ष 2008 तक, उत्तीर्ण कैडेट/अधिकारी- प्रशिक्षु (समुद्री और इंजीनियरिंग दोनों) शिपबोर्ड प्रशिक्षण (पोत पर एक समुद्री अथवा इंजीनियरिंग ऑफिसर के रूप में अपना सक्षमता का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए अनिवार्य) के लिए बहुत आसानी से स्थानन पा जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के कर्मिकों की मांग नौवहन उद्योग से लगातार बढ़ रही थी। तथापि, उसके बाद वैश्विक मंदी के कारण, मांग में बढ़ोत्तरी धीमी हो गई है/उसमें कमी आ गई हैं। समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों पर, दुर्भाग्यवश इस मंदी का प्रभाव तुरंत नहीं पड़ा और वह नौवहन व्यापार में एक उछाल के प्रति बहुत आशावादी रहे, और कैडेटों की मांग को बढ़ोत्तरी की प्रत्याशा करते हुए अपने समुद्र पूर्व पाठयक्रमों में दाखिले के लिए अतिरिक्त सीटों की मांग करते रहे। इसके अलावा, सरकारी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को ओ बी सी उम्मीदवारों को अनिवार्यतः दाखिला देने के लिए अपने दाखिलों की संख्या को 54% तक बढ़ाना पड़ा। तथापि, शिप बोर्ड प्रशिक्षण के लिए कैडेटों के स्थानन में कमी को गंभीरता से लेते हुए नौवहन महानिदेशालय ने, एक सीमा निर्धारण उपाय के तौर पर, समुद्र पूर्व प्रशिक्षण संस्थानों के लिए नए अनुमोदनों/क्षमता (सीटों) को बढ़ाने के प्रस्तावों पर 18.6.12 से प्रतिबंध लगा दिया है, जोकि 2 वर्षों तक वैध है। इसके अलावा समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों से अन्य सुधारात्मक उपाय करने के लिए अपनी अद्यतन स्थानन स्थिति देने को कहा गया है।

पिछले तीन वर्षों के लिए उत्तीर्ण होने वाले समुद्र पूर्व उम्मीदवारों (ऑफिसर प्रशिक्षु) की संख्या के आंकड़े निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | कैलेंडर वर्ष | डैक कैडेट | प्रशिक्षु समुद्री इंजीनियर |
|---|---|---|---|
| 1. | 2009 | 2051 | 1898 |
| 2. | 2010 | 3006 | 2195 |
| 3. | 2011 | 3503 | 2709 |

नौवहन महानिदेशालय और भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑन-बोर्ड प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने से संबंधित मामलों के समाधान के लिए और कैडेटों के स्थानन के लिए भी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों, भारतीय नौवहन निगम, नौवहन कंपनियों और गैर सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संस्थानों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।

## कच्छ-वनस्पति वनों की रक्षा

**3479. श्रीमती प्रिया दत्तः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार से महाराष्ट्र सहित देश के पश्चिमी समुद्री तट स्थित प्राकृतिक कच्छ वनस्पति की रक्षा करने के बारे में कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में कच्छ वनस्पति वनों के अतिक्रमण और विनाश का पता लगाने के लिए कोई दल भेजा है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भू-संरक्षण हेतु और भूमि हथियानें वालों को उससे बेदखल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) कच्छ-वनस्पति के संरक्षण और प्रबंधन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत, उन तटवर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता दी जाती है जो अपनी अनुमोदित प्रबंधन कार्य-योजनाओं जिनमें सर्वेक्षण और सीमांकन, वनीकरण और कच्छ-वनस्पतियों का पुनरुद्धार, वैकल्पिक और अनुपूरक आजीविका, सुरक्षा उपाय और शिक्षा एवं जागरूकता आदि जैसे घटक शामिल हैं, के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध करते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार से कच्छ-वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कोई प्रबंधन कार्य-योजना प्राप्त नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान तटवर्ती राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी धनराशि के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | - | 10.00 | 10.00 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | - | - | - |
| 3. | गोवा | - | - | - |
| 4. | गुजरात | 241.794 | 295.04 | 176.517<br>9.11* |
| 5. | कर्नाटक | 10.90 | 15.00* | 43.80 |
| 6. | केरल | 37.305 | 37.305* | - |
| 7. | ओडिशा | 83.406 | 30.25 | 54.80 7.50* |
| 8. | तमिलनाडु | 168.10289 | 157.190 | 181.2835.375* |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 120.79711 | 147.90 | 237.60 |
| 10 | लक्षद्वीप | 10.00 | - | - |

*आगे ले जाया गया

(ग) और (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण वर्ष 1987 से दूर संवेदी पद्धति का प्रयोग करते हुए देश के कच्छ-वनस्पति आवरण का आकलन कर रहा हैं। वर्ष 2001 से आगे का आकलन 1:50,000 के पैमाने पर किया गया। देश का वर्तमान कच्छ-वनस्पति आवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

(क्षेत्र वर्ग कि.मी. में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | आकलन वर्ष | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2009 | 2011 | वर्ष 2009 के संदर्भ में परिवर्तन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 495 | 405 | 399 | 378 | 383 | 383 | 397 | 333 | 329 | 354 | 353 | 352 | -1 |
| 2. | गोवा | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 17 | 22 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | गुजरात | 427 | 412 | 397 | 419 | 689 | 901 | 1031 | 911 | 916 | 991 | 1,046 | 1058 | 12 |
| 4. | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 5. | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 6. | महाराष्ट्र | 140 | 114 | 113 | 155 | 155 | 124 | 108 | 118 | 158 | 186 | !86 | 186 | 0 |
| 7. | ओडिशा | 199 | 192 | 195 | 195 | 195 | 211 | 215 | 219 | 203 | 217 | 221 | 222 | 1 |
| 8. | तमिलनाडु | 23 | 47 | 47 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 35 | 36 | 39 | 39 | 0 |
| 9. | पश्चिम बंगाल | 2,076 | 2,109 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,123 | 2,125 | 2,081 | 2,120 | 2,136 | 2,152 | 2155 | 3 |
| 10. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 686 | 973 | 971 | 966 | 966 | 966 | 966 | 789 | 658 | 635 | 615 | 617 | 2 |
| 11. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.56 | 0.86 |
| 12. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | र | 1 | 1 | 0 |
| | योग | 4,046 | 4,255 | 4,244 | 4,256 | 4,533 | 4,737 | 4,871 | 4,482 | 4,448 | 4,581 | 4,639 | 4662.56 | 23.56 |

वर्तमान आकलन यह दर्शाता है कि देश में कच्छ-वनस्पति आवरण 4,662,56 वर्ग कि.मी. हैं। वर्ष 2009 के आकलन की तुलना में, देश के कच्छ-वनस्पति आवरण में 23.56 वर्ग कि.मी. की निवल बढ़ोतरी हुई है। इसका श्रेय विशेषत: गुजरात राज्य में बढ़ते पौधरोपण और प्राकृतिक कच्छ-वनस्पति क्षेत्रों के पुनरुद्धार को दिया जा सकता है। यह नोट किया गया कि भारत के पश्चिमी तट में कच्छ-वनस्पति वन क्षेत्र में निवल बढ़ोतरी हुई है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि राज्य में कच्छ-वनस्पति क्षेत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में एक पृथक कच्छ-वनस्पति प्रकोष्ठ सृजित किया गया है। इस प्रकोष्ठ का मुख्यालय मुंबई में है जिसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र का तट है। कच्छ-वनस्पति दी महाराष्ट्र फेलिंग ऑफ ट्री (रेग्युलेशन) एक्ट, 1964 के अंतर्गत भी संरक्षित हैं और उक्त अधिनियम की अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कच्छ-वनस्पति महाराष्ट्र सहित देश के समूचे तटवर्ती क्षेत्रों में सीआरजेड अधिसूचना, 2011 और द्वीप समूह संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना, 2011 के उपबंधों के अंतर्गत संरक्षित है।

(ङ) संबंधित तटवर्ती राज्य सरकारें, कच्छ-वनस्पति वनों के अतिक्रमणों और विनाश को रोकने के लिए आवश्यक एहतियात बरत रही है। वे अनधिकृत भूमि अतिक्रमण करने वालों को कच्छ-वनस्पति वन क्षेत्रों से बेदखल करने की कार्रवाईयो में वन, राजस्व और पुलिस विभागों को शामिल कर रही हैं।

*[हिन्दी]*

## पत्थर तोड़ने वाली मशीनों का प्रचालन

**3480. श्री यशवंत लागुरी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्योंझर जिले के आरक्षित वन-क्षेत्र में पत्थर तोड़ने वाली मशीनों के प्रचालन की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी क्षेत्र सीमा के लिए यह अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आरक्षित वन-क्षेत्र में प्रचालित की जा रही पत्थर तोड़ने वाली मशीनों के मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी नहीं।

(ख) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए भाग (ख) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंझर जिले के आरक्षित वन-क्षेत्र में कोई पत्थर तोड़ने वाली कोई मशीन नहीं लगाई गई है। तथापि क्योंझर वन प्रभाग के विभागीय वन अधिकारी ने एक अपराधिक मामले का पता लगाया है और मैसर्स उत्कल मैन्युफैक्चरिंग एण्ड सर्विसेस लिमिटेड के उप परियोजना प्रबंधक श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी के विरुद्ध कोडगाडिमा ग्राम वन क्षेत्र के भीतर 4.92 एकड़ (1.99हे.) क्षेत्र में अवैध रूप से पत्थर तोड़ने वाली एक मशीन लगाने के लिए वर्ष 2011-12 की संख्या 240 सीएच के तहत एक अपराध रिपोर्ट मामला दर्ज किया गया है।

(घ) इस पत्थर तोड़ने वाली इकाई को विखंडित कर दिया गया है और वन क्षेत्र से हटा दिया गया है।

*[अनुवाद]*

## पोत परिवहन व्यवसाय

**3481. श्री सी. शिवासामी:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010 और 2011 के दौरान पोत-परिवहन व्यवसाय में पोत-आपूर्ति मांग की तुलना में तीन से चार प्रतिशत अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी. के. वासना):** (क) और (ख) यद्यपि, वर्ष 2010 और 2011 के बीच नौवहन हेतु व्यापार में वृद्धि हुई, फिर भी, वैश्विक नौवहन टनभार में उच्चतर दर पर वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पोत द्वारा मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक होने से क्षमता में वृद्धि हो गई।

पोत परिवहन के दो प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् बल्क और टैंकर सेगमेंट के लिए वैश्विक आपूर्ति-मांग अंतर के बारे में ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मिलियन डी डब्ल्यू टी में)

| | 2010 | | | 2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आपूर्ति | मांग | %अंतर | आपूर्ति | मांग | %अंतर |
| शुष्क बल्क सेगमेंट | 525.0 | 385.2 | 26.63% | 604.8 | 405.6 | 32.94% |
| टैंकर सेगमेंट | 377.3 | 295.2 | 21.76% | 398.7 | 315.2 | 20.94% |

(स्त्रोत: डेवरी मेरीटाईम रिसर्च-ड्राई बल्क फोरकास्टर 2 क्यू 2012)

(ग) पोत परिवहन क्षेत्र में मांग और आपूर्ति बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। इस तथ्य को देखते हुए कि पोत परिवहन कारोबार में पिछले कुछ समय से चक्रीय रुझानन प्रदिर्शित हुआ है, आशा की जाती है कि बाजार में स्वाभाविक रूप से स्वयं सुधार हो जाएगा।

## 'वृक्षारोपण'

**3482. श्री हरिचंद्र चव्हाण:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिंपल गांव-गौंडे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 को छह-लेन वाला बनाने के कार्य के दौरान कई वृक्षों को हटाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हटाए गए वृक्षों से उत्पन्न क्षति की पूर्ति के लिए नए वृक्ष लगाए गए है;

(घ) यदि हां, तो इन वृक्षों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग-3 के पिंपल गांव-गौंडे सेक्शन के छह लेन निर्माण कार्य के दौरान कुल 5,760 वृक्ष काटे गए थे।

(ग) और (घ) पिंपल गांव-गौंडे राष्ट्रीय राजमार्ग के छह लेन निर्माण कार्य के दौरान काटे गए वृक्षों की क्षतिपूर्ति के लिए 28,348 वृक्ष लगाए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए भाग (ङ) का उत्तर आवश्यकता नहीं है।

## निर्यात हेतु रियायतें

**3483. श्री रुद्रमाधव राय:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई औद्योगिक निर्यात-कंपनियों ने पड़ोसी देशों में अपनी विनिर्माण-इकाइयों खोल रखी हैं और वे भारत से माल निर्यात करते हुए ऐसे निर्यात पर सब्सिडी का दावा कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्धारित मानदंड क्या है;

(ग) क्या इन निर्यात करने वाली ऐसी किसी कंपनी के द्वारा अनियमितताओं की घटनाएं सामने आयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अनियमितताएं करने की दोषी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) घरेलू कम्पनियों द्वारा विदेश में विनिवेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके लिए अनुमत कम्पनियों के नाम भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किए गए हैं। इसमें कुछ निर्यात सदनों के नाम भी शामिल हैं। सरकार आयात अथवा निर्यात के लिए कोई सहायता नहीं देती है। निर्यात को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए निर्यातों के विनिर्माण के दौरान अदा किए गए कर को माफ करने अथवा इससे छूट देने की मांग की गई है। सरकार में राजस्व विभाग तथा वाणिज्य विभाग दोनों में ऐसे शुल्क माफी/छूट के लिए स्कीमें हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे उत्पाद एवं सीमा शुल्क केन्द्रीय बोर्ड की वेब साइट www.cbec.gov.in में ड्राबैक अनुसूची में तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट www.dgft.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) किसी अन्य स्कीम की तरह, निर्यात संवर्धन उपायों के दुरुपयोग की संभावना से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता। संभावित दुरुपयोग नकली दस्तावेज प्रस्तुत करने, गलत जानकारी देने, वस्तुओं को घरेलू बाजार की तरफ मोड़ने, आयात और निर्यात के कम/अधिक मूल्य आंकने के रूप में हो सकता है। निर्यात दायित्व की निगरानी के दौरान, अनियमितताओं के संबंध में राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमाशुल्क तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त सूचना के आधार पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत ऐसी फर्मों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। की गई कार्रवाई में सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के अलावा इकाई के आईईसी संख्या के निलम्बन/निरस्तीरकण, दण्डात्मक ब्याज सहित राजकोषीय जुर्माना लगाना शामिल है।

## औद्योगिक परियोजनाएं

**3484. श्री एस. पक्कीरप्पा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की उन पर्यावरणिक मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ सहमति बनी है जिन्होंने औद्योगिक परियोजनाओं को रोक रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी कितनी परियोजनाओं की चिन्हित किया गया है;

(ग) शीघ्र अनुमोदन हेतु औद्योगिक परियोजनाओं के निर्धारण के संबंध में क्या मानदंड रखा गया है; और

(घ) सेसी औद्योगिक परियोजनाओं में होने, वाली देरी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

## भारत-चीन संयुक्त अभ्यास

**3485. श्री के.पी. धनपालन:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का चीन के साथ संयुक्त सैन्य-अभ्यास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अभ्यास से दोनों पक्षों को होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) संयुक्त सैन्य-अभ्यास अन्य बातों के साथ-साथ आपसी विश्वास तथा सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए उपाय के रूप में विभिन्न देशों के साथ किए जाते हैं। चीन के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास 2007 तथा 2008 में किए गए थे। ऐसे अभ्यास दोनों पक्षों द्वारा आवश्यकता महसूस किए जाने तथा आपसी सहूलियत से किए जाते हैं।

**जी.आर.ई.एफ. और बी.आर.ओ. के ठेका श्रमिक**

**3486. श्री महेन्द्र कुमार राय:**
**शेख सैदुल हक:**
**डॉ. रामचन्द्र डोम:**

क्या **रचा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स (जी.आर.ई.एफ.) और सीमा सड़क संगठन (बी.आर.ओ.) द्वारा काम पर लगाए गए ठेका श्रमिकों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन ठेका श्रमिकों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी और लाभों का ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जी आर ई एफ) सीमा सड़क संगठन द्वारा कोई संविदागत कामगार नहीं रखा जाता है। तथापि, समय-समय पर रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जी आर ई एफ)/सीमा सड़क संगठन में अनियत श्रमिकों (सी पी एल) को नियुक्त किया जाता है। इस समय रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जी आर ई एफ)/सीमा सड़क संगठन में अनियत श्रमिकों की संख्या 87549 है। राज्य-वार तथा प्रयोजनावार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(ख) अनियत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान केन्द्रीय श्रम कानूनों/अधिसूचनाओं अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए अनुसार, इनमें से जो भी ज्यादा हो, किया जाता है।

मासिक मजदूरी के अलावा अनियत श्रमिकों को कुछ छूटें और सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाती हैं जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे में वर्णित हैं।

***विवरण***

*अनियत श्रमिकों का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले राज्य/क्षेत्र का नाम | परियोजना का नाम | अनियत श्रमिकों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | जम्मू और कश्मीर | हिमांक, बीकन, विजयक और संपर्क | 21402 |
| 2. | राजस्थान/पंजाब | चेतक | 3420 |
| 3. | हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड | दीपक, शिवालिक, हिरक और रोहतांग सुरंग | 12159 |
| 4. | सिक्किम/अंडमान और निकोबार | स्वास्तिक | 5220 |
| 5. | असम/अरुणाचल प्रदेश | अरुणांक, उदयक, वर्तक, ईस्टर्न बेस वर्कशाप और ब्रह्मांक | 23346 |
| 6. | नागालैंड/मणिपुर | सेवक | 10625 |
| 7. | मेघालय/त्रिपुरा | सेतुक | 1946 |
| 8. | मिजोरम | पुष्पक | 5563 |
| 9. | भूटान | दंतक | 3868 |
| | योग | | 87,549 |

*विवरण II*

रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जी आर ई एफ)/सीमा सड़क संगठन में अनियत श्रमिकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाएं तथा छूट

- **आवास:** जलवायु परिस्थितियों के अनुसार, श्रमिकों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाता है।
- **राशन:** सड़क पर काम कर रहे श्रमिकों को भुगतान पर राशन की आवश्यक चीजें दी जाती हैं।
- **कपड़े:** जलवायु परिस्थितियों के अनुसार श्रमिकों को अंशत: पुराने किंतु उपयोग योग्य कंबल, वाटनप्रूफ कैप, जर्सी, कम्फोर्टर कैप दी जाती है।
- **प्रतिपूर्ति:** संगठन में काम कर रहे अनियत श्रमिकों को डब्ल्यू सी ए - 1923 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के भुगतान के उद्देश्य हेतु डब्ल्यू सी ए - 1923 के उपबंधों द्वारा शासित किया जाता है।
- **तत्काल सहायता:** श्रमिकों की मृत्यु होने के मामले में अनियत श्रमिकों के निकटतम संबंधी को बी आर एस आर एफ (सीमा सड़क विशेष सहायता निधि) से 1150 रुपये की तत्काल सहायता के साथ-साथ डब्ल्यू सी ए - 1923 के अंतर्गत स्वीकार्य प्रतिपूर्ति दी जाती है तथा उन श्रमिकों को जो डब्ल्यू सी ए - 1923 के अंतर्गत प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं है, 1700 रुपये का भुगतान किया जाता है।
- **अनुग्रह एकमुश्त प्रतिपूर्ति:** कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना में लगी चोट अथवा मृत्यु के मामले में निम्नलिखित दरों पर अनियत श्रमिकों को अनुग्रह एकमुश्त प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है:

(क) **मृत्यु के मामले में:** समाज विरोधी घटकों, उपद्रवियों, नक्सलवादियों, आतंकवादियों इत्यादि द्वारा की गई हिंसा के कारण अथवा कर्तव्यों का निवर्हन करते समय हुई दुर्घटना के कारण हुई मौत के मामले में, मस्टर रोल में उसकी सम्बद्धता के दौरान डयूटी करते समय हुई मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये।

(ख) स्थायी रूप से पूर्ण निशक्ता (100% निशक्ता) के मामले में: 1.50 लाख रुपये।

(ग) **आंशिक निशक्ता के मामले में:** 1.00 लाख रुपये × कमाने की क्षमता की हानि की प्रशितता।

- **जी आर ई एफ चिकित्सा इकाई में चिकित्सा उपचार:** जहां सिविल अस्पतालों में इनडोर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे सभी क्षेत्रों में एक समय पर 3 सप्ताह की अवधि तक इनडोर उपचार।
- **स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए श्रमिकों के अलावा अनियत श्रमिकों के लिए आउट ऑफ पॉकिट भत्ते:** अधिकतम 2 1/2 दिनों के लिए 10 रुपये प्रतिदिन की दर पर अर्थात आवाजाही के दौरान जेब खर्चे के रूप में 25 रुपये का भुगतान किया जाता है।
- **अंतिम संस्कार व्यय:** सेवाकाल के दौरान श्रमिक की मृत्यु होने के मामले में अधिकतम 1000 रुपये तक के व्यय का भुगतान दिवंगत श्रमिक के अंतिम संस्कार के दौरान किया जाता है।
- **बोनस:** अनियत श्रमिक एक माह के वेतन के बराबर तदर्थ बोनस के हकदार है। यह उन अनियत श्रमिक पर लागू होता है जिन्होंने प्रचलित नियमों के अनुसार टैक्नीकल ब्रेक सहित 3 वर्षो की सेवा की है।
- **नि:शुल्क यात्रा:** स्थानीय रूप से भर्ती श्रमिकों के अलावा अनियत श्रमिक को भर्ती स्थल से कार्य स्थल तक सड़क द्वारा नि:शुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाती हैं।
- **श्रमिक कल्याण निधि:** सहायता के उद्देश्य के लिए, आपदा/आपातकालीन आवश्यकता में तथा अन्य जरूरतों में अनियत श्रमिक को सहायता देने के लिए संगठन ने अनियत श्रमिकों से स्वैच्छिक योगदान द्वारा अनियत श्रमिक कल्याण निधि का निर्माण किया है।
- **सुविधाएं:** अनियत श्रमिकों के बच्चों के लिए नर्सरी/प्राथमिक स्कूल, साफ पीने के पानी की सप्लाई, सब्जियों की दुकाने, अनियत श्रमिक परिवारों की चिकित्सा उपचार तथा कतिपय स्थानों पर अनियत श्रमिक को मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

**'वन्यजीव अभयारण्य को बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना'**

**3487. श्री एस.एस. रामासुब्बू:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु स्थित मधुमलई वन्यजीव अभयारण्य को बाघ संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मधुमलई में बाघों की संख्या के बारे में कोई गणना करायी गयी है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मधुमलई में हाथियों की भी सर्वाधिक संख्या है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औ मधुमलई अभयारण्य में बाघ और हाथी सहित वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) जी हां। तमिलनाडु राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में मधुमलई बाघ रिजर्व अधिसूचित किया है।

(ग) और (घ) हाल के अखिल भारत बाघ आकलन (2010) के अनुसार नागराहोल-मधुमलई-वायनाड लैंडस्केप में बाघों की संख्या 382 है, जिसमें निम्नतर सीमा 354 और उच्चतर सीमा 411 है।

(ङ) और (च) हाथी कार्य बल (2010) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में मधुमलई बाघ रिजर्व सहित, अन्यों के साथ-साथ ब्रहागिरि-नीलगिरि-पूर्वी घाट लैंडस्केप में हाथियों की सर्वाधिक संख्या हैं। बाघों और हाथियों सहित वन्यजीवों के संरक्षण हेतु की गई पहलें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

***विवरण***

*बाघों और हाथियों सहित वन्यजीवों के सरंक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें*

**वैधानिक कदम**

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए प्रावधान किए गए।

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र अथवा इसके कोर क्षेत्र में अपराध के मामलों में दण्ड को बढ़ाना।

**प्रशासनिक कदम**

3. बाघ रिज़र्व राज्यों को उनके द्वारा यथा-प्रस्तावित वित्तीय सहायता के द्वारा वर्षा ऋतु में गश्त के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों की सुदृढ़ीकरण सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।

4. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ बाघ रिज़र्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिज़र्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षरता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना है।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6.6.2007 से बहुविध बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा पांच नए बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल है; पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा) और मुकन्द्रा हिल्स (दर्राह, जवाहर सागर और चंबल वन्यजीव अभयारण्य सहित) (राजस्थान) और सत्यमंगलम (तमिलनाडु) कुदरेमुख (कर्नाटक) को बाघ रिजर्व के रूप में घोषित करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्वों के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्तावों को भेजने की सलाह दी गई है: (i) बोर (महाराष्ट्र), (ii) सुहेलंवा (उत्तर प्रदेश), (iii) नागजीरा-नवेगांव (महाराष्ट्र), (iv) गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान (छत्तीसगढ़), (v) महादेई अभयारण्य (गोवा) और (vi) श्रीविलीपुथुर ग्रिज्लड जाईन्ट स्क्विरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य/ वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु)।

7. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें

अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना/पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार तक) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों का पुनर्वास/पुनर्स्थापना, पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए आश्रय-नीति द्वारा वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र और प्रोत्साहन क्षेत्र को आजीविका हेतु मुख्य धारा में लाने के लिए उसका संरक्षण करना शामिल है।

8. बाघों के (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने सहित) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशाचिन्ह है।

9. 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, की धारा 38V के अंतर्गत 17 बाघ राज्यों द्वारा 35123.9547 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कोर क्षेत्र अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावास के रूप में अधिसूचित किया गया है।

**वित्तीय कदम**

10. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना और वन्य जीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

**अंतरराष्ट्रीय सहयोग**

11. भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण पर प्रोटोकॉल के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पर अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक द्विपक्षीय समझौता विद्यमान है।

12. सुंदरबन के रोयल बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु सितम्बर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

13. रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ/तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-समूह का गठन किया गया है।

14. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ बहुल देशों का एक वैश्विक बाघ मंच सृजित किया गया है।

15. साइट्स (सीआईटीईएस) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, के दौरान भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसमें केवल जंगली बाघों के सरंक्षण के लिए समर्थन स्तर तक ऐसी बंधक संख्या को प्रतिबंधित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की प्रजनन प्रक्रिया सहित पक्षकारों को दिशा-निर्देश दिए है। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने पर बल दिया गया।

16. दिनांक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 2009 तक जेनेवा में आयोजित साइट्स (सीआईटीईएस) की स्थायी समिति की 58वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर साइट्स सचिवालय ने सभी पक्षकारों को अधिसूचना जारी की है कि वे 20.10.2009 से 90 दिनों के भीतर 14.69 और 14.65 निर्णयों के अनुपालन (बाघों आदि के केप्टिव ब्रीडिंग आप्रेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति) के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

**बाघों को छोड़ा जाना**

17. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं, के पुनर्निर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में नए बाघों/बाघिनों को छोड़ने का कार्य किया गया है।

18. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों में सक्रिय प्रबंधन द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या की स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष निर्देशिका जारी की गई है।

**विशेष बाघ सुरक्षा बल (एसटीपीएफ) का सृजन**

19. वित्त मंत्री द्वारा 29.2.2008 के अपने बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के

साथ-साथ, बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन करने, उसे हथियारों से लैस करने और उसकी तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था, उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एसटीपीएफ के सृजन के लिए कार्बेट, रणथम्भोर और दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख रु. जारी किए गए हैं। तब से वन गुर्जरों जैसे स्थानीय लोगों को शामिल करने की संभावना सहित, विकल्प-II के रूप में पुलिस के स्थान पर वन कार्मिकों को तैनात करने के लिए एसटीपीएफ के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान, एसटीपीएफ का गठन करने, उसे हथियारों से लैस करने और उसकी तैनाती के लिए सिमलीपाल बाघ रिजर्व को 270 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों ने पहले ही एसटीपीएफ की तैनाती कर दी है।

20. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से आनलाइन टाइगर क्राइम डाटाबेस शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

**हाल ही में की गई पहलें**

1. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निधि प्रवाहों से सहबद्ध बाघ बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन।

2. बाघ रिजर्वों का त्वरित मूल्यांकन किया गया।

3. वामपंथ उग्रवाद प्रभावित बाघ रिजर्वों में तथा बाघ और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में विशेष छापा दल भेजे गए थे।

4. वाम पंथ उग्रवाद प्रभावित तथा बाघ और उनके शिकार जानवरों की संख्या वाले बाघ रिर्ज्वों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को विशेष उपाय करने के लिए संबोधित किया गया।

5. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'M-STrIPES' शुरू करने के साथ-साथ, अवसंरचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं।

6. वर्तमान में किए जा रहे अखिल भारतीय बाघ अनुमान में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

7. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के द्वारा फील्ड डिलीवरी में सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

8. बाघ रिजर्वों में निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कार्रवाई प्रारंभ की गई।

9. देश व्यापी बाघ स्थिति आकलन का दूसरा चरण 2010 में पूरा किया गया जिसके निष्कर्षों से पता चलता है कि बाघों की अनुमानित संख्या बढ़कर 1706 हुई है जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 1520 और 1909 है जबकि 2006 के पिछले देश व्यापी अनुमान 1411 का था जिसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 1165 और 1657 थी।

10. वर्ष 2010-11 में 39 बाघ रिजर्वो हेतु किए गए बाघ रिजर्वो के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का स्वतंत्र आकलन का दूसरा दौर वैश्विक रूप से उपयोग में लाया गया फ्रेमवर्क था।

11. बाघ परियोजना के आवंटन में अतिरिक्त घटकों से अभिवृद्धि की गई।

12. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ भिड़ंतों के उपशमन हेतु विशेष सहायता प्रदान करना।

13. नई दिल्ली में हुई सीमा-पार परामर्शी दल की चौथी बैठक के परिणामस्वरूप जैव विविधता/बाघ संरक्षण हेतु नेपाल के साथ एक संयुक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए है।

14. नागपुर, बैंगलुरु और गुवाहाटी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मंजूरी प्रदान की गई।

15. बाघ-आरक्षित क्षेत्र स्तर निगरानी के चरण-IV की शुरुआत।

**'आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम'**

**3488. श्री पी. कुमार:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के काफी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यू-डब्ल्यू.एफ) भारत शाखा से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

### रक्षा कंपनियों को काली-सूची में डाला जाना

**3489. श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा-सौदों में कतिपय अनियमितताओं यथा घूस अथवा कमीशन का भुगतान के कारण विश्व की कुछ शीर्ष हथियार-निर्माता कंपनियों को भारत द्वारा काली-सूची में डाला गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन-किन कंपनियों को काली सूची में डाला गया है;

(ग) क्या काली-सूची में डाले जाने के उक्त कदम के परिणामस्वरूप रक्षा उपकरणों और अतयाधुनिक शस्त्र प्रणालियों की खरीद काफी कठिन और समय खपाने वाली प्रक्रिया बन गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) मार्च, 2012 में, रक्षा मंत्रालय ने अगले दस वर्षो के लिए निम्नलिखित छह फर्मो के साथ आगे और व्यापारिक कार्रवाईयां करने पर रोक लगा दी है:-

(i) मैसर्स ईजराइल मिलिटरी इंस्ट्रीज लिमिटेड, (आई एम आई)।

(ii) मैसर्स सिंगापुर टेक्रोलॉजीज काईनोटिक्स लिमिटेड (एस टी के)।

(iii) मैसर्स टी.एस. किसान एंड प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

(iv) मैसर्स आर.के. मशीन टूल्स, लुधियाना।

(v) रेनमेटल एयर डिफेंस (आर ए डी), ज्यूरिक।

(vi) मैसर्स कारपोरेशन डिफेंस, रूस (सी डी आर)।

(ग) और (घ) किसी फर्म को काली सूची में डालने का अधिप्राप्ति प्रक्रिया पर पड़ने वाला प्रभाव विभिन्न तत्वों पर निर्भर करता है कि क्या वह फर्म एकल आपूर्तिकर्ता है या कि बाजार में उत्पाद विशेष के लिए अन्य दूसरे विक्रेता भी हैं।

इन तत्वों के बावजूद अधिप्राप्ति की प्रक्रिया वैकल्पिक तौर पर स्वदेशी तथा विदेशी स्त्रोतों के माध्यम से जारी रही।

### राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-16 को चौड़ा करना

**3490. श्री अब्दुल रहमान:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं-16 पर सड़क को चौड़ा करके छह-लेन वाला बनाने की निर्माण प्रचालन हस्तांतरण (बीओटी) परियोजना को सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़क सुरक्षा फोरम संगठन ने यह मांग की है कि इस राजमार्ग पर कोई पथकर न लगाया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एन.एच.ए.आई. ने आम आदमी पर से नई परियोजनाओं के व्यय का बोझ कम करने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) और (ख) जी हां। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में रारा 16 (पुरानी रारा सं 5) को छ: लेन का बनाये जाने के लिए शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

***विवरण***

*एन एच-16 को छह लेन का बनाने संबंधी कार्य का ब्यौरा*

| क्र. सं. | खंड | पुरानी रारा सं. | नई रारा सं. | सौंपने की तारीख | लंबाई (किमी) | योग परियोजना लागत (करोड़ रुपए) | वित्त पोषण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चिलकालूरीपेट-विजयवाडा खंड को छ: लेन का बनाया जाना | 5 | 16 | 21.02.2008 | 82.5 | 675.38 | बीओटी (पथकर) |
| 2. | चिलकालूरीपेट-नेल्लोर खंड को छ: लेन का बनाया जाना | 5 | 16 | 19.05.2010 | 184 | 1465.00 | बीओटी (पथकर) |
| 3. | बाईपास के 47.88 किमी लंबाई सहित गुंडूगोलानु-विजयवाडा खंड को छ: लेन का बनाया जाना | 5 | 16 | 02.02.2012 | 103.50 | 1806 | बीओटी (पथकर) |
| 4. | राजामुंदरी-गुंडूगोलानु खंड को छ: लेन का बनाया जाना | 5 | 16 | 31.03.2012 | 120.741 | 1617 | बीओटी (पथकर) |
| 5. | आनंदपुरम-विशाखापटनम-अंकापल्ली खंड को छ: लेन का बनाया जाना | 5 | 16 | 31.03.2012 | 58.222 | 839 | बीओटी (पथकर) |
| 6. | चैन्ने-टाडा खंड को छ: लेन का बनाया जाना | 5 | 16 | 03.04.2009 | 43.40 | 418.75 | बीओटी (पथकर) |

## रक्षा-भूमि पर अतिक्रमण

**3491. श्री कुलदीप बिश्नोई:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में लगभग 12,000 एकड़ रक्षा-भूमि पर अतिक्रमण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में रक्षा-प्रतिष्ठानों के स्वामित्वाधीन कुल भूमि और अतिक्रमित रक्षा-भूमि का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) समस्त रक्षा-भूमि अभिलेखों के समेकन और कम्प्यूटरीकरण के लिए तथा रक्षा-भूमि के लेन-देन से प्राप्त धनराशि को भारत की संचित निधि में जमा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) जी, हां। लगभग 12364.7 एकड़ रक्षा भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। रक्षा भूमि तथा रक्षा भूमि पर हुए अतिक्रमण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सैन्य भूमि रजिस्टरों (एमएलआर) और सामान्य भूमि रजिस्टरों, जिनमें रक्षा भूमियों का रिकार्ड रखा जाता है, को पहले ही कंप्यूटरीकृत किया जा चुका हैं। रक्षा भूमि के लेन-देन के मामले बहुत ही कम है और जब कभी भी यह होता है तो इससे अर्जित राशि को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है।

***विवरण***

*रक्षा भूमि एवं रक्षा भूमि के अतिक्रमण का राज्यवार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य | रक्षा भूमि के तहत क्षेत्र (एकड़ में) | अतिक्रमण के तहत क्षेत्र (एकड़ में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 8166 | 0.0414 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 39735 | 213.067 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 4787 | 36.3 |
| 4. | असम | 25493 | 616.569 |
| 5. | बिहार | 11925 | 448.88 |
| 6. | चंडीगढ़ | 176 | - |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 1582 | 165.76 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली | 0 | - |
| 9. | दिल्ली | 11629 | 113.5997 |
| 10. | दमन और दीव | 196 | - |
| 11. | गोवा | 3026 | 4.05 |
| 12. | गुजरात | 24807 | 303.6407 |
| 13. | हरियाणा | 37211 | 959.0387 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 8097 | 143.9041 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 22339 | 729.349 |
| 16. | झारखंड | 7714 | 77.7 |
| 17. | कर्नाटक | 33125 | 28.5819 |
| 18. | केरल | 5279 | 0.0665 |
| 19. | लक्षद्वीप | 40 | - |
| 20. | मध्य प्रदेश | 231074 | 1491.796024 |
| 21. | महाराष्ट्र | 138802 | 2487.9482 |
| 22. | मणिपुर | 1294 | - |
| 23. | मेघालय | 4029 | 15.4337 |
| 24. | मिजोरम | 0 | - |
| 25. | नागालैंड | 551 | - |
| 26. | ओडिशा | 18016 | 45.5646 |
| 27. | पुदुचेरी | 20 | - |
| 28. | पंजाब | 78329 | 495.2892 |
| 29. | राजस्थान | 821187 | 367.7256 |
| 30. | सिक्किम | 3078 | - |
| 31. | तमिलनाडु | 21233 | 71.1776 |
| 32. | त्रिपुरा | 2680 | - |
| 33. | उत्तर प्रदेश | 123310 | 3079.9108 |
| 34. | उत्तराखंड | 27168 | 23.574 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 40956 | 444.8423 |
| | कुल | 1757056 | 12363.78176 या 12364 |

*[हिन्दी]*

### राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 121

**3492. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काशीपुर से पावो बाजार तक राष्ट्रीय राजमार्ग 121 को चालू वर्ष के दौरान इसके विकास और इसे चार लेन वाला बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और उक्त राजमार्ग को किस वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था;

(ग) क्या इस राजमार्ग के निर्माण/विकास में विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

### 'बंजर भूमि का संरक्षण'

**3493. श्री श्रीपाद येसो नाईक:**
**श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:**
**श्री पन्ना लाल पुनिया:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न कंपनियों को आबंटित भूमि खनन के पश्चात बंजर भूमि हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार की भूमि के संरक्षण के लिए कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) खनिजों के दोहन का भूमि की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ता है तथापि, भूमि की गुणवत्ता पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले अनुमोदन में भूमि की गुणवत्ता पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव सहित इसके प्रभाव का उपशमन करने के लिए समुचित सुरक्षोपाय निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत ईआईए अधिसूचना 2006 की अनुसूची में शामिल खनन परियोजनाओं सहित परियोजनाओं हेतु पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भूमि की गुणवत्ता सहित पर्यावरण पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन किया जाना अपेक्षित है। खनन परियोजनओं हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत दिए जाने वाले अनुमोदनों में यह निर्धारित किया जाता है कि खनन कार्य संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित खनन योजना, जिसमें खनन किए गए क्षेत्रों के पुनरूद्धार तथा बहाली हेतु प्रावधान किए गए हों, के अनुसार किए जाएंगे।

*[अनुवाद]*

## गुजरात में रक्षा प्रतिष्ठान

**3494. श्री रामसिंह राठवा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में मंत्रालय और इसके संगठनों के कार्यालयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में रक्षा प्रतिष्ठानों के स्वामित्व में अचल संपत्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार के साथ उक्त संपत्तियों को लेकर कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## सड़क अवसंरचना

**3495. श्री अन्नत वेंकटरामी रेड्डी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सड़क अवसंरचना में सुधार के मद्देनजर कुछ देशों के साथ परामर्श अथवा समझौते करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) और (ख) एक सतत् प्रक्रिया के रूप में, सरकार पारस्परिकता, समानता और आपसी लाभ के मूल सिद्धांतों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव, ज्ञान, आधुनिक प्रौद्योगिकी और वैश्विक बेहतर प्रैक्टिसों के आदान-प्रदान करने और समान रूप से साझा करने के लिए अन्य देशों के साथ सड़क परिवहन क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहु-पक्षीय सहयोग में कार्यरत है। अभी तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, फ्रांस, फिनलैंड, कनाडा और जापान के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

## कार्य दिवसों की संख्या

**3496. कुमारी सरोज पाण्डेय:**
**श्री सुदर्शन भगत:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रमिकों की संख्या की तुलना में उपलब्ध कार्य दिवसों की संख्या कम है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य दिवसों की उपलब्धता में कितनी कमी है और आवश्यकता के अनुसार उपलब्धता में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ताकि प्रत्येक श्रमिक को प्रतिदिन लाभकारी रोजगार प्राप्त हो सके?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा कराए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों में माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। नवीनतम सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार (व्यक्ति विशिष्ट) पर अनुमानित रोजगार 465.48 मिलियन तथा दैनिक स्थिति आधार (मानव दिवस विशिष्ट) पर अनुमादित रोजगार 404.93 मिलियन मानव वर्ष था। यह दर्शाता है कि रोजगार के मानव वर्ष नियोजित व्यक्तियों की संख्या से कम हैं।

भारत सरकार सार्थक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामान्य विकास प्रक्रिया तथा अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा लगातार प्रयास करती रही है।

**कर्मचारी भविष्य निधि**

**3497. श्री राजेन्द्र अग्रवालः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्मचारी भविष्य निधि में जमा निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अनेक कर्मचारियों/श्रमिकों के खाते गत अनेक वर्षों से निष्क्रिय पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वास्तविक दावेदारों को उपर्युक्त निधियां सौंपने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कर्मचारी भविष्य निधि खातों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य काफी लम्बे समय से लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) कर्मचारी भविष्य निधि में जमा की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ख) और (ग) संगठन के वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे (अपरीक्षित) के अनुसार 22,636.57 करोड़ रुपये निष्क्रिय खातों में पड़े हैं।

प्रतिष्ठानों से विवरणियां एकत्र की जा रही हैं जिसमें योगदान प्राप्त किए जाते हैं ताकि सदस्यों के खातों को अद्यतन किया जा सके और उन्हें प्रचालित किया जा सके।

भविष्य निधि सदस्यों से दावे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ताकि ऐसे निष्क्रिय खातों के दावों को निपटाया जा सके:

(i) प्रिंट मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार करना ताकि सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने हेतु शिक्षित किया जा सके।

(ii) नियोक्ता एवं कर्मचारी संघों से अनुरोध किया गया है कि वे सदस्यों को निपटान के लिए उनके दावे दायर करने का परामर्श दें।

वास्तविक दावेदार को भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सावधानियां बरती गई हैं:

(i) जहां प्रतिष्ठान प्रचालन में हो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा दावा फार्मों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।

(ii) उन मामलों में जहां नियोक्ता उपलब्ध नहीं है सदस्य की पहचान करना और बैंक के केवाईसी (अपने उपभोक्ता को जानें) के अंतर्गत कम से कम एक दस्तावेज के साथ-साथ बैंक प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन पर जोर दिया गया है।

(घ) से (च) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कम्प्यूटरीकरण के मौजूदा चरण को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2008 की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया गया था और तदनुसार इस परियोजना को दिनांक 31 मार्च, 2011 तक 120 कार्यालयों में से 119 कार्यालयों में क्रियान्वित किया गया है। क्योंझर (ओडिशा) के कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण के कार्य को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि कार्यालय परिसर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कार्यालय को एक नये किराये के भवन में स्थानान्तरित किया गया है। इस कार्यालय में कम्प्यूटरीकरण की परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य चल रहा है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।

*विवरण*

*31.03.2012 तक कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राज्य-वार निधियां*

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य | कर्मचारी भविष्य निधि में प्राप्त अंशदान |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 16,617.69 |
| 2. | बिहार | 1,524.37 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 1,369.61 |
| 4. | दिल्ली | 16,755.42 |
| 5. | गोवा | 1,449.88 |
| 6. | गुजरात | 12,765.99 |
| 7. | हरियाणा | 9,607.89 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 1,455.23 |
| 9. | झारखंड | 1,626.98 |
| 10. | कर्नाटक | 26,602.91 |
| 11. | केरल | 5,354.69 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 5,692.99 |
| 13. | महाराष्ट्र | 54,279.85 |
| 14. | पूर्वोत्तर क्षेत्र | 1,640.33 |
| 15. | ओडिशा | 3,590.76 |
| 16. | पंजाब | 8,865.30 |
| 17. | राजस्थान | 5,174.17 |
| 18. | तमिलनाडु | 21,935.93 |
| 19. | उत्तराखंड | 1,784.69 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | 10,408.83 |
| 21. | पश्चिम बंगाल | 11,795.48 |
| | कुल | 2,20,298.94 |

*[अनुवाद]*

**खाद्य उत्पादों का निर्यात**

**3498. श्री चंद्रकान्त खैरे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश से अनेक खाद्य उत्पादों जिनके निर्यात पर गत कुछ वर्षों से प्रतिबंध था, के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन उत्पादों के नाम क्या हैं जिनके निर्यात की अनुमति दी गई है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा यथा आकलित निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक उत्पादों की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए सरकार ने गैर बासमती चावल, गेहूं, प्याज और कुछ दुग्ध उत्पादों के निर्यात की अनुमति दे दी है, जिन पर पिछले कुछ वर्षो से रोक लगी थी। ब्यौरा नीचे दिया गया है;

गैर-बासमती चावल: दिनांक 09.09.2011 की अधिसूचना सं. 71 के माध्यम से सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति प्रदान की है। इसका निर्यात अक्तूबर, 2007 से निषिद्ध था।

गेहूं: दिनांक 09.09.2011 की अधिसूचना सं. 72 के माध्यम से सरकार ने गेहूं के निर्यात की अनुमति प्रदान की है। इसका निर्यात अक्तूबर, 2007 से निषिद्ध था।

प्याज: प्याज का निर्यात, (i) दिनांक 22.12.2010 से 18.02.2011 और (ii) दिनांक 09.09.2011 से 20.09.2011 की अल्प अवधि को छोड़कर, जिसके दौरान निर्यात पर रोक थी, मुक्त है।

दुग्ध उत्पाद: दिनांक 18.02.2011 से दुग्ध पाउडर और छेना व छेना उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। छेना और छेना उत्पादों के निर्यात पर रोक हटा ली गई थी और इसे 01.05.2012

से प्रतिबंधित किया गया था। अत: यह लाइसेंस के तहत निर्यात योग्य हो गया। दिनांक 08.06.2012 से स्किम्ड दुग्ध पाउडर का निर्यात मुक्त कर दिया गया था।

(घ) उपरोक्त उत्पादों के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है।

## अरंड और मूंगफली के लिए ए.ईजैड.

**3499. श्री मनसुखभाई डी. बसावा:**
**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात में अरंड और मूंगफली के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जैड.) की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन प्रस्तावों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में किसी कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जैड.) की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2005 में मौजूदा एईजेडों का गहन मूल्यांकन किया गया था। गहन मूल्यांकन में पाए गए कुछेक महत्वपूर्ण तथ्य थे (i) सरकारी प्राधिकरण एवं उनकी एजेंसियों के स्वामित्व का अभाव, (ii) राज्य सरकारों के कार्यालयों सहित हितबद्ध पक्षकारों में स्कीम तथा उसके अवधारणात्मक कार्यढांचे के बारे में जानकारी का अभाव, (iii) एईजेड की अवधारणात्मक संरचना में परियोजना-उन्मुखता का अभाव, (iv) एईजेडों में समन्वय/निगरानी प्रणाली का अभाव, (v) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों की ओर से पर्याप्त सार्वजनिक निवेश का न हो पाना, (vi) एईजेडों का अविवेकपूर्ण प्रसार इत्यादि। वर्ष 2005 में गहन मूल्यांकन समूह की संस्तुतियों के आधार पर किसी ठोस कारण के अभाव में नए एईजेडों को अधिसूचित करने पर विचार न करने का निर्णय लिया गया था।

*[हिन्दी]*

## एन.डी.ए. के लिए सैनिक स्कूलों से चयन

**3500. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए) में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या संतोषजनक नहीं है और क्या एन.डी.ए. के लिए फीडर संस्थान के रूप में सैनिक स्कूल अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) पिछले 4 वर्षों में सैनिक स्कूलों से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 28% है जो काफी संतोषजनक है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65

**3501. श्री रामसिंह कस्वां:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में नई सड़कों के उन्नयन तथा साथ ही राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विशेषकर चुरु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 के खंड जो अत्यंत दयनीय स्थिति में है के विकास/पुनरुद्धार/मरम्मत के लिए और अधिक निधियां उपलब्ध कराने का निवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) देश में विशेषकर राजस्थान में सड़कों पर यातायात में हुई वृद्धि और सड़क निर्माण का अनुपात क्या है;

(घ) क्या उक्त अनुपात में कोई असंतुलन है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और इस कार्य को प्राथमिकता और निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। हालांकि क्षमता में वृद्धि किया जाना आमतौर पर यातायात पर आधारित होता है, तथापि नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने के लिए मुख्य मानदंड सड़क संपर्क होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, नवीकरण और अनुरक्षण के लिए निधि का आवंटन वचनबद्ध दायित्व, परस्पर प्राथमिकता और मंत्रालय के पास उपलब्ध निधि को ध्यान में रखते हुए राज्यवार किया जाता है। राजस्थान के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए वर्ष 2012-13 हेतु क्रमशः 196.79 करोड़ रु. और 119.78 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

*[अनुवाद]*

### महिला उद्यमी

3502. **श्री पी. बलराम नायक:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय परम्परागत बुनकरों और महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए देश में महिला उद्यमी 2010 संगोष्ठी आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) वस्त्र मंत्रालय द्वारा महिला उद्यमी 2010 के संबंध में देश में ऐसी कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

### कैंसर की दवाई का पेटेंट अधिकार

3503. **श्री के. सुगुमार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत द्वारा कैंसर की दवाई से पेटेंट अधिकार समाप्त करने और इसकी कम दरों पर बिक्री करने को लेकर संयुक्त अमरीका जैसे विकसित देशों के विरोध पर तीव्र प्रतिक्रिया की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार सस्ती दवाइयों को सुलभ बनाने के लिए टी.आर.आई.पी.एस. समझौते के प्रावधानों का प्रयोग करती रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में विकसित देशों की प्रतिक्रिया क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) 'सोराफेनिब' के लिए अनिवार्य लाइसैंस मामले पर सरकार को कोई औपचारिक विरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) ट्रिप्स/टीआरआईपीएल करार के पश्चात्, भारत की आईपीआर व्यवस्था, जिसमें पेटेंट व्यवस्था शामिल है, में ट्रिप्स के सभी प्रावधानों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था। मार्च, 2012 में, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक द्वारा कैंसर की दवाई 'सोराफेनिब' के लिए पेटेंट अधिनियम, 1970 (2005 में यथा संशोधित) के तहत अनिवार्य लाइसेंस जारी किया था। मैसर्स बेयर कार्पोरेशन लि. ने बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी) में इस आदेश की अपील की है। यह मामला निर्णयाधीन है।

(ङ) यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रजेंटेटिव द्वारा यूएस ट्रेड एक्ट, 1974 की धारा 182 के तहत वार्षिक रूप से तैयार विशेष 301 रिपोर्ट 2012 में उल्लेख किया गया है। "पेटेंट महानियंत्रक द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय में भारतीय कानून की वृहत् व्याख्या के पश्चात यूएस ट्रिप्स की दोहा घोषणा तथा जन स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए भारत में पेटेंटों की अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित घटनाक्रमों पर निगरानी रखेगा"।

### पोताश्रय सुरक्षा योजना

3504. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री मार्गों से सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर पोताश्रय सुरक्षा योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के इस संबंध में पनडुब्बी-रोधी पोत खरीदने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) भारतीय नौसेना के पास अपने पोताश्रय सुरक्षा के लिए विस्तृत सुरक्षात्मक योजना जिसमें त्वरित कार्रवाई समूह (क्यूआरजी) त्वरित कार्रवाई दल (क्यूआरटी) नौसेना पोताश्रयों के अंदर समुचित स्थानों पर प्रहरी, जमीन की ओर पहुंच मार्ग पर नियंत्रण, समुद्री पहुंच मार्ग नियंत्रण, पेाताश्रय, ध्वनि संबंधी नेटवर्क (एचएएनईटी) तथा नावों से गश्त, हेलिकॉप्टरों के गश्त तथा सीसीटीवी निगरानी प्रणाली जैसे निगरानी उपाय शामिल हैं। खतरे की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में इन सुरक्षा प्रणालियों की समीक्षा निरंतर की जाती है।

(ग) और (घ) तटीय पनडुब्बीरोधी जलयानों सहित नौसेना परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति/उन्नयन खतरे की अवधारणा तथा नौसेना की आवश्यकता के आधार पर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है।

*[हिन्दी]*

## गंगा नदी पर पुल

**3505. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर पुल के अभाव में लोगों को लम्बे मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गंगा नदी पर पुल निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) मंत्रालय, मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले पुलों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्ग जिस पर उक्त गंगा पुल का निर्माण किया जाना है, को इंगित नहीं किया गया है। इसलिए इस पहलू पर कोई सूचना प्रदान करना जल्दबाजी होगी।

## गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता

**3506. श्री कीर्ति आजाद:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान श्रमिकों के लाभ के उद्देश्य से कार्यक्रम/परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) बाल श्रम के उन्मूलन एवं बाल श्रमिकों के पुनर्वास तथा महिला श्रमिकों के बीच जागरुकता सृजन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) और सहायता अनुदान योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। एनसीएलपी योजना के अंतर्गत 266 जिलों में लगभग 7311 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय चलाए जा रहे हैं जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली एनसीएलपी परियोजना सोसायटी द्वारा निधियां जारी की जाती हैं। जहां कहीं एनसीएलपी योजना प्रचालन में नहीं है वहां सहायता अनुदान योजना (जीआईए) क्रियान्वित की जाती है। सहायता अनुदान योजना (जीआईए) के तहत निधियां केन्द्र सरकार द्वारा सीधे गैर-सरकारी संगठनों को निर्गत की जाती है ताकि बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों को चलाया जा सके।

महिला श्रमिकों के लिए सहायता अनुदान योजना भी गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही हैं जिसके तहत परियोजना लागत का 75% तक आर्थिक सहायता के रूप में गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है ताकि कामकाजी महिलाओं को संगठित करने के संबंध में जागरुकता सृजन अभियान शुरू किया जा सके और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में उन्हें शिक्षित करने, कामकाजी महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने तथा महिला श्रमिकों की समस्याओं के बारे में समाज में जागरुकता बढ़ाने के लिए सेमीनारों तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सके।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाल श्रमिक तथा महिला श्रमिक के लिए सहायता अनुदान योजना (जीआईए) के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्रमश: विवरण-I एवं विवरण-II पर दिया गया है।

*विवरण-I*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान सहायता के तहत निर्मुक्त अनुदान*

*2009-2010 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान*

| क्र. सं. | गैर-सरकारी संगठनों के नाम | जारी की गयी अनुदान राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | राष्ट्रीय विकास संस्थान, 146, विधातानगर, भटिंडी रोड नेरवाल, जम्मू | 457,650 |
| 2. | ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान, 6, शुभम अपार्टमेंट, नागपुर | 355,444 |
| 3. | सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था, कमल टाकीज के पास, नागपुर-440017 | 495,787 |
| 4. | सोशयो ऑरियंटल फास्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (सोफिया) फाउडेन, जिला-थौबल, मणिपुर-795138 | 608,382 |
| 5. | अखिल मणिपुर महिला स्वैच्छिक सेवा, सागलबंद, एनएम लेन, इम्फाल (प.), मणिपुर-1 | 572,062 |
| 6. | ग्रामीण शिक्षा एवं खेलकूद विकास संघ (आरईएसडीए), बांगबल-1, जिला-थौबल, मणिपुर | 640,764 |
| 7. | शहरी कल्याण संघ, निकट-एमएम गैस गोदाम, इम्फाल (प.), मणिपुर | 76,275 |
| 8. | हंगल संयुक्त विकास संघ (एचयूडीए) मयंग, इम्फाल, मणिपुर | 406,800 |
| 9. | शहरी ग्रामीण विकास एजेंसी (यूआरडीए), इम्फाल, मणिपुर | 648,336 |
| 10. | रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्था, एस-14, मंडी परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर | 457,650 |
| 11. | महिला समाज शिक्षा समिति, जिला-ग्वालियर | 152,550 |
| 12. | अलोंगमैन बहु-उद्देशीय सहकारी समिति, अलोंगमैन वार्ड, मोकोचुंग, नागालैण्ड | 62,829 |
| 13. | आंचलिक युवा परिषद, लक्ष्मीनारायण हाट, डाकघर-शंकेश्वर, जिला-जगतसिंहपुर, ओडिशा | 152,550 |
| 14. | नारायणी महिला मंडल, मुकाम-पाडनपुर, डाकघर-भीमपुर, वाया-जाटना, जिला-खुर्दा-752050 | 241,538 |
| 15. | संचार एवं विकास कार्रवाई संस्थान (आईसीडीए) मुकाम-नारीपुर, जिला-भद्रक- 756100 | 304,600 |
| 16. | स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए) जिला ओडिशा | 378,325 |
| 17. | स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संघ (एएचईएडी) प्लीट 216 आरीलर्न, भुवनेश्वर-751020 | 432,225 |
| 18. | प्राकृतिक ग्रामीण विकास निगम (एनआरडीसी) निदाद्री, भुवनेश्वर, ओडिशा | 457,649 |
| 19. | एमएम मालवीय विकलांग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश | 189,902 |
| 20. | कर्म बाल विद्या निकेतन समिति, 2 एफ-43, महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान | 25,425 |
| 21. | अकादमी ऑफ एजूकेंशन सोसायटी, नगरपालिका कॉलोनी, निकट क्लाथ माता मंदिर, जिला-बारन | 302,700 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. | हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 1/35, बजरिया अलीगंज, फतेहगढ़, जिला-फर्रूखाबाद | 304,791 |
| 23. | जाग्रति फाउन्डेशन, बंजरिया रोड, खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) | 305,100 |
| 24. | हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति, 18/32, जज कालोनी, इलाहाबाद | 228,825 |
| 25. | सरदार हमीदी तालीमी व समाजी मिशन, 196, चिल्ला, अमरोहा, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश | 291,809 |
| 26. | शांति महिला एवं बाल विकास परिषद, ग्राम-नागवाल, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश | 686,475 |
| 27. | नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश | 127,950 |
| 28. | मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश | 228,825 |
| 29. | परियोजना स्वराज्य, गणेश घाट, कटक, ओडिशा | 330,507 |
| 30. | दयानंद सरस्वती शिक्षा समिति, सिसवाली, जिला-बारन, राजस्थान | 76,275 |
| | महायोग | 10,000,000 |
| | *2011-12 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान* | |
| 1. | सरदार हमीदी तालीमी, अमरोहा उत्तर प्रदेश | 88,989 |
| 2. | सरजूबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर (+ क्रमांक 13) | 6,10,200 |
| 3. | यूआरडीए, मणिपुर | 4,95,789 |
| 4. | अजाद नवयुवक मंडल, राजस्थान | 4,57,650 |
| 5. | हुडा, हंगुल, मणिपुर | 2,79,775 |
| 6. | मानव सेवा समिति, राजस्थान | 4,50,000 |
| 7. | सीईडीओ, मणिपुर (+ क्रमांक 10) | 5,33,925 |
| | 2011-12 में पुनर्वैधित | 29,16,328 |
| 8. | रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्थान, मंडी परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर, मध्य प्रदेश | 3,43,337 |
| 9. | महिला समाज शिक्षा समिति | 5,33,925 |
| 10. | सीईडीओ, मणिपुर (+ क्रमांक 7) | 4,95,787 |
| 11. | आरईएसडीए, मणिपुर | 3,12,674 |
| 12. | जन विकास समिति, मणिपुर | 4,06,800 |
| 13. | सरजूबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर (+ क्रमांक 2) | 3,00,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश | 79,284 |
| 15. | वैशाली जन-जागरण समिति, वैशाली, बिहार | 2,49,913 |
| 16. | आल मणिपुर विमेंस वालेंटरी सर्विसेज, मणिपुर | 9,53,438 |
| 17. | जन हितकारी संस्थान कुशीनगर, यूपी | 6,10,200 |
| 18. | तेरा खोंग, मणिपुर | 1,71,712 |
| | कुल | 73,73,398 |

*2010-11 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान*

| क्र.सं. | गैर-सरकारी संगठनों में नाम | प्रदान की गयी अनुदान राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सरदार हमीदी तालीमी, अमरोहा उत्तर प्रदेश | 3,05,100 |
| 2. | एनआईएसएसए, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा | 3,81,375 |
| 3. | वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार | 50,100 |
| 4. | समाज कल्याण शिक्षण संस्था, बस्ती, उत्तर प्रदेश | 1,14,413 |
| 5. | राष्ट्रीय एकीकृत विकास सहायता संस्थान, ओडिशा | 1,65,262 |
| 6. | आदर्श शिक्षा केन्द्र, खुर्दा, ओडिशा | 3,47,792 |
| 7. | गणपत राव निम्बालकर एस मुक्ति आश्रम, लातूर, महाराष्ट्र | 2,93,100 |
| 8. | वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार | 3,22,900 |
| 9. | एनआरडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा | 4,85,789 |
| 10. | आरईएसडीए, मणिपुर | 7,62,750 |
| 11. | सोफिया, थौबल, मणिपुर | 7,64,568 |
| 12. | ब्राइटवेज, विष्णुपुर, मणिपुर | 10,29,712 |
| 13. | ओआरएसएसए, नयागढ़, मणिपुर | 6,86475 |
| 14. | आदर्श शिक्षा केन्द्र, जिला-खुर्दा, ओडिशा | 3,38,683 |
| 15. | बहुजन हिताय बहुजन मंडल लातूर, महाराष्ट्र | 6,86,475 |
| 16. | तेराखोंग एमनिंग महिला मंडल, मणिपुर | 8,50,000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 17. | सीआरयूएस, थौबल, मणिपुर | 6,86,475 |
| 18. | एसओआरडीईवी, थौबल, मणिपुर | 2,03,401 |
| 19. | एनआईएसएसए, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा | 3,05,100 |
| 20. | राष्ट्रीय विकास संस्थान, जम्मू और कश्मीर | 1,14,412 |
| | 2010-11 में जारी की गयी कुल राशि | 88,93,882 |

*2010-11 के दौरान सहायता अनुदान स्वीकृत संगठनों की सूची*

| क्र.सं. | एनजीओ/वीओ का नाम एवं पता | जारी राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ईश्वर, कोडापला, पीओ नंदीपुर, वाया ग्रादपुर, जिला केंद्रपाड़ा, ओडिशा | 6863 |
| 2. | फिलानथ्रोपिक सोसाइटी, वांगजिंग हेटुपोकपी, पीओ वांगजिंग, जिला थोबल, मणिपुर-48 | 34613 |
| 3. | भाग्य ज्योति रूरल डेवलेपमेंट सोसाइटी, संख्या 224, इस्ती ब्लाक, गुलूर रोड, बेगेपल्ली, जिला कोलार, कर्नाटक | 8437 |
| 4. | फ्रेंडस एसोसिएशन फोंर ह्यूमन वेलफेयर, 59/सी, सत्येंद्र रॉय मार्ग, कोलकाता-34 | 29812 |
| 5. | महिला उद्योग प्रशिक्षण समिति, कृष्णा कालोनी, होस्पिटल रोड, बाडन, राजस्थान-5 | 26344 |
| 6. | डॉ. बी.आर. अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्थान, प्रभात हाउस, लिंक रोड, रतनगढ़, जिला चुरू, राजस्थान-22 | 18806 |
| 7. | नवीन अंकुर महिला मंडल, पंजाबी गुरुद्वारा के सामने, घंटेश्वरी चोक, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-1 | 54375 |
| 8. | विरुचम मगलेयर मनेटरा कैजनगियाम (वीएमएमके), 51/23, सीताकथी स्ट्रीट, जिला विरुदनगर, तमिलनाडु-1 | 32906 |
| 9. | रूरल सर्विस एजेंसी (आरयूएसए), पैलेस कम्पाउंड, इम्फाल (पश्चिम), मणिपुर | 74588 |
| 10. | सोसल आर्गेनाइजेशन फॉर वोलेंटरी एक्शन (एसओवीए), भोजादेपुर, पीओ सदासिवापुर, जिला धेनकनाल, ओडिशा | 135000 |
| 11. | बैरकपुर सहयोगी सोसल वेलफेयर सोसाइटी, 5, मधु पंडित रोड, पीओ टलपूकुर, बैरकपुर, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल | 63282 |
| 12. | सदाउ असोम ग्राम्य पुथीभरल संथा, तेलीपट्टी चनमारीपथ, पीओ हैबरगांव, शंकर नगर, नोगांव, असम-1 | 92475 |
| 13. | गार्डनरीच बंगला बस्ती अकेडमिक डेवलपमेंट सोसइटी, गार्डन रीच रोड, पीओ एण्ड पीएस गार्डन रीच, कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 77625 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | बांकी अंचालिका आदिवासी हरिजन कल्याण परिषद्, पीओ बांकी, जिला कटक, ओडिशा 754 008 | 66995 |
| 15. | उकू उना वेलफेयर सोसाइटी, 'ई' सैक्टर नहरलागुन, जिला पापुमपेडे, अरुणाचल प्रदेश | 77288 |
| 16. | डनलप वूमेन एसोसिएशन फॉर सोसल एक्शन, 156/58ए, बीटी रोड, 'गीतांजली' फ्लैट नं. 1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल | 81255 |
| 17. | रूरल गिरीजन वेलफेयर सोसाइटी, पेपीरेडीपल्ली गांव, सोमांडपल्ली मंडल, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश-515122 | 41456 |
| 18. | नारायणी महिला मंडल, पडनपुर (मेन रोड साइड), पीओ भीमपुर, वाया जनती, जिला खुर्दा, ओडिशा | 123975 |
| 19. | इचापुर ब्राह्मणपाड़ा शिल्प निकेतन, इचापुर ब्राह्मणपाड़ा, पीओ इचापुर, नवाबगंज, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल | 120375 |
| 20. | एक्शन फॉर वूमेन एण्ड रूरल डेवलपमेंट (एडब्ल्यूएआरडी), प्रथम तल, इडनहोम, हेब्रम वेंग, मिटेईलैंगोल, इम्फाल (पश्चिम), मणिपुर | 154969 |
| 21. | रत्नाकर रुरल एण्ड अर्बन विकास इंस्टीट्यूट (आरआरयूबीआई) कबरा, पीओ मबरा मधापुर, धेनकनाल, ओडिशा | 30,037 |
| | कुल | 13,51,476 |

### *विवरण-II*

*गत तीन वर्षों के दौरान महिला श्रमिकों के लिए जीआईए योजना के अंतर्गत जारी अनुदान*

| क्र.सं. | एनजीओ/वीओ का नाम एवं पता | अनुदान राशि (रुपये) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बासुदेब पथागर, पीओ नोगांव, वाया नियाली, जिला कटक, ओडिशा-4 | 129994 |
| 2. | अपलिफटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वांगजिंग, सोरोखेबम, पीओ वांगजिंग, जिला थोबल, मणिपुर-795148 | 124875 |
| 3. | पार्टीसिपेट्री एण्ड रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट एक्शन (पीआरआईए) पीओ लोलई वाया गोदिया, जिला धेनकनाल, ओडिशा-759016 | 101869 |
| 4. | बापू यूवक संघ, कुंजा कांटा, नजदीक ए-1 ब्रोइलेरी, पीओ/जिला धेनकनाल, ओडिशा-759001 | 141244 |
| 5. | रूरल इंटीग्रेटिड एण्ड सोसल एजूकेशन सोसाइटी (आरआईएसईएस), नजदीक आरसीएम चर्च, एडोनी रोड, पेटीकोंडा, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश-518380 | 62156 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | जालूगुती अग्रगामी महिला समिति, पीओ जालूगुती, ब्लाक कैली, जिला मोरीगांव, असम-782104 | 92813 |
| 7. | रूरल गिरीजन वेलफेयर सोसाइटी, पेपीरेडीपल्ली गांव, सोमांडपल्ली मंडल, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश-515122 | 124369 |
| 8. | रूरल एनवायरमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आरईएटीआई), हरियाणा धर्म कांटे के पीछे, गायत्री नगर, दोसा, राजस्थान-302303. | 124369 |
| 9. | फ्रेंडस एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर, 56/सी, सत्येंद्र रॉय मार्ग, कोलकाता-34 | 89,438 |
| 10. | उमंग कला निकेतन, 52, नाजुल ले आउट कालोनी, पोस्ट लेजोनबाग, नागपुर, महाराष्ट्र-4 | 50,231 |
| 11. | नुताहंते होस्पिटलपाड़ा खादी उन्नयन समिति, गांव एवं डाकघर नुताहंत, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल | 53,138 |
| 12. | बरबासुदेवपुर देशप्राण प्रगति संघ, गांव बरबासुदेवपुर, पीओ पखेरी, पुलिस स्टेशन भगवानपुर, जिला पूर्व मेदनीपुर, पश्चिम बंगाल-1 | 41,344 |
| 13. | केराली रूरल डेवलपमेंट सोसायटी (केएआरडीएस), अनु सोपिंग काम्पलैक्स, कोझिनजामपाड़ा (पीओ), जिला पलकाड, केरल-55 | 38,813 |
| 14. | उमंग कला निकेतन, 52, नाजुल ले आउट कालोनी, पोस्ट लेजोनबाग, नागपुर, महाराष्ट्र-4 | 82,181 |
| 15. | स्नेकिथी, वी.पुथुर, पोस्ट साथियमंगलम, कुलीथलिया (टीके), जिला करुर, तमिलनाडु-20 | 54,619 |
| 16. | राइट ट्रेक, 15/9, ब्रानफील्ड रो, मोमिनपुर, कोलकाता-27 | 30,300 |
| 17. | दमदम पार्क उन्नयनी समाने, 172, लेकटाउन, ब्लाक ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700089 | 15,844 |
| 18. | मानव सेवा समिति, जिला बाड़ी का खेड़ा, पोस्ट बागड़ू, जिला जयपुर राजस्थान | 84,375 |
| 19. | रूरल एनवायरमेंट अवेयरनेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आरईएटीआई), हरियाणा धर्म कांटे के पीछे, गायत्री नगर, दोसा, राजस्थान-302303. | 41,456 |
| 20. | लिटरेट्स वेलफेयर एसोसिएशन (एलएडब्ल्यू), मेन रोड, कडाकलाइकुंडू (पीओ), ओंडीपट्टी तालुक, जिला थेनी तमिलनाडु-625579 | 19125 |
| | कुल | 15,02,553 |

*2011-12 के दौरान सहायता अनुदान स्वीकृत संगठनों की सूची*

| क्र.सं. | एनजीओ/वीओ का नाम एवं पता | जारी राशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | माडर्न ऑर्गेनाइजेशन फॉर टुथ एण्ड इकोनोमिक रियलिटी (मदर), प्लाट संख्या 94/6, महावीर नगर, रोड संख्या 14, समनतारपुर, भुवनेश्वर, ओडिशा-2 | 14,812 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | सेंटर फॉर रूरल रीकंस्ट्रक्शन एण्ड सोसल सोलीडेरिटी (क्रोस), पीओ अदासपुर, जिला कटक, ओडिशा-11 | 27,000 |
| 3. | इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल डेवलपमेंट ओन इंटीग्रल असिसटेंट (इंडिया), मडाना, पीओ नंदीपुर, वाया ग्रादपुर, जिला केंद्रपाड़ा, ओडिशा-3 | 12,220 |
| 4. | बापू युवक संघ, कुंजा कांटा, नजदीक ए-1 ब्रोइलेरी, पीओ/जिला धेनकनाल, ओडिशा-759001 | 47,081 |
| 5. | पार्टीसिपेट्री एण्ड रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट एक्शन (पीआरआईए) पीओ लोलई वाया गोदिया, जिला धेनकनाल, ओडिशा-759016 | 33,956 |
| 6. | स्यूडल ट्राइव एण्ड बैकवर्ड कलासिज फार्मिंग सोसायटी, बीओ बुपाथीपल्ली (पो), मारकपुर मंडल, जिला प्रकाशम आंध्र प्रदेश | 26,878 |
| 7. | जालूगुटी अग्रगामी महिला समिति, पी ओ जालूगुट्टी ब्लॉक कपीली जिला मोरिगांव, असम | 30,937 |
| 8. | सैंटर फार रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस (सीएफआरयूएस) वारीवल केवल माया, पीओ थोवल, बीपीओ वानीबल थोवल जिला, मणिपुर 795138 | 22,594 |
| 9. | रूरल एजूकेशन एण्ड स्पोर्टस डेवलपमेंट एसोसिएशन (रेसदा) वांगबल पार्ट-1, | 91,875 |
| 10. | अर्बन एण्ड रूरल डेवलेपमेंट एजेंसी, मालोम तिलियाइम, पीओ तिलिहल, जिला हरपकल वेस्ट, मणिपुर- 795140 | 20,250 |
| 11. | सेवक, पीओ बिनायक पीर, वाया सनारनकील, जिला नयागढ़, ओडिशा-752080 | 9,389 |
| 12. | ब्राइट वेज, तेराखोग, पीओ मोइरंग, बीपीओ कुम्बी, जिला थोबल, मणिपुर | 91,875 |
| 13. | इपामलामडम डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट (इपाम), वांगजिंग एस के लेकई, पीओ वांगजिंग, जिला थोबल मणिपुर-795148 | 15,750 |
| 14. | रूरल इंस्टीट्यूट फॉर कम्यूनिटी हैल्थ (आरआईसीएच), शांति स्टोर उपस्टेयर्स, अपोजिट आरसी चर्च, कालीकुड़ी मेन रोड, कैरीपत्ती, जिला विरुधनगर, तमिलनाडु | 32,906 |
| 15. | फांउडेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट (फोर्ड) वांगजिंग, हेटूपोपकिओ लोकई, जिला थोबल, मणिपुर-795148 | 22,594 |
| 16. | बासुदेब पथागर, पीओ नोगांव, वाया नियाली, जिला कटक, ओडिशा-4 | 47,081 |
| 17. | वूमैन इन एकशन फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (वार्डो), वांगबल माया लेकई, पीओ थोबल, बीपीओ वांगबल, जिला थोबल, मणिपुर-795138 | 24,469 |
| 18. | रूरल एजुकेशन एण्ड एग्रीकचरल डेवलपमेंट (रिड), विनामंगलम पोस्ट, वैयामपडी तालुक, जिला वेल्लोर, तमिलनाडु-635807 | 19,088 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | सोसियो ओरियेंटल फास्ट इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन (सोफिया), पीओ/पीएस फोडने, जिला थोबल, मणिपुर-795138 | 55,313 |
| 20. | सोसाइटी फॉर कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 88, सीरांगपलायम रोड, कुमारसामीपट्टी, सेलम, तमिलनाडु-636007 | 26,550 |
| 21. | इंटीग्रेटेड रूरल अपलिफ्टमेंट सर्विस (आईएसयूएस), कियाम, पीओ थोबल, जिला थोबल, मणिपुर-7951138 | 18,000 |
| 22. | सोसल एजुकेशन इकोनोमिकल डेवलपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 202 डी, जेराम नगर, अथिपट्टी, सेमपट्टी (पोस्ट), अरुपूकोटाई, तमिलनाडु | 41,963 |
| 23. | ओडिशा मल्टीपर्पज डेवलपमेंट सेंटर, 9/22, एमआईजी-II, बीडीए कालोनी, चंद्र सेखरपुर, ओडिशा-16 | 17,217 |
| 24. | सोसल वूमेन एजुकेशन इकोनोमिक ट्रस्ट (स्वीट), बी/3, केलाव, आनंद मंगल-3, नजदीक परिमल क्रोसिंग, राज नगर क्लब लेन, इलिसब्रिज, अहमदाबाद-6 | 41,250 |
| 25. | स्नेकिथी, वी.पुथुर, पोस्ट साथियमंगलम, कुलीथलिया (टीके), जिला करुर, तमिलनाडु-20 | 18,206 |
| 26. | रूरल इंटीग्रेटिड एण्ड सोसल एजूकेशन सोसाइटी (आरआईएसईएस), नजदीक आरसीएम चर्च, एडोनी रोड, पेटीकोंडा, जिला कुरनूल, आंध्र प्रदेश-518380 | 20,719 |
| 27. | ग्रीनलेंड आर्गेनाइजेशन फॉर वूमेन, मोइखम सोगलियान लेरक, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर-795001 | 15,000 |
| 28. | अहमदाबाद जिला महिला एवं बाल विकास संघ, सी-9, आयोजन नगर, नजदीक श्रेयस क्रोसिंग, पाल्डी, अहमदाबाद-380007 | 26,100 |
| 29. | अंचालिमा युवा परिषद, गंडाकिया, पीओ आयाबा, जिला केन्द्रपाड़ा, ओडिशा-30 | 24,469 |
| 30. | सकुंतला ग्रामोद्योग एण्ड सोसल एक्शन, पीओ केन्द्रपाड़ा, जिला नयागढ़, ओडिशा-77 | 20,662 |
| 31. | डनलप वूमेन एसोसिएशन फॉर सोसल एक्शन, 156/58ए, बीटी रोड, 'गीतांजली' फ्लेट नं.1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700108 | 27,045 |
| 32. | अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एण्ड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वांगजिंग, सोरोखेबम, पीओ वांगजिंग, जिला थोबल, मणिपुर-795148 | 41,625 |
| 33. | गांधियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, थोबल, होटल कोंगब्रा, एमपी रोड, जिला थोबल, मणिपुर-795138 | 37,125 |
| 34. | नवीन अंकुर महिला मंडल, पंजाबी गुरुद्वारा के सामने, घंटश्वरी चोक, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 | 1,00575 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 35. | मूवमेंट वोलेंट्री आर्ग्रेनाइजेशन, एमआईजो-69, एपीएचबी कालोनी, भोंगीर, जिला नालगोंडा, आंध्र प्रदेश-508116 | 24,750 |
| 36. | यूथ डेवलपमेंट सर्विसेज (वाईडीएस), वांगजिंग अवांग लेकई, पीओ वांगजिंग, जिला थोबल, मणिपुर-795148 | 1,00,575/- |
| 37. | दमदम पार्क उन्नयनी समाने 172, लेकटाउन, ब्लाक ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700089 | 1,00,575/- |
| 38. | सहारा हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी, 26/जी, बीरेन रे रोड (ई), बहेला चौराता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700008 | 1,04,119 |
| 39. | रॉयला सेवा समिति, यादरामी, जवार्गी तालुक, गुलबर्गा, कर्नाटक-585325 | 1,00,575 |
| | योग | 15,27,068 |

*[अनुवाद]*

## जैविक वस्त्रों का प्रमाणीकरण

**3507. श्री ए. साई प्रताप:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैविक वस्त्रों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणीकरण आरम्भ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश से वस्त्रों के निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), जो वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने दिनांक 30 जुलाई, 2012 को जैविक वस्त्र हेतु भारतीय मानक जारी किए हैं, जिसके उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- जैविक कपास की खेती, कटाई से लेकर प्रसंस्करण एवं लेबलिंग की प्रक्रिया तक वस्त्रों एवं परिधानों में फाइबर की "जैविक" स्थिति की सत्यता सुनिश्चित करना;
- उपयोग किए जाने वाले फाइबर की जैविक प्रकृति के विषय में आश्वासन प्रदान करना और यह संप्रेषित करना कि विनिर्माण की प्रक्रिया सामाजिक एवं पर्यावरण-अनुकूल ढंग से संपन्न की गई है।

(ग) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत जैविक वस्त्र हेतु भारतीय मानकों (आईएसओटी) की शुरुआत से जैविक वस्त्र निर्यात को बल प्रदान करने संबंधी वस्त्र उद्योग के जैविकता संबंधी दावों को और अधिक मजबूती मिलेगी। आईएसओटी की शुरुआत से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के जैविक वस्त्रों की विश्वसनीयता बेहतर बनेगी और इस प्रकार, जैविक वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होगी।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय युद्ध स्मारक

**3508. श्री महाबली सिंह:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 1947 से विभिन्न युद्धों के हजारों शहीदों/सैनिकों की याद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण के लिए भूमि की तलाश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए भूमि की तलाश हेतु किसी समिति का गठन किया गया है/गठन किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और भूमि की तलाश का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली के विभिन्न भागों में वैकल्पिक स्थलों पर विचार किया गया है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हेतु स्थान का पता लगाने के लिए 6 अगस्त, 2009 को एक मंत्री-समूह गठित किया गया था जिसमें वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और शहरी विकास मंत्री शामिल थे। 17.07.2012 से मंत्री-समूह का संशोधित संघटन रक्षा मंत्री, शहरी विकास मंत्री और राज्य मंत्री (वित्त) है। मंत्री-समूह की इस मामले में कई बैठकें हुई हैं। मंत्री-समूह के निर्णय/सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

## नव गठित राज्यों के लिए योजनाएं

**3509. श्री सुदर्शन भगत:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नव गठित राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड में राजमार्गों के उन्नयन/निर्माण के लिए कोई विशेष कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों में उक्त कार्य-योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की संख्या का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार की निकट भविष्य में इन राज्यों के लिए ऐसी कार्य-योजना पर विचार करने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। तदनुसार, उपलब्ध संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के विकास और अनुरक्षण के लिए कार्य शुरू किए जाते हैं।

*[अनुवाद]*

## फ्लोर स्पेस इन्डैक्स

**3510. श्री सी. राजेन्द्रन:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न छावनी बोर्डों के अंतर्गत आने वाले आवासीय क्षेत्रों में कोई फ्लोर स्पेस इंडैक्स (एफ.एस. आई.) निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छावनी बोर्डों के आस-पास के क्षेत्रों की तुलना में एफ.एस.आई. अत्यंत कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या उक्त आवासीय क्षेत्रों में एफ.एस.आई. में वृद्धि करने का निवेदन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) देश में स्थित 62 छावनियों में से 18 छावनियों में फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) प्रतिबंध लगाए गए हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। दक्षिण कमान में 14 छावनियों में छावनी अधिनियम के अंतर्गत जनरल अफसर कमांडिंग-इन-चीफ के द्वारा, उनको प्रदत्त सांविधिक शक्तियों का पालन करते हुए, ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। तथापि, सिकंदराबाद छावनी में सरकार ने भवनों की कतिपय श्रेणियों के लिए एफएसआई प्रतिबंधों से ढील दी है। शेष 4 छावनियों के मामले में, एफएसआई प्रतिबंध उनके भवन उप-नियमों में निहित प्रावधानों के जरिए होते हैं।

(ग) और (घ) जिन 15 छावनियों में एफएसआई प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें अधिक भीड़ पर नियंत्रण के लिए सन्निकट क्षेत्रों की तुलना में एफएसआई निम्न है। शेष 3 छावनियों, अर्थात् अजमेर, कण्णौर और कामठी में एफएसआई छावनियों के आसपास के क्षेत्रों के समान ही है।

(ङ) और (च) जी, हां। कतिपय क्षेत्रों से एफएएसआई में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है।

*विवरण*

*छावनियों की कमानवार सूची जहां एफएसआई प्रतिबंध लगाए गए हैं*

**दक्षिणी कमान**

1. अहमदाबाद
2. अहमदनगर
3. अजमेर
4. औरंगाबाद
5. बेलगाम
6. कण्नौर
7. देहू रोड
8. देवलाली
9. कामठी
10. किरकी
11. पुणे
12. सिकंदराबाद
13. सेंट थॉमस माउंट-सह-पल्लावरम
14. वेलिंगटन

**पूर्वी कमान**

1. जलापहाड़
2. लेबांग
3. शिलांग

**पश्चिमी कमान**

1. दिल्ली

**ऊन का उत्पादन**

**3511. श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में ऊन का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में भेड़ और ऊन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित देश में लाभार्थियों की कितनी संख्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान ऊन का वार्षिक उत्पादन क्रमश: 43.10 मिलियन किग्रा. 43.00 मिलियन किग्रा. और 44.40 (प्रत्याशित) मिलियन किग्रा. है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एसडब्ल्यूआईएस योजना के अंतर्गत क्रमश: 799.58 लाख रु., 1063.00 लाख रु. और 751.65 लाख रु. की कुल निधियां जारी की गई हैं।

(ग) "भेड़ और ऊन सुधार योजना" के अंतर्गत इस मंत्रालय ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 36.75 लाख भेड़ों को लाभान्वित किया है। इस योजना के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य को कोई निधि जारी नहीं की गई थी क्योंकि कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग-7**

**3512. श्री के.डी. देशमुख:**
**श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**
**श्री पोन्नम प्रभाकर:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग दयनीय स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त राजमार्ग की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 की मरम्मत के लिए आबंटित निधियों तथा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के हैदराबाद-बंगलुरु खंड के लिए जारी/आबंटित/उस पर व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस राजमार्ग पर मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (घ) यद्यपि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य परिस्थितियों में बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ खंडों की स्थिति अच्छी नहीं है। रारा-7 सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर लघु कालिक मरम्मत कार्य एक सतत् प्रक्रिया है जब अपेक्षित होता है इनको किया जाता है जो निधि की उपलब्धता के अध्यधीन होता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए निधि को राष्ट्रीय राजमार्ग वार आबंटित नहीं किया जाता है।

*[अनुवाद]*

## आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेन वाला बनाना

**3513. श्री एस.आर. जेयदुरई:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में गुंडूगोलानू और राजामुन्दरी के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग को छह लेन वाला बनाने के प्रस्ताव से संबंधित विभिन्न समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़क सुरक्षा मंच ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं जोकि राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के मामले में सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हैं; और

(घ) यदि हां, तो सड़क सुरक्षा मंच द्वारा उठाए गए मुद्दों से निबटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) और (ख) जी हां। बोमुरु गांव की स्थानीय जनता से किमी 912 से किमी 914 तक सर्विस रोड की आवश्यकता नहीं संबंधी एक अभ्यावेदन और मोरमपुडी जंक्शन पर रहने वाली स्थानीय जनता से भूमि अधिग्रहण के संबंध में एक अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ग) यातायात के संबंध में किए गए सर्वेक्षण की समीक्षा की मांग का एक पत्र सड़क सुरक्षा फोर्म से प्राप्त हुआ है जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य में राजामुन्दरी और गुंडूगोलानू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को छः लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है।

(घ) क्षमता संवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन यातायात आवश्यकता को विधिवित् रूप से ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन की निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद किया जाता है।

## अध्यक्ष की नियुक्ति

**3514. श्री तथागत सत्पथी:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पारादीप पत्तन न्यास के अध्यक्ष का पद लंबे समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नये अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी; और

(घ) ऐसे पत्तनों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) और (ख) अध्यक्ष, पारादीप पत्तन न्यास का पद पदधारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के कारण 21.04.2012 से रिक्त है।

(ग) और (घ) पारादीप पत्तन के नए अध्यक्ष के लिए आरंभिक चयन का कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी महा पत्तन न्यासों के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाती है।

*[हिन्दी]*

## घटिया गुणवत्ता के उत्पादों का आयात

**3515. श्री बद्रीराम जाखड़:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी मात्रा में नकली/घटिया गुणवत्ता वाले तथा सस्ते उत्पादों का आयात किया जा रहा है जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे उत्पादों के आयात को रोकने के लिए कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विगत में खिलौनों, दूध, चॉकलेटों सहित घटिया सस्ते उत्पादों का कुछ आयात देखा गया है और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू की गई है। पिछले तीन वर्षों के लिए ऐसे आयातों का विवरण निम्नानुसार हैं:

| वर्ष | माल का विवरण | मूल्य (लाख रु. में) |
|---|---|---|
| 2008-09 | खिलौने और चॉकलेट | 240.54 |
| 2009-10 | खिलौने | 472.665 |
| 2010-11 | खिलौने | 120.965 |

(ग) से (ङ) भारत में किसी भी वस्तु का आयात घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार होता है। ये विनियम निर्यात एवं आयात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण में अधिसूचित हैं। यदि किसी स्रोत से आयातित माल से इन नियमों का उल्लंघन हुआ हो और मानव, पशु अथवा पौधों के जीवन अथवा स्वास्थ्य को खतरा हो तो सरकार कार्रवाई करती है। विशेष मामलों में जहां सीमाशुल्क अधिकारी घटिया और खतरनाक माल के आयात का पता लगाते हैं, तो उन्हें माल को ज़ब्त करने और अन्य सम्बद्ध अधिनियमों के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत दाण्डिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार प्राप्त है। हाल ही में, सरकार ने चीन से खिलौनों, दूध और दुग्ध उत्पाद (चॉकलेट और चॉकलेट उत्पाद और संघटक के रूप में दूध और दूध से तैयार कैन्डीज़/कन्फेक्शनरीज़/खाद्य निर्मितियो सहित) के आयात को रोकने/प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए हैं।

*[अनुवाद]*

## मद्रास पत्तन तथा एन्नोर पत्तन के मध्य सड़क

**3516. श्री ई. जी. सुगावनम:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास पत्तन तथा एन्नौर पत्तन के मध्य सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) पत्तन संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत एन्नौर एक्सप्रेस मार्ग, मनली आॅयल रिफायनरी सड़क त्रिवोट्टीवूरी-पोन्नेरी-पंचेटी सड़कों को 4 लेन का बनाए जाने की परिकल्पना की गई है। कार्य जून, 2011 में शुरु हो गया है।

*[हिन्दी]*

## कम्प्यूटर नेटवर्क को हैक किया जाना

**3517. श्री सज्जन वर्मा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों के कुछ ऑनलाइन गुप्तचर एजेंट भारतीय कंप्यूटर प्रणाली को निरंतर हैक करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी आसूचना एजेंसियों ने कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया (सीएसएम) के उपयोग के माध्यम से रक्षा गुप्त सूचनाएं चुराने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आसूचना ब्यूरो के अनुसार उक्त देशों के कुछ आसूचना अधिकारी भारतीय रक्षा प्रणाली में काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीएसएम ड्राइवों की पात्रता तथा उपयोग संबंधी नीति की व्यापक समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, हां, विगत 2-3 वर्षों के दौरान, रक्षा संगठनों सहित देश के महत्त्वपूर्ण तथा संवेदनशील संगठनों के विरुद्ध ऑनलाइन साइबर हमले प्रकाश में आए हैं जिसमें यूसेज़ कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया (सीएसएम) भी शामिल है। आसूचना ब्यूरो (आईबी) के अनुसार, विदेशी आसूचना एजेंसियों के किसी भी अधिकारी के भारतीय रक्षा प्रणाली में कार्य करने की सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश पहले ही उपलब्ध है तथा सभी संबंधितों को उनका सख्ती से अनुपालन करने पर बल दिया गया है। तथापि, इससे अधिक विवरण देना राष्ट्र की सुरक्षा के हित में उपयुक्त नहीं होगा।

*[अनुवाद]*

## गैर-निष्पादनकारी सड़क डेवलपर

**3518. श्री निलेश नारायण राणे:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय निर्माण कंपनियों/ठेकेदारों/सड़क डेवलपरों को गैर-निष्पादनकारी घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गैर-निष्पादनकारी घोषित ऐसी कंपनियों/सड़क डेवलपरों/ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) कुछ निर्माण कंपनियां/ठेकेदारों/रोड़ डेवलेपरों को, उनकों सौंपी गई परियोजनाओं के निष्पादन के आकलन के आधार पर, गैर-निष्पादकों की सूची में रखा गया है। गैर-निष्पादकों के रूप में इन निर्माण कंपनियां/ठेकेदारों/रोड़ डेवलेपरों का तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष का ब्यौरा, उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*विगत तीन वर्षो के दौरान और चालू वर्ष में गैर-निष्पादक एजेंसियों की सूची*

| क्र. सं. | वर्ष | गैर-निष्पादक के रूप में घोषित रोड़ डेवलेपरों के नाम | परियोजना का नाम | गैर-निष्पादक रोड़ डेवलेपरों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और लगाई गई शास्ति एवं प्रारंभ की गई, विधिक कार्रवाई, यदि कोई है |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | मैं. इरकान | डब्ल्यू बी-7- पैकेज एनएचडीपी-II के पश्चिम बंगाल की किमी 507 से किमी 526 रारा-31 सिलीगुड़ी से इस्लामपुर खंड और इस्लामपुर बाईपास | मैं. इरकान को 1.2.2010 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया था। इनके निष्पादन में महत्वूपर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक एनएचएआई के प्रचलित पैकेजों की तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके निष्पादन में महत्वूपर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक इनको एनएचएआई के भावी ठेके से बहिष्कृत कर दिया गया है। |
| 2. | | मैं. मेकन - जीईए (जेवी) | तमिलनाडु में रारा-7ए के किमी 4/300 से 51/200 तक तिरुनेलवेल्ली-तूतीकोरन की मौजूदा 2 लेन को चार लेन | 8.03.2010 को गैर-निष्पादक घोषितं कोचीन पत्तन सड़क सम्पर्क से संबंधित कार्य में 12.68 करोड़ रुपए की राशि की बैंक गारंटी को भुनाया गया। तूतीकोरन पत्तन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | (पलायमकोट्टि से थुडुकुडि पत्तन तक का खंड) | से संबंधित कार्य में 26.60 करोड़ रुपए राशि की बैंक गारंटी को भुनाया गया। इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक एनएचएआई के प्रचलित पैकेजों की तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक इनको एनएचएआई के भावी ठेके से बहिष्कृत कर दिया गया है। |
| | 2009-10 | | | |
| 3. | | मैं. सी डब्ल्यू एचईसी-एचसीआईएल (जेवी) | पश्चिम बंगाल राज्य में रारा-41 के कोलाघाट हल्दिया खंड के किमी 0/500 से किमी 52/700 करे चार-लेन का बनाया जाना। | 8.3.2010 गैर-निष्पादक घोषित किया गया। 46.47 करोड़ रुपए की शास्ति लगाई गई और बैंक गारंटी भुनाकर उसकी वसूली की गई।<br><br>इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक एनएचएआई के प्रचलित पैकेजों की तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक इनको एनएचएआई के भावी ठेंके से बहिष्कृत कर दिया गया है। |
| 4. | 2010-11 | | शून्य | |
| 5. | 2011-12 | मै. एम बी पटेल कन्सट्रक्शन लि. | आंध्र प्रदेश में रारा-7 का गुंडला पोचमपल्ली से बोवेनपल्ली, शिवरामपल्ली से थोंडापल्ली (एनएच 23/एपी) खंड | शेष कार्य का ठेका 24.10.11 को समाप्त कर दिया गया। तथापि, ठेकेदार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। |
| 6. | 2012-13 | मै. एम वी आर लि. | बिहार राज्य में एनएचडीपी-II के रारा-28 (गोपालगंज से मुजफ्फरपुर) को चार का बनाना रारा-28 का पैकेज डब्लयू बी-10, किमी 402 से किमी 440 और डब्ल्यू बी-12 किमी 480 से किमी 520 | 15.06.2012 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया।<br>इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक एनएचएआई के प्रचलित पैकेजों की तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक इनको जाने तक इनको एनएचएआई के भावी ठेके से बहिष्कृत कर दिया गया है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | | मै. रोमन तारमेट लि. | रारा-7 के नागपुर-हैदराबाद खंड के किमी 94 से किमी 123 तक को 4 लेन बनाए जाने का शेष कार्य | 04.06.2012 को गैर-निष्पादक घोषित किया गया। इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक एनएचएआई के प्रचलित पैकेजों की तदनन्तर आवधिक समीक्षा के दौरान इनके निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किए जाने और निष्पादन पूरा किए जाने तक इनको एनएचएआई के भावी ठेके से बहिष्कृत कर दिया गया है। |

## ईएसआई डेन्टल कॉलेज

**3519. श्री कोडिकुन्नील सुरेशः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल के एझुकोन, कोल्लम में कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) डेन्टल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस कॉलेज के कब तक स्थापित होने और शुरु होने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कुछ चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण का कार्य चल रहा है। चालू परियोजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात केरल के एझुकोन, कोल्लम में डेन्टल कॉलेज खोले जाने पर विचार किया जाएगा।

(ग) चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की स्थापना करने पर भारी मात्रा में अवसंरचना का निर्माण करना तथा विभिन्न विनियामक शर्तो को पूरा करना होता है जिसके लिए डेन्टल काउंसिल आफ इंडिया से अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित होता है और जिसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

*[हिन्दी]*

## महाराष्ट्र के ठाणे जिले में पथकर बूथ

**3520. श्री सुरेश काशीनाथ तवारेः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर बूथों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर बूथों की भारी संख्या के कारण आम आदमी को होने वाली असुविधा पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन सड़कों पर परिवहन निगम सेवाएं प्रदान नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा पथकर बूथों की संख्या को घटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) ठाणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 6 पथकर स्टेशन हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) पथकर प्लाजा सड़क खंडों/पुलों आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुल्क संग्रहित करने के लिए हैं। परियोजनाओं को अलग-अलग समय पर शुरू किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इस परियोजनाओं पर पथकर प्लाजा हैं। पथकर संग्रहीत करने वाली एजेंसी अपेक्षित सेवाएं भी प्रदान करती है।

(ङ) जब कभी सड़क के खंडों अथवा ढांचों को चौड़ी में बदला जाता है तो पथकर प्लाजाओं को एकल प्लाजा में सम्मिलित कर दिया जाता है।

*विवरण*

*राष्ट्रीय राजमार्गों पर ठाणे जिले में पथकर बूथ*

| क्र.सं. | राष्ट्रीय राजमार्ग | चैनेज | पथकर बूथ का नाम |
|---|---|---|---|
| 1. | ठाढ़े-भिवाड़ी बाइपास रारा-3 | किमी 559/650 | खारेगांव |
| 2. | मुबई-अहमदाबाद सड़क रारा-8 | किमी 474/00 | शिरसाद |
| 3. | मुबई-अहमदाबाद सड़क रारा-8 | किमी 421/00 | चरोटी |
| 4. | मुबई-आगरा सड़क रारा-3 | किमी 533/150 | पैदगाह |
| 5. | मुम्बरा बाइपास ठाणे-पुणे-बंगलौर सड़क रारा-4 | किमी 5/0 | मुम्बरा |
| 6. | मुम्बई-अहमदाबाद सड़क रारा-8 | किमी 502/370 | दहिसर |

*[अनुवाद]*

**ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं**

3521. **श्री नित्यानंद प्रधानः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ओडिशा में सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 8500 करोड़ रु. का अनुदान देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) विजयवाड़ा-रांची राजमार्ग पर चल रहे विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में पूरे हुए खंड कौन-से हैं; और

(घ) उक्त बजट में से वित्तपोषित होने वाली नकसल क्षेत्रों की सड़कों का ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नवंबर, 2010 में सरकार ने ओडिशा में विजयवाड़ा-रांची मार्ग पर राज्य सड़कों के विकास के लिए एक कार्यक्रम अनुमोदित किया है। 1126 करोड़ रु. की लागत पर 594 किमी. लंबाई की सड़कों के 9 पैकेजों के लिए विस्तृत प्राक्कलन पहले ही संस्वीकृत कर दिया गया है और 778.26 करोड़ रु. की लागत के 518 किमी. लंबाई के 7 पैकेजों को पहले ही सौंप दिया गया है। 169 करोड़ रु. की लागत के 76 किमी. लंबाई के शेष 2 पैकेजों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में पूरी की गई सड़क लंबाई का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

| क्र.सं. | वर्ष | पूरी की गई किमी. लंबाई |
|---|---|---|
| 1. | 2009-10 | 0 |
| 2. | 2010-11 | 0 |
| 3. | 2011-12 | 6 |
| 4. | 2012-13 (जुलाई 2012 तक) | 11 |

(घ) ओडिशा में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास की स्कीम के अंतर्गत 615 किमी. लंबाई के लिए 949 करोड़ रु. की राशि के 14 प्राक्कलन संस्वीकृत किए गए है।

**'ई-टिकटिंग प्रणाली का प्रावधान'**

3522. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ राष्ट्रीय पार्कों/चिड़ियाघरों के लिए ई-टिकटिंग शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सभी राष्ट्रीय पार्कों/चिड़ियाघरों में इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) राज्यों में संबंधित चिड़ियाघर प्राधिकरणों द्वारा ई-टिकटिंग इत्यादि की जाती है।

(ख) नेहरु प्राणि उद्यान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और सीरी चामराजेन्द्र प्राणि उद्यान, मैसूर, कर्नाटक द्वारा ई-टिकटिंग शुरु की गई है।

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ई-टिकटिंग का कार्य नहीं करता है। इसलिए देश में अन्य चिड़ियाघरों में ई-टिकटिंग के कार्यान्वयन संबंधी कोई सूचना संकलित नहीं की जाती है।

*[हिन्दी]*

**निर्यात संवर्धन परिषद्**

3523. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ईपीसी को प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) जी, हां। वाणिज्य विभाग द्वारा बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम तथा निर्यात अवसंरचना एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) स्कीम के अंतर्गत विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। निर्यात संवर्धन परिषदों को वस्त्र मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

(ख) वाणिज्य विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ईपीसी को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

***विवरण***

*निर्यात संवर्धन परिषदों को प्रदत्त वित्तीय सहायता*

(राशि रुपए में)

| क्र.सं. | निर्यात संवर्धन परिषद का नाम | 2009-10 कुल | 2010-11 कल | 2011-12 कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | वस्त्र ईपीसी | 51,963,000 | 156,434,008 | 192,148,573 |
| 2. | कैपेक्सिल | 36,612,650 | 42,359,537 | 53,165,895 |
| 3. | कालीन ईपीसी | 83,911,000 | 35,050,000 | 105,316,372 |
| 4. | काजू ईपीसी | 5,372,114 | 5,581,936 | 55,679,669 |
| 5. | केमेक्सिल | 50,541,669 | 80,614,105 | 78,501,892 |
| 6. | चर्म निर्यात परिषद | 44,299,000 | 161,929,927 | 88,694,589 |
| 7. | इलेक्ट्रॉनिक्स कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ईपीसी | 34,627,271 | 63,916,777 | 80,860,740 |
| 8. | इंजीनियरी ईपीसी | 96,636,790 | 149,454,365 | 143,285,102 |
| 9. | ईओयू एवं एसईजेड ईपीसी | 1,684,089 | 4,345,000 | 4,343,000 |
| 10. | हस्तशिल्प ईपीसी | 104,568,000 | 114,876,103 | 155,115,912 |
| 11. | रत्न एवं आभूषण ईपीसी | 51,431,000 | 175,104,568 | 220,439,358 |
| 12. | हथकरघा ईपीसी | 24,631,000 | 39,632,000 | 34,854,026 |
| 13. | भारतीय तिलहन एवं उत्पाद ईपीसी | - | 5,000,000 | 6,250,000 |
| 14. | भारतीय रेशम ईपीसी | 24,736,000 | 14,970,000 | 26,504,700 |
| 15. | पावरलूम विकास ईपीसी | 9,340,000 | 23,082,000 | 5,000,000 |
| 16. | फार्मेक्सिल | 46,413,223 | 87,907,990 | 133,755,499 |
| 17. | प्लास्टिक ईपीसी | 17,660,000 | 23,336,000 | 26,300,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18. | परियोजना ईपीसी | 1,275,000 | 3,748,000 | 2,000,000 |
| 19. | सेवा ईपीसी | - | 2,948,000 | 1,500,000 |
| 20. | खेल सामग्री ईपीसी | 36,079,782 | 42,063,972 | 18,953,151 |
| 21. | कृत्रिम रेयॉन वस्त्र ईपीसी | 35,617,800 | 33,809,915 | 34,709,145 |
| 22. | दूरसंचार ईपीसी | 1,783,500 | 7,000,000 | 15,071,561 |
| 23. | सूती वस्त्र ईपीसी | 13,483,000 | 30,101,000 | 53,478,681 |
| 24. | वूलटेक्सप्रो | - | 4,940,000 | 27,730,240 |
| 25. | ऊन एवं ऊनी वस्त्र ईपीसी | 12,954,000 | 13,360,000 | 15,174,000 |
| 26. | चपड़ा एवं वनोत्पाद ईपीसी | - | 5,500,000 | - |
| | महायोग | 785,619,888 | 1,327,065,203 | 1,578,832,105 |

*[अनुवाद]*

**मलेशियाई कंपनियों के सहयोग से एनएच परियोजनाएं**

**3524. श्री सुरेश कुमार शेटकर:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मलेशियाई कंपनियों के सहयोग से कतिपय राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं शुरु की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पूर्ण हो चुकी तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) जी हां। मलेशिया ठेकेदारों/रियायतग्राहियों ने व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त उपक्रमों में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत 36 परियोजनाओं का कार्य शुरू किया है। पूर्ण कर ली गई ऐसी परियोजनाओं तथा कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11211 करोड़ रुपए हैं।

***विवरण***

*मलेशियाई ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की सूची*

| क्र.सं. | खंड | रारा सं. | कुल लंबाई (किमी में) | एजेंसी | एजेंसी की राष्ट्रीयता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **कार्यान्वयन के अधीन** | | | | |
| 1. | चिलकालूरीपेट-विजयवाडा (छह लेन) | 5 | 82.5 | आईजेएम कार्पोरेशन बरहार्ड-आईडीएफसी लि. | मलेशियाई-भारतीय |
| 2. | रारा 8डी (अनुमोदित लंबाई 127.6 किमी) के जैतपुर-सोमनाथ खंड को चार लेन का बनाया जना | 8D | 123.45 | आईडीएफसी-प्लस एक्सप्रेसवे बरहाड कंसोर्शियम | भारतीय-मलेशियाई (संउ) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | आईसीटीटी वल्लारपदम के लिए रारा संपर्क पूर्ण | 47C | 17.2 | सनकॉन - सोमा (संउ) | मलेशियाई-भारतीय |
| 4. | चिलकालूरीपेट-ओंगोले (एपी-13) | 5 | 66 | आईजेएम-गायत्री | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 5. | विजयवाडा-चिलकालूरीपेट पैकेज II | 5 | 32 | आईजेएम-गायत्री | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 6. | विजयवाडा-चिलकालूरीपेट पैकेज III | 5 | 23.78 | आईजेएम-गायत्री | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 7. | नंदीगामा - विजयवाडा | 9 | 48 | बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 8. | नंदीगामा - विजयवाडा | 9 | 35 | सीडबी मलेशिया | मलेशियाई |
| 9. | विजयवाडा-चिलकालूरीपेट पैकेज I | 5 | 25 | आईजेएम-गायत्री | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 10. | अंकापल्ली - तुनि | 5 | 58.947 | जीएमआर-तुनी-अंकापल्ली एक्सप्रेस लि. | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 11. | ओंगोले - कावली (एपी-12) | 5 | 72 | एचओ-एचयूपी-सिम्पलेक्स (संउ) | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 12. | नैल्लोर - टाडा (एपी-7) | 5 | 110.517 | सीडबी मलेशिया | मलेशियाई |
| 13. | इलुरु-जिवयवाडा पैकेज V | 5 | 72 | मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.-बीनापुरी (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 14. | रतनपुर-हिमतनगर (यूजी-III) | 8 | 54.6 | मुदजया-आईआरबी | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 15. | गुडगांव-कोटपुतली | 8 | 126 | बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 16. | गोरहर-बारवा अड्डा (टीएनएचपी/V-सी) | 2 | 78.75 | प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. सनवे बरहाड (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 17. | बारवा अड्डा - बाराकर | 2 | 43 | बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 18. | बेलगाम बाईपास | 4 | 18 | सनवे कंस्ट्रक्शन लि.-बरहार्ड एंड आरएन शेटटी एंड कं. | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 19. | बेलगाम-धारवाड़ | 4 | 62 | सनवे कंस्ट्रक्शन लि.-बरहार्ड एंड आरएन शेटटी एंड कं. | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 20. | चित्रदुर्ग-सीरा | 4 | 667 | यूईएम-एस्सार (संउ) | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 21. | ललितपुर-सागर (एडीबी II/सी-4) | 26 | 55 | आईजेएम कार्पोरेशन | मलेशियाई |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | भोगपुर से जालंधर (एनएस-16/पीबी) | 11 | 21.77 | बूमि हाईवे | मलेशियाई |
| 23. | राजस्थान/मध्य प्रदेश सीमा से कोटा (आरजे-9) | 76 | 43.15 | सनवे कंस्ट्रक्शन लि.- | मलेशियाई |
| 24. | गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाईपास (केयू-III) | 79 | 50 | ईसीएसबी-जेएसआरसी (संउ) | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 25. | चित्तौडगढ़-मांगलवाड (केयू-V) | 76 | 48 | मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि.- बीनापुरी (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 26. | महुआ-जयपुर | 11 | 108 | जेएमटीपीएल(I) कार्पोरेशन प्रोजेक्ट | मलेशियाई |
| 27. | ताम्बरम-टिंडिवनम | 45 | 93 | ताम्बरम-टिंडिवनम एक्सप्रेसवे प्रा.लि. (कंसोर्शियम ऑफ जीएमआर कंसोर्शियम एंड यूई मलेशिया) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 28. | उलून्दुरुपेट-पडलूर (पैकेज-VI-बी) | 45 | 93.89 | आईजेएम-सपूरजी पल्लोंजी (संउ) (त्रिची टोलवे प्रा. लि.) | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 29. | इटावा-रायपुर (जीटीआरआईपी/I-सी) | 2 | 72.825 | पीएटीआई-बीईएल (संउ) | मलेशियाई-भारतीय संउ |
| 30. | ओरई से झांसी (यूपी-4) | 25 | 682 | सनवे कंस्ट्रक्शन लि. | मलेशियाई |
| 31. | वाराणसी-मोहनिया (जीटीआरआईपी/IV-ए) | 2 | 76 | प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लि. सनवे बरहाड (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 32. | रानीगंज-पानागढ़ | 2 | 42 | बीएससी-आरबीएम-पीएटीआई (संउ) | भारतीय-मलेशियाई संउ |
| 33. | पानागाढ़-पलसित | 2 | 64.457 | गमुडा मलेशिया-डब्ल्यूसीटी मलेशिया | मलेशियाई |
| 34. | धनकुनी-कोलाघाट (डब्ल्यूबी-I) | 6 | 54.4 | आरबीएम-पीएटीआई (संउ) | मलेशियाई |
| 35. | पलसित-धनकुनी | 2 | 65 | कंसोर्शियम ऑफ गोमुडा (मलेशिया) और डब्ल्यूसीटी इंजीनियरिंग(मलेशिया) | मलेशियाई |
| 36. | चेन्नै बाईपास चरण I | 4,45 | 19 | आईजेएम-सत्यू कंस्ट्रक्शन लि. | मलेशियाई-भारतीय संउ |

*[हिन्दी]*

**'पैकेजिंग प्रयोजनों हेतु प्लास्टिक पर प्रतिबंध'**

**3525. श्री अर्जुन राम मेघवाल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्लास्टिक पैकेज वाले पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्लास्टिक पैकेज के बगैर पान मसाला तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण विदेशी मुद्रा में कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार प्लास्टिक पैकेज वाले पान मसाला तथा तंबाकू उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2011 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के अन्तर्गत यह निर्धारित किया गया है कि प्लास्टिक सामग्री वाली थैलियों का प्रयोग किसी भी रूप में गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग अथवा बिक्री के लिए नहीं किया जा सकता। निर्यात उद्देश्यों हेतु पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के पैकेज के लिए प्लास्टिक सामग्री के प्रयोग की छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की पैकिंग हेतु प्रयुक्त प्लास्टिक की थैलियों के अंधाधुंध बिखराव के फलस्वरूप पर्यावरण पर प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए गुटखा, तंबाकू और पान मसाला की पैकिंग में प्लास्टिक के प्रयोग पर निषेध लगाना आवश्यक है।

## नर्मदा नदी की सफाई के लिए आबंटित धनराशि

**3526. श्री मकन सिंह सोलंकी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नर्मदा नदी की सफाई के लिए धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु अब तक कितनी धनराशि मंजूर की गई है और कितनी जारी की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत नर्मदा नदी के किनारे बसे जबलपुर और होशंगाबाद शहरों को नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु अभिज्ञात किया गया था। जबलपुर के लिए चार स्कीमें और होशंगाबाद के लिए दो स्कीमें क्रमशः 1.34 करोड़ रुपये और 12.99 करोड़ रुपये की लागत में मंजूर की गई थी।

(ग) स्कीमों की 14.33 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत में से, एनआरसीपी के अंतर्गत जारी की गई धनराशि 6.48 करोड़ रुपये है।

## एनएच 58 पर फ्लाईओवर

**3527. श्री कादिर राणा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर मोहननगर-मुरादनगर और मोदीनगर पर फ्लाईओवर के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एनएच 58 पर उक्त स्थानों पर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) मोहननगर, मुरादनगर और मोदीनगर शहरों में रारा-58 पर फ्लाईओवर के निर्माण द्वारा स्थल सुधार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## पूर्व सैनिकों की विधवाएं

**3528. श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में पूर्व-सैनिकों की विधवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा पूर्व-सैनिकों की विधवाओं की सहायता तथा कल्याण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार देश में भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की संख्या 547097 है।

(ख) और (ग) जी, हां, भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को स्वीकार्य पेंशन संबंधी लाभों के अलावा, सरकार इन विधवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी कार्यान्वित पर रही है। ऐसी योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में उपलब्ध है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*विवरण*

**(क) कल्याणकारी/वित्तीय सहायता की योजनाएं**

**1. रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से वित्तीय सहायता**

रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से विधवाओं और विधवाओं के प्रतिपाल्यों (वार्डों) के लिए स्वीकार्य वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

| क्र.सं. | अनुदान | राशि (रुपए में) |
|---|---|---|
| 1. | निर्धनता अनुदान (65 वर्ष)<br>(हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगी) | 1000 प्रतिमाह |
| 2. | शिक्षा अनुदान<br>विधवाएं निर्धनता अनुदान | 1000 प्रतिमाह |
| 3. | अशक्त संतान अनुदान<br>(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) | 1000/- प्रतिमाह |
| 4. | गृह मरम्मत अनुदान<br>(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी तथा गैर-पेंशनभोगी)<br>• 100% निशक्त भूतपूर्व सैनिक<br>• अनाथ पुत्री (सभी रैंक को) | 20000/- |
| 5. | विवाह अनुदान<br>(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)<br>विधवा पुनर्विवाह अनदुान<br>(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर पेंशनभोगी) | 16000/- |
| 6. | अंतिम संस्कार अनुदान<br>(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी) | 5000/- |
| 7. | चिकित्सा अनुदान<br>(हवलदार रैंक तक गैर-पेंशनभोगी)<br>मेडिकल अनुदान<br>(हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर पेंशनभोगी, नेपाल) | 30000/-<br>(अधिकतम) |
| 8. | विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान<br>(हवलदार रैंक तक के पेंशनभोगी/ गैर पेंशनभोगी) | 20000/-<br>(एक बार) |

**2. एएफएफडी निधि से गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता**

| गंभीर बीमारियां (केवल सूचीबद्ध) अनुदान | |
|---|---|
| • एंजियोप्लास्टी<br>• एंजियोग्राफी<br>• ओपन हार्ट सर्जरी<br>• वाल्व बदलना<br>• पेसमेकर इम्प्लांट<br>• गुर्दा इम्प्लांट<br>• प्रोस्टेट सर्जरी<br>• ज्वाइंट बदलना<br>• सेरीब्रल स्टॉक<br>• अन्य बीमारियां : जिनमें इलाज पर 1.00 लाख रु. से अधिक व्यय हुए हों | कुल व्यय का 75%/90% (क्रमश: अफसर तथा अफसर रैंक से निचले रैंक) अधिकतम 1.25 लाख रु. तक |

| | |
|---|---|
| • डाइलिसिस | कुल व्यय का 75%/90% (क्रमशः अफसर तथा अफसर रैंक से निचले रैंक) |
| • कैंसर | अधिकतम 75,000 रु. तक |

**3. प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना:** विधवाओं के प्रतिपाल्यों के लिए उच्चतर तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रोत्साहित करने के लिए लड़कियों के लिए 1500 रु. प्रतिमाह तथा लड़कों के लिए 1250 रु. प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियां।

4. मेडिकल/दंत चिकित्सा कॉलेजों में रक्षा कोटे की सीटें आरक्षित करना: युद्ध विधवाओं तथा विधवाओं के प्रतिपाल्यों के लिए क्रमशः प्राथमिकता I तथा III के अंतर्गत भारत सरकार नामिती के रूप में उक्त आरक्षण।

**5. युद्ध स्मारक होस्टल:** युद्ध-विधवाओं और विधवाओं के बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए 35 युद्ध स्मारक होस्टलों का निर्माण किया गया है। युद्ध-विधवाओं और विधवाओं के प्रतिपाल्यों के लिए युद्ध स्मारक होस्टलों का आरोप्य तथा गैर-आरोप्य मामलों में क्रमशः 1350/- रु. प्रतिमाह तथा 675/- रु. प्रतिमाह की दर से आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं।

**ख. पुनर्वास योजनाएं**

(i) भूतपूर्व सैनिक प्रशिक्षण

भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं प्रशिक्षण पाठयक्रमों के लिए पात्र हैं बशर्ते कि संबंधित सैनिक ने अपनी सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्वास प्रशिक्षण की सुविधा का इस्तेमाल न किया हो।

(ii) पुनः रोजगार

केंद्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधीन ग्रुप 'ग' पदों में निर्धारित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार।

(iii) स्व रोजगार

(क) कोयला टिप्पर सम्बद्ध योजना: विधवाओं/निशक्त सैनिकों के लिए यह कल्याणकारी योजना भूतपूर्व सैनिक कोयला लदान तथा ढुलान योजना के साथ सम्बद्ध है।

(ख) मदर डेयरी फल तथा सब्जी (सफल) दुकानें: मदर डेयरी इंडिया प्राइवेट लि. फल तथा सब्जी (सफल) की दुकानें उपलब्ध कराती है।

(ग) 8% रक्षा कोटे के अंतर्गत तेल उत्पद एजेंसियों का आबंटन: इस योजना के अंतर्गत 8% तेल उत्पाद एजेंसियां एलपीजी वितरण, किसान सेवा केंद्र (केएसके) तथा एसकेओ/एलडीओ डीलरशिप (मिट्टी के तेल की एजेंसी) सहित पेट्रोल/डीजल रिटेल आउटलेट।

(घ) राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के अंतर्गत एलपीजी एजेंसी आबंटन।

(ङ) 18% कोटा के अंतर्गत नियमित एलपीजी वितरण का आबंटन।

(च) सेना के अधिशेष वाहनों का आबंटन: भूतपूर्व सैनिक तथा सेवाकाल के दौरान शहीद रक्षा कार्मिकों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक को-ऑपरेटिव सोसाइटियां सेना के अधिशेष श्रेणी-V बी वाहनों के आबंटन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

*[अनुवाद]*

**राइफलों की खरीद**

**3529. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय थल सेना का विचार सीमापार घुसपैठ, चरमपंथियों तथा चोरी-छुपे आने वाले लोगों से ठीक तरह से निबटने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से उच्च प्रौद्योगिकी राइफल खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) एसाल्ट राइफलों की खरीद के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध नवंबर, 2011 में जारी किया गया था। प्रस्ताव हेतु अनुरोध का पांच फर्मों ने प्रत्युत्तर दिया तथा बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

*[हिन्दी]*

**पथकर संग्रहण एजेंसियां**

**3530. श्री पशुपति नाथ सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई सरकारी तथा निजी एजेंसियों पथकर संग्रहण में लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एजेंसियों के स्थानीय लोगों द्वारा विरोध की कुछ घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा एनएच-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन एजेंसियों के कार्यकरण पर नियंत्रण रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) और (ख) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत सार्वजनिक वित्तपोषित पथकर प्लाजाओं, जहां पथकर संग्रहीत किया जा रहा है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) फीस संग्रहणकर्ता ठेकेदारों के कार्यचालन का अनुवीक्षण परियोजना निदेशकों और क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आंतरिक संपरीक्षक (सीए फर्म) भी ठेकेदारों के कार्यचालन का अनुवीक्षण कर रहे हैं।

### *विवरण*

*31 जुलाई, 2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन सार्वजनिक वित्तपोषित पथकर प्लाजा जहां सफल निविदादाता द्वारा पथकर संग्रहीत किया जा रहा है*

| क्र. सं. | खंड | पथकर योग्य खंड के किमी | रारा | लंबाई किमी | प्लाजा की अवस्थिति | निविदादाता का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | किशनगढ़-गांव कावलियास | किमी 0.00-किमी 35.00 और किमी 15.00-किमी 81.00 | 79 और 79ए | 101.000 | किमी 80.800 कावलियास | मै. संगम इंडिया लि. |
| 2. | भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ | किमी 81.00-किमी 163.900 | 79 | 82.900 | किमी 163.650 जोजरो का खेडा | मै. संगम इंडिया लि. |
| 3. | गांव रिठौला-उदयपुर | किमी 213-किमी 113.830 | 76 | 99.170 | किमी 166.00 नारायणपुरा | मै. ईगल इन्फ्रा इंडिया लि. |
| 4. | उदयपुर-खेरवाड़ा | किमी 278.00 किमी 348.00 | 8 | 70.000 | किमी.311.100 पादुना गांव | मै. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर (प्रा.) लि. |
| 5. | खेरवाड़ा-रतनपुर | किमी 348.00-किमी 388.180 | 8 | 40.180 | किमी.348.450 (खंडी ओबरी उपला फल्ला गांव) | मै. संगम इंडिया लि. |
| 6 | रतनपुर-हिम्मतनगर | किमी 388.180-किमी 443.00 | 8 | 54.820 | किमी 416.00 वनटाडा जिला साबरकांठा | मै. सहकार ग्लोबल लि. |
| 7 | हिम्मतनगर-चिलौधा | किमी. 443.00-किमी. 495.00 | 8 | 52.000 | किमी. 472.035 काठपुरा | मै.गीतांजली होस्टेल एंड प्रोमोटर्स लि. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम | किमी 592.24-किमी 537 | 4 | 55.240 | किमी 591.24 कंगोली | सिध्देश्वर सिक्यूरिटीज एजेंसी |
| 9 | हट्टारगी हीरेबागवादी | किमी. 537.000-किमी 515.000 | 4 | 22.00 | किमी. 537.77 हट्टारगी | मैं.कोर्णाक इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. |
| 10 | गब्बूर-देवागिरी | किमी 404.00-किमी 340.00 | 4 | 64.00 | किमी 352.550 बंकापुर | मै.एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्रा. लि. |
| 11 | वालाझपेट-कांचीपुरम | किमी 107.200 - किमी 60.100 | 4 | 47.115 | किमी 104.99 चेन्नासमुद्रम | मै. एमईपी टोल रोड (प्रा) लि. |
| 12 | कांचीपुरम-चेन्नै | किमी 60.10-किमी 13.80 | 4 | 46.300 | किमी 37.80 श्रीपेररूंबदूर | मै. श्री गुरु कृपा इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर्स |
| 13 | बदरपुर-कोसी | किमी 18.8-किमी 108.9 | 2 | 90.100 | किमी 72 श्रीनगर | मैं. एमईपी टोल रोड प्रा. लि. |
| 14 | कोसी-आगरा | किमी 108.9-किमी 199 | 2 | 90.100 | किमी 164.55 महुवन | मै. एमईपी टोल रोड प्रा. लि. |
| 15 | टुंडला-माखनपुर | किमी 219.00-किमी 250.500 | 2 | 31.500 | किमी 225.00, टुंडला | मै. यू टोल कार्पोरेशन(प्रा) लि. |
| 16 | शिकोहाबाद-इटावा और इटावा बाइपास | किमी 250.00 -किमी 321.10 | 2 | 72.940 | किमी 285.0 सेमरा, अतिकाबाद | मै. शिवा कार्पेरेशन India लि. |
| 17 | इटावा-सिकंदरा | किमी 321.10-किमी 393.00 | 2 | 72.825 | किमी 351.50 अनंतराम | मै. नीरज उपाध्याय |
| 18 | सिकंदरा-भौंती | किमी 393.0 किमी 470.00 | 2 | 61.000 | किमी 2.80 से किमी 393.00 सिकंदरा | मै. एमईपी टोल रोड (प्रा) लि. |
| 19 | भौंती-फतेहपुर | किमी 470.000- किमी 483.000 और किमी 0.000-किमी 38.000 (नया चैनेज किमी 457.377-किमी 508.877) | 2 | 51.500 | किमी 506.262, पुरवामीर | मै. सहकारी आवास निर्माण एवम वित्त निगम लि. |
| 20 | फतेहपुर-खोखराज | किमी 100.00 किमी 158.00 | 2 | 58.000 | किमी 120.50 कटोघन | श्री विनेयन्द्र नाथ उपाध्याय |
| 21 | इलाहाबाद-हंडिया-वाराणसी | किमी 245.00-किमी 317.00 | 2 | 72.000 | किमी 279.12, लालानगर | मैं. प्रीमियर कार सेल्स लि. |
| 22 | औरंगाबाद-बाराचट्टी | संशोधित किमी 180.00 -किमी 240.00 | 2 | 60.000 | किमी 200.100 गांव साउ कला | स्काईलार्क सिक्यूरिटीज प्रा.लि. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | बाराचट्टी-गौरहर | किमी 240.00-किमी 320.00 | 2 | 80.000 | किमी. 279.425 रसैया धमना, जिला हजारीबाग | मै. वेस्टवैल आयरल एंड स्टील प्रा. लि., |
| 24 | गौरहर-बरवा अड्डा | किमी 320.00-किमी 398.75 | 2 | 78.750 | किमी 346.100, घंगारी, जिला गिरीडीह (30.03.12) | स्काईलार्क सिक्यूरिटीज प्रा. लि.. |
| 25 | बरवा अड्डा-पानागढ़ | किमी 398.75- किमी 515.236 | 2 | 116.486 | किमी 454.8 गरूई | क्लिफोर्ट फेसिलिटी सर्विस |
| 26 | बुदबुद-पलसित | किमी 525.853-किमी 587.853 | 2 | 62.000 | किमी 585.692 पलसित जिला बर्दवान | पी; के सिक्यूरिटीज |
| 27 | पलसित-धनकुनी | किमी 587.853-किमी 651.602 | 2 | 63.749 | किमी 646.005 धनकुनी | ग्लेडियटर्स सर्विसेज |
| 28 | खड़गपुर-डांटन | किमी. 69.450 - किमी 119.737 | 60 | 50.287 | किमी 103.490 रामपुरा | मै. राय सिक्यूरिटीज सर्विसेज |
| 29 | डांटन-बालासोर | किमी 69.450-किमी 0.00 | 60 | 69.450 | किमी 52.000 (35.400 पुराना) गांव लक्ष्मणनाथ (पुराना संतोषपुर) | मै. एमईपी टोल रोड प्रा. |
| 30 | भद्रक-बालासोर | किमी 136.500-199.141 (नया चैनेज किमी 143.635-किमी 80.994) | 5 | 62.641 | किमी 182.175 (किमी 97.960 नया) शेरगढ़ | मै. एमईपी टोल रोड प्रा. लि. |
| 31 | भद्रक-चेतिया | किमी 53.124-123.124 (नया चैनेज किमी 227.00-किमी 157.00) | 5 | 73.000 | किमी 98.000 (किमी 191.698 नया) पानी खोली | मै. एमईपी टोल रोड प्रा. लि. |
| 32 | सुनाखला-भुवनेश्वर | किमी 337.01-किमी 402.01 (नया चैनेज किमी 362.000-किमी 297.000) | 5 | 65.000 | किमी 397.310 गंगपदा खुर्दा के निकट (नया किमी 301.700) | श्री गुरूकृपा इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर्स |
| 33 | इच्छापुरम-नंदीगाम | किमी. 226.15-किमी 160.00 (नया चैनेज किमी. 477. 054-543.204) | 5 | 66.150 | किमी.172.800 (नया 530.404) लक्ष्मीपुरम | मो. उस्मान (अकेला) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | नंदीगाम-श्रीकाकुलम | किमी 160.00 -किमी 97.00 (नया चैनेज किमी 543.204 किमी 606.204) | 5 | 63.000 | किमी 589.554 मदपम गांव जिला श्रीकाकुलम | मो. उस्मान (अकेला) |
| 35 | श्रीकाकुलम चंपावती | किमी 97.00-किमी 49.00 (नया चैनेज से किमी 606.704 किमी 654.204 | 5 | 48.000 | किमी 616.704 चिल्कापलेम | मै. सहकार ग्लोबल लि. |
| 36 | चंपावती/कोप्परला-विशाखापट्टनम | किमी 46.00-किमी 2.837 (नया चैनेज से किमी 700.544-किमी 654.204) | 5 | 46.340 | किमी 656.704 नाथवलसा, जिला विजयानगरम | मै. इमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्रा लि. |
| 37 | विशाखापट्टनम अंकापल्ली | किमी 2.837 किमी 0.00 और किमी 395.870-किमी 958.00 (नया चैनेज से किमी 700.544-किमी 741.255 | 5 | 40.707 | किमी 728.055 अकनापुदी | कोव्वुरी रविन्द्रा रेड्डी (अकेला) |
| 38 | अंकापल्ली-तुनी | किमी 358.00 किमी 272.00 (नया चैनेज से किमी 830.525-किमी 741.255) | 5 | 89.270 | किमी 795.498 वेमापदू, जिला विशाखापट्टनम | मै. कोणार्क इन्फ्रास्क्चर लि. |
| 39 | तुनी-राजामुंद्री (बोम्मुरू) | किमी 272.000 किमी 187.600 (नया चैनेज से किमी 914.833 किमी 830.525) | 5 | 84.400 | किमी 236.200 (नया किमी 865.553) के निकट कृष्णावरम | मै. एसवीईसी कस्ट्रक्शन लि. |
| 40 | बोम्मुरू-गुंडुगोलानू | किमी 187.6 - किमी 81.6 (नया चैनेज से किमी 914.833-1022.494 | 5 | 107.611 | किमी 139.483 (नया किमी 964.350), तानुकू | मै. कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. |
| 41 | गुंडुगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित | किमी 81.60 किमी 42.5 (नया चैनेज से किमी 1022.494-1061.5940) | 5 | 39.100 | किमी 53.300 (नया किमी 1050.794) कलपारू गांव | कोव्वुरी रविन्द्रा रेड्डी (अकेला) |
| 42 | गुंडुगोलानू-विजयवाड़ा-इलूरू बाइपास सहित | किमी 42.50- किमी 3.4 (नया चैनेज से किमी 1061.594 किमी 1100.694) | 5 | 39.100 | किमी 31.850 (नया किमी 1072.191, पट्टीपादू गांव | कोव्वुरी रविन्द्रा रेड्डी (अकेला) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | आगरा-धौलपुर | किमी 8.00 किमी 51 | 3 | 43.000 | किमी 34 बराठा | मै. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स (प्रा) लि. |
| 44 | मुरैना-ग्वालियर | किमी 61.00 किमी 103.00 | 3 | 42.000 | किमी 85.870 गांव चौंधा, जिला, मुरैना | मै. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स (प्रा) लि. |
| 45 | झांसी-ललितपुर | किमी 49.700 किमी 99.005 | 26 | 49.305 | किमी 85.280 ललितपुर जिला में गांव विगापेट | मै. बाला एंटरप्राइजेज |
| 46 | झांसी-लखनादोन | किमी 262.739- किमी 309.000 | 26 | 46.261 | सागर जिला में तीतरपानी गांव किमी 294.500 | मै. सहकारी आवास निर्माण एवम वित्त निगम लि. |
| 47 | लखनादोन-महागांव | किमी 567.550 किमी 624.480 | 4 | 56.93 | सिवनी जिले मैं अलोनिया गांव के निकट किमी | मै. स्काईलार्क सिक्यूरिटीज (प्रा) लि. |
| 48 | अडलूर येल्लारेड्डी-गुंडला पोचमपल्ली | किमी 368.255 किमी 471.331 | 7 | 103.076 | किमी 443.713 मनोहाराबाद | मै. बीएसएस प्रोजेक्ट्स प्रा लि. |
| 49 | महाराष्ट्र/आ. प्र. सीमा-इस्लाम नगर | किमी 175.000 किमी 230.000 | 7 | 54.600 | आदिलाबाद जिले में पिंपलवाड़ा गांव के निकट किमी 180.300 | मैं. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्रा लि. |
| 50 | इस्लाम नगर-कटडल | किमी 230.00 किमी 278.00 | 7 | 53.010 | आदिलाबाद जिले में रोलमंबा गांव किमी 245.400 | मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा लि.. |
| 51 | कटडल-अरमूर | किमी 278.00 किमी 308.00 | 7 | 30.900 | किमी 281.320, गमजाल | मै. ईगल इन्फ्रा इंडिया लि. (पुराना नाम-ईगल कंस्ट्रक्शन कं.) |
| 52 | कोथाकोटा बाइपास - करनूल | किमी 135.469 किमी 211.00 | 7 | 74.622 | किमी 200.95 (पुल्लुर) | मै. टीजीवी प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.. |
| 53 | करनूल-करीदीकोंडा | किमी 211.00 किमी 295.00 | 7 | 84.000 | किमी 250.700, अमाकथाडु, जिला करनूल | मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.. |
| 54 | करीदीकोंडा-मरूर | किमी 295.00 किमी 374.00 | 7 | 79.000 | किमी 310.200, कासेपल्ली, जिला. अनंतपुर | मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.. |
| 55 | मरूर-आ. प्र./कर्नाटक सीमा | किमी 374.000 किमी 462.164 | 7 | 88.164 | किमी 376.075 मरूर जिला अनंतपुर | मै. बीवीएसआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | आ. प्र./कर्नाटक सीमा- देवनहल्ली | किमी 462.164 किमी 533.619 | 7 | 71.45 | किमी 464.774 के निकट बागेपल्ली | मै. एस बी लोजिस्टिक |
| 57 | विरूद्धनगर-कोविलपट्टी | किमी 52.300 किमी 99.780 | 7 | 47.48 | किमी 74.930 के निकट इत्तूतवत्तुम जिला विरूद्धनगर | मैं. श्री गुरू कृपा इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर्स |
| 58 | कोविलपट्टी-मूंद्रादायप्पू | किमी 109.683 किमी 173.183 (नया चैनेज) किमी 116.500 किमी 180.000) | 7 | 63.5 | किमी 125.350 के निकट सलाईपुधुर जिला तूतीकोरीन | मै. ईगल इन्फ्रा इंडिया लि. |
| 59 | मूंद्रादायप्पू अंजुग्रामम | किमी 173.183 किमी 231.600 (नया चैनेज किमी 180.000 किमी 234.975) | 7 | 54.975 | किमी 185.387 के निकट नांगूनेरी जिला तिरूनेरवेल्ली | मै. छाबड़ा एसोसिएट्स |
| 60 | देवधारी-केलापुर | किमी 123.000 किमी 153.000 | 7 | 30 | यावतमल जिले में केलापुर के निकट किमी 150.00 | मै. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्रा लि.. |
| 61 | गाजियाबाद-हापुड और हापुड बाइपास | किमी 27.643 किमी 48.638 और बाइपास 11.250 किमी. | 24 | 32.245 | किमी 29.30 डासना | मै. वेव इंडस्ट्रीज (प्रा) लि. |
| 62 | अमरावती बाइपास | किमी 149.747 किमी 166.0 | 6 | 17.500 | किमी 1.3 और किमी 16.550 | मै. इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कं. |
| 63 | चेन्नै बाइपास | किमी 0.00 से किमी 19.17 चरण-I (रारा सं.और 4 45 के किमी 28.00 पर प्रारंभ होकर और रारा 4 के किमी 13.80 पर मिलते हुए) | 45 | 19.170 | किमी 16.50, वानागरम | कोव्वुरी रविन्द्रा रेड्डी |
| 64 | तांबरम-टिंडीवनम | किमी 28.00 किमी 74.50 74.50 | 45 | 46.500 | किमी 52.820 (परानूर) | मै. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्रा. लि.. |
| 65 | तांबरम-टिंडीवनम | किमी 74.50 किमी 121.00 | 45 | 46.500 | किमी 103.500 (आथुर) | मै. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्रा लि. |
| 66 | नैनी में केबल आधारित पुल और इसका पहुंचमार्ग | किमी 0.00 किमी 5.410 | 27 | 5.410 | किमी 1.600 | मै. यू टोल कार्पोरेशन (प्रा) लि. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | चित्तौड़गढ़ बाइपास | रारा 79 का किमी 159.0 (नया चैनेज किमी 163.9) और रारा 76 के किमी 213.0 पर मिलते हुए | 79 और | 29.600 | किमी 28.500 रिठौला | श्री विरेन्द्र कुमार ब्यास |
| 68 | त्रिची-तोवरनकुरिची | किमी 0.00 -किमी 60.950 | 45 बी | 60.633 | किमी 21.020 (बूथाकुडी गांव के निकट) | मै. ईगल इन्फ्रा इंडिया लि. (पुराना नाम-ईगल कंस्ट्रक्शन कं.) |
| 69 | तोवरनकुरिची-मदुरै | किमी 60.950 से किमी 124.840 | 45 बी | 63.890 | किमी 113.630 (के निकट चित्तमपट्टी गांव) | मै. एसएमएसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि... |
| 70 | ब्रिजघाट-मुरादाबाद | किमी 93.00 किमी 149.25 | 24 | 56.25 | किमी 121.975 जोया | मै. एईपी टोल रोड (प्रा) लि.. |
| 71 | गारामोड़ समखियाली | किमी 254.000 किमी 306.000 (नया चैनेज किमी 254.537 किमी 307.034) | 8ए | 47.497 | किमी 286.655 सूरजबाड़ी | मै. एसएमएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड |
| 72 | गारामोड़-बामनबोर | किमी 182.60 किमी 254.00 | 8ए | 71.937 | किमी 213.100 बघसिया | मै. सहकार ग्लोबल लि. |
| 73 | पालनपुरा/खेमाना आबू रोड | किमी 340.00 किमी 295.00 | 14 | 45.000 | किमी 338.23 खेमाना | मै. एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स प्रा लि. |
| 74 | आबू रोड-पालनपुर/खेमाना | किमी 264.00 किमी 295.00 | 14 | 31.000 | किमी 270.25, उंदवरिया जिला सिरोही | मै. मापस्को बिल्डर प्रा.लि. |
| 75 | झांसी-पूच | किमी 90.000 किमी 165.000 (किमी 97.150 -किमी 98.000 के अलावा) | 25 | 64.150 | झांसी जिले में सेमारी गांव किमी 140.400 | मै. सहकारी आवास निर्माण एवम वित्त निगम लि. |
| 76 | लखनऊ-कानपुर | किमी 11.00 किमी 59.00 | 25 | 48.00 | किमी 39.00 नवाबगंज | मै. वक्रांगी केपिटल प्रा लि. |
| 77 | पूर्णिया-डलकोला | किमी 410.700 किमी 472.840 | 31 | 62.14 | किमी 451.00 सूरजपुर | मै. मदर इंडिया कंस्ट्र. प्रा. लि. |
| 78 | सोनपुर-गोशपुकुर | किमी 551.000 किमी 522.700 | 31 | 28.30 | दार्जिलिंग जिले में पश्चिम मदाती किमी 451.00 | मै. सिमांचल कंस्ट्रक्शन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | फोरबिसगंज-पूर्णिया | किमी 230.790 किमी 310.000 | 57 | 79.21 | अररिया जिले में हरियाबाड़ा किमी 267.000 | मोह. उमर खान |
| 80 | मजुफ्फरपुर-दरभंगा | किमी 0.000 किमी 69.500 | 57 | 69.50 | मुजफ्फरपुर में मैथी किमी 26.200 | मै. बाला एंटरप्राइजेज |
| 81 | अमृतसर-वाघा सीमा | किमी 455.400-किमी 491.620 (नया चैनेज किमी 456.100-किमी 492.030) | 1 | 35.930 | किमी 479.868 (छीदन) | मै. रोहन टोलवेज लि.. |
| 82 | संजय सेतु (घाघर घाट) | - | 28 सी | - | किमी 61.000 | श्री नीरज उपाध्याय |
| 83 | काली नदी पुल | किमी 60.000 | 24 | - | किमी 60.000 | मै. वेव इंडस्ट्रीज (प्रा) लि. |
| 84 | आरओबी-किशनगढ़ | 367.320 से 368.483 | 8 | - | किमी 368.020 | मै. आशीर्वाद इंडस्ट्रीज |
| 85 | वगही .नाला पुल | - | 7 | - | किमी 58.800 | मै. बोरेला बिल्डकॉन प्रा. |
| 86 | सीतापुर | - | 24 | - | - | श्री बिनरय कुमार पांडे |
| 87 | शाहजहांपुर | - | 24 | - | - | श्री नितिश मोहन |
| 88 | बेसो | - | 29 | - | - | श्री मुनिन्द्रा नाथ उपाध्याय |

*[अनुवाद]*

## आईसीआईसीआई का मेडिक्लेम

**3531. श्री अदगुरु एच विश्वनाथ:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हथकरघा बुनकरों के लिए निर्धारित आईसीआईसीआई की मेडिक्लेम के संबंध में कुछ शिकयतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित अस्पतालों को विनिर्धारित करने का प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बुनकर बच्चों को दी जाने वाली वृत्तिका को बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) और (ख) दावों का निपटान करने में विलंब, अस्पताल उपलब्ध न होने आदि से संबंधित शिकायतें, समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। सेवा प्रदाता, इस कार्यालय को सूचित करते हुए, इन शिकायतों को सीधे ही निपटा देते हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। महात्मा गांधी बनुकर बीमा योजना के तहत जिस सदस्य का बीमा किया होता है उसे 1200/- रुपये प्रति वर्ष बच्चे के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध होती है। यह लाभ दो बच्चों तक, अधिकतम चार वर्ष की अवधि के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चों तक सीमित है। छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य

**3532. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्याज के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य नीति (एमईपी) बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षो का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाने के लिए क्या प्रतिमान अंगीकार किए गए है;

(घ) क्या इस बार में किसानों और व्यापारियों के विचार मांगे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) जी, नहीं। सरकार ने 08.05.2012 से प्याज के निर्यात हेतु न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है। तब से प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य के बिना अनुमत है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## डीआरडीओ का पुनर्गठन

**3533. श्री आर. थामराईसेलवन:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना अधिक समय लगाए तथा बिना अधिक लागत के सशस्त्र सेनाओं के लिए उन्नत शस्त्र प्रणालियों का विकास सुनिश्चित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के आमूलचूल परिवर्तन के लिए रामाराव समिति तथा रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की किसी भी मुख्य सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सक्ष्म वित्तीय प्राधिकारियों के अनुमोदन से बचने के लिए डीआरडीओ द्वारा स्वीकृतियों को विभाजित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, नहीं। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) डॉ. पी. रामा राव की अध्यक्षता वाली पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों, जो रक्षा सचिव समिति द्वारा परिष्कृत की गई, को कार्यान्वित कर रहा है। निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं:-

- रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और सेनाओं के मध्य विचार-विमर्श के लिए नोडल अफसरों का नामांकन।
- वित्तीय विकेन्द्रीयकरण के लिए एकीकृत वित्तीय सलाह प्रणाली की शुरुआत करना।
- एक समर्पित मुख्य नियंत्रक अनसुधान एंव विकास (मानव संसाधन) को डीआरडीओ मुख्यालय में पहले ही नियुक्त कर दिया गया है।

निम्नलिखित सिफारिशें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं:-

- टेक्नोलॉजी डोमेन आधारित क्लस्टर्स की स्थापना।
- बाह्य अनुसंधान के लिए बजट को बढ़ाकर डीआरडीओ बजट का 5% करना।
- डीआरडीओ मुख्यालय की पुनर्संरचना करना।

निम्नलिखित सिफारिशों के लिए मंत्रिमंडल प्रस्ताव हेतु कार्रवाई शुरू की गई है:-

- रक्षा प्रौद्योगिकी आयोग का सृजन।
- डीआरडीओ की वाणिज्यिक शाखा का सृजन।
- महानिदेशक, डीआरडीओ का अध्यक्ष, डीआरडीओ के रूप में पुनः नामकरण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

## आयुध निर्माणियों में रोजगार

**3534. श्री हरिभाऊ जावले:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में आयुध निर्माणियों में रोजगार के लिए कुछ अनियमितताएं पायी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) से (घ) महाराष्ट्र्य राज्य में आयुध निर्माणी, चांदा, आयुध निर्माण, देहू रोड और आयुध निर्माणी, भुसावल में नए रोजगार में अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों और की गई जांचों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(i) श्री हंसराज गंगाराम अहीर, माननीय संसद सदस्य, चंद्रापुर से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो आयुध निर्माणी, चांदा के प्रशिक्षुओं के प्रति उन्हें आयुध निर्माणी, चांदा में भर्ती के लिए न बुलाकर किए गए अन्याय के बारे में थी। आयुध निर्माणी, चांदा के प्रबंधन द्वारा माननीय संसद सदस्य के साथ बैठकों के दौरान उन्हें यह स्पष्ट किया गया है कि आयुध निर्माणी, चांदा के प्रशिक्षुओं के प्रति कोई अन्याय नहीं किया गया है। माननीय संसद सदस्य को एक उत्तर भी भेजा गया है जिसमें ट्रेड प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए नियमों की स्थिति स्पष्ट की गई है।

(ii) आयुध निर्माणी, देहू रोड, पुणे में अर्ध कुशल श्रमिक की भर्ती के बारे में श्री गजानन बाबर, माननीय संसद सदस्य, वाकड रोड, पुणे से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा एक जांच-बोर्ड गठित किया गया था। जांच रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी, आयुध निर्माणी बोर्ड को भेज दी गई है।

(iii) आयुध निर्माणी, भुसावल को श्री सूरज कुमार नामक व्यक्ति से आयुध निर्माणी, भुसावल में भर्तियों में धन के कथित लेन-देन के बारे में एक शिकायत ई-मेल के जरिए प्राप्त हुई थी। इस शिकायत की मुख्य सतर्कता अधिकारी, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

*[हिन्दी]*

## हिमाचल प्रदेश में सीएसडी डिपो

**3535. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कोई कैंटीन स्टोर विभाग (सीएसडी) डिपो नहीं है जबकि कई अन्य स्थानों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में सेवारत सैनिक, पूर्व-सैनिक तथा उनके परिवारों की संख्या अधिक है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सीएसडी डिपो स्थापित करने के लिए इस संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार भारतीय सेना/सीएसडी संगठन से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय में कब तक सीएसडी डिपो की मंजूरी देने/स्थापना करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी):** (क) से (च) हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वहां पर रह रहे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की संख्या को देखते हुए इस मंत्रालय से राज्य में कैंटनी भंडार विभाग डिपो स्थापित करने हेतु अनुरोध किया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 188 कनाल भूमि प्रस्तावित की है। तथापि, वह भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई क्योंकि इसमें कुछ खड/नाला शामिल थे। कैंटीन भंडार विभाग ने राज्य सरकार से उक्त भूमि को नालियां/तटबंध बनाकर विकसित करने तथा समुचित वैकल्पिक भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है।

ऊना में डिपो स्थापित करने के लिए इस समय कोई सुनिश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय राजमार्ग-18

**3536. श्री लक्ष्मण टुडु:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फूलाडी चौक बालासोर से झरपोखरिया तक के राष्ट्रीय राजमार्ग (रारा)-18 (पूर्ववर्ती रारा सं.-5) के उन्नयन के लिए व्यवहार्य अध्ययन रिपोर्ट पूरे होने के बाद बीओटी (टॉल) पर रारा सं. 49 के साथ चार लेन करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी वार्षिक समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) परियोज़ना को अव्यवहार्य पाया गया और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेजी से परियोजना को पुर्ससंरचित करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

*[हिन्दी]*

**एससी/एसटी के विरूद्ध अपराध**

**3537. श्री भूपेन्द्र सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जातियों (एससी)/अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लोगों के विरूद्ध अपराध को रोकने के लिए राज्यों को विस्तृत परामर्श सूची जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परामर्श सूची का पूरी तरह अनुपालन करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) से (ग) गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अपराध के संबंध में दिनांक 01.04.2010 को एक विस्तृत सलाह भेजी है। इस सलाह में विभिन्न कदमों के बारे में बताया गया है, अर्थात् सांविधिक प्रावधानों और विद्यमान विधानों का कठोर एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रवर्तन; सुरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों एवं सेमिनारों आदि माध्यम से अ.जा./अ.ज.ज. के सदस्यों के विरूद्ध अपराधों के प्रति कानून प्रवर्तन तंत्र का सुग्राहीकरण; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों संबंधी विधानों के बारे में सामान्य जागरूकता सुधारना; हिंसा, दुरूप्रयोग एवं शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक मानीटरिंग प्रणाली विकसित करना; अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराधों के मामलों में एफ आई आर के पंजीकरण में विलम्ब न होना; उपचारात्मक उपाय करने के लिए अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना; अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय करना, आदि। इस सलाह को अति सावधानीपूर्वक कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है।

तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य विषय हैं और, इस प्रकार अपराध का निवारण, पहचान, पंजीकरण, जांच एवं अभियोजन की प्राथमिक रूप से जिम्मेदारी राज्यों की है।

**प्रादेशिक सेना का दर्जा**

**3538. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को नियमित सेना जैसी सेवा के बावजूद उन्हें नियमित सेना के समकक्ष दर्जा नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें समकक्ष दर्जा देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) प्रादेशिक सेना एक अंशकालीन संकल्पना है और प्रादेशिक सेना के कार्मिक जब वे प्रादेशिक सेना के अंगीभूत नहीं होते हैं तो उन्हें सिविलियन माना जाता है जो अपने सिविल व्यवसाय में कार्य करते रहते हैं। जब प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1976 संशोधित) के उपबंधों के तहत उन्हें सैन्य सेवा के लिए बुलाया जाता है (अंगीभूत किया जाता है) तब प्रादेशिक सेना को नियमित सेना का दर्जा दिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों के दर्जे में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

*[अनुवाद]*

**वाइपर द्वीप स्थित याच मरीना**

**3539. श्री विष्णु पद राय:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार कमान पोर्ट ब्लेयर के कमांडर इन चीफ (सी-इन-सी) ने वाइपर द्वीप में 30 कमरे के आवास वाले 50 बर्थ याच मरीना के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त याच मरीना के लिए एनओसी जारी करने के पूर्व रक्षा मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के लिए विधिवत प्रक्रिया अपनायी गयी थी तथा नौसेना मुख्यालय, तटरक्षक, सेना एवं वायुसेना से मंजूरी ली गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी प्रामाणिकता क्या है;

(ङ) क्या संबंधित संसद सदस्य ने उस परियोजना को रद्द करने का अनुरोध किया है तथा यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) क्या सरकार ने इससे संबंधित मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है तथा यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## राष्ट्रीय समुद्री योजना (एनएमडीपी)

**3540. श्री ए.के.एस. विजयन:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय समुद्री विकास योजना (एनएमडीपी) की असंतोषप्रद प्रगति के मद्देनजर इस योजना को संशोधित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नयी योजना पत्तन क्षमता, अवसंरचना, अंर्तदेशीय नौवहन आदि को तेजी से विस्तार करने जा रही है;

(ग) क्या उक्त उद्देश्य के लिए किसी समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या है उक्त रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) और (ख) राष्ट्रीय समुद्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, 1.04.2005 से 31.03.2012 की अवधि में कार्यान्वयन के लिए परियोजनाएं अभिज्ञात की गई थी। इसके अलावा, सरकार ने समुद्रीय क्षेत्र के विकास के लिए अब एक भावी योजना "समुद्रीय एजेन्डा 2010-20" तैयार किया है। इस योजना में वर्ष 2020 तक पत्तनों में यातायात अनुमान और क्षमता वृद्धि का आंकलन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011

**3541. श्री सी.आर. पाटिल:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने देश में पत्तनों एवं बंदरगाहों के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2011 के संबंध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों की आपत्तियों को सरकार द्वारा दूर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (च) गुजरात राज्य सरकार ने मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2009 को जारी 'विद्यमान पत्तनों के विस्तार और तटरेखा पर नई परियोजनाएं शुरु करने संबंधी नई नीति' के बारे में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इस नीति में उच्च अपरदन वाले क्षेत्रों में नए पत्तन प्रतिबंधित है और उच्च अपरदन वाले क्षेत्रों में विस्तारण परियोजनाओं हेतु व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर जोर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह कहते हुए नीति की पुरीक्षा करने का अनुरोध किया है इसे पत्तन विकास की प्रक्रिया धीमी होगी और यह भी अनुरोध किया कि दोनों अधिसूचनाओं के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने के स्थान पर पर्यावरण प्रभाव मूल्याकन अधिसूचना अथवा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना में से किसी एक के अंतर्गत एक ही स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाए।

मंत्रालय ने विभिन्न पणधारियों - नामशः मछुआरों, गैर सरकारी संगठनों और गुजरात सहित राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया और दिनांक 6 जनवरी, 2011 को तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के अधिक्रमण में तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना (सीआरजेड), 2011 जारी की। सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अनुसार, उच्च अपरदन वाले क्षेत्रों में पत्तनों और बंदरगाहों के विकास की अनुमति नहीं है। मध्यम एवं कम अपरदन वाले क्षेत्रों में और स्थिर तटों पर केवल तटीय सुरक्षा उपाय अर्थात तटों का

विकास रेत को बाह्य पथ से निकालना आदि और तटरेखों की नियमित मानीटरी की विशिष्ट शर्तों पर ही पत्तनों और बंदरगाहों से संबंधित परियोजनाओं के विकास की अनुमति है।

इसके अतिरिक्त, सीआरजेड अधिसूचना, 2011 के अनुसार ईआईए और सीआरजेड अधिसूचनाओं के अंतर्गत स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं को दो पृथक आकलन प्रक्रियाओं से गुजरने की आवश्यकता नहीं है और उनके लिए स्वीकृतियां आवश्यक नहीं है। ऐसी परियोजनाओं के लिए ईआईए अधिसूचना के अंतर्गत केवल पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित है जिस पर संबंधित राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर विचार किया जाएगा।

## कंपनियों द्वारा भविष्य निधि अधिनियम का उल्लंघन

3542. **श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वीरा देसाई रोड, मुंबई स्थित एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लि., शाह इंडस्ट्रियल इस्टेट के पूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि ग्रेच्युटी (अपदान) तथा अन्य बकायों को रोके रखने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए उक्त कंपनी के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या उपर्युक्त कानूनों के पालन तथा पूर्व कर्मचारियों के बकायों के निपटान के लिए कंपनी को कोई निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कांदीवली, मुम्बई के क्षेत्र कार्यालय में मैसर्स एरिस्टो फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लि., के पूर्व कर्मचारियों की भविष्य निधि को रोके जाने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (घ) शिकायतें भविष्य निधि दावा फार्मों का प्रतिष्ठान द्वारा सत्यापन न किये जाने जैसी प्रकृति की है, जिनकी प्राप्ति के 5 दिनों के भीतर कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 76 के अंतर्गत उनके विरुद्ध अभियोजन मामले दर्ज किए जाएंगे और जिसकी परिणति एक वर्ष तक के कैद अथवा 4000/- रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों की सजा के रूप में हो सकती है।

कंपनी को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है साथ ही यह निदेश दिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 72(5)(घ) के अनुसार पूर्व कर्मचारियों के भविष्य निधि दावा फार्मों को सत्यापित किया जाए।

## मुन्नार-तिरुपुर अंतर्राज्यीय राजमार्ग

3543. **श्री पी.टी. थॉमस:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मुन्नार-तिरूपुर अंतर्राज्यीय राजमार्ग के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उक्त परियोजना पर कार्य प्रारंभ किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## सीमावर्ती सड़कों का सुधार

3544. **श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट:**
**श्री रामसिंह राठवा:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती सड़कों में सुधार के संबंध में वर्ष 2009 में एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी परिणाम क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में 965 किमी सीमा सड़क के निर्माण संबंधी प्रस्ताव अग्रेषित किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (घ) जी हां। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए दिनांक 28.04.2009 को एक बैठक की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सीमावर्ती सड़कों के विकास से संबंधित मामले सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं जिसके लिए सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय नोडल विभाग है। उक्त बैठक के पश्चात सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ उनेक बैठकें की गई थीं और तदनुसार गुजरात सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारों ने सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिए अपने प्रस्ताव गृह मंत्रालय (सीमा प्रबंधन विभाग) को प्रस्तुत किए हैं। परिणामस्वरूप इन प्रस्तावों की इस मंत्रालय द्वारा जांच की गई है और उसे आगे की आवश्यक कार्रवाई/इस मामले में निर्णय लिए जाने के लिए सीमा प्रबंधन विभाग को टिप्पणियों सहित लंबाई, वित्तीय निहितार्थ के संबंध में एक संकलित रिपोर्ट अग्रेषित की गई है।

*[हिन्दी]*

### कारगिल समीक्षा समिति रिपोर्ट का क्रियान्वयन

3545. **श्री मंगनी लाल मंडल:**
**श्री वैजयंत पांडा:**
**श्री हर्ष वर्धन:**
**श्री ब्रजभूषण शरण सिंह:**
**श्री बंस गोपाल चौधरी:**
**श्री ए. सम्पत:**
**श्री असादूदीन ओवेसी:**
**श्रीमती ज्योति धुर्वे:**
**श्री नारनभाई कछाड़िया:**
**श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रिसमूह (जीओएम) द्वारा गठित कारगिल समीक्षा समिति की सभी सिफारिशें लागू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जीओएम द्वारा संस्तुत 'चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ' के पद का सृजन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रिसमूह, की रिपोर्ट में छह अध्याय हैं। 'रक्षा प्रबंधन' संबंधी अध्याय VI के लिए रक्षा मंत्रालय को शीर्ष (नोडल) मंत्रालय नामित किया गया है। इस अध्याय में 75 सिफारिशें निहित हैं जिनमें से 63 सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया है। चार सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। रक्षा स्टाफ प्रमुख की स्थापना से संबंधित आठ सिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार द्वारा रक्षा स्टाफ प्रमुख के पद के सृजन का निर्णय राजनीतिक दलों के साथ चल रहे परामर्शों के पूरा होने के पश्चात लिया जाएगा।

### लेमरु में हाथी अभयारण्य का निर्माण

3546. **श्री पी. विश्वनाथन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोरबट स्थित लेमरु में (450 वर्ग किमी. क्षेत्रफल के) तथा जोशपुर एवं सरगुजा में बादल खोट तमरपिंगला में (1048 किमी. क्षेत्रफल वाले) दो हाथी अभ्यारण्यों को मंत्रालय ने मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो छत्तसीगढ़ राज्य सरकार को हाथी परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मंजूर कुल क्षेत्रफल के बाद में कमी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी हां, भारत सरकार ने कोरबट स्थित लेमरु (450 वर्ग किमी. क्षेत्रफल) में तथा जोशपुर एवं सरगुजा स्थित बादल खोट तमरपिंगला (1048 वर्ग किमी. क्षेत्रफल) में दो हाथी अभयारण्यों को मंजूरी दी है।

(ख) पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2006-07 से अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को हाथी परियोजना के अंतर्गत 959.98 लाख रुपये की कुल धनराशि जारी की गई है।

(ग) से (ङ) अभी तक, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 15.9.2011 की अधिसूचना सं. एफ 8-6/2007/10-2 द्वारा जोशपुर-सरगुजा हाथी रिजर्व (1143.34 वर्ग किमी.) को अधिसूचित किया है। इस स्तर पर कुल क्षेत्र में कमी किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

## पाइरेसी विधेयक के अंतर्गत समुद्री यात्रियों (सी फेरर्स) का कल्याण

**3547. श्री एंटो एंटनी:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास समुद्री डकैतों द्वारा बंधक बनाए जा रहे समुद्री यात्रियों का कोई रिकार्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके शिकार हुए परिवारों को वित्तीय सहायता सहित कोई सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समुद्री यात्रियों (सी फेरर्स) की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) और (ख) जी, हां। आज तक, 43 भारतीय नाविकों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार बंधक बना कर रखा गया है:

| क्र.सं. | पोत का नाम | पताका | बंधक बना कर रखे गए भारतीय कर्मीदल सदस्यों की संख्या | अपहृत किए जाने की तारीख |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एम. वी. आइसबर्ग। | पनामा | 6 | 29.03.2010 |
| 2. | एक्स-एम.टी. एस्फास्ट वैन्चर | पनामा | 7 | 29.09.2010 |
| 3. | एम.वी. एल्बेडो | मलेशिया | 2 | 26.11.2010 |
| 4. | एम.वी. रॉयल ग्रेस | पनामा | 17 | 02.03.2012 |
| 5. | एम.टी. स्मिरनी | लाईबीरियायी | 11 | 10.05.2012 |
| | योग | | 43 | |

(ग) और (घ) सरकार ने अपहृत एम.वी आइसबर्ग। के सोमालियायी जलदस्युओं द्वारा बंधक बना कर रखे गए सभी 6 भारतीय नाविकों के परिवारों को 2.50 लाख रु. की राशि प्रदान की है।

(ङ) सरकार द्वारा नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

(i) भारतीय कर्मीदल वाले वाणिज्यिक जलयानों के अपहरण से पैदा होने वाली बंधक परिस्थिति से निबटने के लिए एक अंतर मंत्रालयी अधिकारी दल का गठन किया गया है। भारत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, सोमालिया के तट से समुद्री डकैती पर संपर्क दल और अन्य अंतर राष्ट्रीय मंचों में भी एक सक्रिय भागीदार है।

(ii) अपहरण हुए जलयानों के स्वामियों और पताका प्रशासन से विदेश में अवस्थित भारतीय दूतावासों से यह सुनिश्चित किए जाने हेतु संपर्क किया गया है कि वह बंधकों की सुरक्षा और जल्द रिहाई के लिए उपयुक्त कदम उठाएं।

(iii) भारतीय पताका से युक्त वाणिज्यिक पोतों पर सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए है। तद्नुसार, भारतीय पोत स्वामी सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की तैनाती करने को स्वतंत्र है।

(iv) अदन की खाड़ी में पोतों को नौसेना सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा, समुद्री डकैती से प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न देशों के नौसेना पोत गश्त कर रहे हैं जो आपस में विभिन्न बहुराष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय पहलों के माध्यम से दूसरे से समन्वयन करते हैं ताकि

समुद्री डकैती की समस्या का मुकाबला किया जा सके। भारतीय नौसेना भारतीय ई ई ज़ेड में और पश्चिम दिशा की ओर 65 डिग्री पूर्व देशांतर तक निगरानी में बढ़ोत्तरी कर रही है।

(v) यात्रा करने वाले जलयानों पर सलल्लाह और माले को जोड़ने वाले मार्ग के दक्षिणी अथवा पश्चिमी जलक्षेत्र में यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

**पारादीप पत्तन न्यास को हुई हानि**

**3548. श्री अर्जुन चरण सेठी:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय आंतरिक नियंत्रण तंत्र तथा निगरानी प्रणाली की भारी विफलता के कारण पारादीप पत्तन न्यास को एम वी ब्लाक रोज की प्रविष्टि द्वारा फर्जी पी एंड आई प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए भारी वित्तीय हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के आधार पर उस पोत के मालिक/प्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई हैं?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) जलयान एम वी ब्लैक रोज़ का मूल पी एंड आई प्रमाणपत्र पारादीप पत्तन द्वारा बंदरगाह में इसके प्रवेश की अनुमति दिए जाने से पहले जांचा गया था, परन्तु उसे बाद में नकली पाया गया। दुर्घटना के पश्चात् तेल के रिसाव के प्रबंधन, ईंधन हटाए जाने और कर्मीदल के बचाव पर पारादीप पत्तन न्यास द्वारा 17,65,39,876/- रु. का व्यय किया गया। जलयान के स्थानीय शिपिंग एजेंट पर एक दावा किया गया था। परन्तु कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उस पर स्टे दे दिया गया। सिंगापुर में अवस्थित जलयान के हल तथा मशीनरी के बीमाकर्ता से भी तेल रिसाव प्रबंधन पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति करने का अनुरोध किया गया। अब तक कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) अध्यक्ष, नैशनल शिपिंग बोर्ड की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उच्च स्तरीय बैइक की सिफारिशें पोत स्वामी/पोत प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित नहीं है। तथापि, राज्य पुलिस द्वारा पोत प्रबंधन के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

***विवरण***

*सिफारिशें*

- पिछले दशक में लौह अयस्क के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि है और जिसके आगामी दशक में भी जारी रहने की संभावना है। लौह अयस्क संभालाई टर्मिनलों को उन्नत करने की आवश्यकता है ताकि वे विशाल बल्क कैरियरों की प्रभावी सुरक्षित तरीके से संभलाई कर सकें। आई एम ओ जो बल्क कैरियरों के दुर्घटना के लिए गंभीर रहा है ने विभिन्न कन्वेंशनों और संस्तुत कोडों के माध्यम से पहले ही नियम बना रखे हैं राष्ट्रीय विधानों ने आई एम ओ समझौतों के सिद्धांतो को प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित किया है, भारत में आने वाले सभी पोतों और नौवहन के हित में इसका अनुपालन अनिवार्य है। नौवहन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के होने के कारण और इस बात को नोट करते हुए कि 80% से अधिक का निर्यात विदेशी ध्वज जलयानों के माध्यम से होता है सभी नौवहन और पत्तनों के हित में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और कोडों का अनुपालन अत्यावश्यक है। पत्तन सहित सभी सेवा प्रदाताओं के लिए लागू गुणवत्ता मानक सहित हाल ही में इनका अनुपालन अनिवार्य हो गया है और अत: प्रमाणित फर्मों द्वारा मानी जाने वाली पद्धति गुणवता मानक अनुपालन को दर्शाए और लागू कोड राष्ट्रीय नियमों का भी अनुपालन हो।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने सुरक्षा, ढांचागत सुदृढ़ता, पोतों पर कार्गो की लदाई और उतराई और पत्तन प्रचालन के उद्देश्य के लिए नौवहन उद्योगों की सभी इकाइयों के लिए समझौतें, कोड, सुरक्षा व्यवहार निर्धारित किए हैं। सोलास समझौता आवश्यक प्रमाणन द्वारा वाणिज्य पोतों की सुरक्षा मानक की अनिवार्य अपेक्षाएं प्रदान करता है। आई एम ओ ने बल्क केरियरों हेतु, टेंकरों हेतु और कंटेनरों हेतु सुरक्षा व्यवहार के कोड निर्मित किए हैं। प्रभावी तरीके से सुरक्षित नौवहन प्रचालन के लिए यह आवश्यक है कि पोत, समझौते की अपेक्षाओं का अनुपालन करें और पत्तन अपने विभिन्न टर्मिनलों के लिए लागू सुरक्षा व्यवहारों के कोडों का अनुपालन करें। पोत और पत्तन के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए "पोर्ट-शीप इंटरफेस" दिशा निदेशों के अनुपालन की आवश्यकता हैं। पोत और पत्तन को लागू सुरक्षा दिशा निदेशों, कोडों, नियमों आदि का अनुकरण करते हुए एक दूसरे का पूरक बनना होगा।

- भारत के अधिकतर पत्तन समान पत्तन सुविधा के भीतर विभिन्न प्रकार के टर्मिनलों, बल्क, कंटेनरों, टैंकर, गैस आदि के माध्यम से कार्गो की निर्यात/आयात की संभलाई करते हैं। अत: यह आवश्यक है कि आई एम ओ सुरक्षा कोडों की बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक पत्तन ट तकनीकी अर्हता प्राप्त टर्मिलन प्रबंधक नियुक्त करें। निर्यातकर्ता और पोत स्वामी का यह भी दायित्व है कि वे उन्हीं पोतों को लाए जो आई एम ओ समझौते के अनुसार किसी भी टर्मिलन से कार्गो लाने के हकदार हों। पत्तन प्राधिकरण के लिए अपनी ओर से आवश्यक है कि वे सुरक्षा प्रणाली के अनुसार टर्मिनल प्रबंधक के प्रत्यक्ष दायित्व के अधीन कार्गो की लदाई करे। प्रभावी समन्वय के लिए पोत-शिप इंटरफेस के दिशा-निर्देशों का अनुपालन आवश्यक है।

- उपरोक्त को नोट करते हुए और महानिदेशालय नौवहन के सर्वेक्षकों द्वारा किए गए प्रारंभिक जांच (पी आई) के परिणामों के अलावा और पत्तन कर्मियों, सीमा शुल्क अधिकारियों, निर्यातकर्ता, कार्गो सर्वेक्षकों आदि सभी नौवहन हितों से विचार-विमर्श के आधार पर, गुणवत्ता और सुरक्षित तरीके से व्यापार में विस्तार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने भारत के किसी भी पत्तन से लौह अयस्क की लदाई और उतराई और परिवहन के संबंध में निम्नानुसार सिफारिशें की हैं :-

1. लौह अयस्क फाइंस को लौह अयस्क कंसेन्ट्रेट (बी सी कोड के अनुसार) कहा जाए और उसका वहन उस पोत पर हो जो बी सी कोड के परिशिष्ट-क के लिए विधिवत प्रमाणित हो और पोत की आयु 25 वर्ष से अधिक न हो।

2. प्रत्येक पोत जो लौह अयस्क फाइंस (कंसेन्ट्रेट) लादने का इच्छुक है के पास पत्तन प्राधिकरण को स्वीकार्य वैध कार्मिक और इंडेमनिटी बीमा कवरेज हो।

3. लौह अयस्क लादने के आशय वाले पोतों को टर्मिनलों में जलयानों के आने से कम से कम 48 घंटे पहले पत्तन प्राधिकरणों के टर्मिनल प्रबंधक को बीएलयू कोड के अनुसार, लदाई और उतराई योजनाओं, बालास्टिंग, डी-बालास्टिंग व्यवस्था के संबंध में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना चाहिए।

4. पोत के लिए नामित एजेंट, पोत के आने से 48 घंटे पहले पत्तन के टर्मिनल प्रबंधक को पोत के सांविधिक प्रमाण-पत्रों की प्रति प्रस्तुत करता है। एजेंट, जलयान के पत्तन में रहने अथवा पत्तन सीमा को छोड़ देने तक की अवधि के दौरा पोत के दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आवश्यक हो तो पत्तन इंडेम्निटी/सुरक्षा बांड मांग सकते हैं।

5. पोत का मास्टर, अपने जलयानों पर लदे कार्गो के स्वीकार करने के संबंध में उत्तरदायी होता है और यदि उसे कोई आपत्ति है तो वह इस बारे में जल्द एक नोट ऑफ प्रोटैस्ट के माध्यम से टर्मिनल प्रंबधक को सूचित करेगा।

6. प्रत्येक पत्तन के पास एक सक्षम तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त टर्मिनल प्रबंधक होगा, जो आईएमओ बल्क लदाई और उतराई कोड के अनुसार, टर्मिनल में संचालन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी होगा।

7. पोत-स्वामी/निर्यातकों द्वारा नियुक्त कार्गो सर्वेक्षक, एक अनुमोदित/मान्यताप्राप्त निकाय (नौवहन महानिदेशालय अथवा आईपीए से अनुमोदित) से होंगे, जो प्रत्येक ड्राफ्ट सर्वेक्षण के बाद निर्यात के लिए कार्गो की मात्रा, गुणवत्ता और उपयुक्तता के संबंध में टर्मिनल प्रबंधक को सूचित करेगा।

8. परीक्षण प्रयोगशालाओं में होने वाले नमी की सीमाओं जैसे विभिन्न परीक्षण, प्रशासन (नौवहन महानिदेशालय अथवा आईपीए) द्वारा अनुमोदित होंगे। जलयान को कार्गो की लदाई के लिए बर्थ की अनुमति देने से पहले पत्तन द्वारा आबंटित स्लोट मे कार्गो की गिनती के लिए शिपर का होना आवश्यक होगा।

9. एमएमडी अथवा अन्य मान्यता प्राप्त निकाय सर्वेक्षक, कार्गो का कार्य पूरा हो जाने के बाद और जलयान के समुद्र में जाने की अनुमति देने से पहले जलयान का निरीक्षण करेंगे। संतोषजनक निरीक्षण हो जाने के बाद ही पत्तन अनापत्ति, पाइलेट प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा। पत्तन प्राधिकारी, वर्षा ऋतु के दौरान, कार्गो के संचालन के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित करने पर विचार कर सकता है। सुरक्षा प्रशासन होने के नाते और वाणिज्यिक पोत परिवहन कार्गो नियमों के अनुसार, नौवहन महानिदेशालय सभी पत्तनों में लौह अयस्क कंसेंट्रेट की लदाई के सुरक्षित संचलान के लिए

आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करेगा। अनाज की लदाई के लिए सख्त दिशा निर्देश हैं। अब यह अत्यंत आवश्यक है कि नौवहन महानिदेशालय द्वारा शीघ्र दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

10. इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आई आर क्यू एस) जिसने आई एस ओ प्रमाणपत्र जारी किया है, को पत्तनों के कार्यविधि मैनुअल को संशोधित करने की सलाह दी जाएगी ताकि उपर्युक्त सुरक्षा कोड शामिल किए जा सके तथा उसके अंतर्गत सलाह का अनुसरण किया जा सके।

11. डी जी एस द्वारा आई एस पी एस प्रमाणन से पत्तन सुवधिा के भीतर सुरक्षा तत्वों के सम्बन्ध में गुणात्मक परिवर्तन आए हैं और इसलिए समिति सिफारिश करती है कि डी जी एस के अधिकारियों द्वारा लदाई और उतराई कार्यों के लिए सुरक्षा सम्बन्धी सभी बातों (लागू कोडों के अनुसार) को मॉनीटर करने के लिए पत्तनों पर वार्षिक आधार पर "सुरक्षा जांच पड़ताल" की जाए।

12. कार्गो में नमी की मात्रा का पता लगाने के लिए परीक्षणों के महत्व तथा समय की कमी को समझते हुए, लौह अयस्क कंसेंट्रेट की संभलाई करने वाले पत्तनों को अपने परिसरों के भीतर जांच प्रयोगशाला स्थापित करनी चाहिए ताकि जब भी आवश्यकता हो कार्गो का परीक्षण किया जा सके।

13. उपर्युक्त सिफारिशें सामान्य हैं और उन्हें सम्बन्धित अभिकरणों/प्राधिकारियों जैसे कि भारतीय पत्तन संघ, नौवहन महानिदेशालय और भारतीय शिपिंग रजिस्टर और राज्य समुद्रीय बोर्डो की सहायता से प्रक्रियाओं को तैयार कर, संशोधित कर व्यावहारिक तरीके से कार्यान्वित किया जा सकता है।

14. यह उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 20 पत्तन है जो लौह अयस्क कंसेंट्रेट की लदाई करते है जिसमें 6 महापत्तन है और अन्य गैर महापत्तन/निजी पत्तन हैं और उनमें कुछ राज्य समुद्रीय बोर्डों के तहत आते हैं। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि उपर्युक्त सिफारिशें केन्द्रीय सरकार या राज्य समुद्री बोर्डों के माध्यम से सभी पत्तनों पर लागू हों चाहे वे गैर-महापत्तन या महापत्तन हो।

15. इस तथ्य को नोट करते हुए कि कई जलयान हैं जोकि अपने फिक्सचर के सामने भारत के तट के आसपास बेकार पड़े रहते है और हाल ही में सुरक्षा पहल को देखते हुए, ऐसे अनचाहे जलयानों की मौजूदगी वांछनीय नहीं है और तट रक्षक प्राधिकारियों को इन पोतों की जानकारी दी सकती है जिनके पास तैयारी का टैंडर नोटिस है अथवा जिसे अगले 24 घण्टों के भीतर तैयारी का टैंडर नोटिस की उम्मीद है। बिना किसी प्रतिबद्धता अथवा व्यापार लेन-देन के हमारे तटीय जलों का प्रयोग कर रहे अनचाहे जलयानों को निकालने के लिए इससे तट रक्षक प्राधिकारियों को मदद मिलेगी।

16. विशेषतौर पर मानसून अवधि के दौरान, भारतीय तट के आस-पास हुई दुर्घटनाओं की संख्या और जो केवल लौह अयस्क जलयानों तक सीमित नहीं है, समिति ने जोर दे कर सिफरिश की है कि दुर्घटना जांच ब्यूरो के निर्माण में तेजी लायी जाए। इससे समयबद्ध तरीके से विभिन्न दुर्घटनाओं की स्वतंत्र रूप से जांच में मदद मिलेगी।

## उम्रदराज लोगों के लिए पेंशन

**3549. श्री बैजयंत पांडा:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के कितने व्यक्तियों को आजीविका के लिए अभी भी काम करना पड़ता है;

(ख) वृद्धावस्थापेंशन प्राप्त कर रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें प्रदत्त वृद्धावस्थापेंशन की राशि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) इस संबंध में कोई प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः (आईजीएनओएपीएस) प्रशासित कर रहा है जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 200 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष और उससे अधिक आयु व्यक्तियों को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन के रूप में केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से कम से कम समान राशि का अंशदान करें।

आईजीएनओएपीएस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है जो राज्य योजना के अधीन है। वर्ष 2011-12 के दौरान, राज्यों ने आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत 210 लाख लाभार्थियों के कवरेज की सूचना दी है।

(ग) योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की राशि को संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि को 01.04.2011 से प्रति लाभार्थी 200 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर प्रति लाभार्थी 500 रुपए प्रतिमाह किया गया था।

**सड़कों के निर्माण में रबड़ का उपयोग**

**3550. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:**
**श्री सोमेन मित्रा:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण रबड़ से करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक कितने प्रयोग किए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य में निर्माणाधीन एवं रबड़ से निर्मित सड़कों तथा उन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) "सड़क की ऊपरी सतह के लिए रबड़/पॉलीमर मॉडीफाइड बिटुमन बाइंडर के उपयोग के लिए" मंत्रालय की अनुसंधान योजना आर-54 के अंतर्गत सीआरआरआई द्वारा एक अध्ययन किया गया था। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभिन्न सड़क विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सरकार और निजी फंड से सड़क निर्माण कई गुना बढ़ गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, आईआरसी मार्गनिर्देशों के अनुसार रबड़ सहित विभिन्न प्रकार के बिटुमन मॉडीफायर्स का उपयोग किया जाता है। रबड़ीकृत बिटुमन मॉडीफायर्स के साथ विकसित सड़को की राज्य-वार लंबाई एकत्र नहीं की जाती है।

*[हिन्दी]*

**बंधुआ श्रम**

**3551. श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों से बलात् श्रम कराने के मामलों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या लोग कर्जों के कारण श्रमिकों से जबर्दस्ती बंधुआ मजदूरी कराते हैं;

(ग) यदि हां, तो किन व्यापार/उद्योगों में ऐसे बंधुआ मजदूर लगे हैं;

(घ) क्या ऐसे श्रमिकों के यौन शोषण तथा शारीरिक प्रताड़न के मामले पाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) ऐसे श्रमिकों के कल्याण एवं संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (ग) भारत का संविधान अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत 'भिखारी' तथा बलात् श्रम के अन्य इसी प्रकार के रूपों को निषिद्ध करता है। बंधुआ श्रम पद्धति 25 अक्टूबर, 1975 से बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्यादेश, जिसके स्थान पर बाद में बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लाया गया था, के अंतर्गत सम्पूर्ण देश से समाप्त कर दी गई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बंधुआ श्रम पद्धति के अंतर्गत अथवा इसके अनुसरण में अग्रिम देने की अनुमति नहीं है तथा कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई बंधुआ श्रम अथवा बलात् श्रम के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ज्यों ही बंधुआ श्रम की उपलब्धता का पता लगता है, ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास हेतु पहचान की जाती है।

(घ) और (ङ) चूंकि 'लोक आदेश' राज्य का विषय है, अतः राज्य में लोगों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का प्राथमिक उत्तदायित्व राज्य सरकार का है। लोगों की सुरक्षा हेतु कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं।

(च) पहचाने गये एवं मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना स्कीम मई, 1978 से चल रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000/- रुपये की दर से पुनर्वास सहायता उपलब्ध करायी जाती है जोकि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है।

बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की समीक्षा करने तथा इसके कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में एक विशेष समूह गठित किया गया है। अधिनियम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकारों पर जोर देने के लिए समय-समय पर यह समूह क्षेत्र-वार बैठकें कर रहा है।

आईएलओ के साथ गठबंधन करके केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडु राज्य सरकार ने डीसेंट वर्क के प्रोत्साहन के माध्यम से बंधुआ मजदूरी को कम करने के प्रयोजनार्थ राज्य में एक प्रगामी परियोजना प्रारम्भ की है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा हरियाणा राज्यों में दुहराया जा रहा है।

*[अनुवाद]*

## व्यावसायिक शिक्षा

**3552. श्री एम. आनंदन:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी एजेंसियों में कार्य योजना के क्रियान्वयन संबंधी मतभेद के कारण वर्ष 2022 तक 500 मिलियन युवाओं को विपणनीय रोजगार कौशल प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य खतरे में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन एजेंसियों के बीच मुद्दे के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय कौशल विकास नीति जोकि देश में कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु एक मार्गदर्शी दस्तावेज है, को फरवरी, 2009 में अनुमोदन प्रदान कर दिया है। नीति में वर्ष 2022 तक 500 मिलियन व्यक्तियों को कुशल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य नीति दस्तावेज में दर्शाए गए हैं। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दी गई है। देश में कौशल विकास गतिविधियों के समन्वय हेतु सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड का गठन किया है।

### *विवरण*

*प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य*

| मंत्रालय/विभाग/संगठन | वर्ष 2022 तक प्रशिक्षित व्यक्तियों की आकलित संख्या (मिलियन में) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| राष्ट्रीय कौशल विकास निगम | 150 |
| श्रम और रोजगार | 100 |
| पयर्टन | 5 |
| वस्त्र | 10 |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग | 30 |
| ग्रामीण विकास | 20 |
| महिला और बाल विकास | 10 |
| कृषि | 20 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| एचआरडी उच्चतर शिक्षा एचआरडी व्यावसायिक शिक्षा | 50 |
| भारी उद्योग | 10 |
| शहरी विकास | 15 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 10 |
| खाद्य प्रसंस्करण | 5 |
| निर्माण उद्योग विकास परिषद् (योजना आयोग के अंतर्गत) | 20 |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 10 |
| अति लघु, लघु एवं माध्यम उद्यम | 15 |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता | 5 |
| प्रवासी भारतीय कार्य | 5 |
| वित्त - बीमा/बैंकिग | 10 |
| उपभोक्ता कार्य | 10 |
| रसायन और उर्वरक | 5 |
| अन्य (विद्युत, पेट्रोलियम इत्यादि) | 15 |
| कुल | 530 |

**आनुवंशिक रुप से संवर्द्धित फसलों का प्रारंभ**

**3553. श्री प्रेमदास राय:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र पर आनुवंशिक रूप में संवर्द्धित फसल बीटी बैंगन के प्रारंभ के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) मंत्रालय ने आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रीय कृषि अर्थव्यवस्था और नीति अनुसंधान (एनसीएपी) केन्द्र, नई दिल्ली के माध्यम से 'भारत में बैंगन के उत्पादन और विपणन के सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण और बीटी बैंगन के आर्थिक लाभों के प्रत्याशित आकलन' नामक एक अध्ययन कराया था। अनुप्रयुक्त और विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के साथ संयुक्त रूप से कराये गये इस अध्ययन का निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

"अध्ययन से यह पाया गया कि सर्वेक्षण किए गए किसानों की बैंगन की फसल पर्याप्त क्षेत्र में थी। इस क्षेत्र में फल और शूट बोरर की वजह से होने वाली हानि के अत्याधिक होने के कारण इस अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि बीटी बैंगन को अपनाकर, उत्पादक गुणवत्ता पूर्ण विपणन योग्य फल की पैदावार अधिक मात्रा में प्राप्त करने में समर्थ होंगे और पर्याप्त आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तथापि, उत्पादक की, सामर्थ्य उपभोक्ता की स्वीकार्यता और सुरक्षा संबंधी मुद्दों के आकलन हेतु और अधिक विस्तृत और विषय-केन्द्रित अध्ययन कराए जाने की आवश्यकता है"।

(ग) बीटी बैंगन पर अधिस्थगन, फरवरी 2010 में जारी किया गया था। अधिस्थगन के बाद की अवधि के दौरान, कोई अतिरिक्त अध्ययन नहीं कराया गया है।

**राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना**

**3554. प्रो. रंजन प्रसाद यादवः**
**श्री बिभू प्रसाद तराईः**
**श्री बैजंयत पांडाः**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बेइमान डॉक्टर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत रुपए के दावे के लिए हिस्टरेक्टोमिज आदि जैसे अनावश्यक शल्य क्रिया कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले वर्ष-वार एवं राज्य-वाार पाए गए हैं तथा ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे)ः** (क) से (घ) बीमा कम्पनियों से पैसा एंठने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) मरीजों पर छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्य में अस्पतालों द्वारा हिस्टरेक्टोमिज शल्य क्रिया किए जाने, जबकि चिकित्सा की दृष्टि से यह अपेक्षित नहीं थी, संबंधी विभिन्न समाचार अखबारों में आये हैं। इन आरोपों की गंभीरता को देखतो हुए छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्य का दौरा करके मीडिया रिपोर्टों के प्रसंग में तथ्यों का पता लगाने तथा अधिकारियों, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों, अस्पतालों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करने के लिए संबंधित जिलों का दौरा करने के लिए भी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में एक केन्द्रीय दल का गठन किया गया था। इस केन्द्रीय दन ने अगस्त, 2012 के तीसरे एवं चौथे सप्ताह में छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्यों का दौरा किया तथा अपने निष्कर्ष मंत्रालय को सौंप दिए। इस केन्द्रीय दल की टिप्पणी यह है कि मरीजों पर हिस्टरेक्टोमी शल्य क्रिया किए जाने का 'कारण' आारएसबीवाई नहीं है, जबकि यह छत्तीसगढ़ एवं बिहार राज्यों में गैर-आरएसबीवाई मरीजों के मामले में भी की जा रही है।

तथापि, आरएसबीवाई मामलों में सावधानी उपाय के रूप में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श जारी किया है कि अस्पतालों द्वारा 40 वर्ष की आयु से कम की महिलाओं पर सभी हिस्टरेक्टोमी शल्य क्रियाओं के लिए जाने से पहले बीमा कम्पनी का पूर्व अनुमोदन (प्राधिकृत पत्र) लेना होगा।

**पशुओं का उपचार**

**3555. श्रीमती मेनका गांधीः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार काम में आने वाले पशुओं जैसे बैल, घोड़ा और गधों के लिए उपचार केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई कदम उठा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)ः** (क) जी नहीं, महोदया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अनुसार, सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से स्कीमों-नामशः, 'पशुओं की देखरेख के लिए आश्रय गृहों का प्रावधान' 'पीड़ित पशुओं के लिए एम्ब्यूलेंस सेवाओं का प्रावधान' और उपेक्षित पशुओं की देखरेख के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (योजना) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

*[हिन्दी]*

**सीमा पर चीनी गतिविधियां**

**3556. श्री राधा मोहन सिंहः**
**योगी आदित्यनाथः**
**श्री शैलेन्द्र कुमारः**
**श्रीमती जयश्रीबेन पटेलः**
**श्री रेवती रमण सिंहः**
**श्रीमती मीना सिंहः**
**श्री कादिर राणाः**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारतीय सीमा-क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की ओर ध्यान दिया है, और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। तथा इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या चीनी सेना द्वारा सीमा पर विकास-कार्यों को रोकने/क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है; यदि हां, तो इस संबंध

में सरकार द्वारा क्या कारवाई की गई है;

(ग) सीमा पर तथा पाक-अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में चीन द्वारा सड़क तथा रेल मार्ग-निर्माण पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच में कोई निश्चित सीमा विद्यमान है और यदि हां, तो विवादास्पद सीमारेखा की लंबाई कितनी है और सीमाक्षेत्र के किस हिस्से को चीन विवाद का विषय मानता है; और

(ङ) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जो चीन के कब्जे में है तथा उन क्षेत्रों को पुन: हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ङ) चीन, भारत और चीन के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को विवादित मानता है। दोनों देशों के बीच कोई सामान्य रूप से निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी अवधारणाओं के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त करते रहते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान हमारे क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठ नहीं हुई है। तथापि, चीनियों द्वारा उनके द्वारा आने जाने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा तक गश्त लगाने को अतिक्रमणों के रूप में देखा जाता है। अतिक्रमणों की ऐसी घटनाओं को हॉट लाइन, ध्वज बैठकों, सीमा कार्मिकों की बैठकों और भारत-चीन सीमा संबंधी मामलों पर परामर्श और समन्वय पर हाल ही में स्थापित कार्यकारी तंत्र जैसे स्थापित तंत्रों के माध्यम से चीनी पक्ष के साथ उठाया जाता है।

सरकार, सीमा पर चीन द्वारा अवसंरचना विकास और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उनकी अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं शुरू करने की बात से अवगत है। सरकार ने चीन को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उनके कार्यकलापों के बारे में अपनी चिन्ताओं से अवगत करा दिया है और उन्हें ऐसे कार्यकलापों को रोकने के लिए कहा है।

सरकार, देश की सुरक्षा आवश्यकताओं से भली-भांति वाकिफ है और वह समय-समय पर खतरे की अवधारणा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में वांछित अवसंरचनाओं को विकसित करने की आवश्यकताओं की समीक्षा करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं कि रेल, सड़कों और अग्रिम एयर फील्डों सहित अवसंरचना और साथ ही अपेक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सशस्त्र बलों की संक्रियात्मक क्षमताओं का विकास करने के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समुचित समाधान हो।

सन्, 1962 से जम्मू और कश्मीर में चीन द्वारा कब्जाया गया भारतीय भू-भाग लगभग 38,000 वर्ग किलो मीटर है। इसके अलावा, 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' के तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय भू-भाग गैरकानूनी रूप से चीन को दे दिया गया है। पूर्व क्षेत्र में चीन, अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भू-भाग पर अपना गैर-कानूनी दावा करता है। दोनों देशों ने सीमा समाधान के लिए समग्र द्विपक्षीय संबंधों की राजनीतिक अवधारणा से ढांचा तलाशने के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं।

### शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना

**3557. श्री भरत राम मेघवाल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में अ.जा./अ.ज.जा. से इतर, समाज के अन्य वर्गों के द्वारा अपनी-अपनी भूमि पर शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करके सामूहिक रूप से अपने-अपने समुदाय का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अ.जा./अ.ज.जा. समुदायों को अपनी शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखा दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

### एल.ए.सी. पर सुरक्षा चुनौतियां

**3558. श्री रमन डेका:**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
**श्री कमल किशोर "कमाण्डो":**
**श्री रेवती रमण सिंह:**
**श्री मनीष तिवारी:**
**श्रीमती मीना सिंह:**
**श्री पन्ना लाल पुनिया:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रिसर्च एण्ड एनेलासिस विंग ने हाल ही में भारत के साथ चीन द्वारा इसकी सीमा पर शुरु किए जा रहे युद्ध के स्पष्ट और वर्तमान खतरे की चेतावनी दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास बढ़ी हुई निगरानी और मिलिट्री प्रशिक्षण अभ्यासों द्वारा हाल के महीनों में वास्तविक सीमा रेखा के पार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की खबरें हैं जो पूर्ण अभ्यास हो सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अब यह अनुमान है कि तिब्बत में अवसंरचना उन्नयन के कारण पीएलए एक मात्र गर्मी के मौसम में सीमा पर आपरेशन शुरु कर सकता है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के सीमा क्षेत्रों में टुकड़ियों के संचलन हेतु भौतिक अवसंरचना का उन्नयन काफी कम है; और

(ङ) यदि हां, तो बाधा को रोकने के लिए क्षमता का उन्नयन करने के लिए पिछले दशक में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है।

**रक्षा मंत्री ( श्री ए.के. एंटनी ):** (क) से (ङ) सरकार को चीन द्वारा सीमा पर अवसंरचना विकास तथा उनके कार्यकलापों की जानकारी है तथा वह देश की सुरक्षा अनिवार्यताओं से पूरी तरह अवगत हैं तथा खतरों की अवधारणा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अपेक्षित अवसरंचना के विकास की आवश्यकता की समय-समय पर पुनरीक्षा करती है। अपेक्षित राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना के विकास तथा सशस्त्र सेनाओं की संक्रियात्मक क्षमताओं में बढ़ोतरी के जरिए यथाअपेक्षित आवश्यक उपाय शुरू किए गए हैं।

## भारतीय मछुआरों की सुरक्षा

**3559. श्री ए. सम्पतः** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समुद्र में जाने वाले मछुआरे विदेशी पोतों के आक्रमण पोतों के आक्रमण का शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई ऐसी मौतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पोत-परिवहन मंत्री ( श्री जी.के. वासन ):** (क) और (ख) गत् तीन वर्षों और चालू वर्ष में ऐसी दो घटनाएं हुई हैं जिनमें विदेशी पताका वाले दो वाणिज्यिक पोत शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप भारतीय मछुआरों की मृत्यु हुई। दो घटनओं का ब्यौरा जो केरल राज्य के तट पर हुईं, निम्नानुसार हैं :-

(i) 15 फरवरी, 2012 को लगभग 1630 (भारतीय मानक समय) बजे, एम टी एनरीका लैक्सी (इटली की पताका) पर सवार 2 सुरक्षा गार्डों ने एक भारतीय मत्स्यन नौका "सेंट एन्टोनी" पर गोलियां चलाई। दो भारतीय मछुआरे, श्री पिंटू और श्री जेलास्टिन गोलीबारी में मारे गए और नौका क्षतिग्रस्त हो गई।

(ii) 1 मार्च, 2012 को लगभग 0200 (भारतीय मानक समय) बजे, एम वी प्रभु दया (सिंगापुर पताका) एक भारतीय मत्स्यन नौका, "डॉन-I" से टकरा गया जिसके परिणामस्वरूप 5 मछुआरों की जान चली गई और मत्स्यन नौका डूब गई।

(ग) सरकार द्वारा भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) भारतीय तटरक्षक द्वारा नावरिया VIII चेतावनी सं. 100 दिनांक 23 फरवरी, 2012 जारी की गई है जिसमें सभी जलयानों को यह चेतावनी दी गई है कि मछली पकड़ने का कार्य तट से 50 समुद्री मीलों तक की जाए और जलयानों को मत्स्यन नौकाओं को दस्यु नौकाएं और समुद्री डकैती सशस्त्र दल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए।

(ii) नौवहन महानिदेशालय ने दिनांक 7 मार्च, 2012 के वर्ष 2012 के एम.एस. नोटिस 7 के माध्यम से सभी वाणिज्यिक जलयानों को भारतीय तट पर घने मत्स्यन यातायात का ध्यान रखने, इस संभावना कि यह नौकाएं अपने जालों/मछली पकड़ने की लाइनों की सुरक्षा के लिए उनके पास आ सकती हैं की सलाह दी है और यह कि इन मत्स्यन नौकाओं को जलदस्युओं की छोटी नौकाएं समझने की गलती नहीं की जाए। वाणिज्यिक पोतों को भारतीय तट से 50 समुद्री मील तक पहुंचने पर अत्यधिक सावधानी से नौचालन करने की सलाह दी गई है।

(iiii) नैशनल ऑटोमैटिक आइडैंटीफिकेशन सिस्टम (एन ए आई एस) जिसे शुरु कर दिया गया है, भारतीय तट रेखा के 50 किलोमीटर तक 300 जीटी से अधिक क्षमता वाले सभी जलयानों की तटीय निगरानी में सहायता करेगा। इस प्रकार के जलयानों की स्थिति को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस पद्धति की मदद से पता लगाया जा सकता है जो इस प्रकार की टकराने की घटनाओं में शामिल जलयानों की स्थिति की सही स्थिति का भी पता लगा सकती हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि टक्कर मार कर भाग जाने के मामले नहीं होंगे और इसलिए इनका जलयानों पर निवारक प्रभाव होगा।

**मांस का निर्यात**

**3560. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि5

(क) क्या अपोलो बंदरगाह, मुम्बई से सड़क मार्ग के जरिए भैंस का मांस बताकर गोमांस के अवैध निर्यात का पता लगाने के लिए पर्याप्त तंत्र मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उन निर्यातकों के विरुद्ध कितने मामले दर्ज हुए जो अवैध रूप से गोमांस का निर्यात कर रहे थे;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसे निर्यातकों का पता लगाने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) भेड़ तथा बकरी के मासं जैसी मांस सामग्री मांस के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार मांस के निर्यात के संबंध में निर्यात-नीति को संशोधित करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) मौजूदा विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत गौमांस (गाय, बैल तथा बछड़े का मांस) का निर्यात निषिद्ध है। निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अंतर्गत कच्चे मांस (शीतित एवं प्रशीतित) संबंधी सरकारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अध्यधीन शीतित एवं प्रशीतित मांस के निर्यात की अनुमति दी जाएगी। भैंस के छीछड़े भी गुणवतत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण की उन्हीं शर्तों के अध्ययधीन हैं। एपीडा द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ-साथ एपीडा के पास पंजीकृत बूचड़खानों-सह-मांस प्रसंस्करण संयंत्र से संबद्ध आंतरिक प्रयोगशालाओं एवं एजेंसी अनुमोदित प्रयोगशालाओं का प्रयोग राज्य के विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में गुणवत्ता की पुष्टि हेतु आवश्यक जांच करने के लिए किया जाता है। इन जांचों तथा राज्य के विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में निर्यातक इकाई द्वारा नियोजित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत पशु चिकित्सकों द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं परीक्षणों के आधार पर राज्य के विनिर्दिष्ट पशु चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला इस विभाग की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

(घ) सरकार द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है।

( ) जी, नहीं।

(च0 प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

**कृषि-उत्पादों का निर्यात**

**3561. राजकुमारी रत्ना सिंह:**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों और व्यापारियों पर कृषि-उत्पादों के निर्यात के प्रभाव के आकलन के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन से यह बात सामने आई है कि कृषि-उत्पादों का निर्यात किसानों की अपेक्षा व्यापारियों के लिए अधिक लाभप्रद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क से ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

### रेशम कीट की कीमत

3562. **श्री वरुण गांधी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कच्चे रेशम पर आयात-शुल्क में कटौती किए जाने के बाद रेशमकीट की कीमत में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय रेशम-कृषकों पर इसका क्या प्रभाव हुआ है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) और (ख) कच्ची रेशम के आयात पर आधारभूत सीमा शुल्क को केन्द्रीय बजट 2011 के दौरान 30% से घटाकर 5% कर दिया गया है ताकि देश में रेशम बुनकरों के हितों की रक्षा की जा सके और घरेलू तथा आयातित, दोनों कच्ची रेशम के मूल्यों में असाधारण वृद्धि में स्थायित्व लाया जा सके। अप्रैल 2011 और मार्च, 2012 के बीच की अवधि के दौरान विभिन्न कोया बाजारों में कच्ची रेशम की कीमतों में कमी के कारण कोया के मूल्यों 275/- रु. प्रति किलो से लेकर गिरकर लगभग 175/- रु. प्रति किलो तक की भारी गिरावट आई थी। तथापि, हाल के महीनों में मूल्यों में सुधार हुआ है और कोये के मूल्य लगभग 280 रु. प्रति किलो तक चढ़ गए हैं।

(ग) सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास हेतु कोयों पर कच्ची रेशम के मूल्यों को स्थिर करने के लिए रीलिंग अवसंरचना में सुधार के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सभी राज्य सरकारों के राज्य रेशम उत्पादन विभागों के सहयोग से "उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम" (सीडीपी) नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रही है। सरकार ने कोयों और कच्ची रेशम की उत्पादकता में सुधार करने, किसानों के लिए विस्तार सहायता सुदृढ़ करने और उन्नत बीज तथा परपोषी पोधों को विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने उत्पादन लागत घटाने और रेशम उत्पादन तथा रीलिंग क्षेत्र को प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए सीमा शुल्क की रियायती दरों पर आधुनिक स्वचालित रीलिंग मशीनें और डूपियन रीलिंग मशीनों के लिए उनके एसेसरीज और पैकेजित के साथ आयात की अनुमति भी दी है।

*[हिन्दी]*

### जगुआर लड़ाकू विमान के लिए ऑटो पायलट सिस्टम

3563. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:**
**श्री कौशलेन्द्र कुमार:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जगुआर लड़ाकू विमानों के लिए ऑटो पायलट सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया में तेजी लाने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ग) भारतीय वायुसेना के जगुआर विमानों पर ऑटो पायलट लगाए जाने का कार्य दो चरणों में शुरू किया जा रहा है। 55 जगुआर विमानों के लिए ऑटो पायलट की अधिप्राप्ति पूरी कर ली गई है और अतिरिक्त 95 ऑटो पायलट की पुनः अधिप्राप्ति के लिए वाणिज्यिक वार्ता चल रही है।

### पड़ोसी देशों को निर्यात

3564. **श्री रेवती रमण सिंह:**
**श्री मानिक टैगोर:**
**श्री सुदर्शन भगत:**
**श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, अफगानिस्तान सहित अन्य पड़ोसी देशों को कितनी मात्रा में गेहूं का निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का अगले दो वर्षों के दौरान अफगानिस्तान सहित अन्य देशों को और अधिक गेहूं का निर्यात करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कुछ देशों को विश्व बाजार में प्रचलित दर से बहुत कम दर पर गेहूं निर्यात किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) पिछले तीन वर्षों में पड़ोसी देशों को बेचे गए गेहूं की मात्रा निम्नानुसार है:

(इकाई: मात्रा हजार टन में)

| क्र.सं. | देश का नाम | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12(अ) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अफगानिस्तान | - | - | 34.94 |
| 2. | बांग्लादेश | - | - | 312.63 |
| 3. | नेपाल | 0.01 | 0.23 | 1.78 |
| 4. | पाकिस्तान | - | - | 38.94 |
| 5. | श्री लंका | - | - | 18.26 |

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ख) और (ग) सामान्यत: गेहूं का निर्यात प्रतिबंधित होता है। निर्यात घरेलू मांग और आपूर्ति के परिदृश्य पर निर्भर है।

(घ) गेहूं का निर्यात प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए पता लगाई गई बाजार कीमतों पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## तटरक्षक केन्द्र

**3565. श्री के. जयप्रकाश हेगड़े:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय समुद्री सीमा पर सुरक्षा की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न समुद-तटीय क्षेत्रों में तटरक्षक केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्नाटक के समुद-तट सहित अन्य क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कहां-कहां तटरक्षक केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) क्या इन केन्द्रों पर अवरोधक नौकाएं आदि रखते हुए इन्हें आधुनिकीकृत करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) जी, हां। किसी स्थान विशेष पर तटरक्षक बल स्टेशन की स्थापना खतरे की अवधारणा, सुभेद्यता अंतराल विश्लेषण तथा एक केन्द्र की अवधारणा के अंतर्गत आस-पास के क्षेत्र में अन्य स्टेशनों/तटीय समुद्री पुलिस स्टेशनों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए की जाती है। पिपावाव (गुजरात), निजामपट्टनम (आंध्र प्रदेश), गोपालपुर (ओडिशा), फ्रेजरगंज (पश्चिम बंगाल), मायाबंदर तथा कमोर्ता (दोनों अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) में छह अतिरिक्त स्टेशन स्वीकृत किए गए है। स्टेशनों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें अंतर्रोधन नौकाओं इत्यादि का प्रावधान शामिल है।

*[हिन्दी]*

## राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र

**3566. श्री तूफानी सरोज:**
**श्री सर्वे सत्यनारायण:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना (डीएमआईसी) के अंतर्गत प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र के विकास के लिए जर्मनी और ब्रिटेन से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में ऐसे दो विनिर्माण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डीएमआईसी के तहत ऐसे कुल कितने राष्ट्रीय विनिर्माण और निवेश क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं;

(ङ) क्या जापान तथा कुछ अन्य देशों की भी डीएमआईसी परियोजना में दिलचस्पी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) सरकार ने देश में स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण जोनों (एनआईएमजेड) में जर्मनी और ब्रिटेन के साथ-साथ निवेशकों से सहयोग मांगा है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) भारत सरकार और जापान के बीच दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडोर (डीएमआईसी) विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। डीएमआईसी परियोजना के विकास में जापान भागीदार देश है। जापान सरकार ने दिसंबर, 2011 में परियोजना के प्रथम चरण में 4.5 बिलियन अमरिकी डॉलर के मौजूदा जापानी भागीदारी वाली डीएमआईसी परियोजनाओं के लिए अपनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है।

*[अनुवाद]*

## रियो+20 शिखर-सम्मेलन

**3567. श्री बलीराम जाधव:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रियो-डि-जेनेरो में सतत के संबंध में संयुक्त राष्ट्रसंघ का सम्मेलन आयोजित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस शिखर-सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भारत द्वारा उठाए गए प्रश्नों/मुद्दों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) इस सम्मेलन के समापन पर 'द फ्यूचर वी वांट' शीर्षक से एक परिणाम दस्तावेज अंगीकार किया गया था। इस सस्तावेज में 'साझा दृष्टिकोण वचनबद्धताओं को नवीकृत करना, 'सतत विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था, 'सतत विकास हेतु संस्थागत कार्यढांचा, 'कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु ढांचा और 'कार्यान्वयन के उपाय के क्षेत्र शामिल है।

(ग) जी हां।

(घ) जहां तक भारत का संबंध है, इस सम्मेलन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम-वैश्विक पर्यावरणीय चर्चा, विशेषत: जलवायु परिवर्तन संबंधी विचार-विमर्शों में साम्यता और साझा किंतु पृथक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की केन्द्रीयता की बहाली; निर्धनता उन्मूलन वैश्विक विकास कार्यसूची के केन्द्र में रखा जाना और देशों को हरित अर्थव्यवस्था के संबंध में अपेक्षित घरेलू नीतिगत स्थान प्रदान करना रहा है। इस सम्मेलन में सतत विकास के उद्देश्यों के विकास पर, वित्तीय रणनीति बनाने पर, प्रौद्योगिकी अंतरण पर चार प्रक्रियाएं/तंत्र भी शुरू करने और सतत विकास के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के प्रारूप और संगठनात्मक पहलुओं को पारिभाषित करने का निर्णय लिया गया है।

**उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक**

**3568. श्री पी. आर. नटराजन:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान खाद्य-वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य-सूचकांक उच्च रहा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) जनवरी, 2011 से प्रतिमाह ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण एवं शहरी सूचकांक (सामूहिक) के लिए 2010 = 100 के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जारी करता है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा संकलित वर्तमान वित्तीय वर्ष (2012-13) के दौरान ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण एवं शहरी (सामूहिक) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण, शहरी तथा ग्रामीण एवं शहरी (सामूहिक) से संबंधित समूह "भोजन, पेय पदार्थ एवं तम्बाकू" के लिए सीपीआई अप्रैल, 2012 में 117.2 से बढ़कर जुलाई, 2012 में 123.1 हो गया है।

सीपीआई में वृद्धि के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दायरे में नहीं आता।

***विवरण***

*2012 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2010 = 100)*

| समूह/उप समूह | अप्रैल-2012 | | | मई-2012 | | | जून-2012 | | | जुलाई-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी | सामूहिक ग्रामीण एवं शहरी) | ग्रामीण | शहरी | सामूहिक ग्रामीण एवं शहरी) | ग्रामीण | शहरी | सामूहिक ग्रामीण एवं शहरी) | ग्रामीण | शहरी | सामूहिक ग्रामीण एवं शहरी) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| अनाज एवं उत्पाद | 109.5 | 104.2 | 108.1 | 110.6 | 105.4 | 109.3 | 110.9 | 106.4 | 109.7 | 113.4 | 109.1 | 112.3 |
| दालें एवं उत्पाद | 104.5 | 101.7 | 103.6 | 105.9 | 103.9 | 105.3 | 106.8 | 106.0 | 106.6 | 109.4 | 111.1 | 109.9 |
| तेल एवं वसा | 129.8 | 139.6 | 132.9 | 131.4 | 142.2 | 134.9 | 132.3 | 142.8 | 135.7 | 135.8 | 144.3 | 138.5 |
| अंडा, मछली एवं मांस | 120.9 | 120.0 | 120.6 | 122.2 | 122.1 | 122.2 | 125.2 | 125.5 | 125.3 | 126.4 | 125.1 | 126.0 |
| दूध एवं उत्पाद | 127.2 | 124.1 | 126.1 | 128.9 | 125.1 | 127.5 | 129.6 | 125.5 | 128.1 | 130.4 | 126.2 | 128.8 |
| चटनी एवं मसाले | 121.5 | 119.6 | 120.9 | 122.0 | 119.4 | 121.2 | 122.5 | 1195 | 121.6 | 123.6 | 119.8 | 122.5 |
| सब्जियां | 118.1 | 117.2 | 117.8 | 120.8 | 117.1 | 119.6 | 129.0 | 125.3 | 127.8 | 139.0 | 135.4 | 137.9 |
| फल | 133.1 | 134.7 | 133.8 | 134.5 | 139.0 | !36.4 | 136.0 | 139.8 | 137.6 | 137.5 | 141.9 | 139.4 |
| चीनी इत्यादि | 99.5 | 98.0 | 99.1 | 100.2 | 99.2 | 99.9 | 100.3 | 99.6 | 100.1 | 103.1 | 104.5 | 103.5 |
| गैर-एलकोहलिक पेय पदार्थ | 118.8 | 118.0 | 118.5 | 120.0 | 118.7 | 119.4 | 120.5 | 119.3 | 120.0 | 122.2 | 120.6 | 121.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| तैयार भोजन इत्यादि | 118.7 | 118.5 | 118.6 | 119.5 | 119.5 | 119.5 | 120.2 | 120.4 | 120.3 | 121.7 | 121.7 | 121.7 |
| पान, तम्बाकू एवं मदिरा | 125.6 | 126.5 | 125.8 | 127.4 | 128.8 | 127.8 | 128.7 | 130.1 | 129.1 | 131.1 | 131.3 | 131.2 |
| भोजन, पेय पदार्थ एवं तम्बाकू | 117.2 | 1173 | 117.2 | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 120.2 | 120.4 | 1203 | 123.1 | 123.1 | 123.1 |
| तेल एंव प्रकाश | 121.9 | 119.5 | 121.0 | 122.5 | 1203 | 121.7 | 123.7 | 121.1 | 122.7 | 1253 | 121.8 | 124.0 |
| कपड़े, बिस्तर एवं फुटवीयर | 124.6 | 126.6 | 1253 | 126.0 | 127.5 | 126.5 | 1273 | 128.4 | 127.7 | 128.6 | 129.6 | 129.0 |
| सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 117.9 | 116.1 | 117.1 | 119.1 | 117.1 | 118.2 | 120.5 | 118.5 | 119.6 | 122.6 | 119.9 | 121.4 |

टिप्पणी: कॉम्ब-सामूहिक

## रसायनों पर डम्पिंग-रोधी शुल्क

**3569. श्री ए. गणेशमूर्तिः**
**श्री एन.एस.वी. चित्तनः**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेशः**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः**
**श्री नवीन जिन्दलः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यातित तथा आयातित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और पेस्टनाशियों के मूल्य तथा मात्रा का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन वस्तुओं के निर्यात से घरेलू बाजार में इनकी कीमतें प्रभावित हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन उत्पादों की कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने कीटनाशकों और रंजकों के उत्पादन में प्रयुक्त एक रसायन के चीन से आयात पर डम्पिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा अवैध रूप से चीन से बड़ी मात्रा में ऐसी वस्तुओं तथा घटिया गुणवत्ता वाले कीटनाशकों का आयात करने की सूचना है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री आनन्द शर्मा):** (क) रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, रोगनाशकों के लिए निर्यात (तालिका 1) तथा आयात (तालिका 2) का ब्यौरा निम्नानुसार है। देशबार ब्यौरा http://docnic/eidb पर दिया गया है।

*तालिका I*

| विवरण | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| रासायनिक उर्वरक | मात्रा मी.टन में | 2,36,124 | 1,51,524 | 1,27,710 |
| | मूल्य लाख रु. में | 50,682.7 | 22,271.1 | 37,461.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| कीटनाशक/रोगनाशक | मात्रा मी.टन में | 1,74,869 | 1,77,789 | 2,07,256 |
| | मूल्य लाख रु. में | 5,25ए,435.4 | 5,18,431.5 | 6,88,425.4 |
| तालिका II | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| रासायनिक उर्वरक | मात्रा मी.टन में | 1,59,28,216 | 1,57,07,735 | 1,80,97,184 |
| | मूल्य लाख रु. में | 28,43,762.0 | 28,27,715 | 44,93,447 |
| कीटनाशक/रोगनाशक | मात्रा मी.टन में | 37,135 | 53,996 | 58,647 |
| | मूल्य लाख रु. में | 2,22,596.5 | 2,87,170.2 | 3,40,093.2 |

(ख) और (ग) घरेलू बाजार की तुलना में उर्वरकों का निर्यात नगण्य है। अत: इससे उर्वरकों की कीमत प्रभावित नहीं होगी।

(घ) सरकार ने चीन से विभिन्न रसायनों यथा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, टाइटैनियम डॉइआक्सॉइड, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फॉऑक्साइलेट, सल्फर ब्लैक, 1-फिनाइल-3 मिथाइल-5 पाइराजोलो, पैरानाइट्रोएनिलिन और पौटेशियम कार्बोनेट जिनका इस्तेमाल रोगनाशकों और रंजकों के उत्पादन में किया जाता है, के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की तस्कर-रोधी इकाई ने यह सूचित किया कि सीमाशुल्क विभाग के क्षेत्रिय संगठनों से सूचना मंगाई गई है जो अभी प्रतिक्षित है।

*[हिन्दी]*

## दवाओं का निर्यात और आयात

**3570 श्री जय प्रकाश अग्रवाल:**
**श्री अधीर चौधरी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औषधि-निर्माता चीन और मैक्सिको से जीवनरक्षक पेंसिलिन औषधि सहित अन्य सस्ती दवाओं के आयात पर बहुत आश्रित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश-वार किन-किन औषधियों का आयात और निर्यात किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान, इस प्रकार के व्यापार से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा इस पर कितना व्यय किया गया;

(ङ) क्या सरकार दवाओं और औषधियों के निर्यात को बढ़ाने तथा भारतीय निर्माताओं को आत्मनिर्भर बनाने का विचार रखती है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) से (घ) भारत, चीन तथा मैक्सिकों सहित विश्व में विभिन्न देशों से भेषजीय उत्पादों का बड़ा आयातक है। भारत के औषधि, भेषज और परिष्कृत रसायनों के देशवार निर्यात एवं आयात का ब्यौरा क्रमश: विवरण I और विवरण II में संलग्न हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान औषध, भेषज और परिष्कृत रसायनों के भारत के कुल निर्यात एवं आयात का विवरण निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ रूपए में)

| वर्ष | निर्यात | आयात |
|---|---|---|
| 2009-10 | 42455.66 | 9959.00 |
| 2010-11 | 48810.26 | 11113.86 |
| 2012-12 | 633347.32* | 14384.88* |

स्रोत: डी जी सी आई एंड एस

*वर्ष 2011-12 के लिए आंकड़े अन्तिम और परिवर्तनाधीन हैं।

(ङ) और (च) भारत विश्व में अपनी कम लागत की विनिर्माण क्षमताओं के लिए माना जाता है और उच्च गुणवत्ता वाली वहनीय जेनेरिक दवाइयों के वैश्विक स्त्रोत के रूप में जाना जाता है। वाणिज्य विभाग वर्ष 2014 तक भेषज निर्यातों में 25 बिलियन अम.डा. तक वृद्धि करने संबंधी एक कार्यनीति का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार भेषजीय उत्पादों के निर्यातकों सहित भारतीय निर्यातकों को बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम तथा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अलावा, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत विभिन्न व्यापार संवर्धन स्कीमों में भेषज उद्योग को प्रोत्साहन उपलब्ध है। वहनीय एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयों के स्रोत के रूप में भारत को संवर्धित करने के उद्देश्य के साथ फोकस बाजार में एक विशेष ब्रांड इंडिया फार्मा अभियान भी चलाया गया है।

## *विवरण*

*औषधि, भेषज उत्पाद और परिष्कृत रसायनों का भारत द्वारा निर्यात*

| देश | | मूल्य (करोड़ रुपए) | | |
|---|---|---|---|---|
| कोड | नाम | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | अफगानिस्तान | 199.35 | 176.49 | 240.94 |
| 003 | अल्बानिया | 1.84 | 1.06 | 2.51 |
| 005 | अल्जीरिया | 152.64 | 156.07 | 214.65 |
| 007 | अमेरी समोआ | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 009 | अंडोरा | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | अंगोला | 139.36 | 138.09 | 237.24 |
| 012 | ऐंग्विला | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 013 | एंटीगुआ | 0.35 | 1.36 | 0.74 |
| 015 | अर्जेण्टीना | 249.81 | 207.28 | 228.91 |
| 016 | आर्मीनिया | 3.21 | 2.70 | 4.52 |
| 017 | ऑस्ट्रेलिया | 456.31 | 530.74 | 827.32 |
| 019 | ऑस्ट्रिया | 224.89 | 200.40 | 261.12 |
| 020 | एरूबा | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 021 | अजरबैजान | 30.28 | 31.50 | 26.53 |
| 023 | बहमास | 3.80 | 408.06 | 3.71 |
| 025 | बहरीन | 16.13 | 6.46 | 7.72 |
| 027 | बांग्लादेश | 430.30 | 524.64 | 531.44 |
| 029 | बारबाडोस | 6.95 | 8.36 | 13.01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 031 | बेलिज | 1.70 | 2.77 | 3.11 |
| 033 | बेल्जियम | 505.36 | 401.45 | 653.83 |
| | बेनिन | 157.08 | 214.59 | 334.49 |
| 037 | बरमूडा | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 038 | भूटान | 4.13 | 3.17 | 2.55 |
| 039 | बोलीविया | 22.26 | 20.44 | 27.92 |
| 040 | बोस्निया-हरजेगोविना | 2.22 | 4.05 | 4.00 |
| 041 | बोत्सवाना | 47.91 | 85.86 | 81.57 |
| 043 | ब्राजील | 995.32 | 1047.57 | 1330.67 |
| 045 | बी आर वर्जिन द्वीप समूह | 0.40 | 0.26 | 0.31 |
| 047 | ब्रुनेई | 0.02 | 0.12 | 0.10 |
| 049 | बुल्गारिया | 23.88 | 29.44 | 77.66 |
| 050 | बुर्किना फासो | 68.80 | 76.21 | 119.09 |
| 053 | बुरूंडी | 34.60 | 42.01 | 59.51 |
| 055 | बेलारूस | 77.76 | 66.29 | 69.90 |
| 056 | कम्बोडिया | 91.71 | 89.18 | 114.61 |
| 057 | कैमरून | 108.37 | 129.29 | 200.98 |
| 059 | कनाडा | 775.46 | 697.40 | 1217.53 |
| 063 | केप वरडी आई एस | 0.48 | 0.99 | 1.47 |
| 065 | केमेन आई एस | 0.58 | 0.71 | 0.84 |
| 067 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | 6.98 | 7.63 | 14.13 |
| 069 | चाड | 21.03 | 31.51 | 67.95 |
| 073 | चिली | 165.24 | 141.17 | 175.83 |
| 075 | ताइवान | 138.10 | 163.03 | 267.86 |
| 077 | चीन जन गण | 645.37 | 637.85 | 750.25 |
| 081 | कोकोस आई एस | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 083 | कोलम्बिया | 241.92 | 266.59 | 337.85 |
| 085 | कोमोरोस | 0.88 | 0.84 | 2.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 087 | कांगो जन गण | 331.08 | 291.03 | 318.28 |
| 089 | कुक आई एस | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 091 | कोस्टारिका | 50.52 | 59.31 | 78.50 |
| 092 | क्रोएशिया | 59.17 | 70.78 | 107.90 |
| 093 | क्यूबा | 40.65 | 47.31 | 72.11 |
| 095 | साइप्रस | 49.00 | 52.68 | 98.28 |
| 098 | चेक गणराज्य | 100.88 | 141.01 | 157.20 |
| 101 | डेनमार्क | 122.57 | 150.34 | 150.66 |
| 102 | डि जिबूती | 61.04 | 86.37 | 49.64 |
| 103 | डोमिनिक गणराज्य | 57.16 | 77.32 | 89.35 |
| 105 | डोमिनिका | 4.45 | 2.34 | 5.30 |
| 109 | इक्वेडोर | 38.68 | 34.35 | 78.41 |
| 111 | मिस्त्र अरब गणराज्य | 279.88 | 279.99 | 528.78 |
| 113 | अल सल्वाडोर | 17.02 | 32.17 | 37.67 |
| 114 | एस्तोनिया | 0.24 | 1.27 | 8.81 |
| 115 | इथियोपिया | 171.37 | 332.67 | 355.52 |
| 116 | इरीट्रिया | 11.09 | 18.39 | 9.94 |
| 117 | इक्विटल गुएना | 1.42 | 2.08 | 3.19 |
| 121 | फरोए आई एस | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 125 | फिनलैंड | 68.92 | 100.49 | 107.57 |
| 127 | फिजी आई एस | 10.04 | 8.68 | 15.59 |
| 129 | फ्रांस | 507.87 | 620.77 | 828.88 |
| 131 | फ्रेंच गुएना | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | फ्रेंच पोलीनेशिया | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 141 | गैबोन | 4.08 | 9.95 | 15.14 |
| 143 | गाम्बिया | 8.61 | 11.30 | 12.19 |
| 145 | जार्जिया | 23.37 | 25.86 | 27.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 147 | जर्मनी | 1515.00 | 1651.50 | 2208.22 |
| 149 | घाना | 522.45 | 622.23 | 711.42 |
| 151 | जिब्राल्टर | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 155 | ग्रीस | 75.49 | 88.98 | 141.66 |
| 157 | ग्रीनलैंड | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 159 | ग्रेनेडा | 0.52 | 0.54 | 0.49 |
| 161 | ग्वाडिलोप | 0.23 | 0.16 | 0.04 |
| 163 | गुआम | 1.54 | 1.19 | 2.04 |
| 165 | ग्वाटेमाला | 50.94 | 62.33 | 79.18 |
| 167 | गिनी | 110.86 | 55.75 | 116.24 |
| 169 | गिनी बिसाउ | 2.72 | 2.72 | 3.76 |
| 171 | गुयाना | 18.85 | 21.80 | 29.08 |
| 175 | हैती | 49.29 | 49.82 | 62.59 |
| 177 | होंडुरास | 25.26 | 30.54 | 42.07 |
| 179 | हांगकांग | 163.05 | 252.90 | 173.37 |
| 181 | हंगरी | 364.10 | 318.89 | 425.46 |
| 185 | आइसलैंड | 62.25 | 66.96 | 94.64 |
| 187 | इंडोनेशिया | 235.60 | 291.53 | 334.52 |
| 189 | ईरान | 535.05 | 503.61 | 473.80 |
| 191 | इराक | 184.41 | 193.60 | 208.25 |
| 193 | आयरलैंड | 274.87 | 323.93 | 540.98 |
| 195 | इजराइल | 526.01 | 606.13 | 816.23 |
| 197 | इटली | 594.54 | 635.91 | 813.87 |
| 199 | कोटे दि आइवरी | 27.81 | 18.00 | 92.36 |
| 203 | जमैका | 44.42 | 39.70 | 54.61 |
| 205 | जापान | 374.95 | 361.48 | 719.62 |
| 207 | जॉर्डन | 129.93 | 159.71 | 202.89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 212 | कजाकिस्तान | 227.36 | 225.11 | 214.23 |
| 213 | केन्या | 552.32 | 833.68 | 1102.25 |
| 214 | किरिबाती गणराज्य | 0.00 | 0.29 | 0.27 |
| 215 | कोरिया जनवादी गणराज्य | 76.35 | 91.01 | 103.97 |
| 216 | किर्गिस्तान | 21.08 | 25.41 | 28.57 |
| 217 | कोरिया गणराज्य | 393.81 | 396.41 | 430.19 |
| 219 | कुवैत | 13.35 | 16.19 | 15.31 |
| 223 | लाओ पी डी आर | 8.66 | 5.24 | 11.30 |
| 224 | लातविया | 49.91 | 50.15 | 76.71 |
| 225 | लेबनान | 33.37 | 29.59 | 41.52 |
| 227 | लेसोथो | 42.60 | 38.16 | 44.61 |
| 229 | लाइबेरिया | 28.90 | 33.93 | 33.12 |
| 231 | लीबिया | 17.83 | 18.58 | 35.61 |
| 234 | लिथुआनिया | 30.52 | 28.15 | 54.12 |
| 235 | लक्जमबर्ग | 0.13 | 0.39 | 0.40 |
| 239 | मकाओ | 0.69 | 0.77 | 0.92 |
| 240 | मेसीडोनिया | 18.86 | 17.18 | 17.25 |
| 241 | मेडागास्कर | 24.39 | 48.41 | 76.39 |
| 243 | मालावी | 85.97 | 137.42 | 224.74 |
| 245 | मलेशिया | 368.77 | 286.02 | 347.34 |
| 247 | मालदीव | 29.00 | 28.86 | 33.58 |
| 249 | माली | 57.35 | 60.38 | 133.34 |
| 251 | माल्टा | 182.16 | 272.75 | 336.13 |
| 252 | मार्शल द्वीप समूह | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| 253 | मारीतानिक | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 255 | मारीतानिया | 18.70 | 12.27 | 22.86 |
| 256 | माइक्रोनेशिया | 0.77 | 1.21 | 0.85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 257 | मारीशस | 122.09 | 153.41 | 146.90 |
| 258 | म्यांमार | 271.77 | 285.35 | 385.72 |
| 259 | मेक्सिको | 519.23 | 548.75 | 665.26 |
| 260 | माल्दोवा | 21.62 | 23.85 | 23.33 |
| 261 | मंगोलिया | 8.59 | 10.56 | 9.60 |
| 262 | मोनैको | 0.25 | 0.00 | 0.02 |
| 263 | मोंट्सराट | 0.10 | 0.01 | 0.02 |
| 265 | मोरक्को | 80.15 | 78.75 | 109.86 |
| 267 | मोजाम्बिक | 164.36 | 204.99 | 196.27 |
| 269 | नामीबिया | 65.91 | 83.16 | 90.65 |
| 271 | नौरो गणराज्य | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 273 | नेपाल | 392.21 | 367.65 | 564.59 |
| 275 | नीदरलैंड | 688.93 | 905.01 | 1100.46 |
| 277 | नीदरलैंड एंटील | 2.38 | 1.63 | 4.04 |
| 279 | न्यूट्रल जोन | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | न्यू कैलेडोनिया | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 285 | न्यूजीलैंड | 110.34 | 133.37 | 180.89 |
| 287 | निकारागुआ | 36.15 | 33.96 | 21.57 |
| 289 | नाइजर | 32.94 | 72.72 | 106.25 |
| 291 | नाइजीरिया | 905.00 | 1022.86 | 1487.68 |
| 294 | एन. मेरियाना आई एस | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 295 | नॉरफोक आई एस | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | नॉर्वे | 4.73 | 8.65 | 14.86 |
| 301 | ओमान | 48.71 | 44.14 | 54.03 |
| 309 | पाकिस्तान आई आर | 361.07 | 346.94 | 476.43 |
| 310 | पलाउ | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| 311 | पनामा गणराज्य | 21.56 | 23.65 | 60.79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 315 | पापुआ एन जी एन ए | 23.70 | 22.23 | 28.25 |
| 317 | पराग्वे | 34.74 | 24.62 | 31.16 |
| 319 | पेरू | 116.00 | 141.39 | 152.66 |
| 321 | पीटकैरन आई एस | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 323 | फिलीपीन्स | 332.26 | 389.27 | 508.85 |
| 325 | पोलैंड | 169.11 | 204.93 | 257.81 |
| 327 | पुर्तगाल | 91.71 | 102.68 | 129.98 |
| 329 | ईस्ट तिमोर | 3.61 | 3.57 | 9.41 |
| 331 | प्यूटो रिको | 298.31 | 165.42 | 354.08 |
| 335 | कतर | 10.50 | 5.15 | 4.64 |
| 339 | रियूनियन | 0.10 | 0.07 | 0.03 |
| 343 | रोमानिया | 97.62 | 127.18 | 135.20 |
| 344 | रूस | 1302.82 | 2077.07 | 1968.29 |
| 345 | रवांडा | 56.20 | 70.79 | 61.45 |
| 349 | साओ टोम | 0.53 | 0.44 | 0.07 |
| 351 | सऊदी अरब | 113.61 | 113.46 | 155.55 |
| 353 | सेनेगल | 20.51 | 38.03 | 50.56 |
| 354 | सर्बिया मोन्टेनिग्रो | 19.43 | 24.39 | 66.02 |
| 355 | सेशेल्स | 5.18 | 5.50 | 6.89 |
| 357 | सिएरा लिओन | 38.04 | 37.23 | 57.05 |
| 358 | स्लोवाक गणराज्य | 23.77 | 34.71 | 72.51 |
| 359 | सिंगापुर | 290.99 | 634.55 | 808.10 |
| 360 | स्लोवेनिया | 244.12 | 203.54 | 343.79 |
| 361 | सोलोमन आई एस | 1.42 | 2.02 | 1.58 |
| 363 | सोमालिया | 17.26 | 16.59 | 22.03 |
| 365 | दक्षिण अफ्रीका | 1165.64 | 1555.21 | 1836.09 |
| 367 | स्पेन | 568.84 | 644.38 | 955.33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 369 | श्रीलंका डी एस आर | 519.46 | 592.87 | 714.54 |
| 373 | सेंट किट एन ए | 0.22 | 0.28 | 0.28 |
| 275 | सेंट लुसिया | 1.40 | 1.21 | 1.86 |
| 379 | सेंट विन्सेंट | 0.24 | 0.36 | 1.21 |
| 381 | सूडान | 220.79 | 223.05 | 318.82 |
| 383 | सूरीनाम | 4.06 | 2.56 | 3.62 |
| 385 | स्वाजीलैंड | 56.19 | 46.58 | 57.36 |
| 387 | स्वीडन | 63.10 | 66.17 | 63.12 |
| 389 | स्विटजरलैंड | 505.84 | 389.85 | 441.22 |
| 391 | सीरिया | 169.31 | 163.75 | 212.96 |
| 393 | ताजिकिस्तान | 35.47 | 34.37 | 39.58 |
| 395 | तंजानिया गणराज्य | 331.67 | 446.38 | 411.12 |
| 397 | थाईलैंड | 575.08 | 486.18 | 708.16 |
| 399 | टोगो | 43.05 | 45.98 | 98.80 |
| 401 | टोकलाउ आई एस | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 403 | टोंगा | 0.37 | 0.50 | 0.33 |
| 405 | त्रिनिदाद | 32.96 | 25.53 | 37.50 |
| 407 | ट्यूनिशिया | 43.80 | 34.97 | 49.96 |
| 409 | तुर्की | 662.63 | 763.24 | 863.54 |
| 410 | तुर्कमेनिस्तान | 44.77 | 40.95 | 56.72 |
| 411 | टर्क्स सी आई एस | 0.03 | 0.09 | 0.33 |
| 413 | तुवालू | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 417 | उगांडा | 334.12 | 388.42 | 569.64 |
| 419 | संयुक्त अरब अमीरात | 580.76 | 562.31 | 658.65 |
| 421 | यू के | 1652.82 | 1781.69 | 2351.95 |
| 422 | उक्रेन | 569.38 | 561.18 | 670.47 |
| 423 | यू एस ए | 9264.96 | 11353.32 | 15606.12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 427 | उरूग्वे | 42.73 | 61.16 | 68.97 |
| 430 | उज्बेकिस्तान | 142.65 | 155.55 | 192.02 |
| 431 | वनातू गणराज्य | 8.03 | 9.04 | 8.93 |
| 433 | वेनेजुएला | 190.54 | 236.09 | 301.35 |
| 437 | वियतनाम समाजवादी गणराज्य | 709.33 | 690.69 | 891.39 |
| 439 | वर्जिन आई एस यू एस | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 443 | वैलीस एफ आई एस | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 447 | सैमोआ | 0.56 | 0.23 | 1.13 |
| 453 | यमन गणराज्य | 141.82 | 132.08 | 131.08 |
| 459 | कांगो जनतांत्रिक गणराज्य | 5.16 | 8.56 | 23.52 |
| 461 | जाम्बिया | 167.27 | 224.45 | 272.43 |
| 463 | जिम्बाव्वे | 126.94 | 216.02 | 181.75 |
| 599 | अविनिर्दिष्ट | 59.27 | 40.84 | 213.15 |
| | **कुल** | **42455.66** | **48810.26** | **63347.32** |

नोट: वर्ष 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं जिनमें बदलाव हो सकता है।

## *विवरण-II*

*पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधीय एवं भेषज उत्पादों का देशवार आयात*

| कोड | देश नाम | मूल्य (करोड़ रुपए) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | अफगानिस्तान | 0.01 | | 0.05 |
| 005 | अल्जीरिया | 0.22 | 0.07 | |
| 015 | अर्जेण्टीना | 8.77 | 9.93 | 6.70 |
| 017 | ऑस्ट्रेलिया | 39.25 | 51.57 | 74.41 |
| 019 | ऑस्ट्रिया | 38.70 | 60.63 | 74.48 |
| 025 | बहरीन आई एस | | | 1.93 |
| 027 | बांग्लादेश पी आर | 0.03 | 0.15 | 0.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 031 | बेलिज | 0.07 | 0.00 | |
| 033 | बेल्जियम | 215.02 | 216.92 | 275.44 |
| 035 | बेनिन | | | 0.20 |
| 039 | बोलीविया | | | 0.47 |
| 043 | ब्राजील | 18.47 | 92.85 | 92.78 |
| 049 | बुल्गारिया | 0.01 | 0.01 | 0.86 |
| 056 | कम्बोडिया | 0.28 | | 0.00 |
| 057 | कैमरून | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 059 | कनाडा | 43.81 | 53.12 | 59.79 |
| 065 | केमेन आई एस | 0.03 | | |
| 073 | चिली | 3.44 | 5.66 | 0.66 |
| 075 | ताइवान | 34.39 | 49.67 | 108.11 |
| 077 | चीन जन गण | 3435.33 | 4424.87 | 4530.80 |
| 083 | कोलम्बिया | 0.09 | 097 | 0.48 |
| 087 | कांगो जन गण | 1.45 | 2.18 | 4.10 |
| 091 | कोस्टारिका | | | 0.81 |
| 092 | क्रोएशिया | 6.86 | 2.19 | 0.15 |
| 093 | क्यूबा | 0.62 | 1.27 | 15.19 |
| 095 | साइप्रस | 0.00 | 0.00 | |
| 098 | चेक गणराज्य | 13.61 | 12.88 | 26.46 |
| 101 | डेनमार्क | 423.89 | 352.87 | 384.21 |
| 103 | डोमिनिक गणराज्य | 0.80 | 0.33 | |
| 109 | इक्वेडोर | 0.21 | | |
| 111 | मिस्त्र अरब गणराज्य | 10.17 | 19.53 | 29.03 |
| 114 | एस्तोनिया | | | 0.00 |
| 115 | इथियोपिया | | | 1.29 |
| 125 | फिनलैंड | 5.51 | 9.16 | 10.56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | फ्रांस | 308.82 | 313.89 | 473.41 |
| 141 | गैबॉन | | 0.04 | |
| 145 | जार्जिया | | | 1.03 |
| 147 | जर्मनी | 584.25 | 553.48 | 1052.96 |
| 149 | घाना | 0.00 | | 0.96 |
| 155 | ग्रीस | 0.34 | 0.12 | 0.53 |
| 167 | गिनी | | 0.14 | 0.14 |
| 179 | हांगकांग | 17.65 | 16.26 | 28.97 |
| 181 | हंगरी | 23.36 | 21.99 | 34.01 |
| 185 | आइसलैंड | 0.16 | 0.08 | |
| 187 | इंडोनेशिया | 136.86 | 153.81 | 414.42 |
| 189 | ईरान | 4.47 | 4.22 | 57.18 |
| 191 | इराक | | | 0.15 |
| 193 | आयरलैंड | 137.46 | 111.77 | 105.65 |
| 195 | इजराइल | 24.41 | 32.36 | 38.63 |
| 197 | इटली | 417.75 | 364.87 | 580.05 |
| 199 | कोटे दि आइवरी | | | 0.53 |
| 203 | जमैका | | | 0.13 |
| 205 | जापान | 107.01 | 119.89 | 202.74 |
| 207 | जॉर्डन | 0.00 | 0.50 | 1.20 |
| 212 | कजाकिस्तान | | | 0.00 |
| 213 | केन्या | 0.28 | 0.36 | 4.20 |
| 215 | कोरिया जन गण | 1.25 | 5.44 | 0.25 |
| 216 | किर्गिस्तान | | | 0.00 |
| 217 | कोरिया गणराज्य | 156.14 | 207.03 | 368.08 |
| 219 | कुवैत | | 0.01 | 0.54 |
| 223 | लाओ पी डी आर | 0.08 | 0.05 | 0.07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 224 | लातविया | 0.00 | 0.21 | 0.07 |
| 234 | लिथुआनिया | | | 0.01 |
| 235 | लक्जमबर्ग | | | 0.83 |
| 239 | मकाओ | | 0.11 | 0.10 |
| 240 | मेसीडोनिया | 0.00 | | 0.00 |
| 241 | मेडागास्कर | | | 0.32 |
| 245 | मलेशिया | 44.93 | 42.49 | 65.09 |
| 247 | मालदीव | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 251 | माल्टा | 1.35 | 2.47 | 5.19 |
| 257 | मारीशस | | 0.00 | 0.31 |
| 258 | म्यांमार | | | 6.76 |
| 259 | मेक्सिको | 44.64 | 47.61 | 85.31 |
| 260 | माल्दोवा | | 0.09 | |
| 261 | मंगोलिया | 0.01 | | |
| 262 | मोनैको | 0.05 | | |
| 265 | मोरक्को | | | 0.12 |
| 273 | नेपाल | 25.37 | 21.35 | 44.67 |
| 275 | नीदरलैंड | 109.13 | 120.57 | 195.05 |
| 277 | नीदरलैंड एंटील | | | 0.00 |
| 285 | न्यूजीलैंड | 2.93 | 6.19 | 2.98 |
| 289 | नाइजर | | 0.01 | 0.02 |
| 291 | नाइजीरिया | 0.00 | | 0.29 |
| 297 | नॉर्वे | 17.84 | 17.51 | 25.55 |
| 301 | ओमान | 9.38 | 2.78 | 0.08 |
| 309 | पाकिस्तान आई आर | 0.03 | 0.08 | 0.83 |
| 311 | पनामा गणराज्य | | 0.01 | |
| 319 | पेरू | | | 7.60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 323 | फिलीपीन्स | 10.66 | 0.42 | 4.08 |
| 325 | पोलैंड | 16.41 | 10.37 | 29.72 |
| 327 | पुर्तगाल | 22.42 | 14.32 | 19.50 |
| 331 | प्यूटोरिको | 17.47 | 36.12 | 20.34 |
| 335 | कतर | | 0.36 | 0.71 |
| 339 | रियूनियन | 0.57 | 0.10 | 0.41 |
| 343 | रोमानिया | 0.72 | 0.13 | 2.88 |
| 344 | रूस | 7.66 | 2.00 | 22.72 |
| 351 | सऊदी अरब | 0.00 | 0.02 | 5.36 |
| 353 | सेनेगल | 0.27 | 0.05 | 0.90 |
| 354 | सर्बिया मोन्टेनिग्रो | | | 0.01 |
| 358 | स्लोवाक गणराज्य | 3.10 | 19.53 | 16.78 |
| 359 | सिंगापुर | 55.83 | 50.54 | 136.67 |
| 360 | स्लोवेनिया | 26.47 | 3.11 | 11.09 |
| 365 | दक्षिण अफ्रीका | 23.29 | 3.53 | 32.62 |
| 367 | स्पेन | 150.55 | 171.31 | 190.64 |
| 369 | श्रीलंका डी एस आर | 1.21 | 0.72 | 7.61 |
| 381 | सूडान | | | 1.76 |
| 383 | सूरीनाम | | | 0.01 |
| 385 | स्वाजीलैंड | 0.41 | 0.16 | 0.50 |
| 387 | स्वीडन | 25.17 | 24.35 | 61.26 |
| 389 | स्विटजरलैंड | 1758.52 | 1923.75 | 2365.95 |
| 391 | सीरिया | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 393 | ताजिकिस्तान | 0.04 | | 0.14 |
| 395 | तंजानिया गणराज्य | 0.01 | | 1.38 |
| 397 | थाईलैंड | 6.97 | 16.41 | 56.58 |
| 407 | ट्यूनिशिया | | | 0.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 409 | तुर्की | 3.60 | 5.58 | 18.92 |
| 417 | युगांडा | 0.26 | 0.13 | |
| 419 | संयुक्त अरब अमीरात | 2.15 | 8.92 | 26.13 |
| 421 | यू के | 251.19 | 243.10 | 360.13 |
| 422 | यूक्रेन | 0.97 | 1.95 | 4.29 |
| 423 | यू एस ए | 1039.61 | 987.71 | 1420.29 |
| 427 | उरूग्वे | | 0.14 | 0.84 |
| 430 | उज्बेकिस्तान | | | 0.35 |
| 433 | वेनेजुएला | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 437 | वियतनाम समाजवादी गणराज्य | 10.43 | 7.24 | 12.04 |
| 439 | वर्जिन आई एस यू एस | | | 0.00 |
| 459 | कांगो जनतांत्रिक गणराज्य | | | 0.01 |
| 599 | अविनिर्दिष्ट | 46.07 | 47.16 | 43.69 |
| | **कुल** | **9959.00** | **11113.86** | **14384.88** |

नोट: वर्ष 2011-12 के आंकड़े हैं, जिनमें बदलाव हो सकता है।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय अ.जा./अ.जा.जा. आयोग

**3571. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय के विभिन्न स्कंधों में राज्य-वार, श्रेणी-वार तथा स्थान-पर कितने पद संस्वीकृत हैं और कितने रिक्त हैं;

(ख) विभिन्न श्रेणियों में संस्वीकृत कुल पदों में से कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) आयोग का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए इन खाली पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) और (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में, संलग्न विवरण-I और II में तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में संलग्न विवरण-III और IV में अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है।

(ग) रिक्त पदों को भरने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं यह एक सतत् प्रक्रिया है।

### *विवरण I*

*राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के बारे में स्थिति*

| क्र.सं. | पदनाम | स्वीकृत संख्या | रिक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सचिव | 1 | 0 |
| 2. | संयुक्त सचिव | 1 | 0 |
| 3. | पुलिस उप महानिरीक्षक | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | निदेशक (संयुक्त संवर्ग) | 1 | 1 |
| 5. | उप सचिव (सीएसएस) | 1 | 0 |
| 6. | वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव | 1 | 1 |
| | अवर सचिव (सीएसएसएस) | 2 | 0 |
| 7. | विधि अधिकारी | 1 | 1 |
| 8. | प्रधान निजी सचिव | 1 | 0 |
| 9. | उप निदेशक (संयुक्त संवर्ग) | 1 | 0 |
| 10. | सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग) | 1 | 0 |
| 11. | सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग) | 1 | 1 |
| 12. | सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी | 1 | 1 |
| 13. | सहायक निदेशक (सीएसओएल) | 1 | 0 |
| 14. | अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) | 4 | 1 |
| 15. | निजी सचिव (सीएसएसएस) | 5 | 2 |
| 16. | अनुसंधान अधिकारी (संयुक्त संवर्ग) | 4 | 0 |
| 17. | सहायक जन सूचना अधिकारी | 1 | 1 |
| 18. | वरिष्ठ अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग) | 4 | 4 |
| 19. | वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (सीएसओएल) | 1 | 1 |
| 20 | लेखाकार | 1 | 1 |
| 21. | अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग) | 1 | 1 |
| 22. | सहायक (सीएसएस) | 5 | 1 |
| 23. | वैयक्तिक सहायक (सीएसएसएस) | 3 | 0 |
| 24. | आशुलिपिक ग्रेड 'डी' (सीएसएसएस) | 4 | 1 |
| 25. | उ.श्रे. लिपिक (सीएससीएस) | 3 | 0 |
| 26. | अ.श्रे.लिपिक (सीएससीएस) | 3 | 0 |
| 27. | रिसेप्शनिस्ट | 1 | 1 |
| 28. | स्टाफ-कार-ड्राइवर | 7 | 0 |
| 29. | डिस्पैच राइडर | 1 | 0 |
| 30. | मल्टी-डास्किंग स्टाफ | 23 | 0 |

## *विवरण II*

*राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के बारे में स्थिति*

| पद / राज्य कार्यालय | स्थिति | निदेशक | उप निदेशक | सहायक निदेशक | अनुसंधान अधिकारी | वरिष्ठ अन्वेषक | अन्वेषक | कार्यालय अधीक्षक | वैयक्तिक सहायक/ आशुलिपिक | उ.श्रे. लिपिक | अ.श्रे. लिपिक | स्टाफ कार ड्राइवर | मल्टी टास्किंग स्टाफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| अहमदाबाद | एस | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बंगलुरु | एस | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| चंडीगढ़ | एस | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | वी | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| कोलकाता | एस | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| लखनऊ | एस | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पुणे | एस | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| पटना | एस | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | वी | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| तिरुवनन्तपुरम | एस | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | वी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| अगरतला | एस | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | वी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चेन्नै | एस | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| हैदराबाद | एस | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | वी | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| गुवाहाटी | एस | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

एस-स्वीकृत पदों की संख्या: वी-रिक्त पदों की संख्या ।

### विवरण III

*राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नई दिल्ली मुख्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के बारे में स्थिति*

| क्र.सं. | पद | स्वीकृत संख्या | रिक्ति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सचिव | 1 | 1 |
| 2. | संयुक्त सचिव | 1 | 0 |
| 3. | निदेशक (संयुक्त संवर्ग) | 2 | 2 |
| 4. | उप सचिव | 1 | 1 |
| 5. | पुलिस अधीक्षक | 1 | 1 |
| 6. | अवर सचिव | 1 | 0 |
| 7. | प्रधान निजी सचिव (सीएसएसएस) | 1 | 0 |
| 8. | सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग) | 2 | 1 |
| 9. | सहायक निदेशक (प्रोग्रामिंग) | 1 | 1 |
| 10. | सहायक निदेशक (राजभाषा) | 1 | 0 |
| 11. | विधि अधिकारी | 1 | 1 |
| 12. | अनुसंधान अधिकारी (संयुक्त संवर्ग) | 5 | 2 |
| 13. | अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) | 1 | 1 |
| 14. | निजी सचिव (सीएसएसएस) | 1 | 1 |
| 15. | सहायक (सीएसएस) | 1 | 0 |
| 16. | वरिष्ठ अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग) | 2 | 1 |
| 17. | वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (राजभाषा) | 1 | 0 |
| 18. | लाइब्रेरियन-सह-डाक्यूमेंटेशन सहायक | 1 | 1 |
| 19. | लेखाकार | 1 | 1 |
| 20. | अन्वेषक (संयुक्त संवर्ग) | 4 | 4 |
| 21. | वैयक्तिक सहायक (सीएसएसएस) | 2 | 2 |
| 22. | आशुलिपिक 'डी' | 3 | 2 |
| 23. | उ.श्रे. लिपिक (सीएसएसीएस) | 2 | 1 |
| 24 | अ.श्रे. लिपिक (सीएससीएस) | 4 | 0 |
| 25 | स्टाफ कार ड्राइवर | 3 | 1 |
| 26. | डिस्पैच राइडर | 1 | 1 |
| 27. | मल्टी टास्किंग स्टाफ | 11 | 1 |

### विवरण IV

*राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के बारे में स्थिति*

| पद राज्य कार्यालय | स्थिति | निदेशक | उप निदेशक | सहायक निदेशक | अनुसंधान अधिकारी | वरिष्ठ अन्वेषक | अन्वेषक | कार्यालय अधीक्षक | वैयक्तिक सहायक/ आशुलिपिक | उ.श्रे लिपिक | अ.श्रे लिपिक | स्टाफ कार ड्राइवर | मल्टी टास्किंग स्टाफ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| भोपाल | एस | 1 | 0 | 1 | 0** | 1 | 0 | 1 | 1# | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| भुवनेश्वर | एस | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जयपुर | एस | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| | वी | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| रायपुर | एस | 0 | 1* | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | वी | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| रांची | एस | 0 | 1 | 0 | 0** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | वी | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| शिलांग | एस | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | वी | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |

एस-स्वीकृत पदों की संख्या वी-रिक्त पदों की संख्या

*मुख्यालय में समायोजित

**मुख्यालय के पद के स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय में समायोजित

#वैयक्तिक सहायक के स्थान पर आशुलिपिक

## टैरिफ दिशा-निर्देश

3572. **श्री सोमेन मित्राः** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रमुख पत्तन टैरिफ प्राधिकरण हेतु 2005 पोर्ट टैरिफ दिशा-निर्देश जो मार्च 2011 में समाप्त होने वाले थे, को अगले एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार नए दिशा-निर्देश लाने वाली है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005 में यथा अधिसूचित "महापत्तनों में प्रशुल्क के विनियमन के दिशानिर्देश 2004" को इस समय उक्त दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार दिसंबर 2012 तक बढ़ दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रशुल्क दिशानिर्देशों की समीक्षा एक सतत् चलती रहने वाली प्रक्रिया है। विभिन्न हिस्सेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए, पत्तन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर शुल्क प्रशुल्क दिशानिर्देशों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

*[हिन्दी]*

## चिड़ियाघरों में जानवरों की मौत

3573. **श्री दत्ता मेघेः**
**डॉ. संजीव गणेश नाईकः**
**श्रीमती सुप्रिया सुलेः**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान देश के चिड़ियाघरों में मरने वाले जानवरों और पक्षियों की संख्या कितनी रही;

(ख) क्या देश के चिड़ियाघरों में जानवरों और पक्षियों का समुचित रख-रखाव नहीं हो पा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का देश में चिड़ियाघरों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) गत तीन वर्षों के दौरान चिड़ियाघर में मरने वाले जानवरों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ऐसे चिड़ियाघरों को क्षेत्र-वार अभिज्ञात किया है जिन्हें मॉडल चिड़ियाघरों के रूप में विकसित किया जाना है। ब्यौरा, संलग्न विवरण-II में दिया गया है। मॉडल चिड़ियाघरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुने गये चिड़ियाघरों की प्रजनन के संरक्षण, चिड़ियाघर संबंधी शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्रों में सहायता करने के लिए उनके सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

वर्तमान में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघरों के दीर्घावधि विकास और वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु चिड़ियाघरों की मास्टर प्लान की पुनरीक्षा का रहा है।

*विवरण-I*

*विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मरने वाले जानवरों की कुल संख्या*

| | वित्तीय वर्ष | | | |
|---|---|---|---|---|
| राज्य का नाम | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 01.04.2012 से 29.08.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 3 | 4 | 6 | 0 |
| आंध्र प्रदेश | 157 | 140 | 169 | 4 |
| अरुणाचल प्रदेश | 18 | 5 | 8 | 1 |
| असम | 34 | 42 | 46 | 0 |
| बिहार | 175 | 19 | 26 | 4 |
| छत्तीसगढ़ | 50 | 41 | 171 | 2 |
| दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 27 | 109 | 83 | 1 |
| गोवा | 5 | 7 | 6 | 0 |
| गुजरात | 301 | 380 | 295 | 9 |
| हरियाणा | 36 | 88 | 53 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 43 | 51 | 44 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 9 | 0 |
| झारखंड | 65 | 80 | 111 | 5 |
| कर्नाटक | 799 | 354 | 418 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| केरल | 121 | 158 | 117 | 3 |
| मध्य प्रदेश | 120 | 77 | 64 | 2 |
| महाराष्ट्र | 92 | 227 | 148 | 16 |
| मणिपुर | 77 | 25 | 15 | 0 |
| मेघालय | 12 | 6 | 13 | 1 |
| मिजोरम | 5 | 3 | 12 | 4 |
| नागलैंड | 14 | 5 | 0 | 8 |
| ओडिशा | 116 | 148 | 139 | 0 |
| पंजाब | 77 | 111 | 129 | 3 |
| राजस्थान | 90 | 123 | 150 | 16 |
| सिक्किम | 4 | 6 | 2 | 0 |
| तमिलनाडु | 213 | 186 | 128 | 13 |
| त्रिपुरा | 55 | 61 | 38 | 6 |
| उत्तर प्रदेश | 177 | 144 | 97 | 21 |
| उत्तराखंड | 30 | 27 | 26 | 0 |
| पश्चिम बंगाल | 153 | 132 | 138 | 29 |
| महायोग | 3069 | 2759 | 2661 | 179 |

### *विवरण-II*

*मॉडल चिड़ियाघरों के रूप में विकसित किए जाने वाले अभिज्ञात किए गए चिड़ियाघरों की क्षेत्रवार सूची*

| क्र.सं. | पूर्वोत्तर | पूर्व | उत्तर | पश्चिम | दक्षिण | मध्य | द्वीप |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | असम राज्य चिड़ियाघर, गुवाहटी (असम) | नंदकानन चिडियाघर, भुवनेश्वर, (ओडिशा) | एस.सी. प्राणी उद्यान छतबीर पंजाब | सक्करबॉग चिड़ियाघर जूनागढ़ (गुजरात) | नेहरु प्राणी उद्यान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) | वन विहार राष्ट्र्य उद्यान चिड़ियाघर भोपाल (म.प्र.) | जैवीय उद्यान चिड़ियातापू (अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह) |
| 2 | सिपाही जाला प्राणी उद्यान, | प्राणी उद्यान, अलीपुर कोलकाता | राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली | राजीव गांधी प्राणी उद्यान और | अरिगनर अन्ना प्राणी उद्यान | कानन पेडारी चिड़ियाघर | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सिपाही जाना (त्रिपुरा) | (पं.बंगाल) | (दिल्ली) | वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र, | वन्डलूर, चेन्नई (तमिलनाडु) | विलासपुर, (छत्तीसगढ़) | |
| 3 | जैवीय उद्यान, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) | संजय गांधी जैवीय उद्यान, पटना (बिहार) | कानपुर प्राणी उद्या, कानपुर (उ.प्र.) | बोंडला चिड़ियाघर, बोंडला (गोवा) | श्री चाम राजेन्द्र जैवीय उद्यान, मैसूर (कर्नाटक) | | |
| 4 | आईजोल चिड़ियाघर, आईजोल (मिजोरम) | पद्माजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, दार्जिलिंग (पं.बंगाल) | पंडित गोविंद बल्लभ पंत चिड़ियाघर, नैनीताल | जयपुर चिड़ियाघर, जयपुर (राजस्थान) | थिरुवनन्तपुरम चिड़ियाघर, थिरुवनन्तपुरम (केरल) | | |
| 5 | दीमापुर चिड़ियाघर, दीमापुर (नागालैंड) | भगवान बिरसा जैवीय उद्यान, रांची (झारखंड) | | | | | |
| 6 | हिमालयीन जैवीय उद्यान गंगटोक (सिक्किम) | | | | | | |
| | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |

महायोग : चिड़ियाघरों की सं. 26

*[अनुवाद]*

## पत्तन-संपर्क कार्यक्रम को स्थगित किया जाना

**3574. श्री सुरेश कलमाडी:**
**श्री नरहरि महतो:**
**श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार:**
**श्री मनोहर तिरकी:**
**श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीस से अधिक लघु पत्तनों को जोड़ने के प्रस्तावित पत्तन-संपर्क कार्यक्रम और प्रस्तावित दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर से लगे कुछ औद्योगिक कॉरिडोरों में विमानपत्तन-संपर्क मुहैया कराने और सड़क मार्ग निर्मित करने की एक अन्य महत्वाकांक्षी योजना को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा तय की गई हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) इस मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में 50 लघु पत्तनों, 24 हवाई अड्डों और महाराष्ट्र और राजस्थान क्षेत्र के लिए दिल्ली-मुबंई औद्योगिक महामार्ग परियोजना हेतु राज्य सड़कों के विकास के लिए एक विशेष पैकेज का प्रस्ताव किया है। तथापि, इस स्कीम को निधि के अभाव के कारण इस मंत्रालय की वार्षिक योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सका है।

## औद्योगिक प्रयोजन हेतु वनों का उपयोग

**3575. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्री संजय भोई:**
**श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास औद्योगिक प्रयोजन हेतु वनों के उपयोग से संबंधित प्रस्तावों पर राय देने के लिए कोई सलाहकार समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-3 में यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्र सरकार (i) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत अनुमोदन देने; और (ii) वनों के संरक्षण से संबंधित कोई अन्य मामला, जो केंद्र सरकार द्वारा उसे भेजा गया हो, के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए, उतनी संख्या में जितना वह उपयुक्त समझे व्यक्तियों को शामिल करके, एक समिति गाठित कर सकती है।

वन (संरक्षण) नियम, 2003 के नियम 3 में यह व्यवस्था की गई है कि इस समिति में चार सरकारी और तीन गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

केंद्र सरकार ने दिनांक 3 अगस्त, 2012 के आदेश के द्वारा इस समिति का पुनर्गठन किया है।

### राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

**3576. श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्री के. सुगुमार:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में मंदी के आलोक में सरकार का कतिपय राजमार्ग परियोजनाएं 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के लिए कौन से खंड अभिज्ञात किए गए हैं इन पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(ग) सरकार का इन परियोजनाओं का वित्त-पोषण किस तरीके से करने का विचार है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की धीमी गति के कारण सरकार ने कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ठेकेदारों की मदद के लिए अन्य कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों के कतिपय खंडों का विकास 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से इंजीनियरी, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) विधि से कराने का है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर व्यवहार्य ने पाई जाने वाली परियोजनाओं को ईपीसी विधि से कराया जाता है जोकि निर्माण कार्य की परस्पर प्राथमिकता पर आधारित होता है। इन परियोजनाओं को भारत सरकार से सामान्य बजटीय सहायता से शुरू किया जाएगा।

(घ) और (ङ) विभिन्न प्रचलित परियोजनाओं में आने वाली भूमि अधिग्रहण, जन-सुविधाओं के स्थानांतरण आदि जैसी बाधाओं का समाधान फील्ड कार्यालयों के माध्यम से कराने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं ताकि ठेकेदारों को कार्य का समय पर निष्पादन करने में सहायता मिल सके।

*[हिन्दी]*

### टॉल प्लाजा

**3577. श्री इज्यराज सिंह:**
**श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले टॉल प्लाजों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे टॉल प्लाजों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इन टॉल प्लाजों पर यातायात के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। या उठाए जा रहे हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) जी नहीं। जब कभी यह देखा जाता है कि पथकर प्लाजाओं पर लंबी लाइनें हैं तब पथकर प्लाजाओं पर यातायात के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्लाजा पर वाहनों के क्लीरेंस समय को न्यूनतम करने के लिए पथकर संचालकों को अनुदेश जारी करना।

(ii) अतिरिक्त लेन प्रदान करना।

(iii) उपयुक्त तरीके से यातायात को चैनेलाइज करना।

(iv) केवल टैग लेन यातायात से कैश लेन यातायात को अलग करने के लिए यातायात मार्शलों की तैनती करना।

(v) दीर्घकालिन सुझाव समाधान के रूप में इलैक्ट्रनिक पथकर संग्रहण कार्यान्वित करना।

*[अनुवाद]*

## बाघ अभयारण्यों का बंद किया जाना

**3578. श्री मानिक टैगोर:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई बाघ अभयारण्यों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी हाल ही में तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में कुल कितने बाघ अभयारण्य बंद किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अजय दुबे बनाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं अन्य के मामले में स्पेशल लीव टू अपील (सिविल) सं. 21339/2011 में दिनांक 24.04.2012 के अपने अंतरिम आदेश में, देश के बाघ रिज़र्वो में मुख्य क्षेत्रों में पर्यटन पर रोक लगा दी है। यह मामला निर्णयाधीन है।

## मछुआरों के लिए डैट (डीएटी) का वितरण

**3579. श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में संकटग्रस्त मछुआरों को आपात स्थिति में बचाने के लिए ओडिशा सहित समुद्रवर्ती राज्यों में उन्हें सामुदायिक अन्योन्यक्रिया कार्यक्रम के तहत डिस्ट्रैस अलर्ट ट्रांसमीटर (डैट) वितरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जी, हां।

(ख) समुद्री राज्य ओडिशा सहित वर्ष 2009 से वर्षवार वितरित विपत्ति चेतावनी ट्रांसमीटरों (डैट) का विवरण निम्नलिखित है:

| क्र.सं. | वर्ष | वितरित किए गए डैट की कुल संख्या | ओडिशा में वितरित किए गए डैटों की संख्या |
|---|---|---|---|
| (i) | 2009 | 798 | 62 |
| (ii) | 2010 | - | - |
| (iii) | 2011 | 980 | 45 |
| | योग | 1778 | 107 |

(ग) समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, समुद्र से खतरे के बारे में मछुआरा समुदाय को जानकारी देने के वास्ते जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं और तटीय रेखा के आस-पास तथा द्वीपीय क्षेत्रों में भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक पोतों तथा विमानों द्वारा निगरानी उड़ाने तथा गश्त की जाती है। मछुआरों पर किसी विपत्ति की सूचना मिलने पर खोज और बचाव कार्रवाई की जाती है जिसमें तटरक्षक की निकटतम यूनिट को मछुआरों के बचाव के लिए भेजा जाता है। इसके अलावा, और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए आस-पास संचालित व्यापारिक जलयान को भी भेजा हाता है।

## राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी आंकड़ों का संकलन

**3580. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में गत पांच वर्षों के दौरान सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई दर्शाने वाले आंकड़े संकलित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) और (ख) जी हां।

इस मंत्रालय ने हाल ही में भारत की मूलभूत सड़क सांख्यिकी (2008-09, 2009-10 और 2010-11) प्रकाशित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क नेटवर्क का ब्यौरा है।

*[हिन्दी]*

### सशस्त्र सेनाओं में महिलाएं

**3581. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:**
**श्री विलास मत्तेमवार:**
**श्री जगदीश शर्मा:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं में महिला कार्मिकों की भर्ती की नीति क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेवाओं में भर्ती महिलाओं की सेवा-वार तथा वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) सशस्त्र सेनाओं की तीनों सेनाओं में आज की तिथि के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिला कार्मिकों की सेवा-वार प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत 14 वर्षों की सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति पर सेना की महिला अधिकारियों को पेंशन लाभ नहीं दिए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या संसदीय स्थायी समिति ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसर (एसएससीओ) के रूप में भर्ती किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान कमीशनप्राप्त महिला अफसरों (चिकित्सा शाखा को छोड़कर) का विवरण इस प्रकार है:

| वर्ष | सेना | नौसेना | वायुसेना |
|---|---|---|---|
| 2009 | 70 | 24 | 125 |
| 2010 | 93 | 39 | 145 |
| 2011 | 164 | 68 | 134 |

(ग) वर्तमान में सेना, नौसेना और वायुसेना में अफसरों की मौजूदा संख्या (चिकित्सा शाखा को छोड़कर) के अनुसार महिला अफसरों की संख्या क्रमशः 3.3 प्रतिशत 3.9 प्रतिशत और 10.04 प्रतिशत है।

(घ) से (च) "महिला सशक्तिकरण" संबधी संसदीय समिति ने अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसरों को पेंशन देने के बारे में टिप्पणियां की हैं। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की अर्हक सेवा आवश्यक है। इस प्रकार, अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसर (पुरुष और महिला, दोनों), जो 14 की सेवा करते हैं, सेवान्त उपदान, छुट्टी-नकदीकरण आदि सहित सेवान्त लाभ प्राप्त करने का पात्र हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति पेंशन प्राप्त करने के प्रात्र नहीं हैं। फिर भी, एक अल्प सेवा कमीशनप्राप्त अफसर 20% या उससे अधिक अशक्तता होने की स्थिति में, जो सैन्य सेवा के कारण हुई हो या उसके कारण उसमें वृद्धि हुई हो, अशक्तता/युद्ध घायल पेंशन प्राप्त करने का हकदार है। समिति को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

*[अनुवाद]*

### शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

**3582. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**
**श्री संजय धोत्रे:**
**श्री के.पी. धनपालन:**
**श्री जगदीश ठाकोर:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निःशक्त और मंदबुद्धि व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने निःशक्त और मंदबुद्धि व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार कितने पुनर्वास केन्द्र खोले गए हैं/खोले जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को नि:शुल्क उच्चतर शिक्षा/प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) जनगणना, 2001 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता-वार संख्या इस प्रकार है:-

| दृष्टि विकलांगता | वाणी विकलांगता | श्रवण विकलांगता | चलन संबंधी विकलांगता | मानसिक विकलांगता | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 10634881 | 1640868 | 1261722 | 6105477 | 2263821 | 21906769 |

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शारीरिक विकलांग एवं मानसिक विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। ऐसी योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने वाले कुल 216 जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र पहले ही देश में कार्य कर रहे है तथा 66 और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों सहित, प्रत्येक वर्ष 1500 विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दो योजनाएं कार्यान्वित करता है।

## *विवरण I*

*विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं*

(क) दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- इस योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ, विशेष स्कूलों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, हॉफ-वे होम्स, समुदाय आधारित पुनर्वास केन्द्रों, विकलांगों, के लिए शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्रों और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास आदि जैसी परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान की जाती है।

(ख) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता (एडिप):- इस योजना के अंतर्गत, जरुरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण वितरित किए जाते हैं, जिनमें शारीरिक/मानसिक विकलांग बच्चे भी शामिल हैं।

(ग) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन सबंधी योजना (एसआईपीडीए):- इस योजना के अंतर्गत, जिला विकलांगता पुनर्वास केन्द्र, क्षेत्रीय पुनव्रास केन्द्र स्थापित करने, सार्वजनिक भवनों में बाधामुक्त वातावरण तैयार करने, वेबसाइट को सुगम्य बनाने, जागरुकता-सृजन आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन की योजना:- इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार, निजी क्षेत्र में 1.4.2008 या इसके बाद नियोजित 25000 रुपए मासिक वेतन वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए तीन वर्षों हेतु कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के लिए नियोक्ता अंशदान प्रदान करती है।

(ङ) राष्ट्रीय संस्थान:- यह मंत्रालय सात स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता प्रदान करता है जो विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और उनको पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के समग्र उद्देश्य के साथ जनशक्ति विकास करते है।

(च) राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम स्व-नियोजन के लिए आय-सृजक कार्यकलाप शुरू करने हेतु विकलांग व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है।

(छ) राष्ट्रीय न्यास:- ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास (एक स्वायत्त निकाय) भी विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित करता है।

*विवरण II*

*देश में पहले से स्थापित 216 डीडीआरसी तथा स्थापित किए जाने वाले 66 डीडीआरसी का राज्य-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | पहले से स्थापित डीडीआरसी | स्थापित किए जाने वाले डीडीआरसी |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अंडमान और निकोबार | 2 | - |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 13 | 6 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 3 | 2 |
| 4. | असम | 9 | 3 |
| 5. | बिहार | 21 | 3 |
| 6. | छत्तीसगढ़ | 6 | - |
| 7. | दादरा और नगर हवेली | 1 | - |
| 8. | दमन और दीव | 1 | - |
| 9. | गोवा | 1 | - |
| 10. | गुजरात | 11 | - |
| 11. | हरियाणा | 5 | - |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 3 | - |
| 13. | जम्मू और कश्मीर | 5 | 1 |
| 14. | झारखंड | 6 | - |
| 15. | कर्नाटक | 8 | - |
| 16. | केरल | 3 | 7 |
| 17. | मध्य प्रदेश | 23 | - |
| 18. | महाराष्ट्र | 9 | 6 |
| 19. | मणिपुर | 3 | 1 |
| 20. | मेघालय | 3 | 2 |
| 21. | मिजोरम | 3 | - |
| 22. | नागालैंड | 1 | - |
| 23. | ओडिशा | 8 | 3 |
| 24. | पंजाब | 7 | 1 |
| 25. | पुदुचेरी | 2 | - |
| 26. | राजस्थान | 11 | 6 |
| 27. | सिक्किम | 1 | 2 |
| 28. | तमिलनाडु | 7 | - |
| 29. | त्रिपुरा | 4 | - |
| 30. | उत्तर प्रदेश | 24 | 16 |
| 31. | उत्तराखंड | 5 | - |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 7 | 7 |
| | योग | 215 | 66 |

*[हिन्दी]*

**बुनकरों के लिए पहचान पत्र**

3583. **श्री भीष्मशंकर** *उर्फ* **कुशल तिवारी:**
**श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
**श्रीमती भावना पाटील गवली:**
**श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
**श्री नृपेन्द्र नाथ राय:**
**श्री नरहरि महतो:**
**श्री बद्रीराम जाखड़:**
**श्री निलेश नारायण राणे:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की बुनकरों की नए सिरे से गणना करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में महिला और पुरुष बुनकरों की संख्या कितनी है और राज्य-वार उनमें से कितनों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें नकली/जाली बुनकर योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें पहचान पत्र भी जारी हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने गत तीन वर्षों में राज्य-वार, दोषी अधिकारियों और नकली बुनकरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है;

(ङ) देश में राज्य-वार कितनी सहकारी समितियां/संगठन कार्यरत हैं और उन्हें क्या प्रोत्साहन/रियायतें दी जाती रही हैं;

(च) क्या हथकरघा बुनकरों को अधिक प्रोत्साहन/रियायतें प्रदान करने के बारे में इन सहाकरी समितियों/संगठनों की तरफ से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार ने हथकरघा उद्योग द्वारा निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) हथकरघा बुनकरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए सामान्यतया लगभग 15 वर्ष के अंतराल के बाद गणना की जाती है। ऐसी प्रक्रिया वर्ष 2009-10 में की गई है। भारतीय हथकरघा संगणना (2009-10) के अनुसार देश में हथकरघा बुनकरों की संख्या 43.31 लाख है जिनमें से 38.46 लाख वयस्क बुनकर हैं।

(ख) देश में वयस्क पुरुष और महिला बुनकरों की संख्या 38.46 लाख है और 31.12 लाख पहचान पत्र तैयार किए गए हैं और असम को छोड़कर उन्हें संबंधित राज्यों को वितरित कर दिया गया है। राज्य-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) तीसरी हथकरघा संगणना के तहत जाली पहचान पत्र वितरित किए जाने के बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) देश में कार्य कर रही सहकारी समितियों/संगठनों की संख्या और ऋण माफी के वित्तीय पैकेज के तहत प्रोत्साहनों/रियायतों का राज्य-वार संलग्न विवरण वार ब्यौरा II में दिया गया है।

विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के तहत राज्य सरकार/राज्य हथकरघा संगठन/एजेंसियों को विपणन आयोजन, शहरी हाट आदि स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विपणन और निर्यात संवर्धन योजना के हथकरघा निर्यात घटक में निर्यात परियोजनाओं के कार्यान्वयन और अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान जिन सोसाइटियों/संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनकी संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(च) समय-समय पर हथकरघा बुनकरों के सहकारी संस्थानों और अन्य संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं और उनका उचित उत्तर दिया जाता है तथा तदनुसार उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

(छ) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि राज्यों द्वारा निधियों का उचित उपयोग किया जाए, इसके लिए एक निगरानी प्रणाली बनाई गई है। योजनाओं से संबंधित प्रत्यक्ष और वित्तीय लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा, सचिव (वस्त्र) द्वारा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठकों के दौरान की जा रही है। सभी राज्य सरकारों के आयुक्तों/निदेशकों (हथकरघा और वस्त्र के प्रभारी) के साथ भी तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी राज्यों के अपने दौरों के दौरान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हैं। स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसियों द्वारा भी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। किसी योजना के तहत अगली किस्त जारी किए जाने से पहले उस योजना में पहले से जारी निधियों के लिए यह अपेक्षित है कि जब उपयोग प्रमाण पत्र देय हो तो राज्य सरकारों के लिए वे उचित उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

*विवरण-I*

*कुल वयस्क श्रमिक*

| राज्य | पुरुष | महिला | कुल | वितरित किए गए पहचान पत्रों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आंध्र प्रदेश | 149,896 | 156,569 | 306,465 | 268,940 |
| अरुणाचल प्रदेश | 291 | 29,275 | 29,566 | 14,794 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| असम | 15,411 | 1,468,453 | 1,483,864 | 12,74,310 |
| बिहार | 14,997 | 22,728 | 37,725 | 31,738 |
| छत्तीसगढ़ | 2,673 | 2,218 | 4,891 | 4,356 |
| दिल्ली | 1,541 | 976 | 2,517 | 2,285 |
| गुजरात | 4,443 | 5,053 | 9,496 | 8,147 |
| हरियाणा | 6,239 | 1,625 | 7,864 | 7,591 |
| हिमाचल प्रदेश | 2,424 | 5,306 | 7,730 | 6,214 |
| जम्मू और कश्मीर | 5,776 | 14,973 | 20,749 | 13,207 |
| झारखंड | 10,360 | 8,081 | 18,441 | 16,476 |
| कर्नाटक | 35,377 | 41,472 | 76,849 | 69,302 |
| केरल | 3,732 | 10,786 | 14,518 | 15,471 |
| मध्य प्रदेश | 5,985 | 7,196 | 13,181 | 11,347 |
| हिमाचल प्रदेश | 1,850 | 1,483 | 3,333 | 2,191 |
| मणिपुर | 1,577 | 202,742 | 204,319 | |
| मेघालय | 97 | 12,828 | 12925 | 11,798 |
| मिजोरम | 1,935 | 39,254 | 41,189 | 26,287 |
| नागालैंड | 7,881 | 57,422 | 65,303 | 54,119 |
| ओडिशा | 51,154 | 52,004 | 103,158 | 92,244 |
| पुदुचेरी | 1,122 | 1,584 | 2,706 | 2,578 |
| पंजाब | 1,551 | 967 | 2,518 | 2,296 |
| राजस्थान | 5,745 | 24,357 | 30,102 | 22,783 |
| सिक्किम | 16 | 535 | 551 | 291 |
| तमिलनाडु | 149,373 | 169,139 | 318,512 | 3,15,218 |
| त्रिपुरा | 1,573 | 130,169 | 131,742 | 95,534 |
| उत्तर प्रदेश | 109,340 | 107,675 | 217,015 | 169,610 |
| उत्तराखंड | 6,415 | 8,185 | 14,600 | 12,875 |
| पश्चिम बंगाल | 249,699 | 415,307 | 665,006 | 594,721 |
| अखिल भारत | 484,473 | 2,998,362 | 3,846,835 | 31,46,823 |

*विवरण-II*

*राज्य-वार अनुमानित अतिदेय ऋण माफी और लाभार्थियों की संख्या*

| क्र.सं. | राज्यों के नाम | अतिदेय राशि (करोड़ रुपए में) | सोसाइटियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 506.64 | 1420 |
| 2. | असम | 72.93 | 2775 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 499.38 | 3860 |
| 4. | तमिलनाडु | 548.35 | 1224 |
| 5. | केरल | 557.16 | 758 |
| 6. | ओडिशा | 320.69 | 720 |
| 7. | मेघालय | 2.56 | 0 |
| 8. | अरुणाचल प्रदेश | 2.09 | 720 |
| 9. | छत्तीसगढ़ | 34.7 | 270 |
| 10. | कर्नाटक | 41.73 | 658 |
| 11. | मेघालय | 66.91 | 531 |
| 12. | पश्चिम बंगाल | 420.66 | 0 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 2.03 | 193 |
| 14. | महाराष्ट्र | 128.35 | 120 |
| 15. | बिहार | 20.88 | 1089 |
| 16. | त्रिपुरा | 17.92 | 9 |
| 17. | मिजोरम | 1.76 | 162 |
| 18. | अन्य राज्य | 276.24 | 1528 |
| | कुल | 3520.98* | 15317 |

*व्यक्तिगत बुनकर भी शामिल है।

*विवरण-III*

| क्र.सं. | राज्यों के नाम | विपणन निर्यात संवर्धन योजना स्कीम के तहत वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान जारी की गई राशियों का ब्यौरा | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | | 2010-11 | | 2010-12 | |
| | | जारी राशि | को-ऑपरेटिव संगठनों की संख्या | जारी राशि संगठनों की संख्या | को-ऑपरेटिव संगठनों की संख्या | जारी राशि | को-ऑपरेटिव |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2.10 | 3 | 2.04 | 4 | 3.26 | 2 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0.00 | 1 | 1.75 | 1 | 0.38 | 1 |
| 3. | असम | 4.11 | 3 | 5.73 | 3 | 4.60 | 4 |
| 4. | बिहार | 0.05 | 1 | 0.04 | 1 | 0.39 | 1 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 0.37 | 1 | 1.12 | 1 | 2.07 | 2 |
| 6. | दिल्ली | 0.61 | 7 | 0.16 | 8 | 0.09 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | गुजरात | 0.76 | 1 | 0.27 | 1 | 0.89 | 2 |
| 8. | हरियाणा | 0.28 | 3 | 0.33 | 2 | 0.15 | 1 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0.51 | 1 | 0.61 | 2 | 0.58 | 2 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0.00 | - | 0.28 | 1 | 0.35 | 1 |
| 11. | झारखंड | 0.02 | 1 | 0.18 | 1 | 0.00 | - |
| 12. | कर्नाटक | 1.20 | 2 | 1.37 | 1 | 1.86 | 2 |
| 13. | केरल | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.21 | 1 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0.68 | 3 | 0.93 | 4 | 0.74 | 3 |
| 15. | महाराष्ट्र | 1.37 | 2 | 0.99 | 2 | 1.84 | 3 |
| 16. | मणिपुर | 0.47 | 7 | 1.64 | 4 | 1.72 | 1 |
| 17. | मेघालय | 0.89 | 1 | 0.42 | 1 | 0.58 | 2 |
| 18. | मिजोरम | 0.00 | - | 0.05 | 1 | 0.14 | 1 |
| 19. | नागालैंड | 3.73 | 3 | 2.33 | 3 | 2.37 | 3 |
| 20. | ओडिशा | 0.74 | 3 | 1.09 | 4 | 0.59 | 3 |
| 21. | राजस्थान | 0.73 | 2 | 0.38 | 2 | 0.11 | 1 |
| 22. | सिक्किम | 0.04 | 1 | 0.13 | 1 | 0.52 | 1 |
| 23. | तमिलनाडु | 0.80 | 2 | 1.44 | 2 | 1.70 | 2 |
| 24. | त्रिपुरा | 0.36 | 2 | 0.44 | 3 | 1.10 | 2 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 1.73 | 10 | 2.09 | 3 | 2.49 | 4 |
| 26. | उत्तराखंड | 0.45 | 1 | 0.43 | 1 | 0.38 | 1 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 0.60 | 3 | 1.80 | 2 | 0.46 | 1 |
| 28. | एनएचडीसी | 2.21 | 1 | 2.94 | 1 | 5.50 | 1 |
| 29. | आकाश | 2.90 | 1 | 3.77 | 1 | 5.50 | 1 |
| 30. | वस्त्र समिति | 6.75 | 1 | 6.75 | 1 | - | 1 |
| 31. | एचईपीसी | 2.13 | 1 | 2.75 | 1 | 2.17 | 1 |
| 32. | एसएचईसी | 0.36 | 1 | 0.66 | 1 | 0.61 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | सीसीआईसी | 0.56 | 1 | - | - | 0.10 | 1 |
| 34. | सीओएचएएनडीएस | - | 1 | 1.02 | 1 | 0.44 | 1 |
| 35. | एनईएचएचडीसी | - | | 0.10 | | 0.12 | |
| 36. | एआईएचएफएमसीएस | 0.05 | 1 | -- | - | -- | - |
| 37. | एचएससीएच | 9.88 | 1 | 12.00 | 1 | 7.60 | 1 |
| 38. | एनडीएमसी | 0.12 | 1 | - | - | - | - |
| | कुल | 47.56 | 74 | 58.83 | 66 | 52.61 | 63 |

एनएचडीसी : राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि.

आकाश : हथकरघा निगमों और शीर्ष सोसाइटियों का संघ

एचईपीसी : हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद

एचएचईसी : भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि.

सीसीआईसी : केन्द्रीय कुटीर उद्योग निगम

सीओएचएएनडीएस : हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम

एआईएचएफएमसीएस : अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति

एचएससीएल : हिन्दुस्तान स्टीन वर्क्स कंस्ट्राक्शन लि.

## सियाचिन को पर्यटकों के लिए खोलना

**3584. श्री महाबल मिश्रा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सियाचिन को पर्यटकों के लिए खोले जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को भी सियाचिन में जाने की अनुमति होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पड़ोसी देशों ने यह कहते हुए इस पर आपत्ति उठाई है कि इससे शांति वार्ता पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## ई.एस.आई. अस्पतालों की स्थिति

**3585. श्री एन. एस. वी चित्तन:**
**श्री पी. सी. गद्दीगौदर:**
**श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई) अस्पतालों की दयनीय स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.एस.आई. की आय की उचित उपयोग में ढीलापन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ई.एस.आई. के धन को अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है और इसीलिए इसके लाभ मजदूर वर्ग तक नहीं पहुंच पाते;

(ङ) क्या अधिकांश ई.एस.आई. अस्पतालों में डाक्टरों, नर्सों तथा तकनीकी स्टाफ की कमी की भी शिकायतें हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देशभर में ई.एस.आई. अस्पतालों के कार्यकरण को सुचारु बनाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अस्पतालों की एक राज्य से दूसरे राज्य में और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थिति में अंतर है।

(ग) और (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारी राज्य बीमा की धनराशि को अन्य उद्देश्यों के लिए अंतरित किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) पूरे देश के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में डाक्टरों/नर्सों तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों के कुछ स्थान रिक्त हैं। रिक्तियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(छ) देश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कार्याचालन को सुचारु बनाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रशासनिक व्यय की कतिपय शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन अधिकतम सीमा के बिना वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों में चिकित्सा तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मानकों और मानदंडों के अनुसार है। यह कर्मचारी राज्य बीमा लाभार्थियों को उचित चिकित्सा देख-रेख सुविधाएं प्रदान करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, राज्यों के लिए चिकित्सा देख-रेख प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा दिनांक 01.04.2012 से 1200/- रुपये से बढ़ाकर 1500/- रुपये कर दी गयी है।

2. कर्मचारी राज्य बीमा के सभी अस्पतालों में अस्पताल विकास समितियां गठित कर दी गयी हैं। उन्हें चिकित्सा देख-रेख सुविधाओं में सुधार लाने के लिए निर्णय लेने के संबंध में पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां भी दी गयी हैं।

3. नैदानिक और क्लीनिकी संबंधी सेवाओं हेतु आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराकर कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के आधुनिकीकरण और उन्यन्न के लिए पहलें की गयी है। अस्पतालों हेतु उपकरणों की शीघ्र संस्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्य स्तर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्तों/राज्य चिकित्सा आयुक्तों को प्रति इकाई 25 लाख तक के उपकरणों की संस्वीकृति हेतु शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

4. अस्पतालों और औषधालयों के सुचारु कार्य चालन हेतु कर्मचारियों और उपकरणों के लिए मानक और मानदंड तैयार किए गए हैं।

5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की इमारतों के निर्माण/मरम्मत तथा अनुरक्षण संबंधी व्यय तथा अधिकतम सीमा से अधिक प्रति इकाई 25000/-रुपये से अधिक की लागत वाले उपकरणों पर अंशदायी व्यय कर रहा है।

6. दवाईयों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए दर संविदाएं तैयार की जाती हैं और दवाइयां खरीदने के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

7. प्रत्येक राज्य में एक अस्पताल की आदर्श अस्पताल के रूप में स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 18 राज्यों में आदर्श अस्पताल स्थापित कर दिए है। आदर्श अस्पतालों संबधी पूरा व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम वहन करता है।

8. दिनांक 01.08.2008 से अति विशेषज्ञता वाले उपचार पर होने वाले अधिकतम सीमा से अधिक के व्यय को कर्मचारी राज्य बीमा निगम वहन करता है तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अति विशेषज्ञता वाली सेवाएं के लिए ख्याति प्राप्त सरकारी/निजी अस्पतालों के साथ अनुबंध व्यवस्था की है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों को कैशलैस तथा व्यवधान रहित सेवाएं प्रदान कर रहा है। राज्य के कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल अति विशेज्ञता वाले उपचार के लिए रोगी को अनुबंध-वाले अस्पतालों को सीधे ही रेफर कर सकते हैं तथा बिलों का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

9. यह निर्णय लिया गया है कि अब से निर्माणाधीन और प्रस्तावित सभी नए अस्पताल कर्मचारी राज्य बीमा निगम

द्वारा सीधे ही चलाए जाएंगे और इन से संबंधित पूरा व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

*विवरण*

*मेडिकल एवं पैरा-मेडिकल (नर्सिंग सहित) स्टाफ से संबंधित राज्य-वार रिक्ति स्थिति*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | मेडिकल | पैरा मैडिकल |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 318 | 731 |
| 2. | असम | 21 | 21 |
| 3. | बिहार | 27 | 74 |
| 4. | चंडीगढ़ प्रशासन | 4 | 13 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 21 | 33 |
| 6. | दिल्ली | 314 | 612 |
| 7. | गोवा | 7 | - |
| 8. | गुजरात | 243 | 587 |
| 9. | हरियाणा | 62 | 222 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 3 | 15 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 4 | 19 |
| 12. | झारखंड | 81 | 253 |
| 13. | कर्नाटक | 175 | 517 |
| 14. | केरल | 95 | 249 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 103 | 151 |
| 16. | महाराष्ट्र | 174 | 495 |
| 17. | ओडिशा | 76 | 103 |
| 18. | पुदुचेरी | 5 | 3 |
| 19. | पंजाब | 65 | 209 |
| 20. | राजस्थान | 59 | 58 |
| 21. | तमिलनाडु | 66 | 403 |
| 22. | त्रिपुरा | शून्य | शून्य |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 119 | 263 |
| 24. | उत्तराखण्ड | 4 | 14 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 241 | 955 |

## एन.एम.डी.सी. द्वारा मानदंडों का उल्लंघन

**3586. श्री अम्बिका बनर्जी:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज व्यापार निगम (एनएमडीसी) द्वारा मनमाने तरीके से मूल्य निर्धारित करके भारी लाभ अर्जित करने और अंतिम उपभोक्ताओं पर बोझ डालने जबकि निजी क्षेत्र के लौह अयस्क उत्पादकों को फायदा पहुंचाने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजी क्षेत्र के घरेलू लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी द्वारा तिमाही आधार पर घोषित मूल्यों के आधार पर अपने आधार मूल्य नियत करते हैं.

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को एनएमडीसी द्वारा एकतरफा मूल्य निर्धारण नीति अपनाए जाने के बारे में अनेक अभ्यावेदन/शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या उपचारात्मक बदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव हैं?

**इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):** (क) से (घ) जी, नहीं। लौह अयस्क नियंत्रणमुक्त क्षेत्र में आता है। लौह अयस्क की कीमतें अलग-अलग कंपनियों द्वारा अपने वाणिज्यिक विवेक और सामान्य स्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाती है। एनएमडीसी लिमिटेड देश में लौह अयस्क के कई उत्पादकों में

से एक है और देश में लौह अयस्क के कुल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी केवल लगभग 16 प्रतिशत है। एनएमडीसी लिमिटेड के अतिरिक्त, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में लौह अयस्क खनन करने वाली कई अन्य कंपनियां भी विद्यमान हैं जो देश में लोहा एवं इस्पात उद्योग को लौह अयस्क की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2011-12 से एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा अपनाई जा रही कीमत निर्धारिण नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी की खानों के विभिन्न उत्पादों की कीमतें घरेलू लौह अयस्क की कीमतों के अनुरूप रखी जाती है। तथापि, वर्तमान में कर्नाटक राज्य की खानों से लौह अयस्क की बिक्री उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार निगरानी समिति द्वारा कराई जाने वाली ई-नीलामी के जरिये की जा रही है।

(ङ) और (च) एनएमडीसी लिमिटेड के कीमत निर्धारण तंत्र के संबंध में इस्पात मंत्रालय में कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एनएमडीसी लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र में एक नवरत्न उपक्रम होने के नाते इसके वाणिज्यिक और वित्तीय निर्णय कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते है। एनएमडीसी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा लौह अयस्क की कीमत निर्धारण के मामले पर निर्णय मौजूदा सामान्य बाजार परिस्थितियों समेत विभिन्न घटकों के आधार पर लिए जाते है। सरकार सामान्य रूप से कंपनी के वाणिज्यिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, घरेलू लोहा और इस्पात उद्योग में सस्ती कीमत पर लौह अयस्क की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार ने दिनांक 30.12.2011 से लौह अयस्क के सभी ग्रेडों (पैलेट को छोड़कर) पर निर्यात शुल्क यथा मूल्य 20 प्रतिशत से बढ़ाकर यथामूल्य 30 प्रतिशत कर दिया है।

## आर्म्ड रिकवरी वाहन

3587. **श्री प्रबोध पांडा:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पोलैंड की एक कंपनी के साथ आर्म्ड रिकवरी वाहनों के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सौदा कितने मूल्य का होगा तथा इसके तहत कितने वाहन खरीदे जाएंगे;

(ग) क्या सरकार को इस कंपनी के साथ पिछले ठेकों के बारे में विभिन्न शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ङ) उक्त कंपनी के साथ नया सौदा हस्ताक्षरित करने के क्या कारण हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

*[हिन्दी]*

## औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हेतु लक्ष्य

3588. **श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:**
**श्री दिनेश चन्द्र यादव:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के संबंध में लक्ष्य नियत किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में नियत लक्ष्य और उसकी उपलब्धि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि में वार्षिक औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर की तुलना में अवसंरचना क्षेत्र की वार्षिक विकास दर अधिक रही;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के लिए वार्षिक लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2009-10 से 2011-12 तथा अप्रैल-जून 2012-13 के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आईआईपी की क्षेत्रगत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः नीचे तालिका-1 में दी गई है।

**तालिका-1 : आईआईपी की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)**

(आधार: 2004-05)

| | खनन | विनिर्माण | विद्युत | समग्र |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 7.9 | 4.8 | 6.1 | 5.3 |
| 2010-11 | 5.2 | 9.0 | 5.5 | 8.2 |
| 2011-12 | -2.0 | 3.0 | 8.2 | 2.9 |
| अप्रैल-जून 2012-13 | -1.1 | -0.7 | 6.4 | -0.1 |

टिप्पणी: अप्रैल, मई और जून, 2012 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के लिए सूचकांक अथवा वृद्धि दर नहीं रखी जाती है। तथापि, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आठ मुख्य उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरकों, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत के मासिक तथा वार्षिक सूचकांक और वृद्धि दर जारी करता है। वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान और अप्रैल-जून 2012-13 के दौरान उपर्युक्त उद्योगों की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर नीचे तालिका-2 में दी गई है:

**तालिका-2 : आठ मुख्य उद्योगों की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)**

(आधार : 2004-05)

| क्षेत्र | भारिता | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | अप्रैल-जून 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| कोयला | 4.38 | 8.1 | -0.2 | 1.2 | 6.4 |
| कच्चा तेल | 5.22 | 0.5 | 11.9 | 1.0 | -0.5 |
| प्राकृतिक गैस | 1.71 | 44.6 | 10.0 | -8.9 | -11.1 |
| रिफाइनरी उत्पादों | 5.94 | -0.4 | 3.0 | 3.2 | 3.2 |
| उर्वरक | 1.25 | 12.7 | 0.0 | 0.4 | -12.2 |
| इस्पात | 6.68 | 6.0 | 13.2 | 7.0 | 3.6 |
| सीमेंट | 2.41 | 10.5 | 4.5 | 6.7 | 9.9 |
| विद्युत | 10.32 | 6.2 | 5.6 | 8.1 | 6.4 |
| समग्र भारिता/वृद्धि दर | 37.90 | 6.6 | 6.6 | 4.4 | 3.6 |

टिप्पणी: अप्रैल, मई और जून, 2012 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं।

उपर्युक्त तालिका 1 एवं 2 में देखा जा सकता है कि वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान और अप्रैल-जून, 2012-13 के दौरान आठ मुख्य उद्योगों की समग्र वृद्धि दर समग्र आईआईपी से अधिक थी। तथापि, वर्ष 2010-11 12 के दौरान आठ मुख्य उद्योगों की समग्र वृद्धि दर समग्र आईआईपी से कम थी।

यद्यपि आठ मुख्य उद्योगों तथा आईआईपी की वृद्धि दर के बीच स्पष्ट पैटर्न स्थापित नहीं किया जा सकता है फिर भी आईआईपी में 37.90 प्रतिशत की संयुक्त भारिता होने के नाते ये उद्योग आईआईपी के वद्धि पैटर्न को भी प्रभावित कर सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि 2011-12 तथा अप्रैल-जून, 2012-13 में समग्र आईआईपी तथा आठ मुख्य उद्योगों दोनों की वृद्धि दर में कमी आई है। कमी के लिए प्रमुख कारणों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कम घरेलू मांग, ब्याज दरों में वृद्धि आदि शामिल हैं। विनियामक तथा पर्यावरण संबंधी मुद्दे, न्यायालय आदेश, धात्विक खनिज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मांग में गिरावट आदि भी उत्पादन, विशेषकर खनन क्षेत्र में उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं।

**पथकर**

**3589. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:**
**श्री देवराज सिंह पटेल:**
**श्री विजय बहादुर सिंह:**
**श्री अरविंद कुमार चौधरी:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बनाई गई पथकर नीति तथा देश में मध्य प्रदेश सहित राज्य-वार राष्ट्रीय राजमार्गों (रा रा) पर स्थित पथकर प्लाजा का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पथकर प्लाजाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर पथकर वसूला जा रहा है और विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में देश में महाराष्ट्र सहित, राज्य-वार/वर्ष-वार विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर एकत्र किए गए पथकर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर वसूली बंद करने का प्रस्ताव है जिनका विस्तार/रख-रखाव/विकास किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार का देश में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर वसूल करने का भी विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) पथकर नीति को यथा संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है। इस नियमावली की प्रति मंत्रालय की वेबसाईट www.morth.nic.in पर उपलब्ध है। फीस प्लाजा का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियमावली, 2008 के अनुसार, प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों पर लगाया जाता है जिन पर उन्नयन के लिए औसत निवेश 01अप्रैल, 2008 के मूल्यों पर 2.50 करोड़ रु. प्रति किमी से अधिक रहा है।

*विवरण-I*

*भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण*

*दिनांक 31.07.2012 की स्थिति के अनुसार उन सड़क खंडों की सूची जिन पर फीस का संग्रहण किया जा रहा है*

| क्र.सं. | खंड | पथकर योग्य खंड के किमी. | रारा | लंबाई किमी. | प्लाजा की अवस्थिति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण I स्वर्णिम चतुर्भुत** | | | | |
| ए | **दिल्ली I -मंबई** | | | | |
| ए | **सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं** | | | | |
| 1. | किशनगढ़-गांव कावलियास | कि.मी. 0.00-कि.मी. 35.00 और 15.00-कि.मी. 81.00 | 79 और 79 ए | 101.00 | कि.मी.. 80.800 कावलियास |
| 2. | भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ | कि.मी. 81.00-कि.मी. 163.900 | 79 | 82.900 | कि.मी. 163.650 जोजरो का खेड़ा |
| 3. | गांव रिठौला-उदयपुर | कि.मी. 213-कि.मी. 113.830 | 76 | 99.170 | कि.मी. 166.00 नारायणपुरा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | उदयपुर - खेरवाड़ा | कि.मी. 278.00-कि.मी. 348.00 | 8 | 70.000 | कि.मी. 311.100 पादुना गांव |
| 5. | खेरवाड़ा - रतनपुर | कि.मी. 348.00-कि.मी. 388.180 | 8 | 40.180 | कि.मी. 348.450 (खंडी ओबरी उपला फल्ला गांव) |
| 6. | रतनपुर-हिम्मतनगर | कि.मी. 388.180-कि.मी. 443.00 | 8 | 54.820 | कि.मी. 416.00 वनटाडा जिला साबरकांठा |
| 7. | हिम्मतनगर-चिलौधा | कि.मी. 443.00-कि.मी. 495.00 | 8 | 52.000 | कि.मी.472.035 काठपुरा |
| | जोड़ ए | | | 500.070 | |
| **बी** | **एसपीवी परियोजनाएं** | | | | |
| 8. | ए वी एक्सप्रेसवे चरण 1 | कि.मी. 0.00 - कि.मी. 43.4 और कि.मी. 43.40 - कि.मी. 93.302 | एनई-1 | 43.40 | कि.मी. 2.616 और एक तरफ प्लाजा |
| 9. | ए वी एक्सप्रेसवे चरण 2 | कि.मी. 43.40 - कि.मी. 93.302 | एनई-1 | 49.90 | कि.मी. 86.1 तथा कि.मी. 43.855 पर दो तरफ प्लाजा (नाडियाड और कि.मी. 58.616 (आनंन्द) |
| | जोड़ बी | | | 93.30 | |
| **सी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 10. | जयपुर - किशनगढ़ | कि.मी. 273.50-कि.मी. 363.885 | 8 | 90.385 | कि.मी. 286.450 जयपुर और कि.मी. 360.20 किशनगढ़ |
| | जोड़ सी | | | 90.385 | |
| **डी** | **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई अन्य बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 11. | बदोदरा-सूरत खंड 4 लेन पर नर्मदा पुल और इसका पहुंच मार्ग | कि.मी. 192.00-कि.मी. 198.00 | 8 | 6.000 | कि.मी. 193.500 |
| | जोड़ डी | | | 6.000 | |
| | जोड ए (ए+बी+सी+डी) | | | 689.757 | |
| **बी** | **मुंबई - चेन्नै** | | | | |
| **ए** | **सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं** | | | | |
| 12. | महाराष्ट्र सीमा - बेलगाम | कि.मी. 592.24 कि.मी. 537 | 4 | 55.240 | कि.मी. 591.24 कंगोली |
| 13. | हट्टारगी - हीरेबागवादी | कि.मी. 537.00-कि.मी. 515.00 | 4 | 22.00 | कि.मी. 537.77 हट्टारगी |
| 14. | गब्बूर - देवगिरी | कि.मी. 404.00-कि.मी. 340.00 | 4 | 64.00 | कि.मी. 352.550 बंकापुर |
| 15. | वालाझपेट - कांचीपुरम | कि.मी. 107.200-कि.मी. 60.100 | 4 | 47.115 | कि.मी. 104.99 चेन्नासमुद्रम |
| 16. | कांचीपुरम - चेन्नै | कि.मी.60.10-कि.मी. 13.80 | 4 | 46.300 | कि.मी. 37.80 श्रीपेररूबंदूर |
| | जोड़ ए | | | 234.655 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **बी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 17. | नीलमंगला -तुमकुर | कि.मी. 29.5-कि.मी. 62.0 | 4 | 32.5 | कि.मी. 300 नीलमंगला और कि.मी. 61.0 तुमकुर |
| 18. | सतारा - कागल | कि.मी. 592.240-कि.मी.725.00 | 4 | 132.76 | कि.मी. 634.5 और कि.मी. 694. 150 (तासवाडे और किनी) |
| | जोड़ बी | | | 165.260 | |
| **सी** | **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग** प्राधिकरण को सौंपी गई अन्य बीओटी परियोजनाएं | | | | |
| 19. | मुंबई - पुणे एक्सप्रेसवे (4 लेन) | कि.मी. 0.00- कि.मी. 90.00 | 4 | 90.000 | |
| 20. | धारवाड़ - हुबली (2 लेन) | कि.मी. 433.00 - कि.मी. 404.00 | 4 | 29.000 | कि.मी. 432.800 और कि.मी. 404.00 |
| | जोड़ सी | | | 119.000 | |
| | जोड़ बी (ए+बी+सी) | | | 518.915 | |
| **सी** | **दिल्ली I-कोलकाता** | | | | |
| **ए** | **सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं** | | | | |
| 21. | बदरपुर-कोसी | कि.मी. 18.8 - कि.मी. 108.9 | 2 | 90.100 | कि.मी. 72 श्रीनगर |
| 22. | कोसी-आगरा | कि.मी. 108.9 - कि.मी. 199 | 2 | 90.100 | कि.मी. 164.55 महुवन |
| 23. | टुंडला-माखनपुर | कि.मी. 219.00 - कि.मी. 250.500 | 2 | 31.500 | कि.मी. 225.00 टुंडला |
| 24. | शिकोहाबाद-इटावा और इटावा बाइपास | कि.मी. 250.50 - कि.मी. 321.10 | 2 | 72.940 | कि.मी. 285.0 सेमरा, अतिकाबाद |
| 25. | इटावा - सिकंदरा | कि.मी. 321.10 - कि.मी. 393.00 | 2 | 72.825 | कि.मी. 351.50 अनंतराम |
| 26. | सिकंदरा - भौंती | कि.मी. 393.0 -कि.मी. 470.00 | 2 | 61.000 | कि.मी. 2.80 से कि.मी. 393.00 सिकंदरा |
| 27. | भौंती - फतेहपुर | कि.मी. 470.000 - कि.मी. 483.000 और कि.मी. 0.000 - कि.मी. 38.00 (नया चैनेज कि.मी. 457.377 - कि.मी. 508.877) | 2 | 51.500 | कि.मी. 506.262, पुरवामीर |
| 28. | फतेहपुर - खोखराज | कि.मी. 100.00 - कि.मी. 158.00 | 2 | 58.000 | कि.मी. 120.50 कटोघन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. | इलाहाबाद - हंडिया - वाराणसी | कि.मी. 245.00 - कि.मी. 317.00 | 2 | 72.000 | कि.मी. 279.12, लालानगर |
| 30. | औरगांबाद - बाराचट्टी | संशोधित कि.मी. 180.00 - कि.मी. 240.00 | 2 | 60.000 | कि.मी. 200.100 गांव साउ कला |
| 31. | बाराचट्टी - गौरहर | कि.मी. 240.00 - कि.मी. 320.00 | 2 | 80.000 | कि.मी. 279.425 रसैया धमना, जिला हजारीबाग |
| 32. | गौरहर - बरवा अड्डा | कि.मी. 320.00 - कि.मी. 398.75 | 2 | 78.750 | कि.मी. 346.100, घंगारी, जिला गिरीडीह (30.03.12) |
| 33. | बरवा अड्डा - पानागढ़ | कि.मी. 398.75 - कि.मी. 515.236 | 2 | 116.486 | कि.मी. 454.8 गरूई |
| 34. | बुदबुद - पलसित | कि.मी. 525.853 -कि.मी. 587.853 | 2 | 62.000 | कि.मी. 585.692 पलसित जिला बर्दवान |
| 35. | पलसित - धनकुनी | कि.मी. 587.853 - कि.मी. 651.602 | 2 | 63.749 | कि.मी. 646.005 धनकुनी |
| | जोड़ ए | | | 1060.950 | |
| **बी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 36. | विवेकानंद पुल 2 और पहुंचमार्ग | कि.मी. 666.165 - कि.मी. 672.197 | 2 | 6.00 | कि.मी. 666.644, राज, चंद्रपुर |
| | जोड़ बी | | | 6.00 | |
| | जोड़ सी (ए+बी) | | | 1066.950 | |
| **डी** | **कोलकाता - चेन्नै** | | | | |
| | सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं | | | | |
| 37. | खड़गपुर - डांटन | कि.मी. 69.450 - कि.मी. 119.737 | 60 | 50.287 | कि.मी. 103.490 रामपुरा |
| 38. | डांटन -बालासोर | कि.मी. 69.450 - कि.मी. 0.00 | 60 | 69.450 | कि.मी. 52.000 (35.400 पुराना गांव लक्ष्मणनाथ (पुराना संतोषपुर) |
| 39. | भद्रक - बालासोर | कि.मी. 136.500 - 199.141 (नया चैनेज कि.मी. 143.635 - कि.मी. 80.994) | 5 | 62.641 | कि.मी. 182.175 (किमी. 97.960 नया) शेरगढ़ |
| 40. | भद्रक - चेतिया | कि.मी. 53.124 - 123.124 (नया चैनेज कि.मी. 227.00 - कि.मी. 157.00 | 5 | 73.000 | कि.मी. 98.000 (कि.मी. 191.698 नया) पानीखोली |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | सुनाखला - भुवनेश्वर | कि.मी. 337.01 कि.मी. 402.01 (नया चैनेज कि.मी. 362.000 - कि.मी. 297.000 | 5 | 65.000 | कि.मी. 397.310 गंगपदा खुर्दा के निकट (नया कि.मी. 301.700) |
| 42. | इच्छापुरम - नंदीगाम | कि.मी. 226.15 - कि.मी. 160.00 (नया चैनेज कि.मी. 477.054 - 543.204) | 5 | 66.150 | कि.मी. 589.554 मदपम गांव जिला श्रीकाकुलम |
| 43. | नंदीगाम - श्रीकाकुलम | कि.मी. 160.00 - कि.मी. 97.00 (नया चैनेज कि.मी. 543.204 - कि.मी. 606.204) | 5 | 63.000 | कि.मी. 589.554 मदपम गांव जिला श्रीकाकुलम |
| 44. | श्रीकाकुलम - चंपावती | कि.मी. 97.00 - कि.मी. 49.00 (नया चैनेज से कि.मी. 606.704 - कि.मी. 654.204 | 5 | 48.000 | कि.मी. 616.704 चिल्कापलेम |
| 45. | चंपावती/कोप्परला - विशाखापट्टनम | कि.मी. 49.00 - कि.मी. 2.837 (नया चैनेज से कि.मी. 700.544 - कि.मी. 654.204 | 5 | 46.340 | कि.मी. 656.704 नाथवलसा, जिला, विजयानगरम |
| 46. | विशाखापट्टनम - अंकापल्ली | कि.मी. 2.837 -कि.मी. 0.00 और कि.मी. 395.870 - कि.मी. 358.00 (नया चैनेज से कि.मी. 700.544 - कि.मी. 741.255 | 5 | 40.707 | कि.मी. 728.055 अगनापुदी |
| 47. | अंकापल्ली - तुनी | कि.मी. 358.00 - कि.मी. 272.000 (नया चैनेज से कि.मी. 830.525- कि.मी. 741.255 | 5 | 89.270 | कि.मी. 795.498 वेमापदू, जिला विशाखापट्टनम |
| 48. | तुनी- राजामुंद्री (बोम्मुरू) | कि.मी. 272.000 - कि.मी. 187.600 (नया चैनेज से कि.मी. 914.883 - कि.मी. 830.525) | 5 | 84.400 | कि.मी. 236.200 (नया कि.मी. 865.553) के निकट कृष्णावरम |
| 49. | बोम्मुरू - गुंडुगोलानू | कि.मी. 187.6 कि.मी. 81.6 (नया चैनेज से कि.मी. 914.833 - 1022.494 | 5 | 107.611 | कि.मी. 139.483 (नया कि.मी. 1050. 964.350) कलापरू गांव |
| 50. | गुंडुगोलानू - विजयवाड़ा - इलूरू बाइपास सहित | कि.मी. 81.60 - कि.मी. 42.5 (नया चैनेज से कि.मी. 1022.494 - 1061.5940 | 5 | 39.100 | कि.मी. 53.300 (नया कि.मी. 1050. 794) कलपारू गांव |
| 51. | गुंडुगोलानू - विजयवाड़ा इलूरू बाइपास साहित | कि.मी. 42.50 - कि.मी. 3.4 (नया चैनेज से कि.मी. 1061.594 - कि.मी. 1100.694 | 5 | 39.100 | कि.मी. 31.850 (नया कि.मी. 1072.191, पट्टीपादू गांव |
| | जोड़ ए | | | 944.056 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **बी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 52. | टाडा - नेल्लौर | कि.मी. 52.8 कि.मी. 163.6 | 5 | 110.517 | कि.मी. 86.00 सल्लूरपेट, कि.मी. 124.40 बुधानम और कि.मी. 155.30 वेंकटचलम |
| | जोड़ बी | | | 110.517 | |
| | जोड़ डी (ए+बी) | | | 1054.573 | |
| | जोड़ I स्वर्णिम चतुर्भुज (ए+बी+सी+डी) | | | 3330.195 | |
| **ई** | **उत्तर - दक्षिण कॉरीडोर चरण II** | | | | |
| **ए** | **सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं** | | | | |
| 53. | आगरा - धौलपुर | कि.मी. 8.00-कि.मी. 51 | 3 | 43.000 | कि.मी. 34 बराठा |
| 54. | मुरैना - ग्वालियर | कि.मी. 61.00-कि.मी. 103.00 | 3 | 42.000 | कि.मी. 85.870 गांव चौंधा, जिला मुरैना |
| 55. | झांसी - ललितपुर | किमी. 49.700-कि.मी. 99.005 | 26 | 49.305 | कि.मी. 85.280 ललितपुर जिला में गांव विगापेट |
| 56. | झांसी - लखनादोन | कि.मी. 262.739-कि.मी. 309.000 | 26 | 46.261 | सागर जिला में तीतरपानी गांव कि.मी. 294.500 |
| 57. | लखनादोन-महागांव | कि.मी. 567.550-कि.मी. 624.480 | 7 | 56.93 | सिवनी जिले में अलोनिया गांव के निकट कि.मी. 584.500 |
| 58. | अडलूर येल्लारेड्डी-गुंडला पोचमपल्ली | कि.मी. 368.255 - कि.मी. 471.331 | 7 | 103.076 | कि.मी. 443.713 मनोहराबाद |
| 59. | महाराष्ट्र/आ.प्रा.सीमा-इस्लाम नगर | कि.मी. 175.000-कि.मी. 230.000 | 7 | 54.600 | आदिलाबाद जिले में पिंपलवाड़ा गांव के निकट कि.मी. 180.300 |
| 60. | इस्लाम नगर - कटडल | कि.मी. 230.00-कि.मी. 278.00 | 7 | 53.010 | आदिलाबाद जिले में रोलमंबा गांव कि.मी. 245.400 |
| 61. | कटडल - अरमूर | कि.मी. 278.00-कि.मी. 308.00 | 7 | 30.900 | कि.मी. 281.320, गमजाल |
| 62. | कोथाकोटा बाइपास - करनूल | कि.मी. 135.469-कि.मी. 211.00 | 7 | 74.622 | कि.मी. 200.95 (पुल्लुर) |
| 63. | करनूल - करीदीकोंडा | कि.मी. 211.00-कि.मी. 295.00 | 7 | 84.000 | कि.मी. 250.700 अमाकथाडु, जिला करनूल |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64. | करीदीकोंडा-मरूर | कि.मी. 295.00-कि.मी. 374.00 | 7 | 79.000 | कि.मी. 310.200, कासेपल्ली, जिला अनंतपुर |
| 65. | मरूर-आ. प्र./कर्नाटक सीमा | कि.मी. 374.000-कि.मी. 462.164 | 7 | 88.164 | कि.मी. 376.075 मरूर जिला, अनतपुर |
| 66. | आ.प्र./कर्नाटक सीमा-देवनहल्ली | कि.मी. 462.164-कि.मी. 533.619 | 7 | 71.45 | कि.मी. 464.774 के निकट बागेपल्ली |
| 67. | विरूद्धनगर-कोविलपट्टी | कि.मी. 52.300 - कि.मी. 99.780 | 7 | 47.48 | कि.मी. 74.930 के निकट इत्तूतवत्तुम जिला विरूद्धनगर |
| 68. | कोविलपट्टी - मूंद्रादायप्पू | कि.मी. 109.683 - कि.मी. 173.183 (नया चैनेज कि.मी. 116.500 - 180.000) | 7 | 63.5 | कि.मी. 125.350 के निकट सलाईपुधुर जिला तूतीकोरीन |
| 69. | मूंद्रादायप्पू - अंजुग्रामम | कि.मी. 193.183-कि.मी. 231.600 (नया चैनेज कि.मी. 180.000 - कि.मी. 234.775) | 7<br>7 | 54.975 | कि.मी. 185.387 के निकट नागूनेरी जिला तिरूनेरवेल्ली |
| 70. | देवधारी - केलापुर | कि.मी. 123.000 - कि.मी. 153.00 | 7 | 30 | यावतमल जिले में केलापुर के निकट कि.मी. 150.00 |
| | जोड़ ई(ए) | | | 1072.273 | |
| **बी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 71. | पानीपत उत्थापित राजमार्ग | कि.मी. 86.00-कि.मी. 96.00 | 1 | 10.000 | कि.मी. 96.000 |
| 72. | थोंडापल्ली - जेडचेरला | कि.मी. 22.30 - कि.मी. 80.50 | 7 | 58.006 | कि.मी. 54.00 |
| 73. | जेडचेरला - कोटाकट्टा | कि.मी. 80.05- कि.मी. 135.469 | 7 | 55.740 | कि.मी. 114.087 |
| 74. | कृष्णागिरी - थोपुरघाट | कि.मी. 94.000 - कि.मी. 180.000 | 7 | 86.000 | कि.मी. 154.440, पलयम गांव, धर्मापुरी जिला |
| 75. | ओमल्लूर - नामक्कल | कि.मी. 180.000- कि.मी. 248.625 | 7 | 68.625 | कि.मी. 191.800 |
| 76. | नामक्कल - करूर | कि.मी. 248.625 - कि.मी. 41.370 | 7 | 41.370 | कि.मी. 259.500 |
| 77. | करूरबाइपास - डिंडीगुल बाइपास | कि.मी. 292.600 - कि.मी. 77.725 | 7 | 77.725 | कि.मी. 332.000 |
| 78. | डिंडीगुल बाइपास - साम्यनेल्लौर | कि.मी. 373.725 - कि.मी. 426.600 (project चैनेज कि.मी. 368.147- कि.मी. 421.196 | 7 | 53.049 | कि.मी. 398.500 (कोदई रोड के निकट) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79. | सलेम - कुमारापलयम | कि.मी. 00.000 - कि.मी. 53.525 | 47 | 53.525 | कि.मी. 27.697 वैगुंथम गांव |
| 80. | कुमारपलयम - चेंगापल्ली | कि.मी. 53.00 - कि.मी. 100 (नया कि.मी. 53.525 - कि.मी. 102.035 | 47 | 48.510 | कि.मी. 88.287 |
| 81. | त्रिशूर - अंगमाली - ईडापल्ली | कि.मी. 270.000 - कि.मी. 316.700 कि.मी. 342.000 | 47 | 64.940 | कि.मी. 278.000 (पलियेक्करा) |
| 82. | म. प्र./महाराष्ट्र सीमा - नागपुर और नागपुर बाइपास का प्रचालन और अनुरक्षण पहले ही 4 लेन (नागपुर - हैदराबाद) | कि.मी. 652.000 to कि.मी. 729.000 और 14.585 से कि.मी. 36.600 | 7 | 56.613 | नागपुर जिले में तेकदी और डंगरगांव के निकट 703.700 और 19.660 |
| | जोड़ बी | | | 674.103 | |
| | जोड़ ई (ए+बी) | | | 1746.376 | |
| एफ | **पत्तन संपर्क परियोजनाएं** | | | | |
| 83 | जवाहर लाल नेहरू पत्तन संपर्क परियोजना (चरण-I) (एसपीवी आधार पर) | कि.मी. 5.000 to कि.मी. 26.987 (ए1/ई खंड) और कि.मी. 0.00 से कि.मी. 4.400 (डी. जी खंड) और कि.मी. 106.000 से कि.मी. 109.500 | 4 | 30.000 | कि.मी. 13.050 (चिर्ले) और दूसरा कि.मी. 23.250 (करंजाडे) पर |
| 84. | जवाहर लाल नेहरू पत्तन (चरण-II) (एसपीवी आधार पर) | एसएच-54 के कि.मी. 6.400-कि.मी. एसएच 14.550 कि.मी. और पनवेल क्रीक पर 6 लेन के नए पुल के निर्माण सहित आमरा मार्ग के कि.मी. 0.000 - कि.मी. 6.202 | 54 | 14.350 | कि.मी. 9.100 (दस्तान) |
| 85. | विशाखापट्टनम पत्तन संपर्क परियोजना | कि.मी. 0.000 - कि.मी. 10336 | एसआर | 12.000 | कि.मी. 9.158 (पंचवटी कालोनी और कि.मी. 2.262 (नैवी का गोस्थनी गेट) |
| 86. | चांदीखोल - पाराद्वीप | कि.मी. 0.000 - कि.मी. 76.588 | 5ए | 76.588 | कि.मी. 4 श्रीरामपुर |
| 87. | ईडापल्ली - वीत्तिला - अरूर | कि.मी. 342.000 - 358.750 | 47 | 16.450 | अर्नाकुलम जिले में कुंबालम के निकट कि.मी. 356.500 |
| | जोड़ एफ | | | 149.388 | |
| जी | **अन्य परियोजनाएं** | | | | |
| ए | **सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं** | | | | |
| 88. | गाजियाबाद - हापुड़ और हापुड़ बाइपास | कि.मी. 27.64 - कि.मी. 48.638 और बाइपास of 11.250 कि.मी. | 24 | 32.245 | कि.मी. 29.30 डासना |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89. | अमरावती - बाइपास | कि.मी. 149.747 - कि.मी. 166.0 | 6 | 17.500 | कि.मी. 1.3 और कि.मी. 16.550 |
| 90. | चेन्नै बाइपास | कि.मी. 0.00 से कि.मी. 19.17 चरण (रारा सं. 45 के कि.मी. 28.00 पर प्रारंभ होकर और रारा 4 के कि.मी. 13.80 पर मिलते हुए) | 145 और 4 | 19.170 | कि.मी. 16.50, वानागरम |
| 91. | तांबरम - टिंडीवनम | कि.मी. 28.00 - कि.मी. 74.50 | 45 | 46.500 | कि.मी. 52.820 (परानूर) |
| 92. | तांबरम - टिडीवनम | कि.मी. 74.50 - कि.मी. 121.00 | 45 | 46.500 | कि.मी. 103.500 (आथुर) |
| 93. | नैनी में केबल आधारित पुल और इसका पहुंचमार्ग | कि.मी. 0.00 - कि.मी. 5.410 | 27 | 5.410 | कि.मी. 1.600 |
| 94. | चित्तौड़गढ़ बाइपास | रारा 79 का कि.मी. 159.0 (नया चैनेज कि.मी. 163.9) और रारा 76 के कि.मी. 313.0 पर मिलते हुए | 79 और 76 | 29.600 | कि.मी. 28.500 रिठौला |
| 95. | त्रिची - तोवरनकुरिची | कि.मी. 0.00 - कि.मी. 60.950 | 45बी | 60.633 | कि.मी. 21.020 (बूथाकुडी गांव के निकट) |
| 96. | तोवरनकुरिची - मदुरै | कि.मी. 60.950 से कि.मी. 124.840 | 45बी | 63.890 | कि.मी. 113.630 (के निकट चित्तमपट्टी गांव) |
| 97. | ब्रिजघाट - मुरादाबाद | कि.मी. 93.00 कि.मी. - 149.25 | 24 | 56.25 | कि.मी. 121.975 |
| | जोड़ ई (ए) | | | 377.698 | |
| | **एसपीवी परियोजनाएं** | | | | |
| 98. | अहमदाबाद-बड़ोदरा | कि.मी. 6.400 से कि.मी. 104.00 | 8 | 97.6 | कि.मी. 91.000 (वासाड) |
| | जोड़ (बी) | | | 97.6 | |
| **सी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 99. | दुर्ग बाइपास | रारा 6 के कि.मी. 308.6 से प्रारंभ होकर और कि.मी. 323.6 पर पुन: मिलते हुए | 6 | 18.00 | कि.मी. 312.500 |
| 100. | मुरादाबाद बाइपास | रारा 24 के कि.मी. 148.43 से प्रारंभ होकर कि.मी. 166.65 पर पुन: मिलते हुए | 24 | 18.22 | कि.मी. 156 टीपी-1 और कि.मी. 158 टीपी-2 |
| 101 | नंदीगाम - विजयवाड़ा | कि.मी. 217.00 - कि.मी. 265.00 | 9 | 48.00 | कि.मी. 226.40 किसारा |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102. | दिल्ली - गुडगांव | कि.मी. 14.30 - कि.मी. 42.00 | 8 | 27.70 | कि.मी. 24.0, कि.मी. 42.00 और कि.मी.19.0 पर साइड प्लाजा |
| 103. | टिंडीवनम - उलूंडरपेट | कि.मी. 121.00 - कि.मी. 192.25 | 45 | 72.90 | कि.मी. 148.900 |
| 104. | उलूंडरपेट - पडलूर | कि.मी. 192.25 - कि.मी. 285.00 | 45 | 93.894 | कि.मी. 192.750 और कि.मी. 244.510 |
| 105. | पडलूर - त्रिची | कि.मी. 285.00 - कि.मी. 325.00 | 45 | 38.427 | कि.मी. 304.510 |
| | जोड़ (सी) | | | 317.141 | |
| | जोड़ जी (ए+बी+सी) | | | 792.439 | |
| | जोड़ चरण-I | | | 6018.398 | |
| **II-** | **पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर चरण II** | | | | |
| **ए** | **सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं** | | | | |
| 106. | गारामोड़ - समखियाली | कि.मी. 254.00 - कि.मी. 306.000 (नया चैनेज कि.मी. 254.537- कि.मी. 307.034) | 8ए | 47.497 | कि.मी. 286.655 सूरजबाड़ी |
| 107. | गारामोड़ - बामनबोर | कि.मी. 182.60 - कि.मी. 254.00 | 8ए | 71.937 | कि.मी. 213.100 वघसिया |
| 108. | पालनपुर/खेमाना - आबू रोड | कि.मी. 340.00 - कि.मी. 295.00 | 14 | 45.000 | कि.मी. 338.23 खेमाना |
| 109. | आबू रोड - पालनपुर/खेमाना | कि.मी. 264.00 - कि.मी. 395.00 | 14 | 31.000 | कि.मी. 270.25, उंदवरिया जिला सिरोही |
| 110. | झांसी - पूच | कि.मी. 90.00 - कि.मी. 165.000 (कि.मी. 97.150 - कि.मी. 98.000 के अलावा) | 25 | 64.150 | झांसी जिले में सेमारी गांव कि.मी. 140.400 |
| 111. | लखनऊ - कानपुर | कि.मी. 11.00 - कि.मी. 59.00 | 25 | 48.00 | कि.मी. 39.00 नवाबगंज |
| 112. | पूर्णिमा - डलकोला | कि.मी. 410.700 - कि.मी. 472.840 | 31 | 62.14 | कि.मी. 451.00 सूरजपुर |
| 113. | सोनपुर - गोशपुकुर | कि.मी. 551.000 - कि.मी. 522.700 | 31 | 28.30 | दार्जिलिंग जिले में पश्चिम मदाती कि.मी. 451.00 |
| 114. | फोरबिसगंज - पूर्णिमा | कि.मी. 230.790 - कि.मी. 310.00 | 57 | 79.21 | अररिया जिले में हरियाबाड़ा कि.मी. 267.000 |
| 115. | मुजफ्फरपुर - दरभंगा | कि.मी. 0.00 - कि.मी. 69.500 | 57 | 69.50 | मुजफ्फरपुर में मैथी कि.मी. 26.200 |
| | जोड़ ई (ए) | | | 546.734 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **बी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 116. | गोंडल - राजकोट | कि.मी. 117.00 - कि.मी. 185.00 | 8बी | 67.127 | कि.मी. 120.50 पिथाडा और कि.मी. 156.80 भरूदी |
| | जोड़ ई (बी) | | | 67.127 | |
| **सी** | **ओएमटी परियोजनाएं** | | | | |
| 117. | राधनपुर - अदेसर | कि.मी. 149.00 - कि.मी. 217.00 | 15 | 68.000 | कि.मी. 160.0 वहरी |
| 118. | अदेसर - समखियाली | कि.मी. 217.00 - कि.मी. 281.30 | 15 | 64.300 | कि.मी. 226 मखेल |
| 119. | पालनपुर - राधनपुर | कि.मी. 340.00 - कि.मी. 405.00 | 14 | 65.000 | कि.मी. 403.00 भिलाडी |
| 120. | पालनपुर - राधनपुर | कि.मी. 405.00 - कि.मी. 458 और कि.मी. 138.80 - कि.मी. 149.00 | 14 और 15 | 63.200 | कि.मी. 439.00 बेलगाम |
| 121. | पोरबंदर - भिलाडी | कि.मी. 2.00 - कि.मी. 52.50 | 8बी | 50.540 | कि.मी. 11.00 वनना टाउन |
| 122. | भिलाड़ी - जेतपुर | कि.मी. 52.50 - कि.मी. 117.60 | 8बी | 65.100 | कि.मी. 82.00 डुमियानी |
| 123. | गदावली नदी-राज./म.प्र. सीमा | कि.मी. 509.00 - कि.मी. 580.00 (नया चैनेज कि.मी. 491.722 - कि.मी. 559.214) रारा-76 के कि.मी. 610.00, रारा-76 के कि.मी. 610.00 से प्रारंभ होने वाला शिवपुरी बाइपास | 76 | 67.492 | कि.मी. 525.725. मुड़ियार |
| 124. | राज./म. प्र. सीमा - अमोला गांव (शिवपुरी बाइपास) | प्रारंभ होकर और रारा-25 के कि.मी. 15.00 के कि.मी. 15.00 पर मिलते हुए तथा शिवपुरी बाइपास के कि.मी. 22.00 सहित रारा - 25 के कि.मी. 15.00 - कि.मी. 30.00 | 76 और 25 | 53.273 | कि.मी. 589.370 रामनगर |
| 125. | अमालो - झांसी बाइपास | कि.मी. 30.000- कि.मी. 90.000 | 25 | 75.300 | कि.मी. 84.650 रक्सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) |
| 126. | स्वरूपगंज - पिंडवाड़ा और पिंडवाड़ा - उदयपुर | रारा-14 का कि.मी. 264.000 - कि.मी. 248.700 और रारा-76 का कि.मी. 0.00-कि.मी. 57.00 | 14 और 76 | 72.300 | कि.मी. 11.200 मालेरा/पिंडवाड़ा |
| 127. | पिंडवाड़ा - उदयपुर | कि.मी. 57.00 - कि.मी. 104.724 | 76 | 47.724 | कि.मी. 64.200 जसवंतगढ़/गोगुंडा |
| 128 | चित्तौड़गढ़ - बिछौड़ | कि.मी. 213.00 - कि.मी. 269.00 (नया चैनेज कि.मी. 199.929 - कि.मी. 252.929) | 76 | 53.00 | कि.मी. 237.629, बस्सी गांव |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129. | बिछौड़ - बिजोलिया | कि.मी. 269.00 - 325.00 (नया चैनेज कि.मी. 252.929 - कि.मी. 306.929) | 76 | 54.00 | कि.मी. 294.469, अरोली गांव |
| 130. | बिजोलिया - कोटा | कि.मी. 325.00 - कि.मी. 381.0 (चैनेज कि.मी. 306.929 - कि.मी. 360.429) | 76 | 53.50 | कि.मी. 340.979, धनेश्वर गांव |
| 131. | कोटा बाइपास - देरूमाता मंदिर | कि.मी. 406.00 - कि.मी. 449.150 (नया चैनेज 388.263 - कि.मी. 430.943) | 76 | 42.68 | कि.मी. 427.000 सिमलिया/बारन |
| 132. | देरूमाता मंदिर - गदावली नदी | कि.मी. 449.150 - किसी 509.00 (नया चैनेज कि.मी. 430.943 - कि.मी. 491.722) | 76 | | कि.मी. 479 फतेहपुर |
| | जोड़ ई (सी) | | | 956.788 | |
| | जोड़ चरण II (ए+बी+सी) | | | 1570.649 | |
| **III** | **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाएं चरण III** | | | | |
| **एच** | **सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाएं** | | | | |
| 133. | अमृतसर - वाघा सीमा | कि.मी. 455.400 - कि.मी. 491.620 (नया चैनेज कि.मी. 4456.100 - कि.मी. 492.030 | 1 | 35.930 | कि.मी. 479.868 (छीदन) |
| | जोड़- (ए) | | | 35930 | |
| **बी** | **बीओटी परियोजनाएं** | | | | |
| 134. | पुणे - खेड | कि.मी. 12.190 - कि.मी. 42.00 | 50 | | - |
| 135. | आगरा - भरतपुर | कि.मी. 17.756 - कि.मी. 63.000 | 11 | 44.50 | कि.मी. 30.300 कोरई |
| 136. | भरतपुर - महुआ | कि.मी. 63.000 - कि.मी. 120.00 | 11 | 57.000 | कि.मी. 64.570 और कि.मी. 98.500 |
| 137. | जयपुर - महुआ | कि.मी. 119.567 - कि.मी. 174.296 | 11 | 109.088 | कि.मी. 156.60 और कि.मी. 204.70 |
| 138. | नागपुर - कोंधली | कि.मी. 9.200 - कि.मी. 50.00 | 6 | 39.841 | कि.मी. 20.612 |
| 139. | कोंधली - तालेगांव | कि.मी. 50.00 - कि.मी. 100.00 | 6 | 49.522 | कि.मी. 76.00 (करंजा) |
| 140. | छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वेनगंगा पुल | कि.मी. 405.00 - कि.मी. 485.00 | 6 | 72.056 | कि.मी. 449.260, सिंदुरवफा |
| 141. | गुना बाइपास | कि.मी. 319.700 - कि.मी. 332.100 | 3 | 14.000 | कि.मी. 331.000 |
| 142. | अंबाला - जीरकपुर | कि.मी. 5.735 - कि.मी. 39.960 of 22 रारा 22 और कि.मी. 0.00 - कि.मी. 0.871 of रारा 21 | और 21 | 35.096 | कि.मी. 23.100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143. | जीरकपुर - परवानू | कि.मी. 39.960 - कि.मी. 67.550 | 22 (नया रारा 5) | 27.590 | कि.मी. 51.400 गांव सूरजपुर चंडी मंदिर |
| 144. | कीरतपुर - कुराली | कि.मी. 28.600 - कि.मी. 73.200 | 21 (नया रारा-205 | 42.900 | कि.मी. 35.000 |
| 145. | इंदौर - खालघाट | कि.मी. 12.60 - कि.मी. 84.70 | 3 | 77.550 | कि.मी. 82.800 |
| 146. | खालघाट - म. प्र./महाराष्ट्र सीमा | कि.मी. 84.700 - कि.मी. 167.500 | 3 | 82.800 | कि.मी. 141.85 |
| 147. | म.प्र./महाराष्ट्र सीमा - धुले | कि.मी. 168.500 - कि.मी. 265.000 | 3 | 68.300 | कि.मी. 203.400 (शीरपुर) और कि.मी. 236.600 (सोंगीर) |
| 148. | पिंपलगांव - धुले | कि.मी. 380.00 - कि.मी. 265.00 | 3 | 118.158 | कि.मी. 356.715 चंदवल और कि.मी. 268.632 |
| 149. | बडापे - गोंडे | कि.मी. 440.00 - 539.500 | 3 | 94.770 | कि.मी. 455.485 घोटी (बदरूख) और कि.मी. 532.690 |
| 150. | सिल्क बोर्ड जंक्शन - होसुर | कि.मी. 8.765 कि.मी. 18.750 - कि.मी. 33.130 | 7 | 24.365 | कि.मी. 32.700 (4 साइड प्लाजा) |
| 151. | जालंधर - अमृतसर | कि.मी. 407.100 - कि.मी. 456.100 | 1 | 49.000 | कि.मी. 410.140 और कि.मी. 446.960 |
| 152. | बंगलौर - नीलमंगला | कि.मी. 10.00 -कि.मी. 29.50 | 4 | 19.565 | कि.मी. 14.875 और कि.मी. 26. 075, नीलमंगला और बंगलौर (4 साइड प्लाजा - 16.600, 17.100, 23.150 और 23.800) |
| 153. | नीलमंगला जंक्शन - देवीहल्ली | कि.मी. 28.200 - कि.मी. 110.000 | 48 | 82.262 | कि.मी. 32.750 और कि.मी. 100.30 |
| 154. | बीजापुर - हुंगुंड | कि.मी. 102.00 to कि.मी. 202.000 (नया चैनेज कि.मी. 225.800 to कि.मी. 323.021) | 13 (नया रारा -50) | 97.220 | जिला बीजापुर कसाब कि.मी. 103.888 और जिला बागलकोट नगरहल्ला कि.मी. 165.650 |
| 155. | मेरठ - मुजफ्फरनगर | कि.मी. 52.250 - कि.मी. 131.000 | 58 | 57.000 | कि.मी. 76.000 गांव सिवाया जिला |
| 156. | तंजावूर - त्रिची | कि.मी. 80.000 - कि.मी. 128.480 | 67 | 48.480 | कि.मी. 120.900 |
| 157. | मदुरै तूतीकोरीन | कि.मी. 138.800 - कि.मी. 164.500 | 45बी | 127.400 | मदुरै जिले में इलियारपाथी गांव के निकट कि.मी. 143.580 और तूतीकोरीन जिले में पुदुरपांड्यापुरम गांव के निकट कि.मी. 254.940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158. | लखनऊ - सीतापुर | कि.मी. 488.270 - कि.मी. 413.200 | 24 | 50.000 | बडभारी के निकट कि.मी. 468.000 और करोंदी के निकट कि.मी. 420.000 |
| 159. | त्रिची - डिंडीगुल | कि.मी. 333.000 - कि.मी. 421.273 | 45 | 88.278 | कि.मी. 382.850 के निकट पूनमबलापट्टी |
| 160. | पुदुचेरी - टिंडीवनम | कि.मी. 0.000 - कि.मी. 37.920 | 45 | 38.278 | कि.मी. 6.572 मोरत्तंडी |
| 161. | सलेम - उलूंडरपेट | कि.मी. 0.000 - कि.मी. 134.000 (डिजाइन चैनेज कि.मी. 0.313- कि.मी. 136.670) | 68 (नया रारा 79) | 90.904 | नाथक्कराई कि.मी. 73.760 और वीरचोलपुरम पश्चिम कि.मी. 105.000 |
| | जोड़ - (बी) | | | 1736.253 | |
| | जोड़ चरण III (ए+बी) | | | 1772.183 | |
| **IV** | **राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण V** | | | | |
| **ए** | **स्वर्णिम चतुर्भुज** | | | | |
| 162. | गुडगांव - कोटपुतली | कि.मी. 42.0 - कि.मी. 162.5 | 8 | 119.800 | कि.मी. 115 शाहजहांपुर |
| 163. | कोटपुतली - चांदवाजी | कि.मी. 162.5 - कि.मी. 220 | 8 | 57.500 | कि.मी. 211 मनोहरपुर |
| 164. | जयपुर बाइपास चरण Iऔर II | रारा 11 के कि.मी. 246 पर चरण I प्रारंभ होकर और रारा 8 के कि.मी. 273.5 पर मिलने वाला लंबाई (13.7 कि.मी.) और रारा 8 के कि.मी. 220 पर प्रारंभ होकर रारा 11 के कि.मी. 246.00 पर मिलते हुए लंबाई (34.70 कि.मी.) | 8 और 11 | 48.400 | जयपुर बाइपास चरण II पर हमारा से कि.मी. 13.20 |
| 165. | बदोदरा - भरूच | कि.मी. 108.7 - कि.मी. 192 | 8 | 83.300 | कि.मी. 157.20 भरथना |
| 166. | भरूच - सूरत | 198.00 - कि.मी. 263.00 | 8 | 65.000 | कि.मी. 245.750 चोरियासी |
| 167. | चलथान (सूरत) - वागलधारा | कि.मी. 263.4 - कि.मी. 318.6 | 8 | 55.200 | कि.मी. 297.360 बोरियेक |
| 168. | वागलधारा - कजली | कि.मी. 318.60 - कि.मी. 381.60 | 8 | 63.000 | कि.मी. 356.200 भगवडा |
| 169. | कजली - मनोर | कि.मी. 381.6 - कि.मी. 439.0 | 8 | 57.400 | कि.मी. 420.34 चरोती |
| 170. | मनोर - बसीन क्रीक दहिसर | कि.मी. 439.00 - कि.मी. 502.00 | 8 | 63.000 | कि.मी. 474.1 सिरसाद |
| 171. | जगतपुर - भुबनेश्वर-चांदीखोल | कि.मी. 413.000 - कि.मी. 418.000 और कि.मी. 0.000 - कि.मी. 62.000 | 5 | 67.000 | कि.मी. 40.500 पर स्थित फीस प्लाजा के निर्माण तक कि.मी. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 34.6124 अथवा स्वतंत्र अभियंता तथा कटक के निकट प्राधिकारी मंगुली के परामर्श से अंतिम रूप दिए जाने वाले किसी नए स्थान पर |
| 172. | विजयवाड़ा - चिल्कालूरीपेट | कि.मी. 354.775 - कि.मी. 434.150 (नया कि.मी. 1183.027 - कि.मी. 1100.641 | 5 | 83.000 | कजा कि.मी. 416.8 (नया 1117.402 |
| 173. | चिल्कालूरीपेट - ओंगोल | कि.मी. 358.00 - कि.मी. 291.00 (नया चैनेज से कि.मी. 1250.691- कि.मी. 1182.802 | 5 | 70.945 | प्रकाशम जिला में गांव बोलापल्ली कि.मी. 341.00 (नया कि.मी. 1200.00) |
| 174. | ओंगोल - कावली | कि.मी. 291.00 - कि.मी. 222.00 (नया चैनेज से कि.मी. 1322.750 से कि.मी. 1322.750 - कि.मी. 1250.691) | 5 | 69.000 | प्रकाशम जिले में तंगूतुर गांव कि.मी. 1264.00 |
| 175. | कावली - नेल्लौर | कि.मी. 222.000 - कि.मी. 178.200 (नया चैनेज से कि.मी. 1383.713 - कि.मी. 1366.547 | 5 | 43.800 | सुनमबत्ती गांव कि.मी. |
| 176. | चेन्नै - टाडा | कि.मी. 11.00 - कि.मी. 54.40 | 5 | 43.400 | कि.मी. 21.550 के निकट गांव विजयानल्लू |
| 177. | पश्चिम डायवर्जन, कटराज पुन:सरेखण और कटराज - सरोले | कि.मी. 2.80 - कि.मी. 30.0 और कि.मी. 834.50 - कि.मी. 781.00 | 4 | 80.70 | कि.मी. 819.240 (खेडशिवपुर गांव. जिला पुणे) |
| 178. | सरोले - सतारा | कि.मी. 781.00 - कि.मी. 725.00 | 4 | 56.000 | कि.मी. 748.600 आनेवदी गांव |
| 179. | बेलगाम - धारवाड़ | कि.मी. 433.00 - कि.मी. 515.00 | 4 | 79.36 | कि.मी. 483.600 हीरेबागवादी |
| 180. | डोड्डासिद्दावनहल्ली - तावराकेरी | कि.मी. 189.00 - कि.मी. 132.00 | 4 | 57.00 | गैलालू कि.मी. 172.767 |
| 181. | तावराकेरी - अंतरासनहल्ली | कि.मी. 132.00 - कि.मी. 75.00 | 4 | 57.00 | करजीवनहल्ली कि.मी. 104.530 |
| 182. | होसुर - कृष्णागिरी | कि.मी. 33.130 - कि.मी. 93.000 | 7 | 59.870 | कृष्णगिरी कि.मी. 88.33 |
| 183. | कृष्णागिरी - अंबूर | 89.00 to 93.000 और कि.मी. 0.00 to 72.950 | 7 और 46 | 73.000 | पेड्डाकल्लूपल्ली (वनियांबदी) कि.मी. 46.850 |
| 184. | अंबूर - वालाझपेट | कि.मी. 72.950 - कि.मी. 148.300 | 46 | 75.350 | वेल्लौर जिले में पल्लीकोंडा कि.मी. 98.520 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185. | बदरपुर - उत्थापित राजमार्ग | कि.मी. 16.100 - कि.मी. 20.500 | 2 | 4.400 | कि.मी. 18.700/कि.मी. 20.200 |
| 186. | वाराणसी- मोहनिया (वाराणसी - औरंगाबाद खंड) | कि.मी. 317.00 - कि.मी. 46.00 संशोधित कि.मी. 317.00 - कि.मी. 319.00 कि.मी. 319.00 पर वीआरएम बाइपास प्रारंभ होकर तथा कि.मी. 21 पर मिलते हुए और कि.मी. 21.00 - कि.मी. 180.00 (नया चैनेज कि.मी. 786.00 - कि.मी. 978.00) | 2 | 55.000 | कि.मी. 12.00 संशोधित वीआरएम बाइपास का कि.मी. 800.00 |
| 187. | मोहनिया - बारून (वाराणसी - औरंगाबाद खंड) | कि.मी. 65.00 - कि.मी. 140.00 संशोधित कि.मी. 317.00 - कि.मी. 319.00 कि.मी. 319.00 वीआरएम बाइपास प्रारंभ होकर तथा कि.मी. 21 पर मिलते हुए और कि.मी. 21.00 - 180.00 (नया चैनेज कि.मी. 786.00 - कि.मी. 978.00) | 2 | 42.600 | कि.मी. 63.000, (नया चैनेज कि.मी. 860 |
| 188. | बारून - औरंगाबाद (वाराणसी औरंगाबाद खंड) | कि.मी. 140.00-कि.मी. 240.00 संशोधित कि.मी. 317.00 - कि.मी. 319.00 कि.मी. 319.00 वीआरएम बाइपास प्रारंभ होकर तथा कि.मी. 21पर मिलते हुए और कि.मी. 21.00 - 180.00 (नया चैनेज कि.मी. 786.00 - कि.मी. 978.00) | 2 | 94.800 | कि.मी. 110.100 (नया चैनेज कि.मी. 907.100 |
| 189. | धनकुनी - कोलाघाट | कि.मी. 18.50 - कि.मी. 72.00 | 6 | 53.500 | जलधुलागोरी में कि.मी. 35.250 |
| 190. | कोलाघाट - खड़गपुर | कि.मी. 74.10 - कि.मी. 129.61 | 6 | 55.510 | कि.मी. 112.695, देबरा/बारामुल्ला |
| | जोड़ ए | | | 1833.835 | |
| **बी** | **एनएसईडब्ल्यू** | | | | |
| 191. | पानीपत - अंबाला | कि.मी. 96 - कि.मी. 206 | 1 | 110.000 | कि.मी. 146.40 कि.मी. (पूर्व में कमल पर 132) |
| 192. | अंबाला - खन्ना | कि.मी. 206 - कि.मी. 272 | 1 | 66.000 | कि.मी. 213.300 शंभू |
| 193. | खन्ना-जालंधर | कि.मी. 272 - कि.मी. 372 | 1 | 115.100 | कि.मी. 328.05 लाडोवाल (पूर्व में दरोहा पर कि.मी. 296) |
| | जोड़ बी | | | 291.100 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **सी** | **पीसी** | | | | |
| 194. | समखियाली-गांधीधाम | कि.मी. 306-कि.मी. 362.16 | 8ए | 56.160 | कि.मी. 309 समखियाली |
| **डी** | **अन्य** | | | | |
| 195 | इंदौर - देवास | कि.मी. 577.550 - कि.मी. 610.00 और कि.मी. 610.00 और कि.मी. 0.000 - कि.मी. 12.600 | 3 | 45.050 | रारा-3 पर फ्लाईओवर जंक्शन के ठीक बाद इंदौर बाइपास कि.मी. 591.00 |
| | जोड़ डी | | | 45.050 | |
| | जोड़ चरण V (ए+बीबी+सी+डी) | | | 2226.145 | |
| **V राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण VII** | | | | | |
| **ए** | **बीओटी** | | | | |
| 196. | देवनहल्ली - बंगलौर | कि.मी. 534.720 - कि.मी. 556.840 | 7 | 22.120 | कि.मी. 538.000 पर |
| | जोड़ ए | | | 22.120 | |
| | कुछ जोड़ (चरण I+II+III+V+VII) | | | 11609.495 | 82.557 |
| **पुल** | | | | | |
| 197. | संजय सेतु (घाघरा घाट) | - | 28सी | - | कि.मी. 61.00 |
| 198. | काली नदी पुल | कि.मी. 60.000 | 24 | - | कि.मी. 60.000 |
| 199. | आरओबी किशनगढ़ | 367.320 से 368.483 | 8 | - | कि.मी. 368.020 |
| 200. | वगही नाला पुन | - | 7 | - | कि.मी. 58.800 |
| 201. | सीतापुर | - | 24 | - | - |
| 202. | शाहजहांपुर | - | 24 | - | - |
| 203. | बेसो | - | 29 | - | - |

## *विवरण-II*

*गत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष जुलाई, 2012 तक प्रयोक्ता फीस (टोल) के संग्रहण को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण*

| क्र.सं. | रारा सं. | खंड | प्लाजा का नाम | लंबाई किमी. | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **आंध्र प्रदेश** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 5 | अंकापल्ली-विशाखापट्टनम | अगनमपुडी | 40.707 | 915.47 | 972.22 | 1125.18 | 375.31 | |
| 2. | 5 | नादीगाम-इच्छापुरम | मदापम | 63.000 | 1722.97 | 1800.28 | 2003.64 | 545.22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 5 | इच्छापुरम-श्रीकाकुलम | लक्ष्मीपुरम | 66.150 | 1415.02 | 1483.66 | 1612.09 | 498.57 | |
| 4. | 5 | चिल्कालूरीपेट-विजयवाडा | कजा | 83.000 | 291.59 | 0.00 | | | 01.050.09 से बीओटी को अंतरित |
| 5. | 5 | विजयवाडा-गुंडूगोलानू (31/8कि.मी.) | पट्टीपादू | 39.100 | 1453.18 | 1662.70 | 1745.35 | 570.96 | |
| 6. | 5 | विजयवाडा-गुंडूगोलानू (53/3कि.मी.) | कलापारू | 39.100 | 1488.16 | 1723.67 | 1819.03 | 590.24 | |
| 7. | 5 | राजामुंद्री - तुनी | कृष्णावरम | 84.400 | 3116.74 | 3315.26 | 3567.41 | 1261.38 | |
| 8. | 5 | तुनी-अंकापल्ली | वेमापदू | 89.270 | 3606.68 | 3838.40 | 4102.69 | 1474.48 | |
| 9. | 5 | विशाखापट्टनम-चंपावती | नाथवलसा | 46.340 | 1295.02 | 1464.64 | 1419.85 | 577.08 | |
| 10. | 5 | बोम्मुरू-गुंडूगोलानू | तानुकू | 107.611 | 3281.19 | 3705.04 | 3900.47 | 1464.71 | |
| 11. | 5 | कावली-नेल्लौर | सुनमबट्टी | 60.963 | 2273.94 | 2415.85 | 2092.15 | | 22.11.11से |
| 12. | 5 | कावली - ओंगोल | टंगतूर | 72.059 | 3371.65 | 3493.57 | 2492.78 | | बीओटी को |
| 13. | 5 | ओंगोल-चिल्कालूरीपेट | बोलापल्ली | 67.664 | 2100.88 | 2412.33 | 1532.86 | | अंतरित |
| 14. | 5 | श्रीकाकुलम-चिल्कापलेम | चिलकापलेम | 48.000 | 1659.45 | 1807.77 | 1864.70 | 657.49 | |
| 15. | 7 | इस्लाम नगर - कटडल | रोलमामदा | 53.010 | | 1416.60 | 2770.90 | 1027.98 | |
| 16. | 7 | महाराष्ट्र/आं.प्र. सीमा-इस्लाम नगर | पीपलवाड़ा | 54.600 | | | | 417.50 | 09.05.12 को नया प्लाजा शुरू हुआ |
| 17. | 7 | देवधारी - केलापुर | केलापुर | 30.000 | | | | 213.24 | 30.04.12 को नया प्लाजा शुरू हुआ |
| 18. | 7 | कटडल - अरमूर | गमजाल | 30.900 | 856.46 | 1648.32 | 1777.88 | 655.72 | |
| 19. | 7 | कोथाकोटा बाइपास - करनूल | कि.मी. 200.95 (आं. प्र. 5) | 74.622 | 1158.31 | 4612.84 | 5012.73 | 1767.82 | |
| 20. | 7 | करनूल - करीदीकोंडा | अमाकथाडु | 84.000 | | 361.79 | 3074.56 | 1278.15 | |
| 21. | 7 | करीदीकोंडा - मरूर | कासेपल्ली | 79.000 | | 350.37 | 3086.80 | 1357.29 | |
| 22. | 7 | मरूर-आं. प्रा./कर्नाटक सीमा | मरूर | 88.164 | | 836.71 | 2133.38 | 864.36 | |
| 23. | 7 | अडलूर येल्लारेड्डी-गुंडला पोचमपल्ली | मनोहराबाद | 103.076 | 2362.76 | 2862.90 | 3290.41 | 1212.71 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **एसपीवी** | | | | | | | | | |
| 24 | एस आर | लायप्पा मंदिर का कांवेंट जंक्शन (वीपीसीपी) | | 12.000 | 498.90 | 540.12 | 672.23 | 255.68 | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 25. | 5 | टाडा - नेल्लौर | नेल्लौर, बुडानम और सल्लूरपेट | 110.517 | 7232.15 | 8519.79 | 10412.65 | 1850.05 | |
| 26. | 9 | नंदीगाम-विजयवाड़ा | किसारा | 48.000 | 2520.18 | 3101.09 | 3626.17 | 887.05 | |
| 27. | 5 | थोंडापल्ली-जेडचेरला | आं. प्र. 3 | 58.006 | 4196.94 | 5130.31 | 5887.51 | 1570.89 | |
| 28. | 5 | चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा | कजा | 83.000 | 5999.47 | 7675.47 | 8625.04 | 2167.18 | |
| 29. | 7 | जेडचेरेला-कोटाकट्टा | आं. प्र. 4 | 55.740 | 3136.21 | 3754.57 | 4371.72 | 1164.36 | |
| 30. | 5 | ओंगो-चिल्कालूरीपेट | बोलापल्ली | 70.945 | | | 1820.88 | 870.53 | 22.11.11 से शुरू |
| 31. | 5 | कावली-ओंगोल | टंगतूर | 69.000 | | | 2833.04 | 1441.74 | |
| 32. | 5 | कावली-नेल्लौर | सुनमबट्टी | 43.800 | | | 1673.44 | 844.23 | |
| | | जोड़ आं. प्र. | | | 55953.33 | 70906.25 | 90347.52 | 27861.90 | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | बारून - बाराचट्टी | साऊ कला | 100.000 | 3416.78 | 3635.84 | 2664.23 | 873.45 | |
| 2. | 2 | मोहनिया - बारून | सासाराम | 75.000 | 2509.05 | 2727.95 | 1331.73 | | 12.9.11को बीओटी को अंतरित |
| 3. | 57 | मुजफ्फरपुर - दरभंगा | मैथी | 69.50 | | | 481.57 | 444.40 | 3.11.11से शुरू |
| 4. | 57 | फोरबिसगंज - पूर्णिमा | हरियाबाड़ा | 79.21 | | | 269.05 | 123.08 | 21.07.11से शुरू |
| **पुल** | | | | | | | | | |
| 5 | 57 | गोसाघाट पुल | | | 83.27 | 50.39 | | | पुल बंद |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 6. | 2 | मोहनिया-बारून | मोहनिया | 42.600 | | | 2212.70 | 1143.24 | 12.09.11 |
| 7. | 2 | बारून-औरंगाबाद | सासाराम | 94.800 | | | 4467.11 | 2428.54 | से बीओटी शुरू |
| | | जोड़ बिहार | | 6009.10 | 6414.18 | 1142639 | 5012.71 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 8 | रतनपुर-हिम्मत नगर | वनटाडा | 54.820 | 886.00 | 1008.88 | 1277.16 | 513.49 | |
| 2. | 8 | हिम्मत नगर-चिलौधा | काठपुर | 52.000 | 1407.80 | 1501.43 | 1652.06 | 579.35 | |
| 3. | 8ए | समखियाली-गांधीधाम | समखियाली | 56.160 | 2491.27 | 1034.56 | | | बीओटी को अंतरित |
| 4. | 8बी | पोरबंदर-भिलाडी | वनना | 50.500 | 248.38 | 77.75 | | | ओएमटी1/ ओएमटी 2 |
| 5. | 15 | राधनपुर-आदेसर | वरही | 78.200 | 1314.22 | 89.24 | | | अंतरित |
| 6. | 14 | राधनपुर-पालनपुर | भिलाडी | 110.000 | 1437.31 | 96.95 | | | |
| 7. | 8बी | भिलाडी-जेतपुर | डुमियानी | 64.500 | 427.89 | 126.51 | | | |
| 8. | 15 | आदेसर-समखियाली | कि.मी. 226 पर मखेल | 64.300 | 1073.81 | 104.44 | | | |
| 9. | 8ए | बामनबोर-गारामोर | वघसिया | 71.937 | 332.04 | 723.48 | 1029.29 | 583.03 | |
| 10. | 14 | पालनपुर/खेमाना-आबू रोड | खेमाना | 45.000 | 1366.86 | 1778.14 | 1910.48 | 672.99 | |
| 11. | 8ए | गारामोर-समखियाली | सूरजीबाड़ी | 47.497 | | | 1870.98 | 1491.29 | नया प्लाजा को शुरू हुआ 16.10.11 |
| **ओएमटी** | | | | | | | | | |
| 11 | 14 और 15 | पालनपुर-समखियाली (EW) | वरही मखेल भिलाडी बेलगाम | 260.500 | | 5958.33 | 7095.83 | 2562.08 | 26.04. 2012 से ओएमटी पैकेट 1 |
| 12. | 8बी | पोरबंदर-भिलाडी, भिलाडी-जेतपुर | वनना डुमियानी | 115.050 | | 337.50 | 483.75 | 169.13 | 09.07. 2010 से ओएमटी पैकेज 2 |
| **एसपीवी** | | | | | | | | | |
| 13. | एनई-1 | एवी एक्सप्रसेवे चरण I | अहमदाबाद और औदा रिंग रोड | 43.400 | 2664.92 | 7585.05 | 13727.65 | 2444.01 | |
| 14. | एनई-1 | एवी एक्सप्रसेवे चरण II | नाडियाड, आनंद और वडोदरा | 49.902 | 3462.73 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 8 | अहमदाबाद वदोदरा | वसाड | 88.850 | 3086.01 | 3845.75 | 46.06.28 | 1680.04 | |
| 16. | 8 | वत्रक पुल | कि.मी. 42 पर | 8.750 | 164.74 | 146.10 | | | वसाड टोल में विलय |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 18. | 8ए | समखियाली-गांधीधाम | समखियाली | 56.160 | | 2635.91 | 6281.08 | | 1.10.10 को बीओटी संग्रहण प्राप्त |
| 19. | 8 | जेतपुर -गोंडल-राजकोट | राजकोट | 67.127 | 3111.43 | 3338.06 | 3823.69 | 1135.29 | |
| 20. | 8 | चलथान-वागलधारा | बोरियेक | 55.200 | 8126.65 | 8836.60 | 9272.90 | 2799.78 | |
| 21. | 8 | वागलधारा-कजली | भगवडा | 63.000 | 8182.33 | 9050.81 | 10583.20 | 2519.81 | |
| 22. | 8 | भरूच-सूरत | चोरियासी | 65.000 | 6623.04 | 13000.10 | 14284.58 | 1202.00 | |
| 23. | 8 | बदोदरा भरूच | भरथना | 83.300 | 13363.36 | 18963.00 | 21112.00 | 1776.00 | |
| | | जोड़ गुजरात | | | 59770.80 | 80238.58 | 99010.94 | 20528.29 | |
| **हरियाणा** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | बदरपुर - कोसी | श्रीनगर | 90.100 | 2131.66 | 2305.74 | 2658.40 | 948.63 | |
| 2. | 1 | पानीपत - अंबाला | कमल | 110.000 | 561.44 | 0.00 | | | बीओटी को अंतरित |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | पानीपत उत्थापित | सोनीपत | 10.000 | 3544.22 | 3739.25 | 5188.97 | 0.00 | पीआईयू से प्राप्त नहीं |
| 4. | 1 | पानीपत-अंबाला | कमल | 110.000 | 10195.48 | 13412.93 | 10090.63 | 2323.33 | |
| 5. | 2 | बदरपुर उत्थापित राजमार्ग | बदरपुर | 4.400 | | 1112.84 | 3259.61 | 562.27 | 19.11.10 से शुरू |
| 6. | 8 | दिल्ली - गुडगांव | गुडगांव | 27.700 | 15393.63 | 19351.17 | 21252.59 | 5328.97 | |
| | | जोड़ हरियाणा | | | 31826.43 | 39921.92 | 42450.20 | 9163.21 | |
| **झारखंड** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | बाराचट्टी - गौरहर | रसोया धमना | 80.000 | 2656.01 | 2790.08 | 2788.19 | 1109.39 | |
| 2. | 2 | बरवा अड्डा - पानागढ़ | गरूई | 116.486 | 2048.11 | 2033.36 | 1823.50 | 608.76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 2 | गौरहर - बरवा अड्डा | बसईजाम | 78.750 | | 636.30 | 1602.55 | 1189.55 | |
| | | जोड़ झारखंड | | | 4704.12 | 5459.75 | 6214.24 | 2907.70 | |
| **कर्नाटक** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 4 | बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा | कंगोली | 55.240 | 1760.87 | 2030.17 | 2125.54 | 766.23 | |
| 2. | 4 | हीरेबागवदी - हट्टारगी | हट्टारगी | 22.000 | 1994.35 | 2168.23 | 1057.82 | 301.43 | |
| 3. | 4 | हीरेबागवदी - धारवाड़ | हीरेबागवदी | 50.500 | 1516.13 | 1646.81 | 162.84 | | बीओटी को को अंतरित |
| 4. | 4 | अंतरासनहल्ली - तावराकेरी | करजीवनहल्ली | 0.000 | 3741.16 | 4222.32 | 859.59 | | |
| 5. | 4 | गब्बूर - देवगिरी | बंकापुर | 64.000 | 1960.38 | 1884.36 | 2211.67 | 794.60 | |
| 6. | 4 | तावरकेरे - डोड्डासिद्दनहल्ली | गैलालू | 0.000 | 3487.80 | 3824.06 | 796.09 | | |
| 7. | 7 | आं. प्रा./कर्नाटक सीमा -देवनहल्ली | कि.मी. 464.774 बागेपल्ली | 71.45 | 451.60 | 2202.90 | 2501.30 | 850.62 | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 8. | 7 | सिल्फ बोर्ड जंक्शन - होसुर | 32.700 (4 साइड प्लाजा) | 24.365 | | 5846.98 | 7306.41 | 1284.73 | |
| 9. | 4 | बंगलौर - नीलमंगला | बंगलौर - नीलमंगला | 19.565 | | 1021.71 | 37169.68 | 686.46 | |
| | 48 | नीलमंगला जंक्शन-देवनहल्ली | | 82.262 | | | | 8.79 | 23.06.12 में नया बीआटी प्लाजा शुरू |
| | 13 (नया रारा -50) | बीजापुर - हुंगुंड | नगरहल्ला जिला बागलकोट | 97.220 | | | | 0.00 | 2.5.12. में बीओटी प्लाजा शुरू |
| 10. | 4 | तुमकुर-नीलमंगला | चित्रदुर्ग | 32.500 | 3845.21 | 4432.20 | 5232.43 | 953.17 | |
| 11. | 4 | तावरकेरे-डोड्डासिद्दनहल्ली | गैलालू | 57.000 | | | 5910.24 | 1271.87 | 4.6.11 को बीओटी को अंतरित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 4 | अंतरासंनहल्ली-तावराकेरी करजीवनहल्ली | करजीवनहल्ली | 60.000 | | | | | |
| 13. | 4 | हीरेबागवदी-धारवाड़ | हीरेबागवदी | 79.360 | | | 2583.33 | 0.00 | प्राप्त नहीं |
| 14. | 7 | देवनहल्ली - बंगलौर | कि.मी. 538.000 पर<br>जोड़ कर्नाटक | 22.120 | <br>18757.50 | <br>29279.74 | 0.00<br>41081.03 | 19.49<br>8379.50 | 25.04.11 को शुरू |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 15. | 4 | सतारा-खंडाला | आनेवदी | 47.000 | 2002.53 | 952.07 | | | |
| 16. | 4 | पश्चिमी डायवर्जन | खेडशिवपुरम | 80.700 | 4049.20 | 2009.18 | | | |
| 17. | 6 | अमरावती बाइपास | अमरावती बाइपास | 17.500 | 508.32 | 540.87 | 636.22 | 188.49 | |
| **पुल** | | | | | | | | | |
| 18. | 7 | खूनी पुल | | | 114.66 | 127.14 | 154.55 | 39.25 | 30.04.12 को पुल बंद और नया केलापुर खंड शुरू |
| 19. | 7 | वगही नाला पुल | | | 192.39 | 197.43 | 218.19 | 54.70 | |
| **एसपीवी** | | | | | | | | | |
| 20. | 4 और 4बी | जवाहर लाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट | | 30.000 | 4293.80 | 4817.42 | 6723.35 | 2351.56 | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 21. | 4 | सतारा-कागल | तासवाडे और किनी | 132.760 | 6711.57 | 7803.12 | 7577.45 | 1306.95 | |
| 22. | 8 | मनोर-दहिसर | खानवाडे | 63.000 | 8630.12 | 9442.27 | 10583.20 | 2519.80 | |
| 23. | 6 | नागपुर-कोंधली | कि.मी. 20.612 | 39.841 | | | 1417.66 | 682.01 | |
| 24. | 6 | कोंधली-तालेगांव | अमरावती | 49.522 | 2532.85 | 3117.90 | 3017.75 | 714.87 | |
| 25. | 6 | छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वेनगंगा पुल | वेनगंगा पुल | 72.056 | | 1817.09 | 4452.00 | 742.29 | |
| 26. | 3 | म.प्र./महाराष्ट्र सीमा - धुले | कि.मी. 203.400 (शीरपुर) और कि.मी. 236.600 (सोंगीर) | 68.300 | | | 1183.00 | 1921.23 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | 3 | पिंपलगांव-धुले | नासिक | 99.000 | 2641.22 | 11936.83 | 14228.00 | 3809.90 | |
| 28. | 3 | वदापे-गोंडे | घोटी (बीके), अजुनाली | 94.770 | | 5120.64 | 9853.00 | 3115.91 | |
| 29. | 4 | सतारा-खंडाला | आनेवदी | 56.000 | | 2206.54 | 5754.28 | 1176.47 | |
| 30. | 4 | पश्चिमी डायवर्जन | खेडशिवपुरम | 80.70 | | 3774.26 | 8967.77 | 1837.40 | |
| 31. | 8 | कजली-मनोर | चरोती | 57.400 | 8438.05 | 9144.76 | 9652.47 | 2799.78 | |
| | | जोड़ महाराष्ट्र | | | 40114.71 | 63007.52 | 84408.89 | 23260.60 | |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 3 | आगरा-धौलपुर | बरेठा | 43.000 | 582.14 | 641.93 | 772.05 | 289.12 | |
| 2. | 3 | आगरा-ग्वालियर | चौंधा | 42.000 | 729.99 | 775.94 | 905.19 | 336.18 | |
| 3. | 25. | अमोला-झांसी बाइपास | कि.मी. 800.000 पर रक्सा | 60.000 | 389.73 | 658.54 | 307.67 | | |
| 4. | 76 और 25 | राज./म.प्र. सीमा-अमोला गांव | रामनगर | 68.000 | 79.20 | 99.42 | 27.09 | | |
| 5. | 26 | झांसी-लखनादेन | तीतरपानी | 46.261 | | | 55.90 | 302.57 | |
| 6. | 7 | लखनादोन-महागांव | अलोनिया | 56.93 | | | 576.62 | 522.57 | |
| **ओएमटी** | | | | | | | | | |
| 7. | 76 | गोदावरी नदी-राज./म.प्र. सीमा | | 67.492 | | | | | |
| | 76 और 25 | राज./मं.प्र. सीमा-अमोला गांव | रामनगर | 68.00 | | | 798.58 | 456.33 | |
| | 25. | अमोला-झांसी बाइपास | कि.मी. 80.000 पर रक्सा | 60.000 | | | | | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 8. | 3 | गुना बाइपास | | 14.000 | 1068.84 | 1357.74 | 1447.84 | 408.63 | |
| 9. | 3 | खालघाट-म.प्र./महाराष्ट्र सीमा | कि.मी. 141.85 | 82.800 | | | 7720.32 | 2116.14 | |
| 10. | 3 | इंदौर-खालघाट | | 77.550 | 3583.31 | 6717.29 | 8562.36 | 2333.04 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 3 | इंदौर-देवास | इंदौर बाइपास | 45.050 | | | 1883.79 | 923.42 | |
| | | जोड़ मध्य प्रदेश | | | 6433.21 | 10250.87 | 23097.43 | 7688.00 | |
| **ओडिशा** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 5 | भुवनेश्वर - कटक - जगतपुर | गोपालपुर/मुगंली | 70.00 | 2104.96 | 2978.44 | 2566.07 | | बीओटी को अंतरित |
| 2. | 5 | चेतियास - भद्रक | पानीखोली | 70.000 | 1945.70 | 27776.03 | 2550.07 | 898.08 | |
| 3. | 5 | सुनाखला - भुवनेश्वर | गंगापदा | 65.000 | 1468.53 | 1811.99 | 1518.11 | 592.84 | |
| 4. | 5 | भद्रक - बालासोर | शेरगढ़ | 62.641 | | | 411.39 | 787.25 | |
| 5. | 5ए | चांदीखोल - पारादीप | 4 कि.मी. श्रीरामपुर | 76.588 | 809.12 | 1746.89 | 1831.00 | 386.22 | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 6. | 5 | भुवनेश्वर-कटक-जगतपुर | गोपालपुर/ मंगुली | 70.000 | | | 2087.72 | 0.00 | प्राप्त नहीं |
| | | जोड़ ओडिशा | | | 6328.31 | 9313.35 | 10964.37 | 2664.38 | |
| **पंजाब** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 1 | खन्ना-जालंधर | दरोहा | 100.000 | 542.41 | 0.00 | | 2323.33 | |
| 2. | 1 | अंबाला- खन्ना | लाडोवाल | 66.000 | 238.18 | 0.00 | | 2323.33 | |
| 3. | 1 | अमृतसर-वाघा (कि.मी. 456.100 कि.मी. 492.030) | छिद्दन | 35.930 | | 181.18 | 294.83 | 47.97 | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 4. | 1 | खन्ना-जालंधर | लाडोवाल | 100.000 | 7041.51 | 8234.35 | 10558.47 | | |
| 5. | 1 | अंबाला-खन्ना | लाडोवाल | 66.000 | 3429.70 | 4092.68 | 6054.38 | | |
| 6. | 1 | जालंधर-अमृतसर | जालंधर - अमृतसर टोलवे | 49.000 | | 2053.47 | 2623.38 | 706.16 | |
| 7. | 1 | अंबाला-जीरकपुर | दपार | 33.011 | 1871.73 | 2157.60 | 2461.61 | 685.19 | |
| 8. | 22 | जीरकपुर-परवानू | चंडी मंदिर | 27.590 | | | | 452.15 | |
| 9. | 21. | कुराली - कीरतपुर | शोलाखियान | 42.900 | | | 1615.04 | 638.51 | |
| | | जोड़ पंजाब | | | 13123.53 | 16719.28 | 23607.70 | 7176.65 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्थान** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 8 | कोटपुतली-जयपुर बाइपास | मनोहरपुर | 57.500 | 30.83 | 0.00 | 0 | | |
| 2. | 8 | गुडगांव-कोटपुतली | शाहजहांपुर | 120.500 | 41.97 | 0.00 | 0 | | |
| 3. | 8 | जयपुर बाइपास चरण I और II | दौलतपुरा | 48.400 | 13.96 | 0.00 | 0 | | |
| 4. | 79 और 79ए | किशनगढ़ - भीलवाड़ा | कावालियस | 101.000 | 4614.17 | 4621.27 | 6210.63 | 2074.68 | |
| 5. | 79 | भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ | जोजरो का खेड़ा | 82.900 | 3894.15 | 4099.86 | 5178.14 | 1718.34 | |
| 6. | 76 | रिठोला - उदयपुर | नारायणपुरा | 99.170 | 1691.67 | 1969.08 | 2691.56 | 928.17 | |
| 7. | 8 | उदयपुर-खेरवाड़ा | पादुना | 70.000 | 2790.28 | 3009.28 | 3588.38 | 1211.68 | |
| 8. | 8 | खेरवाड़ा-रतनपुर | खंडी ओबरी | 40.180 | 1673.10 | 1728.51 | 1919.49 | 624.10 | |
| 9. | 76 | चित्तौड़गढ़-बिचूर | बस्सी | 53.000 | 644.41 | 738.26 | 306.27 | | |
| 10. | 76. | बिचूर-बिजोलिया | अरोली | 54.000 | 588.26 | 640.13 | 221.16 | | |
| 11. | 76 | बिजोलिया-खरीपुर | धनेश्वर | 53.500 | 624.98 | 704.02 | 263.63 | | |
| 12. | 76 | पिंडवाड़ा-जसवंतगढ़ | मालेरा | 57.000 | 174.27 | 241.29 | 82.79 | | |
| 13. | 76 | जसवंतगढ़-देबड़ी | जसवंतगढ़ | 47.724 | 64.30 | 390.03 | 152.94 | | |
| 14. | 76 | गोदावरी नदी-राज./म.प्र. सीमा | मुड़ियार | 67.492 | 80.67 | 124.96 | 59.99 | | |
| 15. | 76 | कोटा बाइपास-देरूमाता मंदिर | सिमलिया | 42.68. | 190.83 | 505.99 | 284.97 | | |
| 16. | 76 | देरूमाता मंदिर - गोदावरी नदी | फतेहपुर | 60.779 | 95.89 | 364.89 | 167.22 | | |
| 17. | 14 | आबू रोड-पिंडवाड़ा | उंदवरिया | 34.000 | 1518.92 | 2056.14 | 1869.12 | 464.51 | |
| 18. | 79 और 76 | चित्तौड़गढ़ बाइपास | रिठाला | 29.600 | 484.41 | 2636.58 | 3242.05 | 1165.21 | |
| **पुल** | | | | | | | | | |
| 19. | 8 | आरओबी किशनगढ़ | | | 422.01 | 409.95 | 446.20 | 113.42 | |
| **ओएमटी** | | | | | | | | | |
| 20. | 76 | चित्तौड़गढ़-बिचूर | बस्सी | 53.000 | | | | | |
| | 76 | बिचूर-बिजोलिया | अरोली | 54.000 | | | 1482.00 | 741.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 76 | बिजोलिया-खरीपुर | धनेश्वर | 53.500 | | | | | |
| 21. | 76 | कोटा बाइपास-देरूमाता मंदिर | सिमलिया | 42.68 | | | | | |
| | 76. | देरूमाता मंदिर-गोदावरी नदी | फतेहपुर | 60.779 | | | 536.25 | 330.00 | |
| 22. | 76 | पिंडवांड़ा-जसवंतगढ़ | मालेरा | 57.000 | | | 283.50 | 189.00 | |
| | 76. | जसवंतगढ़-देबड़ी | जसवंतगढ़ | 47.724 | | | 283.50 | 189.00 | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 23. | 8 | कोटपुतली-जयपुर बाइपास | मनोहरपुर | 57.500 | 9137.35 | 10541.33 | 11498.45 | 5809.91 | |
| 24. | 8 | गुड़गांव-कोटपुतली | शाहजहांपुर | 120.500 | 16104.39 | 19943.92 | 22258.49 | 2991.69 | |
| 25. | 8 | जयपुर बाइपास चरण Iऔर II | दौलतपुरा | 48.400 | 5831.32 | 6646.60 | 7618.61 | 2005.57 | |
| 26. | 8 | जयपुर-किशनगढ़ | | 90.385 | 17080.17 | 18863.36 | 22402.75 | 5853.32 | |
| 27. | 8 | जयपुर-महुआ | | 54.720 | 4114.21 | 5897.36 | 4736.49 | 2046.74 | |
| 28. | 11 | आगरा-भरतपुर | कि.मी. 30.300 कोरई | 44.500 | 938.83 | 1337.28 | 3484.96 | 512.11 | |
| 29. | 11 | भरतपुर-महुआ | | 57.000 | 2371.42 | 3082.93 | 1594.08 | 1075.88 | |
| | | जोड़ राजस्थान | | | 75216.77 | 90853.03 | 102580.12 | 29855.32 | |
| **तमिलनाडु** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 4 | कांचीपुरम-वालाझपेट | चेन्नासमुद्रम | 47.115 | 2440.32 | 2551.53 | 2961.00 | 1024.96 | |
| 2. | 7 | होसुर - कृष्णागिरी | कृष्णागिरी | 55.000 | 3550.17 | 3919.61 | 685.51 | | |
| 3. | 46 | कृष्णागिरी-अंबूर | अंबूर | 73.380 | 2024.24 | 2474.47 | 417.04 | | |
| 4. | 46 | अंबूर 7 वालाझपेट | पल्लीकोंडा | 78.201 | 2990.25 | 3610.28 | 599.05 | | |
| 5. | 4 | कांचीपुरम-चेन्नै | श्रीपेरूबंदर | 46.300 | 2653.85 | 3374.06 | 3510.00 | 1400.10 | |
| 6. | 45 | तांबारम-टिंडीवरम | परीनूर | 46.500 | 2316.74 | 2159.35 | 3060.00 | 980.23 | |
| 7. | 45 | तांबारम-टिंडीवरम | आथुर | 46.500 | 2071.12 | 2255.86 | 3330.37 | 888.11 | |
| 8. | 45 | चेन्नै बाइपास | चेन्नै बाइपास | 19.170 | 1467.79 | 1900.18 | 2250.00 | 967.24 | |
| 9. | 45बी | तोवरनकुरिची बाइपास मदुरै छोर तक | चित्तमपट्टी गांव | 63.890 | 26.91 | 1900.40 | 2375.41 | 1104.03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 45बी | त्रिची-तोवरनकुरिची | कि.मी. 21.020 (बूथाकुडी गांव) | 60.633 | | 1538.36 | 1652.95 | 1013.83 | |
| 11. | 7 | मदुरै-कन्याकुमारी | इतूरूवत्तम | 47.48 | | | 820.78 | 686.69 | |
| 12. | 7 | कोविलपट्टी - कायथर | सलाईपुधुर | 63.5 | | | 1081.32 | 549.09 | |
| 13. | 7 | तिरूनेलवेल्ली-पाननगुडी | नांगूनेरी | 54.975 | | | 2408.27 | 766.45 | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 14. | 7 | कृष्णागिरी-थोपुरघाट | | 69.400 | 6679.31 | 9158.75 | 11122.07 | 3090.55 | |
| 15. | 7 | ओमल्लूर - नामक्कल | | 49.425 | 1908.54 | 4240.46 | 5360.78 | 1531.36 | |
| 16. | 45 | टिंडीवनम - उलूडंरपेट | | 72.900 | 3718.49 | 6341.76 | 7231.17 | 2090.48 | |
| 17. | 7 | डिंडीगुल बाइपास-साम्यनेल्लौर | | 53.049 | 1450.86 | 3543.18 | 4204.28 | 408.63 | |
| 18. | 45 | उलुडंरपेट-पडलूर | | 93.894 | 3232.55 | 6681.22 | 8026.36 | 694.83 | |
| 19. | 45 | त्रिची-डिंडीगुल | पूनंबालापट्टी | 88.278 | | | 557.22 | 230.28 | 11.01.12 को शुरू |
| 20. | 66 | पुडुचेरी-टिंडीवनम | मोरत्तंडी | 38.608 | | | 341.09 | 189.43 | 13.12.11 को शुरू |
| 21. | 45 | पडलूर-त्रिची | कि.मी. 304.510 | 38.427 | | 2060.66 | 3065.30 | 247.22 | 06.05.10 को शुरू |
| 22. | 67 | तंजावूर-त्रिची | कि.मी. 120.900 | 48.480 | | | 2072.53 | 571.83 | 12.5.11 को शुरू |
| 23. | 45बी | मदुरै तूतीकोरीन | कि.मी. 143.583 कि.मी. 254.940 | 127.400 | | | 4060.45 | 469.83 | 02.07.11 को शुरू |
| 24. | 47 | सलेम - कुमारपलयम (टीएन 06) | कि.मी. 00.00- कि.मी. 53.525 | 53.525 | | 1991.94 | 3078.75 | 906.27 | |
| 25. | 47 | कुमारपलयम बाइपास-चेंगापल्ली | चेंगापल्ली | 48.510 | 1772.71 | 3341.28 | 3691.97 | 1017.24 | |
| 26. | 7 | नामक्कल-करूर | करूर | 41.370 | 894.63 | 1780.12 | 2296.81 | 657.42 | |
| 27. | 7 | करूर बाइपास-डिंडीगुल बाइपास | करूर | 77.725 | 961.69 | 2621.12 | 3023.92 | 1005.27 | |
| 28. | 5 | चेन्नै-टाडा | टाडा | 43.400 | 3302.12 | 3971.22 | 4904.07 | 1347.76 | |
| 29. | 7 | होसुर-कृष्णागिरी | कृष्णागिरी | 55.000 | | | 6549.63 | 1595.61 | 7.6.11 को बीओटी शुरू |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 46 | कृष्णागिरी-अंबूर | अंबूर | 73.380 | | | 3583.53 | 814.71 | 7.6.11 को बीओटी शुरू |
| 31. | 46 | अबूर-वालाझपेट | पल्लीकोंडा | 78.201 | | | 4912.98 | 1127.82 | 7.6.11 को बीओटी शुरू |
| 32. | 47 | त्रिशूर-अंगमाली - ईडापल्ली | पलियेक्करा | 64.940 | | | 826.64 | 1484.85 | 9.2.12 को नया प्लाजा शुरू हुआ |
| | | जोड़ तमिलनाडु | | | 43462.30 | 71415.80 | 104061.27 | 28889.11 | |
| **उत्तर प्रदेश** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | कोसी-आगरा | महुवन | 90.100 | 2118.13 | 2347.61 | 2750.07 | 981.35 | |
| 2. | 2 | रामपुर ताड़ीवान-कोखराज | कटोघन | 58.000 | 1454.09 | 1583.32 | 1804.31 | 671.33 | |
| 3. | 2 | सिकंदरा-भौंती | सिंकदरा | 61.000 | 1007.84 | 1082.13 | 1275.07 | 492.64 | |
| 4. | 2 | हंडिया-राजातालाब | लालानगर | 72.389 | 1873.58 | 1985.02 | 2144.02 | 819.00 | |
| 5 | 2 | वाराणसी - मोहनिया | वीआरएम बाइपास | 57.000 | 2857.63 | 3079.71 | 1331.32 | | बीओटी को अंतरित |
| 6. | 2 | इटावा - सिकंदरा | अनंतराम | 72.825 | 2106.21 | 2248.24 | 2763.37 | 971.86 | |
| 7. | 24 | गाजियाबाद - हापुड और हापुड़ | डासना | 32.245 | 976.35 | 1109.63 | 1262.64 | 330.39 | |
| 8. | 2 | शिकोहाबाद-इटावा | सेमरा अतिकाबाद | 72.940 | 1958.50 | 2181.29 | 2490.85 | 887.77 | |
| 9. | 2 | लखनऊ-कानपुर | नवाबगंज | 48.000 | 1834.27 | 2147.06 | 2995.79 | 1606.76 | |
| 10. | 25 | भौंती-फतेहपुर | पुरवामीर | 51.500 | 1835.33 | 2154.63 | 2692.63 | 1274.92 | |
| 11. | 2 | टुंडला - माखनपुर | टुंडला | 31.500 | 1219.75 | 1487.11 | 1768.55 | 836.84 | |
| 12. | 24. | गढ़मुक्तेश्वर - मुरादाबाद | जोया | 56.250 | | 1613.85 | 3629.79 | 1306.34 | |
| 13. | 26 | झांसी - ललितपुर | विगापेट | 49.305 | | | 12.22 | 219.90 | 19.3.12 को नया प्लाजा शुरू हुआ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 25 | झांसी-पूंच | सेमारी | 64.150 | | | 155.18 | 1222.03 | 10.3.12 को नया प्लाजा शुरू हुआ |
| **पुल** | | | | | | | | | |
| 15. | 2 | शास्त्री पुल | | | 242.36 | 63.41 | | | पुल बंद |
| 16 | 27 | नैनी में केबल आधारित पुल (5.4 कि.मी.) | | | 765.76 | 750.96 | 782.34 | 248.50 | |
| 17. | 24 | काली नदी पुल | | | 267.20 | 258.93 | 217.75 | 78.51 | |
| 18. | 24 | सीतापुर | | | | 80.06 | 168.12 | 58.88 | |
| 19. | 24 | शाहजहांपुर | | | | 93.14 | 175.63 | 61.47 | |
| 20. | 29 | बेसो पुल | | | | 48.23 | 85.12 | 31.49 | |
| 21. | 28सी | घाघराघाट पुल | | | 142.02 | 142.02 | 142.02 | 47.43 | |
| **एसपीवी** | | | | | | | | | |
| 22. | 24 | मुरादाबाद बाइपास | टीपी-I और टीपी-II | 18.220 | 1083.09 | 716.60 | | | एसपीवी बीओटी को अंतरित |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 23. | 2 | वाराणसी-मोहनिया | वीआरएम बाइपास | 55.000 | | | 3526.68 | 1593.26 | 12.09.11 से शुरू |
| 24. | 58 | मेरठ - मुजफ्फरनगर | कि.मी. 76.000 गांव सिवाया जिला | 57.000 | | | 5945.72 | 1261.04 | |
| 25. | 24 | लखनऊ-सीतापुर | कि.मी. 420 और कि.मी. 468 | 50.000 | | | 0.00 | 807.27 | 17.10.11 से शुरू |
| | | जोड़ उत्तर प्रदेश | | | 21742.10 | 25172.94 | 38119.15 | 15808.97 | |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | | | | | |
| **सार्वजनिक वित्तपोषित** | | | | | | | | | |
| 1. | 2 | बुदबुद-पलसित | पलसित | 62.000 | 3521.75 | 3936.11 | 4227.86 | 1490.36 | |
| 2. | 2 | पलसित-दनकुनी | दनकुनी | 63.749 | 3267.51 | 3732.26 | 4132.98 | 1463.76 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 60 | डांटन - खड़गपुर | रामपुर | 50.287 | 908.70 | 979.40 | 1003.74 | 350.83 | |
| 4. | 6 | कोलाघाट-खड़गपुर | देबरा/बारामुल्ला | 55.510 | 2475.11 | 2766.81 | 1750.49 | | 1.04.2012 से बीओटी को अंतरित |
| 5. | 6 | दनकुनी - कोलाघाट | जलधुलागोरी | 53.500 | 3644.48 | 4063.14 | 2357.54 | | |
| 6. | 60 | डांटन - बालासोर | संतोषपुर लक्ष्मणनाथ | 69.450 | 1015.14 | 1172.87 | 1083.66 | 353.21 | |
| 7. | 31 | पूर्णिमा-किशनगंज | सूरजपुर | 62.140 | | 58.43 | 0.00 | 422.60 | 30.5.12 से टोलिंग पुनः शुरू |
| 8. | 31 | सोनपुर - गोशपुकुर | पश्चिम मदाती | 28.30 | | | | 419.22 | 17.05.12 को नया प्लाजा शुरू |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 9. | 8 | विवेकानंद पुल | | 6.000 | 5468.64 | 6502.71 | 725.82 | 2009.05 | |
| 10. | 6 | धनकुनी - कोलाघाट (प्राप्त नहीं) | जलादुलागोरी | | | | | 0.00 | 01.04.12 |
| 11. | 6 | कोलाघाट-खड़गपुर (प्राप्त नहीं) | देबरा | | | | | 0.00 | शुरू संग्रहण प्राप्त नहीं |
| | | जोड़ पश्चिम बंगाल | | | 20301.33 | 23211.72 | 15282.10 | 6509.03 | |
| **केरल** | | | | | | | | | |
| **एसपीवी** | | | | | | | | | |
| 1. | 47 | ईडापल्ली-वीतिला-अरूर | कुंबालम | 16.450 | | | 630.02 | 224.64 | 11.6.11 से एसपीवी शुरू |
| | | जोड़ केरल | | | 0.00 | 0.00 | 630.02 | 224.64 | |
| **छत्तीसगढ़** | | | | | | | | | |
| **बीओटी** | | | | | | | | | |
| 1. | 6 | दुर्ग बाइपास | | 18.000 | 2512.30 | 2666.49 | 3301.29 | 924.85 | |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का कार्यान्वयन**

3590. **श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु निवेशित 11,000 करोड़ रु. से भी अधिक राशि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और कानून और व्यवस्था संबंधी समस्याओं, विशेषरूप से वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में, के कारण बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं के समाधान और सरकार की योजना के अनुरूप राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) तथापि, कुछ परियोजनाएं विभिन्न कारणों से विलंबित हुई हैं जैसे कि भूमि अधिग्रहण, जन-सुविधाओं के स्थानांतरण, पर्यावरण, वन स्वीकृतियां प्राप्त करने और रेलवे अनुमोदन में विलंब, ठेकेदारों का अल्प निष्पादन और कुछ राज्यों में कानून और व्यवस्था की समस्या आदि। बाधाओं को दूर करने और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति को त्वरित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं- पर्याप्त शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित मुख्य महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किया जाना, विशेष भूमि अधिग्रहण यूनिटें स्थापित किया जाना, जन-सुविधाओं के स्थानांतरण, भूमि अधिग्रहण के मुद्दों आदि से संबंधित बाधाओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों द्वारा मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समितियों का गठन किया जाना। इसके अलावा, सभी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा किए जाने के लिए मुख्यालय एवं फील्ड यूनिटों में उनका सघन अनुवीक्षण और आवधिक समीक्षा की जाती है।

*[हिन्दी]*

**कपास का उत्पादन**

3591. **श्रीमती भावना पाटील गवली:**
**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:**
**श्री शिकुमार उदासी:**
**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुमानित वैश्विक उत्पादन के अनुसार देश में कम उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) सरकार ने विभिन्न विकासशील देशों की तुलना में देश में कपास/सूत की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का सूती वस्त्र क्षेत्र हेतु नीति की समीक्षा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू निर्माताओं/निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा गारमेंट/हैंडलूम उद्योग सहित वस्त्र उद्योग को अधिक कपास उपलब्ध करवाने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) जी, नहीं। कपास सलाहकार बोर्ड (सीएबी) ने 23 अगस्त, 2012 को 2011-12 में 253 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया है। जो आज तक की फसल आकार कर सबसे अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। भारत में कपास का भंडार अनुमानतः 28 लाख गांठ है।

(ग) इस समय भारतीय कपास के मूल्य विश्व मूल्यों से अधिक हैं। वस्त्र मिलों ने विदेशों से सस्ती कपास आयात करना शुरू कर दिया है जिससे घरेलू मूल्य संतुलित होने की संभावना है।

(घ) से (च) सरकार की नीति वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त कच्ची सामग्री सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और निर्यात योग्य अधिशेष का निर्धारण घरेलू खपत आवश्यकताएं पूरी होने के बाद ही किया जाता है।

*[अनुवाद]*

**भर्ती केंद्र**

3592. **श्री निशिकांत दुबे:**
**श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में स्थापित भर्ती केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के विभिन्न क्षेत्रों में से केन्द्र/शाखा कार्यालय खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ओडिशा के बोलांगीर जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य-वार, विभिन्न राज्यों में जिसमें ग्रामीण/पिछड़े/जनजातीय क्षेत्र भी शामिल हैं, सशस्त्र सेनाओं में हुई भर्ती का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से झारखंड के ग्रामीण/पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों से युवक भर्ती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

*[हिन्दी]*

**हथकरघा क्षेत्र**

3593. **श्री राम सुन्दर दास:**
**श्री शिवकुमार उदासी:**
**श्री सुवेन्दु अधिकारी:**
**श्री तथागत सत्पथी:**
**श्री गोपीनाथ मुंडे:**
**श्री जगदानंद सिंह:**
**श्री कपिल मुनि करवारिया:**
**श्री खगेन दास:**
**श्री दिलीप सिंह जूदेव:**
**श्री अशोक तंवर:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ति हेतु हथकरघा क्षेत्र द्वारा किस प्रकार के वस्त्र का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन/निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ग) देश में बुनकरों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं का राज्य-वार क्या है और सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(घ) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार/पावरलूम और मिल सैक्टर से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहे क्षेत्र को सहायता देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का भारतीय हथकरघा और वस्त्र संस्थान स्थापित करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संस्थाएं कहां पर तथा किन मानदंडों के साथ स्थापित करने का विचार है; और

(छ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु कार्यान्वित प्रत्येक योजना को सफल बनाने और इस क्षेत्र के लिए अधिक रोजगार सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) हर प्रकार के वस्त्रों अर्थात् साड़ी, ड्रेस मैटिरियल, होम फर्निशिंग, धोती, लुंगी, तौलिया आदि में अधिकांशत: प्राकृतिक रेशों का प्रयोग किया जाता है।

(ख) भारत सरकार हथकरघा बनकारों की उत्पादकता और आय में सुधार करने के लिए समूचे देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्रों और 5 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से और उत्पाद विकास के लिए बुनकरों की प्रौद्योगिकी और कौशल उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विविधीकृत हथकरघा विकास योजना कार्यान्वित कर रही है। एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत नए करघे, डॉबी, जैकार्ड, सहायता उपकरण कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास, साझा सुविधा केन्द्र/रंगाई गृह स्थापित करने और कार्यस्थल आदि के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान की जाती है। देश से हथकरघा उत्पादों के निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार विपणन और निर्यात संवर्धन योजना, ड्यूटी ड्राबैक स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम, फोकस मार्किट स्कीम, विपणन विकास स्कीम और विपणन पहले स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य सरकार ने हाल के महीनों के दौरान बुनकर समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किए जाने की कोई सूचना नहीं दी है। कर्जदारी और गरीबी के कारण आन्ध्र प्रदेश ने आत्महत्या के कारण हुई 33 मौतों के मामलों की सूचना दी है। राज्य सरकार ने नैदानिक अध्ययन करके कदम उठाए हैं और प्रत्येक कलेक्टोरेट में सहायता केन्द्र स्थापित किए हैं। जिला मुख्यालय के सहायक निदेशक और उनका तंत्र परिवार के साथ संपर्क में रहता है और उचित सलाह प्रदान करता है तथा साहूकारों के दबाव से उन्हें मुक्त करने के लिए पैकेज तैयार करते हैं। ऐसे मामलों में सरकार की इस समय चल रही योजनाओं का लाभ देने के लिए भी उन्हें वरीयता दी जाती है।

(घ) हथकरघा क्षेत्र की कम उत्पादकता और उच्च श्रम घटक की विद्यमान अलाभप्रदता के कारण विद्युतकरघों और मिल क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के उद्देश्य से भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पांच योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहीं हैं। अर्थात (i) एकीकृत हथकरघा विकास योजना (ii) विपणन एवं निर्यात सवंर्धन योजना (iii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (iv) मिल गेट कीमत योजना एवं (v) विविधीकृत हथकरघा विकास योजना। इसके अलावा भारत सरकार ने दिसम्बर, 2011 में हथकरघा शीर्ष और सहकारी समितियों के दिनांक 31.3.2012 (संपूर्ण मूलधन और ब्याज का 25%) की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों को माफ करने के लिए हथकरघा बुनकरों के पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज; प्रति लाभार्थी 2.00 लाख रुपये तक ऋण प्रदान करने, ऋण गांरटी कवर और 4200 रुपये की मार्जिन राशि, कॉटन तथा सिल्क पर हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी प्रदान करने के लिए व्यापक पैकेज नामक योजनाओं की घोषणा की है।

(ङ) और (च) समूचे देश में पांच भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य क्षेत्र में कन्नूर (केरल) में एक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने का अनुमोदन किया गया है और मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में एक भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

(छ) भारत सरकार महाराष्ट्र राज्य सहित समूचे देश में बुनकर क्लस्टरों में विज्ञापन, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और जागरुकता शिविरों का आयोजन करके व्यापक प्रचार कर रही है। इसके अलावा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

*[अनुवाद]*

**परम्परागत शिल्प कार्य**

**3594. श्री मोहम्मद असरारुल हक:**
**डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:**
**श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:**
**श्री दानवे रावसाहेब पाटील:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लकड़ी पर नक्काशी जैसे परम्परागत शिल्प बिहार में बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में शिल्प संग्रहालय स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संग्रहालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने देश के कारीगरों के लिए क्षमता और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र (एनसीडीपीडी) और हथरकरघा हेतु निर्यात प्रोन्नयन परिषद (ईपीसीएच) को निदेश दिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के लक्ष्य, उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और उक्त योजना के तहत निजी क्षेत्र द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिए जा रहे अंशदान का ब्यौरा क्या है?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) लकड़ी पर नक्काशी जैसे परम्परागत शिल्प बिहार में बन्द होने के कगार पर हैं ऐसा कोई उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2011-12 के दौरान सरकार की डिज़ाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम के अंतर्गत अयोध्या में शिल्प संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग की एक इकाई मैसर्स अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रयोजनार्थ 50 लाख रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गई थी जिसमें से 25 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की जा चुकी है। परियोजना को पूरा करने का निर्दिष्ट समय तीन वर्ष का है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। राष्ट्रीय डिज़ाइन एवं उत्पाद विकास केन्द्र (एन सी डी पी डी) ने मानव एवं संसाधन विकास स्कीम (एच आर डी) के तहत् 3000 कारीगरों/पंजीकृत हस्तशिल्प निर्यातकों एवं उत्पादकों के लाभार्थ देशभर में क्षमता निर्माण के 150 कार्यक्रम कराने हेतु सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसकी वित्तीय विविक्षा 225.00 लाख रुपये हैं। एकीकृत कौशल विकास स्कीम के अंतर्गत, 10880 कारीगरों को प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतु हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को 9.32 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली परियोजना अनुमोदित कर दी गई है।

मानव एवं संसाधन विकास स्कीम (एचआरडी) के लक्ष्यों और मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं:- हस्तशिल्प कारीगरों के मौजूदा कौशल को उन्नत करने के साथ-साथ अनुपूरक कौशल को शामिल करने हेतु कारीगरों को शिल्प से संबंद्ध अन्य पाठ्यक्रमों की जानकारी/उनसे जुड़े होने का लाभ प्रदान करना; उभरते उद्यमियों का कार्यबल तैयार करना; अनुभवी डिज़ाइनरों की सेवाएं लेते हुए अनुकूलन पद्धतियों और नये डिज़ाइनों के प्रति जागरुकता बढ़ाना तथा कौशल प्राप्त एवं प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना आदि।

(छ) वर्ष 2012-13 के दौरान एचआरडी स्कीम के संघटकों में से एक के तहत् देश में खमता निर्माण हेतु 155 कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। चूंकि सरकार कार्यक्रमों को चलाने हेतु 100 प्रतिशत योगदान मुहैया कराती है अत: उक्त स्कीम के तहत् निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं है।

मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत, गुरु शिष्य परम्परा के माध्यम से प्रशिक्षण के संघटकों, प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण और नवीकृत डिज़ाइनों में प्रशिक्षण के अंतर्गत कारीगरों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है और वर्ष 2012-13 के लिए इस संबंध में क्रमश: 195, तथा 97 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार द्वारा मुहैया कराई गई 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता से स्कीम क्रियान्वित की जाती है।

चयनित शिल्प कलस्टरों के एकीकृत विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के तहत् इसके संघटकों में से एक में कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराने का प्रावधान है जिसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते है और आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किये जाते हैं। स्कीम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन आधार बढ़ाना और कारीगरों का कौशल उन्नत करना है। स्कीम सरकार द्वारा पूर्णतया निधिक है।

इसके अतिरिक्त, मेगा कलस्टर स्कीम के संघटकों में से एक के तहत् कारीगरों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से भी कारीगरों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है। परियोजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए श्रीनगर मेगा कलस्टर के लिए 10000 प्रशिक्षणार्थियों, मिर्जापुर-भदोही, मुराबादबाद और नरसापुर मेगा कलस्टरों प्रत्येक के लिए 20000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। स्कीम के तहत् प्रशिक्षण संघटक हेतु क्रियान्वयनकारी अभिकरणों का योगदान 10 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक है।

*[हिन्दी]*

## पोलिथिन के थैलों के उपयोग पर प्रतिबंध

**3595. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:**
**श्रीमती ज्योति धुर्वे:**
**डॉ.किरोड़ी लाल मीणा:**
**श्री नारनभाई कछाड़िया:**
**श्री नित्यानंद प्रधान:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पोलिथिन के थैलों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पोलिथिन थैलों के उपयोग को रोकने हेतु कोई जागरूकता अभियान चला रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पोलिथिन के निर्माण के बारे में कोई मानदंड नियत किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त मानदंडों के उल्लंघन के मामले में क्या दंडात्मक प्रावधान है; और

(छ) ऐसे कितने मामलों का पता चला है जिनमें उक्त मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंड दिया गया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन)** : (क) से (छ) देश में पोलिथिन थैलों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में प्लास्टिक कैरी बैगों के प्रयोग पर रोक/प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियाम, 2011 अधिसूचित किए हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को इन नियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए लिखा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विभिन्न पणधारियों हेतु, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सहित नगरीय ठोस अपशिष्ट से संबंधित प्रशिक्षण और जागरूकता और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्लास्टिक कैरी बैगों की न्यूतनम मोटाई 40 माइक्रोन होनी चाहिए, खाद्य पदार्थों को पुनर्चक्रित प्लास्टिक या कम्पोस्टेबल प्लास्टिक में पैक नहीं किया जा सकता है और उपभोक्ताओं को निःशुल्क कैरी बैग मुहैया नहीं कराएं जाएंगे। इन नियमों के अंतर्गत, पंजीकरण, विनिर्माण और पुनर्चक्रण से संबंधित उपबंधों को लागू करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियां जिम्मेदार हैं। नगरीय प्राधिकारी प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रयोग, एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन और निपटान से संबंधित उपबंधों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत, इन नियमों का उल्लंघन दण्डनीय है जिसके लिए पांच वर्ष तक की जेल हो सकती है तथा एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है अथवा उक्त दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को इन नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

*[अनुवाद]*

## पोर्टेबल ईपीएफ खाते

**3596. श्रीमती ज्योति दुर्वे:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाता संख्या को पोर्टेबल बनाने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि खातों का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या स्थाई खाता संख्या (पैन) या विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) के साथ जोड़ने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया था, क्योंझर (ओडिशा) कार्यालय को छोड़कर पूर्ण कर लिया गया है। खाते की सुवाह्यता, कम्प्यूटरीकरण के अगले चरण का एक भाग होगी। इस प्रयोजनार्थ कार्यनीति और संबंधित समय सीमा, इसे अंतिम रूप देते समय तय की जाएगी।

## बांस का वर्गीकरण

**3597. श्री सुरेश अंगड़ी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में बांस को गैर-इमारती लकड़ी वनोत्पाद बनाने के लिए इसे 'घास' के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ा) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) यह देश में जनजातियों/वनवासियों के लिए किस हद तक लाभकारी होगा?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) बांस को घास के रूप में घोषित करने अथवा वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्गीकी की दृष्टि से बांस घास परिवार से संबंधित है। अन्य घासो के विपरीत इसका तना लकड़ी का होता है और यह 20 से 40 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। बारहमासी घास होने के कारण परंपरागत रूप में बांस "गरीब आदमी की इमारती लकड़ी" के नाम से जाना जाता है और इसे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इमारती लकड़ी के रूप में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बांस को लघु वन उत्पाद

के रूप में पारिभाषित किया गया है, जिससे जनजातियों और अन्य वनवासियों को लाभ मिलेगा जिनको, इस अधिनियिम के अंतर्गत वन अधिकार दिए गए हैं।

**नियमित रूप से गाद न निकाला जाना**

**3598. श्री अधीर चौधरी:** क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियमित रूप से गाद नहीं निकाले जाने के कारण पोतों के लिए हुगली नदी के किनारे पर हल्दिया और कोलकाता पत्तनों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त पत्तनों पर पोत के मार्ग को साफ करने के लिए गाद निकालने के कार्य से हटाई गई मशीनों को पुन: लगाकर तत्काल कदम उठाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इन मशीनों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) और (ख) हुगली नदी में प्रतिकूल आकृति विज्ञान के बदलावों को देखते हुए, कोलकाता पत्तन के हल्दिया गोदी परिसर और कोलकाता गोदी परिसर को जाने वाले नौचालन जलमार्ग, को सतत रूप से उथले पानी और गाद का सामना करना पड़ता है, जिससे वर्षभर व्यापक रखरखाव ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है।

(ग) और (घ) भारातीय निष्कर्षण निगम, पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को कोलकाता पत्तन न्यास से उनके करार के अनुसार ड्रेजरों को अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।

*[हिन्दी]*

**रोजगार के अवसरों की कमी**

**3599. श्री घनश्याम अनुरागी:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगार और अर्द्ध-बेरोजगारी की भारी समस्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोजगार के अवसर की तलाश में अन्य राज्यों में गए हिन्दी भाषी बेरोजगार युवकों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षो का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसी हिंसा के शिकार हुए बेरोजगार लोगों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2009-10 के दौरान किया गया था। सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर सामान्य स्थिति आधार पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों सहित देश में बेरोजगारी दर 2.3 प्रतिशत थी। 2009-10 के दौरान सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार समस्त व्यक्तियों हेतु कामगार जनसंख्या अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (च) ऐसी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(छ) भारत सरकार सामान्य विकास प्रक्रिया तथा अतिलघु, एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमीय विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई); प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी); स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) जैसे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा लगातार प्रयास करती रही है।

### *विवरण*

*प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के अनुसार समस्त व्यक्तियों हेतु कामगार जनसंख्या अनुपात (प्रति 1000)*

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कामगार जनसंख्या 'अनुपात (प्रति हजार) 2009-10 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 476 |
| अरुणाचल प्रदेश | 383 |
| असम | 363 |
| बिहार | 280 |
| छत्तीसगढ़ | 280 |
| दिल्ली | 331 |
| गोवा | 337 |
| गुजरात | 424 |
| हरियाणा | 385 |
| हिमाचल प्रदेश | 499 |
| जम्मू और कश्मीर | 411 |
| झारखंड | 326 |
| कर्नाटक | 456 |
| केरल | 377 |
| मध्य प्रदेश | 403 |
| महाराष्ट्र | 443 |
| मणिपुर | 349 |
| मेघालय | 454 |
| मिजारम | 460 |
| नागालैंड | 380 |
| ओडिशा | 402 |
| पंजाब | 382 |
| राजस्थान | 409 |
| सिक्किम | 437 |
| लमिलनाडु | 448 |
| त्रिपुरा | 379 |
| उत्तराखंड | 407 |
| उत्तर प्रदेश | 335 |
| पश्चिम बंगाल | 386 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 399 |
| चंडीगढ़ | 342 |
| दादरा और नगर हवेली | 318 |
| दमन और दीव | 384 |
| लक्षद्वीप | 415 |
| पुदुचेरी | 414 |
| अखिल-भारत | 392 |

*[अनुवाद]*

### एनएच-47 और एनएच-47बी

**3600. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों विशेषकर एनएच-47 और एनएच-47बी को चौड़ा बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए निधियां स्वीकृत की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) तमिलनाडु में रारा-47 और रारा-47बी के 70.36 किमी. लंबाई के खंड के चौड़ीकरण के लिए

कुल अपेक्षित भूमि लगभग 426 हेक्टेयर है जिसमें 26 गांव शामिल हैं। 375 हैक्टेयर के संबंध में 3डी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के संबंध में अपेक्षित निधि, भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब भी एवार्ड पारित किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती है और न ही निधि का कोई अभाव है और न ही निधि जारी किए जाने में कोई विलंब किया जाता है।

*[हिन्दी]*

## जहरीली गैस का रिसाव

3601. **श्री लालजी टन्डन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में जहरीली गैसों के रिसाव की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या इन घटनाओं की कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ङ) राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में गैस-रिसाव की घटनाएं हुई हैं। गैस-रिसाव के मुख्य कारणों में पर्याप्त प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियों, आग का शीघ्र पता लगाने वाले स्मोक डिटेक्टर्स, आग-नियंत्रण और आग की रोकथाम की सुविधाओं का अभाव अथवा उनका काम न करना, अनियंत्रित रासायनिक क्रियाएं, वाष्पयुक्त बादल के फटने के अप्रत्यशित परिदृश्य आदि शामिल हैं। गैस रिसाव के ऐसे मामलों की जांच संबंधित विभागों और अभिकरणों द्वारा की जाती है।

फैक्टरी अधिनियम, 1948, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनिर्माण, भण्डारण, आयात और खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम, 1989 के उपबंधों का कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के श्रम विभागों की है। राज्य सरकारों के श्रम विभागों द्वारा श्रमिकों के लिए कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सुरक्षा जागरुकता अभियानों, विशेष सुरक्षा अभियानों, ऑन-साइट आपातकालीन योजना के कृत्रिम अभ्यासों आदि का आयोजन किया जाता है।

## नदियों का लुप्त होना

3602. **श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों के किनारों पर अतिक्रमण तथा उनमें गाद के कारण नदियां सिकुड़ रही हैं और उथली हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार नदियों के किनारे अनधिकृत निर्माण को ढहाने तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) नदी का बहाव और नदियों में गाद का जमाव नदियों के किनारों पर और बाढ़ वाले मैदानों में मानवजनित कार्यकलापों के अतिरिक्त, वर्षा की मात्रा, वनावरण के विस्तार, नदियों के तलों की मृदा की प्रकृति जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है।

(ग) से (ङ) अनधिकृत निर्माण को ढहाना और उन पर नज़र रखना, राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों में आता है और इनका निपटान संगत कानूनों के अनुसार किया जाता है। अपशिष्टों के निपटानों के निवारण के संबंध में केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे कार्य-कलापों को रोकने के लिए, कार्रवाई करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस बारे में शुरू किए गए कार्यक्रमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, वनीकरण, नदी तटाग्र विकास आदि शामिल हैं।

*[अनुवाद]*

## पारिस्थितिकी रूप से संवेदी क्षेत्र के रूप में राष्ट्रीय पार्क

3603. **श्री हरिन पाठक:**
**डॉ. किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी:**
**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को पारिस्थितिकी रूप से संवेदी क्षेत्र के रूप में घोषित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 2008 की रिपोर्ट में काजीरंगा से मानस वन्य जीव अभयारण्य को जोड़ने वाले वन गालियारे में सभी 'स्टोन क्रशर्स' को रोकने के लिए सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई तथा आज की तारीख तक क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाइयां मौजूद हैं; और

(घ) काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के 10 किमी. की परिधि में चल रही औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2010 में गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि काजीरंगा-कर्बी आंगलांग लैंडस्केप में पत्थर या मृदा उत्खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उक्त समिति की रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए असम राज्य सरकार को भेज दी गई है। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, माननीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में वन विभाग द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के 10 किमी. की परिधि में आने वाली 12 स्टोन क्रशर इकाइयों को बंद कर दिया गया है।

## सेना में सहायक

**3604. श्रीमती सुप्रिया सुले:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना में भारी संख्या में सैनिक 'सहायक' के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 'कैंटर' पर अनुमानित बोझ क्या है;

(ग) क्या सरकार 'सहायक' की प्रणाली को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) सेना में अफसर और जे.सी.ओ. युद्ध स्थापना में कार्यरत विरचनाओं में सेवा करते हुए अपनी हकदारी के अनुसार सहायकों के लिए प्राधिकृत हैं। ये सहायक वास्तव में योधी सैनिक हैं जो अपने पदानुक्रम में अपने रैंक के अनुरूप नियमित वेतन, भत्तों और अन्य लाभों के हकदार हैं।

(ग) और (घ) रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार सेना में सहायकों की व्यवस्था की समीक्षा शुरू की गई है।

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संबंधी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

**3605. श्री एल. राजगोपाल:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार, राज्य-वार और योजना/कार्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2006 में मंत्री की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी बैठकें हुईं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं जिनके लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता जारी की जाती है, के संबंध में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन वर्ष 2006 में किया गया था जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य शामिल हैं। इस समिति की अब तक उन्नीस बैठकें हुई हैं जिनमें 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में इन दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है।

## विवरण

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जारी की गई केन्द्रीय सहायता*

**राज्यः आंध्र प्रदेश**

| क्र.सं. | योजना | निम्नलिखित वर्षों के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 24048.40 | 23978.11 | 1182.31 | 57023.64 | 64360.00 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | - | 2171.50 | 880.000 | - |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 4476.42 | 5167.85 | 3668.49 | 14492.78 | 5159.59 |
| 4. | बालिका छात्रावास | - | 437.50 | - | 600.00 | - |
| 5. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 396.32 | - | - | - | - |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 310.49 | 787.56 | 878.79 | 642.99 | 402.76 |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 44.40 | 44.40 | - | 88.80 | 44.40 |
| **राज्यः असम** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 469.82 | - | 1015.00 | 504.99 | 1310.00 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्यिों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 2.94 | 92ए38 | 52.17 | - | 109.89 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 972.70 | 1089.04 | 249.22 | 662.97 | - |
| 4. | बालक छात्रावास | 32.55 | 46.20 | - | 75.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | बालक छात्रावास | 67.50 | 2.62 | - | - | - |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 9.50 | - | - | - | - |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 3.45 | - | - | 13.80 | 3.45 |
| **राज्य: बिहार** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | - | 2692.70 | 1000.00 | 3472.07 | 5714.75 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | - | - | 117.59 | 122.89 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 1268.76 | 4009.15 | 1916.86 | 4857.64 | 3384.39 |
| 4. | बालक छात्रावास | - | 340.00 | - | 631.40 | - |
| 5. | बालिका छात्रावास | - | 335.00 | - | - | 688.00 |
| 6. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 179.14 | - | - | - | - |
| 7. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 26.63 | 27.28 | 55.00 | 90.00 | 200.00 |
| 8. | योग्यता उन्नयन | - | - | - | 43.75 | 43.80 |
| **राज्य: छत्तीसगढ़** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 482.85 | 100.00 | - | 1207.79 | 4601.07 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 110.79 | 192.08 | 170.73 | 226.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 294.30 | 547.21 | 666.69 | - | 1025.78 |
| 4. | बालक छात्रावास | 212.12 | 72.65 | 33.75 | - | - |
| 5. | बालिका छात्रावास | 470.87 | 107.43 | - | - | - |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 53.27 | 40.75 | 40.64 | 108.59 | 51.42 |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 7.80 | - | - | 21.60 | 12.26 |
| **राज्यः गोवा** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | - | - | - | 18.05 | 6.26 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | - | 0.89 | 0.50 | 2.61 |
| 3. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और (अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 4.45 | 1.00 | 1.50 | 3.25 | 2.50 |
| **राज्यः गुजरात** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 240.36 | 1556.29 | 2741.34 | 5560.09 | 3599.08 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 262.71 | 2820.60 | 3639.00 | 3658.52 | 3142.04 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 111.40 | 959.52 | 932.86 | 1070.41 | 769.88 |
| 4. | बालक छात्रावास | 248.48 | - | - | | - |
| 5. | बालिका छात्रावास | 217.44 | - | - | - | - |
| 6. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | - | 192.16 | - | 192.16 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 120.65 | 217.46 | 186.09 | 303.31 | 510.67 |
| 8. | योग्यता उन्नयन | 7.09 | 2.99 | 0.60 | – | 18.60 |
| **राज्यः हरियाणा** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 494.93 | 369.52 | 6962.57 | 3600.00 | 13702.47 |
| 2. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 1443.53 | 1213.48 | 1350.53 | 1431.17 | 1671.44 |
| 3. | बालक छात्रावास | 3.85 | – | 2.98 | 90.00 | – |
| 4. | बालिका छात्रावास | – | 187.58 | 187.57 | 365.00 | – |
| 5. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 158.53 | – | 83.00 | 383.56 | 1 |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 97.83 | 59.93 | 19.59 | 136.18 | 240.25 |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 9.93 | 4.80 | – | 3.75 | 13.20 |
| **राज्यः हिमाचल प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 78.84 | – | – | – | 500.00 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | – | – | – | – | 6.86 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 1035.64 | 517.08 | 498.20 | 660.21 | 817.11 |
| 4. | बालक छात्रावास | – | – | – | 108.10 | – |
| 5. | बालिका छात्रावास | – | – | – | 496.40 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 120.10 | 194.08 | 200.00 | 240.04 | 201.77 |
| 7. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 132ए56 | 10.45 | 54ए80 | 29.00 | 59.41 |
| **राज्यः जम्मू और कश्मीर** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 4660.00 | 378.47 | 150.00 | 100.00 | 359.05 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 15.05 | 24.59 | - | - |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 161.61 | 230.48 | 173.22 | 290.75 | - |
| 4. | बालक छात्रावास | 29.50 | - | - | - | - |
| 5. | बालिका छात्रावास | 131.50 | - | - | - | - |
| 6. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | - | - | - | - | 96.77 |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 3.00 | 3.00 | - | - | - |
| **राज्यः झारखंड** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 35.32 | - | 514.74 | 100.00 | 1045ए93 |
| 2. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | - | 574.94 | - | - | 932.03 |
| 3. | बालक छात्रावास | 211.08 | 83.16 | - | - | - |
| 4. | बालिका छात्रावास | 40.33 | 139.15 | - | 45.00 | - |
| 5. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | - | - | 39.54 | - | - |
| 6. | योग्यता उन्नयन | 11.40 | 7.00 | | 7.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राज्यः कर्नाटक** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 7020.59 | 3267.91 | 11819.35 | 15718.32 | 11224.99 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | – | | | | 87.91 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 2723.09 | 3605.30 | 2464.41 | 2994.35 | 4144.44 |
| 4. | बालक छात्रावास | 362.50 | 167.50 | – | – | – |
| 5. | बालिका छात्रावास | 237.50 | 177.50 | 202.40 | – | – |
| 6. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 400.00 | 252.29 | 600.00 | – | – |
| 7. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 664.37 | 670.38 | 967.18 | 674.36 | |
| 8. | योग्यता उन्नयन | – | 28.20 | 28.20 | 16.20 | 17.70 |
| **राज्यः केरल** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 4072.44 | 8132.43 | 3200.00 | 2400.00 | – |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | – | – | 6.11 | 15.00 | 3.00 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 312.72 | 813.12 | 763.24 | 881.21 | 1130.30 |
| 4. | बालक छात्रावास | – | 110.34 | 54.75 | 60.00 | – |
| 5. | बालिका छात्रावास | – | – | – | 340.00 | 200.00 |
| 6. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 176.30 | 559.00 | 615.00 | | 539.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 98.90 | 136.16 | 361.81 | | 473.11 |
| 8. | योग्यता उन्नयन | 4.95 | - | - | 4.77 | 3.85 |
| **राज्यः मध्य प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 695.98 | 1699.21 | 3653.86 | 6721.19 | 15311.66 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 296.41 | 232.59 | - | 318.34 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 3822.66 | 4806.42 | 3653.47 | 4608.72 | 4371.16 |
| 4. | बालक छात्रावास | 173.82 | 211.54 | 180.70 | 168.60 | - |
| 5. | बालिका छात्रावास | 347.64 | 1355.14 | 250.00 | 342.00 | - |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 856.10 | 574.7.5 | 1107.11 | 1869.09 | 2886.35 |
| 7. | योग्यता उन्नयन | | | 153.76 | 3.72 | 58.80 |
| **राज्यः महाराष्ट्र** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 15953.63 | 1000.00 | 13400.00 | 28161.01 | 45339.90 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 691.12 | - | - | 794.99 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 3398.55 | 4222.80 | 2880.66 | - | 1977.98 |
| 4. | बालक छात्रावास | - | - | - | 567.00 | 1870.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | बालिका छात्रावास | – | – | – | 717.10 | 2427.00 |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 397.31 | 274.98 | 1197.43 | 869.79 | 681.36 |
| **राज्यः** | **मणिपुर** | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 139.95 | 163.76 | 185.70 | 100.00 | 397.98 |
| 2. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | – | – | – | 29.11 | 15.07 |
| **राज्यः** | **मेघालय** | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | – | | – | – | 14.30 |
| 2. | बालक छात्रावास | 57.44 | – | – | – | – |
| **राज्यः** | **नागालैंड** | | | | | |
| 1. | योग्यता उन्नयन | – | – | – | – | 12.00 |
| **राज्यः** | **ओडिशा** | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | – | 500.00 | – | 2697.51 | 3974.64 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | – | 35.72 | – | – | 48.14 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 2453.49 | 2832.14 | 2209.99 | 1261.37 | 2508.97 |
| 4. | बालक छात्रावास | 91.56 | 755.93 | – | – | – |
| 5. | बालिका छात्रावास | 1419.60 | 1914.89 | – | – | – |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 49.74 | 60.00 | 69.58 | 645.58 | 254.22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राज्यः पंजाब** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 539.81 | 200.00 | - | 5814.58 | 5095.92 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | - | - | 112.07 | 34.00 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 375.85 | 1004.07 | 1075.88 | 1362.33 | - |
| 4. | बालक छात्रावास | - | - | - | - | 90.00 |
| 5. | बालिका छात्रावास | - | 113.25 | - | - | - |
| 6. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 336.00 | 240.00 | - | 197.06 | 444.25 |
| 7. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 60.00 | 51.00 | 76.35 | 114.70 | 152.68 |
| **राज्यः राजस्थान** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 3204.42 | 10340.11 | 5397.72 | 3900.00 | 2982.32 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 1042.42 | 598.95 | 568.76 | 1354.41 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 3988.14 | 3331.86 | 3460.63 | 4301.05 | 3743.48 |
| 4. | बालक छात्रावास | 986.80 | - | 191.00 | 384.00 | 111.00 |
| 5. | बालिका छात्रावास | 21.48 | 339.75 | 1706.75 | 584.00 | - |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 279.34 | 157.90 | 175.61 | 175.40 | 198.30 |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 8.43 | 9.76 | 8.44 | 6.86 | 6.86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **राज्यः सिक्किम** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | - | 3.44 | 1.00 | 16.56 | 31.91 |
| 2. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 52.40 | 40.06 | 22.60 | 82.84 | 56.02 |
| 3. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 200.00 | - | - | - | - |
| 4. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 1.90 | 5.95 | 8.18 | 6.40 | |
| 5. | योग्यता उन्नयन | 2.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| **राज्यः तमिलनाडु** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 6978.05 | 500.00 | 5369.97 | 17847.60 | 14338.38 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 41.40 | 678.08 | 971.88 | 236.00 | 55.89 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 4897.99 | 6002.81 | 4605.30 | 6786.56 | 8404.64 |
| 4. | बालक छात्रावास | 516.34 | 297.33 | - | - | -1 |
| 5. | बालिका छात्रावास | - | 256.25 | - | - | -1 |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 35.00 | 235.14 | 612.15 | 176.77 | 494.67 |
| **राज्यः त्रिपुरा** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 180.56 | 410.98 | 410.16 | 498.25 | 1171.82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 86.02 | 47.83 | 41.70 | 42.26 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 424.90 | 311.42 | 355.58 | 460.21 | 464.25 |
| 4. | बालिका छात्रावास | - | 27.52 | - | - | - |
| 5. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | | 0.50 | 0.60 | | 0.75 |
| 6. | योग्यता उन्नयन | 3.00 | - | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| **राज्यः उत्तर प्रदेश** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 22313.71 | 4916.98 | 19967.13 | 49804.19 | 50537.24 |
| 2. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 11023.37 | 14351.57 | 10420.82 | 16621.42 | 17484.48 |
| 3. | बालक छात्रावास | 751.97 | 447.25 | 157.05 | 294.00 | 99.00 |
| | बालिका छात्रावास | - | 697.20 | - | 688.10 | - |
| 5. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | - | 400.00 | - | 987.18 | 718.21 |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 553.93 | 931.29 | 904.36 | 960.98 | 435.30 |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 10.00 | 37.90 | - | 73.18 | 6.56 |
| **राज्यः उत्तराखंड** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | - | 1089.36 | 789.70 | 2155.15 | 3376.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 2.86 | 14.72 | 1.55 | 1.00 | - |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 594.24 | - | - | 621.41 | - |
| 4. | बालक छात्रावास | - | 41.39 | - | - | - |
| 5. | बालिका छात्रावास | - | 101.25 | 89.29 | - | - |
| 6. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 4.53 | 5.77 | | | |
| 7. | योग्यता उन्नयन | 3.00 | 2.55 | - | - | 10.46 |
| **राज्यः पश्चिम बंगाल** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 358.25 | 3250.23 | 3835.67 | 2200.00 | 20738.22 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 41.73 | 26.27 | 39.90 | 15.68 |
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 5158.23 | 4503.80 | 4502.75 | 5230.75 | 7578.93 |
| 4. | बालक छात्रावास | - | - | - | 950.00 | 590.00 |
| 5. | बालिका छात्रावास | 94.12 | 670.50 | - | 204.40 | 517.00 |
| 6. | योग्यता उन्नयन | - | 31.40 | - | - | 32.80 |
| **संघ राज्य क्षेत्रः अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह** | | | | | | |
| 1. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | - | - | - | 5.49 | - |
| **संघ राज्य क्षेत्रः चंडीगढ़** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 25.00 | 25.00 | 18.75 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता | 33.61 | 62.47 | - | - | - |
| 3. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | | 3.00 | | 15.00 | 20.00 |
| **संघ राज्य क्षेत्रः दादरा और नगर हवेली** | | | | | | |
| 1. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 96.05 | 2.66 | 59.23 | 60.00 | 56.52 |
| **संघ राज्य क्षेत्रः दमन और दीव** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 0.33 | - | - | - | 15.01 |
| 2. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 3.89 | 4.57 | | 8.94 | 3.00 |
| **राज्यः दिल्ली** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | - | - | - | - | 979.40 |
| 2. | बालिका छात्रावास | 2.00 | - | - | 9.00 | - |
| 3. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 9.21 | | | | |
| **संघ राज्य क्षेत्रः पुदुचेरी** | | | | | | |
| 1. | अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 200.00 | - | 7.71 | 100.00 | 405.60 |
| 2. | "अस्वच्छ" व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | - | 2.24 | - | 6.00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 125.00 | – | – | 20.31 | – |
| 4. | बालक छात्रावास | – | – | 100.00 | 100.00 | – |
| 5. | सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन | 40.79 | 50.00 | 50.00 | 87.08 | 80.50 |

## 'गंगा की सफाई'

**3606. श्री इन्दर सिंह नामधारी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी, हां। यह उल्लेख करते हुए कि गंगा नदी का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों से विशिष्ट महत्व है, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए, भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है।

(ख) एनजीआरबीए का उद्देश्य व्यापक आयोजना और प्रबंधन के लिए नदी बेसिन एप्रोच अपनाते हुए गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और गंगा नदी का संरक्षण सुनिश्चित करना है। गंगा को प्रदूषण रहित बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों/कदमों में (क) परियोजनाओं को नए दिशा-निर्देश सेट के अनुसार तैयार और कार्यान्वित करना; (ख) 15 वर्षो के प्रचालन और रख-रखाव की गारंटी के लिए रुपरेखा, निर्माण और प्रचालन (डीबीबो) माडल पर परियोजनाएं; (ग) अल्पतम जीवनचक्र लागत पर आधारित प्रौद्योगिकी चयन: (घ) स्टेकहोल्डर परामर्श; (ङ) डीपीआर का स्वतंत्र मूल्यांकन; (च) जेएनएनयूआरएम जैसी अन्य परियोजनाओं के साथ समन्वय; (छ) स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई); (ज) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो का संस्थागत सुदृढ़ीकरण; (झ) केन्द्र, राज्यों और यूएलबी के मध्य त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए); (ञ) उपचारित अपशिष्ट जल का अधिकतम पुनरुपयोग; और (ट) उपचारित बहिस्राव और नदी जल गुणवत्ता की नियमित मॉनीटरिंग।

## सैनिकों द्वारा हथियारों की अवैध बिक्री

**3607. श्री मनीष तिवारी:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर में तैनात सेना की यूनिटों में विभिन्न प्रकार के हथियारों की बिक्री/खरीद के 104 मामले पाए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हथियारों के अवैध व्यापार के इसी तरह के मामले राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सामने आए हैं;

(ग) इस तरह के अंतर्भूत संव्यवहार की कार्यविधि क्या है;

(घ) क्या ये कार्यरत या सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जिन्होंने अपने हथियार अवैध रूप से बेच दिए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1 अप्रैल, 2002 से 1 अप्रैल, 2012 तक पिछले दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पता लगाए गए ऐसे मामलों की संख्या क्या है; और

(च) ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जानकारी की कमी के कारण सूचना की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(ख) से (च) सेना अधिनियम/विशेष सेना आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सेना अधिकारियों और जे.सी.ओ. द्वारा गैर-मानक पैटर्न के हथियार बेचे जाने संबंधी एक मामला प्रकाश में आया है। सेना ने इस मामले की जांच अदालत के जरिए जांच कराई है, जिसने 74 सेना अधिकारियों को दोषी पाया है। 74 अधिकारियों में से 64 अधिकारी सेवारत है और 10 अधिकारी सेवा-निवृत्त हैं। सेना ने 63 अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की है। इसके अलावा, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए गैर-सेवा पैटर्न के हथियारों के निपटान संबंधी मानक प्रचालन प्रक्रिया को संशोधित किया गया है।

**'कोयला खनन के लिए वनों का विनाश'**

**3608. श्री बंस गोपाल चौधरी:**
**श्री अनूप कुमार साहा:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महान, मध्य प्रदेश के जंगलों में कोयले के खनन की अस्थाई अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका विपरीत प्रभाव वन्यजीव गलियारे, बाघ संरक्षित क्षेत्र और वन निर्भर रहने वाले लोगों की आजीविका पर पड़ेगा।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित महान कोयला ब्लाक में कोयले के खनन के लिए मैसर्स महान कोल लिमिटेड, सिंगरौली के पक्ष में 1182.351 हे. वन भूमि के विपथन हेतु वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पूर्वानुमोदन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव को अब तक अनुमोदन प्रदान नहीं किया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर, भाग (ग) से (ङ) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

**नि:शक्तता अधिनियम का क्रियान्वयन**

**3609. डॉ. शशी थरूर:**
**प्रो. रंजन प्रसाद यादव:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्तता संबंधी भारतीय कानून में नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के उपबंध, जिसे भारत के मानसिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के संबंध में विशेषरूप से परिवर्तन किया है, को समझौते या अपने कानून में शामिल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्मेलन के अनुरूप कानून लाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) से (ग) मौजूदा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 की जगह पर विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीआरपीडी) के अनुरूप एक नवीन विधान का मसौदा तैयार करने के लिए विकलांगता क्षेत्र के विशेषज्ञों, विभिन्न हितधारियों, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की सदस्यता वाली एक समिति का गठन 30.04.2010 को किया गया था। इस समिति ने, अन्य बातों के साथ, विकलांगजन संगठनों, विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसाइटी संगठनों सहित विभिन्न हितधारियों के साथ 24 राज्य स्तरीय परामर्श बैठकें की हैं। कानून विशेषज्ञों के साथ अलग से परामर्श भी किया गया है। समिति ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2011 नामक मसौदा विधान सहित अपनी रिपोर्ट 30.06.2011 को प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।

**'वनों का सीमा-निर्धारण'**

**3610. श्री पी. लिंगम:**
**श्री गुरूदास दासगुप्त:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्धारित मानदण्डों के आधार पर वनों को निषिद्ध क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण के लिए उसके सीमा निर्धारण का सुझाव देने हेतु गठित पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) देश में वन और वन्यजीव संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुराने वन क्षेत्रों, जहां खनन कार्यकलाप से कभी पूरा न की जा सकने वाली क्षति हो सकती है, तथा ऐसे अन्य वन क्षेत्रों जिन्हें संरक्षित और सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, को अभिज्ञात करने हेतु उद्देश्य मानदण्ड तैयार करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सचिव, पर्यावरण एवं वन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि वन के एक खंड को छः मानदण्डों नामशः वनावरण, वन प्रकार, जैवीय समृद्धता, वन्यजीव महत्व, भू-दृश्य सुव्यवस्थता और जलीय उपयोगिता के आधार पर अनातिक्रान्त खंड के रूप में वर्गीकृत किया जाए।

*[हिन्दी]*

## मुसलमान और ईसाई बने लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा

**3611. योगी आदित्यनाथ:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से मूलतः हिन्दू से ईसाई और मुसलमानों बने लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के दर्जे में शामिल किए जाने के लिए क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) और (ख) ईसाई तथा इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने वाले व्यक्तियों, जो मूल रूप से उस जाति से संबंधित है जो अब अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करने के लिए कुल राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से मांगे/अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) ईसाई तथा इस्लाम धर्म में परिवर्तित होने वाले व्यक्तियों, जो मूल से उस जाति से संबंधित हैं जो अब अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट हैं, को अनुसूचित जातियों का दर्जा प्रदान करने की अपील करते हुए कई रिट याचिकाएं उच्चतम न्यायालय में दायर की गई हैं। यह मामला निर्णयाधीन है।

## 'कार्बनडाई-ऑक्साइड का उत्सर्जन'

**3612. श्री रमाशंकर राजभरः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कार्बन उत्सर्जन में तीसर सबसे बड़ा देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जो प्रतिशत में सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं;

(ग) भारत में आर्थिक विकास कार्बन के उत्सर्जन के लिए किस हद तक उत्तरदायी है; और

(घ) कार्बन कटौती को प्रभावी बनाने और आर्थिक विकास के साथ संतुलन बनाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वे देश जिनका प्रतिशतता के संबंध में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में वृहत्तर योगदान है, वे चीन 19.5%, संयुक्त राज्य अमेरिका - 19.2% भारत-5.3% रूस-5.1% जापान-3.6% और जर्मन-2.6% है।

(ग) जैसे-जैसे भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, वैसे-वैसे ही उत्सर्जन में वृद्धि सुनिश्चित रूप से होती है। परन्तु उत्सर्जन की वृद्धि दर सामान्य रहेगी जैसी कि सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन मात्रा में कमी में दर्शाया गया है। मई, 2010 में जारी भारतीय जलवायु परिवर्तन आकलन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार देश के जीएचजी उत्सर्जन में वर्ष 1994 में 1228 मिलियन टन कार्बन-डाईआक्साइड (एमटीसीओ$_2$) के बराबर उत्सर्जन की तुलना में वर्ष 2007 में 1727 एमटीसीओ$_2$ के बराबर उत्सर्जन वृद्धि हुई।

(घ) भारत, क्योटो नयाचार के अंतर्गत उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। तथापि, भारत सरकार स्वैच्छिक रूप से जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने दिनांक 30 जून, 2008 को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी की है जोकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की कार्यनीति की रूपरेखा दर्शाती है। आठ राष्ट्रीय मिशनों में से दो मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन और राष्ट्रीय संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता मिशन हैं जो उत्सर्जन के उपशमन से संबंधित हैं तथा जिनमें सौर ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा संरक्षण के लक्ष्य वाले कारगर कार्यक्रम शामिल हैं। ऊर्जा दक्षता मिशन में निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार स्कीम के तहत ऊर्जा दक्षता प्राप्त करने के लिए मानदण्ड स्थापित करना परिकल्पित है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एनटिटिस क्योटो नयाचार के स्वच्छ प्रौद्योगिकी तंत्र (सीडीएम) में भागीदारी करती हैं, जिससे उत्सर्जन कम करने में सहायता मिलती है। इन पहलों का कार्बन उत्सर्जन कम करने पर प्रभाव पड़ा है।

इसके अतिरिकत, योजना आयोग ने धीमी कार्बन सतत वृद्धि की कार्यनीति तैयार करने के लिए 25 सदस्यी विशेषज्ञ समूह गठित किया है। विशेषज्ञ पैनल ने विद्युत, परिवहन, भवन, उद्योग और वानिकी जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों में जीएचजी उस्सर्जन की मात्रा कम करने के विकल्पों को लेते हुए मई, 2011 में एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार की है।

*[अनुवाद]*

## आशिर्वादम दलितों को वित्तीय सहायता

**3613. श्री मधु गौड यास्खी:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आशिर्वादम दलितों की बस्तियों से जल की आपूर्ति हटाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेकेदारों ने दलितों के क्षेत्रों में काम करने से मना कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत व्यक्तियों सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक अपराधों का विषय गृह मंत्रालय को आवंटित हैं। उस मंत्रालय ने बताया है कि इस संबंध में किसी विशेष शिकायत की जानकारी उन्हें नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग

**3614. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बिहार में राजमार्गों के निर्माण के लिए परियोजनाएं शुरू करने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बिहार राज्य में 20 किमी प्रतिदिन सड़क बनाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना और गैर-योजना मदों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के स्तरोन्नयन के लिए बिहार राज्य सरकार से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी निधि स्वीकृत/आबंटित की गई;

(च) क्या जारी राशि का उपयोग बिहार सरकार द्वारा कर लिया गया है तथा प्रत्येक परियोजना की निगरानी के लिए सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी हां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्क प्रोग्राम में शामिल परियोजनाओं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है, के अलावा, विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 26.10 किमी लंबाई में सुधार कार्यों को चालू वित्त वर्ष के दौरान सौंपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) जी नहीं। 20 किमी प्रतिदिनि सम्पूर्ण देश के लिए औसत लक्ष्य है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) परियोजना वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है। गत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान योजना तथा गैर योजना शीर्षों के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों का आबंटन तथा व्यय सहित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

### *विवरण I*

*बिहार राज्य में सौंपे जाने हेतु वर्क प्रोग्राम 2012-13 में शामिल परियोजनाएं*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | रारा सं. | किमी में लंबाई |
|---|---|---|---|
| 1. | पटना-गया-डोभी खंड को चार-लेन का बनाया जाना | 83 | 127 |
| 2. | छपरा-रीवाघाट-मुजफ्फरपुर खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो-लेन का बनाया जाना | 102 | 75 |
| 3. | बिहारशरीफ-बरभीघा-मोकामा खंड को पेव्ड शोल्डर सहित दो-लेन का बनाया जाना | 82 | 52 |
| | जोड़ | | 254 |

### *विवरण II*

*गत तीन वर्षो और चालू वर्षो के दौरान योजना तथा गैर योजना शीर्षो के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों और इस मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत प्रस्तावों का आबंटन तथा व्यय सहित ब्यौरा:*

| वर्ष | प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | | संस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या | | संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| 2009-10 | 19 | 4 | 19 | 4 | 210.00 | 29.37 |
| 2010-11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 223.25 | 64.38 |
| 2011-12 | 3 | 7 | 3 | 7 | 50.17 | 31.47 |
| 2012-13 (31.08.2012 की स्थिति के अनुसार) | 44 | 8 | 4 | 6 | 66.51 | 23.49 |

*गत तीन वर्षो और चालू वर्षो के दौरान योजना तथा गैर योजना शीर्षो के अन्तर्गत आबंटन तथा व्यय का ब्यौरा*

| वर्ष | आबंटन (करोड़ रुपए) | | व्यय (करोड़ रुपए) | |
|---|---|---|---|---|
| | योजना | गैर-योजना | योजना | गैर-योजना |
| 2009-2010 | 238.00 | 69.51 | 238.00 | 50.70 |
| 2010-2011 | 194.98 | 93.84 | 194.98 | 79.06 |
| 2011-2012 | 227.00 | 80.79 | 230.00 | 50.62 |
| 2012-2013 (31.07.2012 की स्थिति की अनुसार) | 296.00 | 51.90 | 31.87 | 8.64 |

## राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85

**3615. श्री चार्ल्स डिएसः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2011-12 के दौरान केरल में बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई क्या है;

(ख) राज्य में वर्ष 2012-13 के दौरान ली गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन-धनुषकोडि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 के समारेखन को अंतिम रूप दे दिया गया हैं;

(घ) यदि हां, तो किन प्रमुख स्थानों से होकर यह राजमार्ग गुजरेगा; और

(ङ) एनएच 85 पर कुंडानूर-मट्टाकुझी बाईपास के निर्माण के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) वर्ष 2011-12 के दौरान केरल में लगभग 234 किमी. लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/उन्नयन किया गया हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 314 किमी. लंबाई के सुधार, मरम्मत ओर क्रॉस ड्रेनेज कार्यों के पुरर्स्थापन, सड़क सुरक्षा कार्यों आदि को 347 करोड़ रु. के परिव्यय पर वार्षिक योजना 2012-13 में शामिल किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ङ) कुंडानूर-मट्टाकुझी बाईपास के सरेखण को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

## एन एच-201

**3616. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा में एन एच-201 की हालत दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एन एच के मरम्मत/विकास/जीर्णोद्धार के लिए निधियों की संस्वीकृति के लिए सरकार को कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर की-गई-कार्रवाई सहित इसके लिए अपेक्षित/संस्वीकृत निधि क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (घ) यद्यपि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता के भीतर राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य परिस्थितियों में बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं, ओडिशा राज्य में रारा-201 के कुछ खंडों की स्थिति अच्छी नहीं है। लगभग 104 करोड़ रुपए की लागत से रारा-201 पर 3 सुधार कार्यों का प्रावधान राज्य के लिए वार्षिक योजना 2012-13 में किया गया है। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 11.05 करोड़ रुपए की धनराशि से रारा-201 पर 3 आवधिक नवीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं।

*[हिन्दी]*

## 'ताजमहल पर प्रदूषण का प्रभाव'

**3617. श्री सुरेन्द्र सिंह नागरः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ताजमहल को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कोई स्कीम तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) भारत सरकार ने, ताजमहल की सुरक्षा हेतु विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति और उत्तर प्रदेश राज्य में ताज ट्रॅपीजइऑम क्षेत्र में आगरा प्रभार की भौगोलिक सीमाओं में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए वर्ष 1998 में ताज ट्रॉपीजइऑम जोन पोलूशन (निवारण एवं नियंत्रण) ऍथारिटर को अधिसूचित किया था। इसके अतिरिक्त सरकार ने ताजमहल की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु एक स्कीम को भी तैसार एवं कार्यान्वित किया है। IX पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 50:50 लागत भागीदारी के आधार पर 10 परियोजनाओं हेतु 222.21 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृति की गई थी। परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

*विवरण*

*परियोजनाएं और अनुमोदित लागत*

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | अनुमोदित लागत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|
| (i) | आगरा में विद्युत आपूर्ति में सुधार | 09.11 |
| (ii) | गोकुल बेरॉज | 12.50 |
| (iii) | आगरा बाइ-पास को चौड़ा करना | 00.75 |
| (iv) | स्ट्रोंम वाटर ड्रेनेज सिस्टम (आगरा) | 06.60 |
| (v) | ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 07.49 |
| (vi) | आगरा बाइ-पास में एक भाग का निर्माण | 10.65 |
| (vii) | आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में और आस-पास तथा फतेहपुरसीकरी में विद्युत आपूर्ति में सुधार | 39.09 |
| (viii) | आगरा शहर की सड़कों के मास्टर प्लान का सुधार | 21.22 |
| (ix) | जल आपूर्ति (आगरा) | 72.80 |
| (x) | जल आपूर्ति (मथुरा-वृंदावन) | 42.00 |
| | **कुल** | **222.21** |

**'स्वच्छ विकास तंत्र'**

**3618. श्रीमती मीना सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उत्सर्जन ह्रास परियोजना 'स्वच्छ विकास तंत्र' शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में की गई प्रगति तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस परियोजना पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना में कितनी विदेशी सहायता मिली है और व्यय की तुलना में कितना लाभ प्राप्त हुआ है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) भारत सरकार ने दिसंबर, 2003 में सचिव (पर्यावरण एवं वन) की अध्यक्षता वाला एक राष्ट्रीय स्वच्छ विकास तंत्र प्राधिकरण (एनसीडीएमए) स्थापित किया है। यह प्राधिकरण सतत विकास के दृष्टिकोण से होस्ट कंट्री एप्रोवल (एचसीए) प्रदान करने के लिए विभिन्न स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) परियोजनाओं पर विचार करता है। भारत की सीडीएम क्षमता, वैश्विक सीडीएम बाजार के महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करती है। दिनांक 28 अगस्त, 2012 के अनुसार सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत की गई कुल 4,527 परियोजनाओं में से, 878 भारत की हैं जोकि विश्व में किसी देश द्वारा अब तक दर्ज की गई सर्वाधिक परियोजनाओं के अनुसार दूसरे नबंर पर हैं। सीडीएम रूपरेखा और प्रक्रिया के तहत, कार्यालयी विकास सहायता (ओडीए) वाली परियोजनाएं सीडीएम लाभों की पात्र नहीं है। आज की तारीख के अनुसार भारत ने 440,895 करोड़ रु. से अधिक के निवेश को सुकर बनाते हुए 2423 परियोजनाओं को होस्ट कंटी एप्रोवल प्रदान किए हैं। यदि ये सब परियोजनाएं सीडीएम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत कर ली जाती है तो इनके पास वर्ष 2012 की समाप्ति तक 716 मिलियन प्रमाणीकृत उत्सर्जन कमी (सीईआर) उत्पन्न करने की क्षमता है।

*[अनुवाद]*

## व्यावसायिक शिक्षा

3619. **श्री टी. आर. बालू:**
**श्रीमती कमला देवी पटले:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में व्यावसायिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए क्या उपाय किए है;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों को जोडनें का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत नामांकित छात्रों का रोजगार प्राप्ति दर क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रचार करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किए गए उपाय हैं- बहु-कौशलीय पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के मद्देनजर घरेलू संसाधनों के माध्यम से 100 आईटीआइज तथा विश्व बैंक की सहायत के माध्यम से 400 आईटीआइज के उन्नयन के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपी) के माध्यम से 1336 सरकारी आईटीआइज का उन्नयन करना और "कौशल विकास योजना" के अधीन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में 1500 आईटीआइज और 5000 कौशल विकास केन्द्रों (सीडीसीज) की स्थापना करना।

(ख) 24.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार, देश में कार्यरत सरकारी एवं निजी आईटीआइज 10009 थे जिनमें से 2269 सरकार के अधीन हैं और 7740 निजी क्षेत्र के अधीन हैं। 24.08.2012 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी/निजी आईटीआइज के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) एनसीवीटी उन सरकारी एवं निजी आईटीआइज में व्यवसायों को संबंधन प्रदान करना जारी रखती है जो एनसीवीटी द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(ङ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रशासन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रणाधीन है और इसलिए रोजगार एवं बेरोजगारी पर आंकड़ों का केन्द्र में रखरखाव नहीं किया जाता। तथापि, जनवरी, 2011 में भारतीय गुणवत्ता परिषद् द्वारा आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यानिष्पादन मूल्यांकन के अनुसार सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्नातकों को मिलने वाला रोजगार लगभग 60% रहा है। तथापि, विभिन्न योजनाओं के अधीन उन्नयित एवं आधुनिककृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मामले में यह 80 से 99% तक रहा है।

### *विवरण*

*सरकारी/बिक्री/आईटीआई का राज्य-वार ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | सरकारी औ.प्र. सं. की संख्या | सीट क्षमता (सरकारी) | निजी औ.प्र.के.की संख्या | सीट क्षमता (निजी) | कुल औ.प्र.सं./ ओ.प्र.केन्द्र | कुल सीट क्षमता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **उत्तरी क्षेत्र** | | | | | | | |
| 1. | चंडीगढ़ | 2 | 968 | 0 | 0 | 2 | 968 |
| 2. | दिल्ली | 16 | 11132 | 61 | 4812 | 77 | 15944 |
| 3. | हरियाणा | 89 | 23624 | 104 | 11240 | 193 | 34864 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | 75 | 11092 | 121 | 11100 | 196 | 22192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 37 | 4087 | 1 | 110 | 38 | 4197 |
| 6. | पंजाब | 97 | 20756 | 245 | 29792 | 342 | 5व548 |
| 7. | राजस्थान | 115 | 15248 | 703 | 83743 | 818 | 98991 |
| 8. | उत्तर प्रदेश | 315 | 32396 | 1149 | 138366 | 1464 | 170762 |
| 9. | उत्तराखंड | 59 | 6795 | 44 | 4390 | 103 | 11185 |
| | उप-योग | 805 | 126098 | 2428 | 283553 | 3233 | 409651 |
| **दक्षिणी क्षेत्र** | | | | | | | |
| 10. | आंध्र प्रदेश | 147 | 27422 | 556 | 113412 | 703 | 140834 |
| 11. | कर्नाटक | 179 | 30530 | 1285 | 100926 | 1464 | 131456 |
| 12. | केरल | 40 | 16460 | 492 | 54042 | 532 | 70502 |
| 13. | लक्षद्वीप | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 14. | पुदुचेरी | 8 | 1432 | 9 | 508 | 17 | 1940 |
| 15. | तमिलनाडु | 61 | 23192 | 650 | 67758 | 711 | 90950 |
| | उप-योग | 436 | 99132 | 2992 | 336646 | 3428 | 435778 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | | | | | | | |
| 16. | अरुणाचल प्रदेश | 5 | 512 | 1 | 96 | 6 | 608 |
| 17. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 | 273 | 0 | 0 | 1 | 273 |
| 18. | असम | 30 | 5776 | 4 | 208 | 34 | 5984 |
| 19. | बिहार | 34 | 11433 | 529 | 74857 | 563 | 86290 |
| 20. | झारखंड | 20 | 4672 | 156 | 33752 | 176 | 38424 |
| 21. | मणिपुर | 7 | 540 | 0 | 0 | 7 | 540 |
| 22. | मेघालय | 5 | 622 | 2 | 320 | 7 | 942 |
| 23. | मिजोरम | 1 | 294 | 0 | 0 | 1 | 294 |
| 24. | नागालैंड | 8 | 944 | 0 | 0 | 8 | 944 |
| 25. | ओडिशा | 28 | 10064 | 588 | 97732 | 616 | 107796 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | सिक्किम | 4 | 580 | 0 | 0 | 4 | 580 |
| 27. | त्रिपुरा | 8 | 1088 | 0 | 0 | 8 | 1088 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 52 | 13580 | 51 | 5192 | 103 | 18772 |
| | उप-योग | 203 | 50378 | 1331 | 212157 | 1534 | 262535 |
| **पश्चिमी क्षेत्र** | | | | | | | |
| 29. | छत्तीसगढ़ | 92 | 10992 | 47 | 5408 | 139 | 16400 |
| 30. | दादरा और नगर हवेली | 1 | 228 | 0 | 0 | 1 | 228 |
| 31. | दमन और दीव | 2 | 388 | 0 | 0 | 2 | 388 |
| 32. | गोवा | 10 | 3264 | 4 | 380 | 14 | 3644 |
| 33. | गुजरात | 157 | 57500 | 391 | 2356व | 548 | 81060 |
| 34. | मध्य प्रदेश | 173 | 25806 | 162 | 17346 | 335 | 43152 |
| 35. | महाराष्ट्र | 390 | 108536 | 385 | 46804 | 775 | 155340 |
| | उप-योग | 825 | 206714 | 989 | 93498 | 1814 | 300212 |
| | सर्व योग | 2269 | 482322 | 7740 | 925854 | 10009 | 1408176 |

**मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास**

**3620. श्री प्रहलाद जोशी:**
**श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
**श्री सुरेश अंगड़ी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पहचाने गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत संस्वीकृत, जारी और आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में बंधुआ मजूदरी का उन्मूलन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (ग) बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों पर हैं। पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करने की दृष्टि से, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीम मई, 1978 से लागू है। इस योजना के अंतर्गत, प्रति बंधुआ मजदूर 20,000/- रुपये की दर से पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना और प्रस्तावों के आधार पर, पिछले तीन वर्षों के दौरान मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरों की संख्या और प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| वर्ष | राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम | मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बंधुआ मजदूरो की संख्या | जारी की गई निधि (रुपये लाख में) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | बिहार | 264 | रु. 22.10 |
| | उत्तर प्रदेश | 100 | रु. 12.23 |
| 2010-11 | छत्तीसगढ़ | 688 | रु. 68.80 |
| | उत्तर प्रदेश | 100 | रु. 10.00 |
| | पश्चिम बंगाल | 77 | रु. 6.85 |
| | बिहार | - | रु. 4.30* |
| 2011-12 | आंध्र प्रदेश | 153 | रु. 15.30 |
| | बिहार | 780 | रु. 68.20 |
| | हरियाणा | 3 | रु. 0.30 |
| | कर्नाटक | 73 | रु. 7.30 |
| | ओडिशा | 384 | रु. 38.39 |
| | पंजाब | 19 | रु. 1.90 |
| | राजस्थान | 25 | रु. 2.50 |
| | उत्तर प्रदेश | 3391 | रु. 339.10 |

*यह वर्ष 2009-2010 के दौरान मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए 264 बंधुआ श्रमिकों के संबंध में शेष धनराशि थी।

(घ) बंधुआ मजदूर प्रथा देशभर में बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अध्योदश जिसे बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, के अंतर्गत 25 अक्टूबर, 1975 से कानून द्वारा समाप्त कर दी गई है। जब कभी बंधुआ मजदूर के अस्तित्व का पता लगता है, ऐसे व्यक्तियों की पुनर्वास हेतु पहचान की जाती है।

बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने की दृष्टि से सचिव (श्रम और रोजगार) की अध्यक्षता में विशेष समूह गठित किया गया है। यह समूह समय-समय पर राज्य सरकारों को अधिनियम का कारगर रूप से कार्यान्वयन करने के लिए बल देने की खातिर क्षेत्रवार बैठकें कर रहा है।

आईएलओ के सहयोग से, केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शालीन कार्य के संबर्धन के माध्यम से बंधुआ मजदूरी को कम करने के प्रयोजनार्थ एक प्रयोगिक परियोजना शुरु की है। इस परियोजना की पुनरावृत्ति आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा राज्यों में की जा रही है।

## ई एस आई योजना के तहत मजदूरों की संख्या

**3621. डा. अजय कुमार:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड सहित देश में कर्मचारी राज्य बीमा (ई एस आई) योजना में शामिल किए गए मजदूरों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) के तर्ज पर ई एस आई सी के लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी ई एस आई सी लाभार्थियों को कब तक ऐसे कार्ड जारी किए जाने की संभावना है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए अपने बीमित व्यक्तियों (आई.पीज) को सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना 'पंचद्वीप' के अंतर्गत दो बायो-मीट्रिक पहचान कार्ड जारी करता है। एक कार्ड बीमित व्यक्ति के उपयोग हेतु और दूसरा कार्ड उसके परिवार के सदस्यों के उपयोग हेतु जारी किया जाता है। पहचान कार्ड का जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।

***विवरण***

*31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों की राज्यवार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/क्षेत्र/ अंचल | 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1239218 |
| 2. | असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा | 104199 |
| 3. | बिहार | 109581 |
| 4. | चंडीगढ़ | 69524 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 210056 |
| 6. | दिल्ली | 1077954 |
| 7. | गोवा | 135114 |
| 8. | गुजरात | 882104 |
| 9. | हरियाणा | 1062277 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 193751 |
| 11. | जम्मू और कश्मीर | 59068 |
| 12. | झारखंड | 215820 |
| 13. | कर्नाटक | 1475635 |
| 14. | केरल | 602458 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 318169 |
| 16. | महाराष्ट्र | 2069003 |
| 17. | ओडिशा | 250188 |
| 18. | पुदुचेरी | 110031 |
| 19. | पंजाब | 640989 |
| 20. | राजस्थान | 505463 |
| 21. | तमिलनाडु | 1907305 |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 908307 |
| 23. | उत्तराखंड | 255350 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 1026490 |
| | अखिल भारत | 15428054 |

**'जैव-विविधता सम्मेलन आयोजित करने के लिए निधियां'**

**3622. श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 01 अक्तूबर से 19 अक्तूबर, 2012 तक हैदराबाद में आयोजित होने वाले जैव-विविधता सम्मेलन को आयोजित करने के लिए केन्द्र सरकार से निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सम्मेलन का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ङ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार

ने हैदराबाद शहर की अवसंरचना में सुधार और सौंदर्यवर्धन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के बजट से 1028 करोड़ रु. का प्रावधान करने का अनुरोध किया हैं। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इन निधियों की मांग ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, गृह, सूचना एवं जन संपर्क, वन, पर्यटन एवं पर्यटन एवं परिवहन विभागों, सांस्कृतिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आंध्र प्रदेश नेशनल ग्रीन कार्पस के लिए की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने विभिन्न केन्द्रीय समकक्ष मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे अपने संबंधित समर्थन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश सरकार के लिए निधियों के वितरण को बढ़ाने की संभावनाओं की तलाश करें।

इसके उत्तरवर्ती अनुरोध में, आंध्र प्रदेश सरकार ने संशोधन करते हुए लगभग 364 करोड़ रु. तक की प्रस्तावित सहायता का अनुरोध किया है, जिसे वर्ष 2012-13 हेतु आंध्र प्रदेश के लिए योजना आबंटन के अतिरिक्त बजटीय आबंटन हेतु योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

## राजमार्गों में यातायात संकुलता

**3623. श्री संजय निरुपम:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजमार्गों की लम्बाई मात्र 4.01 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि माल ढुलाई की मात्र 9.08 प्रतिशत तथा वाहनों की संख्या 10.76 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वाहनों के लिए सड़क पर जगह की कमी और उनकी अत्यधिक गति राजमार्गों पर यातायात की संकुलता का एक बड़ा कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ तुषार चौधरी):** (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई थी जबकि राज्य राजमार्गों, सड़क परिवहन द्वारा ढुलाई किए गए सामान के भाड़े और पंजीकृत मोटर वाहनों की वार्षिक वृद्धि दर क्रमश: 2.3 प्रतिशत, 10.1 प्रतिशत और 11 प्रतिशत रही है।

(ग) से (ङ) राजमार्गों पर जाम के कारणों के संबंध में शहरी सड़कों के संबंध में यह एक सामान्य घटना है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण का दायित्व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है। राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है और राजमार्गों का उन्नयन परस्पर प्राथमिकता, सड़क संपर्क, यातायात और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। सड़क परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उनका अनुवीक्षण समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है।

## गोमती नदी का संरक्षण

**3624. श्री धनंजय सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोमती कार्य योजना चरण-I और चरण-II के तहत सरकार द्वारा किए गए उपायों के चलते गोमती नदी के जल की गुणवत्ता में संतोषजनक सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की विफलता के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार गोमती नदी में प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचारा कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) गोमती नदी के तट पर स्थित शहरों से अशोधित अपशिष्ट जल का छोड़ा जाना नदी में प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तदनुसार, गोमती कार्य योजना चरण I और II के अंतर्गत शामिल किए गए प्रदूषण अपशमन कार्यों में नदी में छोड़े जाने वाले अपशिष्ट जल का अवरोधन और अपवर्तन, मलजल शोधन संयंत्रों का निर्माण, नदी तटाग्र विकास, सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण इतयादि शामिल है। गोमती कार्य योजना चरण I के अंतर्गत, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहरों के लिए 55.75 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। गोमती कार्य योजना चरण II के अंतर्गत, लखनऊ के लिए

263.04 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। गत तीन वर्षों में गोमती कार्य योजना चरण I और II के अंतर्गत कुल 251.20 करोड़ व्यय किए गए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत लखनऊ में 387 एमएलडी की और सुल्तानपुर में 5 एमएलडी की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है। इन योजनाओं के अंतर्गत किए गए कार्यों से गोमती में प्रदूषण भार को कम करने में सहायता मिली है, जिससे नदी जल गुणवत्ता के ह्रास की गति पर नियंत्रण लगा है।

(घ) से (ङ) इस मंत्रालय को गोमती नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु राज्य सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

## आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों का क्षेत्र में परीक्षण पर प्रतिबंध

**3625. श्री गुरूदास दासगुप्तः** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय जी.एम. रोधी गैर-सरकारी संगठनों के विरोध के चलते देश में कुछ हाल ही में विकसित आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जी.एम) फसलों का क्षेत्र में परीक्षण बाधा आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने राज्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी (जीईएसी) द्वारा अनुमोदित जीएम सरसों के साथ दूसरी ऋतु के जैव-सुरक्षा अनुसंधान स्तर (बीआरएल-I) परीक्षण के आयोजन हेतु सेन्टर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स (सीजीएमसीपी), दिल्ली विश्व विद्यालय को जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को वापस लेने का निर्णय दिया है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गए निदेशों के अवलोकन से यह पाया गया था कि जैव-सुरक्षा उपायों का अनुपालन न किए जाने अथवा हानि के साक्ष्यों के संबंध में कोई नए तथ्य कारण के रूप में उल्लिखित नहीं किए गए हैं जिससे वे अपने अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को वापस लेने के लिए बाध्य हुए। मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने दो स्थलों पर सीजीएमसीपी द्वारा जीएम सरसों क्षेत्र परीक्षणों को पूर्ण करने की अनुमति दी थी जबकि तीसरे स्थल पर, राजस्थान के राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में खड़ी फसल को जलाकर नष्ट कर दिया गया था।

(ख) उपरोक्त के संबंध में सीजीएमसीपी से प्राप्त अभ्यावेदन पर दिनांक 11.4.2012 को हुई जीईएसी बैठक में विचार किया गया था जिसमें समिति की राय थी कि जब परीक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रक्रिया की अनुमति प्रदान की जा चुकी हो, तब अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) को मनमाने ढंग से वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि विनियामक प्रणालीको पारदर्शी, सतत और भविष्य सूचक होना चाहिए। उपरोक्त के बावजूद, समिति ने यह भी कहा कि कृषि के राज्य का विषय होने के कारण, राज्य में क्षेत्र परीक्षणों की अनुमति न देने के राजस्थान सरकार के निर्णय का सम्मान किए जाने की आवश्यकता है।

*[हिन्दी]*

## बाल श्रम

**3626. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकरः** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि नेपाल से बड़ी संख्या में बच्चों को भारत लाया जाता है उन्हें बाल मजदूर के रूप में भेज दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कर रही है;

(ङ) क्या ऐसे नेपाली बच्चों को मुक्त कराने के लिए और उन्हें अपने देश वापस भेजने के लिए प्रक्रिया व्यवहार में है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जन खरगे):** (क) से (च) जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि नेपाल से बड़ी संख्या में बच्चों को लाया जाता है और उन्हें बाल मजदूर के रूप में बेच दिया जाता है।

तथापि, मानव अवैध व्यापार की बुराई से निपटने की दृष्टि से, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने अनेक उपाय शुरू किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- गृह मंत्रालय ने अवैध व्यापार-रोधी नॉडल प्रकोष्ठ प्रचालन में है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अवैध व्यापार-रोधी नॉडल अधिकारी नामोद्दिष्ट किए हैं जो आपस में अंतर्राज्य अवैध व्यापार के मामलों का समन्वय करते हैं। इसी तरह जिलास्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अवैध व्यापार-रोधी नॉडल प्रकोष्ठ सृजित किए गए हैं। गृह मंत्रालय में राज्य अवैध व्यापार-रोधी नॉडल अधिकारियों के साथ आवधिक आधार पर समन्वयन बैठकें की जाती हैं।

- गृह मंत्रालय द्वारा मानव अवैध व्यापार के अपराध को रोकने और उस से संघर्ष करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यापक सलाह और महिलाओं के विरुद्ध अपराध संबंधी सलाह जारी की गई है।

- "भारत में मानव अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया का सुदृढ़ीकरण" संबंधी परियोजना, गृह मंत्रालय में राज्यों के साथ संयुक्त परियोजना के रूप में शुरू की गई है।

गृह मंत्रालय के अनुरोध पर, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने 2006 में पहली बार अपने वार्षिक प्रकाशन "भारत में अपराध" में मानव अवैध व्यापार सांख्यिकी संबंधी अलग से एक नया अध्याय जोड़ा है।

*[अनुवाद]*

## केरल में सड़क परियोजनाएं

**3627. श्री जोस के मणि:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में केन्द्रीय सड़क निधि के तहत संस्वीकृत धनराशियों के उपयोग की प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य के लिए सड़कों के विकास हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग 220 सहित केरल में पुलों/उन्नयित राजमार्गों के चौड़ीकरण, निर्माण और मरम्मत हेतु चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी हां।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केरल राज्य सरकार को जारी निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:-

| वर्ष | जारी की गई निधि (करोड़ रु.) |
|---|---|
| 2009-10 | 49.27 |
| 2010-11 | 80.49 |
| 2011-12 | शून्य |
| 2012-13 | 7.75 |

(ङ) 1485 करोड़ रु. की लागत से 4/6 लेन बनाने की दो परियोजनाएं चल रही हैं और लगभग 118.5 करोड़ रु. की लागत से 9 अन्य सड़क सुधार कार्य जिसमें रारा-220 पर 5.32 करोड़ रु. की लागत का एक कार्य सम्मिलित है, चल रहे हैं।

## हवाई अड्डे की मंजूरी

**3628. श्री समीर भुजबल:**
**श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में नवी मुम्बई में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हरित क्षेत्र हवाई-अड्डे को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिल गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके के क्या कारण हैं तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र के वन विभाग ने नवी मुंबई में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोई 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी नहीं किया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के आलोक में भाग, (ख) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना प्राधिकरण

ने नवी मुंबई हवाई अड्डे के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि के अपवर्तन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र वन विभाग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। महाराष्ट्र वन विभाग ने उक्त प्रस्ताव की जांच करने के पश्चात यह पाया कि यह सभी दृष्टियों से पूर्ण नहीं था। अत: महाराष्ट्र के वन विभाग ने परियोजना प्राधिकरण से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।

## विमान कम्पनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

**3629. डॉ. के. एस. राव:**
**श्री बद्रीराम जाखड:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विमान कम्पनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे घाटे में चल रही एयर इंडिया को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी निवेश बैंक गोल्डमैन सैच्स को विमान कम्पनियों/विदेशी विमान कैरियरों में निवेश करने के प्रस्तावों को अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को 'एफ.डी.आई. सेक्टरल कैप्स' में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) '2012 का परिपत्र 1- समेकित प्रत्यक्ष निवेश नीति' के पैराग्राफ 6.2.9 में यथानिहित वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइनों, गैर-अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं, हैलीकॉप्टर और सीप्लेन सेवाओं सहित वायु परिवहन सेवाओं में एफडीआई की अनुमति हैं:

कार्गो एयरलाइन को छोड़कर, प्रचालन में लगे अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के वायु परिवहन उपक्रम की इक्विटी में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी विदेशी एयरलाइन को सहभागिता करने की अनुमति नहीं होगी। विदेशी एयरलाइनों को कार्गो एयरलाइन, हैलिकॉप्टर और सीप्लेन सेवाओं के प्रचालन में लगी कंपनियों की इक्विटी में सहभागिता की अनुमति होगी।

उपर्युक्त कार्यकलापों में हवाई परिवहन सेवाओं के तहत अनुमत एफडीआई की सीमा निम्न प्रकार है:

| क्षेत्र/कार्यकलाप | *एफडीआई सीमा/इक्विटी* | प्रवेश मार्ग |
|---|---|---|
| (1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं/अनुसूचित घरेलू यात्री हवाई सेवा | 49% एफडीआई (एनआरआई हेतु 100) | स्वत: अनुमोदन मार्ग |
| (2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा | 74% एफडीआई (एनआरआई 100%) | 49% स्वत: अनुमोदन मार्ग 49% से 74% तक सरकारी मार्ग |
| (3) हैलिकॉप्टर सेवाएं/सीप्लेन सेवाएं जिनके लिए डीजीसीए की स्वीकृति की अपेक्षा होती है | 100% | स्वत: अनुमोदन मार्ग |

(ग) और (घ) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने दिनांक 2.12.2008 को अनुमोदन पत्र जारी किया है, जिसमें वे मै. जीएस इनवेस्टमेंट पार्टनर्स (मारीशस) I लिमिटेड और/अथवा जीएस इनवेस्टमेंट पार्टनर्स (मारीशस) II लिमिटेड से, जो दोनों ही मै. गोल्डमैन सैच्स इनवेस्टमेंट पार्टनर्स मास्टर्स फंड, एल.पी. के स्वामित्व में हैं, विदेशी निवेश प्राप्त कर सकते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## कारगिल युद्ध के शहीद

**3630. श्री एम. आई. शानवास:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् के माध्यम से सरकार ने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा कैप्टन रैंक के सेना में अधिकारियों सहित बंधक बनाए गए और मारे गए सैनिकों के संबंध में युद्ध अपराध के रूप में घोषणा के बारे में कोई कार्रवाई की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आपके मंत्रालय ने इस संबंध में विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (घ) पाकिस्तान के इन निर्मम कृत्यो की ओर विदेश मंत्रालय के माध्यम से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 सितम्बर, 1999 को दिए गए वक्तव्य और विदेश मंत्रालय द्वारा मानवाधिकार आयोग के 6 अप्रैल, 2000 को हुए 56वें सत्र के दौरान कार्यसूची मद 11 के अंतर्गत किए गए वक्तव्य सहित, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान आकर्षित किया गया था। इस मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ भी यह मामला उठाया है और विदेश मंत्रालय से इस मामले में उनके द्वारा किए गए उपायों के बारे में पूछा है।

## चाय के बागान हेतु भूमि की लीज

3631. **श्री नरहरि महतो:**
**श्री मनोहर तिरकी:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में चाय बागान हेतु लीज पर ली गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा चाय बागान मालिकों को लीज पर दी गई भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ग) वर्तमान में कितने भू-क्षेत्र में चाय की खेती की जा रही है;

(घ) वर्तमान में कितनी भूमि फैक्टरी और मजदूरों के क्वार्टर के लिए उपयोग की जा रही है; और

(ङ) कितने प्रतिशत भूमि गैर-खेती कार्यों के लिए उपयोग की जा रही है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) चाय बोर्ड द्वारा किए गए नवीनतम आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार, पश्चिम बंगाल में 309 चाय बागान जायदाद हैं तथा चाय बागानों के प्रबंधन के तहत सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार द्वारा लीज पर दिया गया है। पश्चिमी बंगाल राज्य में चाय बागानों (बड़े उपजकर्ता मात्र) की संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

| जिला | चाय बागानों की संख्या |
|---|---|
| दार्जिलिंग | 112 |
| कूचबिहार | 4 |
| जलपाईगुड़ी | 169 |
| उत्तर दिनाजपुर | 24 |
| कुल | 309 |

(ख) राज्य सरकार द्वारा चाय बागानों को लीज पर 158760.95 हेक्टेयर क्षेत्र दिया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य में कुल 99119.6 हेक्टेयर भू-क्षेत्र में चाय की खेती होती है तथा फैक्टरी तथा मजदूरों के क्वॉटर के लिए 19793.63 हेक्टेयर भूमि उपयोग में लाई जा रही है। गैर-खेती कार्यों के लिए कुल भूमि का केवल 15% भूमि उपयोग में लाई जा रही है।

## गंगा कार्य योजना

3632. **श्री जगदानंद सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अब तक गंगा परियोजना (गंगा कार्य योजना) पर कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) इस परियोजना के शुरू होने से अब तक प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-सी एजेंसियां इस परियोजना में शामिल हैं तथा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं करने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(घ) गंगा परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) उत्तरदायी एजेंसियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक उपाय किए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जीएपी-I, जीएपी-II और एनजीआरबीए कार्यक्रम सहित गंगा परियोजना पर 30 जून, 2012 तक 1333.81 करोड़ रुपए खर्च किए गए है।

(ख) कार्यक्रम के प्रारंभ होने से 30 जून, 2012 तक, 632 मंजूर की गई स्कीमों में से 507 स्कीमों को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल बेसिन राज्यों में पूरा कर लिया गया है और 1090.64 एलएलडी की एसटीपी क्षमता सृजित की गई है और 470.53 एमएलडी की एसटीपी क्षमता कार्यान्वयनाधीन है। राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

*बेसिन राज्यों में गंगा परियोजनाओं की स्थिति (जून, 2012 की स्थिति के अनुसार)*

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | मंजूर की गई स्कीमों की संख्या | कुल मंजूर की गई लागत | एसटीपी क्षमता (एमएलडी में) | कुल जारी निधि | किया गया कुल व्यय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उत्तराखंड | 59 | 22622.15 | 103.97 | 8120.04 | 7308.33 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 158 | 173097.28 | 723.72 | 64036.77 | 62273.65 |
| 3. | बिहार | 67 | 49981.95 | 204 | 9207.13 | 7952.54 |
| 4. | झारखंड | 02 | 20.67 | शून्य | (बिहार को जारी) | 24.57 |
| 5. | पश्चिम बंगाल | 346 | 116709.52 | 529.48 | 65111.63 | 55821.68 |
| | कुल | 632 | 362431.57 | 1561.17 | 146475.57 | 133380.77 |

(घ) मलजल के अंतवरोधन और अपवर्तन, मलजल शोधन संयत्रों की स्थापना, निम्न लागत स्वच्छता कार्यों, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण इतयादि जैसे कार्यों के क्रियान्वयन के माध्यम से गंगा नदी के अभिज्ञात प्रदूषित भागों में प्रदूषण अपशमन गतिविधियां करने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार (अब झारखण्ड राज्य के अंतर्गत आने वाली दो परियोजनाओं सहित) और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा वर्ष 1985 से गंगा कार्य योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 1985 से जीएपी के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आलोक में, एक व्यवस्थित परिवर्तन आया है। फरवरी, 2009 में, एक सामग्र नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाते हुए गंगा नदी के प्रभावी प्रदूषण एवं इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अधिकार संपन्न, वित्त पोषण, मॉनीटरिंग और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया गया है। गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में; (क) परियोजनाओं को दिशा-निर्देशों के नए सेट के अनुसार प्रतिपादित और क्रियान्वित किया जाना चाहिए; (ख) 15 वर्षों के परिचालन एवं रख-रखाव की गारण्टी हेतु डिजाईन, बिल्ड और ऑपरेट (डीबीओ) संबंधी परियोजनाएं; (ग) निम्नतम जीवन चक्र लागत पर आधारित चयन; (घ) पणधारी परामर्श; (ङ) डीपीआर का स्वतंत्र मूल्यांकन (च) अन्य परियोजनाओं जैसे कि जेएनएनयूआरएम के साथ समन्वय; (छ) स्वतंत्र संस्थानों द्वारा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन (टीपीआई); (ज) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संस्थागत सुदृढ़ीकरण; (झ) केंद्र, राज्य और यूएलबी के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए); (ञ) अशोधित अपशिष्ट जल का अधिक से अधिक पुनः उपयोग; और (ट) शोधित बहि:स्त्राव और नदी जल गुणवत्ता की नियमित मॉनीटरिंग शामिल है।

(ग) और (ङ) जीएपी परियोजनाओं में शामिल कोई भी अभिकरण वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। अत: किसी अभिकरण के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

## 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुशंसाएं'

**3633. श्री अशोक तंवर:**
**श्री ए.टी. नाना पाटील:**
**श्री जी.एम. सिद्देश्वर:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी) ने 2010 में मूल्यांकन और विकास अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड ने क्या अनुशंसाएं की हैं;

(ग) क्या सी.पी.सी.बी/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी. सी.बी) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की निगरानी कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चूककत्ता उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) प्रदूषण समाप्त करने या नियंत्रित करने के लिए राज्यों में चलाई जा रही कार्य योजना/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने सहित प्रदूषण का आकलन और उत्सर्जन मानकों के विकास संबंधी अध्ययन करवाता रहा है। अध्ययन के परिणामों का औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण हेतु मानकों के साथ-साथ प्रदूषण उपशमन हेतु कार्यनीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु उपयोग किया जाता है। सीपीसीबी ने 2009 में प्रदूषित औद्योगिक समूहों का सर्वेक्षण किया है और व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक के आधार पर पर्यावरणीय गुणवत्ता की बहाली हेतु 43 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है।

(ग) से (ङ) सीपीसीबी अपने पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण प्रतिमानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए उद्योगों की यादृच्छिक जांच पड़ताल कर रहा है। गत तीन वर्षों अर्थात 2009-10 से 2011-12 के दौरान, सीपीसीबी ने 771 उद्योगों की आकस्मिक जांच की है और निर्धारित प्रतिमानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उद्योगों को और निर्देश देने के लिए 19 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 118 निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने उद्योगों को बंद कराने हेतु और प्रदूषण नियंत्रण प्रतिमानकों के समयबद्ध अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उद्योगों को बाध्य करने के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत उद्योगों को 195 निर्देश जारी किए हैं।

राज्य, प्रदूषण उपशमन एवं नियंत्रण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के माध्यम से अपने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में कार्य योजनाओं/स्कीमों को क्रियान्वित कर रहा है, अर्थात् इनमें उद्योगों में प्रदूषण प्रतिमानकों के अनुपालन की मानीटरिंग, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन, उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 क और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 क के अंतर्गत निर्देश जारी करना शामिल है।

*[हिन्दी]*

## भूमि का अधिग्रहण

**3634. श्री विश्व मोहन कुमार:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) इस मंत्रालय द्वारा बिहार और झारखंड में कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है;

(ख) राज्यों में कुल कितनी भूमि अनुप्रयुक्त है;

(ग) इस संबंध में राज्य में हाल में किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास उक्त राज्यों में अनुप्रयुक्त भूमि पर आयुध कारखाना, प्रशिक्षण केन्द्र, शिक्षा संस्थान, अस्पताल आदि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन राज्यों के स्थानीय जनजातीय लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष प्रावधान बनाया गया है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

*[अनुवाद]*

## डीआरडीओ में अनियमितताएं

**3635. श्री यशवीर सिंह:**
**श्री नीरज शेखर:**
**श्री अब्दुल रहमान:**
**श्री अर्जुन राम मेघवाल:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा मंत्रालय की आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन (डीआरडीओ) के कई गंभीर वित्तीय और अर्थ अनियमितताएं पाई गई है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डीआरडीओ द्वारा परियोजनाएं अनुमोदित करते समय क्या मानक अपनाए जाते हैं तथा कौन-कौन प्राधिकारी/एजेंसियां इन मानकों को शिथिल करने के लिए प्राधिकृत हैं;

(घ) क्या सरकार ने मामले की जांच की है तथा कथित अनियमितताओं के संबंध में जवाबदेही निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं एवं दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई:

(च) क्या सेन्टर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट द्वारा डीआरडीओ में की गई भर्ती में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कोई जांच करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) सहित सम्पूर्ण रक्षा मंत्रालय में विभिन्न सक्षम वित्तीय प्राधिकारियों द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत जारी की गई मंजूरियों की एक आंतरिक लेखा परीक्षा, एक आंतरिक पुनरीक्षा कवायद के रूप में की गई थी। आंतरिक लेखा परीक्षा द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं वस्तुत: प्रारंभिक टिप्पणियों की प्रकृति की हैं और डीआरडीओ ने उनका पहले ही उत्तर दे दिया है।

(ग) डीआरडीओ विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाता है जैसेकि मिशन मोड, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना विकास। परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए सुस्थापित दिशा-निर्देश हैं और उनका पालन किया जाता है। परियोजना की लागत के आधार पर सक्षम वित्तीय प्राधिकारी निर्धारित किए जाते हैं। कुछेक मामलों में, जिनमें दिशानिर्देशों में रियायत अपेक्षित है, उदाहरणार्थ स्वीकृति-पूर्व चरण में समान पुनरीक्षा में ढील देनी होती है, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी निर्णय लेता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। चूंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा व्यक्त की गई चिन्ताएं इस चरण में प्रारंभिक टिप्पणियों की प्रकृति की हैं, अत: प्रश्न नहीं उठता।

(च) कार्मिक प्रतिभा प्रबंधन केंद्र (सेप्टेम) द्वारा भर्ती में भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं पाया गया है, अत: जांच किए जाने के आदेश देने का प्रश्न नही उठता।

*[हिन्दी]*

## राजस्थान में बाईपास रोड

**3636. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकाण (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान में कितने बाईपास रोड का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या एनएचएआई द्वारा करोली शहर में बाईपास रोड को राजस्थान के करोली शहर में दौसा से धौलपुर एन एच-11 बी तक निमार्ण हेतु प्रस्तावित सड़क में शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) राजस्थान राज्य में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्राधिकार में किसी भी अकेली बाईपास परियोजना का निर्माण नहीं किया जा रहा है। तथापि, बाईपास राजमार्ग परियोजनओं के भागों के रूप में प्रस्तावित होते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## एम.डी.एल. का संयुक्त उद्यम

**3637. श्री के. सुधाकरण:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के दिशानिर्देशों के विरुद्ध मझगांव डॉक लिमिटेड (एम.डी.एल.) ने पीपावाव डिफेंस एण्ड ऑफ शोर इंजीनियर्स कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक निजी शिपयार्डों ने इस समझौते पर यह कहकर आशंका व्यक्त की है कि पीपावाव के पास रक्षा जहाज निर्माण की क्षमता या अनुभव नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एम.डी.एल. ने संयुक्त उद्यम बनाने से पूर्व उप-ठेका के आउटसोर्सिंग के विकल्प का प्रयोग किया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) से (ग) माझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम भागीदार के प्रारंभिक चयन के बाद निजी शिपयार्डों द्वारा कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं। तत्पश्चात भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु अपनाए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने के पश्चात् माझगांव डॉक लिमिटेड ने क्रमशः सतह पोतों और पारम्परिक पन्डुबियों के निर्माण के लिए मेसर्स पीपावाव डिफेंस एण्ड ऑफ शोर इंजीनियरिंग कंपनी तथा मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के साथ शेयरधारक करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) और (ङ) माझगांव डॉक लिमिटेड आउटसोर्सिंग/उप-संविदा का विकल्प अपना रहा है। संयुक्त उद्यम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केवल उन मामलों में संयुक्त उद्यम बना सकते हैं जहां भागीदारों को अधिक दीर्घ अवधि के लिए कार्य की आवश्यकता हो और इसके परिणामस्वरूप या तो लागतों में कमी आए अथवा बेहतर जोखिम प्रबंधन या बेहतर कार्यक्षमता हासिल हो अथवा आपूर्ति के लिए समय-सीमा में कमी आए अथवा कुल मिलाकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हो। एम डी एल द्वारा संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विकल्प पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद अपनाया गया है।

*[हिन्दी]*

**श्रम प्रधान सेक्टर से निर्यात**

**3638. श्री कपिल मुनि करवारिया:**
**श्री राम सुन्दर दास:**
**श्री कौशलेन्द्र कुमार:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रम प्रधान सेक्टर से कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या कुल निर्यात में वृद्धि के बावजूद श्रम प्रधान सेक्टर पिछड़ा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का श्रम प्रधान सेक्टर में निर्यात को बढ़ावा देने का विस्तार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा श्रम प्रधान सेक्टर से मालों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रम प्रधान क्षेत्र से किए गए निर्यात की मात्रा:

(मूल्य, मिलियन अमरीकी डालर में)

| पण्य समूह | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| काटन यार्न/फैब्रिक्स/परिधान, हथकरघा उत्पाद आदि | 3966.85 | 6137.42 | 7369.24 |
| मानव निर्मित सूत/फैब्रिक्स/परिधान आदि | 3607.52 | 4284.66 | 5078.91 |
| सभी टेक्सटाइल्स के आरएमजी | 10710.30 | 11614.21 | 13708.98 |
| फर्श विछायत सहित जूट मैन्यूफैक्चरिंग | 217.63 | 458.73 | 458.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| कालीन | 736.59 | 1037.93 | 843.68 |
| हस्तशिल्प, हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर | 225.48 | 257.21 | 237.41 |
| प्रसंस्कृत कृषीय उत्पाद* | 846.0878 | 973.94 | 1355.38 |
| खिलौने | 12.27207 | 14.840489 | 19.065671 |
| **उपरोक्त का कुल योग** | **20463.73** | **24945.04** | **29279.11** |
| **भारत का कुल निर्यात** | **178751.431** | **251136.19** | **304623.53** |

*प्रसंस्कृत कृषीय उत्पादों में प्रसंस्कृत सब्जियां, फल और जूस तथा अन्य विविध प्रसंस्कृत मदें शामिल हैं।

स्त्रोत: डीजीसीआईएण्डएस

(ख) और (ग) जूट, कालीन, हस्तशिल्प जैसे कुछ श्रम प्रधान क्षेत्रों में वर्ष 2010-11 की तुलना में वर्ष 2011-12 में निर्यात में कमी-आयी है। ऐसा मुख्य रूप से मंदी और मांग में कमी के कारण हुआ है।

(घ) से (च) सरकार ने दिनांक 05-06-2012 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के वार्षिक परिशिष्ट की घोषणा की। दिनांक 05-06-2012 को अनुमादित उपायों से भी श्रम प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सकता है:

(i) हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन और एसएमई के लिए दिनांक 01-04-2012 से 31-03-2013 तक 2 प्रतिशत इन्ट्रे सबवेंशन स्कीम लागू की गई तथा इसे खिलौना, खेलकूद के सामान, संसाधित कृषि उत्पाद और रेडीमेड परिधानों जैसे क्षेत्रों के लिए भी लागू किया गया।

(ii) ईपीसीजी स्कीम के तहत कालीन, कॉयर और जूट के लिए निर्यात का औसत स्तर बनाए रखने की शर्त समाप्त कर दी गई।

(iii) निर्यात और आयात के आईटीसी एचएस वर्गीकरण के अध्याय 61 और अध्याय 62 के अंतर्गत आने वाले सभी परिधानों के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए बाजार सम्बद्ध फोकस उत्पाद स्कीम (एमएल एफपीएस) को 31 मार्च, 2013 तक बढ़ाया गया है। भारत के निर्यात में हथकरघा, हस्तशिल्प, चमड़ा, वस्त्र और अभियांत्रिकी वस्तुओं जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों की भूमिका के महत्व का समझाते हुए इन क्षेत्रों को निर्यातों के पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य (एफओबी) के 2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक की दर से प्रोत्साहन प्रदान करके उत्पाद स्कीम को प्रोत्साहित किया जाता है।

(iv) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 3 (विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना वीकेजीयूवाई) जैसी स्कीमों से संबंधित), भारत से सेविदा स्कीम (एसएफआईएस), कृषि अवसंरचना प्रोत्साहन स्क्रिप (एआईआईएस) स्कीम के तहत जारी स्क्रिप स्वदेशी अधिप्राप्ति हेतु उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए अनुमत होंगे।

*[अनुवाद]*

## आई.एन.एस. विन्ध्यागिरि

**3639. श्री एस. अलागिरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई समीप एक विदेशी व्यापारी जहाज से आई. एन.एस. विन्ध्यागिरि की टक्कर हो जाने के मामले की जांच करने के लिए गठित जांच बोर्ड ने अपनी जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए. के. एंटनी):** (क) से (ग) जांच कार्यवाहियों की जांच की जा रही है।

*[हिन्दी]*

## एनएच-58 पर बाईपासों का निर्माण

**3640. श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** राष्ट्रीय राजमार्गो पर यातायात जाम के बारे में 01 अगस्त, 2011 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोदीनगर में एनएच-58 पर कई-कई घण्टों तक रोजाना जाम होने के कारण दिल्ली से उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को बहुत सी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त एनएच पर सड़क खंड को चौड़ा करने और वहां बाइपासों का निर्माण करने अथवा स्थानीय यातायात और सीधे यातायात को अलग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कार्यो को कब तक अनुमोदित और पूरा किए जाने की संभावना है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) से (ग) रारा-58 के चौड़ीकरण/मोदीनगर टाउन में बाइपास निर्माण द्वारा स्थल सुधार का काई प्रस्ताव नहीं है।

*[अनुवाद]*

## सीमेन्ट का उत्पादन

**3641. डॉ. क्रुपारानी किल्ली:**
**श्रीमती दर्शना जरदोश:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष के दौरान सीमेन्ट की संस्थापित क्षमता और अगले वर्ष के दौरान सृजित होने वाली अनुमानित मांग/क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार गलत व्यापार प्रथा और सीमेन्ट उत्पादकों द्वारा नियमित आधार पर सीमेन्ट के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर सीमेन्ट विनियामक प्राधिकरण प्रारम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्राधिकरण का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) XIIवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सीमेंट उद्योग पर कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011-12 के दौरान सीमेंट उत्पादन हेतु स्थापित क्षमता 336.10 मिलियन टन थी। वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित मांग तथा सृजित की जाने वाली क्षमता क्रमश: 265.40 मिलियन टन तथा 349.60 मिलियन टन है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बाजार में प्रभुत्व कायम करने, क्षमता का कम उपयोग करने तथा कृत्रिम कमी एवं गठजोड़ की समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान प्रतिस्पर्धा तथा नई कंपनियों का प्रवेश ही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) इस प्रकार की शिकायतों को देखता है और उन पर कार्रवाई करता है।

*[हिन्दी]*

## भूतपूर्व-सैनिकों का वंचित वर्ग

**3642. श्री गोपाल सिंह शेखावत:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि भूतपूर्व-सैनिकों का एक वर्ग पेंशन लाभों से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे भूतपूर्व-सैनिकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** (क) और (ख) वर्षो से कम की सेवा वाले भूतपूर्व सैनिक पेंशन के लिए हकदार नही हैं क्योंकि पेंशन के लिए पात्र होने हेतु अफसर रैंक से नीचे के रैंक कार्मिकों के लिए 15 वर्षो की सेवा और कमीशन-प्राप्त अफसर के लिए 20 वर्षो की अर्हक सेवा अनिवार्य होती है। सरकार में पेंशन लेने के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा अनिवार्य मानदंड है।

(ग) अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अफसर, जो पेंशनर नहीं होते, वे प्रशिक्षण, सुरक्षा एजेंसी तथा अन्य स्व-रोजगार योजनाओं जैसी पुनर्वास महानिदेशालय की कतिपय योजनाओं के लिए पात्र हैं। 5 साल से अधिक की सेवा वाले भूतपूर्व सैनिक, उनकों सुरक्षा गार्ड

के रूप में नियुक्त किए जाने के अलावा यूनिटों/स्थापनाओं में उपलब्ध सी.एस.डी. कैंटीन सुविधाओं के लिए भी पात्र हैं। रक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधियों में से कुछ अनुदान भी हवलदार रैंक तक के गैर-पेंशनभोगियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

### घटिया सामग्री का प्रयोग

**3643. श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू:** क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताल-महिदपुर-घोसाला सड़क और घोशाला-महिदपुर-गोगापुर सड़क जीर्ण-शीर्ण हो गई हैं जिनका निर्माण केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन सड़कों के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में शामिल ठेकेदारों/निर्माण कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) घोशाला-महिदपुर-गोगापुर-ताल सड़क के सुधार के लिए, केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 45.02 करोड़ रुपए की धनराशि से 67.80 किमी की कुल लंबाई के तीन कार्य संस्वीकृत किए गए। इन कार्यों में से, दो कार्य नामत: घोसाला-महिदपुर-गोगापुर सड़क और गोगापुर से ताल सड़क (पैकेज-II) पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। निष्पादित किए गए कार्यों में कुछ कमियां देखी गई हैं जिनका सुधार किया जा चुका है। चल रहे गोगापुर से ताल सड़क (पैकेज-I) कार्य में कुछ कमियां/गड्ढे विकसित हो गए हैं जिनको ठेके अंतिम रूप देने से पहले ठेका करार के अनुसार ठेकेदार द्वारा ठीक कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) ठेके की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ठेकेदार द्वारा कमियां/अल्प स्तर के कार्यों को ठीक कर दिया गया है। ठेका करार के अनुसार, दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) के दौरान अनुरक्षण के लिए ठेकेदार जिम्मेवार होता है।

*[अनुवाद]*

### ईपीएफओ के तहत कवरेज हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा

**3644. श्री बाल कुमार पटेल:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अन्तर्गत कवरेज हेतु अधिकतम मजदूरी में बिना किसी विलंब के संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ कोई परामर्श किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी परिणाम क्या है?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत कवरेज हेतु मजदूरी की अधिकतम सीमा में वृद्धि करने के मुद्दे पर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि की बैठकों में विचार-विमर्श हो चुका है। तथापि, सरकार को इस मामले में अभी अंतिम निर्णय लेना है।

### 'ग्रीन क्रेडिट स्कीम'

**3645. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:**
**श्री दिलीप सिंह जूदेव:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों सहित विभिन्न राज्य सरकारों से "ग्रीन क्रेडिट स्कीम" के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्कीम की मौजूदा स्थिति क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ङ) केवल गुजरात सरकार से ही "ग्रीन क्रेडिट स्कीम" के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के अपवर्तन के मामलों में अनिवार्य रूप से प्रतिपूरक वनीकरण बढ़ाना परिकल्पित है। गुजरात राज्य सरकार को आगे के निर्देश प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है।

**गुजरात के डी.एन.टी. और एन.टी. को लाभ**

3646. **श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनधिसूचित जनजाति (डी.एन.टी.) और यायावर जनजाति (एन.टी.) आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाभ, जो पहले गुजरात के डी.एन.टी. और एन. टी. को दिए जा रहे थे, फिलहाल नहीं दिए जा रहे है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) और (ख) श्री बाल कृष्ण रेणके की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय अधिसूचित, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजाति आयोग ने दिनांक 02.07.2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रधान मंत्री भारत जोड़ों परियोजना**

3647. **श्री के.सी. सिंह "बाबा"**
**श्री जयवंत गंगाराम आवले:**
**श्रीमती प्रिया दत्त**
**श्री नारायण सिंह अमलाबे:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सड़कों/राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण/उनको चार लेन का बनाने हेतु "प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना" कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कार्यक्रम पर हुए व्यय और उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य धीमी गति से चल रहा हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की गति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

वर्तमान में देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण/उनको चार लेन का बनाने हेतु "प्रधान मंत्री भारत जोड़ो परियोजना" नामक कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

**इस्पात का उत्पादन**

3648. **श्री भक्त चरण दास:**
**श्री एस. सेम्मलई:**
**श्री सोमेन मित्रा:**
**श्री बलीराम जाधव:**
**श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात की मांग में वृद्धि तथा इसके तदनुरूप उत्पादन में कमी हुई है:

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में देश में इस्पात का वास्तविक उत्पादन तथा मांग कितनी है और सरकार का इन दोनों के बीच के अंतर को कैसे खत्म करने का विचार है;

(ग) क्या व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते के तहत, कोरिया और जापान से सस्ते हॉट-रौल्ड क्वॉयल्स के आयात के कारण घरेलू इस्पात उद्योग की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):** (क) और (ख) वर्ष 2011-12 के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात की वास्तविक खपत 70.92 मिलियन टन हुई जबकि उत्पादन 73.32 मिलियन टन हुआ। तथापि, घरेलू आपूर्ति तथा मांग के अंतर को पूरा करने के लिए परिसज्जित इस्पात के आयात/निर्यात की अनुज्ञेय है।

(ग) और (ख) वर्ष 2011-12 के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात का आयात सीमांत रूप से बढ़कर 6.83 मिलियन टन हो गया है जो वर्ष 2010-11 में 6.66 मिलियन टन था अर्थात 2.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी-डंपिंग एंड अलॉयज ड्यूटीज (डीजीएडी) ने देश में माल की डांपिंग के प्रथम दृष्टा साक्ष्य के साथ घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से प्रमाणित याचिका के आधार पर एंटी डंपिंग जांच शुरु करता है जिनसे घरेलू उद्योग को हानि होती है।

## ठेका मजदूर

3649. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
**श्री आनंदराव अडसुल:**
**श्री गजानन ध. बाबर:**
**श्री मधु गौड यास्खी:**
**श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात को नोट किया है कि देश में ठेका मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेका मजदूरों और अन्य नियमित कामगारों के बीच मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों में कोई विसंगति हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ठेका मजदूरों को बेहतर और अच्छी मजदूरी और अन्य सामाजिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) केन्द्रीय स्तर पर कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता। तथापि, ठेका श्रमिक प्रत्येक क्षेत्र में नियोजित किए जा रहे हैं और वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा कराए गए अध्ययन के अनुसार देश में ठेका श्रमिकों की अनुमानित संख्या लगभग 36 मिलियन है। इनमें से ठेका, श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों के पास ठेका श्रमिकों की अनुमानित संख्या 6 मिलियन है।

(ग) से (ङ) अध्ययन से यह पता चला है कि ठेका श्रमिकों को समान अथवा समरुप कार्य करने वाले प्रधान नियोक्ता के नियमित कामगारों को मिलने वाली मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है।

ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) नियम, 1971 के अनुसार ठेका श्रमिकों की मजदूरी न्यनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत विनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं होगी और उन मामलों में जहां ठेका श्रमिक प्रतिष्ठान के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगारों के समान अथवा समरूप कार्य करते हैं, उनकी मजदूरी दरें, अवकाश, कार्यघंटे तथा अन्य सेवा-शर्तें समान होंगी जो समान अथवा समरूप कार्य करने वाले नियोक्ता द्वारा सीधे नियोजित कामगारों पर लागू होती हैं।

समान अथवा समरूप कार्य करने वाले कामगार और असमान मजूदरी प्राप्त करने वाले कामगार मामले को समुचित "सरकार" के समक्ष उठा सकते हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में केन्द्र सरकार समुचित सरकार है। गैर-सरकारी क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में आने वाली निजी कंपनियां राज्य क्षेत्र में आती हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में शिकायतें मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन के क्षेत्र कार्यालयों में प्राप्त की जाती है और नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र में ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10(2) के नियमानुसार उन प्रतिष्ठानों में नियोजित ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कार्य की दशाएं तथा उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों के संबंध में केन्द्र सरकार ने 84 अधिसूचनाएं जारी की हैं जो कतिपय प्रतिष्ठानों के विशिष्ट कार्यों में नियोजित ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करती हैं।

**'पर्यावरणीय दायित्व नीति दस्तावेज'**

**3650. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
**श्री आनदंराव अडसुल:**
**श्री दुष्यंत सिंह:**
**श्री धर्मेन्द्र यादव:**
**श्री गजानन ध. बाबर:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए विचारार्थ विषय प्राप्त करने हेतु कंपनियों के आवेदनों में एक पर्यावरणीय दायित्व शामिल करना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मीडिया में हाल में यथा सूचित ग्रीन मंजूरी हेतु सरकार द्वारा तैयार नए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एसोसिएटेड चैंबर्स ऑर्फ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम), कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्री (सीआईआई), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (फिक्की) और फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) के प्रतिनिधियों के परामर्श से कॉपोरेट पर्यावरण नीति के मूलतत्व की रूपरेखा बताते हुए एक प्रारूप अवधारणा दस्तावेज तैयार किया है। पणधारियों से टिप्पणियां/सुझाव मांगने के लिए इसे सार्वजनिक जानकारी में लाया गया है।

**फ्लाईओवरों का निर्माण**

**3651. श्री नारनभाई कछाडिया:**
**श्री रामसिंह राठवा:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सारखेज-गांधीनगर एनएच-8सी के व्यस्त जंक्शनों और थालतेज तथा शोला जंक्शनों के फ्लाईओवरों के निर्माण और गांधीनगर तथा अहमदाबाद के बीच एक खण्ड को छह लेन का बनाने के कार्य को वार्षिक योजना 2011-12 में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ निर्धारित निधियों सहित तत्संबंधी मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) इन फ्लाईओवरों का निर्माण पूरा करने हेतु निर्धारित समय-सीमा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी हां। वार्षिक योजना 2011-12 के अंतर्गत गुजरात राज्य सरकार से रारा-8सी अर्थात् (i) थालतेज और गुरुद्वारा जंक्शन पर 6 लेन की ग्रेड सेपरेटर सुविधा का निर्माण और (ii) और किमी. 13/500 से किमी. 26/200 तक के खंड तक के विद्यमान 4 लेन के खंड को 6 लेन में विकसित किए जाने के लिए दो प्राक्कलन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) थालतेज और गुरुद्वारा जंक्शन पर 6 लेन की ग्रेड सेपरेटर सुविधा के निर्माण के लिए 6471.79 लाख रु. की राशि का प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया था और इसको वर्ष 2014 तक पूरा किया जाना नियत है। तथापि, किमी. 13/500 से किमी. 26/200 तक के खंड को 6 लेन का बनाए जाने के प्राक्कलन को निधि के अभाव के कारण वार्षिक योजना 2011-12 के अंतर्गत संस्वीकृत नहीं किया जा सका है।

*[हिन्दी]*

**दलितों पर अत्याचार**

**3652. श्री कमल किशोर "कमांडो":**
**श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आजादी से अब तक दलितों की प्रताड़ना रोकने के लिए कोई प्रभावकारी योजना बनाने की पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रभाव क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दलितों की दशा में और सुधार लाने के लिए कोई नई योजना आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. नैपोलियन):** (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध है और किसी भी रूप में यह प्रथा वर्जित है। इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करने के लिए, संसद द्वारा अस्पृश्ता (अपराध) अधिनियम, 1955 अधिनियमित किया गया था। तदुपरान्त, इसके क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, इस अधिनियम

को नवम्बर, 1976 में संशोधित किया गया था तथा इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में पुन: नामित किया गया। इस अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रतिपादन एवं प्रथा से उत्पन्न किसी अक्षमता के प्रवर्तन हेतु दण्ड का निर्धारण किया गया है और इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में है।

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए और ऐसे अपराधों के शिकार व्यक्तियों के राहत एवं पुनर्वास के लिए तथा इससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करना है। 'इस अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में है। वर्ष 1995 में अधिनियम के तहत व्यापक नियम भी अधिसूचित किए गए थे जिनमें अन्य बातों के साथ प्रभावित व्यक्तियों की राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान है। दिसम्बर, 2012 में इन नियमों को संशोधित किया गया था जिसमें अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत राशि को सामान्यतया 150% तक बढ़ाया गया है।

इन दो अधिनियमों के कार्यान्वयन के संबंध में प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग के सदस्यों के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 2006 में गठित एक समिति, विभिन्न राज्यों में इन दोनों अधिनियमों के कार्यान्वयन के स्थिति की समीक्षा भी करती है। अब तक हुई इसकी उन्नीस बैठकों में, समिति ने 24 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में इन दोनों अधिनियामों के कार्यान्वयन की समीक्षा की है।

अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह भी दी गई है। एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, मुख्य रूप से विशेष न्यायालयों, विशेष पुलिस स्टेशनों की स्थापना एवं कार्यकरण, प्रवर्तन तंत्र के सुदृढ़ीकरण, अंतर-जातीय विवाहों, जागरूकता सृजन तथा प्रभावित व्यक्तियों की राहत एवं पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास के लिए पहले ही अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। कक्षा IX और X में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना 01.07.2012 से शुरू की गई है।

**वस्त्र उद्योग को बढ़ावा**

3653. **श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:**
**श्री राधा मोहन सिंह:**
**श्री महाबल मिश्रा:**
**श्रीमती मीना सिंह:**
**श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
**श्री गोपीनाथ मुंडे:**
**डॉ. संजय सिंह:**
**श्री निलेश नारायण राणे:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग में मंदी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान वस्त्र उद्योग तथा इसमें लगे मजदूरों के कल्याण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देश में नई वस्त्र उद्योग इकाइयां/टैक्सटाइल हब स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वस्त्र उद्योग में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित/निर्धारित किए जाने वाले लक्ष्य क्या हैं;

(च) विगत तीन वर्षों में राज्य-वार, वस्त्र उद्योग को दी जाने वाली छूट/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कितना निवेश किया गया है; और

(छ) वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए हस्तशिल्प इकाइयों/वस्त्र उद्योग को पर्याप्त वित्तीय सहायता और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) और (ख) वस्त्र उद्योग में मई, 2011 में कपास के मूल्य 62500 रु./कैंडी से घटकर 29500 रु./कैंडी हो जाने के कारण मंदी आई जिससे अनेक उद्योगों के पास कपास और यार्न के ऊंचे मूल्यों वाली अत्यधिक मालसूची जमा हो गई थी और कार्यशील पूंजी में कमी आ गई थी और परिसंपत्तियों की क्वालिटी पर पर्याप्त दबाव आ गया था। वित्तीय वर्ष 2012-13 में वस्त्र उद्योग में प्रारंभिक सुधार हुआ है क्योंकि कपास यार्न के मूल्यों में वृद्धि हुई और रुपए के मूल्याह्रास के कारण प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद वस्त्र उद्योग के लिए 35000 करोड़ रु. की राशि के एक ऋण पुनर्गठन पैकेज का प्रस्ताव करके वस्त्र उद्योग में मंदी का समाधान किया है। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार अलग-अलग मामले में वस्त्र उद्योग का ऋण पुनर्गठन करने हेतु एक विशेष विन्डो खोलने के लिए बैंकों को निर्देश जारी किए हैं।

(ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय के लिए योजना आबंटन को 11वीं पंचवर्षी योजना में 8000 करोड़ रु. से संशोधित करके 15404 करोड़ रु. किया गया था। सरकार ने वस्त्र उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए 11वीं योजना के आबंटन को भी 14000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 19000 करोड़ रु. कर दिया है। यह योजना आबंटन वर्ष 2010-11 में 4500 करोड़ रु. और वर्ष 2011-12 में 5000 करोड़ रु. तथा वर्ष 2012-13 में 7000 करोड़ रु. था।

(घ) जी, हां। सरकार एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) कार्यान्वित कर रही है जिसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग के लिए ग्रीन फील्ड अवसंरचना स्थापित करना और रोजगार का सृजन करना है।

(ङ) एसआईटीपी के लिए 12वीं योजना आबंटन 1400 करोड़ रु. है। अगले 4 वर्षों में 3500 करोड़ रु. का अनुमानित निवेश और 3.5 लाख कामगारों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए वर्ष 2011-12 में 21 नये वस्त्र पार्क मंजूर किए गए हैं।

(च) सरकार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करती है जो एक बैक एंडिड ब्याज प्रतिपूर्ति योजना है। टीयूएफएस ने 11949 करोड़ रु. की सब्सिडी के के साथ 11वीं योजना में 1.37 लाख रु. का निवेश उत्प्रेरित किया है।

(छ) सरकार वार्षिक आधार पर कपास वितरण नीति तैयार करती है ताकि घरेलू को पर्याप्त कच्ची सामग्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

*[अनुवाद]*

## राष्ट्रीय फाइबर नीति

**3654. श्री मनोहर तिरकी:**
**श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:**
**श्री नरहरि महतो:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय फाइबर नीति के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आने वाली राष्ट्रीय फाइबर नीति में कॅयर को फाइबर की सूची से हटाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा कारण क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय फाइबर नीति से कॅयर को हटाने संबंधी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कॅयर उद्योग से जुड़े लाखों ग्रामीण मजदूरों और शेयर धारकों के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार 'निटवीयर टेक्नालॉजी मिशन' की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी निधि आवंटित की गई हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) से (ङ) राष्ट्रीय फाइबर, नीति, भौतिक एवं गैर भौतिक प्रोत्साहनों के माध्यम से कपास, मानव निर्मित फाइबर, पटसन, ऊन, रेशम एवं विशेषज्ञता फाइबर विकसित करने के लिए वर्ष 2010-20 के दशकीय संदर्भ में तैयार की गई है। राष्ट्रीय फाइबर नीति, वस्त्र मंत्रालय को आबंटित कार्यों के अंतर्गत शामिल फाइबर्स से संबंधित है। कॅयर राष्ट्रीय फाइबर नीति के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को आबंटित कार्य के अंतर्गत आता हैं। कॅयर उद्योग के संवर्धन एवं विकास के लिए कयर बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती है।

(च) निटवियर क्षेत्र में क्षमताओं तथा विशेषज्ञता में वृद्धि करने हेतु तिरुपुर में एक 'निटवीयर टेक्नालॉजी मिशन' (केटीएम) की स्थापना की गई है। यह परियोजना पीपीपी प्रद्धति पर आधारित होगी तथा इस उद्योग को ज्ञान, परीक्षण एवं प्रमाणन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, डिजाइन सेवाओं आदि सहित विभिन्न सहायक

सेवाएं प्रदान करेगी। यह एक स्वायत्त आत्मनिर्भर संगठन के रूप में 'लाभ-हानि रहित' आधार पर कार्य करेगी। सरकार ने इस परियोजना के लिए अप्रैल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) को 5.00 करोड़ रु. का अनुदान दिया है।

*[हिन्दी]*

## कर्मचारियों को लाभ

**3655. कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद:**
**श्री तूफानी सरोज:**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे वस्त्र मिलों, शोरूम और दुकानों की संख्या तथा उक्त यूनिटों में कार्यरत मजदूरों/कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में एनटीसी के नियमित कार्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी मिल-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने एनटीसी मिल तथा राष्ट्रीय जूट निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित एनटीसी की विभिन्न यूनिटों में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा नियमित कर्मचारियों के समान सभी लाभ प्रदान करने के क्या कारण हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) देश में एनटीसी के अंतर्गत 24 इकाईयां तथा 86 शोरूम और रिटेल आउटलेट हैं। इन इकाईयों में कार्य कर रहे कामगारों/कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) केंद्रीय महंगाई भत्ता/औद्योगिक महंगाई भत्ता (सीडीए/आईडीए) वाले कुल 1250 नियमित कर्मचारियों में से, महाराष्ट्र (53), पंजाब एवं राजस्थान (28) एवं उत्तर प्रदेश (143) आदि राज्यों में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त कुल 224 नियमित कर्मचारियों (सीडीए/आईडीए) को अभी तक छठे वेतन आयोग/दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों का लाभ नहीं दिया गया है। इन कर्मचारियों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर)/सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना के अनुसार अव्यवहार्य इकाइयों के बंद होने के कारण अभी तक संशोधन का लाभ नहीं दिया जा सका। इन मिलों में आज की तारीख में कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं हो रही है।

(ग) सरकार ने एनटीसी मिलों एवं राष्ट्रीय पटसन निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृति उपरांत कोई सेवा विस्तार नहीं दिया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### *विवरण-I*

*एनटीसी लि. द्वारा चलाई जा रही वस्त्र मिलों की राज्य-वार संख्या और कर्मचारियों/अधिकरियों का ब्यौरा*

| क्र.सं. | राज्य का नाम | मिल की सं. | कर्मचारियों/अधिकारियों की कुल संख्या* |
|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1 | 116 |
| 2. | गुजरात | 1 | 56 |
| 3. | कर्नाटक | 1 | 254 |
| 4. | केरल | 4 | 1303 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 2 | 299 |
| 6. | महाराष्ट्र | 5 | 2359 |
| 7. | पुदुचेरी | | 255 |
| 8. | राजस्थान | 1 | 15 |
| 9. | तमिलनाडु | 7 | 2377 |
| 10. | पश्चिम बंगाल | 1 | 25 |
| | **कुल** | **24** | **7059** |

*संविदागत कामगारों को छोड़कर।

*विवरण-II*

*शोरूमों में एनटीसी के कर्मचारी*

| क्र.सं. | राज्य | शोरूमों की संख्या | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | तमिलनाडु | 22 | 36 |
| 2. | केरल | 4 | 9 |
| 3. | कर्नाटक | 6 | 15 |
| 4. | आंध्र प्रदेश | 1 | 5 |
| 5. | राजस्थान | 7 | 16 |
| 6. | दिल्ली | 9 | 17 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | 2 | 4 |
| 9. | हरियाणा | 3 | 5 |
| 10. | चण्डीगढ़ | 1 | 2 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 1 | 3 |
| 12. | पंजाब | 1 | 3 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 2 | 1 |
| 14. | गुजरात | 3 | 6 |
| 15. | महाराष्ट्र | 5 | 21 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 7 | 21 |
| 17. | असम | 1 | 5 |
| 18. | बिहार और झारखण्ड | 8 | 37 |
| 19. | ओडिशा | 2 | 7 |
| | **कुल** | **86** | **215** |

*[अनुवाद]*

**परियोजनाएं सौंपना**

3656. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
**श्री एन.एस.वी. चित्तन:**
**श्री संजय भोई:**
**श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
**श्री ए. गणेशमूर्ति:**

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रमुख पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान नई परियोजनाएं सौंपे जाने का है;

(ख) यदि हां, तो पत्तन-वार मौजूदा क्षमता और लक्षित क्षमता कितनी है;

(ग) देश में मौजूदा प्रमुख पत्तनों के नाम क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में और प्रमुख पत्तनों को बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पोत-परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी महापत्तनों के संबंध में ब्यौरा, निम्नानुसार है:-

(एमएमटीपीए में)

| क्र.सं. | महापत्तन का नाम | 31.03.2012 को रही क्षमता | प्रस्तावित परियोजना के पूरा हो जाने पर अनुमानित क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | कोलकाता पत्तन न्यास | 67.89 | 91.64 |
| 2. | पारादीप पत्तन न्यास | 80.30 | 106.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | विशाखापट्टनम पत्तन न्यास | 66.33 | 90.91 |
| 4. | चेन्नै पत्तन न्यास | 83.19 | 138.19 |
| 5. | इन्नौर पत्तन लिमिटेड | 31.00 | 31.00 |
| 6. | वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास | 33.34 | 64.40 |
| 7. | कोचीन पत्तन न्यास | 41.86 | 61.76 |
| 8. | नव मंगलूर पत्तन न्यास | 50.97 | 58.77 |
| 9. | मुरगांव पत्तन न्यास | 41.90 | 56.35 |
| 10. | मुम्बई पत्तन न्यास | 44.53 | 53.53 |
| 11. | कांडला पत्तन न्यास | 91.30 | 110.97 |
| 12. | जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास | 64.00 | 78.45 |
| | कुल | 696.53 | 942.27 |

(घ) और (ङ) जी, हां। इस मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक-एक नया महापत्तन स्थापित किए जाने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के संबंध में, कोलकाता पत्तन न्यास ने सागर द्वीप में एक नये पत्तन के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैं. राइट्स लि. को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। मै. राइट्स द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, चरण-I में परियोजना की अनुमानित लागत, लगभग 7851 करोड़ रुपए है और क्षमता लगभग 54 मिलियन टन है। आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित महापत्तन के मामले में, व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ नहीं किया गया है।

**पशुओं पर सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री की जांच पर प्रतिबन्ध**

**3657. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:**
**श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:**
**श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
**श्री संजय भोई:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में जानवरों पर सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री की जांच पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु पीपल फार ऐथीकल ट्रीटमेन्ट ऑफ एनीमल्स (पीईटीए) से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किन्हीं अन्य विकल्पों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी, हां।

(ख) पशुओं पर किये जाने वाले परीक्षण के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के प्रयोजन हेतु गठित समिति (सीपीसीएसईए) का मत है कि जब तक पशुओं पर प्रयोग करने/सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री का परीक्षण करने का कोई वैध वैकल्पिक तरीका उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक सीपीसीएसईए भारत में सौन्दर्य- प्रसाधन परीक्षण हेतु पशुओं के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय नहीं ले सकता।

(ग) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### राष्ट्रीय दुर्घटना राहत सेवा

3658. **डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
**श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:**
**श्री मानिक टैगोर:**
**श्री एस आर जेयदुरई:**
**श्रीमती सुप्रिया सुले:**
**श्री महाबली सिंह:**
**श्री डी बी चन्द्रे गौडा:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय दुर्घटना राहत सेवा योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों और गैर-सरकारी संगठनों को मुहैया कराई गई एम्बुलेंसों और क्रेनों और इन वाहनों की संख्या और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इनकी सामरिक अवस्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वाहनों के दुरुपयोग किए जाने का पता चला है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने इन एम्बुलेंसों और क्रेनों और दुर्घटना राहत सेवा योजना में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों में मुहैया कराई गई निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए कोई सर्वेक्षण/लेखापरीक्षा कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत इन गैर-सरकारी संगठनों और राज्यों को कितनी निधियां दी गई हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. तुषार चौधरी):** (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 'अभिघात केन्द्रों के एकीकृत नेटवर्क की स्थापना' नामक योजना के अंतर्गत अभिनिर्धारित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 136 क्रेनें और अभिघात सेवा केन्द्रों को 70 जीवन सहायक उन्नत एंबुलेंसें प्रदान की हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इन क्रेनों की राष्ट्रीय राजमार्गों के सामरिक स्थानों पर तैनाती और निगरानी का कार्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इन क्रेनों और एंबुलेंसों के प्रेषितियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के प्रावधानों के अनुसार, उपकरण की वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट संबंधित राज्य के परिवहन आयुक्त/सचिव के माध्यम से मंत्रालय को प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने एंबुलेसों, क्रेनों की तैनाती और उनके इष्टतम उपयोग सहित प्रत्येक राज्य में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता देने की विद्यमान व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए मार्च, 2012 और जून, 2012 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और गैर-सरकारी संगठनों के पुलिस विभागों/परिवहन विभागों के साथ बैठकें भी आयोजित की हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों और राज्यों को निधियां प्रदान नहीं की जाती हैं क्योंकि अभिघात सेवा केन्द्रों का उन्नयन कार्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और यह मंत्रालय इन अभिघात सेवा केन्द्रों को एंबुलेंस उपलब्ध करा रहा है।

*विवरण-I*

*गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई एम्बुलेंसों और क्रेनों का ब्यौरा*

| वर्ष | 2009-10 | | | 2010-11 | | | 2011-2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | क्रेन (10 टन) | क्रेन (लघु/ मध्यम आकार) | एंबुलेंस | क्रेन (10 टन) | क्रेन (लघु/ मध्यम आकार) | एंबुलेंस | क्रेन (10 टन) | क्रेन (लघु/ मध्यम आकार) | एंबुलेंस |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| आंध्र प्रदेश | 2 | – | – | – | | 12 | 5 | – | – |
| अरुणाचल प्रदेश | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| असम | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – |
| बिहार | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| छत्तीसगढ़ | 1 | – | – | – | – | – | 2 | | – |
| गोवा | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| गुजरात | – | – | – | – | – | 11 | 3 | – | – |
| हरियाणा | – | 2 | – | – | ; | 1 | 2 | – | – |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – |
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | 5 | – |
| झारखंड | – | . | – | – | – | – | – | – | – |
| कर्नाटक | – | – | – | – | – | 7 | 5 | – | – |
| केरल | 2 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| मध्य प्रदेश | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | – |
| महाराष्ट्र | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| मणिपुर | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
| मेघालय | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – |
| मिजोरम | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | – |
| नागालैंड | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| ओडिशा | 2 | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
| पंजाब | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – |
| राजस्थान | 2 | – | – | – | – | 10 | 6 | – | – |
| सिक्किम | – | 3 | – | | | – | – | 2 | |
| तमिलनाडु | – | – | – | | | 9 | – | – | |
| त्रिपुरा | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – |
| उत्तराखंड | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – |
| उत्तर प्रदेश | 1 | – | – | – | – | 9 | 6 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 2 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – |
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| चंडीगढ़ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| दादरा और नगर हवेली | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| दमन और दीव | – | – | – | ; | – | – | – | – | – |
| दिल्ली | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| लक्षद्वीप | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| पुदुचेरी | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| जोड़ | 30 | 30 | – | – | – | 70 | 40 | 36 | – |

### *विवरण II*

| क्र.सं. | वर्ष 2009-10 के दौरान अधिप्राप्त दस टन की 30 क्रेनों के लिए प्रेषितियों की सूची | मात्र/जोन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | पुलिस महानिदेशक, आंध्र प्रदेश सरकार, पुलिस विभाग, हैदराबाद | 2 |
| 2. | श्री उदय सिंह कुमावत, आईएएस, परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना | 1 |
| 3. | श्री पी. एन. तिवारी, डीजीपी (रेलवे/परिवहन), मुख्यालय, छत्तीसगढ़ रायुपर | 1 |
| 4. | प्रभाकर, उप पुलिस आयुक्त, यातायात (मुख्यालय), नई दिल्ली | 3 |
| 5. | सहायक पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय, शिमला-171002 | 4 |
| 6. | परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्त का कार्यालय, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर | 1 |
| 7. | पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम | 1 |
| 8. | वरिष्ठ उप परिवहन आयुक्त (कराधान), परिवहन आयुक्तालय, केरल ट्रान्स टावर, तिरुवनंतपुरम | 1 |
| 9. | पुलिस महानिदेशक (यातायात/साईबर), पुलिस ट्रेनिंग और अनुसंधान संस्थान, पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल | 5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | श्री एच. इमोचा सिंह, आयुक्त (परिवहन), मणिपुर सरकार, सचिवालय, परिवहन विभाग, इम्फाल | 1 |
| 11. | श्री एन. जाहरत, संयुक्त सचिव, मिजोरम सरकार, परिवहन विभाग, आइजवल | 1 |
| 12. | अपर परिवहन आयुक्त (तकनीकी), परिवहन आयुक्त-व-अध्यक्ष का कार्यालय, राज्य परिवहन प्राधिकरण, ओडिशा, कटक | 2 |
| 13. | पुलिस महानिरीक्षक, पंजाब, यातायात, चंडीगढ़ | 1 |
| 14. | परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार | 2 |
| 15. | श्री के. एल. बाल, संयुक्त सचिव, त्रिपुरा सरकार, परिवहन विभाग, अगरतला | 1 |
| 16. | सुश्री अर्चना अग्रवाल, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ | 2-1 (एच पी बट) |
| 17. | श्री ए. के. शर्मा, पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता | 2 |
| 18. | श्री बसु कुमार, अपर सचिव व निदेशक परिवहन, अंडमान और निकोबार, प्रशासन, परिवहन निदेशालय, पोर्ट ब्लेयर (दूरभाष सं. -03192-230225) डब्ल्यू आर टी पत्र संख्या एमटी/4-25/2009 दिनांक 18.09.09 | 1 (एच पी बट) |
| | **जोड़** | **30** |

| क्र.सं. | वर्ष 2009-10 के दौरान अधिप्राप्त 30 लघु रिकवरी क्रेनों के लिए प्रेषितियों की सूची | मात्र/जोन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री टकेरिंगू, एपीपीएस, पुलिस अधीक्षक (टेलीकोम), पुलिस अधीक्षक (टेलीकोम) का कार्यालय, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791113 | 1 |
| 2. | श्री ए. के. गवास, पुलिस अधीक्षक, यातायात, पुलिस अधीक्षक यातायात का कार्यालय, पणजी, गोवा | 1 |
| 3. | डी. पी पंवार, अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा | 2 |
| 4. | परिवहन निदेशक, परिवहन निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171004 | 3+2 |
| 5. | एआईजी (प्रावधान परिवहन), पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर | 4-2 (एच पी बट) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | वरिष्ठ उप परिवहन आयुक्त (कराधान), परिवहन आयुक्तालय, केरल ट्रान्स टावर, तिरुवनंतपुरम | 1 |
| 7. | सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) मेघालय सरकार, महानिदेशक का कार्यालय और पुलिस महानिरीक्षक, मेघालय, शिलोंग | 3 |
| 8. | श्रीमति एन. क्यांता, अवर सचिव, मेघालय सरकार, परिवहन विभाग, शिलोंग | 1 |
| 9. | निचुंगनुंगा (एआईजी-II), सहायक पुलिस महानिरीक्षक-II, पुलिस मुख्यालय, सरकार मिजोरम, मिजोरम, आईजोल | 2 |
| 10. | उप पुलिस महानिरीक्षक, रेंज, पुलिस मुख्यालय, सिक्किम सरकार, गंगटोक-73101, सिक्किम | 2 |
| 11. | श्री कर्मा एन.भुटिया, आईएस, सचिव, परिवहन विभाग, सिक्किम सरकार, यातायात भवन, गंगटोक-737101 | 1 |
| 12. | श्री के. एल. बाल, संयुक्त सचिव, त्रिपुरा सरकार, परिवहन विभाग, अगरतला | 2 |
| 13. | श्री जे. एस. पांडे, उप पुलिस महानिदेशक (प्रशासन), उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड सरकार, देहरादून | 2 |
| 14. | डा. उमाकांत पंवार, सचिव एवं आयुक्त (परिवहन), परिवहन आयुक्त का कार्यालय, उत्तराखंड सरकार, कुल्हान, सहस्रधारा रोड, देहरादून | 2 |
| 15. | श्री ए.के. शर्मा, पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता | 2 |
| 16. | डा. बी. श्रकांत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कानून और व्यवस्था), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय (कानून और व्यवस्था), पुदुचेरी | 1 |
| | **जोड़** | **30** |

| क्र.सं. | वर्ष 2011-12 के दौरान अधिप्राप्त दस टन की 40 लघु रिकवरी क्रेनों के लिए प्रेषितियों की सूची | मात्र/जोन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | प्रधान सचिव, परिवहन, सड़क एवं निर्माण विभाग (टीआर-1), जे-ब्लॉक, 5वां तल, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद | 5 |
| 2. | पुलिस महानिदेशक (रेल/परिवहन), मुख्यालय, छत्तसीगढ़ रायपुर | 2 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | परिवहन आयुक्त, हाउसफेड कॉप्लेकस, ब्लॉक-4, बेलतोला रोड़, दिसपुर, गुवाहटी-6 | 1 |
| 4. | उप पुलिस महानिरीक्षक (पीएंडएम), पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का कार्यालय, गुजरात राज्य, "पुलिस भवन" सेक्टर 18, गांधी नगर | 3 |
| 5. | परिवहन निदेशालय, मुख्यालय, जुटा हाउस, पणजी-403001, गोवा | 1 |
| 6. | श्री एस. एस. कपूर, पुलिस महानिरीक्षक (टेलीकोम), पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, पंचकुला | 2 |
| 7. | पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का कार्यालय, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक का कार्यालय, पुलिस विभाग, कर्नाटक बैंगलोर | 5 |
| 8. | पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम | 2 |
| 9. | पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय (यातायात), पुलिस ट्रेनिंग और अनुसंधान संस्थान, पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश, भोपाल-462008 | 5 |
| 10. | पुलिस महानिदेशक, रेलवे एवं यातायात, सरकार पंजाब, चंडीगढ़ | 2 |
| 11. | परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर-302005 (राजस्थान) | 6 |
| 12. | मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रशासन, परिवहन अनुभाग-3, लखनऊ | 6 |
| | **जोड़** | **40** |

| क्र.सं. | वर्ष 2011-12 के दौरान अधिप्राप्त 36 लघु रिकवरी क्रेनों के लिए प्रेषितियों की सूची | मात्र/जोन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | पुलिस अधीक्षक (टेलिकोम/एमटी), पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, पुलिस मुख्यालय, ईटानगर-791113 | 5 |
| 2. | परिवहन आयुक्त, हाऊसफेड कॉम्पलेकस, ब्लॉक-4 बेलतोला रोड, दिसपुर, गुवाहटी-6 | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3. | प्रधान सचिव (परिवहन), परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमलां-171004 | 5 |
| 4. | एआईजी (प्रोविजन-परिवहन), जम्मू और कश्मीर, पुलिस मुख्यालय, श्रीनगर | 5 |
| 5. | पुलिस महानिदेशक, पुलिस विभाग, सरकार मणिपुर, इम्फाल-795001 | 2 |
| 6. | सचिव, सरकार मेघालय, परिवहन विभाग, शिलोंग | 4 |
| 7. | सचिव, सरकार मिजोरम, परिवहन विभाग, आईजोल | 4 |
| 8. | परिवहन आयुक्त, सरकार नागालैंड, मोटर यान विभाग, परिवहन आयुक्त का कार्यालय, नागालैंड, कोहिमा-797001 | 3 |
| 9. | पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, सरकार सिक्किम, गंगटोक-737001 | 2 |
| 10. | अवर सचिव, सरकार त्रिपुरा, परिवहन विभाग, अगरतला | 2 |
| 11. | पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, 12 - सुभाष रोड़ उत्तराखंड सरकार, देहरादून-248001 | 2 |
| 12. | पुलिस महानिदेशक (आई/सी), पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर | 1 |
| | जोड़ | 36 |

*70 अस्पतालों/अभिघात सेवा केंद्रों की सूची जिन्हें 70 जीवन सहायक उन्नत एंबुलेंसों की आपूर्ति की गई है*

| क्र.सं. | राज्य | अस्पताल/चिकित्सा संस्था का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | चिकित्सा महाविद्यालय (गुन्टूर) |
| 2. | आंध्र प्रदेश | जिला अस्पताल (नेल्लौर) |
| 3. | आंध्र प्रदेश | किंग जॉर्ज अस्पताल (विजाग, विशाखापटनम) |
| 4. | आंध्र प्रदेश | नायडूपेट तालुक अस्पताल (नेल्लौर) |
| 5. | आंध्र प्रदेश | तुनी तालुक अस्पताल (पूर्वी गोदावरी) |
| 6. | आंध्र प्रदेश | तालुक अस्पताल (तेक्काली) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | आंध्र प्रदेश | जिला अस्पताल (ओंगोल) |
| 8. | आंध्र प्रदेश | राजीव गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आरआईएमएस) (आदिलाबाद) |
| 9. | आंध्र प्रदेश | एरिया अस्पताल (कामरेड्डी) |
| 10. | आंध्र प्रदेश | जिला मुख्यालय अस्पताल (निजामाबाद) |
| 11. | आंध्र प्रदेश | राजकीय जनरल अस्पताल (कुरुनूल) |
| 12. | आंध्र प्रदेश | राजकीय जनरल अस्पताल (अनंतपुर) |
| 13. | गुजरात | जनरल अस्पताल (वलसाड) |
| 14. | गुजरात | राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (सूरत) |
| 15. | गुजरात | राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय (वदोदरा) |
| 16. | गुजरात | जिला अस्पताल (हिम्मतनगर) |
| 17. | गुजरात | जिला अस्पताल (भरुच) |
| 18. | गुजरात | पंडित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल (राजकोट) |
| 19. | गुजरात | जनरल अस्पताल (मोरबी) |
| 20. | गुजरात | सिविल अस्पताल (राधनपुर, जिला पाटण) |
| 21. | गुजरात | सहजोड़ आरोग्य अस्पताल (भचउ, कच्छ) |
| 22. | गुजरात | जनरल अस्पताल (पोरबंदर) |
| 23. | गुजरात | सीएचसी (जेतपुर) |
| 24. | हरियाणा | बीएसएस जनरल अस्पताल (पानीपत) |
| 25. | जम्मू और कश्मीर | राजकीय जिला अस्पताल (उधमपुर) |
| 26. | जम्मू और कश्मीर | मिर्जा मोहम्मद अफजलबेग मेमोरियल जिला अस्पताल, (अनंतनाग) |
| 27. | कर्नाटक | चित्रदुर्ग सिविल अस्पताल (चित्रदुर्ग) |
| 28. | कर्नाटक | तुमकुर जिला अस्पताल (तुमकुर) |
| 29. | कर्नाटक | सीरा सीएचसी/तालुक अस्पताल (सीरा) |
| 30. | कर्नाटक | देवनगेरे सिविल अस्पताल (देवनगेरे) |
| 31. | कर्नाटक | हवेरी जिला अस्पताल (हवेरी) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 32. | कर्नाटक | बेलगांव जिला अस्पताल (बेलगांव) |
| 33. | कर्नाटक | कर्नाटक चिकित्सा विज्ञान संस्थान (केआईएमएस) (हुबली) |
| 34. | महाराष्ट्र | राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (कोल्हापुर) |
| 35. | महाराष्ट्र | बी.जे. चिकित्सा महाविद्यालय (पुणे) |
| 36. | महाराष्ट्र | सतारा जिला अस्पताल (सतारा) |
| 37. | ओडिशा | जिला अस्पताल (बालासोर) |
| 38. | ओडिशा | जिला अस्पताल (खुर्दा) |
| 39. | ओडिशा | जिला अस्पताल (भद्रक) |
| 40. | पंजाब | जिला अस्पताल (जालंधर) |
| 41. | राजस्थान | राजकीय बीडीएम अस्पताल (कोटपुतली) |
| 42. | राजस्थान | एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय (जयपुर) |
| 43. | राजस्थान | जेएलएन चिकित्सा महाविद्यालय (अजमेर) |
| 44. | राजस्थान | जिला अस्पताल (भीलवाड़ा) |
| 45. | राजस्थान | आरएनटी चिकित्सा महाविद्यालय (उदयपुर) |
| 46. | राजस्थान | सिविल अस्पताल (डुंगरपुर) |
| 47. | राजस्थान | राजकीय अस्पताल (सिरोही) |
| 48. | राजस्थान | राजकीय अस्पताल (बारां) |
| 49. | राजस्थान | श्री सांवलिया अस्पताल (चित्तौड़गढ़) |
| 50. | राजस्थान | नया चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (कोटा) |
| 51. | तमिलनाडु | राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और सिविल अस्पताल (वेल्लौर) |
| 52. | तमिलनाडु | डीन, किलपौक चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (चेन्नै) |
| 53. | तमिलनाडु | कृष्णागिरि राजकीय अस्पताल (धरमपुरी) |
| 54. | तमिलनाडु | जिला मुख्यालय अस्पताल (डिंडीगुल) |
| 55. | तमिलनाडु | राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (कन्याकुमारी) |
| 56. | तमिलनाडु | तिरुनेलवेली चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (तिरुनेलवेली) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 57. | तमिलनाडु | जिला मुख्यालय अस्पताल (करूर) |
| 58. | तमिलनाडु | जिला मुख्यालय अस्पताल (कोविलपट्टी) |
| 59. | तमिलनाडु | राजकीय राजाजी अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय (मदुरै) |
| 60. | उत्तर प्रदेश | एमएलएन चिकित्सा महाविद्यालय (इलाहाबाद) |
| 61. | उत्तर प्रदेश | बीआरडी चिकित्सा महाविद्यालय (गोरखपुर) |
| 62. | उत्तर प्रदेश | जिला अस्पताल (ललितपुर) |
| 63. | उत्तर प्रदेश | जिला अस्पताल (जालौन) |
| 64. | उत्तर प्रदेश | एमएलबी चिकित्सा महाविद्यालय (झांसी) |
| 65. | उत्तर प्रदेश | श्री भीमराव अम्बेडकर जिला अस्पताल (इटावा) |
| 66. | उत्तर प्रदेश | एसएन चिकित्सा महाविद्यालय (आगरा) |
| 67. | उत्तर प्रदेश | एलएलआर अस्पताल और जीएसवीएम चिकित्सा महाविद्यालय (कानपुर) |
| 68. | उत्तर प्रदेश | जिला अस्पताल (फैजाबाद) |
| 69. | पश्चिम बंगाल | बर्दवान चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (बर्दवान) |
| 70. | पश्चिम बंगाल | उप-प्रभागीय अस्पताल (आसनसोल) |

### *विवरण III*

*वर्ष 2009-10 के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 टन की तथा लघु रिकवरी क्रेनों के लिए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं की सूची*

| क्र. सं. | राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का नाम | विभाग का नाम | 10 टन क्रेन | पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लघु क्रेनें |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 23 | 23 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 2 | 6 |
| 3. | बिहार | परिवहन विभाग | 6 | - |
| 4. | छत्तीसगढ़ | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 5 | - |
| | | परिवहन विभाग | 2 | - |
| 5. | दिल्ली | परिवहन विभाग | 6 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | गोवा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 10 (5-मध्यम और 5-लघु क्रेन) |
| 7. | हरियाणा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 10 (मध्यम आकार) |
| | | परिवहन विभाग | - | 2 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 10 | - |
| | | परिवहन विभाग | - | 13 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 33 (19-मध्य आकार और 14-लघु आकार) |
| | | परिवहन विभाग | 3 | |
| 10. | केरल | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 4 | 4 |
| | | परिवहन विभाग | 8 | 2 |
| 11. | मध्य प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 132 | - |
| 12. | मणिपुर | परिवहन विभाग | 5 | - |
| 13. | मेघालय | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 12 (6-लघु और 6 मध्य आकार की क्रेन) |
| | | परिवहन विभाग | - | 1 |
| 14. | मिजोरम | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 8 |
| | | परिवहन विभाग | 3 | - |
| 15. | ओडिशा | परिवहन विभाग | 17 | - |
| 16. | पंजाब | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 10 | - |
| 17. | राजस्थान | परिवहन विभाग | 34 | - |
| 18. | सिक्किम | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 10 (5-मध्य और 5- लघु) |
| | | परिवहन विभाग | - | 2 |
| 19. | त्रिपुरा | परिवहन विभाग | 4 | 11 (5-मध्यम और 6- लघु आकार) |
| 20. | उत्तराखंड | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 5 |
| | | परिवहन विभाग | - | 15 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | परिवहन विभाग | 19 | - |
| 22. | पश्चिम बंगाल | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 5 | 10 |
| 23. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | परिवहन विभाग | 2 | - |
| 24. | पुदुचेरी | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 3 (एक मध्य और 2 लघु आकार क्रेन) |
| | जोड़ | | 300 | 180 |

*वर्ष 2010-11 के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 टन की क्रेनों तथा लघु रिकवरी क्रेनों के लिए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं की सूची*

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का नाम | विभाग का नाम | 10 टन क्रेन | पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लघु रिकवरी क्रेन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | परिवहन विभाग | 10 | 5 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | परिवहन विभाग | - | 10 |
| 3. | असम | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | | |
| 4. | छत्तीसगढ़ | परिवहन विभाग | 5 | - |
| 5. | दिल्ली | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 6 | 6 (1.5 टन) 6 (2.5 टन) |
| 6. | गुजरात | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 17 | 16 |
| 7. | गोवा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 2- | 5 (5-मध्यम और 5- लघु क्रेन) |
| | | परिवहन विभाग | | |
| 8. | हरियाणा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 7 | - |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 6 | - |
| | | परिवहन विभाग | 10 | 10 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 48 |
| 11. | कर्नाटक | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 24 | 18 |
| 12. | केरल | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 5 | 5 |
| 13. | मध्य प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 127 | - |
| 14. | मणिपुर | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | | |
| 15. | मेघालय | परिवहन विभाग | - | 4 |
| 16. | मिजोरम | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 6 |
| | | परिवहन विभाग | 4 | 10 |
| 17. | नागालैंड | परिवहन विभाग | 4 | 4 |
| 18. | पंजाब | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 8 | 15 |
| 19. | राजस्थान | परिवहन विभाग | 34 | |
| 20. | सिक्किम | पुलिस विभाग | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 21. | त्रिपुरा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 4 | 9 (3-मध्य 6- लघु) |
| | | परिवहन विभाग | 4 | 9 (3-मध्यम 6- लघु आकार) |
| 22. | उत्तराखंड | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | | |
| 23. | उत्तर प्रदेश | परिवहन विभाग | 19 | - |
| 24. | अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 5 | 5 |
| | | परिवहन विभाग | 2 | - |
| | कुल | | 303 | 191 |

*वर्ष 2011-12 के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 10 टन की क्रेनों तथा लघु रिकवरी क्रेनों के लिए राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों से प्राप्त आवश्यकताओं की सूची*

| क्र.सं. | राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का नाम | विभाग का नाम | क्रेन (10 टन) | लघु/मध्यम आकार की क्रेन | एंबुलेंस |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 63 | - | - |
| | | परिवहन विभाग | 5 | 5 | 10 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक | - | 26 (3 से 5 टन क्षमता) | 21 (टाटा सुमो या 407 (4X4) एंबुलेंस) |
| | | परिवहन विभाग | - | 23 | 23 |
| 3. | असम | परिवहन विभाग | 7 | 12 | 12 |
| 4. | हरियाणा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 8 | 10 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | परिवहन विभाग | 10 | 16 | 18 (बीएलएस) |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 58 | 74 | 66 (बीएलएस) |
| | | परिवहन विभाग | 12 | 13 | 12 |
| 7. | झारखंड | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 33 | 34 | 40 |
| 8. | कर्नाटक | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 24 | 18 | - |
| 9. | केरल | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 2 (2-5 टन और 2 एक टन) | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | परिवहन विभाग केरल सड़क सुरक्षा प्राधिकरण | 1. पुलिस विभाग 16 (13-5 टन और 9-1 टन) 2. आग और बचाव विभाग 8 | 15 | 15 (बीएलएस) +118 (स्वास्थ्य विभाग के लिए बीएसएल) |
| 10. | मध्य प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 40 | 68 | 89 |
| 11. | महाराष्ट्र | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 40 | 23 | 63 (बीएलएस) |
| 12. | मणिपुर | परिवहन विभाग | - | 5 | - |
| 13. | मेघालय | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 24 | 29 | 25 |
| | | परिवहन विभाग | संख्या का उल्लेख नहीं | संख्या का उल्लेख नहीं | संख्या का उल्लेख नहीं |
| 14. | नागालैंड | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 5 | - | 5 (बीएसएल-एंबुलेंस टाटा विंगर(एसी) |
| | | परिवहन विभाग | 5 | - | 5 |
| 15. | ओडिशा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 10 | 15 | 21 |
| | | परिवहन विभाग | - | | |
| 16. | पंजाब | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 10 | - | - |
| 17. | सिक्किम | परिवहन विभाग | उल्लेख नहीं किया गया | - | - |
| 18. | तमिलनाडु | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 10 | 5 | 10 (बीएलएस) |
| 19. | त्रिपुरा | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 4 (3 माध्यम) | 6 | - |
| 20. | उत्तराखंड | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | - | 6 | 2 |
| | | परिवहन विभाग | - | 20 | 25 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 72 लिफ्टिंग क्रेन | - | 50 |
| | | परिवहन विभाग | 62 | - | 56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | पश्चिम बंगाल | परिवहन विभाग | 6 | 6 | 22 |
| 23. | अंडमान निकोबार द्वीपसमूह | पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक | 4 | - | 6 |
| | | परिवहन विभाग | 6 | 6 | - |
| 24. | चंडीगढ़ | परिवहन विभाग | शून्य | शून्य | शून्य |
| | जोड़ | | 536 | 433 | 724 |

**विलुप्त प्राय प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा**

**3659. श्री शिवकुमार उदासी:**
**श्री वरुण गांधी:**
**श्री हसंराज गं. अहीर:**
**श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाटनीकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऐसे पादपों, औषधियों, झाड़ियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण/आकलन कराया है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार विलुप्त प्राय जानवरों के संबंध में भी ऐसी ही कोई सूची तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन दुर्लभ पादपों को संरक्षित करने और ऐसे पादपों और जानवरों के अवैध-व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) जी हां, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), सभी पादप प्रजातियों के वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्रलेखन और स्थिति-मूल्यांकन के अपने अधिदेश के साथ संकटापन्न प्रजातियों के लिए खतरे (मानवीय/प्राक्रतिक) का आकलन करने और इनकी सूची तैयार करने के लिए वानस्पतिक सर्वेक्षण भी आयोजित करता रहा है।

(ख) विभाग द्वारा अनुरिक्षत तथा क्षेत्र सर्वेक्षण दौरों द्वारा सत्यापित शुष्क पादप सामग्री के बृहत वनस्पति-संग्रहालय भण्डार के अध्ययनों के आधार पर, बीएसआई पहले ही भारतीय पापदों की रेड डाटा पुस्तिका के चार खण्ड (संपादक - जैन और राव, 1984; नायर और शास्त्री 1987-1990) तथा भारत में संकटापन्न संवहनीय पादप प्रजातियों की रेड लिस्ट (राव और अन्य 2003) प्रकाशित कर चुका है जिनमें देश में 1236 संकटापन्न पादप टाक्सा संबंधी सूचना उपलब्ध कराई गई है।

(ग) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेडएसआई), कोलकाता स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय केंद्रों, जिनके अंतर्गत भारत के सभी जैव-भौगोलिक क्षेत्र तथा पारि-प्रणालियां आती है, के माध्यम से दुर्लभ, विलुप्त प्राय, स्थानिक और संकटापन्न पशुओं के स्थिति सर्वेक्षण सहित प्राणि-जात का सर्वेक्षण आयोजित करता है। सर्वेक्षण के परिणाम, नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं और सरकारी अभिकरणें को संप्रेषित किये जाते हैं। जेडएसआई द्वारा अब तक पशुओं की 10 प्रजातियों का स्थिति-सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया है। इन अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को इन प्रजातियों के संरक्षण-प्रबंधन में शामिल किया जाता है।

(घ) देश में विलुप्त प्राय पशुओं और पादपों के अवैध व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पादपों और पशुओं की संकटापन्न हो सकने वाली प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की उपयुक्त अनुसूचियों में शामिल करके उन्हें अनियमित शोषण के विरुद्ध वेधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

(ii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की विभिन्न अनुसूचियों में शामिल किये गए वन्य पशुओं का शिकार और वाणिज्यिक दोहन निषिद्ध किया गया है। इन प्रजातियों के प्रति किए गए अपराधों के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत दण्ड निर्धारित किया गया है।

(iii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को संशोधित करके इसे और कड़ा बनाया गया है। अपराधों के लिए सजा बढ़ायी गयी है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराधों की घटनाओं में प्रयोग किए गए किसी औज़ार, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(iv) वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत पूरे देश में सुरक्षित क्षेत्रों अर्थात् राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, संरक्षण रिजर्वों और कम्युनिटी रिजर्वों का सृजन करके उनके दायरे में सभी महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को लाया गया है।

(v) वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावासों में सुधार करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों अर्थात् 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', "बाघ परियोजना" और "हाथी परियोजना" के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(vi) वन्यजीव अपराधियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध अभियोजन चलाने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को अधिकृत किया गया है।

(vii) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में क्षेत्र संरचना को सुदृढ़ बनाने और गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

(viii) वन्यजीवों के शिकार और उनसे बने उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण संबंधी कानून के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई हैं।

(ix) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 'अत्यन्त संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों की बहाली कार्यक्रम' को प्रारंभ करने के लिए वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत एक घटक जोड़ा गया है।

(x) भारत, वन्य प्राणि-जात और वनस्पति-जात की विलुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सीआईटीईएस) का एक हस्ताक्षरी है, जिसके तहत वन्यजीवों और इनके व्युत्पन्नों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित किया गया है।

(xi) जैविक विविधता अधिनियम की धारा 38 में संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार को उन प्रजातियों, जोकि विलुप्त होने के कगार पर हैं अथवा निकट भविष्य में संकटापन्न प्रजातियों के रूप में विलुप्त होने वाली है, को समय-समय पर अधिसूचित करने और उनके एकत्रण को निषिद्ध तथा विनियमित करने और उन प्रजातियों को पुनःबसाने और अनुरक्षित करने हेतु समुचित कदम उठाने के लिए भी अधिकार संपन्न बनाया गया है। इन उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए, सरकार ने भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण (जेडएसआई) के माध्यम से पादपों और पशुओं की उन संकटापन्न प्रजातियों की एक राज्य-वार सूची बनाई है, जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। साथ ही सरकार ने इन प्रजातियों के एकत्रण को निषिद्ध अथवा विनियमित करने संबंधी दिशा-निर्देश तथा उने पुनर्वास और संरक्षण के उपाय भी निर्धारित किए हैं। उक्त सूची को अक्तूबर, 2008 में राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों/अनुमोदन हेतु भेजा गया था। टिप्पणियों के प्राप्त होने पर अब तक चौदह राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा और मेघालय, गोवा और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, बिहार और तमिलनाडु के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई है। शेष राज्यों के साथ इस मामले को निरंतर उठाया जा रहा है।

## गैर-सरकारी संगठनों हेतु वित्तीय सहायता

**3660. श्री संजय धोत्रे:**
**श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल श्रमिकों हेतु गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा चलाए जा रहे विशेष स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु ऐसे एनजीओ को राज्य-वार कितनी निधियां जारी की गई है;

(घ) सरकार के पास ऐसी प्रणाली की निगरानी हेतु उपलब्ध तंत्र क्या हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त प्रयोजन हेतु ही इन निधियों का उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यह देखने के लिए क्या तंत्र उपलब्ध हैं कि बाल श्रमिकों का पुनर्वास करते समय वे गलत हाथों में न जाएं?

**श्रम और रोजगार मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन खरगे):** (क) और (ख) श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रम के उन्मूलन और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) और सहायता अनुदान (जीआईए) योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम के अंतर्गत, 266 जिलों में बाल श्रमिकों के लिए लगभग 7311 विशेष स्कूल संचालित किए जा रहे है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास और उन्मूलन के लिए जिलाधीशों की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति की निधियां जारी की जाती है जो बाद में बाल श्रमिकों संबंधी विशेष स्कूलों को निधियां आवंटित करती है। जहां कहीं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम प्रचालन में नहीं है वहां सहायता अनुदान योजना क्रियान्वित की जाती है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को बाल श्रमिकों संबंधी विशेष स्कूल चलाने के लिए सीधे ही निधियां प्रदान की जाती है। अब तक, सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों संबंधी विशेष स्कूलों में सभी बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में नये स्कूल शुरू किए जाने हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(घ) और (ङ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में स्कूलों के संचालन के अनुवीक्षण के लिए नियमित रूप से स्कूलों का दौरा करते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त निधियां जारी करते समय उपयोग प्रमाण-पत्र, परीक्षित लेखाओं और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की इस मंत्रालय में गहन छानबीन की जाती है। विशेष स्कूलों का इस मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए नोडल अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है और वे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

## *विवरण*

*2009-2010 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान*

| क्र.सं. | गैर-सरकारी संगठनों के नाम | जारी की गयी अनुदान राशि (रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | राष्ट्रीय विकास संस्थान, 146, विधातानगर, भटिंडी रोड नेरवाल, जम्मू | 4,57,650 |
| 2. | ग्रामीण विकास संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान, 6, शुभम अपार्टमेंट, नागपुर | 3,55,444 |
| 3. | सामाजिक बहु-उद्देशीय संस्था, कमल टाकीज के पास, नागपुर-440017 | 4,95,787 |
| 4. | सोशियों ऑरियंटल फास्ट इडस्ट्रियल एसोसिएशन (सोफिया) फाउडेन, जिला-थौबल, मणिपुर--795138 | 6,08,382 |
| 5. | अखिल मणिपुर महिला स्वैच्छिक सेवा, सागलबंद, एन एम लेन, इम्फाल (प.), मणिपुर-1 | 5,72,062 |
| 6. | ग्रामीण शिक्षा एवं खेलकूद विकास संघ (आरईएसडीए), वांगबल-1, जिला-थौबल, मणिपुर | 6,40,764 |
| 7. | शहरी कल्याण संघ, निकट-एमएम गैस गोदाम, इम्फाल (प.) मणिपुर | 76,275 |
| 8. | हंगल संयुक्त विकास संघ (एचयूडीए) मयंग, इम्फाल, मणिपुर | 4,06,800 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 9. | शहरी ग्रामीण विकास एजेंसी (यूआरडीए), इम्फाल, मणिपुर | 6,48,336 |
| 10. | रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्था, एस-14, मंडी परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर | 4,57,650 |
| 11. | महिला समाज शिक्षा समिति, जिला-ग्वालियर | 1,52,550 |
| 12. | अलोंगमैन बहु-उद्देशीय सहकारी समिति, अलोंगमैन वार्ड, मोकोचुंग नागालैण्ड | 62,829 |
| 13. | आंचलिक युवा परिषद, लक्ष्मीनारायण हाट, डाकघर-शंकेश्वर, जिला-जगतसिंहपुर, ओडिशा | 1,52,550 |
| 14. | नारायणी महिला मंडल, मुकाम-पाडनपुर, डाकघर-भीमपुर, वाया-जाटना, जिला-खुर्दा-752050 | 2,41,538 |
| 15. | संचार एवं विकास कार्रवाई संस्थान (आईसीडीए) मुकाम-नारीपुर, जिला-भद्रक-756100 | 3,04,600 |
| 16. | स्वैच्छिक कार्रवाई संघ (एवीए) जिला ओडिशा | 3,78,325 |
| 17. | स्वास्थ्य शिक्षा एवं विकास संघ (एएचईएडी) प्लीट 216 आरीलर्न, भुवनेश्वर-751020 | 4,32,225 |
| 18. | प्राकृतिक ग्रामीण विकास निगम (एनआरडीसी) निदाद्री, भुवनेश्वर, ओडिशा | 4,57,649 |
| 19. | एम एम मालवीय विकलांग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश | 1,89,902 |
| 20. | कर्म बल विद्या निकेतन समिति, 2 एफ-43, माहवीर नगर एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान | 25,425 |
| 21. | अकादमी ऑफ एजूकेशन सोसायटी, नगरपालिका कॉलोनी, निकट क्लाथ माता मंदिर जिला-बारन | 3,02,700 |
| 22. | हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, 1/35, बजरिया अलीगंज, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद | 3,04,791 |
| 23. | जाग्रति फाउन्डेशन, बंजरिया रोड, खलीलाबाद, जिला-संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश) | 3,05,100 |
| 24. | हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति, 18/32 जज कालोनी, इलाहाबाद | 2,28,825 |
| 25. | सरदार हमीदी तालीमी व समाजी मिशन, 196, चिल्ला, अमरोहा, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश | 2,91,809 |
| 26. | शांति महिला एवं बाल विकास परिषद, ग्राम-नागवाल, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश | 6,86,475 |
| 27. | नवादा ग्रामोद्योग विकास समिति, जेपी नगर, उत्तर प्रदेश | 1,27,950 |
| 28. | मानव समाजोत्थान सेवा संस्थान, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश | 2,28,825 |
| 29. | परियोजना स्वराज्य, गणेश घाट, कटक, ओडिशा | 3,30,507 |
| 30. | दयानंद सरस्वती शिक्षा समिति, सिसवाली, जिला-बारन, राजस्थान | 76,275 |
| | महायोग | 1,00,00,000 |

*2010-11 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान*

| क्र.सं. | गैर-सरकारी संगठनों के नाम | प्रदान की गयी अनुदान राशि (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सरदार हमीदी तालीमी, अमरोही उत्तर प्रदेश | 3,05,100 |
| 2. | एनआईएसएसए, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा | 3,81,375 |
| 3. | वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार | 50,100 |
| 4. | समाज कल्याण शिक्षण संस्था, बस्ती, उत्तर प्रदेश | 1,14,413 |
| 5. | राष्ट्रीय एकीकृत विकास सहायता संस्थान, ओडिशा | 1,65,262 |
| 6. | आदर्श शिक्षा केन्द्र, खुर्दा, ओडिसा | 3,47,792 |
| 7. | गणपत राव निम्बालकर एस मुक्ति आश्रम, लातूर, महाराष्ट्र | 2,93,100 |
| | **10-11 में कुल पुनर्वैधित** | **16,57,142** |
| 8. | वैशाली जन जागरण समिति, हाजीपुर, बिहार | 3,22,900 |
| 9. | एनआरडीसी, भुवनेश्वर, ओडिशा | 4,85,789 |
| 10. | आरईएसडीए, मणिपुर | 7,62,750 |
| 11. | सोफिया, थौबल, मणिपुर | 7,64,568 |
| 12. | ब्राइटवेज, विष्णुपुर, मणिपुर | 10,29,712 |
| 13. | ओआरएसएसए, नयागढ़, मणिपुर | 6,86,475 |
| 14. | आदर्श शिक्षा केन्द्र, जिला-खुर्दा, ओडिशा | 3,38,683 |
| 15. | बहुजन हिताय बहुजन मंडल लातूर, महाराष्ट्र | 6,86,475 |
| 16. | तेराखोंग एमनिंग महिला मंडल, मणिपुर | 8,50,000 |
| 17. | सीआरयूएस, थौबल, मणिपुर | 6,86,475 |
| 18. | एसओआरडीईवी, थौबल, मणिपुर | 2,03,401 |
| 19. | एनआईएसएसए, केन्द्रपाड़ा, ओडिशा | 3,05,100 |
| 20. | राष्ट्रीय विकास संस्थान, जम्मू और कश्मीर | 1,14,412 |
| | **2010-11 में जारी की गयी कुल राशि** | **88,93,882** |
| | *2011-12 में गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया गया अनुदान* | |
| 1. | सरदार हमीदी जालीमी, अमरोहा उत्तर प्रदेश | 88,989 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | सरजूबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर (+ क्रमांक13) | 6,10,200 |
| 3. | यूआरडीए, मणिपुर | 4,95,789 |
| 4. | अजाद नयवुवक मंडल, राजस्थान | 4,57,650 |
| 5. | हुडा, हंगुल, मणिपुर | 2,79,775 |
| 6. | मानव सेवा समिति, राजस्थान | 4,50,000 |
| 7. | सीईडीओ, मणिपुर (+ क्रमांक 10) | 5,33,925 |
| | **2011-12 में पुनर्वेधित** | **29,16,328** |
| 8. | रवीन्द्र स्मृति समाज कल्याण एवं शोध संस्थान, मंडी परिसर, विजयपुर, जिला-शिवपुर, मध्य प्रदेश | 3,43,337 |
| 9. | महिला समाज शिक्षा समिति | 5,33,925 |
| 10. | सीईडीओ, मणिपुर (+क्रमांक7) | 4,95,787 |
| 11. | आरईएसडीए, मणिपुर | 3,12,674 |
| 12. | जन विकास समिति, मणिपुर | 4,06,800 |
| 13. | सरजूबाई गोस्वामी मेमोरियल, ग्वालियर (+क्रमांक 2) | 3,00,000 |
| 14. | हितेश ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उत्तर प्रदेश | 79,284 |
| 15. | वैशाली जन-जागरण समिति, वैशाली, बिहार | 2,49,913 |
| 16. | आल मणिपुर विमेंस वालेंटरी सर्विसेज, मणिपुर | 9,53,438 |
| 17. | जन हितकारी संस्थान कुशीनगर, उत्तर प्रदेश | 6,10,200 |
| 18. | तेरा खोंग, मणिपुर | 1,71,712 |
| | | 73,73,398 |

चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012-13 के दौरान सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत अब तक कोई भी अनुदान जारी नहीं किया गया है।

*[हिन्दी]*

**रक्षा विभाग में भ्रष्टाचार**

**3661. श्री गणेश सिंह:**
**श्री माणिकराव होडल्या गावित:**
**श्री ताराचन्द भगोरा:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय सेना सहित सशस्त्र बलों में भ्रष्टाचार, लगातार घोटालों और अनियमितताओं के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) इन मामलों में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई और इस संबंध में दोषी पाए गए लोगों की संख्या कितनी है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) से (ङ) जब कभी भ्रष्टाचार के आरोप का कोई मामला प्राप्त होता है, मंत्रालय उसकी जांच करता है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, मामला जांच हेतु समुचित एजेंसी को भेजा जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं अपने संबंधित अधिनियमों यथा सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम तथा नौसेना अधिनियम से शासित होती हैं। भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त होने वाले रक्षा कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए इन अधिनियमों में समुचित प्रावधान मौजूद हैं। सशस्त्र सेनाओं में प्रभावी सतर्कता तंत्र मौजूद है और जब कभी भ्रष्टाचार का कोई मामला प्रकाश में आता है, तत्काल कार्रवाई की जाती है।

*[अनुवाद]*

**अवैध कब्जे में रक्षा भूमि**

**3662. श्री पी.के. बिजू:**
**श्री चंद्रकांत खैरे:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिविलियनों के अवैध कब्जे में रक्षा भूमि का क्षेत्रफल कितना है और इसका बाजार मूल्य कितना है;

(ख) हाल ही में रक्षा भूमि के संबंध में कथित भ्रष्टाचार/अनियमितताओं की कुल संख्या कितनी है और इसमें अंतर्ग्रस्त भूमि कितनी है;

(ग) इन प्रत्येक मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) भूमि संबंधी विवादों में मंत्रालय के उच्च रैंक अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भूमि वापस लेने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) लगभग 12364 एकड़ रक्षा भूमि पर अवैध कब्जा अथवा अतिक्रमण हुआ है जिसमें सिविलियनों द्वारा किया गया अतिक्रमण भी शामिल है। चूंकि बाजार मूल्य को स्पष्ट रूप से संख्यात्मक रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता इसलिए इस संबंध में आंकड़े रखना संभव नहीं है।

(ख) से (घ) वर्तमान में रक्षा भूमि से संबंधित तथाकथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के सात मामलों की रिपोर्ट मंत्रालय को दी जा चुकी है। मामला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के साथ छावनी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत की जाती है। मंत्रालय द्वारा सतर्कता बरतने, अतिक्रमणों का पता लगाने और नए अतिक्रमणों को रोकने को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर जोर डालते हुए विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक तथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है और कुछ मामलों में सी बी आई को जांच सौंपी गई है।

***विवरण***

*रक्षा भूमि सौदों में भ्रष्टाचार का मामला-वार ब्यौरा*

**1. आदर्श सहकारी आवास समिति मामला**

यह आरोप लगाया गया है कि श्री आर.सी.ठाकुर ने रक्षा सेवा के सदस्यों, महाराष्ट्र सरकार के कार्मिकों तथा अन्य के साथ षड़यंत्र करके ब्लॉक-VI, बी बी आर कोलाबा, मुंबई के एक भूखंड का आबंटन बेईमानी और कपट से आदर्श सहकारी आवास समिति (एसीएचएस) के पक्ष में करा लिया जो काफी समय से सेना के कब्जे में था। इस भूमि का क्षेत्रफल 3758.82 वर्ग मीटर था। सरकार ने इस मामले की पूर्णतया जांच कराने और जिम्मेदारी निर्धारित करने की दृष्टि से इस मामले की जांच सी बी आई को सौंप दी थी। सी बी आई द्वारा 29.1.2011 को एक नियमित मामला संख्या आर सी 6(ए)11/एसीबी मुंबई दर्ज किया गया था। जांच के बाद विशेष न्यायाधीश, मुंबई के न्यायालय में 4.7.2012 को श्री आर. सी. ठाकुर, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) एम.एम.वांचु, श्री के.एल. गिडवानी मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) ए.आर. कुमार, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) टी.के. कौल, ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) टी.के. सिन्हा, श्री पी.वी. देशमुख, श्री रामानंद तिवारी, श्री सुभाष लल्ला, डॉ. प्रदीप व्यास, श्री अशोक शंकरराव चव्हाण, डॉ. एम जयराज पाठक और कर्नल (सेवानिवृत्त) आर.के. बक्शी के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया है।

**2. कांदीवली भूमि मामला**

यह आरोप लगाया गया है कि मैसर्स नियो फार्मा प्रा. लि. (कल्पतरु बिल्डर्स) ने वर्ष 2007 में कांदीवली में रक्षा भूमि का एक टुकड़ा खरीदा, जिस पर दक्षिणी कमान से सेना कार्मिकों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना 1942 से केन्द्रीय आयुध डिपो (सी ओ डी) द्वारा धारित दावे (सीटीएस संख्या 135 और 136 पर) को छोड़ दिया। तत्कालीन डी ई ओ ने बिना प्राधिकार के और सेना प्राधिकारियों की सहमति के बिना उक्त भूमि की बिक्री के लिए सिविल प्रशासन को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया था। सी बी आई ने 12.1.2012 को प्रारंभिक जांच संख्या पीई 1(ए)/12/एसीबी मुंबई दर्ज की है। अब तक की गई जांच के अनुसार कुल 5166.5 वर्गमीटर भूमि की छानबीन चल रही है।

**3. पुणे भूमि मामला**

यह आरोप लगाया गया है कि श्री एस.आर. नैय्यर, रक्षा संपदा अधिकारी (सेवानिवृत्त), बालभीम रामा गायकवाड़, गांव लौहगांव के तलाथी और केविन पिंटों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर गांव लौहगांव, ताल हवेली, जिला पुणे के खसरा सं. 233 ए से संबंधित तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भारत सरकार के रक्षा प्राधिकारियों को धोख दिया और झूठा दावा किया कि उक्त भूमि रक्षा से संबंधित नहीं है, जबकि उक्त भूमि वर्ष 1918 से सेना के लगातार कब्जे में रही है। अब तक की गई जांच के अनुसार इसमें 69.23 एकड़ भूमि शामिल है।

13.8.2010 को सीबीआई द्वारा आरसी 09(ए)/2010-सीबीआई/एसीबी/पुणे नामक एक मामला दर्ज किया गया था। जांच के पश्चात श्री एस.आर. नैय्यर, डीईओ (सेवानिवृत्त), श्री बालभीम रामा गायकवाड़, ग्राम लोहगांव के तलाथी (लोक सेवक), श्री केविन पिंटो, श्री हरेश मिलानी और श्री मोहम्मद इशराक खान (निजी व्यक्ति) के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया है।

**4. सुकना भूमि मामला**

सुकना भूमि मामला चुमटा चाय बागान में स्थित भूमि से संबंधित है जोकि रक्षा भूमि के निकट है तथा यह रक्षा भूमि नहीं है। कुल संलिप्त भूमि एक एकड़ है। यह मामला मुख्यालय 33 कोर द्वारा गलत ढंग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने के बारे में है। मुख्यालय पूर्वी कमान द्वारा उन परिस्थितियों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत का आदेश दिया गय था जिसके अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने की अनुमति दी गई तथा चुमटा चाय बागान में भूमि के लिए मुख्यालय 33 कोर द्वारा एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया गया। जांच अदालत को अंतिम रूप दिया गया है तथा चूककर्ता अफसरों के विरुद्ध उपयुकत कार्रवाई की गई है।

**5. डीईओ, श्रीनगर के कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना**

यह आरोप लगाया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के राजस्व विभाग तथा रक्षा सम्पदा महानिदेशालय श्रीनगर के अफसरों के साथ सांठ-गांठ करके भू-माफियाओं द्वारा संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र के निकट वायुसेना की विशाल भूमि पर कब्जा किया गया है तथा मानदण्डों का उल्लघंन करके निजी नागरिकों को रक्षा नियंत्रित भूमि अंतरित करने के लिए 60-70 संख्या में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने श्री अजय चौधरी, तत्कालीन डीईओ श्रीनगर, श्री विजय कुमार, तत्कालीन एसडीओ-1 श्रीनगर, श्रीमती आमरजीत कौर, एसडीओ-2, श्रीनगर तथा कुछ अज्ञात लोक सेवकों/निजी व्यक्तियों के विरुद्ध 3.5.2012 को नियमित मामला संख्या आरसी एसी-1 2012 ए 0006 दर्ज किया गया है। सीबीआई की जांच के अनुसार 62.25 एकड़ का कुल भूमि क्षेत्र शामिल है।

**6. 8-ए लोथियान रोड, पुणे छावनी**

यह आरोप लगाया गया है कि लेफ्टि. जनरल (सेवानिवृत्त) नोबेल थम्बूराज और श्री एस.आर. नैय्यर, तत्कालीन रक्षा सम्पदा अधिकारी ने लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय अपनी सरकारी स्थिति का दुरुपयोग किया तथा बंगला नं.8-ए लोथियान रोड के संबंध में आवासीय उद्देश्य के लिए 44% भूमि के आरक्षण के प्रतिबंध से संबंधित महत्वपूर्ण विषय के न्यायालय से बाहर निपटारे के मामले में 1988-2008 की अवधि के दौरान मैसर्स कल्पतरु बिल्डर्स को आर्थिक लाभ पहुंचाया। 30.1.2012 को सीबीआई द्वारा एक नियमित मामला संख्या आरसी 02(ए)/2012/एसीबी पुणे दर्ज किया गया था। जांच के अनुसार 0.96 एकड़ की मात्रा में भूमि शामिल है।

**7. जोधपुर मामला**

मेजर महाराजा हरी सिंह चेरिटेबल ट्रस्ट को जोधपुर में 4.84 एकड़ रक्षा भूमि के अवैध अंतरण के संबंध में 16.1.2012 को इंडिया टुडे में एक लेख प्रकाशित हुआ था। यह आदेश दिया गया था कि मामले की जांच की जाए, जिसके पश्चात यह पता लगाने के लिए कि ट्रस्ट को अंतरित भूमि का कोई भी भाग रक्षा भूमि तो नहीं है, अफसरों की संयुक्त टीम द्वारा जोधपुर में एक सर्वेक्षण

करवाया जाना अपेक्षित था। इस टीम द्वारा प्रस्तुत पर मंत्रालय में विचार किया गया तथा रक्षा सम्पदा महानिदेशक को कुछ अतिरिक्त मदों पर आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है तथा इसकी जांच की जा रही है।

**अक्षत क्षेत्रों में खनन हेतु स्वीकृति पर प्रतिबंध**

**3663. श्री खगेन दास:**
**श्री असादूद्दीन ओवेसी:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु कुछ कोलफील्डों को 'अक्षत क्षेत्रों' के रूप में वर्गीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्गीकृत की गई कोलफील्डों का ब्यौरा क्या है और 'अक्षत क्षेत्रों' की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस संबंध में बी.के. चतुर्वेदी समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ङ) बी. के. चतुर्वेदी समिति ने सिफारिश की थी कि कोयला-युक्त ब्लॉकों का उपयोग सामान्यतया खनन के लिए किया जाना चाहिए और सामान्यतया के लिए मंजूरी भी दी जानी चाहिए। मंजूरी देने से केवल तभी मना किया जाना चाहिए जब अत्यधिक घने वनों और अन्य पारिस्थितिकीय तथा गंभीर प्रकृति के पर्यावरण महत्व के कारण अस्वीकृति का ठोस मामला बनता हो। कोयला खनन और अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय और विकास मुद्दों पर विचार करने हेतु गठित मंत्री दल (जीओएम) ने उक्त सिफारिश की जांच करने के बाद दिनांक 20 सितंबर, 2011 को हुई अपनी पांचवीं बैठक में घने वनों की महत्ता को पहचाना और सुझाव दिया कि अभिज्ञात प्राचीन वन क्षेत्रों में कोई भी खनन गतिविधि को अनिवार्य हानि पहुंचाएगी, अत: इन वनों में किसी भी प्रकार की वनेतर गतिविधि को निषिद्ध किया जाना चाहिए। जीओएम ने यह सिफारिश भी की कि जिन वनों का वांछित गुणवत्ता के अनुरूप कभी भी पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता, उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए तथा सुझाव दिया कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित करके ऐसे वनों की पहचान करने के लिए एक समिति गठित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित समिति ने भी ऐसे क्षेत्रों को पहचान करने हेतु मानदण्ड तैयार किए हैं।

*[हिन्दी]*

**राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु स्वीकृति**

**3664. डॉ. पदमसिंह बाजीराव पाटील:**
**श्री बलीराम जाधव:**
**श्रीमती भावना पाटील गवली:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय आवधिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं की सूची तैयार करता है और सभी राज्यों से स्वीकृतियां प्राप्त करता है, चूंकि परियोजनओं को पूरा करने में परियोजना-वार स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया सहायक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों को स्वीकृति प्रदान करने की विद्यमान प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) राजमार्ग परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में निजी निर्माण कंपनियों द्वारा सामना की जा रहीं समस्याओं के समाधान में यह किस हद तक सहायक होगा?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण**

**3665. चौधरी लाल सिंह:**
**श्री निशिकांत दुबे:**
**श्री के. सी. सिंह 'बाबा':**
**श्री उदय सिंह:**
**श्री नारनभाई कछाड़िया:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) पूर्णरूपेण कार्यशील हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का अधिदेश क्या है और एनजीआरबीए द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाएं क्या हैं और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को एनजीआरबीए को समाप्त करने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार गंगा नदी के उद्गम और विकास के संबंध में एक संग्रहालय की स्थापना करने की योजना बना रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (ग) जी, हां, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) पूर्णरूपेण कार्यशील हो गया है। भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के अंतर्गत फरवरी, 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है।

एनजीआरबीए के अधिदेश हैं: (क) व्यापक नियोजन और प्रबंधन हेतु अंतर-क्षेत्रीय समन्वयन को बढ़ावा देने के लिए नदी बेसिन दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी अपशमन और इसका संरक्षण सुनिश्चित करना; और (ख) जल गुणवत्ता तथा पर्यावरणीय रूप से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रवाहों का रख-रखाव करना। एनजीआरबीए को गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और इसका संरक्षण करने हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजना, वित्तीयन, मॉनीटरिंग और समन्वयन प्राधिकरण के रूप में अधिदेशित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्ष 2020 तक कोई भी अशोधित नगरीय मलजल अथवा औद्योगिक बहि:स्त्राव गंगा नदी में न बहाया जाए।

इस कार्यक्रम की शुरुआत से एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत 2598.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 बेसिन राज्यों के 43 शहरों में 53 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं जिनमें से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जून, 2012 तक 496.72 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैं:

*बेसिन राज्यों में एनजीआरबीए परियोजनाओं की स्थिति (जून, 2012 तक)*

(करोड़ रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | कुल अनुमोदित लागतें | एसटीपी क्षमता (एमएलडी में) | कुल जारी निधि (भारत सरकार और राज्य) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | उत्तराखंड (11 शहरों में 15 परियोजनाएं) | 155.6 | 31.3 | 37.23 |
| 2. | उत्तर प्रदेश (5 शहरों में 7 परियोजनाएं) | 1341.6 | 313 | 257.64 |
| 3. | बिहार (4 शहरों में 4 परियोजनाएं) | 441.86 | 82 | 35.37 |
| 4. | पश्चिम बंगाल (23 शहरों में 27 परियोजनाएं) | 659.41 | 44.23 | 166.48 |
| | कुल | 2598.47 | 470.53 | 496.72 |

(घ) और (ङ) सरकार को एनजीआरबीए को समाप्त करने के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) और (छ) सरकार की गंगा नदी के उद्‌गम और विकास के संबंध में एक संग्रहालय की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, गतिविधियां प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक रूप से एक गंगा ज्ञान केंद्र (जीकेसी) स्थापित किया जा रहा है जोकि एनजीआरबीए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता के संबर्धन में सहायता करेगा। इसके मुख्य उद्देश्य होंगे: (i) ज्ञान संसाधनों को सृजित और इनका प्रबंधन करना; (ii) अनुसंधान तथा नवाचार की अभिकल्पना और विकास; और (iii) पणधारियों की वार्ता को सुविधाजनक बनाना। जीकेसी का मुख्य कार्यालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के एक अभिन्न भाग के रूप में दिल्ली में स्थित होगा जिसका प्रारंभिक नोड वाराणसी में होगा।

यह नोड, अंततः अपनी "गंगा दीर्घा" के लिए जाना जाएगा जिसमें बेसिन में रह रहे लोगों के समृद्ध इतिहास और संस्कृति तथा पवित्र नदी के साथ उनके संबंधों को उच्च गुणवत्ता की प्रदर्शिनियों के माध्यम से दर्शाया जाएगा।

*[हिन्दी]*

## सड़क सुरक्षा

**3666. श्री वीरेन्द्र कुमारः**
**श्री निशिकांत दुबेः**
**श्री पी. कुमारः**
**डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः**
**श्री सुरेश कुमार शेटकरः**
**श्री रायापति सांबासिवा रावः**
**श्री आर. थामराईसेलवनः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या सर्वाधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं तथा समिति की संरचना क्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों को सड़क सुरक्षा निधियां प्रदान करने की कोई योजना प्रारंभ की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में कार्यान्वित की जा रही अन्य सड़क सुरक्षा योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को कितनी निधियां प्रदान की गई हैं?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ तुषार चौधरी):** (क) और (ख) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय सड़क संघ, जिनेवा द्वारा प्रकाशित 'विश्व सड़क सांख्यिकी 2011' के नवीनतम अंक के अनुसार, भारत ने वर्ष 2009 में दुर्घटना घातकताओं की अधिकतम संख्या 1,25,660 सूचित की थी, इसके बाद, चीन ने 67,759 और संयुक्त राज्य अमरीका ने 33,808 सूचित की थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि चालक की गलती ही दुर्घटनाओं के लिए एकमात्र सार्वधिक महत्त्वपूर्ण जिम्मेदार कारक (77.5%) है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य कारक इस प्रकार हैं;

| | |
|---|---|
| पैदलयात्री की गलती | 24% |
| साइकिल सवार की गलती | 1.3% |
| सड़क स्थितियों में दोष | 1.5% |
| मोटर वाहन की दशा में दोष | 1.6% |
| मौसम की स्थिति | 1.0% |
| सभी अन्य कारण* | 14.8% |

*इसमें अन्य वाहनों के चालक की गलती, यात्रियों की गलती, अपर्याप्त प्रकाश, गोलाश्मों का गिरना, नागरिक निकायों की लापरवाही, आवारा पशु, अन्य कारण तथा अज्ञात कारण शामिल हैं।

(ग) सड़क सुरक्षा और यातायात विनियमन के लिए एक प्रभावी और समर्पित एजेंसी की स्थापना के लिए विचार-विमर्श करने और सिफारिशें करने हेतु श्री एस. सुन्दर, पूर्व सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2005 को एक समिति गठित की गई थी। समिति का संघटन संलग्न विवरण-I पर दिया है। समिति को दिए गए विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(i) जन स्वास्थ्य और आर्थिक समस्या के रूप में भारत में सड़क यातायात क्षतियां और घातकताओं के आकार का मूल्यांकन करना;

(ii) भारत के लिए चेतावनियां तैयार करने के उद्देश्य से सड़क और यातायात विनियमन के लिए संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का अध्ययन करना;

(iii) केन्द्रीय सरकार स्तर पर सड़क सुरक्षा संगठन प्रस्तावित करना और प्रस्तावित संगठन के कार्यों और जिम्मेदारियों की सिफारिश करना;

(iv) संबंधित यातायात कानूनों में संशोधन का सुझाव देना;

(v) ऐस संगठन के लिए वित्त पोषण तंत्र का सुझाव देना;

(vi) दुर्घटना पीड़ितों के बचाव और राहत के लिए उपायों का सुझाव देना।

समिति के अध्यक्ष ने दिनांक 20.02.2007 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने संसद के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड के सृजन की सिफारिश की।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) सड़क सुरक्षा को देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं और राज्यों को प्रदान किए गए फंड इस प्रकार हैं:

(i) **सड़क सुरक्षा के संबंध में प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान:** जनता में सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार, टीवी झलकियों/रेडियों झलकियों के प्रसारण, सड़क सुरक्षा सप्ताह सेमिनार, प्रदर्शनी सड़क सुरक्षा के संबंध में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करके, पोस्टर, कैलेन्डर, बाल कार्यकलापों संबंधी पुस्तकों आदि जिनमें विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं अर्थात पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, स्कूली बच्चों, भारी वाहन चालकों आदि के लिए सड़क सुरक्षा संबंधी संदेश शामिल होते हैं, का मुद्रण कराने के रूप में विभिन्न प्रचार उपाय करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंड प्रदान नहीं किए जाते।

(ii) **असंगठित क्षेत्र में चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास:** बेहतर चालक तैयार करने के लिए आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र में कार्यरत चालकों को कुछ प्रतिष्ठित संगठनों के माध्यम से पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान, इस योजना के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(iii) **राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना:** इस योजना में सड़क दुर्घटना पीड़ित को निकटम चिकित्सा सहायता केन्द्र में ले जाने और दुर्घटना-स्थल को निर्बाध करके दुर्घटना पश्चात राहत और बचाव उपायों के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को क्रेनें तथा एम्बुलेंसें उपलब्ध कराई जाती हैं।

(iv) **सड़क सुरक्षा और प्रदूषण जांच उपस्कर तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन:** सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न नियमों एवं विनियमों और कार्यान्वयन के लिए राज्यों के और संघ राज्यों क्षेत्रों को इंटरसेप्टर जैसे सड़क सुरक्षा उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंड प्रदान नहीं किए जाते।

### *विवरण-I*

*सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर समिति का संघटन*

| | | |
|---|---|---|
| (i) | श्री एस. सुन्दर, सीनियर फैलों, टेरी (पूर्व सचिव, एमओएसटी) | अध्यक्ष |
| (ii) | डॉ. दिनेश मोहन, आईआईटी, दिल्ली | सदस्य |
| (iii) | डॉ. वर्गीज़ मैथ्यू, निदेशक, सेंट स्टीफेंस होस्पीटल, दिल्ली | सदस्य |
| (iv) | डॉ. पी.एस. पसरिचा, डीजी (पुलिस), महाराष्ट्र | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| (v) | डॉ. एस. गंगोपाध्याय, विभागाध्यक्ष (ट्रैफिक), केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली | सदस्य |
| (vi) | श्री डी.पी. गुप्ता, पूर्व महानिदेशक (सड़क विकास) एवं अपर सचिव, भारत सरकार | सदस्य |
| (vii) | डॉ. गीतम तिवारी, अध्यक्ष, यातायात अनुसंधान एवं चोट निवारण केन्द्र, आईआईटी, दिल्ली | सदस्य |
| (viii) | श्री रोहित बालूजा, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली | सदस्य |
| (ix) | श्री पी.सी. चतुर्वेदी, सदस्य (प्रशासन), एनएचएआई | सदस्य |
| (x) | प्रो. जी. गुरुराज, विभागाध्यक्ष एपीडर्मीयोलॉजी, निमहांस, बंगलौर | सदस्य |
| (xi) | श्री ए.पी. बहादुर, मुख्य अभियंता (पीआईसी), पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | सदस्य |
| (xii) | श्री रामेन्द्र जाखू, प्रधान सचिव (परिवहन), हरियाणा सरकार | सदस्य |
| (xiii) | श्री जगदीश खट्टर, एमडी, मारूति उद्योग लि. | सदस्य |
| (xiv) | योजना अयोग के प्रतिनिधि<br>*{श्री गजेन्द्र हलदिया, उपाध्याय, योजना आयोग के सलाहकार और बी.एन. पुरी, सलाहकार (परिवहन)} | सदस्य |
| (xv) | पोस्ट-एक्सीडेंट ट्रामा केयर/रेस्क्यू में विशेषज्ञ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नामित<br>*{डॉ. ए.एन. सिन्हा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एचए)} | सदस्य |
| (xvi) | श्री एस. के. दास, संयुक्त सचिव (ट), सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग | सदस्य सचिव |

### *विवरण-II*

*स्कीम का नाम: असंगठित क्षेत्र में चालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा संसाधन विकास*

(लाख रु.)

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 2009-10 के दौरान जारी राशि | 2010-11 के दौरान जारी राशि | 2011-12 के दौरान जारी राशि | 2012-13 के दौरान जारी राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हरियाणा | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | महाराष्ट्र | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | राजस्थान | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.. | गुजरात | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | मध्य प्रदेश | 187.61 | 150.00 | 725.00 | 0.00 |
| 7. | त्रिपुरा | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 8. | बिहार | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 9. | केरल | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.64 |
| | | 187.61 | 900.00 | 1025.00 | 127.64 |

*[अनुवाद]*

## ओडिशा में बाईपास और पुल परियोजनाएं

**3667. श्री अमरनाथ प्रधान:**
**श्री वैजयंत पांडा:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित किए जाने के लिए स्वीकृत बाईपासों और पुल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या भूमि अधिग्रहण समस्या के कारण उक्त परियोजनाओं में कोई विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए है ताकि परियोजनओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सकें?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, राजमार्ग 200, 201 और 224 पर 32.51 करोड़ रु. की राशि से 9 पुल कार्य अलग-अलग अनुमोदित किए गए हैं जो निर्धारित समय पर चल रहे हैं। उक्त अवधि के दौरान, बाइपास परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

*[अनुवाद]*

## अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्ता योजना

**3668. श्री देवजी एम. पटेल:**
**श्री वैजयंत पांडा:**
**श्री लालजी टंडन:**
**श्री शिवकुमार उदासी:**
**श्री भरत राम मेघवाल:**
**श्री जोस के. मणि:**
**श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:**
**श्री भूपेन्द्र सिंह:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या केन्द्र सरकार अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्ता (आईएससी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत धार्मिक और पर्यटकों स्थलों को जाने वाली सड़कों सहित सड़कों और पुलों के निर्माण/विकास हेतु राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत निधियां प्रदान करने का मापदण्ड क्या है और उक्त अवधि विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितनी है;

(घ) लंबित प्रस्तावों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इन लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित पुलों की संख्या सहित इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों से किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** (क) जी नहीं।

(ख) पिछले तीन वर्षो के दौरान, अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्ता (आईएसी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण-I और II पर दी गई है।

(ग) से (ङ) अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्ता (आईएससी एण्ड ईआई) सहित राज्यीय राजमार्गो के विकास की योजनाओं के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया केन्द्रीय सड़क निधि (राज्यीय सड़कें) नियमावली, 2007 में दी गई हैं और कार्यों की संस्वीकृति निधियों की समग्र उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के अध्याधीन होती है। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में अंतर-राज्य संपर्क और आर्थिक महत्ता (आईएससी एण्ड ईआई) योजना के अंतर्गत कोई कार्य संस्वीकृति नहीं किया गया है।

**विवरण-I**

*वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आर्थिक महत्ता (आईएससी एण्ड ईआई योजना) के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त प्रस्ताव | अनुमोदित प्रस्ताव | प्राप्त प्रस्ताव | अनुमोदित प्रस्ताव | प्राप्त प्रस्ताव | अनुमोदित प्रस्ताव |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12. | कर्नाटक | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | राजस्थान | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | उत्तराखंड | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## *विवरण-II*

*वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान आर्थिक महत्ता (आईएससी एण्ड ईआई योजना) के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या*

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम | 2009-10 | | 2010-11 | | 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | प्राप्त प्रस्ताव | अनुमोदित प्रस्ताव | प्राप्त प्रस्ताव | अनुमोदित प्रस्ताव | प्राप्त प्रस्ताव | अनुमोदित प्रस्ताव |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | असम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | बिहार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | छत्तीसगढ़ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | गुजरात | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | हरियाणा | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | झारखंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 12. | कर्नाटक | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 13. | केरल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | महाराष्ट्र | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. | मेघालय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20. | ओडिशा | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | पंजाब | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | राजस्थान | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23. | सिक्किम | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | तमिलनाडु | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | उत्तराखंड | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | उत्तर प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | पश्चिम बंगाल | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | दमन और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | दिल्ली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*[अनुवाद]*

**राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की मिलों का आधुनिकीकरण**

**3669. श्री अंजनकुमार एम. यादवः**
**श्री राम सुन्दर दासः**
**श्री जगदानंद सिंहः**
**श्री कपिल मुनि करवारियाः**
**श्री अशोक कुमार रावतः**
**राजकुमारी रत्ना सिंहः**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मिल-वार, सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों/राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) द्वारा वस्त्र उत्पादों के उत्पादन और निर्यात की मात्रा कितनी है और उक्त मिलों के उत्पादन और लाभों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आधुनिक बनाए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की मिलों के नाम क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है और विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की मिलों के आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा आबंटित निधियां कितनी हैं?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) विगत तीन वर्षों के दौरान एनटीसी द्वारा मिल-वार और मूल्य-वार वस्त्र उत्पादों के उत्पादन और निर्यात की मात्रा संलग्न विवरण-I और II में दी गई हैं।

बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार, एनटीसी ने अपनी मिलों का आधुनिकीकरण किया है और इस आधुनिकीकरण का वित्त पोषण अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री के माध्यम से किया है। एनटीसी द्वारा की गई अन्य पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ, तमिलनाडु राज्य में बिजली की अत्यधिक कटौती से निपटने के लिए डीजी सैट्स का प्रावधान करना; श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए महिलाओं की नियुक्ति करना; 16 मिलों के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करना; कार्यदक्षता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आदि शामिल हैं।

(ख) और (ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा 2008 में अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार एनटीसी की पुनरुद्धार योजना अधिशेष परिसंपत्तियों की बिक्री से संसाधनों के सृजन द्वारा स्व-वित्त पोषण पर आधारित हैं। विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कोई निधि प्रदान नहीं की गई है। एनटीसी की 24 मिलों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-III में पुनरुद्धार योजना में शामिल हैं।

***विवरण***

*2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान मिल बार उत्पादन*

| क्र.सं. | मिल्स का नाम | यार्न उत्पादन (लाख कि.ग्रा.) | | | | उत्पादन मूल्य (यार्न) लाख रु. में | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | अप्रैल-जून 2012 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | अप्रैल-जून 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | अलगप्पा | 2377 | 19.47 | 16.14 | 532 | 315703 | 3400.07 | 2837.04 | 1061.46 |
| 2. | केन, केन | 12.22 | 21.87 | 11.69 | 5.03 | 1585.52 | 3699.26 | 2029.81 | 1006.95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | केन, माहे | 10.02 | 10.47 | 13.09 | 3.2 | 1546.69 | 2133.87 | 2124.75 | 683.38 |
| 4. | केरला लक्ष्मी | 18.49 | 20.07 | 20.33 | 4.87 | 2496.32 | 3429.93 | 3242.61 | 1009.79 |
| 5. | विजय मोहिनी | 13.76 | 15.2 | 14.29 | 3.93 | 1849.02 | 2634.74 | 2298.79 | 757.13 |
| 6. | तिरुपति | 8.8 | 8.73 | 9 | 1.97 | 1049.61 | 1624.88 | 1274.63 | 360.88 |
| 7. | कंबोडिया | 19.58 | 24.15 | 18.58 | 4.89 | 2876.52 | 45796 | 35074 | 101682 |
| 8. | श्री रंगा विलास | 22 53 | 26-82 | 21 59 | 6.48 | 3492.28 | 5501.08 | 4003.07 | 1507.42 |
| 9. | पंकजा मिल्स | 1638 | 18.4 | 15.69 | 3.53 | 2520.93 | 3746 | 2738.24 | 796.08 |
| 10. | पायनियर स्पिनर्स | 16.97 | 21.63 | 15.99 | 253 | 231847 | 3294.79 | 2587.19 | 467.24 |
| 11. | कालीश्वरा वी | 19.18 | 21.13 | 19.35 | 4.78 | 2785.5 | 3973.37 | 3481.79 | 977.32 |
| 12. | कोयम्बटूर मूरुग्न | 46 | 5.98 | 7.18 | 1.9 | 233405 | 2626.78 | 9091.63 | 148.6 |
| 13. | कोयम्बटूर स्पि. एंड विविंग मिल्स | 8.6 | 9.59 | 5.23 | 0.97 | 1106.51 | 1543.77 | 743.83 | 167.19 |
| 14. | टाटा मिल्स | 15.4 | 9.72 | 1871 | 4.85 | 488.75 | 2104.21 | 4815.92 | 697.91 |
| 15. | पोदार मिल | 20.19 | 2252 | 22.17 | 5.7 | 2955.31 | 4391.27 | 3846.32 | 1203.35 |
| 16. | इन्दू नं. 5 | 19.78 | 20.45 | 21.01 | 5.33 | 2717.76 | 3737.44 | 3543.57 | 1098.59 |
| 17. | बारशी टेक्सटाइल मिल्स | 11.77 | 11.82 | 1363 | 3.2 | 1597.9 | 2176.3 | 2140.13 | 639.81 |
| 18. | न्यू भोपाल टेक्स मिल्स | 1758 | 17.77 | 17 | 334 | 231086 | 3384 05 | 2784.46 | 743.3 |
| 19. | बुरहानपुर ताप्ती मिल्स | 15.32 | 15.48 | 1461 | 402 | 200356 | 2973.76 | 2548.57 | 811.34 |
| 20. | आरती कॉटन मिल्स | 10.16 | 13.71 | 15.91 | 3.99 | 1348.69 | 2838 58 | 2808.82 | 755.6 |
| 21. | न्यू मिनर्वा | - | 2.41 | 12-96 | 3.92 | - | 759.2 | 3444.86 | 585.15 |
| 22. | फिनलै मिल* | - | 8.64 | 26.05 | 7.9 | 0 | 2420.8 | 5268.09 | 1726.22 |
| 23. | राज नगर | - | | - | 4.82 | - | - | - | 897.2 |
| 24. | उदयपुर | टैक्नीकल टेक्सटाइल इकाई के रुप में निर्धारित | | | | | | | |
| | उप योग | 305.4 | 346.03 | 350.2 | 96.47 | 43357.44 | 66973.33 | 71167.54 | 19118.73 |

| क्र.सं. | मिल्स का नाम | वस्त्र उत्पादन (लाख मीटर) | | | | उत्पादन मूल्य (वस्त्र) लाख रु. में | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | अप्रैल-जून 2012 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | अप्रैल-जून 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | कोयम्बटूर मुरुग्न | 6767 | 51.08 | 61.08 | 12.44 | 309996 | 3065.31 | 1145.1 | 1559.79 |
| 2. | टाटा मिल्स | 46.17 | 33.71 | 42.08 | 9.77 | 2132.59 | 2570.19 | 1911.45 | 895.59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | न्यू मिनर्वा | - | 0.33 | 10.97 | 4.37 | - | 55.44 | 588.98 | 333.82 |
| 4. | फिनलै मिल* | 9.25 | 4.79 | 5.52 | 0.95 | | - | 207.14 | 86.35 |
| 5. | राज नगर | | | | 1.97 | - | - | - | 76.89 |
| | उप योग | 123.09 | 89.91 | 120.25 | 29.5 | 5232.55 | 5690.94 | 2431.67 | 2972.44 |
| | कुल योग | | | | | 48589.99 | 72664.27 | 73599.21 | 22091.17 |

*मुंबई और अचलपुर में।

## *विवरण II*

*विगत 3 वर्षों के दौरान किए गए मिल-वार निर्यात*

(करोड़ में)

| वर्ष | | मिल्स का नाम | राशि |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 1. | टाटा मिल्स, मुंबई | 3.64 |
| | 2. | कोयम्बटूर मुरुग्न मिल्स | 2.67 |
| | | कुल | 6.31 |
| 2010-11 | 1. | टाटा मिल्स, मुंबई | 3.95 |
| | 2. | कोयम्बटूर मुरुग्न मिल्स | 12.83 |
| | | कुल | 16.78 |
| 2011-12 | 1. | हसान | 30.22 |
| | 2. | कोयम्बटूर मुरुग्न मिल्स | 4.25 |
| | 3. | कंबोडिया | 5.73 |
| | 4. | अलगप्पा | 0.11 |
| | 5. | काल बी | 1.02 |
| | 6. | माहे | 3.34 |
| | 7. | श्री रंगा विलास | 3.56 |
| | 8. | पोयनियर | 1.88 |
| | | कुल | 50.11 |

### *विवरण III*

*मिलों के नाम*

| क्र.सं. | राज्य | मिल का नाम |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | तिरुपति कोटन मिल्स |
| 2. | गुजरात | राजनगर मिल्स |
| 3. | कर्नाटक | न्यू मिनर्वा मिल्स |
| 4. | केरल | अलगप्पा, टेक्सटाइल मिल : केन्नानोर स्पिनिंग और विविंग मिल, केन्नानोर; केरला लक्ष्मी मिल; विजयमोहिनी मिल |
| 5. | मध्य प्रदेश | बुरहानपुर ताप्ती मिल्स; न्यू भोपाल टैक्सटाइल मिल |
| 6. | महाराष्ट्र | पोदार मिल; टाटा मिल; इंदू मिल नं. 5; बारशी टेक्सटाइल मिल ; फिनलै मिल |
| 7. | पुदुचेरी | केन्नानोर स्पिनिंग और विविंग मिल, माहे |
| 8. | राजस्थान | उदयपुर मिल-तकनीकी वस्त्र इकाई के रूप में निर्धारित |
| 9. | तमिलनाडु | पायनियर स्पिनिंग मिल्स; कालेश्वरार मिल्स बी यूनिट; कंबोडिया मिल; कोयम्बटूर मुरुग्न मिल्स; पंकजा मिल; श्रीरंगाविलास स्पिनिंग और विविंग मिल; कोयम्बटूर स्पिनिंग और विविंग मिल |
| 10. | पश्चिम बंगाल | आरती कॉटन मिल्स |

*[अनुवाद]*

### वनीकरण कार्यक्रम की स्थिति

**3670. श्रीमती कमला देवी पटले:**
**श्री नित्यानन्द प्रधान:**
**श्री मकनसिंह सोलंकी:**
**श्री शिवकुमार उदासी:**
**श्री अद्गुरू एच. विश्वनाथ:**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कार्यक्रम के लिए आबंटित और व्यय की गई निधियां कितनी हैं;

(ग) कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में जलवायु परिवर्तन का सामना करने और वैश्विक तापन को नियंत्रित करने के लिए इस कार्यक्रम का प्रत्याशित योगदान क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देश में जन-भागीदारी से अवक्रमित वनों और इसके आस-पास के क्षेत्रों के पुनरुद्धार हेतु राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। यह स्कीम राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (एसएफडीए), वन प्रभाग स्तर पर वन विकास अभिकरण (एफडीए) और ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के विकेद्रित तंत्र के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) गत तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) और वर्तमान के दौरान एनएपी के अंतर्गत जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं

(ग) एनएपी के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में राज्य और जिला स्तर पर क्रमश: वन विकास अभिकरण (एसएफडीए) और वन विकास अभिकरण (एफडीए) के माध्यम से एक बहु-स्तरीय मॉनीटरिंग और मूल्यांकन तंत्र का प्रावधान किया गया है। राज्य वन विकास अभिकरण, प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और संगठनों के माध्यम से परियोजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। राज्यों के अतिरिक्त, यह मंत्रालय भी एनएपी स्कीम का स्वतंत्र मूल्यांकन करता है। सुदूर संवेदी और भौगोलिक सूचना तंत्र द्वारा परियोजना स्थलों की मॉनीटरिंग का प्रावधान की किया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अवक्रमित वनों के परि-पुन:स्थापना, वनीकरण, मृदा और नमी संरक्षण कार्यकलापों तथा संबद्ध गतिविधियों से, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण में सहायता मिलती है।

## *विवरण-I*

*राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत गत तीन वर्षों (2009-11 से 2011-12) और वर्तमान वर्ष (दिनांक 28.08.2012 तक) के दौरान जारी की गई निधियों के ब्यौरे*

| क्र.सं. | राज्य | जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 (दिनांक 28.8.2012 तक) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 11.03 | 10.48 | 15.15 | 2.71 |
| 2. | बिहार | 7.74 | 5.48 | 6.92 | 0.00 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | 25.12 | 33.25 | 24.74 | 6.17 |
| 4. | गुजरात | 24.44 | 29.43 | 27.00 | 10.51 |
| 5. | हरियाणा | 20.57 | 24.20 | 12.28 | 3.84 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 3.59 | 3.45 | 3.50 | 1.72 |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 9.81 | 3.99 | 6.89 | 0.00 |
| 8. | झारखण्ड | 21.06 | 8.73 | 10.42 | 0.00 |
| 9. | कर्नाटक | 11.95 | 8.12 | 12.92 | 4.81 |
| 10. | केरल | 4.02 | 7.54 | 2.04 | 5.64 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 22.53 | 30.39 | 21.43 | 0.00 |
| 12. | महाराष्ट्र | 20.53 | 16.17 | 28.51 | 9.12 |
| 13. | ओडिशा | 8.82 | 11.20 | 7.30 | 3.10 |
| 14. | पंजाब | 3.01 | 0.00 | 0.46 | 0.76 |
| 15. | राजस्थान | 10.67 | 4.94 | 6.23 | 0.00 |
| 16. | तमिलनाडु | 7.98 | 7.21 | 3.08 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | उत्तर प्रदेश | 30.20 | 21.33 | 26.23 | 6.81 |
| 18. | उत्तराखंड | 7.00 | 4.47 | 6.61 | 0.00 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 3.1 | 4.12 | 6.29 | 1.87 |
| | **राज्य (अन्य राज्य)** | **253.17** | **34.50** | **228.0** | **57.06** |
| 20. | अरुणाचल प्रदेश | 2.37 | 5.52 | 0.00 | 0.00 |
| 21. | असम | 14.48 | 6.08 | 7.95 | 1.47 |
| 22. | मणिपुर | 5.93 | 10.37 | 12.74 | 2.60 |
| 23. | मेघालय | 2.21 | 8.79 | 4.31 | 1.94 |
| 24. | मिजोरम | 17.27 | 12.21 | 13.44 | 3.22 |
| 25. | नागालैंड | 10.67 | 10.11 | 11.69 | 4.46 |
| 26. | सिक्किम | 8.86 | 11.99 | 11.18 | 0.00 |
| 27. | त्रिपुरा | 3.20 | 10.43 | 13.69 | 2.46 |
| | **योग (पूर्वोत्तर राज्य)** | **65.00** | **75.49** | **75.00** | **16.15** |
| | **कुल योग** | **318.17** | **309.99** | **303.00** | **73.21** |

*[अनुवाद]*

## अधिकारियों और जवानों के बीच झड़प

**3671. श्री जी.एस. बासवराजः**
**श्री कोडिकुन्नील सुरेशः**
**श्री ताराचन्द भगोराः**
**श्री डी.बी. चन्द्रे गौडाः**
**श्री यशवीर सिंहः**
**श्री नीरज शेखरः**
**श्रीमती ऊषा वर्माः**
**श्री महेश्वर हजारीः**
**श्री कामेश्वर बैठाः**
**श्रीमती सुशीला सरोजः**
**श्रीमती सीमा उपाध्यायः**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सेना में जवानों और अधिकारियों के बीच होने वाली झड़पों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल में जम्मू और कश्मीर के साम्बा सेक्टर में सेना में अधिकारियों और जवानों के बीच झड़पों की सूचना आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सेना ने इस घटना में कोई जांच शुरू की है और यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या जवानों को अमानवीय दशाओं और छुट्टी इत्यादि की मनाही के संदर्भ में अधिकारियों के हाथों अनुचित ढंग से उत्पीड़ित होना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सेना के कई अधिकारियों/जवानों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत ऐसे आवेदनों की संख्या कितनी है?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) सेना में जवानों और अफसरों के बीच झड़पों का विवरण इस प्रकार है :

| वर्ष | झड़पों की संख्या | यूनिट का नाम |
|---|---|---|
| 2010 | 01 | 45 केवेलरी |
| 2011 | शून्य | शून्य |
| 2012(आज तक) | 02 | 226 फील्ड रेजीमेंट एवं 16 केवेलरी |

(ख) से (घ) जम्मू और कश्मीर के सांबा सेक्टर में 08 अगस्त, 2012 को एक सैन्य कर्मी द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना ने असंतोष को जन्म दिया। सेना ने इस मामले की जांच के लिए एक जांच अदालत बिठाई है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने वाले किसी भी कर्मी को अन्य अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाता है।

(ङ) किसी भी सेना के जवान को अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाता है। सैन्य कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन सौहार्दपूर्ण वातावरण में करते हैं। तथापि, सरकार ने जवानों के मनोबल को बनाए रखते के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे उदार अवकाश नीति, शिकायत निवारक तंत्र की स्थापना, मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान, भोजन एवं वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की तैनाती, इत्यादि।

(च) सैन्य अधिकारियों (एएमसी, एडीसी एवं एमएनएस को छोड़कर) जेसीओ/अन्य रैंकों के संबंध में समय पूर्व सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र का ब्यौरा इस प्रकार हैं:

| वर्ष | अधिकारी | | जेसीओ/अन्य रैंक |
|---|---|---|---|
| | आवेदित | स्वीकृत | |
| 2009 | 637 | 309 | 7499 |
| 2010 | 523 | 271 | 7249 |
| 2011 | 442 | 302 | 10315 |

## एफडीआई अंतर्वाह

**3672. श्री जगदीश ठाकोर:**
**डॉ. महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:**
**श्री अजय कुमार:**
**डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**
**श्री कपिल मुनि करवारिया:**
**श्री ओम प्रकाश यादव:**
**श्री राम सुन्दर दास:**
**श्री आर. ध्रुव नारायण:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बहुराष्ट्रीय और विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अध्ययन कराया गया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश हेतु क्या पहल की गई है;

(ग) अन्य विकासशील देशों जैसे चीन की तुलना में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह का ब्यौरा क्या है और विकासशील देशों में एफडीआई अंतर्वाह में भारत का देश-वार क्या रैंक हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में एफडीआई अंतर्वाह धीमा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश-वार और क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह कितना रहा तथा एफडीआई की वृद्धि में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा एफडीआई अंतर्वाह हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और इन लक्ष्यों को कितना हासिल किया गया और सरकार द्वारा वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) और (ख) सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उसने श्रम गहन क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न पहलें की हैं।

(ग) अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2012 के अनुसार, वर्ष 2011 के दौरान विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 684399 मिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह प्राप्त हुआ, जिसमें से 4.6% भारत ने प्राप्त किया। वर्ष 2011 के दौरान भारत सहित कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में एफडीआई अंतर्वाह निम्नानुसार है:

| विकासशील अर्थव्यवस्थाएं | 2011 अमरीकी डॉलर (मिलियन) | विकासशील देशों के बीच रैंक |
|---|---|---|
| चीन | 123985 | 1 |
| हांगकांग, चीन | 83156 | 2 |
| ब्राजील | 66660 | 3 |
| सिंगापुर | 64003 | 4 |
| ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड | 53717 | 5 |
| भारत | 31554 | 6 |
| मैक्सिको | 19554 | 7 |
| इंडोनेशिया | 18906 | 8 |
| चिली | 17299 | 9 |

(घ) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एफडीआई अंतर्वाह निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | वर्ष (अप्रैल-मार्च) | एफडीआई (करोड़ रुपए में) | एफडीआई (मिलियन (अमरीकन डॉलर) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2009-10 | 123,119.65 | 25,834.41 |
| 2. | 2010-11 | 88,519.53 | 19,426.93 |
| 3. | 2011-12 | 173,946.39 | 36,504.28 |

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का देश-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति को अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इसकी सतत आधार पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने एफडीआई पर एक निवेश-अनुकूल नीति बनाई है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्वतः अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति है। भारत को अधिक आकर्षक और निवेशक-अनुकूल बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एफडीआई में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं।

सरकार भारत में निवेश-वातावरण और अवसरों के संबंध में सूचना के प्रसार के जरिए तथा संभावित निवेशकों को निवेश नीतियों और प्रक्रियाओं तथा अवसरों के बारे में सुझाव देकर निवेश संवर्धन में सक्रिय भूमिका निभाती है। औद्योगिक भागीदारी के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के जरिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा जाता है। यह भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्वाह बढ़ाने के लिए सर्वोच्च उद्योग संघों, जैसे फिक्की, सीआईआई और एसोचैम के साथ औद्योगिक सहयोग के संवर्धन से संबंधित उनकी गतिविधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों पहलों के जरिए समन्वय करती है।

सरकार ने संभावित विदेशी निवेशकों के लिए तथा निवेश आकर्षित करने हेतु व्यवस्थित तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए लाभ निरपेक्ष, एकल खिड़की सुविधा प्रदाता के रूप में 'इन्वेस्ट इंडिया' की स्थापना की है जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और फिक्की का संयुक्त उद्यम है।

(च) एफडीआई अंतर्वाह के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

## विवरण

*क्षेत्र-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह अप्रैल, 2009 से मार्च, 2012 तक*

(राशि करोड़ रुपए एवं मिलियन अमेरिकी डालर में)

| क्र.सं. | क्षेत्र | 2009-10 अप्रैल-मार्च | | 2010-11 अप्रैल-मार्च | | 2011-12 अप्रैल-फरवरी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रुपए | अमेरिकी डालर | रुपए | अमेरिकी डालर | रुपए | अमेरिकी डालर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | धातुकर्मी उद्योग | 1,999.30 | 419.88 | 5,023.34 | 1,098.14 | 8,348.49 | 1,786.14 |
| 2. | खनन | 829.92 | 174.40 | 357.42 | 79.51 | 644.73 | 142.65 |
| 3. | विद्युत | 6,138.32 | 1,271.79 | 5,796.22 | 1,271.77 | 7ए677.74 | 1,652.38 |
| 4. | गैर-परमपरागत ऊर्जा | 2,872.41 | 622.52 | 977.71 | 214.40 | 2,197.50 | 452.17 |
| 5. | पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस | 1.296.90 | 265.53 | 2,543.14 | 556.43 | 9,955.17 | 1,991.35 |
| 6. | बॉयलर तथा भाप जेनेरेटिंग संयंत्र | 18.48 | 3.96 | 2.87 | 0.63 | 156.64 | 31.79 |
| 7. | प्राइम मूवर्स (विद्युत जनरेटर के अलावा) | 182.99 | 39.50 | 758.13 | 166.44 | 1,548.86 | 313.75 |
| 8. | विद्युत उपकरण | 3,484.32 | 728.27 | 698.85 | 153.90 | 2,659.60 | 566.39 |
| 9. | कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर | 4,126.76 | 871.86 | 3,551.24 | 779.81 | 3,803.77 | 796.35 |
| 10. | इलैक्ट्रानिक्स | 24673 | 52.14 | 274.75 | 59.72 | 887.92 | 194.41 |
| 11. | दूरसंचार | 12,269.66 | 2,539.26 | 7,542.04 | 1,664.50 | 9,011.53 | 1,997.24 |
| 12. | सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित) | 2,340.55 | 490.83 | 1,887.17 | 412.11 | 3,264.09 | 675.96 |
| 13. | आटोमोबाइल उद्योग | 5,892.61 | 1,236.27 | 5,864.18 | 1,299.41 | 4,346.77 | 922.99 |
| 14. | वायु परिवहन (एयर फ्रेट सहित) | 111.47 | 23.73 | 620.83 | 136.60 | 145.71 | 31.22 |
| 15. | समुद्री परिवहन | 1,343.58 | 284.85 | 1,370.27 | 300.51 | 594.71 | 129.36 |
| 16. | पत्तन | 304.61 | 65.41 | 49.84 | 10.92 | 0.02 | 0.00 |
| 17. | रेलवे से संबद्ध पुर्जे | 160.27 | 34.43 | 318.50 | 70.66 | 199.01 | 42.27 |
| 18. | औद्योगिक मशीनरी | 1,594.83 | 341.88 | 2,109.07 | 467.92 | 2,934.87 | 620.66 |
| 19. | मशीन औजार | 640.06 | 133.83 | 53.01 | 11.63 | 616.25 | 127.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | कृषि मशीनरी | 8.70 | 1.88 | 2.21 | 0.49 | 12.72 | 2.77 |
| 21. | अर्थ मूविंग मशीनरी | 75.69 | 15.62 | 8.12 | 1.77 | 75.09 | 16.40 |
| 22. | विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरिंग उद्योग | 725.18 | 149.59 | 493.96 | 108.67 | 5,861.61 | 1,295.34 |
| 23. | वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण | 371.28 | 78.98 | 115.14 | 25.12 | 138.15 | 29.04 |
| 24. | चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण | 789.51 | 167.35 | 146.66 | 32.22 | 698.41 | 141.61 |
| 25. | औद्योगिक उपकरण | 36.85 | 7.61 | 115.55 | 25.48 | 17.79 | 3.99 |
| 26. | वैज्ञानिक उपकरण | 0.01 | 0.00 | 11.16 | 2.49 | 34.47 | 7.08 |
| 27. | गणितीय सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | उर्वरक | 38.46 | 8.20 | 83.77 | 18.18 | 160.71 | 32.60 |
| 29. | रसायन (उर्वरकों के अलावा) | 1,726.24 | 365.94 | 1,811.53 | 398.28 | 27,222.80 | 5,462.82 |
| 30. | फोटोग्राफी, कच्ची फिल्म और कागज | 001 | 0.00 | 3.60 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | डाई स्टफ | 19.41 | 4.02 | 24.25 | 5.37 | 2.90 | 0.58 |
| 32. | औषध एवं भेषज | 1,006.29 | 213.08 | 961.09 | 209.38 | 14,605.03 | 3,232.28 |
| 33. | वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित) | 714.82 | 150.27 | 588.95 | 129.65 | 804.50 | 164.19 |
| 34. | कागज तथा लुगदी (कागज उत्पाद सहित) | 76.39 | 16.42 | 30.15 | 6.53 | 2,055.28 | 407.35 |
| 35. | चीनी | 0.48 | 0.10 | 0.79 | 0.17 | 19.95 | 4.44 |
| 36. | किण्वन उद्योग | 536.70 | 112.02 | 262.28 | 57.71 | 335.50 | 69.70 |
| 37. | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | 1,314.23 | 278.89 | 858.03 | 188.67 | 826.16 | 170.21 |
| 38. | वनस्पति तेल तथा वनस्पति | 338.09 | 69.74 | 267.35 | 58.07 | 318.26 | 65.02 |
| 39. | साबुन सौंद्रर्यवर्धक तथा प्रसाधन उत्पाद | 117.27 | 24.58 | 463.98 | 102.90 | 1,113.76 | 222.08 |
| 40. | रबड़ की वस्तुएं | 114.62 | 24.12 | 78.71 | 17.21 | 899.76 | 187.37 |
| 41. | चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं तथा पिकर्स | 23.71 | 5.06 | 42.10 | 9.26 | 38.90 | 8.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | ग्लू तथा जिलेटिन | 1.26 | 0.27 | 0.04 | 0.01 | 30.68 | 5.84 |
| 43. | कांच | 13.28 | 2.83 | 35.48 | 7.60 | 155.65 | 32.22 |
| 44. | सिरेमिक | 33.60 | 7.21 | 54.06 | 12.00 | 45.22 | 9.87 |
| 45. | सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद | 159.07 | 33.80 | 2,911.03 | 637.68 | 1,294.90 | 267.90 |
| 46. | इमारती काष्ठ उत्पाद | 30.62 | 6.54 | 7.19 | 1.58 | 145.26 | 29.60 |
| 47. | रक्षा उद्योग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.44 | 3.66 |
| 48. | परामर्श सेवाएं | 1,623.57 | 341.31 | 1,257.69 | 274.84 | 1,348.14 | 289.89 |
| 49. | सेवा क्षेत्र | 19,944.85 | 4,176.21 | 15,053.94 | 3,296.09 | 24,656.49 | 5,215.98 |
| 50. | अस्पताल तथा नैदानिक केन्द्र | 639.26 | 135.57 | 1,177.33 | 256.00 | 1,524.77 | 310.43 |
| 51. | शिक्षा | 300.50 | 63.35 | 173.24 | 37.94 | 570.95 | 105.62 |
| 52. | होटल तथा पर्यटन | 3,566.32 | 753.02 | 1,405.15 | 308.05 | 4,753.89 | 992.86 |
| 53. | व्यापार | 3,509.69 | 739.62 | 2,252.72 | 498.46 | 3,669.92 | 759.89 |
| 54. | खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड) | 47.52 | 10.28 | 116.53 | 25.84 | 11.49 | 2.57 |
| 55. | कृषि सेवाएं | 5,922.29 | 1,222.22 | 202.60 | 43.90 | 226.41 | 49.02 |
| 56. | हीरे, सोने के आभूषण | 145.59 | 31.08 | 89.36 | 19.59 | 172.61 | 36.30 |
| 57. | चाय तथा कॉफी (प्रसंस्करण तथा वेयर हाउसिंग चाय तथा कॉफी और रबड़) | 37.60 | 8.15 | 14.40 | 3.12 | 24.81 | 5.32 |
| 58. | पुस्तकों का मुद्रण (लिथो प्रिटिंग उद्योग सहित) | 337.65 | 70.51 | 158.42 | 36.63 | 225.03 | 47.39 |
| 59. | कॉयर | 1.19 | 0.25 | 0.46 | 0.10 | 2.89 | 0.55 |
| 60. | निर्माण (अवसंरचना) कार्यकलाप | 1,535.03 | 324.56 | 3,027.21 | 675.07 | 1,878.62 | 386.28 |
| 61. | निर्माण विकास: टाउनशिप, आवास, तैयार अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाएं | 25,975.80 | 5,466.13 | 7,551.85 | 1,654.55 | 15,236.03 | 3,140.78 |
| 62. | विविध उद्योग | 5,407.13 | 1,147.66 | 6,852.85 | 1,484.45 | 3,780.06 | 814.17 |
| | कुल योग | 123,119.65 | 25,834.41 | 88,519.53 | 19,426.93 | 173,946.39 | 36,504.28 |

**वित्तीय, बैंकिंग, बीमा, गैर-वित्तीय/व्यावसायिक, आउटसोर्सिंग, आरएंडडी, कुरियर, टेक, टेस्टिंग और विश्लेषण सहित सेवा क्षेत्र।

देश-वार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह

अप्रैल 2009 से मार्च 2012

(राशि करोड़ रुपए और मिलियन अमरीकी डालर)

| क्र.सं. | देश | 2009-10 अप्रैल-मार्च | | 2010-11 अप्रैल-मार्च | | 2011-12 अप्रैल-मार्च | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | रुपए | अमेरिकी डालर | रुपए | अमेरिकी डालर | रुपए | अमेरिकी डालर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अफगानिस्तान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.03 |
| 2. | आस्ट्रेलिया | 774.92 | 166.29 | 110.22 | 24.26 | 243.60 | 51.15 |
| 3. | आस्ट्रिया | 114.09 | 24.01 | 205.72 | 44.95 | 101.92 | 21.38 |
| 4. | बहमास | 29.14 | 6.16 | 19.79 | 4.32 | 75.02 | 3.34 |
| 5. | बहरीन | 8.09 | 1.72 | 0.85 | 0.19 | 0.94 | 0.19 |
| 6. | अर्जेन्टीना | 0.02 | 0.00 | 46.21 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | बेल्जियम | 177.89 | 37.56 | 168.40 | 37.28 | 494.99 | 104.19 |
| 8. | बेलारुस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.51 |
| 9. | बरमुड़ा | 53.31 | 11.07 | 8.87 | 1.97 | 1.19 | 0.26 |
| 10. | ब्राजील | 5.16 | 1.11 | 7.85 | 1.75 | 51.00 | 11.01 |
| 11. | बुल्गारिया | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.14 | 0.38 | 0.08 |
| 12. | कनाड़ा | 293.27 | 61.64 | 154,66 | 33.66 | 200.27 | 39.78 |
| 13. | केमन द्वीपसमूह | 321.63 | 69.05 | 258.80 | 55.94 | 353.67 | 74.64 |
| 14. | चेनल द्वीपसमूह | 6.75 | 1.40 | 1.26 | 0.27 | 6.92 | 7.53 |
| 15. | चीन | 199.99 | 41.36 | 7.03 | 1.56 | 358.38 | 72.69 |
| 16. | क्रोएशिया | 0.45 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | चेक गणराज्य | 1.93 | 0.40 | 0.03 | 0.01 | 0.50 | 0.11 |
| 18. | साइप्रस | 7,727.58 | 1,626.57 | 4,170.67 | 913.10 | 7,722.38 | 7,587.37 |
| 19. | डेनमार्क | 180.22 | 38.20 | 280.72 | 64.08 | 141.14 | 29.44 |
| 20. | फिलनैण्ड | 241.19 | 50.28 | 101.59 | 22.39 | 412.52 | 86.20 |
| 21. | चिली | 337.22 | 71.25 | 129.99 | 28.64 | 165.82 | 36.28 |
| 22. | फ्रांस | 1,436.83 | 302.53 | 3,348.63 | 734.22 | 3,ए770.22 | 662.62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | यूनान | 4.29 | 0.91 | 1.18 | 0.26 | 1.25 | 0.27 |
| 24. | जर्मनी | 2,980.04 | 626.14 | 907.88 | 199.74 | 7.451.69 | 1.621.95 |
| 25. | हॉगकॉग | 654.24 | 136.46 | 787.82 | 173.10 | 1,294.45 | 268.11 |
| 26. | हंगरी | 40.75 | 8.75 | 4.07 | 0.92 | 1.86 | 0.38 |
| 27. | इण्डोनेशिया | 2,637.05 | 570.25 | 4.67 | 1.03 | 2.38 | 0.50 |
| 28. | आयरलैण्ड | 127.10 | 27.22 | 148.42 | 32.99 | 33.54 | 7.41 |
| 29. | आइल ऑफ मैन | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 2.51 | 0.97 | 0.20 |
| 30. | इजराइल | 130.83 | 28.45 | 6.46 | 1.41 | 4.72 | 1,01 |
| 31. | इटली | 1,064.17 | 225.33 | 510.95 | 112.75 | 734.84 | 155.52 |
| 32. | लिचटैन्सटीन | 3.51 | 0.76 | 3.50 | 0.78 | 0.25 | 0.05 |
| 33. | जापान | 5,670.40 | 1,183.40 | 7,062.98 | 1,562.00 | 14,089.09 | 2,971.70 |
| 34. | कजाकिस्तान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35. | कोरिया (उत्तरी) | 18.62 | 3.79 | 5.48 | 1.18 | 50.32 | 10.63 |
| 36. | लेबनान | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.14 |
| 37. | दक्षिणी कोरिया | 778.68 | 166.88 | 600.89 | 131.35 | 1,183.84 | 244.79 |
| 38. | कुवैत | 40.73 | 8.46 | 5.91 | 1.30 | 5.29 | 1.04 |
| 39. | लातिविया | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40. | लगजम्बर्ग | 198.28 | 42.17 | 806.22 | 179.02 | 429.11 | 89.30 |
| 41. | मलेशिया | 183.85 | 38.21 | 183.26 | 40.39 | 85.37 | 18.20 |
| 42. | मॉरीशस | 49,633.37 | 10,375.56 | 31,854.78 | 6,987.15 | 46,710.28 | 9,941.89 |
| 43. | मैक्सिको | 0.11 | 0.02 | 48.74 | 10.58 | 0.00 | 0.00 |
| 44. | मालदीव | 1.85 | 0.40 | 9.18 | 2.02 | 0.00 | 0.00 |
| 45. | नेपाल | 8.24 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 46. | नीदरलैंड | 4.282.67 | 899.03 | 5.501.23 | 1,213.40 | 6,697.78 | 7,408.89 |
| 47. | सेंट किटस एंड नेविस | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | न्यूजीलैण्ड | 61.06 | 13.18 | 6.85 | 1.53 | 4.59 | 0.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | नाइजीरिया | 4.95 | 1.02 | 0.51 | 0.11 | 15.74 | 3.37 |
| 50. | नार्वे | 66.47 | 14.20 | 63.55 | 13.93 | 158.67 | 33.39 |
| 51. | ओमान | 11.73 | 2.45 | 1,246.49 | 267.82 | 43.55 | 9.27 |
| 52. | पनामा | 53.37 | 11.12 | 41.71 | 9.12 | 11.50 | 2.39 |
| 53. | फिलीपिन्स | 0.92 | 0.20 | 2.27 | 0.50 | 12.25 | 2.42 |
| 54. | पोलैण्ड | 188.91 | 40.05 | 1.29 | 0.28 | 47.35 | 9.61 |
| 55. | पुर्तगाल | 9.95 | 2.12 | 6.04 | 1.33 | 11.04 | 2.37 |
| 56. | कतर | 0.71 | 0.16 | 5.40 | 1.17 | 0.93 | 0.19 |
| 57. | रोमानिया | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 21.34 | 4.23 |
| 58. | रूस | 35.49 | 7.61 | 436.60 | 93.39 | 5.10 | 1.04 |
| 59. | सऊदी अरब | 64.06 | 13.29 | 17.70 | 3.84 | 3.51 | 0.70 |
| 60. | सिंगापुर | 11,294.82 | 2,379.18 | 7,729.66 | 1,705.11 | 24,711.53 | 5,257.32 |
| 61. | स्कॉटलैण्ड | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | 0.15 |
| 62. | दक्षिण अफ्रीका | 158.79 | 33.27 | 0.94 | 0.21 | 8.79 | 1.76 |
| 63. | स्लोवाकिया | 0.14 | 0.03 | 3.50 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 64. | स्पेन | 586.19 | 124.20 | 1,056.40 | 230.14 | 1,497.69 | 312.05 |
| 65. | श्रीलंका | 3.81 | 0.80 | 15.78 | 3.58 | 27.49 | 6.04 |
| 66. | स्वीडन | 1,171.18 | 176.70 | 4.103.95 | 39.05 | 290.46 | 60.24 |
| 67. | स्विट्जरलैण्ड | 489.26 | 102.49 | 4,103.95 | 895.08 | 1,105.49 | 230.73 |
| 68. | ब्राइवान | 78.32 | 16.16 | 30.07 | 6.55 | 63.05 | 13.85 |
| 69. | थाईलैण्ड | 163.90 | 35.10 | 22.18 | 4.94 | 69.12 | 14.13 |
| 70. | तुर्की | 31.51 | 6.78 | 158.48 | 34.90 | 46.81 | 10.00 |
| 71. | यू.ए.ई | 3,016.82 | 628.93 | 1,569.18 | 340.54 | 1,728.24 | 352.82 |
| 72. | यूनाइटेड किंगडम | 3,094.15 | 657.37 | 3,434.20 | 754.94 | 45,228.56 | 9,257.05 |
| 73. | यू.एस.ए | 9,230.43 | 1,943.46 | 3,352.67 | 1,170.27 | 5,346.97 | 1,115.27 |
| 74. | यूक्रेन | 0.01 | 0.00 | 1.60 | 0.36 | 0.12 | 0.02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75. | वेनेजुएला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76. | उरुग्वे | 0.24 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77. | ब्रिटिश वर्जिनिया | 978.05 | 206.26 | 471.42 | 102.46 | 230.29 | 50.37 |
| 78. | वेस्ट इन्डीज | 117.64 | 24.97 | 2.49 | 053 | 4.66 | 0.95 |
| 79. | माल्टा | 12.53 | 2.75 | 0.85 | 0.18 | 15.65 | 3.22 |
| 80. | ईरान | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 81. | मस्कट | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | तंजानिया | 2.06 | 0.44 | 1.99 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 83. | जॉर्जिया | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 1.01 | 0.00 |
| 84. | जिब्राल्टर | 0.65 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 1.36 | 0.28 |
| 85. | सूडान | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 86. | जॉर्डन | 0.22 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. | वियतनाम | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 88. | आइसलैण्ड | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.93 | 0.57 |
| 89. | केन्या | 18.95 | 4.05 | 13.24 | 2.97 | 6.56 | 1.30 |
| 90. | मिस्त्र | 0.99 | 0.21 | 1.20 | 0.26 | 2.67 | 0.51 |
| 91. | यमन | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. | मोनाको | 1.32 | 0.29 | 2.36 | 0.51 | 2.06 | 0.39 |
| 93. | लाइबेरिया | 0.25 | 0.05 | 6.5 | 1.42 | 0.00 | 0.00 |
| 94. | सेन्ट विन्सेन्ट | 0.48 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 218.67 | 41.51 |
| 95. | गार्सनी | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.38 | 0.08 |
| 96. | जाम्बिया | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97. | मोरक्को | 28.42 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 550.17 | 115.50 |
| 98. | कोलंबिया | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99. | ब्रिटिश आइल्स | 36.88 | 7.73 | 139.56 | 30.59 | 208.71 | 46.47 |
| 100. | वनुआटू | 0.34 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 101. | वर्जीन आइलैण्ड (यूएस) | 16.83 | 3.70 | 2.67 | 0.59 | 44.56 | 9.25 |
| 102. | सेशेल्स | 67.44 | 13.91 | 5.09 | 1.11 | 3.73 | 0.77 |
| 103. | पश्चिमी अफ्रीका | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.44 | 5.00 | 0.98 |
| 104. | पूर्वी अफ्रीका | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 105. | कोंगों (डीआर) | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.10 | 1.52 | 0.33 |
| 106. | मंगोलिया | 0.27 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. | टोगोलीज़्ज गणतंत्र | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 108. | गुयाना | 3.52 | 0.76 | 1.08 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 109. | इराक | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.19 | 0.01 | 0.00 |
| 110. | बोलीविया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 111. | बेलीज | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.81 | 5.28 |
| 112. | कैमरुन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 113. | बारबाडोस | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 114. | बरमूडा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 115. | बोत्सवाना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 |
| 116. | अंग्विला | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.29 |
| 117. | सेंट लूसिया | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118. | एनआरआई (व्यक्तिगत निवेशक के तौर पर)* | 1,691.96 | 354.75 | 1,074.75 | 241.23 | 0.00 | 0.00 |
| 119. | देश का ब्यौरा प्रतीक्षित | 9,954.37 | 2,077.56 | 3,808.46 | 830.49 | 0.18 | 0.03 |
| | कुल योग | 123,119.65 | 25,834.41 | 88,519.53 | 19,426.93 | 173,946.39 | 36,504.28 |

*भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश (एनआरआई) संबंधी निवेश पर संपूर्ण/अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपर्युक्त एफडीआई अंतर्वाह संबंधी आंकड़ों में एनआरआई शीर्ष के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित (अलग-अलग निवेश के रूप में) निवेश शामिल हैं।

## पारंपरिक हथकरघा क्लस्टर

**3673. श्री नीरज शेखरः**
**श्री पी. आर. नटराजनः**
**श्री यशवीर सिंहः**

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित देश में पारंपरिक हथकरघा कलस्टरों की संख्या कितनी है और इन राज्यों में इन हथकरघा कलस्टरों पर अपने जीवनयापन के लिए आश्रित लोगों की संख्या कितनी हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कलस्टरों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही वित्तीय और प्रौद्योगिकीय सहायता का ब्यौरा क्या ?

**वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश और निधियों की उपलब्धता के आधार पर 11वीं योजना के दौरान भारत सरकार ने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित विभिन्न राज्यों को एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) के तहत 610 क्लस्टर और 2248 ग्रुप एप्रोच परियोजनाएं मंजूर की हैं। इसके अलावा, तमिलनाडु में 3, उत्तर प्रदेश में 4 और बिहार में 1 क्लस्टर सहित विभिन्न राज्यों में ऐसे 20 क्लस्टर मंजूर किए गए हैं जिनमें प्रत्येक में लगभग 5000 हथकरघे हैं। इसके अतिरिक्त वाराणसी (उत्तर प्रदेश), (शिवसागर), (असम), विरुद्धनगर (तमिलनाडु) और मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) के लिए 4 मेगा हथकरघा क्लस्टर मंजूर किए गए हैं। इन क्लस्टरों पर लगभग 5.50 लाख बुनकर निर्भर हैं।

वस्त्र मंत्रालय, इन क्लस्टरों के बुनकरों को मार्जिन राशि, नए करधों और संबंधित उपकरणों, कौशल उन्नयन, डिजाइन का विकास, यार्न की आपूर्ति के लिए कारपस निधि, साझा सुविधा केन्द्र/रंगाई गृह स्थापित करने, कार्य स्थलों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें स्व-संपोषणीय बनाने हेतु आवश्यकता पर आधारित निविष्टियां प्रदान कर रहा है। विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए क्लस्टरों, ग्रुप एप्रोच परियोजनाओं की संख्या और जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

### *विवरण*

*विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए क्लस्टरों, ग्रुप एप्रोच परियोजनाओं की संख्या और जारी की गई राज्य-वार वित्तीय सहायता*

| क्र.सं. | राज्य | प्रति क्लस्टर 5000 हथकरघे वाले क्लस्टर | प्रति क्लस्टर कम से कम 25,000 हथकरघे वाले क्लस्टर | प्रति क्लस्टर 300-500 हथकरघ वाले क्लस्टर | ग्रुप एप्रोच परियोजनाएं | इन क्लस्टरों पर आश्रित बुनकरों की लगभग संख्या | विगत तीन वर्षों के दौरान जारी वित्तीय सहायता (लाख रुपए में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 2 | 1 | 53 | 352 | 37957 | 1642.48 |
| 2. | बिहार | 1 | - | 15 | 6 | 11267 | 341.18 |
| 3. | छत्तीसगढ़ | - | - | 10 | 30 | 4810 | 337.12 |
| 4. | दिल्ली | - | - | 1 | 0 | 460 | 33.19 |
| 5. | गुजरात | - | - | 9 | 0 | 4245 | 24.94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | हरियाणा | – | – | 1 | 22 | 772 | 97.47 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 1 | – | 7 | 57 | 11266 | 499.87 |
| 8. | जम्मू और कश्मीर | – | – | 10 | 17 | 3875 | 323.15 |
| 9. | झारखंड | – | – | 35 | 90 | 16081 | 1672.33 |
| 10. | कर्नाटक | 1 | – | 23 | 18 | 27816 | 648.35 |
| 11. | केरल | 1 | – | 24 | 21 | 15389 | 704.35 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1 | – | 17 | 7 | 15554 | 477.52 |
| 13. | महाराष्ट्र | – | – | 7 | 54 | 3679 | 285.37 |
| 14. | ओडिशा | 2 | – | 36 | 92 | 24561 | 1591.63 |
| 15. | पंजाब | – | – | 0 | 4 | 80 | 15.35 |
| 16. | राजस्थान | – | – | 6 | 16 | 4615 | 189.39 |
| 17. | तमिलनाडु | 3 | 1 | 49 | 271 | 78204 | 4282.52 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 4 | 1 | 50 | 334 | 77077 | 3937.77 |
| 19. | उत्तराखंड | – | – | 9 | 44 | 6136 | 415.77 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 2 | – | 39 | 65 | 56860 | 1779.75 |
| | कुल योग | – | – | 401 | 1500 | 400704 | 19299.50 |
| | **पूर्वोत्तर क्षेत्र** | | | | | | |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | – | – | 22 | 62 | 16590 | 802.32 |
| 2. | असम | 1 | 1 | .51 | 95 | 48106 | 1831.78 |
| 3. | मणिपुर | 1 | – | 66 | 347 | 40810 | 2132.08 |
| 4. | मेघालय | – | – | 9 | 55 | 8444 | 148.78 |
| 5. | मिजोरम | – | – | 2 | 36 | 1883 | 347.41 |
| 6. | नागालैंड | – | – | 34 | 44 | 20100 | 2458.43 |
| 7. | सिक्किम | – | – | 0 | 50 | 1030 | 114.36 |
| 8. | त्रिपुरा | – | – | 25 | 59 | 11957 | 845.18 |
| | योग | 2 | – | 209 | 748 | 148920 | 9680.34 |
| | सकल योग | 20 | 4 | 610 | 2248 | 549624 | 28979.84 |

**पोतों की खरीद**

**3674. श्री बासुदेव आचार्य:**
**श्री अशोक तंवर:**

क्या **पोत-परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एससीआई) ने वर्ष 2006-08 के दौरान 65 जहाज खरीदने का निर्णय लिया था, जब बाजार मूल्य सर्वाधिक था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अवधि में पोतों को खरीदने के क्या कारण थे;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खरीदे गए पोतों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या एससीआई अब शेष पोतों की सुपुर्दगी प्राप्त करने के लिए अदा करने हेतु आवश्यक निधियों को जुटाने में परेशानियों का सामना कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) पोतों की खरीद के लिए प्रदान की जा रही राजसहायता का ब्यौरा क्या हैं?

**पोत-परिवहन मंत्री ( श्री जी.के. वासन ):** (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) ने वित्तीय वर्ष 2006-07 और 2007-08 के दौरान 65 पोतों को खरीदने की कोई योजना नहीं बनाई। एससीआई का एक पूर्ण जलयान खरीद कार्यक्रम है, जिसे या तो मौजूदा जलयानों को बदलने के लिए अथवा एससीआई के बेड़े में विस्तार किए जाने हेतु जलयान की आवश्यकता के आधार पर तैयार किया जाता है। इस अवधि के दौरान, एससीआई ने 26 जलयानों के आदेश दिए थे और यह खरीद पुराने जलयानों के प्रतिस्थापन, बेड़े के विस्तार आदि के लिए प्रचालन प्रभागों की आवश्यकता के आधार पर थी ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्द्धा में बने रहे तथा अपनी बाजार हिस्सेदारी को कायम रख सकें।

(ग) पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान एससीआई द्वारा आदेशित जलयानों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:-

| वर्ष | जलयानों की संख्या | जीटी (सकल टन भार) | डीडब्ल्यूटी (डेड टन भार) |
|---|---|---|---|
| 2009-10 | 05 (1 पुन: बिक्री एमआर टैंकर सहित) | 38,393 | 61,256 |
| 2010-11 | 11 | 7,25,067 | 12,16,964 |
| 2011-12 | 09 (2 सुपरमैक्स बल्क वाहकों सहित) | 1,11,304 | 1,68,254 |
| कुल | 25 | 8,74,764 | 14,46,474 |

मौजूदा वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान एससीआई द्वारा किसी भी जलयान की खरीद का आदेश नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ) एससीआई शेष जलयानों की सुपुर्दगी लेने के लिए भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए किसी भी कठिनाई का सामना नहीं कर रहा है।

(च) नौवहन जलयानों को खरीदने के लिए एससीआई को कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है।

**राष्ट्रीय कृषि श्रमिक कल्याण निधि**

**3675. श्री पोन्नम प्रभाकर:** क्या **श्रम एवं रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि श्रमिकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय कल्याण निधि को स्थापित करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी निधि की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**श्रम और रोजगार मंत्री ( श्री मल्लिकार्जुन खरगे ):** (क) से (ग) सरकार ने कृषि कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु पहले ही राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित की

हुई है। यह निधि असंगठित कामगारों अथवा उसके किसी खंड के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं निर्मित करने में मदद करेगी।

*[हिन्दी]*

### आऊटसोर्सिंग पर प्रतिबंध

3676. **श्री रामकिशुन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका में ओहियो स्टेट ने आऊटसोर्सिंग और बैंक कार्यालय परियोजनाओं को अपतटीय स्थलों जैसे भारत से कराने पर प्रतिबंध लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** (क) ओहियों के तत्कालीन गवर्नर टेड स्ट्रिकलैंड ने दिनांक 6 अगस्त, 2010 को एक शासकीय आदेश जारी कर अपतटीय स्थलों जैसे भारत से प्रदान की गई सेवाओं के लिए पब्लिक फण्ड के व्यय पर प्रतिबंध लगा दिया था। गवर्नर जॉन कैसिच ने पहले आदेश की जगह जून, 2011 में एक अन्य शासकीय आदेश जारी किया। जून, 2011 के शासकीय आदेश के कुछ मुख्य प्रावधान अगस्त, 2010 के शासकीय आदेश के प्रावधान जैसे ही थे। इसके मुख्य प्रावधान को इस प्रकार पढ़ा जा सकता है:

> "कोई भी स्टेट कैबिनेट, बोर्ड या कमीशन ऐसा कोई करार नहीं करेगा जिसके अनुसार संयुक्य राज्य के नियंत्रण के बाहर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पब्लिक फण्ड का प्रयोग किया जाना हो। यह शासकीय आदेश किसी एक्जीक्यूटिव एजेंसी द्वारा सीधे क्रय की गयी सभी सेवाओं तथा सबकंट्रेक्ट द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए मान्य होगा।"

(ख) भारत द्वारा भारतीय उद्योग, विशेषत: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी कम्पनियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी प्रवृत्ति के प्रभाव के मुद्दे को भारतीय एवं संयुक्त राज्य नेतृत्व के समक्ष उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकों में उठाया जाता रहा है।

### लड़ाकू विमान

3677. **श्री कौशलेन्द्र कुमार:**
**श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
**श्री एस.एस. रामासुब्बू:**

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वायु सेना हेतु 126 लड़ाकू विमान खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें वायु सेना में कब तक सम्मिलित किया जाएगा;

(ग) क्या उक्त विमान के अधिग्रहण में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) भविष्य में एसी घटनाओं को रोकने और रक्षा सौदों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) और (ख) जी, हां। भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम बहु-भूमिका वाले युद्धक विमान की अधिप्राप्ति के प्रस्ताव पर इस समय वाणिज्यिक विचार-विमर्श किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) सभी पूंजीगत अधिप्राप्तियों पर रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाती है जो पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और लोक जवाबदेही के उच्चतम मानकों की अनुरूपता सुनिश्चित करती है।

### सीएफएल के उपयोग से जहरीला कचरा

3678. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट (सीएफएल) और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट (एफटीएल) सहित मरकरी लैंपों के उपयोग से उत्पन्न जहरीले पारायुक्त कचरे की मात्रा का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किया है जिनमें उनसे जहरीले पारायुक्त कचरे के लिए पुन:चक्रीय इकाइयों को स्थापित करने को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस संबंध में दिशनिर्देश जारी किए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में इन उपयोग कर्त्ताओं को प्रोत्साहन देते हुए इन कचरों के सुरक्षित निपटाने के लिए नई स्कीमें बनाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** (क) से (छ) वर्ष 2009 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अधीन गठित एक तकनीकी समिति द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, भारत में काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैंप (सीएफएल) और फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट (एफटीएल) के विनिर्माण 8.0 टन मरकरी की खपत होती है। सीपीसीबी ने फरवरी, 2010 में "फ्लोरोसेंट लैंप क्षेत्र में पर्यावरण रूप से अनुकूल मरकरी प्रबंधन हेतु तकनीकी दिशा-निर्देश" नामक दिशा-निर्देश प्रकाशित किये हैं।

पर्यावरण एवं मंत्रालय और सीपीसीबी ने पुनचक्रीय इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को पत्र लिखे हैं ताकि फ्यूज सीएफएल और एफटीएल को समुचित ढंग से एकत्रित किया जा सके और मरकरी को पुन: प्राप्त करके उसका वैज्ञानिक और सुरक्षित ढंग से पुन:चक्रण किया जा सके। सीएफएल और एफटीएल सहित मरकरी वाले लैंपों की अवसान तिथि के बाद उनके एकत्रण, पुन:चक्रण और सुरक्षित निपटान किये जाने के मुद्दे का निराकरण करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय उप-दल गठित किया गया है।

*[अनुवाद]*

## मिलिट्री स्कूल में समारोह

**3679. श्री भूदेव चौधरी:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, धौलपुर ने हाल ही में स्वर्ण जयंती मनायी है और यदि हां, तो उक्त समारोह के लिए संस्वीकृत और उपयोग की गई राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने मीडिया में दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस समारोह के आयोजन में कुप्रबंध को नोट किया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में जन प्रतिनिधियों और ओल्ड ब्यॉज एसोसिएशन की शिकायतों सहित स्वर्ण जयंती समारोह के आयोजन में निधियों के कुप्रबंधन एवं दुरुपयोग की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार के ध्यान में लायी गयी अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस मामले में कोई जांच कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

**रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी):** (क) जी, हां। 4.85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें से 4.80 लाख रुपए की राशि का उपयोग समारोह के लिए हुआ था।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट जानकारी में नहीं आई है।

(ग) जोर्जियंस एसोसिएशन के महासचिव श्री जे.के. बीखा से एक शिकायत प्राप्त हुई है। अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दे मौटे तौर पर भूतपूर्व छात्रों को आमंत्रण-पत्र, उनके वाहनों के लिए पार्किंग, उन्हें आवास उपलब्ध कराने, पीने का पानी उपलब्ध कराने, शौचालय आदि से संबंधित है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। प्रथम-दृष्टया ऐसा किए जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

*[हिन्दी]*

## सीएमडी की नियुक्ति

**3680. श्रीमती ऊषा वर्मा:**
**श्रीमती कामेश्वर बैठा:**
**श्रीमती सुशीला सरोज:**
**श्रीमती सीमा उपाध्याय:**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता मापदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या एनएमडीसी के सीएमडी की नियुक्ति और समयावधि बढ़ाने के मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त से आवश्यक स्वीकृति ली गई थी और निर्धारित प्रक्रिया और मापदण्ड का तत्परतापूर्वक अनुपालन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एनएमडीसी द्वारा निविदाएं प्रदान करने और लौह अयस्क बेचने के संबंध में अनियमितताओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जिससे राष्ट्रीय राजकोष को भारी नुकसान हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/प्रस्तावित है?

**इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा):** (क) एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद पर सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर पदों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा की गई सिफारिश और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की क्लीयरेंस के आधार पर केबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के पूर्व अनुमोदन की प्राप्ति के बाद भारत सरकार (व्यावसाय का लेन-देन) नियम, 1961 के अनुसार की जाती है। एनएमडीसी के सीएमडी पद हेतु योग्यताओं को दर्शाते को हुए कार्य का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रक्रिया अनुसार पीईएसबी ने दिनांक 20.7.2011 को सीएमडी, एनएमडीसी लिमिटेड के पद हेतु अपनी सिफारिश की थी। इसके पश्चात सीएमडी, एनएमडीसी लिमिटेड के पद हेतु पीईएसबी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी के मामले में दिनांक 4.8.2011 को सतर्कता क्लीयरेंस हेतु सीवीसी को निवेदन किया गया। तथापि, सीवीसी से क्लीयरेंस की प्राप्ति न होने के कारण दिनांक 31.12.2011, वह तिथि जिसको पदधारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवा-निवृत्त हो गए, तक सीएमडी, एनएमडीसी लिमिटेड के पद हेतु नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकी। तत्कालीन नियमित सीएमडी के कार्यकाल में कोई विस्तार नहीं किया गया।

(घ) से (च) नागरनार में एकीकृत इस्पात संयंत्र हेतु रोलिंग मिल और हॉट स्ट्रिप्ड मिल के लिए थिन स्लैब कास्टर की स्थापना के लिए एनएमडीसी द्वारा प्रदान की गई निविदाओं में कथित अनियमितताओं के संबंध में कुछ प्रतिवेदन इस्पात मंत्रालय को प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जांच में कई अनियमितता नहीं पाई गई है। मामले की जांच की गई है और जांच रिपोर्ट सीवीसी को भेज दी गई है।

***विवरण***

सं. 3/39/2010-पीईएसबी

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)
ब्लॉक सं. 14, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003

| | | |
|---|---|---|
| पीएसयू का नाम | : | राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड |
| पद का नाम | : | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| रिक्ति की तारीख | : | 01.01.2012 |
| सीपीएसई की अनुसूची | : | 'ए' |
| पद का वेतनमान | : | रुपये 80000-125000/-(संशोधित) |

**1. कंपनी प्रोफाइल**

राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड (एनएमडीसी) को उत्कृष्टता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और अपने सभी हितधारकों को इष्टतम संतुष्टि प्रदान करने के साथ एक विश्वस्तरीय खनन संगठन के रूप में उभरने के उद्देश्य से भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित किया गया था। यह इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में खनिज एवं धातु क्षेत्रों में एक अनुसूची 'ए' की नवरत्न सीपीएसई है।

इसका पंजीकृत और निगम कार्यालय हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में स्थित है।

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार कंपनी की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमंश: 400 करोड़ रुपए और 396.47 करोड़ रुपये है।

कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 90 प्रतिशत है।

**2. कार्य का विवरण और जिम्मेदारी:**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निगम का मुख्य कार्यकारी होता है और वह अपने निदेशक बोर्ड और सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। वह निगम के उद्देश्यों और कार्यनिष्पादन पैरामीटरों को अर्जित हेतु निगम के कुशल कार्यकरण के लिए उत्तरदायी होता है।

3. **पात्रता**

**I आयुः** रिक्ति सृजित होने की तिथि पर

(i) न्यूनतम 45 वर्ष

(ii) आंतरिक अभ्यर्थियों के लिए 58 वर्ष से अधिक नहीं और अन्य के लिए 57 वर्ष से अधिक नहीं।

अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष है।

4. **नियुक्ति की अवधि**

यह नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अधिवर्षिता की तिथि तक जो भी पहले हो, लागू होगी।

5. **आवेदन प्रस्तुत करना**

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र से इच्छुक अभ्यार्थी और सरकारी अधिकारी अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा अनुबंध-1 में दिए गए प्रपत्र में भेज सकते हैं।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलाप अपना आवेदन पत्र अनुबंध-2 में दिए गए प्रपत्र में निम्नलिखित के साथ भेज सकते हैं:

(i) अपने वर्तमान/विगत नियुक्तियों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण योगदान और इस पद हेतु अपनी उपयुक्त पर एक लेख।

(ii) पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट अथवा वार्षिक टर्नओवर के आंकड़ें जो कंपनी सचिव/सीएफओ द्वारा विधिवत प्रमाणित हो।

(iii) अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के आवेदन निम्न रूप से उचित माध्यम द्वारा भेजे गए हों;

(क) सरकारी अधिकारी मामले में संवर्ग नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से।

(ख) सीपीएसई में कार्यरत सीएमडी/एमडी/निदेशक के मामले में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से।

(ग) सीपीएसई में कार्यरत बोर्ड स्तर के नीचे के अधिकारी के मामले में संबंधित सीपीएसई के माध्यम से।

(घ) राज्य के पीएसई में कार्यरत सीएमडी/एमडी के मामले में राज्य सरकार के माध्यम से।

(ङ) राज्य के पीएसई/राज्य संयुक्त उद्यम में कार्यरत अधिकारी के मामले में संबंधित एसपीएसई के माध्यम से।

**उपरोक्त के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के कार्यपालकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए।**

(i) आयु और योग्यताओं के प्रमाण में साक्ष्यांकित प्रतियां।

(ii) कंपनी की पिछले 5 वर्षो की वार्षिक रिपोर्ट।

(iii) स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग का प्रमाण।

(iv) बोर्ड स्तर के अधिकारी के रूप में कार्य करने अथवा बोर्ड को प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट करने यथा बोर्ड स्तर से एक स्तर नीचे का अधिकारी, होने का प्रमाण।

(v) विगत में किए गए कार्यो का ब्यौरा संदर्भ के साथ।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालक को अपना आवेदन उचित माध्यम द्वारा भेजना चाहिए।

अनुबंध-1 और अनुबंध-2 पीईएसबी की वैबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

पीईएसबी में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2011 है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बोर्ड के पास साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार होगा।

आवेदन पत्र डॉ. (श्रीमती) पी.एस. बेहुरिया, सचिव, के लोक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक एंटर प्राइजेज भवन, ब्लॉक संख्या-14, सीजीओं कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-11003 को प्रेषित किया जाए।

लोक उद्यम चयन बोर्ड, के साथी सभी पत्र व्यवहार केवल सचिव, लोक उद्यम चयन बोर्ड, को ही भेजे जाएं।

**II. शैक्षिक योग्यता और अनुभव**

अभ्यार्थी को अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक होना चाहिए। उसके पास

किसी बड़े प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर प्रबंध कार्य का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

तकनीकी/एमबीए की योग्यता प्राप्त और उत्पादन, मार्केटिंग, वित्त और मानव संसाधन का ज्ञान प्राप्त लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लौह अयस्क खनन क्षेत्र और/अथवा स्टील क्षेत्र का ज्ञान वांछनीय है।

बशर्ते कि ठोस, पर्याप्त पृष्ठभूमि और अनुभव प्राप्त आंतरिक अभ्यार्थियों के मामले में न्यूनतम योग्यता में शिथिलता प्रदान की जाएगी।

**III. वेतनमान/टर्नओवर:**

**(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालक**

निम्नलिखित वेतनमान में पद धारण करने वाले कार्यपालक:

रुपये 8250-9250 (आईडीए)

रुपये 11500-13500 (आईडीए) दिनांक 1.1.1992 के बाद

रुपये 23750-28550 (आईडीए) दिनांक 1.1.1997 के बाद

रुपये 62000-80000 (आईडीए) दिनांक 1.1.2007 के बाद

रुपये 22400-24500 (सीडीए)

रुपये 37400-67000 + जीपी रुपये 12000 (सीडीए)

रिक्ति की तिथि पर पात्र वेतनमान में अपेक्षित सेवा की न्यूनतम अवधि आंतरिक अभ्यर्थियों के मामले में एक वर्ष होगी और अन्य के मामले में 2 वर्ष होगी।

**(ख) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यपालक**

250 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों में कार्यपालका।

**(ग) निजी क्षेत्र के कार्यपालक**

निजी क्षेत्र के कार्यपालकों को निम्नलिखित प्रत्येक शर्त पूरी करनी चाहिए:

(i) कार्यपालक 250 करोड़ रुपये से अधिक वर्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों में कार्यरत हों।

(ii) बोर्ड स्तर का कार्यपालक हो अथवा जो कार्यपालक बोर्ड लेवल के स्तर का न हो, लेकिन बोर्ड को सीधे ही रिपोर्ट करता हो अर्थात बोर्ड स्तर से एक स्तर से नीचे का कार्यपालक हों।

(iii) कार्यपालक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी कंपनियों में कार्यरत हो

**(घ) सरकारी अधिकारी**

बशर्ते कि निर्धारित योग्यताओं और अनुभव होने के बावजूद भी रिक्ति की तिथि को भारत सरकार में अपर सचिव के स्तर का सरकारी अधिकारी अथवा समकक्ष वेतनमान का अधिकारी अथवा थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल अथवा नेवी/वायु सेना में समकक्ष रैंक का अधिकारी जिसके पास संबंधित क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो, आमेलन आधार पर विचार किए जाने हेतु पात्र होगा।

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** सभा मध्यान्ह 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**पूर्वाह्न 11.04 बजे**

*तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

*लोक सभा मध्याह्न 19.00 बजे पुन: समवेत हुई।*

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.0¼ बजे**

*इस समय श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट आए और फर्श पर खड़े हो गए*

**अपराह्न 12.0½ बजे**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** श्री मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1431(अ), जो 27 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण) सभा पटल पर रखने का प्रस्ताव करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7246/15/12]

*...(व्यवधान)*

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** श्री आनंद शर्मा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 (5 जून, 2012 तक अद्यतन)।

(दो) हैण्डबुक ऑफ प्रोसीजर (वोल्यूम 1), 2009-2014 (5 जून, 2012 तक अद्यतन)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7247/15/12]

*...(व्यवधान)*

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटन पर रखने में हुए विलंब के कारण को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7248/15/12]

*...(व्यवधान)*

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ग्रामीण जन कल्याण परिषद् (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), मुजफ्फरपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ग्रामीण जन कल्याण परिषद् (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), मुजफ्फरपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रेंजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7249/15/12]

(2) (एक) हर्शल ग्रामीण विकास बहुउद्देश्यीय संस्था (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), चन्द्रपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हर्शल ग्रामीण विकास बहुउद्देश्यीय संस्था (इंडियन लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम), चन्द्रपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7250/15/12]

(3) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18छ के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) न्यूजप्रिंट (संशोधन) आदेश, 2012 जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1780 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) न्यूजप्रिंट (संशोधन) आदेश, 2012 जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1781(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7251/15/12]

*...(व्यवधान)*

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वायुसेना अधिनियम, 1950 की धारा 191क के अंतर्गत वायुसेना (संशोधन नियम, 2012 जो 31 मार्च, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7252/15/12]

...*(व्यवधान)*

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2275(अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2192(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 933(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-स्वरूपगंज खंड) के निर्माण (बाईपास अथवा रीएलाएन्मेंट के निर्माण सहित चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2199(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (रतनपुर-अहमदाबाद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1822(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 401(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 2379(अ) जो 15 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 26 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का.आ. 825(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(आठ) का.आ. 2176(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1594(अ) जो 11 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पधी-दहोद खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2467(अ) जो 28 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-मुंबई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2191(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 622(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बारह) का.आ. 1278(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (सिरोही खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1823(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1841(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ. 1068(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1820(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (अहमदाबाद-वडोदरा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1078(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1837(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जेतपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 944(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 347(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जेतपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1817(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 934(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (किशनगढ़-बीवार खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2669(अ) जो 28 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1093(अ) जो 16 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (जूनागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 298(अ) जो 7 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8घ (समाखियाली-उगांधीधाम खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2560(अ) जो 13 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (सूरत-दहीसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 917(अ) जो 29 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में प्रस्तावित वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे (वडोदरा-मुंबई खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1211(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख (सूरत-दहीसर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उसमें उल्लिखत अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(उन्तीस) का.आ. 2190(अ) जो 22 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 (उदयपुर-स्वरूपगंज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1271(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (गुजरात/महाराष्ट्र खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1827(अ) जो 8 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 और 79क (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 405(अ) जो 21 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (अहमदाबाद-गुजरात/मध्य प्रदेश खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2007(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रारगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1120(अ) जो 16 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 2272(अ) जो 30 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाईपास के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 2671(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 2955(अ) जो 15 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रारगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 724(अ) जो 8 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59क (भारत-नेपाल सीमा को जोड़ने वाला बाईपास खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 1284(अ) जो 14 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 78 और 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला भू-अर्जन अधिकारी, गुमला को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 987(अ) जो 4 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला भू-अर्जन अधिकारी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 356(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा 5 मई, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1165(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बयालीस) का.आ. 639(अ) जो 28 मार्च, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रारगांव-महुल्लिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 1924(अ) जो 19 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए जिला भू-अर्जन अधिकारी, गिरिडीह, झारखण्ड को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 797(अ) जो 26 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 2856(अ) जो 26 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रारगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 2363(अ) जो 14 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (मैनागुरी से धुपगुरी) के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में हैं।

(सैंतालीस) का.आ. 1777(अ) जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1853(अ) जो 10 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1980(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-इन्द्रा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पचास) का.आ. 2727(अ) जो 8 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 337(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1208(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(बावन) का.आ. 338(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1223(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(तिरपन) का.आ. 339(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2217(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(चौवन) का.आ. 1972(अ) जो 25 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसमें 26 अगस्त,

2010 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2077(अ) का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पचपन) का.आ. 2001(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-ररगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 1993(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सतावन) का.आ. 2767(अ) जो 11 नवम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-ररगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठावन) का.आ. 2658(अ) जो 28 अक्तूबर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-ररगांव खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनसठ) का.आ. 1207(अ) जो 26 मई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रामगढ़ बाईपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(साठ) का.आ. 1282(अ) जो 2 जून, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकसठ) का.आ. 362(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1208(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(बासठ) का.आ. 2897(अ) जो 6 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तिरसठ) का.आ. 358(अ) जो 14 फरवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरहामपुर-फरक्का खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंसठ) का.आ. 1985(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7253/15/12]

---

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.01 बजे**

## राज्य सभा से संदेश

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 22 दिसंबर, 2011 को हुई अपनी बैठक में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

1. यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा द्वारा अपनी 21 दिसंबर, 2011 को हुई बैठक में स्वीकार किये गये एवं उसी दिन इस सभा को संसूचित किए गए प्रस्ताव में निर्धारित प्रयोजनों के लिये दोनों सभाओं की 'अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति' नामक समिति गठित की जाये और यह प्रस्ताव भी करती है कि यह सभा भी उक्त समिति

में सम्मिलित होती हैं और एकल संक्रमणीय मतदान के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, इस सभा के सदस्यों में से दस सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिये निर्वाचित करने के लिये अग्रसर होती है।"

2. मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसरण में आरंभ हुई निर्वाचन प्रक्रिया के फलस्वरूप राज्य सभा के नौ सदस्य उक्त समिति में विधिवत् निर्वाचित हुये, उनके नामों की सूचना राज्य सभा से प्राप्त 15 मई, 2012 के एक संदेश के माध्यम से लोक सभा को दे दी गई। उसमें दी गई सूचना के अनुसार, समिति में शेष एवं रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन प्रक्रिया को राज्य सभा के अगले सत्र तक आस्थगित कर दिया गया। अब, उस रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया वर्तमान सत्र के दौरान पूरी होने के पश्चात् श्री अश्क अली यक सदस्य, राज्य सभा को समिति का सदस्य विधिवत निर्वाचित किया गया है।

---

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.01¼ बजे**

## वित्तीय समितियां (2011-12)-एक समीक्षा

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** मैं, "वित्तीय समितियां (2011-12)-एक समीक्षा" के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

---

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.01½ बजे**

## अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 125वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन

*[अनुवाद]*

**महासचिव:** मैं, 16 से 19 अक्तूबर, 2011 तक बर्न (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर-संसदीय संघ की 125वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

---

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.01¾ बजे**

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11) के संबंध में परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

*[अनुवाद]*

**पोत परिवहन मंत्री (श्री जी.के. वासन):** मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 389 तथा लोक सभा समाचार-भाग-दो दिनांक 01 सितंबर, 2004 के द्वारा जारी निदेश 73 क के अनुसरण में, पोट परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-11 के संबंध में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी विभाग संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के 164वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की रिक्ति संबंधी वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

164वें प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति की बैठक 20 दिसंबर 2010 को हुई थी। समिति ने मंत्रालय के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था।

माननीय समिति द्वारा दी गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबन्ध में दी गई है, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

मैं सभा का कीमती समय लेकर अनुबन्ध की विषय-वस्तु को पढ़ना नहीं चाहता। अतः मेरा अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ ही माना जायें।

---

*...(व्यवधान)*

---

*सभापटल पर रखा गया तथा ग्रन्थालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी-7254/15/12।

**अपराह्न 12.02 बजे**

## हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधयेक, 2012*

*[अनुवाद]*

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री मुकुल वासनिक):** मैं, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिये पुनर्वास और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिये पुनर्वास और उससे संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

**श्री मुकुल वासनिक:** मैं विधेयक पुर: स्थापित** करता हूं।

---

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.02½ बजे**

## नियम 377 के अधीन मामले***

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है वे यदि इन मामलों को सभा पटन पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे तत्काल सभा पटन पर पर्ची रख दें।

केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई है। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

*...(व्यवधान)*

*[हिन्दी]*

### (एक) मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिला अस्पताल, राजगढ़ में चिकित्सकों और विशेषज्ञों के रिक्त पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

**श्री नारायण सिंह अमलाबे** (राजगढ़): मैं मध्य प्रदेश में स्थित मां जालपा की नगरी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से आता हूं। यहां स्थित जिला चिकित्सालय राजगढ़ में लगभग 80-90 किमी. दूर से इलाज हेतु मरीज आते हैं। किंतु इस जिला चिकित्सालय में डाक्टरों के लगभग 38 पद स्वीकृति होने के बाद भी वर्तमान में मात्र 20 डाक्टर ही कार्यरत हैं एवं 18 पद अभी भी रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाले मरीजों विशेषकर महिलाएं व प्रसूताओं को विशेष समस्या का सामना करना पड़ता है। समुचित इलाज के अभाव में उन्हें भोपाल अथवा इंदौर इलाज हेतु रेफर कर दिया जाता है। कई मरीज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा यहां दूसरी एक और बड़ी समस्या यह है कि समुचित चिकित्सकों, सर्जरी तथा एनस्थेशिया के अभाव में भी मरीजों को माईनर आपरेशन के लिए भी बाहर रेफर कर दिया जाता है। पूर्व में इस जिला चिकित्सालय में जिले के अतिरिक्त पड़ोसी राज्य राजस्थान के झालावाड़ जिले के भी अधिकांश मरीज अच्छे इलाज हेतु यहां आते थे। परंतु वर्तमान में हालत यह है कि यहां डाक्टरों के अभाव के कारण इस जिले के अधिकांश मरीज अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया/पैसा खर्च कर अन्यत्र स्थानों पर इलाज हेतु जाने को बाध्य हो गए हैं। मैंने भी इस संबंध में कई मर्तबा मध्य प्रदेश शासन से पत्राचार किया है लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश शासन को मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय पर स्थिति चिकित्सालय व जिले के अन्य चिकित्सालयों में कई समय से डाक्टरों व विशेषज्ञों के रिक्त पड़े हुए पदों को शीघ्र भरे जाने हेतु तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2, दिनांक 03.09.12 में

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

***सभा पटल पर रखे माने गए।

**(दो) देश में बाघ अभ्यारण्यों के आसपास गश्त में तेजी लाए जाने तथा चौकसी बढ़ाए जाने की आवश्यकता।**

**श्री गोपाल सिंह शेखावत** (राजसमंद): उत्तर में अरावली और दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियों उत्तर-पूर्व में छोटा नागपुर के पठार और दक्षिण-पूर्व में ओड़िशा की पहाड़ियों से घिरे मध्य भारत के इस प्राकृतिक भू-भाग में करीब 39.017 वर्ग किलोमीटर में फैला बाघ अधिगृहीत सबसे बड़ा जंगल है, बल्कि यहां सबसे ज्यादा बाघों की आबादी है। देश में बाघ संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन सरकार द्वारा किया गया तथा वर्ष 2008-09 के दौरान कार्बेट, रणथम्भौर और दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख रुपये जारी किए गए। इसके साथ ही राजस्थान के दर्राह, जवाहर सागर और चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य को नए बाघ रिजर्व के सृजन हेतु प्राप्त हो गया है। बाघ संरक्षण हेतु मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाघ रिजर्व का मूल्यांकन करके तथा निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ करके भारत की इस दुलर्भ वन्य प्रजाति को बचाया जाए।

**(तीन) हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्हें चौड़ा करने के कार्य को आरंभ किए जाने तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इसकी अवसंरचना मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**श्रीमती श्रुति चौधरी** (भिवानी-महेन्द्रगढ़): मेरे निर्वाचन क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रगढ़ में वर्ष 2012-13 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्हें चौड़ा तथा टिकाऊ बनाना तथा इससे संबंधित अवसरंचना के संबंध में मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी।

भिवानी जिल में भिवानी, तोशाम, दादरी, लोहारु तथा भादरा और महेन्द्रगढ़ जिले में महेन्द्रगढ़ नारनौल, अटेली और नागंल चौधरी जैसे मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत लिंक रोड के निर्माण हेतु मैं विगत 3 वर्षो में कुछ प्रस्ताव पहले ही भेज चुकी हूं। परन्तु ऐसा लगता है कि 2010, 2011 अथवा 2012 के दौरान जब तक यह केन्द्र में बाकी राज्यों के निष्पादन के अनुरूप नहीं हो जाता इन प्रस्तावों पर हरियाणा में पीएमजीएसवाई के चरण-दस में विचार नही किया गया था। इस परिदृश्य में हरियाणा पर दोहरा संकट आ गया है क्योंकि एक ओर तो हरियाणा हमारे देश में पेट्रो उत्पादों को बेचने तथा पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के लिए उपकर संचित करने में सबसे बड़े अंशदाताओं में से एक है तथा वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने/कार्यान्वयन में अपना उत्कृष्ट निष्पादन नहीं कर पाया है। अपने पेशे से जुड़े कार्यो के लिए हजारों स्थानीय लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना कर रहें हैं खासतौर से विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान तथा रक्षा कर्मी इत्यादि।

अत: मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करती हूं कि पर्याप्त बजटीय आबटन जिसका प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है, के साथ चालू वित्तीय वर्ष के स्वरूप को बदल कर, हरियाणा में खासतौर से भिवानी-महेन्द्रगढ़ जैसे पिछड़े तथा दूरवर्ती जिलों में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत प्रस्तावों को शामिल करें ताकि भारत निर्माण कार्यक्रम के सपने को यथार्थ करने के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके जोकि पीएमजीएसवाई का मूलभूत उद्देश्य है।

**(चार) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मलयालम भाषा के शिक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी.टी. थॉमस** (इदुक्की): मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। यह आवश्यक है कि हमारे देश में विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अलग केन्द्रों तथा कम से कम देश की राजधानी में उच्च शिक्षण केन्द्रों की शुरुआत की जाएं। अनुसूचित भाषाओं में से एक मलयालम दिल्ली में कहीं भी नहीं पढ़ाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसे एशिया में सर्वोत्तम में से एक माना जाता है, में एक भारतीय भाषा केन्द्र है। हिन्दी, उर्दू तथा तमिल के अलावा अन्य अनुसचित भाषाओं जिसमें मलयालम शामिल है को जेएनयू के इस उत्कृष्ट भाषा केन्द्र में स्थान नहीं मिल पा रहा है। भारत विभिन्नताओं का देश है। इसकी संस्कृति, विश्वास, रिती-रिवाज, आहार, वेश-भूषा तथा भाषा के कारण ही भारत एक अनोखा देश है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह समय-बद्ध पहलें करे तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में मलयालम के लिए केन्द्र आरंभ करें।

## (पांच) बिहार स्थिति स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को बरौनी पेट्रोलियम रिफाइनरी से प्राथमिकता के आधार पर पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता

*[हिन्दी]*

**डॉ. भोला सिंह** (नवादा): बिहार में बरौनी रिफाइनरी की स्थापना हेतु बिहार केसरी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह, प्रथम मुख्यमंत्री बिहार की पहल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्वीकृति दी थी। असम से पाइप के द्वारा कच्चे तेल को संस्कारित करना इसके साथ ही इसकी नेप्था से 34 पैट्रो केमिकल एवं एरोमेटिक कारखाने 31 राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे भागलपुर के नौगछिया तक लगना था। देश और बिहार के लाखों नवयुवकों को रोजी-रोटी की व्यवस्था इसके माध्यम से होनी थी। बरौनी को ब्रिटेन का लंकाशायर बनना था पर विडम्बना यह है कि रिफाइनरी की नेप्था से जो कारखाने लगने थे उसमें से एक खाद कारखाना किसी तरह लग पाया था जो वर्षो से आज तक बंद है। इसका नेप्था, बुम्बई और जर्मनी तक वहां के कारखाने को कच्चे माल के रूप में दिया जा रहा है। भारत सरकार की घोर उपेक्षा ने बिहार के औद्योगिकीकरण को रोका, बरौनी रिफाइनरी का विस्तार भी होना था लेकिन वह नहीं हो पाया। एक से एक घातक प्रहार भारत सरकार की ओर बिहार के औद्योगिकीकरण पर किए जा रहे हैं। बिहार औद्योगिकीकरण के लिए किसी तारणहार की तलाश में हैं।

पहले तमाम कल्सांइट पैट्रोलियम कोक को बनाने वाली छोटी-मोटी कंपनियों को उसकी उत्पादकता के आधार पर पैट्रो कोक कच्चे माल के रूप में आवंटित हुआ करता था। अब यह प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है। अब पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पैट्रो कोक को खुली डाक बोली के सहारे इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनियां कच्चे माल को उठा लेंगी और फिर ऊंचे दाम देने वाली कंपनियों को अपनी ओर कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। इस प्रक्रिया को अपनाने से बरौनी रिफानरी पर आधारित औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे और इस पर आधारित हजारों कामगार बेकार हो जाएंगे और सैकड़ों करोड़ रुपये की लगी हुई पूंजी बर्बाद हो जाएगी। भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि बरौनी रिफाइनरी की नेप्था पर आधारित जितनी स्थानीय कंपनियां पेट्रो के कच्चे माल पर आधारित हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पहले आपूर्ति की जाती थी अब भी कहने के लिए यह प्राथमिकता की बात की जाती है पर डाक बोली के आधार पर आवंटन से व्यवहार में प्राथमिकता नहीं रह पाएगी। अत: भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हमारी मांग है कि वह पैट्रो कोक कच्चे माल का आवंटन उसका निस्तारण पूर्व की प्रक्रिया के आधार पर चलाए ताकि यह नई प्रक्रिया अव्यवस्था न बने और औद्योगिकीकरण पर नाकारात्मक प्रभाव न हो। अत: इस नए कदम को वापस करे और पूर्व के नियम प्रक्रिया को ही आवंटन का आधार बनाकर रखे। इस ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

## (छह) गुजरात में नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रदान किए जाने की आवश्यकता

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा): इस साल कम बारिश के कारण कई राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। राज्य के ज्यादातर जलाशय सूख गए हैं। पानी के आभाव में कृषि एवं किसान प्रभावित एवं पीड़ित हैं। ऐसी दयनीय स्थिति में नर्मदा नदी पर स्थिति सरदार सरोवर योजना ही बचाव का मुख्य आधार बन गया है। नर्मदा कंट्रोल ऑथोरिटी द्वारा बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति नहीं मिल रहीं है। जबकि यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाई जाए तो जलाशय में पानी का संग्रह 96.8 लाख स्क्वायर फीट हो जाएगा। बांध की ऊंचाई न बढ़ाने से गुजरात की कृषि एवं किसान प्रभावित हुए हैं। जहां तक पुनर्वास का प्रश्न है तो गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। दोनों राज्यों द्वारा बांध की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अनुमति की सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी पुनर्वास के काम पूर्ण करके एक्शन टेकन रिपोर्ट ग्रीवान्सेस रिड्रेसल ऑथोरिटी को सौंप दी है । सिर्फ परामर्श का काम बाकी है। सरकार से मेरा आग्रह है कि नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने हेतु अनुमति प्रदान करें।

## (सात) देश में साफ-सफाई के कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

**श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): आज हमारे देश को आजाद हुए 65 वर्ष हो गए हैं, किंतु सफाई कामगार वर्ग आज भी सामाजिक, अर्थिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा है। पं. दीन दयाल उपाध्यय जी ने कहा था कि जो सबसे कमजोर है, दुर्बल है उसे सबसे पहले लाभ दिया जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाले समाज जोकि संपूर्ण समाज की सेवा एवं शहर व कस्बों में निवास करने वाले नागरिकों की सेवा में निरंतर लगा रहने वाला समाज सफाई का कार्य कर शहरों, गांवों, कस्बों को गंदगी मुक्त बनाए रखने में लगा रहता है, उसे सफाई कामगार समाज कहते हैं। सफाई कामगार समाज गटर की सफाई भी करता है और गटर की सफाई करते समय जहरीली एवं रासायनिक गैसों के कारण दुर्घटना ग्रसित होकर मौत के मुंह में भी समा जाता है।, लेकिन बीपीएल की सूची सही नहीं होने के कारण उसको समुचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। इस सफाई कामगार समाज के लिए मेरी भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से यह मांग है कि

जिस प्रकार अल्पसंख्यक समुदायों को विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया है, उसी प्रकार सफाई कामगार समाज को प्रत्येक राज्य के लिए विशेष अर्थिक पैकेज दिया जाए जिससे सफाई कामगारों को आवश्यकतानुसार वांछित लाभ मिल सकें। देश में मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के सफाई कामगार समाज के लिए शीघ्र विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है, जिससे इस वर्ग को चिकित्सा, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं समय पर मिल सके और यह वर्ग समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

**(आठ) गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को आयकर का भुगतान करने से छूट प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम): मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ख) के अन्तर्गत 'गुजरात सफाई कामदार विकास निगम (जीएसकेवीएन)' के लिए आयकर में छूट की मांग करता हूं। इस अधिनियम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग इत्यादि के उत्थान के लिए काम करने वाले सभी (राज्यों के एससीए राज्य सरलीकरण एजेंसियां) को आयकर से छूट दी जाती है।

गुजरात सरकार ने इससे संबंधित अध्यावेदन आय कर विभाग को प्रस्तुत किया था परन्तु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नही की गई आय कर विभाग ने 25.33 करोड़ रुपये की कर उगाही की थी। अत: मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि गुजरात सफाई कामदार विकास निगम को आय कर भुगतान में छूट देने के लिए कदम उठाएं।

**(नौ) उत्तर प्रदेश के राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता**

**श्री पकौड़ी लाल** (रॉबर्ट्सगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र राबर्ट्सगंज (उ.प्र.) के अंतर्गत दो जिले सोनभद्र एवं जनपद चंदौली का चकिया विधान सभा आता है जो नक्सल प्रभावित है। अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े जातियों की संख्या 80 प्रतिशत है। गरीबी एवं भुखमरी है। बीमार पड़ने पर जिला अस्पतालों में ठीक ढ़ग से इलाज नहीं होता। खून जांच, एक्सरे, इको, एम.आर.ई., एच.आई.वी. इत्यादि जांच का प्रबंध सहित महंगी दवाओं की उपलब्धता नहीं है।

अत: मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला अस्पतालों का उन्नयन मेडिकल कॉलेजों के रूप में दिए जाने हेतु अनुरोध करता हूं।

**(दस) देश में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर प्रतिवेदन देने के लिए गठित विभिन्न समितियों की सिफारिशों के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।**

**डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क़** (सम्भल): मैं सरकार का ध्यान अल्पसंख्याकों खासतौर पर बेहद पिछड़े हुए मुस्लिम समुदाय की तरक्की व कल्याण के लिए बनी कमेटियों की सिफारिशें पर अभी तक अमल न किए जाने की तरफ दिलाना चाहता हूं। इससे मुत्तालिक मैंने कई बार पार्लियसामेंट में भी सवाल उठाए, पर सरकार की तरफ से अभी भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में "मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदत्तर" बताया है।

मेरी सरकार से गुजारिश है कि वह प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जस्टिस सच्चर कमेटी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक जो भी अब तक अमल हुआ है वे विकास कार्य हुए है, एक कमेटी बनाकर जांच कराये कि हकीकत क्या है और आंकड़े कहां तक सच हैं। मेरी यह भी गुजारिश है कि सरकार कुछ ऐसा प्रावधान करे कि पिछड़े मुस्लिमों की दशा सुधारने व रोजगार देने के लिए जो भी प्रोग्राम बने व उस पर अमल किए जाने की पूरी जानकारी केन्द्र सरकार के विभागीय अधिकारी व सभी जिलाधिकारीयों द्वारा अपने-अपने जिले के माननीय सांसदों को जरूर मुहैया कराया जाए।

*ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (سنبھل): محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کا دھیان اقلیتوں خاص طور پر بے حد پچھڑے ہوئے مسلم طبقہ کی ترقی و بھلائی کے لئے بنی کمیٹیوں کی سفارشات پر ابھی تک عمل نہ کئے جانے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اس سے متعلق میں نے کئی بار پارلیمنٹ میں بھی سوال اٹھائے، پر سرکار کی طرف سے ابھی بھی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لئے مناسب قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ جسٹس رنگناتھ مشرا کمیشن نے بھی اپنی رپورٹ میں "مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر" بتائی ہے۔

میری سرکار سے گزارش ہے کہ وہ وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام، جسٹس سچر کمیٹی، جسٹس رنگناتھ مشرا کمیشن کی سفارشات کے مطابق جو بھی اب تک عمل ہوا ہے یا ترقی کے کام ہوئے ہیں، ایک کمیٹی بنا کر جانچ کروائیں کہ حقیقت کیا ہے اور آنکڑے کہاں تک سچ ہیں۔ میری یہ بھی گزارش ہے کہ سرکار کچھ ایسا پراؤدھان کرے کہ پچھڑے مسلمانوں کی حالت سدھارنے اور روزگار دینے کے لئے جو بھی پروگرام بنے و اس پر عمل کئے جانے کی پوری جانکاری مرکزی حکومت کے ویبھاگیے ادھیکاریوں و سبھی ضلع ادھیکاریوں کے ذریعہ اپنے اپنے ضلع کے ممبر آف پارلیمنٹ کو ضرور مہیا کرائیں۔ شکریہ۔۔۔

**(ग्यारह) बिहार के सहरसा रेलवे जंक्शन पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण किए जाने तथा सहरसा, मानसी और खगड़िया-हसनपुर रोड-समस्तीपुर जंक्शनों पर प्लेटफार्मो की ऊंचाई बढ़ाए जाने की आवश्यकता**

**श्री दिनेश चन्द्र यादव** (खगड़िया): बिहार राज्य अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सहरसा जंक्शन पर मात्र दो प्लेटफार्म रहने के कारण गाड़ी के परिचालन में भारी कठिनाई होती है। उक्त स्टेशन पर अतिरिक्त तीन और प्लेटफार्म का निर्माण कराने की आवश्यकता है। सहरसा से मानसी एवं खगड़िया-हसनपुर रोड़-समस्तीपुर तक आमान परिवर्तन का कार्य तो पूर्ण हो गया है। गाड़ी का परिचालन भी शुरू हो गया, लेकिन उक्त खंड के बीच सभी स्टेशनों के प्लेटफार्म को ऊंचा नहीं करने से रेल यात्रियों को कठिनाई होती है। खासकर वृद्ध महिला एवं विकलांग रेल यात्रियों को गाड़ी में चढ़ने में भारी परेशानी होती है।

अत: सरकार सहरसा जंक्शन पर तीन अतिरिक्त प्लेटफार्म निर्माण के साथ-साथ सहरसा जंक्शन से मानसी जंक्शन एवं खगड़ियां-हसनपुर रो-समस्तीपुर जंक्शन के बीच के प्लेटफार्म को जनहित में ऊंचा कराये।

**(बारह) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण का कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता**

*[अनुवाद]*

**डॉ. रत्ना डे** (हुगली): जैसा कि आप जानते हैं कई राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिम बंगाल को कवर करते हैं। उदाहरण के लिए एनएच-2 जो दिल्ली-कोलकाता सड़क के रूप में प्रसिद्ध है। यह एक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। दिल्ली से कोलकाता तक 1465 कि.मी. लंबे राजष्ट्रीय राजमार्ग में से 235 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में स्थित है। सड़क का यह भाग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है तथा तामदुआ ब्लॉक सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। एनएच-31, एनएच-31 ग, एनएच-31घ, एनएच-34, एनएच-55 जैसे अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्णरूप से पश्चिम बंगाल राज्य की भीतर है। एनएच-6 भी एक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब हालत के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा इसमें होने वाली जान और माल की हानि के फलस्वरूप सड़क का प्रयोग करने वालों को होने वाली अपरिमित कष्ट को व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी राष्ट्रीय राजमार्गो में अधिकांश स्थानों पर खराब मरम्मत तथा मरम्मत नहीं किए जाने के कारण असंख्य गडढ़ी में भरे हुए पानी को देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत आने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बी सूची में एक बात सामान्य है और वह है उनका व्यापक रुप से क्षतिग्रस्त होना। पश्चिम बंगाल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो की स्थिति सुधारने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। मैं सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए जोर-शोर से निवेदन करुंगा कि उपर्युक्त राष्ट्रीय राजमार्गो की मरम्मत और रख-रखाव पूरे वर्ष होना चाहिए। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की ओर से इस प्रकार के प्रयासों से पश्चिम बंगाल को प्रगति, खुशहाली और विकास का रास्ता मिलेगा।

**(तेरह) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में उन किसानों, जिनकी भूमि का अधिग्रहण सीमेंट कंपनियों द्वारा किया गया है, की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता**

**श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी** (नरसारावपेट): हम सभी को यह ज्ञात है कि आंध्र प्रदेश में संपूर्ण गुन्टुर जिले में खनिज दोहन की भरपूर संभावनाएं हैं। विशेषकर, चूना पत्थर (सीमेंट) संबंधी खनिज के भंडार दाचेपल्ली, मछेरला, दुर्गापुरम करेमपुडी जेट्टी पलेम इत्यादि में है। अब तक, यहां काफी संख्या में सीमेन्ट फैक्ट्रियों की स्थापना की अनुमति दी गई है। प्रबन्ध सरकारी भूमि एवं वन भूमि के अतिरिक्त हजारों एकड़ भूमि पट्टे पर ले रहे हैं। उन्हें कंटीले तार लगाकर कवर किया जा रहा है। पशुधन के लिये घास नही उग पाने और किसानों द्वारा उस पर खेती नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप यह भूमि बंजर होती जा रही है। पट्टे के समय किसानों को आश्वासन दिया गया था कि उनका और उनके बच्चों का भविष्य सुनहरा होगा। जब गांवों में स्टोनक्रशर लगाये गये तो जिन परिवारों की भूमि ली गई थी उनके बच्चों से यह वायदा किया गया कि उन्हें बेहतर रोज़गार विद्यालय भवन, अस्पताल इत्यादि मुहैला कराये जायेंगे। किन्तु वास्तव में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब कभी भी खदानों में बम विस्फोट किये जाते हैं तो इसके परिणामस्वरूप घरों एवं बोर वैल को क्षति पहुंचती है जिसके चलते बोर वैल से पानी नहीं निकाला जा सकता और ग्रामीणों को फसल का नुकसान भी होता है। ऐसी जानकारी है कि अब तक 4850.87 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में 31 पट्टे हैं तथा पट्टे वाली भूमि के अलावा सरकारी एवं वन भूमि का अधिग्रहण करके कई नई फर्मे भी आरंभ की जा रही हैं। वस्तुत:, कई फर्मों ने सीमेन्ट समय पर स्थापित नहीं की। किसानों को खाद्य, पशुधन के किये चारे, बंजर भूमि वित्त एवं सामाजिक क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त के दृष्टिगत निश्चय हो यह कहा जा सकता है कि निजी कंपनियों ने पट्टे पर भूमि अदिग्रहीत कर के तथा वायदों को पूरा न करके किसानों की ज़िंदगी को मुश्किल कर दी है। उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, मेरा अनुरोध है कि पट्टे संबंधी

सभी मामलों की पुन:जांच कि जायें, चूककर्ताओं की पहचान हो, पहले ही से प्रदत्त अनुमति विधिवत वापस लेकर चूककर्ता कंपनियों को किसी मुआवज़े का भुगतान किये बगैर किसानों को उनकी ज़मीन वापस लौटा दी जाये तथा चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाये।

इसके अलावा सरकार से मेरा यह अनुरोध भी है कि वह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को इस वावत निर्देश दे कि वह इस मसले की गहन जांच कर समुचित उपचारी उपाय तत्काल करे और उन किसानों को राहत दिलाये जिन्हें उद्योगपतियों द्वारा अब तक फैक्ट्रियों की स्थापना न किये जाने की वजह से उनके अनियमित एवं अवांछित कृत्यों के चलते नुकसान हुआ है।

**(चौदह) सुवर्णरेखा बैराज परियोजना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता**

**श्री प्रबोध पांडा** (मिदनापुर): सुवर्णरेखा बैराज परियोजना की संकल्पना बहुत पहले की गई थी ताकि एक सुनिश्चित सिंचाई प्रणाली विद्यमान हो सके जिससे पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर तथा पूर्व मिदनापुर जिले के भू-भाग सहित बड़े एवं विशाल क्षेत्र के किसानों को सहायता मिलती और परियोजना के लिये आवश्यक कई नौकरियों का सृजन भी हो पाता।

प्रारंभ में, यद्यपि इस परियोजना को ईमानदारी से आरंभ किया गया था एवं कुछ धनराशि भी आवंटित कि गई थी किन्तु यह परियोजना रुक गई है। किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है और उन्हें मानसून ऋतु में बाढ़ की विभीषिका का सामना भी करना पड़ता है। इस परियोजना में नौकरी पाने का स्वप्न संजोए बैठे बेरोज़गार युवकों को भी कुछ नहीं मिला।

परियोजना के निष्पादन में हुये विलंब की वजह से इसकी लागत में भी वृद्धि हो गई है। अत: लागत में और वृद्धि को रोकने के लिये, त्वरित संस्वीकृति एवं इसके त्वरित कार्यान्वयन की ही आवश्यकता है। हालांकि केन्द्र सरकार ने परियोजना की तात्कालिकता के कई बार आश्वासन दिया था किन्तु अब तक कुछ भी सकारात्मक हासिल नहीं हुआ है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा पुरजोर आग्रह है कि वह सुवर्णरेखा बैराज परियोजना के कार्य को अविलंब आरंभ करे ताकि किसानों एवं बेरोज़गार लोगों को लाभ हो और समूचे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आये।

**(पन्द्रह) महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा हातकणगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों से ऋण की वसूली को रोके जाने की आवश्यकता**

*[हिन्दी]*

**श्री राजू शेट्टी** (हातकण्गले): केन्द्र सरकार ने 2008 की कृषि ऋण माफी स्कीम के तहत पांच एकड़ के नीचे वाले किसानों के लिए ऋणों का पूरा बकाया माफ किया था। यह योजना लागू करते समय किसी भी ढंग का सुनिश्चित स्पष्टीकरण नहीं किया गया था। पांच एकड़ के नीचे वाले बकायादार किसान कर्जमुक्त हुए ऐसे सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल/सेवा सोसायटी द्वारा किसानों को वितरित किए गए थे। लेकिन आज नाबार्ड ने ऋण वसूली का प्रोग्राम किसानों के पीछे लगा दिया और वजह यही बनाई है कि नार्मल क्रेडिट लिमिट से ज्यादा ऋण उठाया गया है या वितरित किया गया है। मेरे चुनाव क्षेत्र हातकणंगले में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने करीब रुपये 112.89 करोड़ की राशि संबंधित लाभ धारकों से (किसानों से) रिकवरी का नोटिस जारी कर दिया है। यह सरासर केन्द्र सरकार के ऋण माफी योजना के डायरेक्शन के लिखित प्रावधान के खिलफ है। ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने हस्तक्षेप करके रिकवरी प्रक्रिया तुरंत रुकवाने की नितांत आवश्यकता है।

---

**अपराह्न 12.03 बजे**

## पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2011

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब हम मद संख्या 14 पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। श्री सुशील कुमार शिंदे।

*...(व्यवधान)*

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री** (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): श्री सुशील कुमार शिंदे की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** अब सभा विधेयक पर खंड-वार चर्चा आरंभ करेगी।

**खंड-2**

**1971 के अधिनियम 81 की धारा 61 का संशोधन**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 1, पंक्ति 8-

"2011" के स्थान पर, "2012" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 3-

"2011" के स्थान पर, "2012" प्रतिस्थापित किया जाए।(4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 6 -

"2011" के स्थान पर, "2012" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 10-

"2011" के स्थान पर "2012" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2, संशोधित रुप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

**खंड 1**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, -

"2011" के स्थान पर "2012" प्रतिस्थापित किया जाए (2)

**(श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन)**

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधन रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

*...(व्यवधान)*

**अधिनियमन सूत्र**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 1, पंक्ति 1-

"बासठवें" के स्थान पर "तिरसठवें" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

**अध्यक्षक महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में जोड़ दिया गया।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

---

**अपराह्न 12.07 बजे**

## महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** सभा अब मद संख्या 15 पर चर्चा आरंभ करेगी।

-श्रीमती कृष्णा तीरथ।

*[हिन्दी]*

**महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ):** अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव* करती हूं:

"कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

**खंड 2**

**परिभाषायें**

*संशोधन किये गये:*

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 से पंक्ति 12 के स्थान पर, रखें-

'(क) "व्यथित महिला" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं-

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अध्यधीन रहने का अभिकथन करती है;

(ii) किसी निवास-गृह या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास-गृह या गृह में नियोजित है। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 25 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें-

'(घक) "घरेलू कर्मकार" से ऐसी महिला अभिप्रेत है, जो किसी गृह में चाहे नकद में या वस्तुरूप में, पारिश्रमिक के लिए घरेलू कार्य को करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकरण माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसमें नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;'। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 32 से पंक्ति 33, निम्नलिखित का लोप करें-

"किंतु इसके अंतर्गत गृह में कार्य करने वाला कोई घरेलू कर्मकार नहीं है;"। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 के पश्चात्, अंत:स्थापित करें-

'स्पष्टीकरण-इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रबंध" के अंतर्गत ऐसे संगठन के संबंध में नीतियों की विरचना और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदाजन्य बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास-गृह या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थ जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या किस्म या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों पर ध्यान दिए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है: (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 से 23 के स्थान पर रखें-

'(ङ) "लैंगिक उत्पीड़न" के अन्तर्गत निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक निंदनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या तातपर्यित) सम्मिलित है, अर्थात:-

(i) शारीरिक संपर्क और कावदा उठाना, या

(ii) लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय शारीरिक या गैर-शाब्दिक आचरण करता,'। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 36 और पृष्ठ 4, पंक्ति 1 के स्थान पर, रखें-

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

"(v) प्रशिक्षण, खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद या उससे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद कांप्लेकस या प्रतिस्र्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय हो या नहीं, अभिप्रेत है;

(vi) नियोजन से प्रोद्‌भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा भ्रमण किया गया कोई स्थान, जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा के लिए नियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है:

(v) कोई निवास-गृह या कोई गृह;"।

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदयाः** संशोधन 47 से 50-श्रीमती सुष्मिता बाउरी -प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 3**

**लैंगिक उत्पीड़न से निवारण**

पृष्ठ 4, पंक्ति 6 से 15 के स्थान पर, रखें-

3. (1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों के साथ ही निम्नलिखित परिस्थितियों को, यदि लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में उत्पन्न होती है या विद्यमान है या उससे संबंधित है, लैंगिक उत्पीड़न माना जा सकेगा:-

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का अंतर्निहित या स्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की अंतर्निहित या स्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसकी वर्तमान या भावी नियोजन के प्रास्थिति के बारे में अंतनिर्हित या स्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या आपराधिक या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित कर सकने वाला अपमानजनक आचरण करना।" (9)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"।

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 4**

**आन्तरिक परिवाद समिति का गठन**

*संशोधन किये गये:*

पृष्ठ 4, पंक्ति 30 से पंक्ति 33 के स्थान पर, रखें-

"परन्तु यह और कि यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एककों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;"। (10)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 के स्थान पर, रखें-

"के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित है"। (11)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 और पंक्ति 8 के स्थान पर, रखें-

"(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए पीठासीन अधिकारी को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां आयोजित करने के लिए ऐसी फीस या भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो विहित किए जाएं।" (12)

पृष्ठ 5, पंक्ति 11 से पंक्ति 15 के स्थान पर, रखें-

"(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे में उसके विरुद्ध कोई जांच लंबित है; या

(ग) उसे किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या"। (13)

पृष्ठ 5, पंक्ति 14 से पंक्ति 15 के स्थान पर, रखें- (14)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदयाः** संशोधन संख्या 51, श्रीमती सुष्मित्ता बाउरी-प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 5 विधेयक में जोड़ा गया।*

**खंड 6**

**स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसका क्षेत्राधिकार**

*संशोधन किये गये:*

15. पृष्ठ 5, पंक्ति 30, "संबंधित जिले में," के पश्चात्, अंत:स्थापित करें-

'ऐसे स्थापनों से, जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजन के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए'। (15)

16. पृष्ठ 5, पंक्ति 32 से पंक्ति 37 और पृष्ठ 6, पंक्ति 1 के स्थान पर, रखे-

"(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुक और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में, परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसे संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा:

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।" (16)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** संशोधन संख्या 52, श्रीमती सुष्मिता बाउरी-प्रस्तुत नहीं कर रही हैं।

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 7**

**स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, कालावधि तथा अन्य निषेधन एवं शर्तें**

*संशोधन किये गये:*

पृष्ठ 6, पंक्ति 10 में, "जाएगी" के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"या ऐसा व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित हो" (17)

पृष्ठ 6, पंक्ति 12 के पश्चात, अंत:स्थापित करें:

"परन्तु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी"। (18)

पृष्ठ 6, पंक्ति 13 से पंक्ति 16 के स्थान पर, रखें-

"(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबद्ध संबंधित अधिकारी सदस्य पदेन होगा।" (19)

पृष्ठ 6, पंक्ति 20 "विहित की जाए" के स्थान पर, "जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" रखें। (20)

पृष्ठ 6, पंक्ति 21 से पंक्ति 24 के स्थान पर, रखें-

"(3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य-

(क) धारा 16 के उपबंधों का उललंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई जांच उसके विरुद्ध लंबित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या

(घ) उसने अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे उसका अपने पद पर बना रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन से भरा जाएगा।" (21)

पृष्ठ 6, पंक्ति 25 "का अध्यक्ष और" के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न"। (22)

(श्रीमती कृष्ण तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 8 विधेयक में जोड़ा गया।*

**खंड 9**

**लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद**

*संशोधन किये गये:*

पृष्ठ 7, पंक्ति 4 से पंक्ति 6 के स्थान पर, रखें-

"कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर लिखित में परिवाद आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी:"। (23)

पृष्ठ 7, पंक्ति 9 के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"परन्तु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, तीन मास से अनधिक समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थी, जिन्होंने महिला को उक्त अवधि के भीतर फाइल करने से निवारित किया था।" (24)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 10**

**समाधान**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 7, पंक्ति 15 के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"परन्तु कोई धन संबंधी समाधान सुलह के एक आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।" (25)

(श्रीमती कृष्ण तीरथ)

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 11**

**परिवाद के बारे में जांच**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 7, पंक्ति 24 से पंक्ति 29 के स्थान पर, रखें-

"11 (1) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं है, वहां ऐसी नीति में, जो विहित की जाए, परिवाद के बारे मे जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथम दृष्ट्या मामला विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो, वहां उक्त संहिता के किसी अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी:

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समाधान के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद के बारे में जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी:

परंतु यह और कि जहां देनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के प्रक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की एक प्रति दोनों पक्षकारों को, उन्हें समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन में समर्थ बनाने के लिए उपबंध कराई जाएगी।

(1क) भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का आदेश कर सकेगा, जो वह समुचित समझे।" (26)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 12**

**जांच लंबित होने के दौरान कार्रवाई**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 8, पंक्ति 7, "महिला की" के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"तीन मास की अवधि तक"। (27)

पृष्ठ 8, पंक्ति 10, "तब अन्यथा हकदार होती, यदि मामला साबित हो जाता है।" के स्थान पर, "अन्यथा हकदार होती" रखें। (28)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** माननीय सदस्यगण हम अगली मद अर्थात मद संख्या 16 पर चर्चा आरंभ करेंगे; और बाद में इस मद पर पुन: विचार करेंगे। क्या सभा सहमत है?

**कई माननीय सदस्य:** जी हां, महोदया।

---

...*(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.17 बजे**

## भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदया:** अब, मद संख्या 16, डॉ. सी. पी. जोशी।

*...(व्यवधान)*

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (डॉ. सी.पी. जोशी):** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्ना यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड-2 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**खंड 1**

**संक्षिप्त नाम**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,-

"2011" के स्थान पर "2012" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(डॉ. सी. पी. जोशी)

*...(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**अधिनियमन सूत्र**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,-

"बासठवें" के स्थान पर "तिरसठवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(डॉ. सी. पी. जोशी)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**डॉ. सी. पी. जोशी:** मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*...(व्यवधान)*

**अपराह्न 12.20 बजे**

## महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2010-*जारी*

*[अनुवाद]*

**अध्यक्ष महोदयाः** सभा अब मद संख्या 15 पर विचार करेगी। माननीय मंत्री खंड 13 से संबंधित संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

**खंड 13**

**जांच रिपोर्ट**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 8, पंक्ति 15, "जिला अधिकारी को" के पश्चात् अत:स्थापित करें-

"जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर"।

पृष्ठ 8, पंक्ति 27 और पंक्ति 28, "प्रतिकर की ऐसी राशि की" के स्थान पर, "ऐसी राशि की, जो वह समुचित समझे," रखें।

पृष्ठ 8, पंक्ति 30, "ऐसे प्रतिकर" के स्थान पर, "ऐसी राशि" रखें।

पृष्ठ 8, पंक्ति 31, के पश्चात् अत:स्थापित करें-

"परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश भेज सकेगी।"

(डा. सी.पी. जोशी)

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ*

*खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

**खंड 14**

**मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद तथा मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 8, पंक्ति 35 और पंक्ति 36, " मिथ्या या द्वेषपूर्ण है" के स्थान पर, रखें-

"द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद उसे मिथ्या जानते हुए की है"। (33)

पृष्ठ 9, पंक्ति 5 और पंक्ति 6, "आशय या मिथ्यावादिता सिद्ध की जाएगी।" के स्थान पर, "आशय सिद्ध किया जाएगा।" रखें। (34)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदयाः** श्रीमती सुस्मिता बाउरी खंड 14 में लिए जाने वाली संशोधन संख्या 54 तथा 55 प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी-प्रस्तुत नहीं कर रही है।

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

...*(व्यवधान)*

**खंड 15**

**प्रतिकर का अवधारण**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 9, पंक्ति 12 और पंक्ति 13, "किए जाने वाले प्रतिकर" के स्थान पर, "की जाने वाली राशियां" रखें। (35)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदयाः** प्रश्न यह है:

"कि खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**खंड 16**

**परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध।**

**अध्यक्ष महोदया:** श्रीमती सुस्मिता बाउरी खंड 16 के एक संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करेंगी। श्रीमती सुस्मिता बाउरी - प्रस्तुत नहीं कर नहीं हैं।

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**खंड 18**

**अपील**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 10, पंक्ति 3, "तीस दिन" के स्थान पर, "नब्बे दिन" रखें। (36)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**खंड 19**

**नियोजक के कर्त्तव्य**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 10, पंक्ति 9, "कार्यस्थल" के पश्चात् "लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम; और" अंत:स्थापित करें। (37)

पृष्ठ 10, पंक्ति 11 और पंक्ति 12 के स्थान पर, रखें-

"(ग) इस अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जागरुकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए आयोजित करेगा;" (38)

पृष्ठ 10, पंक्ति 22 से पंक्ति 25 के स्थान पर, रखें-

"(ज) उस कार्यस्थल में, जहां लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती हे, जहां अपराधकर्ता कोई 1860 का 45 कर्मचारी नहीं हैं, भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा:

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानीटर करेगा।" (39)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*...(व्यवधान)*

**खंड 20**

**जिला अधिकारी के कर्त्तव्य और शक्तियां**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 10, पंक्ति 29, "आंतरिक समिति या" का लोप करें। (40)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 21 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*...(व्यवधान)*

## नियम 80(i) के निलंबन संबंधी प्रस्ताव

*[अनुवाद]*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय वस्तु से सुसंगत होगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (एक) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसकी विषय वस्तु से सुसंगत होगा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक, 2010 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*...(व्यवधान)*

**नया खंड 23क**

**समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय करना।**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 11, पंक्ति 10 के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"24क, समुचित सरकार वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए-

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के प्रति संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित करेगी और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम विरचित कर सकेगी।" (41)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 23क विधेयक में जोड़ा जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*नया खंड 23क विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 24 से खंड 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।*

*...(व्यवधान)*

**खंड 28**

**समुचित सरकार का नियम बनाने का अधिकार**

*संशोधन किए गए:*

पृष्ठ 12, पंक्ति 15, "पीठासीन अधिकारी और" का लोप करें। (42)

पृष्ठ 12, पंक्ति 16, के पश्चात् अंत:स्थापित करें-

"(कक) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (स) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन;"। (43)

पृष्ठ 12, पंक्ति 27, "और" का लोप करें।

पृष्ठ 12, पंक्ति 27, के पश्चात् अंत:स्थापित करें- (44)

"(अंक) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जागरुकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति;"। (45)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

*खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।*

...*(व्यवधान)*

**खंड 1**

**संक्षिप्त नाम, सीमा और प्रारंभ**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 और पंक्ति 5 के स्थान पर, रखें-

"1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2012 है।" (2)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

*खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।*

...*(व्यवधान)*

**अधिनियमन सूत्र**

*संशोधन किया गया:*

पृष्ठ 2, पंक्ति 1, "इकसठवें" के स्थान पर, "तिरसठवें" रखें। (1)

(श्रीमती कृष्णा तीरथ)

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

*प्रस्तावना विधेयक में जोड़ दी गई।*

*विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।*

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** अब, माननीय मंत्री प्रस्ताव करें कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

**श्रीमती कृष्णा तीरथ:** मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदया:** प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।*

...*(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदया:** सभा कल, 4 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**अपराह्न 12.26 बजे**

*तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार 4 सितम्बर 2012/13 भाद्रपद, 1934 (शक्) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

---

# अनुबंध-I

*तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | तारांकित प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1. | श्री जयवंत गंगाराम आवले<br>श्री संजय दिना पाटील | 305 |
| 2. | डॉ. एम. तम्बिदुरई | 306 |
| 3. | श्री नलिन कुमार कटील<br>श्री रवनीत सिंह | 307 |
| 4. | श्री भूदेव चौधरी<br>श्री एन. चेलुवरया स्वामी | 308 |
| 5. | श्रीमती विजया चक्रवर्ती | 309 |
| 6. | श्रीमती दर्शना जरदोश | 310 |
| 7. | श्री पकौड़ी लाल | 311 |
| 8. | श्री एस. सेम्मलई | 312 |
| 9. | डॉ. रतन सिंह अजनाला<br>डॉ. भोला सिंह | 313 |
| 10. | श्री अवतार सिंह भडाना | 314 |
| 11. | श्री सैयद शाहनवाज हुसैन<br>श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी | 315 |
| 12. | श्री आनंदराव अडसुल<br>श्री गजानन ध. बाबर | 316 |
| 13. | श्री जिन्द्र सिंह मलिक | 317 |
| 14. | श्री प्रदीप कुमार सिंह<br>श्रीमती सुमित्रा महाजन | 318 |
| 15. | श्री प्रतापराव गणतपराव जाधव | 319 |
| 16. | श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक<br>श्री असादूद्दीन ओवेसी | 320 |
| 17. | श्री किसनभाई वी. पटेल<br>श्री प्रदीप माझी | 321 |
| 18. | श्री पूर्णमासी राम | 322 |
| 19. | डॉ. पी. वेणुगोपाल | 323 |
| 20. | श्री रामकिशुन | 324 |

*अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका*

| क्र.सं. | सदस्य का नाम | प्रश्न संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री ए साई प्रताप | 3507 |
| 2. | श्री ए.के.एस. विजयन | 3540 |
| 3. | श्री बसुदेव आचार्य | 3674 |
| 4. | श्री अधलराव पाटल शिवाजी | 3649, 3650 |
| 5. | श्री सुवेन्दु अधिकारी | 3593 |
| 6. | श्री आनंदराव अडसुल | 3649, 3650 |
| 7. | श्री जय प्रकाश अग्रवाल | 3570 |
| 8. | श्री राजेन्द्र अग्रवाल | 3497 |
| 9. | श्री हंसराज गं. अहीर | 3538, 3659 |
| 10. | श्री नारायण सिंह अमलाबे | 3647 |
| 11. | श्री एम. आनंदन | 3552 |
| 12. | श्री सुरेश अंगड़ी | 3597, 3620 |
| 13. | श्री घनश्याम अनुरागी | 3599 |
| 14. | श्री जयवंत गंगाराम आवले | 3647 |
| 15. | श्री कीर्ति आजाद | 3506 |
| 16. | श्री टी.आर. बालू | 3619 |
| 17. | श्री गजानन ध. बाबर | 3649, 3650 |
| 18. | श्री खिलाड़ी लाल बैरवा | 3636 |
| 19. | श्री कामेश्वर बैठा | 3671, 3680 |
| 20. | श्री अम्बिका बनर्जी | 3586 |
| 21. | डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क | 3594 |
| 22. | श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया | 3646 |
| 23. | श्री सुदर्शन भगत | 3496, 3509, 3564 |
| 24 | .श्री ताराचन्द भगोरा | 3542, 3661, 3671 |
| 25. | श्री संजय भोई | 3575, 3656, 3657 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 26. | श्री समीर भुजबल | 3628 |
| 27. | श्री पी.के. बिजू | 3662 |
| 28. | श्री कुलदीप बिश्नोई | 3491 |
| 29. | श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला | 3493 |
| 30. | श्री सी. शिवासामी | 3481 |
| 31. | श्री सी.एम. चांग | 3461 |
| 32. | श्री हरीश चौधरी | 3463 |
| 33. | श्री अरविन्द कुमार चौधरी | 3589 |
| 34. | श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण | 3500, 3603, 3672 |
| 35. | श्री हरिश्चंद्र चव्हाण | 3482 |
| 36. | श्री एन.एस.वी. चित्तन | 3569, 3583, 3585, 3656 |
| 37. | श्री भूदेव चौधरी | 3679 |
| 38. | श्रीमती श्रुति चौधरी | 3465 |
| 39. | श्री अधीर | 3570, 3598 |
| 40. | श्री बंस गोपाल चौधरी | 3545, 3608 |
| 41. | श्री भक्त चरण चरण दास | 3648 |
| 42. | श्री खगेन दास | 3593, 3663 |
| 43. | श्री राम सुन्दर दास | 3593, 3638, 3669, 3672 |
| 44. | श्री गुरुदास दासगुप्त | 3610, 3625 |
| 45. | श्रीमती जे. हेलन डेविडसन | 3600 |
| 46. | श्री रमेन डेका | 3558 |
| 47. | श्री कालीकेश नारायण सिंह देव | 3592, 3616 |
| 48. | श्री के.डी. देशमुख | 3512 |
| 49. | श्री के.पी. धनपालन | 3485, 3582 |
| 50. | श्री संजय धोत्रे | 3582, 3660 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 51. | श्री आर. ध्रुवनारायण | 3456, 3672 |
| 52. | श्रीमती ज्योति धुर्वे | 3545, 3595, 3596 |
| 53. | श्री चार्ल्स डिएस | 3615 |
| 54. | डॉ. रामचन्द्र डोम | 3469, 3486 |
| 55. | श्री निशिकांत दुबे | 3592, 3665, 3666 |
| 56. | श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर | 3583, 3626, 3653 |
| 57. | श्रीमती प्रिया दत्त | 3479, 3647 |
| 58. | श्री पी.सी. गद्दीगौदर | 3529, 3585 |
| 59. | श्री एकनाथ महादेव गायकवाड | 3575, 3656, 3657 |
| 60. | श्री गजेन्द्र सिंह राजुखेड़ी | 3640 |
| 61. | श्रीमती मेनका गांधी | 3555 |
| 62. | श्री वरुण गांधी | 3562, 3659 |
| 63. | श्री ए. गणेशमूर्ति | 3569, 3656 |
| 64. | श्री माणिकराव होडल्या गावित | 3460, 3661 |
| 65. | श्री एल. राजगोपाल | 3605 |
| 66. | श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा | 3452, 3658, 3671 |
| 67. | श्री मोहम्मद असरारुल हक | 3594 |
| 68. | शेख. सैदुल हक | 3486 |
| 69. | श्री महेश्वर हजारी | 3451, 3671 |
| 70. | श्री के. जयप्रकाश हेगड़े | 3565 |
| 71. | श्री सैयद शाहनवाज हुसैन | 3591, 3654, 3678 |
| 72. | श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव | 3499 |
| 73. | श्री बलीराम जाधव | 3567, 3648, 3664 |
| 74. | श्री गोरख प्रसाद जायसवाल | 3561, 3577, 3653 |
| 75. | श्री बद्रीराम जाखड़ | 3515, 3583, 3629 |
| 76. | श्रीमती दर्शना जरदोश | 3641 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 77. | श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट | 3544 |
| 78. | श्री हरिभाऊ जावले | 3534 |
| 79. | श्री नवीन जिन्दल | 3458, 3569 |
| 80. | श्री प्रहलाद जोशी | 3620 |
| 81. | श्री दिलीप सिंह जूदेव | 3476, 3593, 3645 |
| 82. | श्री सुरेश कलमाडी | 3574 |
| 83. | श्री कपिल मुनि करवारिया | 3593, 3638, 3669, 3672 |
| 84. | श्री राम सिंह कस्वां | 3501 |
| 85. | श्री कौशलेन्द्र कुमार | 3466, 3563, 3638, 3677 |
| 86. | श्री चंद्रकांत खैरे | 3498, 3560, 3662 |
| 87. | डॉ. क्रुपारानी किल्ली | 3641 |
| 88. | डॉ. किरोड़ी लाल मीणा | 3595, 3666, 3672 |
| 89. | श्री कमल किशोर 'कमांडो' | 3558, 3652 |
| 50. | श्री मधु कोड़ा | 3474 |
| 91. | श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे | 3492, 3628 |
| 92. | श्री विश्व मोहन कुमार | 3634 |
| 93. | श्री अजय कुमार | 3621, 3672 |
| 94. | श्री पी. कुमार | 3488, 3666 |
| 95. | श्री शैलेन्द्र कुमार | 3551, 3556 |
| 96. | श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली | 3622 |
| 97. | श्री यशवंत लागुरी | 3480 |
| 98. | श्री पी. लिंगम | 3610 |
| 99. | श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम | 3462, 3591, 3594 |
| 100. | श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो | 3563 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 101. | श्री नरहरि महतो | 3574, 3583, 3631, 3654 |
| 102. | श्री भर्तृहरि महताब | 3579 |
| 103. | श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार | 3574 |
| 104. | श्री मंगनी लाल मंडल | 3545 |
| 105. | श्री जोस के. मणि | 3627, 3668 |
| 106. | श्री दत्ता मेघे | 3573 |
| 107. | श्री अर्जुन राम मेघवाल | 3525, 3635 |
| 108. | श्री भरत राम मेघवाल | 3557, 3668 |
| 109. | श्री महाबल मिश्रा | 3584, 3653 |
| 110. | श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र | 3528, 3545 |
| 111. | श्री सोमेन मित्रा | 3550, 3572, 3648 |
| 112. | श्री गोपीनाथ मुंडे | 3593, 3653 |
| 113. | श्री विलास मुत्तेमवार | 3581 |
| 114. | श्री सुरेन्द्र नागर | 3564, 3617 |
| 115. | श्री देवेन्द्र नागपाल | 3478 |
| 116. | श्री पी. बलराम नायक | 3502 |
| 117. | श्री श्रीपाद येसो नाईक | 3493 |
| 118. | डॉ. संजीव गणेश नाईक | 3573, 3658 |
| 119. | श्री इन्दर सिंह नामधारी | 3606 |
| 120. | श्री नारनभाई कछाड़िया | 3545, 3595, 3651, 3665 |
| 121. | श्री संजय निरुपम | 3623 |
| 122. | कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद | 3655 |
| 123. | श्री असादूद्दीन ओवेसी | 3545, 3576, 3607, 3663 |
| 124. | श्री पी.आर. नटराजन | 3568, 3673 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 125. | श्री वैजयंत पांडा | 3545, 3549, 3554, 3667, 3668 |
| 126. | श्री प्रबोध पांडा | 3587 |
| 127. | श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय | 3523, 3558, 3652 |
| 128. | कुमारी सरोज पाण्डेय | 3496 |
| 129. | श्री आनंद प्रकाश परांजपे | 3575, 3656, 3657 |
| 130. | श्री देवराज सिंह पटेल | 3589 |
| 131. | श्री देवजी एम. पटेल | 3668 |
| 132. | श्रीमती जयश्रीबेन पटेल | 3556, 3581 |
| 133. | श्री बाल कुमार पटेल | 3644 |
| 134. | श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल | 3471 |
| 135. | श्री हरिन पाठक | 3603 |
| 136. | श्री ए.टी. नाना पाटील | 3477, 3633 |
| 137. | श्रीमती भावना पाटील गवली | 3583, 3591, 3664 |
| 138. | श्री सी.आर. पाटील | 3541 |
| 139. | श्री दानवे रावसाहेब पाटील | 3589, 3594 |
| 140. | श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर | 3575, 3656, 3657 |
| 141. | डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील | 3664 |
| 142. | श्रीमती कमला देवी पटले | 3619, 3670 |
| 143. | श्री पोन्नम प्रभाकर | 3453, 3457, 3464, 3512, 3675 |
| 144. | श्री अमरनाथ प्रधान | 3667 |
| 145. | श्री नित्यानंद प्रधान | 3521, 3595, 3670 |
| 146. | श्री प्रेमचन्द गुड्डू | 3643 |
| 147. | श्री पन्ना लाल पुनिया | 3493, 3511, 3558 |
| 148. | श्री एम.के. राघवन | 3468 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 149. | श्री अब्दुल रहमान | 3490, 3635 |
| 150. | श्री प्रेम दास राय | 3553 |
| 151. | श्री रमाशंकर राजभर | 3612 |
| 152. | श्री सी. राजेन्द्रन | 3510 |
| 153. | श्री रामकिशुन | 3676 |
| 154. | श्री कादिर राणा | 3527, 3556 |
| 155. | श्री निलेश नारायण राणे | 3518, 3583, 3653 |
| 156. | डॉ. के.एस. राव | 3629 |
| 157. | श्री रायापति सांबासिवा राव | 3532, 3666 |
| 158. | श्री रामसिंह राठवा | 3494, 3544, 3651 |
| 159. | श्री अशोक कुमार रावत | 3505, 3669 |
| 160. | श्री विष्णु पद राय | 3539 |
| 161. | श्री रुद्रमाधव राय | 3483 |
| 162. | श्री एम. श्रीनिवासुलु रेडडी | 3522, 3569, 3648 |
| 163. | श्री अनन्त वेंकटरामी रेडडी | 3495 |
| 164. | श्री के.जे.एस.पी. रेडडी | 3472 |
| 165. | श्री एम. राजा माहेन रेडडी | 3580 |
| 166. | श्री एम. वेणुगोपाल रेडडी | 3658 |
| 167. | श्री नृपेन्द्र नाथ राय | 3571, 3574, 3583 |
| 168. | श्री महेन्द्र कुमार राय | 3486 |
| 169. | श्री एस. अलागिरी | 3639 |
| 170. | श्री एस. सेम्मलई | 3648 |
| 171. | श्री एस. पक्कीरप्पा | 3484 |
| 172. | श्री एस. आर. जेयदुरई | 3513, 3658 |
| 173. | श्री एस.एस. रामासुब्बू | 3487, 3677 |
| 174. | डॉ. अनूप कुमार साहा | 3608 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 175. | श्री ए. सम्पत | 3545, 3559 |
| 176. | श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना | 3590 |
| 177. | श्रीमती सुशीला सरोज | 3671, 3680 |
| 178. | श्री तूफानी सरोज | 3566, 3655 |
| 179. | श्री सर्वे सत्यनारायण | 3457, 3566 |
| 180. | श्री तथागत सत्पथी | 3514, 3593 |
| 181. | श्री हमदुल्लाह सईद | 3473 |
| 182. | श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया | 3591, 3595, 3668 |
| 183. | श्री अर्जुन चरण सेठी | 3548 |
| 184. | श्री एम.आई. शानवास | 3630 |
| 185. | श्री जगदीश शर्मा | 3581 |
| 186. | श्री नीरज शेखर | 3635, 3671, 3673 |
| 187. | श्री गोपाल सिंह शेखावत | 3477, 3642 |
| 188. | श्री सुरेश कुमार शेटकर | 3524, 3666 |
| 189. | श्री जी.एस. बासवराज | 3671 |
| 190. | श्री एंटो एंटोनी | 3547 |
| 191. | श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला | 3560 |
| 192. | श्री जी.एम. सिद्देश्वर | 3504, 3633 |
| 193. | श्री भूपेन्द्र सिंह | 3537, 3668 |
| 194. | श्री दुष्यंत सिंह | 3576, 3650 |
| 195. | श्री गणेश सिंह | 3661 |
| 196. | श्री इज्यराज सिंह | 3577 |
| 197. | श्री जगदानंद सिंह | 3593, 3632, 3669 |
| 198. | श्री के.सी. सिंह 'बाबा' | 3647, 3665 |
| 199. | श्री महाबली सिंह | 3508, 3658 |
| 200. | श्रीमती मीना सिंह | 3556, 3558, 3618, 3653 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 201. | श्री पशुपति नाथ सिंह | 3530 |
| 202. | श्री राधा मोहन सिंह | 3556, 3653 |
| 203. | डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह | 3614 |
| 204. | श्री राकेश सिंह | 3554 |
| 205. | श्री रतन सिंह | 3475 |
| 206. | श्री उदय सिंह | 3470, 3665 |
| 207. | श्री यशवीर सिंह | 3635, 3671, 3673 |
| 208. | चोधरी लाल सिंह | 3665 |
| 209. | श्री बृजभूषण शरण सिंह | 3545, 3602 |
| 210. | श्री धनंजय सिंह | 3624 |
| 211. | श्री रेवती रमण सिंह | 3556, 3558, 3564 |
| 212. | श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह | 3588 |
| 213. | राजकुमारी रत्ना सिंह | 3561, 3669 |
| 214. | श्री विजय बहादुर सिंह | 3589 |
| 215. | डॉ. संजय सिंह | 3653 |
| 216. | श्री राजय्या सिरिसिल्ला | 3464, 3512 |
| 217. | डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी | 3603, 3645 |
| 218. | श्री मकनसिंह सोलंकी | 3526, 3670 |
| 219. | श्री के. सुधाकरण | 3637 |
| 220. | श्री ई.जी. सुगावनम | 3466, 3516 |
| 221. | श्री के. सुगुमार | 3503, 3576 |
| 222. | श्रीमती सुप्रिया सुले | 3573, 3604, 3658 |
| 223. | श्री कोडिकुन्नील सुरेश | 3519, 3569, 3571 |
| 224. | श्री एन. चेलुवरया स्वामी | 3585, 3620, 3677 |
| 225. | श्री मानिक टैगोर | 3564, 3578, 3658 |
| 226. | श्रीमती अन्नू टन्डन | 3455 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 227. | श्री लालजी टन्डन | 3601, 3668 |
| 228. | श्री अशोक तंवर | 3593, 3633, 3674 |
| 229. | श्री बिभू प्रसाद तराई | 3554 |
| 230. | श्री सुरेश काशीनाथ तवारे | 3520 |
| 231. | श्री मनीष तिवारी | 3558, 3607 |
| 232. | श्री जगदीश ठाकोर | 3582, 3672 |
| 233 | श्री अनुराग सिंह ठाकुर | 3535 |
| 234. | श्री आर. थामराईसेलवन | 3533, 3666 |
| 235. | डॉ. शशी थरूर | 3609 |
| 236. | श्री पी.टी. थॉमस | 3543 |
| 237. | श्री मनोहर तिरकी | 3574, 3631, 3654 |
| 238. | श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी | 3583 |
| 239. | श्री लक्ष्मण टुडु | 3536 |
| 240. | श्री शिवकुमार उदासी | 3591, 3593, 3659, 3668, 3670 |
| 241. | श्रीमती सीमा उपाध्याय | 3671, 3680 |
| 242. | श्री हर्ष वर्धन | 3545 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 243. | श्री मनसुखभाई डी. वसावा | 3499 |
| 244. | श्री सज्जन वर्मा | 3517 |
| 245. | श्रीमती ऊषा वर्मा | 3671, 3680 |
| 246. | श्री वीरेन्द्र कुमार | 3666 |
| 247. | श्री अदगरु एच. विश्वनाथ | 3531, 3659, 3670 |
| 248. | श्री पी. विश्वनाथन | 3546 |
| 249. | श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे | 3550 |
| 250. | श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े | 3582, 3660 |
| 251. | श्री अंजनकुमार एम. यादव | 3463, 3669 |
| 252. | श्री धर्मेन्द्र यादव | 3649, 3650 |
| 253. | श्री दिनेश चन्द्र यादव | 3588 |
| 254. | श्री ओम प्रकाश यादव | 3489, 3672 |
| 255. | प्रो. रंजन प्रसाद यादव | 3554, 3609 |
| 256. | श्री हुक्मदेव नारायण यादव | 3459 |
| 257. | श्री मधुसूदन यादव | 3467 |
| 258. | श्री मधु गौड यास्खी | 3613, 3649 |
| 259. | योगी आदित्यनाथ | 3556, 3611 |

# *अनुबंध-II*

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| *वाणिज्य और उद्योग* | : | 320 |
| *रक्षा* | : | 312, 315, 317 |
| *पर्यावरण और वन* | : | 305, 314, 318 |
| *श्रम और रोजगार* | : | 309, 321, 322 |
| *सड़क परिवहन और राजमार्ग* | : | 310, 316, 319, 323, 324 |
| *पोत परिवहन* | : | 306 |
| *सामाजिक न्याय और अधिकारिता* | : | 311, 313 |
| *इस्पात* | : | 307 |
| *वस्त्र* | : | 308 |

---

*तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका*

| | | |
|---|---|---|
| वाणिज्य और उद्योग | : | 3459, 3483, 3484, 3498, 3499, 3503, 3507, 3515, 3523, 3532, 3560, 3561, 3564, 3566, 3569, 3570, 3588, 3629, 3631, 3638, 3641, 3672, 3676 |
| रक्षा | : | 3453, 3454, 3457, 3460, 3464, 3465, 3466, 3471, 3472, 3477, 3485, 3486, 3489, 3491, 3494, 3500, 3504, 3508, 3510, 3517, 3528, 3529, 3533, 3534, 3535, 3538, 3539, 3545, 3556, 3558, 3563, 3565, 3579, 3581, 3584, 3587, 3592, 3604, 3607, 3630, 3634, 3635, 3637, 3639, 3642, 3661, 3662, 3671, 3677, 3679 |
| *पर्यावरण और वन* | : | 3470, 3479, 3480, 3482, 3487, 3488, 3493, 3522, 3525, 3526, 3541, 3546, 3553, 3555, 3567, 3573, 3575, 3578, 3595, 3597, 3601, 3602, 3603, 3606, 3608, 3610, 3612, 3617, 3618, 3622, 3624, 3625, 3628, 3632, 3633, 3645, 3650, 3657, 3659, 3663, 3665, 3670, 3678 |
| *श्रम और रोजगार* | : | 3452, 3461, 3462, 3463, 3468, 3469, 3496, 3497, 3506, 3519, 3542, 3551, 3552, 3554, 3568, 3585, 3596, 3599, 3619, 3620, 3621, 3626, 3644, 3649, 3660, 3675 |
| *सड़क परिवहन और राजमार्ग* | : | 3456, 3458, 3475, 3476, 3490, 3492, 3495, 3501, 3505, 3509, 3512, 3513, 3516, 3518, 3520, 3521, 3524, 3527, 3530, 3536, 3543, 3544, 3550, 3574, 3576, 3577, 3580, 3589, 3590, 3600, 3614, 3615, 3616, 3623, 3627, 3636, 3640, 3643, 3647, 3651, 3658, 3664, 3666, 3667, 3668 |

| | | |
|---|---|---|
| *पोत परिवहन* | : | 3451, 3478, 3481, 3514, 3540, 3547, 3548, 3559, 3572, 3598, 3656, 3674 |
| *सामाजिक न्याय और अधिकारिता* | : | 3467, 3473, 3537, 3549, 3557, 3571, 3582, 3605, 3609, 3611, 3613, 3646, 3652 |
| *इस्पात* | : | 3474, 3586, 3648, 3580 |
| *वस्त्र* | : | 3455, 3502, 3511, 3531, 3562, 3583, 3591, 3593, 3594, 3653, 3654, 3655, 3669, 3673 |

## इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

**http://www.parliamentofindia.nic.in**

## लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

## लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/28/15/2012 (एन.)
360

**© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय**

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।